पंचदश माला, खंड 24, अंक 20

बुधवार, 2 मई, 2012
12 वैशाख, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept. 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 24, दसवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 20, बुधवार, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
देश के विभिन्न भागों में हाल में घटित त्रासद घटनाएं	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361	3-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 362 से 380	9-50
अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370	50-455
सभा पटल पर रखे गए पत्र	456-463
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक	463-465
सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
31वें से 34वां प्रतिवेदन	465
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
25वें से 27वां प्रतिवेदन	465
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
27वां से 28वां प्रतिवेदन	466
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
24वें से 26वां प्रतिवेदन	466
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) पाकिस्तान, विशेष रूप से सिंध में हिंदुओं के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में	468-473

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

(दो) गुजरात दिवस समारोह के अवसर पर राज्य पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य पर कथित हमले और दुर्व्यवहार के बारे में 477-483

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए केरल के कालीकट में केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 493

(दो) बी एड पाठ्यचर्या में 'खेलों' को एक विषय के रूप में शामिल किए जाने से पूर्व इसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में शुरू किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 494

(तीन) विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री नारायण सिंह अमलाबे 495

(चार) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित सेना स्टेशन की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 496

(पांच) केरल में चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी परिवारों के लिए मिट्टी के तेल के मासिक कोटे में वृद्धि किए जाने तथा उन्हें बिजली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन 496

(छह) बीस लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तपोषण के व्यवहार्यता अंतर में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 497

(सात) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से असम में ब्रह्मपुत्र नदी में साल भर आने वाली बाढ़ की समस्या का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन गोहेन 498

(आठ) अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर खंड में अप्रयुक्त रेलवे स्टेशनों को बंद किए जाने तथा नए स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 499

विषय	कॉलम
(नौ) बिहार के सूखा प्रभावित जिलों, नवादा और शेखपुरा में पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डॉ. भोला सिंह	499
(दस) राजस्थान में पंचना बांध की ऊंचाई को स्वीकृत सीमा के अनुसार कम किए जाने तथा प्रस्तावित अनीकुट/सरफेस बैरियर के कार्य को रोके जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सीमा उपाध्याय	500
(ग्यारह) बिहार में अंतर्राज्यीय उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के भाग कुटकु बांध के लौह द्वार का निर्माण करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार सिंह	501
(बारह) तमिलनाडु में सलेम रेलवे डिवीजन कार्यालय के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. थामराईसेलवन	502
(तेरह) झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के रुपसा-बुडामारा खंड को चकुलिया से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण टुडु	502
(चौदह) स्टेकधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी निर्यात नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	503
(पंद्रह) भारत और बांग्लादेश के बीच एक दूसरे की सीमा में विदेशी अंत: क्षेत्र के विनियमन के मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पांडा	504
(सोलह) कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाए जाने तथा कृषि आयात-निर्यात नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजू शेट्टी	504
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2012-2013	
गृह मंत्रालय	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	507

विषय	कॉलम
श्री सन्दीप दीक्षित	524
श्री नीरज शेखर	538
डॉ. बलीराम	543
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	546
श्री जोस के. मणि	548
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	552
डॉ. रत्ना डे	553
श्री आर. थामराईसेलवन	556
श्री सुखदेव सिंह	558
श्री विश्व मोहन कुमार	560
श्रीमती रमा देवी	563
श्री सुवेन्दु अधिकारी	565
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	569
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	570
श्री खगेन दास	574
श्री अर्जुन राम मेघवाल	577
श्री पिनाकी मिश्रा	578
श्री आनंदराव अडसुल	583
श्री एस.एस. रामासुब्बू	586
श्री रतन सिंह	588
श्रीमती सुप्रिया सुले	593
श्री एस. सेम्मलई	597
डॉ. एम. तम्बिदुरई	598
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	603
श्रीमती विजया चक्रवती	605

विषय	कॉलम

श्री नामा नागेश्वर राव 608

श्री पी. करुणाकरन 612

श्री जगदानंद सिंह 614

श्री मोहम्मद असरारूल हक 616

श्री प्रबोध पांडा 623

श्री गणेश सिंह 626

श्री शेर सिंह घुबाया 628

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर 631

योगी आदित्यनाथ 633

श्री मदन लाल शर्मा 637

श्रीमती दर्शना जरदोश 647

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 648

डॉ. मिर्जा महबूब बेग 651

श्री पन्ना लाल पुनिया 655

श्री हंसराज गं. अहीर 660

श्री घनश्याम अनुरागी 661

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 662

श्री नृपेन्द्र नाथ राय 663

श्री अजय कुमार 665

श्री असादुद्दीन ओवेसी 668

श्री ओ.एस. मणियन 679

डॉ. तरूण मंडल 683

श्री राम सिंह कस्वां 684

श्री चार्ल्स डिएस 686

श्री प्रताप सिंह बाजवा 687

विषय	कॉलम
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	693
श्री नवीन जिन्दल	695
श्री प्रेम दास राय	698
श्री विष्णु पद राय	699
श्री सतपाल महाराज	700
श्रीमती पुतुल कुमारी	702
श्री धनंजय सिंह	703
श्री रामकिशुन	706
श्री निशिकांत दुबे	708
श्री प्रेमदास	709
डॉ. थोकचोम मैन्या	709
श्री नारनभाई कछाड़िया	711
श्री पी. चिदम्बरम	713-729
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	741-742
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	741-764
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	765-766
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	765-768

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

देश के विभिन्न भागों में हाल में घटित त्रासद घटनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट रविवार 29 अप्रैल, 2012 को एक दुखद सड़क दुर्घटना में छह महिलाओं और तीन बच्चों सहित 20 व्यक्ति मारे गए और 27 अन्य घायल हो गए थे।

बिजली गिरने की दो अन्य दुखद घटनाओं में 29 अप्रैल, 2012 को आंध्र प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में 17 लोगों के मारे जाने और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 16 लोगों के मारे जाने तथा 10 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना मिली है।

माननीय सदस्यो, एक अन्य घटना में सोमवार, 30 अप्रैल, 2012 को असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नौका के पलट जाने से महिलाओं और बच्चों सहित 100 लोग डूब गए और लगभग 200 व्यक्ति लापता हो गए।

माननीय सदस्यो, एक अन्य दुखद घटना में विगत कुछ दिनों में त्रिपुरा के अनेक भागों में वर्षा और ओलावृष्टि के साथ आए एक तूफान के कारण सात व्यक्तियों के मारे जाने, 175 व्यक्तियों के घायल होने और फसलों तथा पशुधन की क्षति होने की सूचना मिली है।

सभा इन दुखद घटनाओं, जिनसे मृतकों और घायलों के परिवारों को दु:ख और पीड़ा पहुंची, पर अपना गहरा दु:ख व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत अत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 361 – डॉ. पी. वेणुगोपाल।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री के. चंद्रशेखर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : जोशी जी, मुझे आपका नोटिस मिला है। कृपा करके आप इसे शून्य प्रहर में उठा लीजिए। आप शून्य प्रहर में उठाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप वापस जाइये। अभी अपनी-अपनी जगह पर जाइये, प्रश्न काल चलाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जाइये, वापस जाइये। आपको हमने कहा है कि आपका शून्य प्रहर में उठाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप प्रश्न काल चलाने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप शून्य प्रहर में उठा लीजिए। अब प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा समीक्षा

***361. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा समीक्षा और अभिकल्प के संबंध में परमाणु विद्युत उत्पादक राष्ट्रों के बीच सहयोग के प्रयोजनार्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई तंत्र/मंच मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय अभिकल्प मूल्यांकन कार्यक्रम में भारत के परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को पहले नए सदस्य के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत विशेषकर परमाणु सुरक्षा के संबंध में बहुराष्ट्रीय अभिकल्प मूल्यांकन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित करेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए), नाभिकीय रिएक्टरों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा और उनके अभिकल्पन के संबंध में सहकार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई मंच प्रदान करती है जहां नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को प्रचालित करने वाले सदस्य राज्यों के विशेषज्ञ नाभिकीय सुरक्षा, प्रचालन तथा डिजाइन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ हैं, दाबित भारी पानी रिएक्टरों का प्रचालन करने वाले देशों के लिए सीनियर रेगुलेटर्स फोरम, वीवीईआर के प्रचालक देशों के लिए वीवीईआर रेगुलेटर्स फोरम, घटना की सूचना देने वाली प्रणाली, विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों के लिए तकनीकी कार्य वर्ग। नवीनतम नाभिकीय रिएक्टरों और ईंधन चक्रों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना (आईएनपीआरओ), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रुचि रखने वाले सदस्य राज्यों का एक ऐसा मंच है जोकि, सामान्य हित के विषयों के संबंध में सहकार करता है, जिसमें, भविष्य में नाभिकीय ऊर्जा के निरंतर विकास के समर्थन में प्रौद्योगिकियों और संस्थागत व्यवस्थाओं के क्षेत्र में नवीनीकरण की भूमिका शामिल हैं।

जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अधिदेश दिया गया है, सदस्य राज्य, मिलकर सुरक्षा संबंधी मानदंड विकसित करते हैं जिनमें नाभिकीय रिएक्टर भी शामिल हैं, ये मानदंड राष्ट्रीय मानदंडों का विकास करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

नाभिकीय सुरक्षा संबंधी कंवेंशन (सीएनएस) का सृजन, भूमि पर स्थापित असैन्य नाभिकीय संस्थापनाओं में विश्व स्तर पर उच्च स्तर की सुरक्षा हासिल करने के लिए किया गया था। नाभिकीय सुरक्षा संबंधी कंवेंशन की अपेक्षा के अनुसार, कंवेंशन के सभी संविदाकारी पक्षों के लिए, देश में नाभिकीय सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक विस्तृत राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इन रिपोर्टों की विस्तृत तरीके से पीयर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान की गई सिफारिशों पर बाद की समीक्षाओं में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

भारत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों जिसमें सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं, में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम (एमडीईपी), जिसमें कनाडा, चीन, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और अब भारत के नियामक शामिल हैं, उन राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों के संसाधनों और जानकारी को सशक्त बनाने के लिए नवीन पद्धतियां विकसित करने हेतु एक बहुराष्ट्रीय पहल है, जोकि नए रिएक्टर विद्युत संयंत्रों के डिजाइनों की समीक्षा करने का काम कर रहे हैं या शीघ्र ही करेंगे। बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम (एमडीईपी), सदस्य देशों के नियामक प्राधिकरण के साथ संपर्क करने के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करता है।

वर्तमान में, बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम (एमटीईपी) के अंतर्गत, विस्तृत किस्म की गतिविधियां आती हैं जिनमें, मौजूदा नियामक ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहकार को बढ़ाने, कोडों, मानकों तथा सुरक्षा संबंधी लक्ष्यों के बहुराष्ट्रीय स्तर पर अभिसरण, तथा नए

रिएक्टरों की लाइसेंसिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम (एमडीईपी) उत्पादों को क्रियान्वित करना शामिल है। विचारार्थ विषयों के अनुसार, बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम (एमडीईपी) का कार्य, डिजाइन विशिष्ट और विषय विशिष्ट कार्य दलों द्वारा किया जाता है।

डिजाइन विशिष्ट कार्य दलों का गठन तब किया जाता है जब तीन या अधिक देश एक साथ मिलकर काम करने में अपनी रुचि व्यक्त करते हैं। वर्तमान में दो, डिजाइन विशिष्ट कार्य दल (एक ईपीआर कार्य दल और दूसरा एपी 1000 कार्य दल) मौजूदा हैं।

विषय-विशिष्ट (सामान्य विषय) कार्य दलों का गठन तकनीकी तथा नियामक क्षेत्र के लिए किया गया है जिसमें, निरीक्षण के दौरान विक्रेता का सहयोग, कोड और मानक तथा अंकीय यंत्रीकरण और नियंत्रण शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत, का परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 04 अप्रैल, 2012 को बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम (एमडीईपी) का पहला नया सदस्य बना।

(ङ) बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम (एमडीईपी), सदस्य नाभिकीय नियामक प्राधिकरणों के संसाधनों को निम्नलिखित प्रयोजन से इकट्ठा करता है:–

1. उन नाभिकीय रिएक्टरों के डिजाइनों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा के संबंध में सहकार करना जो कई देशों में निर्माणाधीन हैं और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

2. नियामक संबंधी आवश्यकताओं और पद्धतियों की समरूपता के लिए अवसरों और संभाव्यता का पता लगाना।

भारत का परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एक पूर्ण सदस्य के रूप में, बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम नीति वर्ग, और बहुराष्ट्रीय डिजाइन मूल्यांकन कार्यक्रम स्टीयरिंग तकनीकी समिति के अंतर्गत कार्यक्रम संबंधी सामरिक महत्व के निर्णयों में योगदान देगा। भारत, सदस्य और गैर-सदस्य देशों ने नियामकों के बीच नाभिकीय सुरक्षा संबंधी पद्धतियों के अभिसरण में योगदान देगा।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. पी. वेणुगोपाल।

...*(व्यवधान)*

डॉ. पी. वेणुगोपाल : मैं विस्तारपूर्वक उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

डॉ. पी. वेणुगोपाल : नाभिकीय सुरक्षा के संबंध में बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में और भारतीय परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के बहुराष्ट्रीय अभिकल्प मूल्यांकन कार्यक्रम (एमडीईपी) का सदस्य बनने पर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या नाभिकीय क्षति के लिए प्रतिपूर्ति पर भारत के दृष्टिकोण में कोई बड़ा परिवर्तन होने की आशा है।

श्री वी. नारायणसामी : महोदया, जहां तक नाभिकीय क्षति के लिए प्रतिपूर्ति का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन ने पहले ही नाभिकीय क्षति के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2011 पारित कर दिया है। नियम बनाये गए थे और नियम संसद के सामने रखे गए थे।

उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, राज्य पार्टी बीमा और उपकरणों से संबंधित बीमा सहित सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा गया है और विधेयक बहुत व्यापक तौर पर तैयार किया गया है और तद्नुसार नियम बनाये गए हैं।

डॉ. पी. वेणुगोपाल : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। बहुराष्ट्रीय अभिकल्प मूल्यांकन कार्यक्रम में नाभिकीय ऊर्जा नीति निर्णयों के संबंध में सदस्य राज्यों द्वारा सिबिल सोसायटी के साथ परामर्श का सुझाव दिया गया है। इसके मद्देनजर क्या सरकार का राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री वी. नारायणसामी : महोदया, माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा नीति की समीक्षा करने के बारे में प्रश्न उठाये हैं। जहां तक नाभिकीय ऊर्जा नीति का संबंध है, यह सुपरिभाषित है और पारदर्शी भी है। हमारे देश में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ही नहीं है बल्कि यह बहुत स्वतंत्र निकाय है। इसके अलावा, अब हम संसद में एक विधेयक लाये हैं। हमने परमाणु ऊर्जा विनियामक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र निकाय संसद के सामने रखा है। वह विधेयक सभा पटल पर रख दिया गया है। अब यह स्थायी समिति के सामने है। इसे उस पर निर्णय लेना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मंच का संबंध है, अब, अन्य पहलुओं के बारे में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि दो प्रमुख निकाय हैं जिसमें भारत एक भागीदार बना है। एक है नाभिकीय सुरक्षा संबंधी अभिसमय। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बनाया गया है जो नाभिकीय कार्यक्रमों में शामिल हैं। जहां तक भारत का संबंध है, हमने 2005 में इस पर हस्ताक्षर किये थे। वस्तुत: यह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा प्राधिकरण है और इसकी बैठक तीन वर्ष में एक बार होती है। यह समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की भी समीक्षा करता है। अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक सदस्य देश को अपने देश में नाभिकीय सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट देनी पड़ती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

दूसरा संगठन जिसके बारे में माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है वह है बहुराष्ट्रीय अभिकल्प मूल्यांकन कार्यक्रम। यह एक बड़ी संस्था है जिसका भारत हाल ही में 2 अप्रैल, 2012 को सदस्य बना है। इसके पास एक नीति समूह (पॉलिसी ग्रुप) है। इसकी एक तकनीकी समिति है। इसके पास अभिकल्प से संबंधित कार्यकारी समूह (वर्किंग ग्रुप) है और विभिन्न मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर कार्यकारी समूह हैं जिसमें सभी हितधारकों को विश्वास में लेना, जहां प्रचालन करने वाला देश, आपूर्तिकर्ता ये सब लोग भी शामिल हैं। जहां तक सुरक्षा का संबंध है, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच में विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी भाग ले रहे हैं। इसलिए, यह एक स्वनिर्मित तंत्र है जोकि उपलब्ध है।

मुझे इस सम्माननीय सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत इस बहुराष्ट्रीय अभिकल्प मूल्यांकन कार्यक्रम में सदस्य बन गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के संगठनों में से एक है।

श्री टी.आर. बालू : माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य में बिजली की भारी कटौती की जा रही है और आजकल राज्य में घुप्प अंधेरा छाया रहता है। उद्योग-धंधे और कृषि संबंधी कार्यकलाप लगभग ठप्प हो गये हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केन्द्र जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केन्द्र में किये जाने वाले विद्युत उत्पादन का शत प्रतिशत तमिलनाडु के लिए उपयोग होगा। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री वी. नारायणसामी : माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा है जो कि मुख्य प्रश्न के अनुरूप नहीं है। तथापि, मैं माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहूंगा।

महोदया, कुडनकुलम में नं. 1 और 2 नाम से दो रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक रिएक्टर 1000 मेगावाट क्षमता का है। महोदया, पहले रिएक्टर का 99 प्रतिशत कार्य हो चुका है। ए.ई.आर.बी. की अनुमति के बाद यह जल्द ही शुरू होने जा रहा है। द्वितीय परमाणु रिएक्टर को शुरू होने में अभी कुछ और समय लगेगा क्योंकि अभी 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो पाया है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि तमिलनाडु बिजली के लिए तरस रहा है। यह सच है। माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया है कि क्या इसका उत्पादन तमिलनाडु के लिए हो होगा। इस बारे में, तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। यह मामला माननीय प्रधानमंत्री के विचाराधीन है।

श्री इज्यराज सिंह : अध्यक्ष महोदया, सन् 2011 में जापान में प्राकृतिक आपदा के कारण फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर आये संकट के बाद विश्व का ध्यान परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर केन्द्रित हो चुका है। भारत में, कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। वास्तव में, मेरे राजस्थान राज्य में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कोटा-बूंदी के पास राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है। भारत में, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम सभी परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट की जानकारी लेता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष थे और क्या हमारी विद्यमान सुरक्षा प्रणाली पूर्णतया त्रुटिरहित है। यदि सुधार हेतु कोई सुझाव दिये गये हैं, तो क्या उन्हें लागू किया गया है?...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी : महोदया, माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुकुशिमा घटना के पश्चात्, माननीय प्रधानमंत्री जी ने परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में स्थित सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की समीक्षा करने हेतु निर्देश दिया।...*(व्यवधान)*

महोदया, 20 परमाणु रिएक्टरों में से एक रखरखाव संबंधी कारणों से प्रचालन में नहीं है। उन्नीस रिएक्टरों में कार्य हो रहा है। विदेशों से यूरेनियम का आयात करने के कारण नौ सुरक्षित श्रेणी में हैं। दस परमाणु रिएक्टर भारत में उपलब्ध यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश में परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा की समीक्षा हेतु एनपीसीआईएल ने छह समीक्षा समितियों का गठन किया है। दो समितियां निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टरों के लिए गठित की गई हैं। उन्होंने अपनी सिफारिशें दीं...*(व्यवधान)*

इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो एक स्वतंत्र निकाय है, ने भी एक समिति का गठन किया है। उनकी भी सुरक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने भी अपनी सिफारिशें दी हैं। हमारे संयंत्र भूकम्प, सुनामी, बाढ़ और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को सह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

द्वितीय, प्रत्येक प्रणाली की सुरक्षा हेतु भी निश्चित प्रावधान किया गया है। कलपक्कम और तारापुर संयंत्र हेतु भी कुछ छोटी-मोटी सिफारिशें आयी हैं जैसे कि तट सुरक्षा दीवारें होनी चाहिएं। यह हल्की-फुल्की सिफारिशें हैं जिन्हें हम लागू कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* एनपीसीआईएल द्वारा गठित छह समितियों एवं एईआरबी द्वारा गठित समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में से नब्बे प्रतिशत सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। ...*(व्यवधान)* महोदया, हमने इसे अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर उन सभी सुरक्षा उपायों की सूचना दी गई है, जिनकी सिफारिश इन समितियों द्वारा की गई है।...*(व्यवधान)* उन समितियों की सिफारिशों को लागू करने संबंधी जानकारी एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर है।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

***362. श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाकघरों के आधुनिकीकरण अभियान के 19 वर्षों बाद भी केवल 8% डाकघरों का ही कम्प्यूटरीकरण हुआ है और 6% डाकघर नेट से जुड़ पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का देश के सभी डाकघरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) 31.03.2012 तक देश में 99.26% विभागीय डाकघर कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं। जहां तक संख्या का संबंध है, 25,154 में से 24,969 विभागीय डाकघर कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं। 24,969 कम्प्यूटरीकृत विभागीय डाकघरों में से 19,890 डाकघरों, अर्थात्, 79.66% में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। विभाग की समग्र सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत, नेटवर्क इंटिग्रेटर हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) मंगाए गए हैं और आशय पत्र जारी किया गया है। नेटवर्क इंटिग्रेटर सभी विभागीय डाकघरों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

(ग) से (ङ) ग्रामीण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधान विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना का एक अंग है। इससे विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा चलाए जा रहे 1,29,416 डाकघरों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान कर सकेगा। आरएफपी को अंतिम रूप देने एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर इस परियोजना को शुरू करने की संभावित समय-सीमा वर्ष 2013-14 है।

[हिन्दी]

अवैज्ञानिक तरीके से खनन

***363. श्री पशुपति नाथ सिंह :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती खान मालिकों द्वारा झारखंड के झरिया कोलफील्ड्स में अवैज्ञानिक तरीके से कोयले का खनन उक्त क्षेत्रों में आग लगने और भू-धसान के कुछ कारणों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में जान-माल को किस प्रकार का नुकसान पहुंचा;

(घ) क्या सरकार को प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्अवस्थापन सहित आग को बुझाने तथा पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापन पैकेज हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समस्याओं

का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। मास्टर प्लान के अनुसार, झरिया कोलफील्ड में आग का इतिहास काफी पुराना 1916 का है जब भोवरा कोलियरी में आग की पहली घटना की सूचना मिली थी। तब से भूमिगत खदानों और ओपनकास्ट पिटों में आग की कई घटनाएं हुई है। विगत में, 1972-73 में कोयला खान राष्ट्रीयकरण से पहले, छिछली गहराई में पाए जाने वाले अच्छी गुणवत्ता वाले प्राईम कोकिंग कोयले की कोयला सीमों का तत्कालीन निजी खान स्वामियों द्वारा सुरक्षा और संरक्षण पहलुओं पर विचार किए बिना अंधाधुंध खनन किया गया था। परिणामत:, कुछ स्थलों पर नदी, जोहड, रेलवे लाइन और भवनों आदि जैसी सतही अवसंरचनाओं के नीचे थोड़ा स्टॉक रह गया, जो अवसंरचनाओं के असफल होने सहित ओवर लाईंग स्ट्राटा में विभिन्न हलचल उत्पन्न कर रहा है/करता रहा है। इससे अचानक धसाव, यूजी खादानों के ढहने, आगों के लगने आदि की घटनाएं होती हैं।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, खानों को भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) द्वारा अधिकार में ले लिया गया और खान की आगों को नियंत्रित करने के उपाय किए गए। 1996 में जीएआई-एमईटी-सीएचईएम द्वारा किए गए आग के अध्ययन के अनुसार एक आकलन किया गया है कि राष्ट्रीयकरण के समय पूर्व में आग से प्रभावित क्षेत्र 17.32 वर्ग किलोमीटर की तुलना में, आग द्वारा प्रभावित समग्र क्षेत्र घटकर 8.90 वर्ग किलोमीटर रह गया है।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आग और धंसाव की केवल एक घटना जो झारखंड में बीसीसीएल की सेन्द्रा बंसजोरा खान में 28.7.2009 को घटित हुई थी जिसके कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन मौतें हुईं और एक को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 37 मि.ट. अच्छी गुणवत्ता वाला प्राईम कोकिंग कोयला बर्बाद हो गया है और लगभग 1453 मि.ट. कोयला आग के कारण बंद हो गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। झरिया कोलफील्ड्स के खनिज क्षेत्रों में आग एवं धंसाव के मुद्दों का निवारण करने के लिए बीसीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्र में आग, धंसाव, पुनर्वास और सतही एवं अवसंरचना के डायवर्जन से संबंधित मास्टर प्लान को, विभिन्न पर्यावरणीय उपायों एवं धंसाव नियंत्रण स्कीमों के लिए पूर्व में स्वीकृत 83.71 करोड़ रु. सहित 7112.11 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कार्यान्वयन पूर्व कार्यकलापों को पूरा करने के लिए दो वर्षों सहित 12 वर्षों की अवधि में कार्यान्वियन के लिए अगस्त, 2009 में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

मास्टर प्लान के अनुसार 10 वर्षों की अवधि के भीतर 98314 मकानों (44155 बीसीसीएल के मकान और 54159 गैर बीसीसीएल के मकान) को पुनर्वासित/शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव है। खतरे वाले क्षेत्रों से गैर-बीसीसीएल के मकानों/ढांचों का पुनर्वास करना झारखंड राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा आयुक्त, नार्थ छोटा नागपुर की अध्यक्षता में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) का गठन किया गया है।

इसके अलावा, कार्यान्वियन अवधि के दौरान पहचान की गई किसी नई आग से निपटने और आग वाले क्षेत्र से रेल/सड़क के डायवर्जन के प्रावधान के साथ खान की आगों को नियंत्रित/उत्खनित करने के लिए कुल 45 आग स्कीमों को प्रतिपादित करके कार्यान्वित किया गया है। आग से निपटने के कार्य में तेजी लाने के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी को किराए पर लेकर आग के पैचों को उत्खनित/खुदाई की जा रही है।

[अनुवाद]

पॉलिटेक्निक्स

***364. श्रीमती जे. शांता :**
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निक्स संबंधी उप-मिशन" योजना में उन जिलों में नए पॉलिटेक्निक्स स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की संकल्पना है, जहां यह सुविधा प्रदान नहीं की गई/कम प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए और लम्बित पड़े प्रस्तावों का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लम्बित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(ङ) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में कार्यरत पॉलिटेक्निक्स की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) कर्नाटक सहित पिछड़े क्षेत्रों में इन संस्थानों के उन्नयन और विस्तार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (च) जी, हां। कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निक्स संबंधी उप-मिशन की योजना के तहत यह मंत्रालय देश के 300 असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को प्रति पॉलिटेक्निक 12.30 करोड़ रुपए की एक बार वित्तीय सहायत प्रदान करता है परंतु शर्त यह है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इनके लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करें, 100 प्रतिशत आवर्ती खर्च तथा साथ ही 12.30 करोड़ रुपए से अधिक अनावर्ती खर्च, यदि कोई हो, वहन करे। 300 जिलों में से अब तक 279 जिलों में नए पॉलीटेक्नीकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए गए और संस्वीकृत किए गए पॉलीटेक्निकों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शेष 21 जिलों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने या तो निःशुल्क भूमि आवंटित करने, 100 प्रतिशत अनावर्ती खर्च तथा साथ ही 12.30 करोड़ रुपए से अधिक अनावर्ती खर्च, यदि कोई हो, वहन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अभिव्यक्त नहीं की है अथवा योजना के तहत वित्तीय सहायता मांगने से इनकार कर दिया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निकों की कर्नाटक सहित राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निक्स संबंधी उप-मिशन की योजना के तहत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन के लिए देश में वर्तमान सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्नीकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता की अधिकतम राशि 2.00 करोड़ रुपए प्रति पॉलिटेक्निक है।

विवरण-I

राज्य सरकार द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकार किए गए पॉलिटेक्निकों और संस्वीकृत किए गए पॉलिटेक्निकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	असेवित और अल्पसेवित जिलों के अनुसार आवंटन	राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए गए और संस्वीकृत किए गए पॉलिटेक्निकों की संख्या				
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1		1			1
2.	अरुणाचल प्रदेश**	14	3	4		2	9
3.	असम	21				21	21
4.	बिहार	34	5	11	18		34
5.	छत्तीसगढ़	11	4	7			11
6.	दमन और दीव	1			1		1
7.	गुजरात	5	1	4			5

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	7	2	5			7
9.	हिमाचल प्रदेश	5	1	4			5
10.	जम्मू और कश्मीर	18	4	14			18
11.	झारखंड	17	4	13			17
12.	कर्नाटक	0					0
13.	केरल	0					0
14.	लक्षद्वीप	1		1			1
15.	मध्य प्रदेश	21	5	9			21
16.	महाराष्ट्र	2		2			2
17.	मणिपुर**	8	2				2
18.	मेघालय	4	1	3			4
19.	मिजोरम	6	2	2			6
20.	नागालैंड*	8	2	3			5
21.	ओडिशा	22	4	18			22
22.	पंजाब	7		7			7
23.	राजस्थान	15	1	14			15
24.	सिक्किम	2	1	1			2
25.	तमिलनाडु	7		7			7
26.	त्रिपुरा	3	1	2			3
27.	उत्तर प्रदेश	41	6	35			41
28.	उत्तराखंड	1		1			1
29.	पश्चिम बंगाल	11	1	10			11

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	2					0
31.	दिल्ली#	5					0
	कुल	300	50	178	25	26	279

*अंडमान और निकोबार प्रशासन और नागालैंड सरकार ने क्रमश: दो और तीन जिलों के लिए वित्तीय सहायता मांगने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

**अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की राज्य सरकारों ने नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने और 100 प्रतिशत आवर्ती खर्च वहन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता नहीं भेजी है।

#दिल्ली के पांच जिलों के संबंध में भूमि आवंटन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है।

विवरण-II

पालिटेक्निक्स की राज्य-वार सूची

राज्य	एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक संस्थाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	333
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	13
बिहार	22
चंडीगढ़	6
छत्तीसगढ़	42
दादरा और नगर हवेली	1
दमन और दीव	1
दिल्ली	42
गोवा	10
गुजरात	125
हरियाणा	222
हिमाचल प्रदेश	37
जम्मू और कश्मीर	17
झारखंड	27
कर्नाटक	276
केरल	73
मध्य प्रदेश	113
महाराष्ट्र	659
मणिपुर	1
मेघालय	3
ओडिशा	131
पुदुचेरी	9
पंजाब	175

1	2
राजस्थान	279
सिक्किम	2
तमिलनाडु	498
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	425
उत्तराखंड	74
पश्चिम बंगाल	95
कुल	3716

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना

***365. श्री नीरज शेखर :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की है तथा सरकार को गैर-सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत निर्धन विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश के प्रभावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के 25 प्रतिशत के मानदंड का पालन करने में विफल रहने पर क्या शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है तथा वर्ष 2012-13 के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अथवा निर्धारित की जाने वाली धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस निर्णय को लागू करने हेतु अपेक्षित अध्यापकों की संख्या का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 25 प्रतिशत सीट-आरक्षण स्कूलों को शुल्क बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और इससे सामान्य श्रेणी के छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में पुष्टि किए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को पूरी तरह लागू करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) रिट याचिका (सी) सं. 95/2010 और अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के अपने निर्णय में यह कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संवैधानिक रूप से वैध है और यह (i) समुचित सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित स्कूल; (ii) सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों सहित एक सहायता प्राप्त स्कूल जो अपने संपूर्ण अभवा आंशिक खर्चों को वहन करने के लिए समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी प्रकार के सहायता अथवा अनुदान प्राप्त कर रहा है; (iii) विनिर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल; और (iv) अपने खर्चों को वहन करने के लिए समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान प्राप्त न करने वाले गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूल पर लागू होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम; और विशेष रूप से धारा 12(1)(ग) और 18(3), अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रत्याभूत उनकी मौलिक स्वतंत्रता का हनन करती हैं और परिणामस्वरूप यह ऐसे स्कूलों पर लागू नहीं होगा।

(ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21-क से आया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रावधान के अनुपालन में असफलता स्कूल को कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बना देगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अनुपालन में लाभवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चे की शिक्षा के लिए गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को व्यय की प्रतिपूर्ति इस अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधानों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा की जाएगी।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित कर लिया

गया है। तद्नुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के मानदंडों का पालन करने में राज्यों को सक्षम बनाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान अतिरिक्त शिक्षकों का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह अनुमान लगाया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्यों में 5.08 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तथापि, राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2010-12 के दौरान छह लाख से अधिक शिक्षक पद संस्वीकृत किए गए हैं। जहां तक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का संबंध है, स्कूलों से अपेक्षा है कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा करें।

(ङ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) में प्रावधान है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) का अनुपालन करते हुए लाभवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला देने वाले गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल को उसके द्वारा किए गए व्यय की, राज्य द्वारा किए गए प्रति बालक व्यय, अथवा बालक में वसूली गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनेक निजी स्कूलों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के स्कूलों द्वारा किया गया प्रति बालक व्यय सरकारी स्कूलों द्वारा किए जाने वाले व्यय से कम है। अतएव, ऐसे स्कूलों में सरकार का प्रदत्त प्रतिपूर्ति कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की लागतों को वहन करने के लिए पर्याप्त होगी। तथापि, महानगरों में कुछ स्कूलों के प्रति-बालक बजट राज्य के स्कूलों के प्रति-बालक बजटों से बहुत अधिक हैं। ऐसे स्कूलों को परोपकारी व्यक्तियों, चैरिटेबल ट्रस्टों और कॉरपोरेट फंडिंग के साथ नए मार्ग तलाश करने होंगे ताकि सामान्य श्रेणी के छात्रों पर शुल्कवृद्धि का भार डाले बिना इस अंतराल को पाटा जा सके।

(च) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) केन्द्रीय आरटीई नियमावली 9 अप्रैल, 2010 को अधिसूचित की गई थी, जो विधानमंडल रहित 5 संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होती है।

(ii) 28 राज्य सरकारें राज्य आरटीई नियमावली अधिसूचित कर चुकी है।

(iii) सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संशोधित किया गया है।

(iv) राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त आरटीई-एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र राज्य निधियन पद्धति में संशोधन किया गया है।

(v) शिक्षक अर्हता मानदंडों को अधिसूचित किया गया है तथा केन्द्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने शिक्षा पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित की है।

(vi) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शुरूआत से 39,502 नए प्राथमिक विद्यालय और 11,952 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने, 28,561 प्राथमिक विद्यालय और 8,247 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण, 4,98,339 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, 2,49,400 शौचालयों तथा 22,791 पेयजल इकाइयों के निर्माण और 6 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

अप्रयुक्त विमानपत्तनों की व्यवहार्यता

***366. श्री एस. सेम्मलई :** क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विमानपत्तन खोले गए;

(ख) क्या देश में मौजूदा अप्रयुक्त विमानपत्तनों की प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता की हाल ही में जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नए विमानपत्तनों को अनुमति देने से पूर्व अप्रयुक्त विमानपत्तनों को प्रचालनात्मक बनाने को प्राथमिकता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नया हवाई अड्डा चालू नहीं किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2008 में एएआई द्वारा अपने 33 गैर-प्रचालनिक/अप्रयुक्त हवाई अड्डों के प्रचालनीकरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया था। इनमें से 13 हवाई अड्डों को यातायात संभाव्यता/उभरती औद्योगिक सम्भाव्यता/सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर विकास/प्रचालनीकरण के लिए अनुशंसित किया गया। ये 13 हवाई अड्डे हैं मैसूर (कर्नाटक), अकोला (महाराष्ट्र), तेजू (अरुणाचल प्रदेश), कडप्पा (आंध्र प्रदेश), पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश), रूपसी (असम), शोलापुर (महाराष्ट्र), कमालपुर (त्रिपुरा), चकुलिया (झारखंड), झारसुगुड़ा (ओडिशा), मालदा (पश्चिम बंगाल), वेल्लोर (तमिलनाडु), और वारंगल (आंध्र प्रदेश)।

(घ) और (ङ) 2008 की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

रेल संरक्षा आयोग

***367. श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल संरक्षा आयोग, जो एक स्वायत्त संस्था है, नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या उक्त व्यवस्था से रेल संरक्षा आयोग संस्था के प्रशासन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस आयोग को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कारबार आवंटन नियम, 1962 के अनुसार रेल संरक्षा आयोग का विषय विमान मंत्रालय के अधीन रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। सीसीआरएस और सीआरएस के कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए समय समय पर सुझाव मिलते रहे हैं। ये सुझाव मुख्यत: इन कार्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने, इन्हें सुदृढ़ बनाने और स्वायत्तता प्रदान करने से संबंधित होते हैं। इस संबंध में, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें सीआरएस के सर्कलों की संख्या को बढ़ाकर 9 किया जाना, रेल संरक्षा उपायुक्तों के अतिरिक्त पदों का सृजन और स्तरोन्नयन, मानवशक्ति के तकनीकी कौशल का स्तरोन्नयन, इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली में स्वायत्तता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

विमान कंपनियों/ट्रेवल पोर्टल्स द्वारा अनियमितताएं

***368. श्री एल. राजगोपाल :**
श्रीमती प्रिया दत्त :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान कंपनियों और ट्रेवल पोर्टल्स द्वारा की जा रही फर्जी बुकिंग सहित विभिन्न अनैतिक व्यापार आचरणों और अन्य अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न विमान कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण मार्गों के लिए टिकटों की अत्यधिक कीमत वसूल किए जाने का पता चला है तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा कंपनी विक्रय काउंटर के माध्यम से बेची गई टिकटों की कीमत ट्रेवल एजेंसियों और ट्रेवल पोर्टल्स द्वारा बेची गई टिकटों की कीमत से काफी अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) फर्जी बुकिंग रोकने सहित ग्राहकों के हितों की रक्षा के संबंध में विमान कंपनियों/ट्रेवल पोर्टल्स के संचालन को शासित करने संबंधी नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्राहकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम रहे?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को मार्च, 2012 में कुछ घरेलू एयरलाइनों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ ऑन-लाइन ट्रेवल पोर्टल्स ओपेक/बारगेन किराए के तहत कुछ एयरलाइनों की टिकटें बेच रहे हैं, जिनमें एयरलाइन की पहचान और उड़ान का ब्यौरा टिकट के ऊपर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था।

डीजीसीए ने इस मामले में दखल दिया और एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसके तहत एयरलाइनों को निदेश दिया गया था कि वे तुरंत ऐसी किसी भी स्कीम में भागीदारी समाप्त करें जिसमें वाहक की बाबत टिकटों पर पूरी जानकारी उजागर नहीं की जा रही हो। डीजीसीए द्वारा प्रस्तुत जानकारी के मुताबिक फिलहाल कोई भी अनुसूचित घरेलू एयरलाइन ओपेक/बारगेन किराये में भागीदारी नहीं कर रही है और ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टलों ने इन्हें अपनी-अपनी वेबसाइटों से हटा दिया है।

तथापि डीजीसीए को फर्जी बुकिंग की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) हवाई किरायों को सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता। एयरलाइनें बाजार स्थितियों के अनुसार किराए प्रभारित करने को स्वतंत्र हैं। डीजीसीए ने सूचना दी थी कि हवाई किराए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए किराये श्रेणी के भीतर रहते हैं।

भारतीय वाहकों द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किराए बुकिंग कार्यालयों और ट्रैवल एजेंटों/ट्रैवल पोर्टलों के लिए एक जैसे हैं। जहां किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से जारी टिकट पर अधिसूचित और परिलक्षित किराया उनके अपने कार्यालय के जरिए जारी टिकटों के समान होता है, वहीं ऐसा भी संभव है कि कोई ट्रैवल एजेंट अपने खुद के कमीशन/प्रोत्साहन राशि में से यात्री को किसी छूट की पेशकश करे। इसी तरह, कोई ट्रेवल पोर्टल भी यात्रियों को इसी आधार पर छूट की पेशकश कर सकता है।

(घ) और (ङ) डीजीसीए ने कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली (सीआरएस)/वैश्विक वितरण प्रणाली (जीडीएस) पर नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) जी की है जिसमें यह प्रावधान है कि सब्सक्राइबर सीआरएस/जीडीएस में फर्जी आरक्षण नहीं करेगा और किसी भी गलत टिकटिंग परिपाटी का आश्रय नहीं होगा।

टैरिफ के प्रकाशन में पारदर्शिता बरतने के लिहाज के नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

- अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी-अपनी वेबसाइट पर मासिक आधार पर मार्ग-वार और किराया श्रेणी-वार निर्धारित किए गए टैरिफ प्रदर्शित करें और कोई भी उल्लेखनीय और सूचना योग्य परिवर्तन किए जाने के 24 घंटे के भीतर, ऐसे किसी भी परिवर्तन की बाबत डीजीसीए को अधिसूचित भी करे।

- नियमित आधार पर टैरिफ की मॉनीटरिंग उद्देश्य से डीजीसीए में एक टैरिफ विश्लेषण यूनिट की स्थापना की गई है।

टेलीमार्किटरों द्वारा अवांछित कालें/एसएमएस

***369. श्री राधे मोहन सिंह :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से हिदायतों के बावजूद तथा डू नॉट-कॉल-रजिस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन के बाद भी मोबाइल उपभोक्ताओं को अवांछित/अनावश्यक कॉलें/एसएमएस मिलना जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में 'ट्राई' द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या टेलीमार्किटिंग कंपनियों द्वारा की गई बातचीत को ट्रैक करने हेतु कोई कार्यविधि तैयार की गई है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीमार्किटिंग कंपनियों की बजाय अब अनेक अवांछित कॉलें/एसएमएस निजी/वैयक्तिक नम्बरों में आ रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) ट्राई ने दूरसंचार

अवांछित वाणिज्यिक संचार विनियम, 2007 दिनांक 5 जून, 2007 की मार्फत राष्ट्रीय डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (एनडीएनसी) की स्थापना की थी। ट्राई ने अनचाही/अनावश्यक कॉलों/एसएमएस की समस्या से निजात पाने के लिए कॉल फ्रेमवर्क की समीक्षा की है और "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता विनियम, 2010" जारी किया है जो दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से लागू किया गया है। इस विनियम के क्रियान्वयन से अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) से संबंधित शिकायतों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस विनियम के लागू किए जाने से पहले (मार्च, 2010 से मार्च, 2011 तक) प्रतिमाह औसतन 47454 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथापि, इस नए विनियम को क्रियान्वित किए जाने के बाद (27 सितम्बर, 2011 से 24 अप्रैल, 2012 तक) शिकायतों की कुल संख्या कम होकर 13926 प्रतिमाह रह गई है।

ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता विनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित और कदम उठाए हैं:—

1. टेलीमार्किटरों को प्रचारात्मक एसएमएस, जिससे ग्राहकों को असुविधा होती है, भेजने से रोकने के लिए मुख्य विनियमों में सातवां संशोधन करके टेलीमार्किटरों पर 5 पैसे प्रति प्रचारात्मक एसएमएस प्रभार लगाया गया है।

2. यह देखा गया था कि अनेक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों की मार्फत प्रचारात्मक एसएमएस प्राप्त हो रहे थे और वे एनसीपीआर में पंजीकृत ग्राहकों को भेजे जा रहे थे। ऐसे एसएमएसव को नियंत्रित करने के लिए, सेवा प्रदाताओं से विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय बहुसंख्यक एसएमएस को रोकने के लिए ट्राई द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2012 को निर्देश जारी किए गए।

3. ट्राई यूसीसी शिकायतों के बारे में सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई की निरंतर निगरानी कर रहा है और किसी प्रकार के उल्लंघन होने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। विनियम के प्रावधानों के तहत, अभिगम प्रदाताओं ने 105 मामलों में टेलीमार्किटरों को दंडित किया है ओर 5 टेलीमार्किटरों को काली सूची में डाला गया है।

(ग) और (घ) टेलीमार्किटरों के संदेशों की सरलता से पहचान करने के लिए विनियमों में वॉयस कॉल हेतु टेलीमार्किटरों के लिए 140 से प्रारंभ होने वाली एक अलग नम्बर वाली शृंखला निर्धारित की गई है। विनियम में प्रचारात्मक एसएमएस करने के लिए एक विशिष्ट एसएमएस हैडर फार्मेट का भी प्रावधान किया गया है। ग्राहक केवल एसएमएस हैडर को देखते ही एसएमएस की पहचान कर सकते हैं। यहां तक कि इससे अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा भी टेलीमार्किटरों से प्राप्त होने वाली ऐसी कॉलों/एसएमएस की आसानी से पहचान की जा सकती है।

इन विनियमों में इनके प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए टेलीमार्किटरों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। किसी पंजीकृत टेलीमार्किटर द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अभिगम प्रदाता द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार दोषी टेलीमार्किटर की प्रतिभूति जमा राशि में से दंड की राशि को वसूल किया जाएगा और इस दंड की राशि को ट्राई में जमा कराया जाएगा:—

उल्लंघन की स्थिति में टेलीमार्किटर की प्रतिभूति जमाराशि में से की जाने वाली कटौती का विवरण

क्र. सं.	टेलीमार्किटर अभिगम प्रदाता-वार उल्लंघन की संख्या	प्रतिभूति जमा से की जानी वाली कटौती	प्रतिभूति जमा	अतिरिक्त प्रतिभूति जमा
1	2	3	4	6
1.	शून्य उल्लंघन	कुछ नहीं	1,00,000	कुछ नहीं
2.	पहला उल्लंघन	25,000 रुपए	75,000	2,00,000
3.	दूसरा उल्लंघन	75,000 रुपए	2,00,000	कुछ नहीं

1	2	3	4	6
4.	तीसरा उल्लंघन	80,000 रुपए	1,20,000	4,00,000
5.	चौथा उल्लंघन	1,20,000 रुपए	4,00,000	कुछ नहीं
6.	पांचवां उल्लंघन	1,50,000 रुपए	2,50,000	कुछ नहीं
7.	छठा उल्लंघन	2,50,000 रुपए	कुछ नहीं	कुछ नहीं

दिनांक 24 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार, अभिगम प्रदाताओं ने 105 मामलों में टेलीमार्किटरों पर कुल 60,68,705 रुपए राशि का दंड लगाया है।

(ङ) और (च) ट्राई को ज्ञात है कि वे उपभोक्ता जो टेलीमार्किटर के रूप में पंजीकृत नहीं है उनके द्वारा सामान्य टेलीफोन कनेक्शनों का उपयोग करके अनेक कॉल एवं एसएमएस भेजे जा रहे हैं। यह देखा गया है कि अवांछित वाणिज्यिक कॉलों संबंधी अधिकांश शिकायतें वे होती हैं जिनमें कॉल या एसएमएस उन टेलीफोन उपभोक्ताओं द्वारा भेजे जाते हैं जो ट्राई में टेलीमार्किटर के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे मामलों में, इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार, मूलभूत अभिगम प्रदाता ऐसे उपभोक्ता को आगे से ऐसे अवांछित वाणिज्यिक संदेश न भेजने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि ऐसा उपभोक्ता दूसरी बार किसी अन्य उपभोक्ता को कोई अवांछित वाणिज्यिक संदेश भेजता है तो उसके टेलीफोन कनेक्शन को काट दिया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को कुल 44810 नोटिस भेजे गए हैं और 27 सितम्बर, 2011 से 24 अप्रैल, 2012 की अवधि के दौरान, ऐसे अपंजीकृत टेलीमार्किटरों के 27984 टेलीफोन कनेक्शनों को काट दिया गया है।

इस विनियम में प्राइवेट/अलग-अलग नम्बरों से बहुसंख्यक अवांछित एसएमएस भेजने को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन 200 एसएमएस की सीमा भी निर्धारित की गई है।

भारतीय कामगारों की मांग

***370. श्री अब्दुल रहमान :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू नौकरानियों और गृह-नर्सों सहित विभिन्न कौशल स्तरों के भारतीय कामगारों की विदेशों में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे लोगों के व्यवस्थित और वैध उत्प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत घरेलू नौकरानियों, नर्सों और अन्य भारतीय कामगारों की कार्य-दशाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) विदेशों में घरेलू नौकरानियों और गृह-नर्सों सहित, विभिन्न कौशल स्तरों के भारतीय कामगारों की मांग है। देशों, जिनमें भारतीय कामगारों की मांग है, में खाड़ी देश, मलेशिया, सिंगापुर और यूरोप के कुछ देश भी शामिल हैं।

10वीं कक्षा से अधिक शैक्षिक योग्यता वाली गृह नर्सों, और वे भी जो उत्प्रवास जांच अनअपेक्षित देशों में उत्प्रवास कर रहे हैं, की भर्ती, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत विनियमित नहीं होती। इसलिए, मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार की नीति, महिला कामगारों सहित, भारतीय कामगारों के सुव्यवस्थित और कानूनी उत्प्रवास को सुगम बनाने, गैर-कानूनी/अनियमित उत्प्रवास को हतोत्साहित करने और 17 ईसीआर अधिसूचित देशों में उत्प्रवास करने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों के लिए, उत्प्रवास अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार, सुरक्षा व कल्याण को सुनिश्चित करने की है।

उपरोक्त श्रेणी में महिला घरेलू गृह कामगारों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने उत्प्रवास करने की पात्रता के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की है और रोजगार संविदा को भारतीय मिशन द्वारा पूर्व-सत्यापित कराना अनिवार्य बना दिया है। नियोक्ता द्वारा एक प्रिपेड मोबाइल फोन प्रदान करना है और भारतीय मिशन के पास 2500 अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा राशि जमा कराना अपेक्षित है।

सरकार ने कामगारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए द्विपक्षीय सहयोग हेतु ढांचा तैयार करने के लिए, भारत प्रमुख श्रमिक प्राप्तकर्त्ता देशों, अर्थात् जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कत्तर ओमान, बहरीन और मलेशिया के साथ श्रम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने, विदेशों में नियोजित भारतीयों की सामाजिक सुरक्षा चिन्ताओं की सुरक्षा करने के लिए, आठ देशों, अर्थात् बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्रजरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों (एसएसएज) पर भी हस्ताक्षर किये हैं और उन्हें संचालित किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया की उड़ान समय सारणी

***371. श्रीमती दर्शना जरदोश :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या, एयर इंडिया ने मौजूदा प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में निजी प्रचालकों की समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अपनी समय-सारणी तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया का सूरत-दिल्ली और दिल्ली-सूरत के लिए अपनी उड़ानों की समय-सारणी में परिवर्तन करने का विचार है। क्योंकि उसी समय के आसपास अन्य विमान प्रचालकों के प्रचालन के कारण उस मार्ग पर यात्री यातायात में कमी आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एयर इंडिया अथवा अन्य विमान प्रचालकों ने सूरत से अन्य स्थानों को जोड़ने हेतु उड़ानें शुरू करने में रुचि दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एयर इंडिया द्वारा और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने तथा घरेलू विमानन क्षेत्र में अपने आपको प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अपनी उड़ान समय-सारणी तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) प्रत्येक अनुसूचित एयरलाइन द्वारा घरेलू अनुसूचियों का निर्धारण मांगों के उनके स्वतंत्र मूल्यांकन, अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर और भारत में विभिन्न हवाईअड्डों पर अपेक्षित टाइम स्लॉट के आवंटन के अध्यधीन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुवर्ती सीजनों में, जब तक प्रचालनिक एयरलाइनों को नए स्लॉट मुहैया कराए जाते हैं, कुछ एयरलाइनों/द्वारा किसी ऐसे सेक्टर पर नई उड़ानें आरंभ करने की संभावना रहती है जिनका प्रस्थान समय उस एयरलाइन की प्रतिस्पर्धी एयरलाइन की किसी मौजूदा सेवाओं जैसा ही हो। एयर इंडिया भी अपनी अनुसूची मांगों, संसाधनों और हवाईअड्डों पर स्लॉट आवंटन के आधार पर और प्रतिस्पर्धी तरीके से तैयार करती है।

(ग) और (घ) एयरलाइन के पास उपलब्ध मौजूदा क्षमता और इसके प्रचालनिक संसाधन वर्तमान और नियोजित अनुसूची के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समय, वर्तमान विमान उपलब्धता से उत्पन्न होने वाली अनुसूची संबंधी दिक्कतों की वजह से, मौजूदा अनुसूची में और उड़ानें शामिल करना कठिन है। सूरत से/के लिए उड़ानों के पुनः अनुसूचीकरण की संभावना पर तब विचार किया जा सकता है जब एक बार इस हवाईअड्डे के प्रचालनिक संसाधनों में वृद्धि हो जाए। तथापि एयर इंडिया की अनुषंगी, एलाइंस एयर सीआरजे-700 विमान से सप्ताह में तीन बार दिल्ली-सूरत-दिल्ली मार्ग पर प्रचालन करती है। एलाइंस एयर के अलावा, स्पाइस जेट ने भी सूरत से/के लिए अनुसूचित हवाई सेवाएं आरंभ की हैं।

सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है। इस तरह, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर देश में कहीं भी प्रचालन करने को स्वतंत्र हैं।

(ङ) एयर इंडिया और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, घरेलू बाजार में निम्नानुसार अपना नेटवर्क तथा उड़ान अनुसूचियां तैयार करती है:—

- विभिन्न सेक्टरों पर अनुमानित मांग के लिए एयर इंडिया द्वारा पेश की गई क्षमता की बराबरी करना।
- व्यस्त मैट्रो मार्गों पर उपयुक्त अंतराल वाली (सुबह, दोपहर तथा शाम के समय) तथा दैनिक आधार पर मल्टीपल उड़ानें उपलब्ध कराना, जहां प्रतिस्पर्धा कड़ी है और यात्रियों को अधिकतम लचीलापन और उड़ानों के विकल्प मुहैया करके ही उच्चतर ऑकोपेंसी हासिल की जा सकती है।
- एयर इंडिया उच्च लोड और राजस्व अर्जित करने की संभाव्यता वाले अन्य मार्गों पर प्रतिदिन दो/तीन उड़ानें ऑफर करती है।
- अन्य सभी घरेलू मार्गों पर दैनिक आधार प्राप्त करने के लिए प्रचालनों की आवृत्ति बढ़ाना। एयर इंडिया कमोबेश यह लक्ष्य हासिल कर चुकी है। कोलकाता/बागडोगरा को छोड़कर, एयर इंडिया की सभी घरेलू उड़ानें दैनिक आधार पर प्रचालित होती हैं और कुछ मार्गों पर एटीआर/सीआरजे विमान प्रचालित किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी (और एयर इंडिया के प्रमुख हब) दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानियों के बीच संपर्कता बढ़ाना। इस समय एयर इंडिया की दिल्ली और 48 घरेलू गंतव्यों के बीच सीधी उड़ानें हैं।

मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी

***372. श्री पी. विश्वनाथन :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी के अंतर्गत अभी तक कितने मोबाइल उपभोक्ताओं ने प्रचालक-वार 'पोर्टिंग आउट' और 'पोर्टिंग इन' के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या कुछ निजी सेल्युलर प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी स्कीम का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं तथा उपभोक्ताओं के अनुरोधों को लंबित रख रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा नम्बर पोर्टेब्लिटी के अंतर्गत प्रचालक-वार कितने अनुरोध रद्द किए गए/कितने लंबित हैं;

(घ) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं तथा दोषी प्रचालकों के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रचालक-वार क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है तथा उन पर कितनी शास्ति लगाई गई;

(ङ) मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी प्रक्रिया पूरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर मोबाइल उपभोक्ता को सुलभ और सहज नम्बर पोर्टेब्लिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) देश में मोबाइल नंबर पोर्टेब्लिटी (एमएनपी) सेवा शुरू किए जाने के बाद से पोर्टिंग इन और पोर्टिंग आउट हेतु अनुरोध करने वाले मोबाइल उपभोक्ताओं का 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार प्रचालक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	पोर्ट-इन अनुरोधों की संख्या	पोर्ट आउट अनुरोधों की संख्या
1	2	3	4
1.	एयरसेल (जीएसएम)	2097475	2488916
2.	भारती एयरटेल (जीएसएम)	10827376	9613630
3.	बीपीएल/लूप (जीएसएम)	118876	141075
4.	बीएसएनएल (सीडीएम)	931	3465
5.	बीएसएनएल (जीएसएम)	1689869	2451117
6.	एटिसलाट डीबी (जीएसएम)	8825	143911
7.	एचएफसीएल (सीडीएमए)	50	37109
8.	एचएफसीएल (जीएसएम)	35862	40139
9.	आइडिया/स्पाइस (जीएसएम)	9297896	5974318

1	2	3	4
10.	एमटीएनएल (जीएसएम)	38885	139256
11.	एमटीएस (सीडीएमए)	226527	272604
12.	रिलायंस कॉम (सीडीएमए)	249082	1724405
13.	रिलायंस कॉम (जीएसएम)	1797170	3146972
14.	रिलायंस टेल (जीएसएम)	824885	1044675
15.	एस. टेल.	17323	111988
16.	टाटा टेलिसर्विसेज — (सीडीएमए)	92283	1304207
17.	टाटा टेलिसर्विसेज (जीएसएम)	2896954	3402473
18.	यूनिनोर (जीएसएम)	558136	822733
19.	विडियोकॉन (जीएसएम)	56737	322725
20.	वोडाफोन (जीएसएम)	11040863	8150730

(ख) और (ग) एमएनपी अनुरोध को मोबाइल कंपनियों द्वारा अस्वीकार किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें ट्राई और दूरसंचार विभाग के संबंधित फील्ड यूनिटों अर्थात् दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टीईआरएम) प्रकोष्ठों में प्राप्त हुई हैं। एमएनपी को शुरू किए जाने के बाद से 31.03.2012 तक प्राप्त शिकायतों का दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

सेवा प्रदाता	टीईआरएम प्रकोष्ठों में प्राप्त शिकायतें	ट्राई में प्राप्त शिकायतें
1	2	3
एयरसेल	1461	184
एयरटेल	6801	1832
बीएसएनएल	856	307
एटिसलाट	शून्य	4
आइडिया/स्पाइस	4786	539
लूप	36	241
एमटीएनएल	21	60
एमटीएस	66	16
एस. टेल	3	8
रिलायंस	1476	977
टाटा	1277	268
यूनिनॉर	637	21
विडियोकॉन	23	13
वोडाफोन	3063	1346
एचएफसीएल	3	शून्य
कुल	20509	5816

टीईआरएम प्रकोष्ठों में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का दूरसंचार सेवा प्रदाता-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	लाइसेंसधारक कंपनियों के नाम	31.03.2012 तक प्राप्त शिकायतें	
		अनुरोधों को गलत आधार पर अस्वीकार करने से संबंधित शिकायतों की संख्या	निबटाई गई शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
1.	एयरसेल/डिशनेट	1461	1459
2.	एयरटेल	6801	6791
3.	बीएसएनएल	856	850

1	2	3	4
4.	एटिसलाट/आलियान्ज	0	0
5.	आइडिया/स्पाइस	4786	4772
6.	लूप	36	36
7.	एमटीएनएल	21	20
8.	एमटीएस	66	66
9.	एस. टेल	3	3
10.	रिलायंस	1476	1473
11.	टाटा	1277	1271
12.	यूनिनॉर	637	637
13.	विडियोकॉन	23	23
14.	वोडाफोन	3063	3048
15.	एचएफसीएल	3	3
	कुल	20509	20452

एमएनपी विनियम और अनुदेशों के अनुसार, एमएनपी संबंधी शिकायतों का समाधान 7 दिनों में किया जाना है जबकि जम्मू और कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर एलएसए के संबंध में यह अवधि 15 दिन है। अत: किसी भी समय कुछ संख्या में अनुरोधों के प्रक्रियागत होने की संभावना हो जाती है, तथापि, अनुरोध निर्धारित समय अवधि के बाद लंबित नहीं रखा जा सकता। अस्वीकार किए गए मामलों में कमियों को दूर करने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उन पर फिर से कार्यवाही की जा सकती है।

(घ) प्राप्त शिकायतों के आधार पर, सेवा प्रदाताओं से एमएनपी अनुरोधों को अस्वीकार करने के संबंध में समय-समय पर सूचना मंगाई गई तथा शिकायतों के समाधान हेतु समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। एमएनपी विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के संबंध में जब कभी भी उल्लंघन की जानकारी प्राप्त हुई तो संबंधित सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अब तक निम्नलिखित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं:—

(i) भारती एयरटेल

(ii) आइडिया

(iii) लूप

(iv) रिलायंस

(v) वोडाफोन

जिन मामलों में यह ज्ञात हुआ कि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) ने एमएनपी विनियमों के उपबंधों और निर्देशों का उल्लंघन किया है, उनमें ट्राई अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) के उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्रवाई हेतु प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ङ) एमएनपी विनियमों के अनुसार, असम, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर को छोड़कर अन्य सेवा क्षेत्रों के संबंध में मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के लिए समय-सीमा 7 कार्य दिवसों की है। असम, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्रों के संबंध में पोर्टिंग अवधि 15 कार्य दिवसों की है।

(च) ट्राई एमएनपी के निर्बाध क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक उपाय करता रहा है। इनमें से कुछ उपाय हैं:—

(i) 'यूपीसी मिसमैच' श्रेणी के अंतर्गत एमएनपी अस्वीकार करने की संख्या को न्यूनतम करने के लिए 'यूनिक पोर्टिंग कोड' के फार्मेट को सरल बनाने के संबंध में एक संशोधन जारी किया गया है।

(ii) 'संविदात्मक दायित्व' और 'बकाया भुगतान देय' के आधार पर पोर्टिंग हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने के संबंध में सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे एमएनपी विनियम 12 के अंतर्गत उल्लिखित कारणों को छोड़कर किसी अन्य कारण से पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार न करें।

आधार कार्ड प्रदान किया जाना

***373. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नागरिकों को आधार कार्ड प्रदान करने हेतु पर्याप्त कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो आधार कार्ड शीघ्र प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आधार कार्ड प्रदान करने में किन कठिनाइयों, यदि कोई हों, का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सभी प्रयोजनों हेतु आधार कार्डों को स्वीकार करने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार पत्रों के मुद्रण के लिए 3 प्रिन्टरों को लगाया गया है। डाक विभाग ने भी प्रिन्टरों के परिसरों में बुकिंग और डिस्पैच सुविधाएं खोली हैं। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 15 लाख आधार पत्र मुद्रित करने और डिस्पैच करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, डाक विभाग के आधार पत्रों की तीव्र डिलीवरी हेतु कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:—

(1) डिलीवरी डाकघरों के लिए प्रत्यक्ष थैलों की क्लोजिंग हेतु विशेष प्रबंध जिससे कि मल्टीपल हैंडलिंग और ट्रांजिट समय की बचत हो सके।

(2) बुकिंग सक्षमता बढ़ाने के लिए बुंकिग, पारेषण और डिलीवरी संबंधी सूचना के लिए कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर चालू करना।

(3) आधार पत्रों की सूचना से संबंधित प्रबंधन सूचना पोर्टल (एमआईएस) हेतु समर्पित पोर्टल विकसित करना।

(4) दैनिक आधार पर आधार पत्रों की डिलीवरी के मॉनीटरन हेतु सभी डाक सर्कलों में नोडल अधिकारियों की पहचान।

(5) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दैनिक आंकड़ों का मॉनीटरन।

(ग) प्रारंभ में अपर्याप्त मुद्रण और डिस्पैच क्षमता थी, जिसके कारण मुद्रण और डिस्पैच में कार्य संग्रह बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप डिलीवरी में विलम्ब हुआ। अतिरिक्त मुद्रण सुविधाओं के सृजन से फरवरी, 2012 से इस स्थिति में सुधार हुआ है और वर्तमान में आधार पत्रों की डिलीवरी में कठिनाइयों का सामना नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) भारत का महापंजीयक (आरजीआई) नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पठित नागरिकता (नागरिक पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियम 2003 के अंतर्गत भारत में रहने वाले व्यक्तियों का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार कर रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईउीएआई) विकास पहल के रूप में सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार संख्या) जारी कर रहा है। आरजीआई, यूआईडीआई के पंजीयकों में एक है।

शुरुआत में यूआईडीएआई पारिस्थितकी प्रणाली कि अन्य पंजीयकों के बायोमीट्रिक आंकड़ों की स्वीकृति के संबंध में गृह मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बीच विचारों में मतभेद था। अब विचारों के इस मतभेद का 27 जरवरी, 2012 को आयोजित यूआईडीएआई संबंधी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान समाधान कर लिया गया है। निवासियों के बायोमीट्रिक आंकड़े संग्रहण को सरल बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में यूआईडीएआई ने अच्छी प्रगति की है या जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने आधार नामांकनों के लिए वचनबद्धता जताई है और गैर-आजीआई पंजीयकों के माध्यम से विभिन्न सेवा डिलीवरी एप्लीकेशनों, आधार नामांकनों को एकीकृत करने की योजना बना रहे हैं, वे अपना कार्य जारी रखेंगे। तद्नुसार, कुछ राज्यों को विनिर्दिष्ट किया गया है जहां यूआईडीएआई आंकड़े एकत्रित करेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि यथा परिकल्पित एनपीआर नामांकन जारी रहेगा किन्तु नामांकन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति यह संकेत करता है कि वह आधार के लिए पहले से नामांकित हो चुका है तो आरजीआई द्वारा बायोमीट्रिक आंकड़े प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इसकी बजाय, आधार संख्या/नामांकन संख्या को एनपीआर में दर्ज किया जाएगा। यूआईडीएआई द्वारा आरजीआई को बायोमीट्रिक आंकड़े दिए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि एनपीआर और यूआईडीएआई के डेटाबेस में किसी विसंगति की स्थिति में एनपीआर आंकड़ों को माना जाएगा।

आधार एक समर्थ बनाने वाला है। विशिष्ट पहचान कार्यक्रम (आधार) की उत्पत्ति में यह तथ्य है कि भारत में गरीब और कमजोर व्यक्ति दस्तावेजों के अभाव में सामाजिक कल्याण स्कीमों और कार्यक्रमों की पहुंच से बाहर हो सकते हैं, जो उनके लिए बनाए गए हैं। आधार का लक्ष्य सॉफ्ट पहचान अवसंरचना उपलब्ध कराना है, जिसका प्रयोग

पब्लिक सेवाओं की रि-इंजीनियरिंग में किया जा सकता है जिससे कि सेवाओं की समान, कार्यकुशल बौर बेहतर डिलीवरी हो सके।

स्कूलों में अग्नि सुरक्षा

***374. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्कूलों में अग्नि सुरक्षा संबंधी तैयारी का आकलन किया है तथा सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि स्कूलों में अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को अद्यतन बनाया जाए तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु कोई व्यापक योजना बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सुरक्षा संबंधी सभी उपाय बनाए रखने का भी निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से स्कूलों में अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने/उपाय करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे अनुरोधों/प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन अनुरोधों/प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को, 27 जुलाई, 2004 के पत्र के तहत लिखा था कि वे स्कूली भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करके स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और कुशलता को सुनिश्चित करें। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और मॉडल स्कूल स्कीम के लिए कार्यान्वयन के ढांचे में यह व्यवस्था की गई है कि स्कूल भवनों में, शैक्षिक संस्थाओं में अग्नि सुरक्षा अभ्यास के संबंध में राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड सहित विनिर्दिष्ट भवन मानकों की अनुपालना की जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य एसएसए कार्यान्वयन सोसायटियों को भी सलाह दी जाती है कि वे स्कूल के डिजाइनों में स्कूल की संरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए अपेक्षित कदम उठाएं। राज्य सरकारों को स्कूल में अग्नि सुरक्षा के संबंध में अविनाश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्यों के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा, रिट याचिका, 2004 की संख्या 483 में पारित 13.04.2009 के निर्णय से सूचित करा दिया गया था। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग (एनडीएम), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा समय-समय पर संबंधित प्राधिकारियों को, अग्निशामकों की संस्थापना करने सहित स्कूलों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के अनुदेश भी जारी किए गए हैं। सीबीएसई के संबंधन उपनियमों में भी यह निर्धारित किया गया है कि स्कूलों को, स्थानीय नगर निगम और अग्नि शमन प्राधिकारियों द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने सूचित किया है कि उसने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्राचार्यों को उपयुक्त अग्निशामक उपायों का प्रावधान करने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र हैं तथा समय-समय पर विद्यार्थियों तथा अन्य कर्मचारियों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सुरक्षा अभ्यास भी किराए जाते हैं, सभी केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण, राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार किया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) वार्षिक योजना 2011-12 के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मणिपुर एवं हरियाणा से अग्निसुरक्षा यंत्रों सहित आपदा प्रबंधन उपकरण प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकारों को स्कूल वार्षिक अनुदान से खर्च पूरा करने की सलाह दी थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल को 50,000 रु. प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय मछुआरे

***375. श्री हरिन पाठक :**
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011 और वर्ष 2012 के दौरान पाकिस्तान द्वारा अनेक भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया गया और मछलियां पकड़ने की नावें जब्त कर ली गईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय कितने मछुआरे और मछलियां पकड़ने की नावें पाकिस्तान के कब्जे में हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन मछुआरों को मुक्त कराने तथा मछलियां पकड़ने की उनकी नावें वापिस प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) भारत सरकार की वर्ष 2007 की योजना के अनुसार ऐसे मछुआरों को कब तक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) दिनांक 27 अप्रैल, 2012 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2012 में पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा 108 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया है, जबकि वर्ष 2011 में 123 मछुआरों को हिरासत में लिया गया था, इसी तरह, वर्ष 2012 में पाकिस्तान द्वारा अब तक 39 नौकाओं को जब्त किया गया है जबकि वर्ष 2011 में 75 नौकाओं को जब्त किया गया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के विभिन्न कारागारों में 434 मछुआरे कैद हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय मछुआरे हैं। पाकिस्तान के कब्जे में लगभग 575 भारतीय नौकाएं हैं।

सरकार पाकिस्तान के कब्जे में सभी भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं से संबंधित मुद्दे को लगातार पाकिस्तान सरकार के साथ सभी उपयुक्त स्तरों पर उठाती रही है। इस मामले को फरवरी, 2010 जून, 2010 तथा जून, 2011 में विदेश सचिव स्तरीय वार्ताओं में; मार्च, 2011 में गृह/आंतरिक सचिव स्तरीय वार्ताओं में और जुलाई, 2010 तथा जुलाई, 2011 में विदेश मंत्री स्तरीय वार्ताओं में उठाया गया। गृह मंत्री ने भी जून, 2010 में अपनी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया। दोनों देशों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल करके एक भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति गठित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों, जिनमें वे मछुआरे भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, की शीघ्र रिहाई हो सके। समिति ने सिफारिश की है कि इन मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ समुद्र मार्ग से प्रत्यर्पित किया जाए। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पाकिस्तानी कारवासों में बंद मछुआरों समेत भारतीय कैदियों की स्थिति पर निरंतर नजर रखता है और उनकी शीघ्र रिहाई तथा नौकाओं की वापसी के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाता है। सरकार के सतत प्रयासों से वर्ष 2012 में अब तक 218 भारतीय मछुआरों को; वर्ष 2011 में 103 मछुआरों को और वर्ष 2010 में 454 मछुआरों को रिहा किया गया।

कृषि मंत्रालय (पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मत्स्यन पालन) पाकिस्तानी जेलों में बंद मछुआरों के मुआवजे का भुगतान करने और 'पाकिस्तान के कब्जे में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बदलने के लिए आसान ऋण पैकेज' — योजना जिसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) कार्यान्वित कर रहा है, के प्रयोजनार्थ नोडल एजेंसी है।

[अनुवाद]

विमान की आवश्यकता

***376. श्री एम.के. राघवन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकार ने देश में प्रत्येक 1.5 मिलियन आबादी के लिए एक विमान की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विमान की कुल आवश्यकता कितनी है तथा सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच किस प्रकार विमान का बंटवारा किया गया है;

(घ) क्या वर्तमान विमानन अवसंरचना इस विस्तार को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रख-रखाव और मरम्मत कार्य सहित इनमें वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारत की वर्तमान जनसंख्या तथा मौजूदा अनुसूचित एयरलाइनों के विमानों की संख्या के आधार पर प्रति 2.89 मिलियन जनसमुदाय के लिए एक विमान है।

(ग) नागर विमानन क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए, वाणिज्यिक एयरलाइन क्षेत्र में बेड़े का आकार वर्ष 2020 तक लगभग 1000

विमान होने की संभावना है। सार्वजनिक एवं निजी एयरलाइनों के बीच विमानों का भावी विभाजन संबंधी एयरलाइनों की विस्तार योजना पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन/स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात संभाव्यता, एयरलाइन प्रचालकों की मांगों, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता तथा संबंधित अवसंरचना आदि के आधार पर किया जाता है। विमान यातायात में होने वाली भावी वृद्धि की व्यवस्था के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए हवाईअड्डा अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विस्तार, भावी विमान दिक्चालन प्रणाली (एफएएनएस), जीपीएस एडेड, जीओ-संवर्धन दिक्चालन (गगन) सहित सीएनएस/एटीएन सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है।

जहां तक एमआरओ गतिविधि का संबंध है, इस समय देश में उपलब्ध अवसंरचना एयरलाइनों की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। लागत संबंधी लाभों के कारण एयरलाइनें/प्रचालक एमआरओ गतिविधि को विदेशी संगठनों से आउटसोर्स करने को प्राथमिकता देते हैं। नागर विमानन मंत्रालय देश के भीतर ही अपेक्षित सुविधाओं के विकास के लिए कदम उठा रहा है। वर्ष 2012-13 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में विमान के अतिरिक्त पुर्जों तथा तृतीय पक्ष में अनुरक्षण के लिए परीक्षण उपकरण, विमानों की मरम्मत तथा ओवरहाल के लिए कर रियायतों की घोषणा की गयी है।

अल्पसंख्यकों की परम्परागत भाषाएं

***377. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भावी पीढ़ियों के लिए उर्दू आदि जैसी अल्पसंख्यकों की विभिन्न परम्परागत भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु कोई कार्य-योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में ऐसी भाषाओं के संरक्षण, परिरक्षण और प्रसार हेतु राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस धनराशि के उपयोग की वर्ष-वार और राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ङ) परम्परागत भाषाओं को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के संबंध में की गई प्रगति की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जनगणना, 2001 के अनुसार, 122 भाषाएं, जिनमें से 22 भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, ऐसी हैं जिनमें में प्रत्येक भाषा 10,000 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। भारत सरकार द्वारा किसी भी भाषा जिनमें उर्दू भी शामिल है, को, अल्पसंख्यकों की भाषा के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। तथापि, सरकार उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के विकास तथा प्रचार के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद्, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से अनेक कार्यक्रम/परियोनजाएं/योजनाएं कार्यान्वित करती है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सरकारी खरीद

***378. श्री हर्ष वर्धन :**
श्री अर्जुन राय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी खरीद हेतु इस समय क्या विधिक ढांचा मौजूद है;

(ख) क्या मौजूदा सरकारी खरीद प्रक्रिया में खामियों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का सरकारी खरीद में मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध करने तथा प्रतिस्पर्धा को अधिकतम करने के लिए एक समुचित विधेयक लाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में सरकारी खरीद को सुचारु बनाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) इस समय केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद सामान्य वित्तीय नियम, 2005 और उसके अंतर्गत जारी मैनुअलों और क्रिया विधियों द्वारा नियंत्रित होती है।

(ख) और (ग) सामान्य वित्तीय नियम की 2005 में विस्तार से समीक्षा की गई और इसे समग्र रूप से संशोधित किया गया। सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 137 की शर्तों के अनुसार, प्रत्येक प्राधिकारी का जिसे जनहित में सामान खरीदने की वित्तीय शक्तियां प्रत्यायित की गई हैं, को सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों में सक्षमता, मितव्ययिता और पारदर्शिता लाने तथा सार्वजनिक खरीद में आपूर्तिकर्ताओं के साथ समान व्यवहार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायित्व और जवाबदेही होगी। वित्तीय शक्ति प्रत्यायन नियमावली, 1978 के नियम 21 की शर्तों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों ने क्रय हेतु व्यय को संस्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां प्रत्यायित कर दी हैं। सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा के भी अधीन होती हैं और खरीद करने वाले निकायों को इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है।

भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर मंत्रियों के दल की सिफारिश पर सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक खरीद विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष दिया है कि सार्वजनिक खरीद पर एक कानून के अभाव में प्रत्येक मंत्रालय, विभाग और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खुली निविदा प्रणाली के आधारभूत नियमों का अनुसरण करते समय सार्वजनिक हित के बारे में अपनी स्वयं की धारणा बनाते हुए स्वच्छारी व्यवहार अपनाते हैं। इससे प्रणाली में विश्वसनीयता और सार्वजनिक विश्वास समाप्त हो जाता है। इस संबंध में, समिति का निष्कर्ष है कि एक सार्वजनिक खरीद अधिनियम और खरीद नियमावली दोनों के सम्मिलन से प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोक अधिकारियों की जवाबदेही बेहतर होगी, क्योंकि इस कानून से 'सार्वजनिक हित' के नाम पर क्रिया विधियों को संक्षिप्त बनाने के भ्रष्ट तत्वों के कृत्यों पर अंकुश लगेगा बशर्ते उक्त कृत्य का अदालत में बचाव नहीं किया गया हो।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक खरीद पर विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के उपायों पर मंत्रियों के दल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक खरीद विधेयक, 2012 को संसद में पुरःस्थापित करने हेतु अनुमोदन कर दिया है।

इस विधेयक में, सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार सुनिश्चित करने, खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और सक्षमता तथा मितव्ययिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद को केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त और सांविधिक निकायों तथा अन्य खरीद निकायों निकायों द्वारा नियंत्रित करने की मांग की गई है। इस विधेयक से सार्वजनिक खरीद के लिए एक सांविधिक कार्यढांचा तैयार होगा जिससे वृहत्तर जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी और विनियामक कार्यढांचे का प्रवर्त्तन होगा।

(च) 'केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल' के नाम से एक पोर्टल स्थापित किया गया है जिस पर केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए अपने-अपने निविदा प्रश्न, उसमें संशोधन और दी गई संविदाओं के ब्यौरे प्रकाशित करना आवश्यक है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-खरीद को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों में शिक्षा

*379. **श्री वरुण गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षा के अवसरों की कमी की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों में शिक्षा सुधार हेतु उन्हें किताबें और लेखन सामग्री प्रदान करने के प्रावधान सहित विशेष योजनाएं शुरू करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों की विशेष समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से

सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत से ही इसमें शहरी वंचित बच्चों, बेघर बच्चों और श्रमिक बच्चों आदि के लिए आवासीय और गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों का प्रावधान था। 1 अप्रैल, 2010 से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू हो गया है और यह 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का हक प्रदान करता है। तदुपरांत, सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों में स्कूल-बाह्य बच्चों को नियमित स्कूलों में उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है, और यह प्रावधान भी शहरी वंचित बच्चों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक भवनों का पुन: विस्तार करके तथा अप्रयुक्त पुराने भवनों की पुन: मरम्मत करके सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवासीय सुविधा का एक नया प्रावधान शामिल किया गया है जो प्रौढ़ संरक्षण रहित उन शहरी वंचित बच्चों के लिए है जिन्हें न केवल दिन की स्कूल सुविधाओं की आवश्यकता है, अपितु रहने और खाने की सुविधाओं की भी आवश्यकता है।

किसी बस्ती से एक यथोचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें वंचित वर्गों के बच्चों, जिनमें शहरी वंचित बच्चे शामिल हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ग) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों के लिए वर्दियों और पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान है जो अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शहरी वंचित बच्चों के लिए भी है। इसके अतिरिक्त, अनेक राज्य स्टेशनरी, स्कूल बैग, परिवहन सुविधा आदि प्रदान करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को उन शहरी क्षेत्रों के लिए, जहां भूमि की उपलब्धता एक समस्या है, और उन बच्चों के लिए, जो अत्यधिक वंचित समूहों के हैं अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधा के प्रावधान के लिए भी संशोधित किया है।

हालांकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए विशिष्ट मानदंड/प्रावधान नहीं हैं तथापि, स्कूल बाह्य बच्चों का सर्वेक्षण और पहचान, अधिगम अभिवृद्धि हेतु सेतु पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षण तथा पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिविरों जैसे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

विश्वविद्यालय को छोटी इकाइयों में विभाजित करना

***380. डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेहतर संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न पक्षों से विश्वविद्यालयों को छोटी इकाइयों में विभाजित करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो संकल्पित योजना का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कितनी नई इकाइयों का सृजन किया जाएगा;

(ग) सम्बद्धता में परिवर्तन के कारण राज्य-वार कितने कॉलेजों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) नए विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों की सम्बद्धता के क्या मानदंड हैं; और

(ङ) नए विश्वविद्यालयों हेतु अपेक्षित अवसंरचना और धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) जी, हां। विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की संख्या को कम करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार संबंधन प्रणाली में सुधार करने संबंधी आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से अवगत है तथा इसे XIIवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में रेखांकित किया गया है। तद्नुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा XIIवीं योजना में अनुमोदन हेतु एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम (सीएसएस) की अभिकलपना की गई है। इस स्कीम से राज्य सरकारों को संबंधन प्रणाली में सुधारों को कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ताकि विश्वविद्यालयों पर उनसे बड़ी संख्या में कॉलेजों के संबंधन के कारण अधिभार न पड़े। इस स्कीम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पहाड़ी राज्यों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

4141. श्री के.सी. 'बाबा' : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पहाड़ी राज्यों के योजनागत कार्य निष्पादन की कोई समीक्षा कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को सामान्यतया पहाड़ी राज्यों के रूप में माना जाता है क्योंकि उनके क्षेत्र का एक बड़ा भाग पहाड़ी भूभाग है। ग्यारहवीं योजना के दौरान इन राज्यों की राज्य योजना का वित्तीय निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी राज्यों सहित राज्यों के साथ वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान राज्यों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्रकों के निष्पादन की समीक्षा की जाती है। इन चर्चाओं के दौरान वार्षिक योजना को भी अंतिम रूप दिया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2007-08		वार्षिक योजना 2008-09		वार्षिक योजना 2009-10		वार्षिक योजना 2010-11		वार्षिक योजना 2011-12
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1.	अरुणाचल प्रदेश	1320.00	1082.98	2264.60	1739.28	2100.00	2016.00	2500.00	2560.93	3200.00
2.	असम	3800.00	2669.28	5011.51	3593.76	6000.00	5023.09	7645.00	7799.68	9000.00
3.	हिमाचल प्रदेश	2100.00	2098.75	2400.00	2310.47	2700.00	2807.67	3000.00	3060.30	3300.00
4.	जम्मू और कश्मीर	4850.00	4403.31	5512.97	4773.68	5500.00	5279.14	6000.00	6000.00	6600.00
5.	मणिपुर	1374.31	1336.50	1660.00	1521.50	2000.00	1784.41	2600.00	2581.88	3210.00
6.	मेघालय	1120.00	984.07	1500.00	1386.96	2100.00	1417.86	2230.00	2230.00	2727.00
7.	मिजोरम	850.00	767.33	1000.00	822.53	1250.00	1067.22	1500.00	1263.95	1700.00
8.	नागालैंड	900.00	846.95	1200.00	1097.42	1500.00	1428.50	1500.00	1428.82	1810.00
9.	सिक्किम	691.14	607.04	852.00	1140.25	1045.00	1019.26	1175.00	1175.00	1400.00
10.	त्रिपुरा	1220.00	1067.15	1450.00	1431.16	1680.00	1735.57	1860.00	1368.21	1950.00
11.	उत्तराखंड	4378.63	3944.88	4775.00	3653.57	5800.81	3514.09	6800.00	6800.00	7800.00

सूचना आयुक्तों के कारण हानि

4142. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूचना आयुक्त न केवल आवेदकों को अपेक्षित सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं अपितु उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित न करने के कारण केन्द्र को लगभग 86 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) कुछ संगठनों ने, आरटीआई से जुड़े मुद्दों के संबंध में समय-समय पर सर्वेक्षण/अध्ययन संचालित किए हैं। यद्यपि सर्वेक्षण करने वाले संगठनों की वस्तुनिष्ठता, उनकी अनुसंधान प्रक्रिय, ौर सर्वेक्षण डिजाइन तथा आंकड़े संग्रहण करने वाली स्कीम और इसके सत्यापन के संबंध में जानकारी के अभाव में, उनके निष्कर्षों पर टिप्पणी करना सर्वथा उचित नहीं है।

[हिन्दी]

जीरो लाइन पर रेलवे स्टेशन का निर्माण

4143. श्री कीर्ति आजाद : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान चीन की मदद से बाड़मेर सेक्टर में मुनाबाओ के समीप जीरो रेखा पर रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 'जीरो प्वाइंट' नामक रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में बाड़मेर क्षेत्र में मुनाबाओ के सामने स्थित है। इस स्टेशन का निर्माण 2006 में किया गया था तथा यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 10-20 मीटर की दूरी पर स्थित है। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान रेलवे ने 'जीरो प्वाइंट' रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म तथा उत्प्रसावन कार्यालय में विस्तार कार्य शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों में यह दर्शाया गया है कि निर्माण कार्यकलापों में चीन की कंपनी शामिल है।

(ग) 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भू-सीमा नियमावली करार, 1960-1961 को मान्यता नहीं देता। दोनों देशों के बीच नए भू-सीमा नियमावली करार पर बातचीत चल रही है। वर्तमान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा पाकिस्तान रेंजर्स के बीच विकसित अनौपचारिक अभिसमय के आधार पर किया जा रहा है।

(घ) बीएसएफ ने कई स्तरों पर बैठकों के दौरान पाकिस्तान रैंजर्स के साथ इस मामले को उठाता रहा है। 16 नवंबर, 2011 को आयोजित पिछली तिमाही बैठक के दौरान भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने इस बात को दोहराया था कि यह निर्माण कार्य मौजूदा प्लेटफार्म तथा उत्प्रवासन कार्यालय का विस्तार करने के लिए किया गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमों को बन्द करना

4144. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई कतिपय योजनाओं को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन स्कीमों के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इनमें कितनी प्रगति हुई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सरकार आगामी योजना के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों का अभिसरण, क्षमता एवं प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक विवेकपूर्ण व आर्थिक रूप से सक्षम प्रयोग करने हेतु शून्य आधारित बजटिंग (जैडबीबी) का कार्य शुरू करती है। केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों जिनका प्रशासन व कार्यान्वयन सीधे प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है, की समीक्षा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। सीएसएस के संबंध में, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के युक्तीकरण

पर विचार करने के लिए श्री बी.के. चतुर्वेदी सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने सितम्बर, 2011 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि बेहतर ध्यान केन्द्रण व प्रशासन के लिए वर्तमान 147 सीएसएस स्कीमों का अभिसरण/पुनर्संरचना करके 59 सीएसएस स्कीमों तक कर दिया जाए।

(ग) इनमें से प्रत्येक स्कीमों के लिए आवंटित राशि के ब्यौरे तथा उनकी वास्तविक प्रगति संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों की अनुदान मांगों; तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के आऊट-कम बजट में दर्शाई गई है।

[अनुवाद]

उच्च वृद्धि दर

4415. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी दशक को कवर करते हुए अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विकास आयोजना मॉडल का अनुसरण किया है। पंचवर्षीय योजनाओं को आगे वार्षिक योजनाओं में विभाजित किया जाता है, जिससे की लघु नीतिगत उपायों में लय कायम की जा सके और मध्यावधि मूल्यांकन आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए सुझावों के साथ की गई प्रगति पर प्रकाश डालता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास के बहुआयामी पहलूओं की पहचान की गई तथा समावेशी विकास को विकास योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में अपनाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकतों और आंतरिक/बाह्य प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का लक्ष्य 9% औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य के साथ तेज, संधारणीय और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना है। दृष्टिकोण पत्र विभिन्न क्षेत्रकों में लक्षित विकास दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यनीतियों एवं उपायों पर प्रकाश डालता है जैसे कि कृषि में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक द्वारा निवेशों के उच्च स्तरों की आवश्यकता को मान्यता देता है, जो बेहतर परिणाम दे सकते हैं, यदि किसानों और संस्थागत ढांचों के लिए प्रोत्साहन संरचनाओं को सरल बनाने के लिए सुधार किए जाते हैं जिनमें कृषि और संबंधित कार्यकलापों का स्थान है। बीजों तथा सिंचाई की आपूर्ति पक्ष पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए वरीयता क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। मांग पक्ष पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकांश कृषि उत्पादों के लिए एकरूप और निर्बाध अखिल भारतीय बाजार को वंचित करने वाले अधिकांश नियंत्रणों को हटाने की आवश्यकता की महत्वपूर्ण वरीयता क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। विनिर्माण क्षेत्रक में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भौतिक अवसंरचना का विकास, लघु और मध्यम उद्यमों, दक्ष कार्यबल आदि की भूमिका जैसे मुद्दों की वरीयता क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। यह संधारणीय आर्थिक विकास के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय मुद्दों जैसे सामाजिक क्षेत्रकों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यानकेन्द्रण करती है और इनमें आने वाले वर्षों में देश में समावेशी आर्थिक विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण निहित है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र योजना आयोग की वेबसाइट अर्थात् *planningcommission.nic.in* पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

4146. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) जी, हां। संसाधनों की कमी के कारण पूर्णत: सार्वजनिक क्षेत्रक के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में विस्तार की आवश्यकता पूरा करना कठिन कार्य है। **12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र** में यह कहा गया है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से संसाधन उपलब्धता में वृद्धि तथा सेवा डिलीवरी क्षमता में सुधार होने की आशा है। अवसंरचना क्षेत्रक में पीपीपी के माध्यम से निजी निवेश आकर्षित करने के प्रयास से सफलता

मिली है। वर्तमान में कई पीपीपी केन्द्र व राज्य दोनों प्रचालन में हैं।

जिन क्षेत्रों में संसाधन की कमी है वहां पीपीपी की संभावना तलाश करने की आवश्यकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रकों के विकास में पीपीपी हेतु दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

कोयले की ढुलाई

4147. **श्रीमती ज्योति धुर्वे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किन-किन कंपनियों/ट्रांसपोर्टरों को कोयले की ढुलाई का कार्य सौंपा गया है;

(ख) उक्त कंपनियों को कोलफिल्डों से कितने टन कोयले की ढुलाई की गई है;

(ग) क्या कोलफिल्डों से कोयले की ढुलाई में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों से भारी मात्रा में कोयले की ढुलाई की गई लेकिन रिकार्ड में इसकी कम मात्रा दर्ज की गई है;

(च) यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच कराई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता

4148. **श्री कामेश्वर बैठा :**
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार मांग और आपूर्ति क्या रही;

(ख) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की मांग को पूरा करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि शैक्षिक सत्र के शुरू होने से पूर्व छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् केवल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करती हैं। पाठ्य पुस्तकों की क्षेत्रवार/राज्य वार आवश्यकता तथा आपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुस्तकें प्रकाशित नहीं करती है। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकों को अपनाने/अनुकूलित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से प्रतिलिप्यधिकार अनुमति लेती हैं। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिलिप्यधिकार अनुमति ली है, उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा दिल्ली।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा एन.सी.ई.आर.टी. के चार डिपो तथा अपने थोक एजेंटों के माध्यम से वितरण की मानीटरिंग हेतु सभी प्रयास करती है।

विवरण

पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पाठ्यपुस्तकों की क्षेत्रवार/राज्य वार आवश्यकता तथा आपूर्ति (प्रतियों की संख्या) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्ष-वार दर्शाने वाला विवरण

राज्य	2010-11		2011-12		2012-13 (दिनांक 27.04.2012 के अनुसार)	
	आवश्यकता	आपूर्ति	आवश्यकता	आपूर्ति	आवश्यकता	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
			पश्चिमी क्षेत्र			
अहमादाबाद	3430900	3429900	2488400	2528025	3383800	1609200
गुजरात	365390	365284	265014	269234	360374	171379
मध्य प्रदेश	1084505	1084193	786585	799111	1069621	508670
छत्तीसगढ़	697845	697641	506140	514200	688264	327311
महाराष्ट्र	537278	537122	389683	395888	529903	252000
गोवा	17155	17150	12442	12640	16919	8046
राजस्थान के भाग	728727	728510	528536	536952	718719	341794
			दक्षिण क्षेत्र			
बंगलूरु	4128500	4911000	5116000	5259900	6571700	3296445
तमिलनाडु	528035	628116	654336	672741	840520	421615
केरल	2136501	2541445	2647531	2721996	3400857	1705913
आंध्र प्रदेश	642807	764642	796561	818966	1023213	513256
कर्नाटक	749322	891346	928554	954671	1192763	598304
पुदुचेरी	41285	49110	51160	52599	65717	32964
लक्षद्वीप	30550	36341	37858	38927	48630	24393
			पूर्वी क्षेत्र			
कोलकाता	3058650	4149660	2587050	2766805	2978000	1790045

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	504065	683863	426345	455969	490774	294999
बिहार	882729	1197595	746625	798502	859452	516609
झारखंड	845716	1147380	715319	765021	823417	494947
ओडिशा	504065	683863	426345	455969	490774	294999
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	322075	436959	272416	291344	313583	188491
			पूर्वोत्तर क्षेत्र			
गुवाहाटी	1133700	2590005	1167950	1729745	1650800	1041160
मेघालय	32423	74074	33403	79130	47212	29777
मणिपुर/मिजोरम	85257	194770	87833	100420	124143	71215
असम	259844	593629	267694	396457	378363	238633
अरुणाचल प्रदेश	389879	890702	401658	594859	567710	365138
नागालैंड	41493	94794	42746	63308	60419	38106
त्रिपुरा	36051	82362	37140	55005	52495	33108
सिक्किम	288753	659674	297476	440566	420458	265183
			उत्तरी क्षेत्र			
मुख्यालय	18060000	18065868	18847600	18905066	20522700	20273583
दिल्ली	6118728	6120716	6385566	6382106	6963357	6878830
उत्तर प्रदेश	4088784	4090113	4267096	4280106	4646339	4589939
हरियाणा	2595222	2596065	2708400	2749044	2949111	2913313
पंजाब	2035362	2036023	2124124	2130600	2312908	2284832
चंडीगढ़	509292	509460	531506	523670	568478	561578
हिमाचल प्रदेश	556248	556428	580506	582276	632099	624426
उत्तराखंड	1049286	1049626	1095045	1098384	1192368	1177895

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	328692	328798	343026	344072	373513	368979
विदेश	413574	413708	431610	432926	469969	464265
राजस्थान के भाग	364812	364931	380721	381882	414558	409526
सकल योग	29811750	33146433	30207000	31189541	35107000	28010433

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम

4149. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी दस वर्षों से भी अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रतिनियुक्ति पर नए अधिकारियों के प्रत्यावर्तन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय रूप नहीं रखी जाती है।

(ख) अनुदेशों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति/संवर्गेतर सेवा की अवधि संवर्ग बाह्य पद के भर्ती नियमों के अनुसार होगी या संवर्ग-बाह्य पद के लिए कार्यकलाप संबंधी विनियम विद्यमान न होने की स्थिति में यह 3 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले प्राधिकारी लोकहित में अत्यंत आवश्यक होने पर पांचवें वर्ष तक प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा सकते हैं। प्रतिनियुक्ति विस्तार में आगे और बढ़ोत्तरी के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रावधानों की शिथिलता अपेक्षित होती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल, जहां अनुमति दी गई है, बोर्ड स्तर पदों के लिए 5 वर्षों तथा बोर्ड स्तर से कम के मामले में 3 वर्षों से अधिक नहीं होगा।

(ग) अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि प्रतिनियुक्त अधिकारी को प्रतिनियुक्त अवधि की समाप्ति की तिथि पर कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसा मान लिया जाता है, यदि सक्षम पदाधिकारी ने उसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व प्रतिनियुक्ति अवधि को विधिवत बढ़ा नहीं दिया हो। प्रतिनियुक्ति अवधि के बाद भी नहीं लौटने वाले प्रतिनियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध संगत सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

कृषि और ग्रामीण विकास हेतु लक्ष्य

4150. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत को विश्व की खाद्यान्न कटोरी (फूड बाउल) घोषत करने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों, मानव संसाधनों और वैज्ञानिक विकास का उपयोग करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पादन का सात प्रतिशत नियत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'उपभोक्ता को उत्पादक' बनाने के लिए इसमें 'सौर ऊर्जा' उत्पादन को भी जोड़ा गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में योजना आयोग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 11वीं योजना दस्तावेज के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार, कृषि में विकास दर जीडीपी के 3 से 3.5% तक होने की संभावना है। पूरे देश में तीव्र और अधिक समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि विकास बढ़ाने हेतु सरकार सतत प्रयासरत है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उत्पादन

4151. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले का कम उत्पादन करने वाली कंपनियों में अधिक कर्मचारी हैं जबकि कोयले का अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों में कम कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार परियोजना के अनुसार उत्पादन और कर्मचारियों/कामगारों की संख्या के अनुपात के बीच संतुलन लाने के लिए कोई समान नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयला परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को रोजगार प्रदान करने की कोई नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) 2011-12 के दौरान कोल इंडिया लि. का सहायक कंपनी-वार कोयला उत्पादन और 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार नियोजित जनशक्ति नीचे दी गई है:—

कंपनी	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार उत्पादन (मि.ट.)	जनशक्ति (01.04.2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	30.56	78009
भारत कोकिंग कोल लि.	30.20	64884
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	48.01	50026
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	66.40	16329
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	43.11	56989
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	113.84	76078
महानदी कोलफील्ड्स लि.	103.12	22023
नार्थ ईस्टर्न काउंसिल	0.60	3129
कुल	435.84	367467

(ग) और (घ) जनशक्ति का रोजगार मुख्य रूप से कोयले के उत्खनन अर्थात् भूमिगत खनन अथवा ओपनकास्ट खनन की पद्धति पर निर्भर होता है। भूमिगत खनन श्रमसाध्य पद्धति है जिसमें ओपनकास्ट पद्धति जो अधिक मशीनीकृत है, की तुलना में अधिक जनशक्ति का प्रयोग शामिल होता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त विकल्प का निर्धारण करने के लिए परियोजनाओं को आरंभ करने से पूर्व परियोजना-वार अध्ययन किए जाते हैं।

(ङ) और (च) भू-वंचितों को रोजगार कोल इंडिया लि. के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है जिसमें 2 एकड़ भूमि के लिए भू-वंचितों को एक रोजगार की परिकल्पना की गई है। जो भू-वंचित रोजगार के पात्र नहीं होते हैं वे यथा-अनुपात आधार पर प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए 5 लाख रु. का नकद मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। रोजगार के लिए पात्र भू-वंचिती, रोजगार का विचार छोड़कर, नगद मुआवजे के विकल्प को भी चुन सकते हैं।

बीईटीए महाविद्यालय और एमईटीए विश्वविद्यालय

4152. श्री संजय दिना पाटील :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बीईटीए और एमईटीए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों को इस प्रकार का मॉडल शुरू करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। एक मेटा विश्वविद्यालय को दिल्ली में सहयोगी ढांचे के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली भाग ले रहे हैं। इस मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन संसाधनों को शेयर करना है जिससे विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध अध्ययन संसाधनों को लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे मेटा विश्वविद्यालय, सरकारी दिशानिर्देशों द्वारा स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें तभी स्थापित किए जाने की आवश्यकता होती है, जब सहभागी संस्थान/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को समग्र अध्ययन अनुभव प्रदान करने के साथ अपने अध्ययन संसाधनों को शेयर करने का स्वैच्छिक निर्णय लें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

'गो' और 'नो गो' जोन

4153. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रों को 'गो' और 'नो गो' रूप में वर्गीकरण किए जाने से देश में कोयला उत्पादन किस सीमा तक प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या क्षेत्रों का 'गो' और 'नो गो' में वर्गीकरण किया जाना वर्ष 2012 तक 680 मिलियन टन कोयले के उत्पादन लक्ष्य में कमी किए जाने की प्रमुख वजह हैं; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय का विचार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जिस सीमा तक 'गो और नो गो' क्षेत्रों के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वर्गीकरण में देश में कोयला उत्पादन को प्रभावित किया है, उसका आकलन नहीं किया गया है तथापि, यह 2012 तक 680 मि.ट. कोयला उत्पादन के लक्ष्य में कटौती के कारणों में से एक है।

(ग) कोयला खनन और अन्य विकास मुद्दों से संबंधित पर्यावरण और विकासात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने 20 सितम्बर, 2011 को आयोजित अपनी 5वीं बैठक में 'गो और नो-गो' अवधारणा को समाप्त करने तथा सभी मामलों में मेरिट के आधार पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

4154. डॉ. कृपारानी किल्ली : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित नए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों के कब तक काम करना शुरू करने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड का फिलहाल, देश में नए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण

4155. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र या राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त नहीं करने वाली उच्च शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी को आरक्षण प्रदान नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने का कोई उपबंध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त उपबंध का कार्यान्वयन करने वाले तंत्र के कार्यकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान इन उपबंधों के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) को उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण केवल उन केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में लागू है जो केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार लोक निधिक संस्थान हैं। इस समय, पूर्णतया निजी वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

4156. **श्री आर. थामराईसेलवन :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा कितने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या बीसीएएस सभी विमानपत्तनों पर नई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां अपना कर सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन स्टैंडर्ड एवं रिकमेन्डेड प्रैक्टिसों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आईसीएओ द्वारा यूनिवर्सल सिक्योरिटी आडिट प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय नागर विमानन सुरक्षा प्रणाली को वर्ष 2011 में उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने वाला अभिनिर्णीत किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में दिया गया प्रशिक्षण निम्नानुसार है:—

वर्ष	भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या
2009	6532
2010	9112
2011	21785
2012	5124

(ख) और (ग) जी, हां। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा एक तनकीकी समिति गठित की गई है जिसमें इस विषय में सुविज्ञता रखने वाले भारत सरकार के विभागों को शामिल किया है ताकि सभी हवाई अड्डों के लिए नई एवं अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया जा सके।

(घ) और (ङ) जी, हां। देश में सभी सिविल हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के मानकों एवं सिफारिश की गई पद्धतियों को क्रियावित किया जाता है।

(च) और (छ) जी, हां। सुरक्षा निगरानी प्रणाली एवं प्रभावी क्रियान्वयन में कमी पर आडिट परिणामों के महत्वपूर्ण तत्व निम्नानुसार हैं:—

(i)	वैश्विक	—	34.01%
(ii)	भारत	—	10.75%

कलाई घड़ी की नीलामी

4157. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पुरानी कलाई घड़ी की स्विट्जरलैंड में नीलामी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने कहा है कि यह घड़ी उनके पास से चुरा ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत की इस नीलामी को रोकने तथा इसे देश में वापिस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की कलाई घड़ी की सोदबी द्वारा 13 नवंबर, 2011 को स्विट्जरलैंड में नीलामी की जानी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) स्विट्जरलैंड तथा यूके स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से भारत सरकार के हस्तक्षेप पर सोदबी कलाई घड़ी की नीलामी स्थगित करने के लिए सहमत हो गए थे, ताकि भारतीय अधिकारी उन परिस्थितियों की जांच कर सकें, जिनके अंतर्गत यह घड़ी भारत से बाहर ले जाई गयी थी।

सुरक्षा विनियामक

4158. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सुरक्षा विनियामक संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में नागर विमानन सुरक्षा के विनियमन के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) नामक एक नागर विमानन सुरक्षा विनियामक पहले से विद्यमान है। इसलिए इस संबंध में किसी नए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय यथा शिकागो अभिसमय-1944 के अनुबंध 17 के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम का निर्धारण, विकास, कार्यान्वयन तथा समीक्षा के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के आयुक्त उपयुक्त प्राधिकारी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इंडिया टिकटों पर छूट

4159. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित विमान यात्रियों को विशेष छूट दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय व्यक्तियों की अन्य श्रेणियां कौन-सी हैं जिन्हें ऐसी छूट दी जा रही है;

(घ) क्या एयर इंडिया ने अपनी एयर लाइनों में यात्रा कर

रहे ऐसे व्यक्तियों का वार्षिक अनुमान लगाया है तथा इस मद में एयर इंडिया को कितनी हानि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों जो यात्रा शुरू करने की तारीख को 63 वर्ष या इससे अधिक आयु के हो चुके हों, को पूर्ण सामान्य इकॉनामी श्रेणी के बेसिक किराये पर 50 प्रतिशत की छूट देती है तथा 26 वर्ष तक के विद्यार्थी को केवल मूल निवास स्थान (गृह नगर) अध्ययन स्थल के बीच पूर्ण सामान्य इकॉनामी श्रेणी किराये के बेसिक पर 50 प्रतिशत की छूट देती है।

(ग) एयर इंडिया अन्य श्रेणियों में भी घरेलू सेक्टरों पर वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, दृष्टिहीन यात्रियों, कैंसर पीड़ितों, सशस्त्र बलों, सशस्त्र बल वीरता पुरस्कार, लोकोमोटर अशक्तता, जनरल रिजर्व इंजिनियरिंग बल, खेल कूद कार्मिक-उत्तर पूर्व, युद्ध विकलांग अधिकारियों अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता, युद्ध विधवाओं, अर्द्ध-सैनिक बल, पुलिस शौर्य पदक, नागरिक शौर्य पुरस्कार एवं युवा यात्री को छूट प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया भारत रत्न विजेताओं, गोल्डन ट्रिब्यूट कार्ड होल्डरों (भारत की संविधान सभा के जीवित सदस्यों) और पूर्व अंडमान स्वत्रंता सेनानियों अथवा पूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पूरे किराये पर 100 प्रतिशत छूट देती है।

(घ) और (ङ) एयर इंडिया के अनुमानुसार जनवरी से मार्च, 2012 के बीच ऐसे 811 व्यक्तियों ने यात्राएं कीं जो कुल यात्राओं का 0.036 प्रतिशत है। यह संभव नहीं है कि यात्राओं पर दी गई रियायतों के फलस्वरूप हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा सके क्योंकि ये यात्राएं वृद्धिशील होती हैं और इसे घाटा नहीं माना जा सकता।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत की आपूर्ति

4160. श्री पी. कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु संयंत्रों के पास रह रहे परिवारों को सस्ती विद्युत प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को और विद्युत प्रदान कराने का भी है जहां परमाणु संयंत्र स्थित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की आपूर्ति क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड को की जाती है जहां से उसे राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कम्पनियों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को प्रदत्त कराया जाता है। उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों के बारे में निर्णय संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों द्वारा लिया जाता है।

(ग) और (घ) जनवरी, 2011 में, सरकार ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली विद्युत का कम से कम 50% भाग गृह राज्य (जिस राज्य में नाभिकीय विद्युत संयंत्र अवस्थित हैं) को आवंटित करने के बारे में स्वीकृति प्रदान की है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

4161. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खोले गये केन्द्रीय विद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने केन्द्रीय विद्यालय राज्य-वार शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन और उसकी प्रगति/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने पर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भेजने के लिए अवसंरचना के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 111 केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। उनमें नामांकित छात्रों सहित

राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय, मुख्यतया रक्षा कार्मिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं न कि क्षेत्र के शैक्षिक तौर पर पिछड़े होने के मापदंड के आधार पर।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित है जिसका उद्देश्य 15-16 की आयु वर्ग के सभी युवा व्यक्तियों को अच्छी कोटि की माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध, सुलभ और संभव कराना है। स्कीम में, किसी बस्ती के 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था करने की अभिकल्पना की गई है। स्कीम के कार्यान्वियन की अवधि के दौरान, 9670 सैकेंडरी स्कूलों को खोलने और 34311 मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला/शिल्प/संस्कृति कक्ष इत्यादि की व्यवस्था करने द्वारा सुदृढ़ीकरण करने का अनुमोदन किया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (आज तक) के दौरान खोले गए केंद्रीय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा

वर्ष	क.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	के.वि. की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
2009-10		शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	1.	आंध्र प्रदेश	02	852
	2.	असम	03	809
	3.	बिहार	03	760
	4.	छत्तीसगढ़	01	254
	5.	दिल्ली	01	277
	6.	गुजरात	02	533
	7.	हरियाणा	01	183
	8.	हिमाचल प्रदेश	01	274
	9.	जम्मू और कश्मीर	03	587
	10.	झारखंड	02	713
	11.	केरल	05	2014
	12.	कर्नाटक	03	878
	13.	मध्य प्रदेश	09	1986

1	2	3	4	5
	14.	महाराष्ट्र	03	914
	15.	मिजोरम	02	219
	16.	ओडिशा	17	4713
	17.	पंजाब	08	1728
	18.	पुदुचेरी	01	273
	19.	राजस्थान	05	1132
	20.	तमिलनाडु	02	564
	21.	त्रिपुरा	03	516
	22.	उत्तर प्रदेश	05	1472
	23.	उत्तराखंड	02	381
	24.	पश्चिम बंगाल	07	1543
2011-12	1.	अरुणाचल प्रदेश	01	207
	2.	आंध्र प्रदेश	01	230
	3.	असम	01	131
	4.	बिहार	02	233*
	5.	छत्तीसगढ़	01	230
	6.	दिल्ली	01	334
	7.	केरल	01	260
	8.	कर्नाटक	01	256
	9.	मध्य प्रदेश	01	241
	10.	पंजाब	01	227
	11.	राजस्थान	03	673
	12.	उत्तर प्रदेश	03	654

1	2	3	4	5
	13.	तमिलनाडु	01	531
2012-13	1.	असम	01	**
	2.	हरियाणा	01	**

*महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय शैक्षिक वर्ष 2012-13 के कार्यात्मक हो गया है और दूसरी से 5वीं कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है।

**केंद्रीय विद्यालय चालू वर्ष के दौरान खोले गए हैं और प्रवेश प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

आईएएस/आईपीएस अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

4162. श्री रतन सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान् विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान किए गये आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी एससी/एसटी समुदायों से संबंध रखते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान, प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय की प्रशिक्षण स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश में प्रशिक्षण पर भेजे गए, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमश: 1101 तथा 1492 है।

(ख) इन स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुसार, सभी पात्र अधिकारियों की विदेशी प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसलिए यह आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा चूक

4163. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत आठ महीनों के दौरान विमानपत्तन-वार देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर घटित सुरक्षा चूक के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विमानपत्तन-वार विमानपत्तनों के सुरक्षाकर्मिकों सहित दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में क्या रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ग) क्या सरकार का विमानपत्तनों पर वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था के पुनरुद्धार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में तथा विमानपत्तनों पर सुरक्षा चूक की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) पिछले आठ महीनों में सुरक्षा चूकों के दो मामलों की रिपोर्ट हुई है। आईजीआई हवाईअड्डे पर एक घुसपैठ के मामले की रिपोर्ट हुई थी जिसे सीआईएसएफ/एएसजी द्वारा रोका नहीं जा सका। दोषी सीआईएसएफ/एएसजी कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई। एक अन्य घटना में, गग्गल हवाईअड्डा, कांगड़ा की परिधि की दीवार में 2 अलग-अलग जगाहें से बदमाश घुस जाए और 7 रनवे लाइटें क्षतिग्रस्त कर दीं। बदमाशों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु कांगड़ा की गग्गल पुलिस चौकी में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। हवाईअड्डों पर वर्तमान सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) वाहनों/व्यक्तियों/वस्तुओं की औचक जांच के लिए हवाईअड्डों

तक जाने वाली संपर्क सड़क पर विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी)/ हवाईअड्डा सुरक्षा इकाई (एपीएसयू) द्वारा बैरियर लगाए गए; (ii) सभी लावारिस वस्तुओं की रिपोर्ट करना और उन्नत विस्फोट उपकरण (आईईडी) द्वारा जांच; (iii) हवाईअड्डों के लैंड साइड और एयरसाइड क्षेत्रों पर अधिक सर्विलेंस/निगरानी; (iv) प्रचालनिक अवधि के दौरान फनल एरिया की पहरेदारी और चारदीवारी की पैट्रोलिंग; (v) सभी प्रवेश नियंत्रण बिन्दुओं का पुन: सुदृढ़ीकरण; (vi) हवाईअड्डों पर त्वरित कार्यदल (क्यूआरटी)/स्ट्राइकिंग रिजर्व का सुदृढ़ीकरण किया गया; (vii) हवाईअड्डों के लैडर प्वाइंट पर सेंकडरी सुरक्षा जांचें की जा रही हैं; (viii) होल्ड बैगेज और हैंड बैगेज दोनों की गहन और पूर्ण स्क्रीनिंग की जा रही हैं; (ix) और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना के लिए एक अध्ययन आरंभ किया गया है।

प्रमुख विमानपत्तनों के इर्द-गिर्द अनधिकृत निर्माण

4164. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रमुख विमानपत्तनों के इर्द-गिर्द अनधिकृत निर्माण कार्य होने से विमानों के लिए प्रचालनगत बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में अब तक, विमानपत्तन-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.1.2010 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 84(ई) जारी की है। यह अधिसूचना राज्य सरकारों के संबंधित उन मुख्य सचिवों को भेजी गई है जो एस.ओ. 84(ई) के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों को निर्देश देते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ऊंचाई से संबंधित अनुमति के लिए जारी किए अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना स्थानीय नगरपालिकाओं द्वारा किसी भी हवाईअड्डे के आस-पास निर्माण की अनुमति नहीं है।

निजी स्कूलों में प्रवेश

4165. श्री सी. शिवासामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने बच्चों को उच्च कोटि के निजी स्कूलों में दाखिल करवाने वाले माता-पिता को प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जटिल दाखिला प्रक्रिया फार्म को सरल बनाने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को प्रवेश देते समय बच्चे अथवा उसके अभिभावक की जांच नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी-गैर-सहायता प्राप्त स्कूल पहली कक्षा (अथवा पूर्व प्राथमिक, जैसा भी मामला हो) में आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या में कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक प्रदान करेगा। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल प्रबंधन को दिशा-निर्देश देने के उद्देश्य से सरकार ने आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 35(1) के अंतर्गत दिनांक 23 नवंबर, 2010 को निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए हैं:—

(i) गैर-सहायता प्राप्त और 'विनिर्दिष्ट श्रेणी' के स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत कक्षा। (अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा, जैसा भी मामला हो) में प्रवेश के संबंध में स्कूल उस कक्षा में सीटों

की पूर्व निर्धारित संख्या, जो कक्षा की छात्र संख्या का 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, को भरने के लिए वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों से प्राप्त आवेदनों में से यादृच्छिक चयन की प्रणाली अपनाएंगे।

(ii) बाकी 75 प्रतिशत सीटों (अथवा गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और विनिर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों के संबंध में धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत प्रवेश के लिए स्कूल द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या के आधात पर अपेक्षाकृत कम प्रतिशत) पर दाखिले के लिए और सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी सीटों के लिए प्रत्येक स्कूल को एक नीति तैयार करनी चाहिए जिसके अंतर्गत प्रवेश दिए जाएंगे। इस नीति में आनुपातिक, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण आधार पर स्कूल के उद्देश्यों के अनुरूप आवेदकों के श्रेणीकरण हेतु मानदंड शामिल होने चाहिए। माता-पिता की शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर बच्चों का कोई प्रोफाइल नहीं बनाया जाएगा। इस नीति को स्कूल द्वारा पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और स्कूल की विवरणिका में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इन श्रेणियों के भीतर अथवा बाहर किसी भी बच्चे/माता-पिता के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और चयन एक यादृच्छिक आधार पर होगा। प्रवेश इसी आधार पर ही किए जाने चाहिए।

उपर्युक्त दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट *www.education.nic.in* पर डाले गए हैं। समुचित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों का कर्त्तव्य है कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन उपरांत अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जाना

4166. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु चयन किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यभार मुक्त किए जाने के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारी चयन आयोग में ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के करियर पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने पर उन्हें कब तक कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने मात्र एक मामला रिपोर्ट किया है जहां प्रतिनियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कर्मचारी को अब भी कार्यभार मुक्त किया जाना है। इस समय यह मामला न्यायाधीन है। अनुदेशों में प्रावधान है कि अधिकारियों/स्टाफ को विरले मामलों और असाधारण परिस्थितियों में एक सामान्य नियम के रूप में कार्यभार मुक्त किया जाना चाहिए।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विमानन क्षेत्र को हाईटेक उद्योग का दर्जा देना

4167. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विमानन क्षेत्र को हाईटेक उद्योग का दर्जा देने और इसके विकास को तीव्र करने हेतु एक नागर विमानन आयोग की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कदम से भारत की विमान संबंधी मांग शत-प्रतिशत पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या

4168. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त बच्चों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना से विभिन्न हितधारकों को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(च) उक्त योजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की एक योजना है जिसके अंतर्गत वह आधार परियोजना के अंतर्गत नामांकित स्कूल बच्चों सहित बच्चों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। विशिष्ट पहचान संख्या से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने और सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। इससे शिक्षा प्रणाली से बाहर रहने वाले बच्चों का पता लगाने और उनके संपूर्ण शैक्षिक कैरियर के दौरान उनकी शिक्षा का ध्यान रखने में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बीच 27 अक्तूबर, 2010 को एक संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका लक्ष्य लाभभोगियों को सही पहचान के साथ सरकारी लाभ और सेवाएं प्रदान करने के अनुवीक्षण में क्षमता को बढ़ाना और लाभभोगियों के सत्यापन एवं पहचान हेतु एकसमान मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित करना है। इस संगम ज्ञापन के अनुसार आईआईडीएआई, डाटा फील्ड, डाटा वेरिफिकेशन तथा बायोमैट्रिक फील्ड रिकॉर्ड करने हेतु मानदंड विकसित और निर्धारित करेगा तथा विशिष्ट पहचान संख्या वाले व्यक्ति की पहचान को अधिप्रमाणित करने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने हेतु एकत्रित सूचना के रखरखाव के लिए लाभभोगियों/छात्रों के नामांकन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस प्रयास में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ सहयोग करेगा।

(ङ) और (च) विशिष्ट पहचान संख्या ने डाटाबेस को परिचालित किया है जो कि प्रक्रियाधीन है तथा जिससे शैक्षिक डाटा की गुणवत्ता में सुधार करने में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में अवधारणा तथा शिक्षा को पूर्ण करने पर ध्यान देने और जाली नामांकन आदि को रोकने में सहायक होगा।

आगरा में विमानपत्तन

4169. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आगरा में वर्तमान विमानपत्तन के विस्तार अथवा नये विमानपत्तन के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या आगरा जाने वाली सभी उड़ानों के लिए दिल्ली को ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे यात्रियों को देरी और कठिनाई होती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की निकट भविष्य में इस प्रतिबंध को हटाने और यात्रियों की स्वतंत्र आवाजाही को अनुमति देने की योजना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। आगरा हवाईअड्डा भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल इंक्लेव का अनुरक्षण करता है जहां स्थान से संबंधित दिक्कतें हैं और प्रवेश से संबंधित परेशानियां है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने आगरा में नए सिविल इंक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय वायु सेना की भूमि पर दो स्थलों की पहचान की है। तथापि, इस संदर्भ में भारतीय वायु सेना से भूमि उपलब्ध होने की शर्त पर आगे की कार्रवाई होगी, इसलिए इस स्तर

पर इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई भी समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(ग) से (च) वर्तमान में आगरा हवाईअड्डे के लिए कोई भी अनुसूचित उड़ानें प्रचालित नहीं की जा रही हैं। यह वाणिज्यिक व्यवहार्यता और यातायात मांग के आधार पर विमान सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइन प्रचालकों पर निर्भर है।

पीआईओ यूनिवर्सिटी

4170. **श्री मानिक टैगोर : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इस विश्वविद्यालय की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) वर्तमान में मंत्रालय का भारतीय मूल के व्यक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर पार्किंग प्रभार

4171. **श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य संबंधित प्राधिकरणों ने देश में विभिन्न विमानपत्तनों विशेषकर राजस्थान में जयपुर विमानपत्तन में वाहनों के कतिपय अवधि से अधिक पार्किंग पर दंड लगाने का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रावधान में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। एक निश्चित समयावधि से अधिक समय तक पार्किंग के लिए वाहनों पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है। पार्किंग शुल्क स्लैब के आधार पर लगाया जाता है, प्रथम चार घटों के लिए, तत्पश्चात् अगले चार घंटों के लिए दुगनी दर तथा तत्पश्चात् 8 घंटों से अधिक के लिए चार गुना शुल्क। दंड केवल उन्हीं वाहनों पर लगाया जाता है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के विभिन्न हवाईअड्डों पर 'नो पार्किंग जोन' पर खड़े किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इन नियमों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) हवाईअड्डों पर वाहनों की अप्राधिकृत पार्किंग से बचने के लिए इन प्रावधानों को पर्याप्त निवारक समझा गया है।

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाणपत्रों के सत्यापन में विलंब

4172. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों द्वारा विदेशों में रोजगार चाहने वालों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन में विलंब के कारण उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सत्यापन हेतु अनुरोधों पर कार्रवाई शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु अनुरोधों पर समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अकादमिक योग्यताओं के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक डाटाबेस तथा किसी प्राधिकृत डिपाजिटरी द्वारा इसके रखरखाव की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जून, 2010 में, कुवैत राजदूतावास, नई दिल्ली ने उन भारतीयों जो कुवैत में रोजगार प्राप्त करते हैं, के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के मामलों में, भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा देरी की ओर इस मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया था। मंत्रालय ने यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ उठाया जिसने प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी अनुरोधों को एक समयबद्ध आधार पर कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया था। केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसा और कोई मामला नहीं आया है। प्रमाणपत्रों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण, विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्र सरकार की इस मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।

(घ) राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी विधेयक, 2011 लोक सभा में दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को पेश किया गया था और इस पर संसद द्वारा अभी विचार किया जाना है।

[अनुवाद]

ज्ञान का भू-मंडलीय भारतीय नेटवर्क

4173. **श्री ए. गणेशमूर्ति :** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ज्ञान का भू-मंडलीय भारतीय नेटवर्क [ग्लोबल इंडियन नेटवर्क ऑफ नॉलेज, (आईएनके)] के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह के कदम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) ग्लोबल इंडियन नेटवर्क ऑफ नॉलेज (आईएनके) के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्लोबल इंक डायस्पोरा और निवासी भारतीयों के बीच ज्ञान के शेयरिंग के लिए एक मौजूदा वेब आधारित पोर्टल है। यह वेब पोर्टल विश्व के किसी भी भाग से इंटरनेट पर सुगम्य है। प्रयोक्ता प्रश्न, विचार, कार्यक्रम, विचार-विमर्श और परियोजनाएं पोस्ट कर सकते हैं जिनको कार्यान्वयन हेतु अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा लिया जा सकता है।

रुग्ण कोयला कंपनियों का पुनरुद्धार

4174. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी रुग्ण कोयला कंपनियों का पुनरुद्धार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान अब तक उनके पुनरुद्धार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई और व्यय की गई; और

(घ) उस अवधि के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए कितनी राशि व्यय की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की 8 सहायक कंपनियों में से केवल 2 सहायक कंपनियां अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) आरंभ से ही काफी लेखांकन तथा नकद घाटे पर चलती रही है। ईसीएल को 17.11.1999 को और बीसीसीएल को 04.05.2001 को रुग्ण कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। दोनों कंपनियों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया गया है और परिणामतः सरकार द्वारा यथा अनुमोदित उनके पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वयनाधीन है। इसलिए ईसीएल और बीसीसीएल अभी भी रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार में है।

(ग) ईसीएल के मामले में आवंटित पूंजीगत परिव्यय 2281.39 करोड़ रु. है और अब तक किया गया पूंजीगत व्यय 1196.17 करोड़ रु. है। बीसीसीएल के मामले में सीआईएल बोर्ड ने 1350 करोड़ रु. आवंटित किए हैं जो पूर्णतः पुनरुद्धार पर खर्च हो गए हैं।

(घ) रुग्ण कोल कंपनियों के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की गई राशि नीचे दिए अनुसार है:—

(करोड़ रुपये)

कंपनी	वर्ष (खर्च की गई राशि)				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (दिस., 2011 तक)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	69.27	75.38	85.86	89.89	60.42
भारत कोकिंग कोल लि.	263.30	309.04	349.14	351.19	190.57

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना में कोऑर्डिनेटर की अनुमति

4175. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से मध्याह्न भोजन योजना के लिए राजस्थान के 33 जिलों में संविदा आधार पर कोऑर्डिनेटर के पद हेतु एमबीए अर्हता प्राप्त लोगों की सेवाएं लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन एमबीए डिग्रीधारी लोगों को कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार को 06.07.2011 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि राज्य की संचालन एवं निगरानी समिति मध्याह्न भोजन योजना के प्रबंध, निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य को जारी की गई केन्द्रीय सहायता से अनुबंध आधार पर इन समन्वयकों की नियुक्ति का अनुमोदन कर सकती है।

(ग) राज्य सरकार को अंतिम निर्णय लेना है, अत: कोई भी समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए स्वायत्तता प्राधिकरण

4176. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक स्वायत्त प्राधिकरण के गठन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) महोदय, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन की अभिकल्पना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में सभी शिक्षार्थियों के लाभ हेतु शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ किसी भी समय कहीं भी की पद्धति में उठाया जा सके, जिसके दो प्रमुख घटक हैं:—

(i) संस्थाओं एवं शिक्षार्थियों की उपकरणों तक पहुंच के प्रावधान सहित, कनेक्टिविटी प्रदान करना।

(ii) विषय-वस्तु का सृजन।

इसके अतिरिक्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग एवं कंप्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल योजना में आईसीटी दिसम्बर, 2004 में शुरू की गई एवं वर्ष 2010 में संशोधित की गई थी।

(ग) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद्

(एनसीएचईआर) के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में मानकों के निर्धारण, समन्वयन एवं अनुरक्षण हेतु दिनांक 28.12.2012 को राज्य सभा में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक 2011 भी पेश किया है।

एयर इंडिया विमानों की सुरक्षा

4177. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए एअर इंडिया ने काबुल जाने और वहां से आने वाले विमानों की सुरक्षा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने एअर इंडिया की परिसम्पत्तियों तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफगान नागर विमानन प्राधिकारियों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना गोपनीय प्रकृति की है, चूंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा प्रभावित होती है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के विवेकाधीन कोटा की पुनःस्थापना

4178. श्री ए. साई प्रताप :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों (के.वी.) में दाखिला के लिए संसद सदस्यों को विशेष व्यवस्था के अंतर्गत दी गई कोटा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का लोक सभा संसद सदस्यों के मामले में उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जहां कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है निकटवर्ती जिला केन्द्रीय विद्यालयों में संसद सदस्य को अपनी विशेष व्यवस्था कोट का प्रयोग करने की अनुमति देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वर्तमान विशेष व्यवस्था नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार संसद सदस्यों को उनके संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या के दृष्टिगत प्रत्येक विद्यालय के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन कूपन प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) केंद्रीय विद्यालयों (के.वी.) में दाखिले के लिए माननीय संसद सदस्यों को विशेष व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए कोटे की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:—

(i) विशेष व्यवस्था स्कीम के अंतर्गत, लोक सभा का प्रत्येक माननीय सदस्य अकादमिक वर्ष में दाखिले के लिए 02 मामलों को भेज सकते हैं। ऐसी सिफारिशें उनके अपने निर्वाचन-क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों तक ही सीमित होंगी। राज्य सभा के संसद सदस्य राज्य के भीतर स्थित किसी भी केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुए हैं/हुई हैं।

(ii) उन बच्चों के माता-पिता जिनकी सिफारिश की जा रही है चाहे निवास-स्थान द्वारा या सेवाओं की अनिवार्यता के कारण उस निर्वाचन-क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए।

(iii) विशेष व्यवस्था के अंतर्गत, दाखिले अकादमिक वर्ष की शुरुआत में किए जाएंगे और निर्धारित कट ऑफ तारीख के बाद किसी भी दाखिले की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) कक्षा IXवीं में दाखिले के लिए सिफारिशें केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली दाखिला परीक्षा में आयु और तंदुरुस्ती के संबंध में बच्चे की पात्रता के अध्यधीन हैं।

(v) प्रि-प्राइमरी, Xवीं और XIIवीं कक्षाओं को छोड़कर किसी भी कक्षाओं के लिए सिफारिशें की जा सकती हैं।

(vi) इस कोटे के अंतर्गत दाखिले, कक्षा की क्षमता के अतिरिक्त होंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) चूंकि विशेष व्यवस्था स्कीम दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा विनियमित होती है, अत: विद्यमान विशेष व्यवस्था नीति में संशोधन का प्रस्ताव करना व्यवहारिक नहीं है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

अज्ञातनाम शिकायतें

4179. **श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के द्वारा समूह क संवर्ग के अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध प्राप्त अज्ञातनाम शिकायत पर कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से सहमति लेना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सीवीसी की अनुमति के बिना अज्ञातनाम शिकायत पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई अवैध और सीवीसी के आदेश का उल्लंघन भी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) नोडल मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल्यांकन

4180. **श्री रामसिंह राठवा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की व्यापक मूल्यांकन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अधिनियम की ऐसी स्वतंत्र समीक्षा के लिए किसी बाहरी परामर्शदात्री सर्विस को कार्य सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस अधिनियम का मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रमुख मुद्दों और इसके कार्यान्वियन में आने वाली कठिनाइयों के आकलन हेतु वर्ष 2008-2009 में एक स्वतंत्र संगठन द्वारा अध्ययन किया गया था।

(ङ) से (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कार्यान्वयन की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजना अपर्याप्त है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के बारे में जागरूकता काफी कम है; पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जागरूकता काफी कम है, अधिनियम के कार्यान्वियन में कमी की वजह, विभिन्न कार्यों के संबंध में स्पष्ट जबावदेही का अभाव है। इस बारे में, इस अध्ययन में, सूचना के अधिकार पर जागरूकता बढ़ाने, मांगी गई सूचनाओं को दर्ज करने की सुविधा में सुधार, सूचना आयोगों की कार्यकुशलता में सुधार, विभिन्न पणधारियों इत्यादि की जवाबदेही और स्पष्टता बढ़ाने की सिफारिश की है।

(ज) सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रमाण-पत्र पाठयक्रम और गाइडों के प्रकाशन द्वारा मांग और पूर्ति पक्ष संबंधी क्षमता निर्माण के बारे में पहल की है। प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और आउटडोर मीडिया द्वारा जागरूकता बढ़ायी गई है। सरकार ने कई स्पष्टीकारक आदेश भी जारी किए हैं।

सऊदी अरब की जेलों में हज यात्री

4181. श्री के.पी. धनपालन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सऊदी अरब में जेल में बंद किए जा रहे भारतीय हज यात्रियों की कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनकी तत्काल रिहाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कपटपूर्ण 'ट्रैवल एजेंसियों' द्वारा हज यात्री नहीं ठगे जाएं अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जेद्दा स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास भारतीय हज मिशन के माध्यम से भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले में अपेक्षित कार्रवाई करता है। हज के दौरान स्थापित सामान्य कल्याण स्कंध को इन पाक शहरों में इस प्रकार की गिरफ्तारियों की सूचना मिलते ही वह तत्काल संबंधित स्थानों पर अपने अरबी भाषा जानने वाले अधिकारियों को भेजता है। तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर कई मामलों में हमारे अधिकारीगण गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को छुड़ाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, उन मामलों में जहां सऊदी अधिकारियों के पास कथित अपराध को साबित करने के लिए सहायक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, अधिकारीगण मानक कानूनी कार्रवाई करते हैं।

(घ) यदि प्राइवेट टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के विरुद्ध सऊदी अरब अथवा भारत में हज यात्रियों से संबंधित प्राप्त शिकायतें यदि साबित हो जाती हैं तो संबंधित पीटीओ को काली सूची में डाला जा सकता है। जेद्दा स्थित भारतीय हज मिशन ने हज जत्थे भी तैयार किए हैं जो पीटीओ के माध्यम से आने वाले हाजियों से अचानक मुलाकात करते हैं जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है। कि पीटीओ अपने हाजियों की सही ढंग से देख-भाल कर रहे हैं या नहीं।

विवरण

क्र.सं.	नाम	कवर/पासपोर्ट सं.	राज्य	गिरफ्तारी के कारण	स्थिति
1.	जावेद खान	यूपीएफ 26406/जे4017551	उत्तर प्रदेश	मोबाइल फोन की चोरी	8 महीने का कारावास
2.	जाकिर हुसैन फूलम रसूल	प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से आए थे/ एफ-4633130	गुजरात	मोबाइल फोन की चोरी	3 महीने का कारावास
3.	सफ्कुल एसके	डब्ल्यूबीएफ-2638/जे 847917	पश्चिम बंगाल	बैग की चोरी	1 वर्ष का कारावास

विदेश में भारतीय श्रमिकों की मृत्यु

4182. श्री पी.के. बिजू : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय श्रमिक जिनकी विदेश में काम करते हुए मृत्यु हो गई, की विधवाओं और परिवारों से व्यक्तिगत अनुरोध और शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) समय-समय पर, मृत भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्यों से, उसके मृत शरीर को भारत वापस भेजने या उन्हें देय मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहायता मांगने से संबंधित अनुरोध प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अनुरोध विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सीधे भी प्राप्त होते हैं।

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक भारतीय नागरिक की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय तुरंत भारतीय मिशन के संपर्क में आता है, जो तब उन्हें औपचारिकताओं को तुरंत पूरा करने की आवश्यकताओं पर दबाव डालते हुए और मृत शरीर के वहन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए मृत्यु संबंधी कागजातों को भेजने के लिए प्रायोजक और प्रायोजक कंपनियों के संपर्क में आता है। एक बार प्रायोजक या मृतक के परिवार द्वारा प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा पूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद मिशन एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करता है। अनापत्ति-प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, प्रायोजक या अटार्नी, स्थानीय प्राधिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करता है और पार्थिव शरीर के भारत हेतु वहन के लिए औपचारिकताएं पूरी करता है।

यदि किसी मामले में मृत्यु मुआवजा देय है तो मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि मिशन, जब कभी आवश्यक हो, मामलों का प्राथमिकता के आधार पर, संबंधित विदेशी नियोक्ताओं, स्थानीय सरकार प्राधिकरणों और यहां तक कि स्थानीय न्यायालयों के साथ अनुवर्तन करें। अंतिम रूप देने पर, मृत्यु मुआवजे की राशि को, निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, मृतक के परिवार को भुगतान करने के लिए, तत्काल राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है।

इसी प्रकार, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है, कि भारतीय मिशन मृतक के उत्तराधिकारी को, मृत्यु मुआवजे की पात्रता के बारे में सूचित करे और मुआवजा राशि पर दावा करने के लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के प्रतिनिधित्व के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए उनका परामर्श/मार्गदर्शन भी करता है। इस प्रयोजन के लिए, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या तो स्वयं एक वकील नियुक्त करते हैं या मिशन के पक्ष में एक पावर ऑफ अटार्नी भेज कर, उसे उनकी ओर से एक वकील नियुक्त करने के लिए मिशन को प्राधिकृत करते हैं।

अनिवासी भारतीयों को सूचना का अधिकार संबंधी सुविधाएं

4183. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में रह रहे भारतीयों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुलभ प्रक्रिया हेतु अभी और प्रतीक्षा करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश में रह रहे भारतीयों को सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में 10 रुपये की सरकार द्वारा क्लियरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या डाक विभाग को इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 में व्यवस्था है कि सूचना प्राप्त करने का अनुरोध आवेदन शुल्क के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 10 रु. की नकद धनराशि जमा करके और उसकी रसीद प्राप्त करके या लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्ज चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के साथ किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के लोक प्राधिकरणों में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए आरटीआई आवेदन दर्ज करना सुविधाजनक बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर इन्टरनेट के माध्यम से पोस्टल ऑर्डर की बिक्री करने पर सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है।

अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा

4184. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य योजना अनुदान के अलावा अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से जारी की गई वास्तविक धनराशि कितनी है तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रोत्साहन के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य योजनागत अनुदान के अलावा अतिरिक्त निधियां जारी की हैं, जैसाकि ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	XIवीं योजना हेतु आवंटन	XIवीं योजना हेतु आवंटन के अलावा जारी अतिरिक्त अनुदान				
			उद्देश्य	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	15337.13	मुर्शिदाबाद (प.ब.) तथा मल्लापुरम (केरल) में परिसरों की स्थापना	3500.00	–	–	3500.00
			अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमी	664.39	–	–	664.39
			उर्दू अकादमी	–	–	170.00	170.00
			कुल	4164.39	–	170.00	4334.39
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	18500.00	उर्दू शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु केन्द्र	150.00	–	–	150.00
			दंत कॉलेज हेतु	1000.00	–	–	1000.00
			अरब संस्कृति केन्द्र	–	200.00	–	200.00
			अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमी	–	750.00	–	750.00
			प्रयोगशाला के उन्नयन, नए भवन निर्माण, कुछ पुराने भवनों के विस्तार आदि हेतु एक बार विशेष अनुदान	–	1735.00	1735.00	3470.00
			मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ की स्थापना	–	–	20.00	20.00
			नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना	–	–	1000.00	1000.00

1	2	3	4	5	6	7	8
			खेलकूद परिसर के रख-रखाव तथा संचालन हेतु एक बार अतिरिक्त अनुदान	—	—	289.00	289.00
			अवसंरचना विकास हेतु एक बार विशेष अनुदान	—	—	2000.00	2000.00
			मौजूदा स्कूली परिसर के अवसंरचना विकास हेतु	—	—	200.00	200.00
			कुल	1150.00	2685.00	5244.00	9079.00
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	12455.00	अ.जा./अ.जा.जा. तथा महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमी	414.39	—	—	414.39
			मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ की स्थापना	—	—	20.00	20.00
			डैक्कन अध्ययन केन्द्र की स्थापना	—	—	500.00	500.00
			सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन हेतु	—	1000.00	1000.00	2000.00
			कुल	414.39	1000.00	1520.00	2934.39
	सकल योग	46292.13		5728.78	3685.00	6934.00	16347.78

गरीबी अनुमानों को देखने के लिए तकनीकी समिति

4185. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा के समग्र मुद्दे को फिर से देखने के लिए कोई तकनीकी समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित होती हैं। गरीबी के बहुआयामों एवं सूचकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीबी के अनुमान तथा गरीबों की पहचान के लिए कार्यप्रणाली पर पुन: विचार करने के लिए एक तकनीकी समूह बनाने का निर्णय लिया है जिससे कि गरीब और वंचित परिवारों को विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों का लाभ प्राप्त हो सके। तकनीकी समूह के गठन एवं इसके विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना हेतु धनराशि

4186. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कई जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित धनराशि गायब हो गई तथा कई स्कूल मध्याह्न भोजन नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चूककर्ता स्कूल प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(घ) देश के लक्षित श्रेणियों के बच्चों को मध्याह्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) मध्याह्न भोजन योजना हेतु केन्द्रीय निधियां मध्याह्न भोजन हेतु कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन अनुसार आवंटित की जाती हैं जो कि वार्षिक कार्ययोजना और बजट में प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा दर्शाई गई निधियों और खाद्यान्नों की आवश्यकता पर आधारित है। अत: जहां तक केन्द्रीय निधियों का संबंध है इसकी कोई कमी नहीं है। तथापि, निधियों या खद्यान्नों के प्राप्त न होने या विलंब से प्राप्त होने के कारण या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से राज्य/संघ शासित प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में रुकावट आई। जब भी केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत या किसी घटना की सूचना मिलती है तो संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश को तत्काल मामले की जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की रुकावटें न आएं, योजना के दिशा-निर्देशों में प्रत्येक स्कूल में खाद्यान्न का एक महीने के अतिरिक्त स्टॉक के रखरखाव का प्रावधान है ताकि आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी होने पर योजना कम से कम एक महीने तक ठीक ढंग से चल सके।

इसके अतिरिक्त, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में स्कूल, ब्लॉक, जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक अनुवीक्षण तंत्र का प्रावधान है। राष्ट्र स्तरीय जांच एवं अनुवीक्षण समिति बैठकों तथा कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड बैठकों में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से योजना की लगातार समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय समीक्षा मिशन ने ऑन द स्पॉट मूल्यांकन हेतु राज्यों का दौरा किया। स्वतंत्र अनुवीक्षण संस्थान भी नियमित अंतरालों पर योजना का मूल्यांकन करते हैं।

[हिन्दी]

मातृ-भाषा में शिक्षा

4187. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा में बच्चों की रुचि घर में बोली जाने वाली भाषा तथा किताबों की भाषा में अंतर से प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप घरों में बोली जाने वाली सरल भाषा में अधिकतम संभव स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) भारत से बहुभाषी देश में, बच्चे के 'घर' की भाषा स्कूल की 'मानक' भाषा से अकसर भिन्न होती है। इससे बच्चे पर सीखने का बोझ बढ़ जाता है तथा संभवत: स्कूल के विषयों में कम उपलब्धि के कारणों में से यह भी एक कारण है। 'घर' की भाषा और 'पाठ्यपुस्तक' की भाषा न केवल स्कूल में भाषा सीखने को प्रभावित करती है बल्कि इससे गणित, पर्यावरण अध्ययन आदि जैसे विषय भी प्रभावित होते हैं क्योंकि इन विषयों के लिए भी संप्रेक्षण की एक भाषा की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ), 2005 में शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चे की 'घर' की भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में शर्त रखी गई है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाविधि का निर्धारण करते समय शिक्षा प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को ध्यान में रखेगा कि जहां तक व्यावहारिक हो शिक्षण का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो। राज्यों को एनसीएफ-2005 और आरटीआई अधिनियम, 2009 की भावना एवं सिद्धातों के अनुसार पाठ्यक्रमों के नवीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने की सलाह दी गई है तथा कई राज्यों ने पाठ्यक्रमों के नवीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने राज्यों को सलाहपत्र जारी किया है कि बच्चे के 'घर' की भाषा और कक्षा-कक्ष की 'मानक' भाषा के बीच अंतर को समाप्त करने की सुपरिचित पद्धतियों को समाविष्ट करने की ओर सर्वाधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

प्रोन्नति नीति

4188. श्री सज्जन वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति प्रदान करने की प्रणाली पारदर्शी तथा स्पष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा और ज्यादा प्रभावी नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि महिला कर्मचारियों को उनके द्वारा अनुभव किए जा रहे विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार तथा शोषण से बचाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई/प्रस्तावित नीति की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) संबंधित पदों के लिए भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति दी जाती हैं; ये प्रावधान पारदर्शी और स्पष्ट हैं। पदोन्नति हेतु पदधारियों की उपयुक्तता के संबंध में सिफारिश करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति (डीपीसी) समिति इस विषय पर अनुदेशों से मार्गदर्शन लेती है जो पारदर्शी और स्पष्ट हैं।

(ग) और (घ) भर्ती नियमों और विभागीय पदोन्नति समिति पर दिशानिर्देश में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है और महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण का प्रश्न नहीं उठता।

आचरण नियमावली में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी महिला कर्मचारी के कार्य स्थल पर उसके यौन उत्पीड़न में संलिप्त नहीं होगा। यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी की अध्यक्षता में, अनुशासनिक नियमों के तहत जांच प्राधिकरण के दर्जे वाली एक स्थायी शिकायत समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

आईआईटी-जेईई में महिला उम्मीदवार

4189. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी-जेईई) में महिला उम्मीदवारों की संख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान राज्य-वार तुलनात्मक रूप से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जबकि वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी-जेईई) में पंजीकृत महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्रमशः 24.33, 25.72, 24.82 और 23.44 है, योग्य पाई गई महिला अभ्यर्थियों का जोन-वार प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है:—

क्र.सं.	संस्थान	राज्य	आईआईटी-जेईई में महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	आईआईटी-दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.97	11.48	10.10	12.83
2.	आईआईटी-खडगपुर	पश्चिम बंगाल	7.95	8.62	11.10	10.40
3.	आईआईटी-मद्रास	तमिलनाडु	11.22	12.28	11.30	15.33
4.	आईआईटी-बॉम्बे	महाराष्ट्र	8.78	9.65	8.31	8.59
5.	आईआईटी-कानपुर	उत्तर प्रदेश	8.16	7.96	9.03	8.91
6.	आईआईटी-गुवाहाटी	असम	7.77	8.75	11.19	9.50
7.	आईआईटी-रुड़की	उत्तराखंड	9.18	10.75	13.51	10.16
8.	आईआईटी-गांधीनगर	गुजरात	—	—	14.91	8.70

1	2	3	4	5	6	7
9.	आईआईटी-रोपड	पंजाब	—	—	10.34	7.63
10.	आईआईटी-जोधपुर	राजस्थान	—	—	5.93	8.33
11.	आईआईटी-भुवनेश्वर	ओडिशा	—	—	7.69	6.03
12.	आईआईटी-हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	—	—	9.32	15.94
13.	आईआईटी-पटना	बिहार	—	—	7.34	6.84
14.	आईआईटी-इंदौर	मध्य प्रदेश	—	—	8.55	13.56
15.	आईआईटी-मंडी	हिमाचल प्रदेश	—	—	8.47	8.47
	कुल		9.71	10.44	10.55	10.62

व्यावसायिक शिक्षा

4190. श्री जयराम पांगी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में तेजी से औद्योगीकरण को देखते हुए दक्ष मानवशक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को मजबूत करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या ओडिशा सरकार से 100 नए व्यावसायिक कनिष्ठ कॉलेजों और विद्यमान कॉलेजों को मजबूत करने के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) ओडिशा में दक्ष मानवशक्ति की गंभीर कमी को पूरा करने के लिए प्रस्ताव कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण' के तहत वर्ष 2011-12 के लिए हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मिजोरम तथा ओडिशा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) से (ङ) ओडिशा सरकार से नए सरकारी व्यावसायिक जूनियर कॉलेज स्थापित करने तथा मौजूदा जीवीजेसीएस को सुदृढ़ बनाने के प्रस्ताव पर योजना के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किय था। राज्य सरकार से योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया था। ओडिशा सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

भारतीय समुदाय कल्याण निधि से वित्तीय सहायता

4191. श्रीमती कैसर जहां : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय समुदाय कल्याण निधि हेतु सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उक्त निधि से वर्ष-वार व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) पिछले मीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आवंटित निधियां निम्न प्रकार हैं:—

2010-11 — 2 करोड़ रुपये

2011-12 — 2 करोड़ रुपये

2012-13 — 2.5 करोड़ रुपये

मंत्रालय से बजटीय समर्थन के अलावा, भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) के पास निधिकरण के निम्नलिखित स्रोत हैं:–

(i) मिशनों द्वारा प्रदान की जा रही कांसुलर सेवाओं पर एक सेवा प्रभार लगाकर, और

(ii) भारतीय समुदाय द्वारा स्वैच्छिक अंशदान।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, निधि की शुरुआत से मार्च, 2012 तक 17,76,59,202/- रुपये (सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख, उनसठ हजार, दो सौ दो रुपये केवल) की राशि खर्च की गई है।

मॉडल स्कूलों को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता

4192. **श्री लक्ष्मण टुडु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा में 111 मंजूर किए गए मॉडल स्कूलों को स्थापित करने में गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 128 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जिसके कारण ओडिशा के सबसे पिछड़े जिलों में कई स्कूल अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ओडिशा के सबसे पिछड़े जिलों में सभी 111 आदर्श स्कूलों को और ज्यादा धनराशि आवंटित करके स्थापित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) ब्लॉक स्तर पर 6,000 मॉडल विद्यालय स्थापित करने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना नवम्बर, 2008 में शुरू की गई थी। इनमें से 3,500 विद्यालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़ें ब्लॉकों में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे और शेष 2,500 विद्यालय उन ब्लॉकों, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं है, में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत स्थापित किए जाएंगे। योजना में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में प्रत्येक मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु 3.02 करोड़ रु. प्रति इकाई लागत का प्रावधान है, जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाएगा। ओडिशा में कुल 173 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक हैं जो राज्य क्षेत्र के माध्यम से मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् मंत्रालय ने 111 मॉडल स्कूलों की उतने ही शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में संस्वीकृति प्रदान की है और राज्य सरकार को केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 2011-12 के दौरान 128.85 करोड़ रु. की राशि जारी की। केन्द्रीय हिस्से की अनुवर्ती किस्त जारी करना राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों को स्थापित करने में की गई प्रगति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कार्यबल की शिक्षा का स्तर

4193. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यबल की शिक्षा के उच्चतर स्तरों की बढ़ती आवश्यकता तथा इसके शिक्षा के स्तर के बीच कठोर विरोधाभास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, सितम्बर, 2011 में, विश्व बैंक ने कार्यबल की शिक्षा के उच्चतर स्तरों की बढ़ती आवश्यकता तथा इसकी शिक्षा के स्तर के बीच कठोर विरोधाभास का अवलोकन करते हुए दक्षिण एशिया जिसमें भारत भी शामिल है, में अधिक नौकरियों के सृजन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। तथापि, ये रिपोर्ट, इसका उल्लेख केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया के संदर्भ में करती है।

(ग) इस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा विकसित किया है जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ निकट भागीदारी से एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अर्हता प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धान्त तथा दिशा-निर्देश स्थापित करेगा। यह औपचारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के लिए बहुत प्रवेश और निर्गम, क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर गतिशीलता को सुसाध्य बनाएगा।

अफगानिस्तान में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा

4194. **श्री अशोक तंवर : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रवासियों के संरक्षण एवं कल्याण के संबंध में अफगानिस्तान सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अफगानिस्तान में भारतीय श्रमिकों के संरक्षण हेतु क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने हमेशा, भारतीय कामगारों के ठहरने और कार्य स्थल, दोनों में भारतीय कामगारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर भारतीय कामगार अफगानिस्तान में अमेरिकी अड्डों के अंदर कार्य करते हैं। ये अड्डे सामान्यतया सुरक्षित हैं और इन कामगारों का कल्याण पहलू अमेरिकी प्राधिकरणों द्वारा देखा जाता है।

एमटीएनएल की आय और व्यय

4195. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमटीएनएल की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएसयू में स्टाफ के वेतन पर व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संगठन में सृजित नए पदों और उन पर किए गए व्यय का समूह-क अधिकारियों सहित श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संगठन में नए अतिरिक्त पदों के सृजन से कंपनी के व्यय में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों यानी 2008-09, 2009-10, 2010-11 और वर्ष 2011-12 के दौरान कर्मचारियों के वेतन सहित एमटीएनएल की आय और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

विवरण	आय और व्यय तथा कर्मचारियों पर व्यय का ब्यौरा			
	2008-09 लेखा परीक्षित	2009-10 लेखा परीक्षित	2010-11 लेखा परीक्षित	2011-12 दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक समीक्षा की गई है
आय				
सेवाओं से आय	44,559.99	36,561.00	36,739.52	25,259.26
अन्य	7,942.75	14,017.23	3,180.44	1,454.10
कुल राजस्व	52,502.74	50,578.23	39,919.96	26,713.36
व्यय				
कर्मचारी पारिश्रमिक	21,273.96	49,662.50	32,585.48	24,723.01
राजस्व साझा	7,525.73	5,256.78	4,432.46	3,419.22
लाइसेंस शुल्क	4,285.75	3,837.02	2,875.91	2,134.01
प्रशासनिक, प्रचालन एवं अन्य व्यय	9,779.38	8,403.44	9,152.69	5,379.80
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन संबंधी व्यय	6,988.47	17,594.94	14,101.48	10,832.33
ब्याज	11.53	12.61	4,519.46	6,803.11
कुल व्यय	49,864.82	84,767.30	67,667.49	53,291.47
कर्मचारी वेतन	21273.96	49662.50	32585.48	24723.01

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोई नया पद सृजित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं

4196. श्री राकेश सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में भारत संचार निगम लिमिटेड के लैंडलाइन फोन खराब होने के संबंध में शिकायतों की संख्या में वृद्धि होने तथा उन शिकायतों के निपटान में विलंब की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग में रख-रखाव कर्मचारियों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संतोषप्रद लैंडलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) बीएसएनएल के कुछ सर्किलों में लैंड लाइन टेलीफोनों से संबंधित शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान लैंडलाइन उपभोक्ताओं की ओर से मध्य प्रदेश सर्किल सहित अन्य सर्किलों में प्राप्त शिकायतों की सर्किल-वार संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

जबलपुर के मामले में, जबलपुर नगर निगम द्वारा कराए गए सीवर-लाइन बिछाने, पानी की पाईप लाइन डालने और सड़क को चौड़ा करने संबंधी कार्यों की वजह से भूमिगत केबलों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण शिकायतों में मामूली वृद्धि हुई है। अन्य दूरसंचार सर्किलों में भी व्यापक स्तर पर सड़कें चौड़ा करने, पानी की पाइपलाइनें, सीवर लाइन बिछाने आदि की वजह से बीएसएनएल के लैंडलाइन टेलीफोनों से संबंधित शिकायतों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) सामान्यत: बीएसएनएल के पास लैंडलाइन टेलीफोनों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त स्टाफ है। तथापि, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ सर्किलों में अनुरक्षण स्टाफ की कुछ कमी है।

(ङ) लैंडलाइन फोनों की सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

- बाह्य संयत्र का पुन:स्थापन और स्तरोन्नयन।
- भूमिगत केबल दोषों की तत्काल मरम्मत।
- केबल कटने के मामलों को न्यूनतम करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से समन्वय करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी युक्त प्रणालियों के माध्यम से नेटवर्क प्रचालन की गहन निगरानी।
- कॉल ब्यौरा रिकार्ड (सीडीआर) आधारित बिलिंग प्रणाली, दोष सुधार सेवा और कार्य आदेश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करना।
- बीएसएनएल ने सभी कॉल सेंटरों को शामिल करते हुए विभिन्न सेवाओं के लिए द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत तंत्र को कार्यान्वित किया है तथा उन मामलों जिनके विरुद्ध ग्राहक अपील करने की इच्छा रखते हैं, के बारे में निर्णय करने के लिए अपील प्राधिकारी की व्यवस्था की गई है।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जनवरी, 2012 तक) वर्ष के लिए शिकायतों की सर्किल-वार संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (जनवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	618	664	320
2.	आंध्र प्रदेश	137919	130283	112961
3.	असम	18621	15285	15120

1	2	3	4	5
4.	बिहार	44438	35681	22482
5.	छत्तीसगढ़	14347	10309	8685
6.	गुजरात	106217	93035	87809
7.	हरियाणा	48471	34913	29470
8.	जम्मू और कश्मीर	18196	2695	11011
9.	हिमाचल प्रदेश	27953	21786	21822
10.	झारखंड	17005	8285	8030
11.	कर्नाटक	123732	116913	99335
12.	केरल	261017	230694	216917
13.	मध्य प्रदेश	40966	34453	28698
14.	महाराष्ट्र	186054	179325	163293
15.	पूर्वोत्तर-I	8306	5825	7430
16.	पूर्वोत्तर-II	2777	2569	3180
17.	उड़ीसा	36369	23333	21698
18.	पंजाब	96301	53938	50280
19.	राजस्थान	77362	66024	56968
20.	तमिलनाडु	73127	69430	85455
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	59344	53649	49479
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	54084	30431	27508
23.	उत्तराखंड	17454	13978	13544
24.	पश्चिम बंगाल	64624	43466	36875
25.	कोलकाता दूरसंचार जिला	123553	131232	120989
26.	चेन्नई दूरसंचार जिला	28897	28247	25705

[अनुवाद]

एसएसए निधियां

4197. श्री नवीन जिन्दल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत देश में प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान, विकास अनुदान और शिक्षण सामग्री अनुदान प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसएसए के अंतर्गत कुल आवंटित, जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार, वर्ष-वार और अनुदान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसएसए के अंतर्गत मासिक तौर पर जारी की गई और उपयोग में लाई गई अनुदानों का वर्ष-वार, राज्य-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि पूरे वर्ष अनुदानें असमान रूप से जारी की जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) निम्नलिखित वार्षिक अनुदान प्रदान करता है:– (i) वर्तमान स्कूलों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए अनुरक्षण प्रदान, (ii) स्कूल के खराब उपस्करों को बदलने और उपभोज्य वस्तुओं, खेल सामग्रियों, खेलों के उपस्करों आदि की आवर्ती लागत के खर्च के लिए स्कूल अनुदान, और (iii) स्थानीय तौर पर उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके कक्षा में बच्चों पर केन्द्रित क्रियाकलापों को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक अनुदान। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अनुदानों के तहत आवंटन और व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रतिमाह अनुदान जारी करने और उनका उपयोग करने का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(घ) और (ङ) स्कूलों को अनुदान सर्व-शिक्षा अभियान राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा सामान्यत: वर्ष की दूसरी या तीसरी तिमाही में जारी की जाती है। राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को सलाह दी जाती है कि स्कूलों को अनुदान समय पर जारी करना सुनिश्चित करें।

विवरण

निधियों के तहत वर्ष-वार आवंटन और व्यय

क्र. सं.	राज्य	स्कूल अनुरक्षण अनुदान						
		आवंटन			व्यय			
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक)	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31.80	31.58	31.35	31.50	31.58	31.35	24.02
2.	आंध्र प्रदेश	4767.30	4597.94	5060.97	4637.63	4523.41	4934.32	4415.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	195.68	200.95	222.55	189.50	606.74	222.55	184.87
4.	असम	2184.55	2500.81	2557.05	2162.48	2435.89	2283.90	2424.04
5.	बिहार	4940.00	3775.30	4239.73	3294.69	3300.83	2885.20	5316.22
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00	19.85	12.08
7.	छत्तीसगढ़	2663.05	2624.38	2788.40	2648.15	2575.12	2273.03	2565.29
8.	दादरा और नगर हवेली	17.85	18.40	19.58	17.85	18.40	16.40	21.91
9.	दमन और दीव	6.08	6.23	6.30	5.93	6.24	6.30	4.84
10.	दिल्ली	231.60	234.38	235.35	229.13	234.38	234.31	197.19
11.	गोवा	59.85	58.80	60.75	58.30	57.85	52.45	85.09
12.	गुजरात	4104.75	4102.73	4166.10	3846.10	4042.24	4035.01	3265.04
13.	हरियाणा	1077.30	1088.70	1083.23	1047.52	1088.70	1083.23	836.36
14.	हिमाचल प्रदेश	1082.70	973.05	953.15	1023.22	965.95	942.23	838.58

(लाख रुपए)

स्कूल विकास अनुदान					अध्यापक अनुदान					
आवंटन		व्यय			आवंटन			व्यय		
2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक)	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.91	23.76	24.01	23.91	23.76	16.91	17.20	18.23	14.59	15.57	15.99
4941.87	4923.06	4314.49	4705.94	4801.59	1174.27	1177.43	1289.74	1117.62	1110.97	1189.50
195.25	205.76	175.35	134.83	205.76	65.18	66.43	67.15	61.27	84.12	67.15
2549.8	2683.57	2401.22	2382.77	1810.72	929.67	957.85	837.59	861.37	829.20	578.79
5523.08	5703.14	4840.35	4912.68	4280.52	1632.62	1588.07	1757.48	1543.97	1482.74	1259.60
12.08	12.06	10.52	10.51	11.99	14.45	14.45	15.75	12.30	13.26	15.30
2596.87	2625.49	2554.19	2594.72	2615.25	671.69	722.78	788.74	643.55	711.11	778.70
22.22	20.07	21.91	19.98	16.65	5.98	5.99	5.88	5.96	5.83	5.85
5.02	4.97	4.69	4.92	4.97	2.45	2.61	2.61	2.14	2.33	2.03
198.58	198.93	191.76	198.58	198.17	264.70	261.45	277.02	242.53	261.46	246.24
84.26	83.21	84.26	83.89	82.78	31.28	31.47	28.49	31.16	30.10	30.10
3300.3	3425.32	3179.83	3268.76	3209.69	972.30	973.64	1099.96	900.21	927.01	952.91
837.88	846.85	828.73	837.88	846.49	322.84	297.97	347.13	292.49	297.97	347.13
841.46	842.73	837.84	838.44	831.99	242.38	246.74	241.22	229.14	235.33	232.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	जम्मू और कश्मीर	1275.75	1351.80	1365.95	1275.75	1351.80	1365.95	1605.37
16.	झारखंड	2266.70	2346.28	2613.73	2237.93	2333.51	2613.73	2974.67
17.	कर्नाटक	4624.70	5018.95	5042.35	4440.89	4752.38	4882.09	4113.07
18.	केरल	408.38	424.95	424.95	408.38	416.03	411.15	807.07
19.	लक्षद्वीप	3.53	3.83	3.83	3.53	3.83	3.83	2.63
20.	मध्य प्रदेश	6499.23	6705.70	7077.59	6129.13	6286.10	6873.70	6204.36
21.	महाराष्ट्र	5911.45	6101.50	6118.62	5911.45	5981.06	5841.51	6037.78
22.	मणिपुर	171.08	215.18	211.13	167.54	196.51	211.13	196.91
23.	मेघालय	466.28	401.55	449.60	386.30	386.78	13.50	526.94
24.	मिजोरम	161.25	179.63	179.10	161.25	179.63	0.00	136.9
25.	नागालैंड	145.35	151.05	160.80	145.35	151.05	0.00	106.24
26.	ओडिशा	4963.55	4607.54	4730.58	442335	4340.35	4421.12	3815.87
27.	पुदुचेरी	38.10	39.38	32.48	38.10	39.37	32.48	33.76
28.	पंजाब	1422.68	1401.83	1472.40	1421.93	1401.83	1342.70	1092.82
29.	राजस्थान	4464.60	5772.23	4812.48	3309.48	4754.47	3789.75	6146.76
30.	सिक्किम	110.70	86.78	90.75	101.78	85.32	90.75	62.91
31.	तमिलनाडु	2642.70	2598.53	2671.85	2624.47	2575.60	2651.17	2943.1
32.	त्रिपुरा	381.95	459.98	470.25	381.95	459.98	250.05	335.57
33.	उत्तर प्रदेश	10809.60	10901.70	10961.20	9488.91	9915.47	9806.23	8508.01
34.	उत्तराखंड	1228.13	1110.45	1066.45	1045.01	1059.47	1014.90	1000.47
35.	पश्चिम बंगाल	4456.58	5343.40	5493.60	4347.17	5107.89	4979.29	3161.61
	कुल	73814.79	75435.44	76894.35	67641.65	71665.75	69615.14	70003.37

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1726.38	1783.86	1605.37	1726.38	1783.86	394.52	417.46	426.01	394.46	417.46	426.01
3039.22	3079.89	2941.07	3029.41	3079.89	679.37	697.06	658.49	672.10	674.00	658.49
4170.12	4186.38	4081.73	4116.18	4100.55	1144.43	1131.30	1170.82	1096.68	1106.38	1098.76
811.76	811.76	805.90	807.92	802.34	639.35	645.62	656.65	612.52	555.63	608.27
2.91	3.01	2.63	2.91	3.01	3.34	3.35	3.37	3.34	3.35	0.00
6293.63	6290.03	6024.07	6101.11	6060.25	1408.13	1453.37	1394.72	1322.21	1356.37	1392.36
6116.87	6254.20	6037.78	6116.87	6057.66	2189.27	2221.66	2166.59	2189.27	2221.66	2166.59
189.39	188.44	190.80	175.89	188.44	67.19	55.42	77.96	65.94	52.64	77.96
639.11	607.97	486.75	639.07	607.97	134.36	180.29	170.44	116.53	180.30	170.42
143.49	143.84	136.90	143.49	0.00	67.88	66.26	69.18	67.88	66.26	0.00
109.82	117.60	106.24	109.82	0.00	64.64	60.30	58.60	64.64	60.30	0.00
3933.59	4035.27	3735.12	3853.84	4027.69	941.33	990.05	984.91	876.28	859.25	686.74
33.64	33.18	33.76	33.64	33.11	20.58	20.57	22.30	20.57	20.57	21.44
1140.73	1148.66	1089.98	1143.48	1060.87	380.90	373.10	393.42	380.90	372.87	384.42
6175.46	6033.51	5793.66	5759.56	5662.31	1395.01	1264.83	1358.67	1150.00	1136.27	1151.89
63.77	67.44	62.91	63.54	65.59	30.50	32.66	33.90	29.96	32.66	33.87
3011.34	3036.38	2910.58	2978.87	3007.03	1049.59	1017.43	1001.59	1047.90	1013.98	485.58
356.25	366.23	335.57	356.25	366.23	151.53	149.07	151.25	151.54	149.07	151.25
8762.68	8805.56	8085.53	8416.76	8210.63	2365.58	2533.60	2457.87	2183.32	2280.76	2279.76
1010.22	999.29	962.82	960.21	967.11	239.58	237.66	214.35	220.62	223.39	178.15
3214.63	4230.28	3198.45	3200.75	3978.45	1479.11	1338.67	1850.64	1362.30	1276.94	1594.03
72077.59	73821.70	68096.77	69753.75	69003.32	21192.87	21253.75	22098.64	19987.26	20067.10	19288.26

भारत और जापान के बीच सहयोग

4198. श्री के. सुगुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जापान के प्रधानमंत्री के भारत के पिछले दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच असैनिक परमाणु सहयोग समझौते के लिए औपचारिक बातचीत पुनः आरंभ करने की पुरजोर मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर जापान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनकी उक्त यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री के साथ अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) 28 दिसम्बर, 2011 को वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और जापान के बीच असैनिक परमाणु सहयोग पर जारी विचार-विमर्श की समीक्षा की। "विजन फॉर द एनहान्समेंट ऑफ इंडिया-जापान स्ट्रैटजिक एण्ड ग्लोबल पार्टनरशिप अपऑन एंटरिंग द इयर ऑफ द 60एथ एनिवरसरी ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशन्स" नामक एक संयुक्त वक्तव्य पर दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक सहयोग, अवसंरचना परियोजनाओं, रक्षा सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) सुधार, जलवायु परिवर्तन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शामिल थे।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा में सुधार और विकास

4199. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार, पुनर्संरचना, युक्तिकरण और विकास के लिए कोई योजना के लिए योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता, पुनर्गठन, यौक्तिकीकरण और विकास का सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता के सुधार के उद्देश्य से 12वीं योजना के योजना आवंटन में व्यापक वृद्धि प्रस्तावित है। देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को, विभिन्न विधायी पहलों के माध्यम से और आगे सुधारने की योजना भी है जिसमें सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाना शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है जैसे कि उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज, विशेष सहायता कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, अनुसंधान छात्रों एवं प्रबोधन के लिए अध्येतावृत्ति कार्यक्रम तथा नए नियुक्त और सेवाकालीन शिक्षकों के लिए उनके अकादमिक स्टाफ कॉलेजों के माध्यम से पुनश्चर्या कार्यक्रम। यूजीसी ने शिक्षा सुधारों के लिए सेमेस्टर सिस्टम प्रारंभ करने, पाठ्यचर्या तथा क्रेडिट अंतरण को नियमित रूप से अद्यतन बनाने सहित विभिन्न उपाय भी किए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सुधरे हुए वेतन पैकेज की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषणा की गई है ताकि शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सके और बनाए-रखा जा सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलजों में प्रवेश स्तर पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)/राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) को अनिवार्य बनाया जाए, सिवाय उनके जिन्होंने पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अपने विनियमों में यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंड का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालयों से पीएच.डी. डिग्रियां प्राप्त की हैं।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में कारगिल जैसी स्थिति

4200. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकारी मशीनरी ने राज्य में कारगिल जैसी स्थिति की भविष्यवाणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) सरकार ने इस संबंध में मीडिया में छपी रिपार्टों को देखा है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन विरोध जताता रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में साझे तौर पर अंकित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। समय-समय पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा के बारे में मतभेद होने के कारण जमीनी स्तर पर ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हुई हैं जिनसे बचा जा सकता था यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में हमारी अवधारणा एक-समान होती। सरकार नियमित रूप से सुस्थापित तंत्रों जिनमें सीमा कर्मी बैठकें, ध्वज बैठकें तथा भातर-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वयन के लिए नव स्थापित कार्य तंत्र शामिल हैं, के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी घुसपैठ की घटना को चीनी पक्ष के समक्ष उठाती है। दोनों देशों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक कार्यढांचा तलाशने के प्रयोजनार्थ विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। विशेष प्रतिनिधियों की अब तक पंद्रह बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों ने कई अवसरों पर सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने तक भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और इसकी रक्षा के लिए सभी अपेक्षित उपाय करती है।

जहाज का डूबना

4201. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली के पश्चिमी तट पर एक लग्जरी क्रूज इटालियन जहाज डूब गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जहाज में कितने भारतीय सवार थे;

(ग) क्या इसमें भारतीय नागरिक हताहत हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां। कोस्टा कनकोर्डिया नामक एक लक्जरी क्रूज वाहन 13 जनवरी, 2012 को गिगलियों द्वीप के निकट इटली के पश्चिम तट पर पलट गया था।

(ख) से (घ) इस जहाज पर 203 भारतीय राष्ट्रिक सवार थे। इनमें चालक दल के 202 सदस्य तथा एक यात्री शामिल था। 202 भारतीय यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था तथा वे अपने परिवारों के पास वापस पहुंच गए हैं। अभी तक चालक दल के एक भारतीय सदस्य, श्री रसेल टेरेंस रिबेलो, के गुमशुदा होने की रिपोर्ट है।

व्हीसल-ब्लोअरों की हत्या

4202. श्री चौधरी लाल सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कितने व्हीसल-ब्लोअरों की हत्या की गई है;

(ख) क्या सरकार ने थोक संतप्त परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा अदा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के संकल्प के अनुसार भंडाफोड़कर्त्ताओं की पहचान गोपनीय है। इसलिए मारे गए भंडाफोड़कर्त्ताओं और की गई, प्रतिपूर्ति के भुगतन के संबंध में आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि सरकार ने भंडाफोड़कर्त्ताओं के संरक्षण के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किया है जिसे लोक सभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2011 को 'भंडाफोड़ संरक्षण विधेयक 2011' के रूप में पारित किया जा चुका है और जो वर्तमान में राज्य सभा में है। यह विधेयक प्रकटन करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न के विरुद्ध या भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी दोषारोपण या सत्ता के जानबूझकर दुरुपयोग या किसी लोक सेवक के विरुद्ध जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के विरुद्ध समुचित संरक्षण प्रदान करता है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि सक्षम प्राधिकारी का मत हो कि शिकायतकर्ता

या लोक सेवक या गवाह इत्यादि के संरक्षण की आवश्यकता है, तो सक्षम प्राधिकारी, संबंधित प्राधिकारियों (पुलिस सहित) को समुचित दिशा-निर्देश जारी करेंगे, जो ऐसे शिकायतकर्त्ता या लोक सेवक या संबंधित व्यक्ति के संरक्षण के लिए अपनी एजेंसियों द्वारा आवश्यक कदम उठवाएंगे।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय संस्कृति के अवशेष

4203. **योगी आदित्यनाथ : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति के अवशेष आज भी मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न देशों में मौजूदा इन अवशेषों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। हालांकि भारतीय संस्कृति के अधिकांश अवशेष दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में देखे जा सकते हैं।

(ग) विदेश मंत्रालय की ओर से वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) कम्बोडिया में ता प्रोम मंदिर और लाओ पीडीआर में वात फाउ मंदिर का संरक्षण कार्य कर रहा है और शीघ्र म्यांमार में आनंद मंदिर का संरक्षण कार्य प्रारंभ करने वाला है।

बुंदेलखंड विशेष पैकेज

4204. **श्री आर.के. सिंह पटेल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए दिए गये विशेष पैकेज का उपयोग किसानों के फायदे के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत अब तक उपयोग की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां, भारत सरकार ने किसानों के लाभ के लिए 7466 करोड़ रुपए की लागत पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा शमन कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया है, जिसका निधियन 3650 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) मुहैया कराकर तथा शेष लागत के लिए चालू केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित कर दिया जाना है। कुल पैकेज में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 3606 करोड़ रुपए और एसीए में 1696 करोड़ रुपए परिकल्पित किए गए हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पैकेज के तहत कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय 1005.51 करोड़ रुपए की जारी कुल एसीए का लगभग 36% है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	क्षेत्रक	31 मार्च, 2012 तक जारी राशि	फरवरी, 2012 तक व्यय
1	2	3	4
(क)	**जल संसाधन**		
1.	पम्प सेट बदलना, एचडीपी पाइपों का वितरण	40.00	39.85

1	2	3	4
2.	जल निकायों का पुनर्निर्माण	10.00	9.19
3.	राजघाट कमान क्षेत्र विकास	80.00	41.92
4.	बेतवा-गुरसराय नहर प्रणाली	20.00	0.00
5.	टैंकों/तालाबों की मरम्मत तथा रिनौवेशन	3.23	3.71
6.	जालौन जिले में लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की मरम्मत	2.00	2.00
7.	नहरों की क्षमताओं की पुन: स्थापना, नहरों, नई नहरों की मरम्मत तथा रिमॉडलिंग	167.73	101.52
	कुल	322.96	198.19
(ख)	**जलसंभर प्रबंधन**		
1.	फार्म तालाबों का निर्माण	75.00	0
2.	खोदे गए कुओं/टैंकों का रिनोवेशन एवं रिचार्जिंग	85.66	14.69
3.	नए खोदे गए कुओं का निर्माण	75.00	26.83
	कुल	235.66	41.52
(ग)	**पर्यावरण तथा वन**		
1.	वनों में जलसंभर प्रबंधन	21.60	30.54
	कुल	21.60	30.54
(घ)	**कृषि**		
1.	वेयर हाउसिंग एवं एकीकृत विपणन अवसंरचना	320.00	0.00
	कुल	320.00	0.00
(ङ)	**पशुपालन**		
1.	पशुपालन कार्यकलाप	28.56	13.93
2.	डेयरी विकास	26.74	24.24
	कुल	55.30	38.17

1	2	3	4
(च)	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति	50.00	50.00
	कुल जोड़	1005.52	358.42
	उपयोग का प्रतिशत		36%

[अनुवाद]

हिप्पारगी सिंचाई परियोजना की अवधि बढ़ाना

4205. **श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में कर्नाटक की हिप्पारगी सिंचाई परियोजना की लागत में वृद्धि किए बगैर इसकी अवधि तीन वर्ष बढ़ाने की अनुमति पर सहमति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को पूरा होने की समयावधि क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने योजना आयोग से 31.3.2011 से 31.3.2014 तक तीन वर्षों के लिए हिप्पारगी परियोजना पूरा करने की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास मुद्दों, स्थानीय निवासियों की मांग पर नहरों में पानी छोड़ने के कारण कार्य के लिए कम समय का मिलना आदि जैसी समस्याएं है। किसी लागत में वृद्धि किए बगैर तीन साल के विस्तार पर सहमति हो गई है तथा अब परियोजना 31 मार्च, 2014 तक पूरा कर ली जाएगी।

[हिन्दी]

भारत निर्माण कार्यक्रम

4206. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार और राजस्थान में भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला-वार कार्यान्वित की गई योजनाओं के क्या नाम हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में अंतर्ग्रस्त एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बिहार और राजस्थान में भारत निर्माण योजना के अंतर्गत निर्मित सभी सड़कों की किलोमीटर-वार लंबाई तथा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत निर्माण योजना के अंतर्गत उक्त सड़कों के निर्माण हेतु कितनी निधियां आवंटित और खर्च की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) भारत निर्माण ग्रामीण भारत को अवसरों के साथ जोड़ने के लिए एक व्यवसाय योजना है- सड़कों के माध्यम से भौतिक संपर्कता (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना), बिजली (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) और टेलीफोन; आवास (इंदिरा आवास योजना) और जल आपूर्ति (राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं तथा निश्चित समय-सीमा में सिंचाई में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता और आय में सुधार करना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)। भारत निर्माण के तहत कार्यक्रमों को राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्कीमों, दिशानिर्देशों, निधियां जारी करने, निधियों के उपयोग का मॉनीटरन तथा राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी करने का कार्य किया जाता है।

(घ) से (ङ) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत राजस्थान और बिहार राज्यों की सूचना निम्नवत है:—

राजस्थान

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को राज्य में कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, 2005-12 के लिए 13,258 कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2012 तक 10399.49 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण किया जा चुका है।

राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत आवंटन, जारी राशि और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रु.) जनवरी, 2012 तक

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
आवंटन	200.70	82.45	104.90
जारी राशि	603.41	886.22	282.76
व्यय	795.03	686.39	222.98

बिहार

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को राज्य में कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, 2005-12 के लिए 55,421 कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2012 तक 9,797.19 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण किया जा चुका है।

राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत आवंटन, जारी राशि और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रु.) जनवरी, 2012 तक

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
आवंटन	287.81	118.24	150.44
जारी राशि	1750.73	3477.06	1897.04
व्यय	1874.51	2694.91	2133.37

महिला कोटा

4207. श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री लालचन्द कटारिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी सेवाओं में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं का कोटा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल की लंबित योजनाएं

4208. श्री अम्बिका बनर्जी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास आवश्यक स्वीकृति हेतु लंबित पश्चिम बंगाल की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति में लंबित/विलंब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) पश्चिम बंगाल की कोई भी स्कीम योजना आयोग में आवश्यक स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीआईएल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई

4209. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री उदय सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूके के चिल्डर्न इन्वेस्टमेंट फंड ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त संगठन द्वारा सीआईएल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) चिल्डर्न इन्वेस्टमेंट फंड माइनोरिटी शेयर होल्डर ने सूचित किया था कि वह न्यासीय कर्त्तव्यों के उल्लंघन करने के प्रति कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा।

(ग) उठाए गए बिन्दु/लगाए गए आरोप निम्नानुसार थे:—

(i) बाजार स्तरों की तुलना में ईंधन आपूर्ति करार वाले कोयले का मूल्य कम निर्धारित करना;

(ii) वाशरियों की स्थापना में धीमा कार्यान्वियन;

(iii) कोयले की व्याप्त चोरी पर कार्रवाई का अभाव;

(iv) भूमिगत खानों में अकुशलता; और

(v) अत्यधिक भंडार होने के बावजूद उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त न करना।

(घ) सीआईएल के विरुद्ध लगाए गए आरोप सीआईएल के प्रचालनात्मक मामलों से संबंधित हैं और सीआईएल को निवेशक की शिकायतों का कंपनी द्वारा स्थापित ढांचे के अनुसार समाधान करने की आवश्यकता है।

परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन

4210. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैग्सेसे पुरस्कार विजेता तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक डाक्टर से नई परीक्षा प्रणाली के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परीक्षा प्रणाली पर सरकार की क्या राय है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

4211. श्री एस. अलागिरी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किं:

(क) क्या सरकार को ऐसे अधिकारियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी है जिनके विरुद्ध विगत दो वर्षों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का विचार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) वर्ष 2010 और 2011 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने क्रमश: 3424 और 3144 मामलों में अपनी पहली स्तर की और 1180 और 1027 मामलों में द्वितीय स्तर की सलाह दी थी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31.12.2011 को इसे क्रमश: 1525 और 682 मामलों में 6 महीनों से अधिक समय से उसके पास प्रथम एवं द्वितीय स्तर की सलाह के कार्यान्वियन के संबंध में कोई सचूना प्राप्त नहीं हुई।

(ग) संगत अनुशासनिक नियमों के अनुसार, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह सहित मामले के सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मामले में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाएं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को स्वीकार करना या न करना संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी पर निर्भर करेगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी सलाहों की अस्वीकृति के आंकड़े रखता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी अस्वीकृत दर्शाता है।

(घ) केन्द्र सरकार 'भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं' की अपनी नीति कार्यान्वित करने हेतु पूरी तरह से सचेत और वचनबद्ध है और इसने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना और लोकहित प्रकट तथा प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 को दिनांक 26 अगस्त, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाना। (लोक सभा द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2011 को पारित कर दिया गया);

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में सक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने का निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है;

(vi) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना।

(viii) संसद में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन।

(ix) वर्ष 2011 में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन।

(x) विदेशी लोक पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 का लोक सभा में पुर:स्थापन।

(xi) न्यायिक मानक और जबावदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुर:स्थापन (लोक सभा ने दिनांक 29.03.2012 को पारित कर दिया है)।

(xii) केन्द्र सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों और केन्द्र सरकर के अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरणियों के ब्यौरों को जनव्यापी बनाया जाना।

(xiii) राइट ऑफ सिटीजन्स फार टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रिवांसेज विधेयक, 2011 का 20.12.2011 को लोक सभा में पुर:स्थापना।

[हिन्दी]

इंटरनेट प्राधिकरण का गठन

4212. कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'डॉट इन' डोमेन पूर्णतया सुरक्षित नहीं है और इसकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है जैसाकि मीडिया ने खबर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक इंटरनेट प्राधिकरण गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) विश्व में '.com'; '.org'; '.net'; '.info'; '.biz'; आदि डोमेन के अंतर्गत लगभग 64.6 करोड़ वेबसाइटें पंजीकृत हैं और लगभग 14.3 लाख वेबसाइटें 'in' डोमेन के अंतर्गत हैं। कुल पंजीकृत वेबसाइटों में से '.in' डोमेन के अंतर्गत हैकिंग का प्रतिशत लगभग 0.7% हैं और अन्य डोमेन के अंतर्गत लगभग 0.3% है। '.in' डोमेन के अंतर्गत बड़ी संख्या में हैक की गई वेबसाइटों को देश के बाहर स्थापित मूल अवसंरचना पर होस्ट किया जाता है। अत: '.in' डोमेन के अंतर्गत वेबसाइटों की हैकिंग वेबसाइटों का घटिया डिजायन और साथ ही ऐसी वेबसाइटों की मूल अवसंरचना होस्टिंग की कमतर सुरक्षा के मिले जुले कारणों से होती है। '.in' कंट्री कोड टाप लेवल डोमेन (सीसीटीएलडी) का आवंटन .IN रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित रजिस्ट्री में से एक है क्योंकि '.in' डोमेन तक पहुंच अत्यधिक व्यापक ग्लोबल एनीकास्ट सर्वर नेटवर्क, जो व्यापक वितरित सेवा हमलों (डीडीओएस) की मनाही से सुरक्षा करता है, के द्वारा स्थापित की जाती है।

(ग) से (ङ) साइबर अपराध को रोकने के लिए विभाग में एक इंटरनेट प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में साइबर अपराधों के बढ़ते हुए खतरों का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक उपायों सहित एक एकीकृत दृष्टिकोण तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खतरों का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए जरूरी प्रणालियां मौजूद हैं। ये इस प्रकार हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को 27.10.2009 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के समाधान के लिए कानूनी ढांचा और इस प्रकार के अपराधों के लिए दंड का भी प्रावधान है।

(ii) साइबर न्यायिक-विज्ञान, विशेषकर साइबर न्यायिक उपकरणों के विकास, जांच और प्रयोक्ताओं, विशेषरूप से डिजिटल साक्ष्य एकत्र और विश्लेषित करने और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इस उपकरण के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण के लिए मूल संरचना की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाया गया है।

(iii) भारतीय कंप्यूटर प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) और प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक) डिजिटल साक्ष्य के संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक प्रयोगशालाओं तथा न्यायपालिका के लिए बुनियादी और उन्न प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं।

(iv) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्रशिक्षण अकादमी में साइबर न्यायिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना साइबर न्यायिक विज्ञान और सीबीआई से जुड़े पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधों की छानबीन करने के लिए आधारभूत/मूल और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने साइबर न्यायिक प्रशिक्षण और अन्वेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना केरल, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर राज्यों में की है।

(v) भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के सहयोग से मुम्बई, बंगलूरू, पुणे और कोलकाता में नैसकॉम साइबर न्यायिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। डीएससीआई ने साइबर अपराध अन्वेषण और जागरूकता पर 112 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इन कार्यक्रमों द्वारा 3680 पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और सरकारी अभियोजकों (वकीलों) को प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय, बंगलूरू न्यायिक अधिकारियों के जरिए साइबर कानून और साइबर न्यायिक विज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता आ रहा है।

(vi) सरकार ने अदालतों में डिजिटल साक्ष्य की छानबीन, जब्ती विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रियाओं के साथ जांच मैनुअल का एक सेट तैयार किया है। ये मैनुअल सभी राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को परिचालित कर दिए गए हैं। भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), साइबर सुरक्षा खतरों और साइबर घटनाओं की रोकथाम करने और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित चेतावनियां, परामर्श और दिशानिर्देश जारी करता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करना

4213. **श्री भक्त चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में, विशेषरूप से ओडिशा में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

(घ) XIवीं योजना के दौरान, 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालय देश के अलाभान्वित राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना करते समय ग्रामीण क्षेत्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया था। ओडिशा में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कोरापुट जिले में की गई थी। एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत देश के अभिनिर्धारित शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई गई थी, जहां सकल नामांकन अनुपात, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम था। अधिकांश शैक्षिक रूप से पिछड़े ये जिले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ओडिशा में, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ष 18 जिलों में से, राज्य सरकार से बौद्ध, देवगढ़, मलकानगिरी, नयागढ़, नवरंगपुर, नवापादा, रायगढ़, सोनिपुर जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

असम में शिक्षा का स्तर

4214. **श्री जोसेफ टोप्पो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में लड़कियों में शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में लड़कियों और महिलाओं के लिए गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की असम में लड़कियों की शिक्षा हेतु विशेष सहायता जारी करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा 2009-10 (अनंतिम) के आंकड़ों के अनुसार असम में बालक-बालिका समानता सूचकांक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमश: 1.03 और 1.04 है जो प्रारंभिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी के उच्च स्तर को दर्शाता है। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा 2009-10 (अनंतिम) के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 में बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने कक्षा V के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के तीसरे चक्र के पूरा कर लिया है जिससे पता चलता है कि भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान में बालिकाओं का निष्पादन बालकों से बेहतर है।

असम में उच्चतर शिक्षा में बालक-बालिका समानता सूचकांक (जीपीआई) जो वर्ष 2008-09 में 0.53 था, 2009-10 में बढ़कर 0.54 हो गया है और सकल नामांकन अनुपात जो वर्ष 2008-09 में 5.7 था 2009-10 में बढ़कर 6.2 हो गया है।

(ग) से (ङ) सरकारी निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने योजना आवंटन का 10% भाग निर्धारित करता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत समानता को एक निष्पक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में मान्यता दी र्ग है और कार्यान्वियन के लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान कार्यढांचे में यह निर्धारित किया गया है कि समानता संबंधी सरोकारों में प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को नवीकृत करना है, ताकि वे लैंगिक भेदभाव से मुक्त हों, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए होने चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) का कार्यान्वयन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना शामिल है। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) असम के 8 जिलों में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 15 ब्लॉकों के 98 मॉडल क्लस्टर स्कूलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और वर्ष 2011-12 तक राज्य के लिए 57 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संस्वीकृत किया गया है सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को एक साथ रखा गया है। एनपीईजीईएल को 45 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है और 142 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संस्वीकृत किया गया है। अन्य पहलों में, शैशवास्था शिक्षा सुविधा, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देना, स्कूल समय के बाद विशेष शिक्षण कक्षाएं, घर से स्कूल जाने के लिए और स्कूल के घर आने के लिए मार्गरक्षण की व्यवस्था, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा महिला समाख्या आदि के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण और संचालन की योजना शामिल है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को शुरू किए जाने के कारण असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा के स्तर में और सुधार हुआ है। इन योजनाओं में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डे.केयर सेन्टर खोलना, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एकल बालिका बच्चे के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन विभाग, उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों में क्षमता निर्माण तथा महिलाओं के लिए पोस्ट डाक्टरल अध्येतावृत्तियां, कॉलेजों/पॉलिटेक्निकों आदि में महिला छात्रावासों का निर्माण शामिल है।

मंत्रालय द्वारा भी योजनाएं चलायी जा रही हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा सेक्टर में बालिकाओं के शैक्षिक विकास पर प्रभाव डालती हैं। ये हैं : (i) 374 मॉडल डिग्री कॉलेजों की योजना—यह योजना ऐसे प्रत्येक जिले में एक, जहां पर सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, समग्र देश में शुरू की गई है। इनमें 44 कॉलेज पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं जिनमें से असम के लिए 12 कॉलेजों सहित अभी तक 18 कॉलेज संस्वीकृत किए गए हैं, (ii) असम में 9 पॉलिटेक्निकों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पचास नए पॉलिटेक्निक भी संस्वीकृत किए गए हैं, (iii) कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां-योजना के अंतर्गत उच्चतम अध्ययन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियॉं (41000 लड़कों के लिए और 41000 लड़कियों के लिए) प्रदान की जाती हैं। लड़कियों के लिए 41000 हजार छावृत्तियों में से असम के लिए 1001 छात्रवृत्तियों सहित लगभग 1478 छावृत्तियां पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हैं, (iv) शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केन्द्रीय योजना, (v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नु)—इग्नु के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शिक्षा विकास इकाई स्थापित की गई है जिसका उद्देश्य असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक सुलभता सृजित करना, शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों के समान रूप से उपलब्ध कराना है।

उच्चतर/तकनीकी शिक्षा में आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आठ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार में एक केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर स्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

विमानन कंपनियों द्वारा एटीएफ का सीधे आयात

4215. श्री बलीराम जाधव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को सीधे एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) आयात करने की अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप इन कंपनियों द्वारा राज्यों को बिक्री कर नहीं दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुमति के परिणामस्वरूप राज्यों को करोड़ों रुपये की हानि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने वास्तविक प्रयोगकर्ता तथा वास्तविक प्रयोग के आधार पर एयरलाइनों की ओर से एटीएफ के आयात की अनुमति दे दी है। एटीएफ को सीधे आयात करने से एयरलाइनें एटीएफ पर वीएटी की बचत कर सकेंगी, जो राज्य दर राज्य में 4 प्रतिशत से 29 प्रतिशत के बीच अलग-अलग होगा तथा इससे एयरलाइनों को एटीएफ की कुल प्रापण लागत में कमी की संभावना है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की 51वीं प्रविष्टि के अनुसार एटीएफ पर बिक्री-कर का संग्रहण राज्य का विषय है। राज्यों द्वारा संग्रहित बिक्री-कर का विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) जी, नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के विमानों का बेड़ा

4216. श्री पी. करूणाकरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया के पास बेड़े में वर्तमान में कितने विमान और कितने विमान-चालक तथा अन्य क्रू-सदस्य हैं;

(ख) क्या एयर इंडिया में विमानों और क्रू-सदस्यों का अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है ताकि इसे व्यवहार्य और जीवंत बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त राष्ट्रीय कैरियर को अंतर्राष्ट्रीय विमानन परिदृश्य में व्यवहार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) इस समय, एयर इंडिया के बेड़े में 121 विमान हैं। 31.1.2012 को पायलट एवं अन्य क्रू सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है:—

	छोटे आकार के	बड़े आकार के
पायलट	819	714
केबिन क्रू	1277	1859

इसके अतिरिक्त 9 पायलट छोटे आकार के और 15 पायलट बड़े आकार के विमान हेतु ठेके पर रखे गए हैं।

(ख) और (ग) प्रचालनात्मक क्रू के संबंध में प्रति विमान अपेक्षित क्रू की संख्या संबंधित देशों के विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित प्रचालन प्रणाली और उड़ान एवं ड्यूटी समय-सीमा के अनुसार निर्धारित की जाती है। एयर इंडिया भारतीय विनियमों की जैसे नागर विमानन महानिदेशालय के विनियमों का अनुपालन करती है।

(घ) एयर इंडिया ने लागत घटाने और राजस्व बढ़ाने हेतु कई पहल की हैं इनमें (i) पूर्ववर्ती एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का पूर्ण मार्ग युक्तीकरण और उन नेटवर्क मार्गों को हटाना; (ii) जिसमें कुछ घाटे वाले मार्गों का युक्तीकरण; (iii) कई घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर नए विमानों को लगाना ताकि यात्री आकर्षित हों; (iv) पुराने बेड़े को हटाना एवं परिणामस्वरूप अनुरक्षण लागत को कम करना; (v) लीज पर लिए गए विमानों की लीज अवधि समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व लौटाना; (vi) गैर-प्रचालनात्मक क्षेत्रों में नियुक्तियों पर रोक; (vii) व्यर्थ व्यय को रोकने हेतु कर्मचारियों की पुनर्तैनाती; (viii) पुराने बेड़े को ग्राउंड करना, जिसमें बी 747-400 सम्मिलित है, जिसे केवल कुछ लाइन प्रचालनों और वीवीआईपी उड़ानों हेतु प्रयोग किया जाएगा; (ix) विदेशों से ईडी एवं आईबीओ की पुन: भारत में तैनाती; (x) कुछ स्थलों पर विदेशी ऑफलाइन कार्यालयों को बंद करना; (xi) फ्रेंकफर्ट हब को समाप्त करना और दिल्ली हब की स्थापना, जिससे मार्गों के पुनर्निर्धारण द्वारा पर्याप्त बचत हो; (xii) एकीकृत प्रचालनात्मक नियंत्रक केंद्रों की स्थापना शामिल हैं।

भा.प्र.से. के लिए नि:शक्त व्यक्तियों का चयन

4217. डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में भा.प्र.से. की परीक्षा पास करने के उपरांत भी यू.पी.एस.सी. ने कितने नि:शक्त व्यक्तियों का चयन नहीं किया; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त चयनित उम्मीदवारों को तैनाती प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) संघ लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष सिविल सेवा परीक्षा संचालित करता है और सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के अनुसार विभिन्न श्रेणियों जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है जिसमें योग्यता का कड़ाई से पालन किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा

4218. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण दिल्ली में सैकड़ों सरकारी विद्यालयों में विज्ञान नहीं पढ़ाई ज़ा रही;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में विज्ञान विषय कक्षा X तक पढ़ाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राडार स्थापित करना

4219. श्री उदय सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका स्थित एक कंपनी ने दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर राडार लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि इन दोनों हवाईअड्डों पर लगाए गए राडारों के महत्वपूर्ण पुर्जे निर्माताओं द्वारा बार-बार मरम्मत के बावजूद भी खराब हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कई बार खराब पुर्जों के बदलने के लिए निर्माताओं के पास अतिरिक्त पुर्जे नहीं होते; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1994 में "मुम्बई और दिल्ली में विमान परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण" के लिए संविदा के अंतर्गत दिल्ली तथा मुम्बई में संस्थापित राडारों की आपूर्ति मैसर्स रेयथॉन द्वारा की गई।

(ग) जी, नहीं। संस्थापित राडारों के मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम), मैसर्स रेयथॉन, हार्डवेयर मरम्मत सहायता संतोषजनक रूप से उपलब्ध करा रहे हैं।

(घ) और (ङ) विनिर्माता के पास पुर्जों की अनुपलब्धता की कोई घटना सामने नहीं आई है।

[हिन्दी]

गणित में रुचि का अभाव

4220. श्री हरीश चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में विज्ञान के प्रति कम होती रुचि के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों में गणित का अध्ययन कर रहे बच्चों की संख्या में नीचे दर्शाये गए अनुसार वृद्धि हो रही है:—

वर्ष	Xवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	XIIवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
2009	801981	361946
2010	882580	405297
2011	1045237	429140

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गणित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत Xवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों के लिए एक अनिवार्य विषय है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढ़ांचा 2005 के अंतर्गत नया गणित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। ये पाठ्यपुस्तकें बच्चों को स्कूली गणित के ज्ञान को स्कूलों से बाहर के जीवन से जोड़ने हेतु पर्याप्त अवसर मुहैया कराती है जिससे उनमें गणित के लिए रुचि पैदा करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल में पढ़ाये जाने वाले गणित के लिए निम्नलिखित सहायक सामग्री विकसित की है:—

(i) विभिन्न गणितीय संकल्पनाओं के संबंध में विद्यार्थियों को ठोस अनुभव मुहैया कराने हेतु उच्च प्राथमिक गणित किट और माध्यमिक गणित किट।

(ii) छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गणित में सेतु पाठ्यक्रम।

(iii) बालकों के लिए गणित में इंटेरेक्टिव-ई-कंटेंट।

(iv) गणित के अध्ययन की पूरक सामग्री अर्थात् गणित में उदाहरण समस्याएं आदि।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

4221. श्री हरिन पाठक :
श्री लालचन्द कटारिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना पर व्यय में केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या प्रतिदिन प्रति बालक आधार पर मध्याह्न भोजन के अंतर्गत भोजन में दाल, खाद्य तेल और सब्जियों सहित विभिन्न सामग्री की मात्रा और राष्ट्रीय/राज्यस्तर पर इन मदों की लागत निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में भिन्न-भिन्न लागत मानक और साथ ही मात्रात्मक दायित्व पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में मौजूद दरों के अनुसार विभिन्न दरों की लागत की गणना करने और भोजन पकाने की लागत सहित मदों पर राज्यों 75 प्रतिशत वास्तविक व्यय को पूर करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बढ़ती लागत के मद्देनजर तिमाही आधार पर भोजन पकाने की लागत की समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) मध्याह्न भोजन पकाने की लागत, रसोई-सह-भंडार के निर्माण और रसोइया-सह-सहायक के मानदेय को केन्द्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मध्य 90:10 के आधार पर और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75:25 के आधार पर विभाजित किया जाता है। खाद्यान्नों, परिवहन प्रभारों, मॉनीटरिंग, प्रबंध और मूल्यांकन लागतों, और रसोई उपस्करों का प्रावधान अनन्य रूप से भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विभिन्न सामग्रियों की निम्नलिखित मात्रा विनिर्दिष्ट की गई है:—

क्र.सं.	सामग्री	प्रतिदिन मात्रा	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जी (पत्तेदार भी)	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सीधे ही खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। दालों, सब्जियों, तेल और नमक जैसी अन्य सामग्रियों की लागत कुकिंग लागत में शामिल है जो प्राथमिक के लिए 2.89 रुपए और उच्च प्राथमिक के लिए 4.33 रुपए है।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों में दालों, सब्जियों, तेल, नमक हेतु बाजार में विभिन्न कीमतों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुकिंग लागत को समान रूप से नियत कर दिया गया है। कुकिंग लागत की लागत में वृद्धि के प्रभाव से निबटने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कुकिंग लागत में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कुकिंग लागत की तिमाही आधार पर समीक्षा हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मंत्रियों के विदेशी दौरे

4222. श्री हुक्मदेव नारायण यादव :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री सहित जिन मंत्रियों ने विदेश में दौरे किए उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके ब्यौरों पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके साथ उनके परिवार के सदस्य उक्त दौरों पर उनके साथ गए और किस एजेंसी ने उनका व्यय वहन किया; और

(घ) उनके साथ दौरों पर जाने वाले अधिकारियों पर कुल कितना व्यय हुआ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) माननीय प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की विदेशों की सरकारी यात्राओं से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

4223. श्री पी.टी. थॉमस :
श्री कमल किशोर 'कमांडो' :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री सी. शिवासामी :
श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी स्कूलों की अवसंरचना सुविधाओं में शिक्षा का अधिकार मानदंडों के अनुसार सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें शिक्षा का अधिकार मानदंडों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) प्रारंभिक स्तर पर स्कूल अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) निम्नलिखित की व्यवस्था करता है। (i) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए प्राथमिक स्कूल खोलना और प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में उन्नयन करना जिसमें पेयजल, बालकों

और बालिकाओं के लिए शौचालय, बाधा मुक्त पहुंच, हरित बाड़/चारदीवारी की व्यवस्था करना शामिल है, और (ii) नामांकन के आधार पर अतिरिक्त कक्षाकक्षों की व्यवस्था करना। सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ से लेकर 31.12.2011 तक 1.93 लाख प्राथमिक स्कूल और 1.07 लाख उच्च प्राथमिक स्कूल भवन, 16.02 लाख अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 5.84 लाख शौचालय और 2.21 लाख पेयजल सुविधाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ख) सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक स्कूलों में आरटीई मानदंडों के अनुपालन में राज्य-वार सुविधाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक स्कूलों में आरटीई मानदंडों के अनुपालन में राज्य-वार सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण (डीआईएसई 2010-11)

राज्य का नाम	कुल स्कूल	बालिका शौचालय वाले स्कूल	बाल शौचालय वाले स्कूल	पेयजल सुविधा वाले स्कूल	ढलान (रैम्प) वाले स्कूल	चारदीवारी वाले स्कूल	खेल के मैदान वाले स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	324	246	256	308	81	123	172
आंध्र प्रदेश	79358	40447	56818	69496	12632	35812	36661
अरुणाचल प्रदेश	4099	1120	1733	3133	136	1042	1082
असम	44371	21909	28246	37830	23918	12183	23272
बिहार	67920	25408	42998	62338	32481	30136	21156
चंडीगढ़	114	107	110	114	48	114	106
छत्तीसगढ़	46394	15579	25096	43317	18904	32699	16625
दादरा और नगर हवेली	273	146	187	262	68	99	84
दमन और दीव	86	69	82	86	40	77	47
दिल्ली	2772	2021	2129	2772	2117	2714	2082
गोवा	1055	649	882	1042	516	757	426
गुजरात	33550	23880	26469	32705	30509	29325	23307
हरियाणा	13520	11351	11288	13376	8668	12716	9647

1	2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश	15126	9787	11364	14700	7741	6307	9366
जम्मू और कश्मीर	22180	3854	8582	18738	2831	4809	6010
झारखंड	40526	24829	28375	35352	13512	8549	11469
कर्नाटक	46550	34627	42722	43595	33503	31067	25405
केरल	4950	4249	4617	4919	3733	4348	2701
लक्षद्वीप	46	29	40	46	27	21	12
मध्य प्रदेश	112012	37785	75857	100350	65678	38061	54086
महाराष्ट्र	68972	45689	61422	61559	58614	36622	37013
मणिपुर	2402	322	1256	2069	138	421	1244
मेघालय	7596	1735	4052	4343	1581	1116	2682
मिजोरम	2335	1562	1966	2031	1142	1384	757
नागालैंड	2100	1382	1779	1523	716	1593	878
ओडिशा	57177	21308	45128	50840	24370	33833	13933
पुदुचेरी	440	394	404	440	305	371	216
पंजाब	20234	19367	19918	20191	14823	19003	15511
राजस्थान	77513	72048	50839	72364	49858	54962	29621
सिक्किम	895	657	885	876	41	213	555
तमिलनाडु	36122	23345	29873	36122	26437	23523	25448
त्रिपुरा	4216	1788	3179	3457	2467	478	2617
उत्तर प्रदेश	151455	114247	132288	147861	122426	68376	109946
उत्तराखंड	17344	8806	15414	15985	7886	14087	9025
पश्चिम बंगाल	79119	38717	68627	75790	43121	23364	26763
कुल	1063146	609459	804881	979930	611068	530305	519925

[हिन्दी]

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

4224. **श्री इज्यराज सिंह :**
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :
श्री प्रेमदास राय :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री धनंजय सिंह :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
डॉ. रत्ना डे :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने भारत निर्माण तथा अन्य केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है और कुछ राज्यों में सरकार ने 25 प्रतिशत लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्य और उपलब्धि में ऐसे भारी अंतर के लिए किसी अनियमितता का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय पर लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क एजेंसी की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का भारत निर्माण योजना के तथा दिसंबर, 2012 तक 2,47,864 ग्राम पंचायतों में सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,47,463 (59.49%) ग्राम पंचायतों में सुविधा प्रदान कर दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान भारत निर्माण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कवरेज की राज्य-वार स्थिति विवरण-I के रूप में संलग्न है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पेनीट्रेशन बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अंतर्गत ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम की शुरूआत की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत बीएसएनएल 5 वर्ष की अवधि के दौरान अलग-अलग प्रयोक्ताओं और सरकारी संस्थाओं को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 3,58,978 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर-II (जैसा कि बीएसएनएल ने सूचित किया है) जैसे राज्यों में भारत निर्माण-II के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कवर करने की उपलब्धि धीमी (25% से कम) है। ऐसा इन राज्यों के कुछ भागों में अगम्य और कठिन भू-भाग तथा कानून और व्यवस्था की समस्या होने के कारण है।

(ग) और (घ) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई अनियमितता नहीं आई है।

(ङ) ट्राई ने दिनांक 8 दिसंबर, 2010 को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड प्लान (एनबीपी) पर अपनी सिफारिशें दी थीं। ट्राई ने अपनी सिफारिश में प्रस्ताव किया है कि राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर एजेंसी (एनओएफए) नामक केन्द्र सरकार के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी का निर्माण किया जाए।

सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्यार्थ दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सर्जन संबंधी स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व विधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए पंचायतों तक मौजूदा आप्टीकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है। इस परियोजना को 2 वर्षों में पूरा किया जाना है।

एनओएफएन परियोजना को, एक विशेष उद्देश्य साधन अर्थात भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), जो कि सरकार, बीएसएनएल, रेलटेल और पावरग्रिड की अक्विटी भागीदारी के साथ भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत केंद्रीय सरकरा के पूर्ण स्वामित्व वाली एक निगमित कंपनी है, के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। इस उद्देश्यार्थ कंपनी को दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है। बीबीएनएल वर्तमान में इस परियोजना (बोली दस्तावेज प्रक्रिया, कार्य की इकाई आदि) के कार्यान्वियन के तौर-तरीकों के संबंध में कार्य कर रहा है।

विवरण-I

दिनांक 31-03-2012 तक भारत निर्माण-II के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	56	56	5	0	6	0	56	83.58
2.	आंध्र प्रदेश	21862	10917	10917	2413	1701	8532	2045	14663	67.07
3.	असम	3943	693	693	629	312	2621	1309	2314	58.69
4.	बिहार	8460	1744	1744	2352	2472	4364	3795	8011	94.69
5.	छत्तीसगढ़	9837	2150	2150	1451	0	6236	0	2150	21.86
6.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सहित)	14439	7014	7014	1500	585	5925	0	7599	52.63
7.	हरियाणा	6234	3758	3758	2000	1484	476	409	5651	90.65
8.	हिमाचल प्रदेश	3241	1351	1351	653	309	1237	297	1957	60.38
9.	जम्मू और कश्मीर	4146	885	885	1189	0	2072	596	1481	35.72
10.	झारखंड	4559	30	30	1585	2507	2944	2046	4583	100.5
11.	कर्नाटक	5657	2460	2460	1500	970	1697	498	3928	69.44
12.	केरल	999	989	989	10	8	0	0	997	99.8
13.	लक्षद्वीप	10	5	5	5	0	0	0	5	50
14.	मध्य प्रदेश	23022	2711	2711	7103	1446	13208	14	4171	18.12
15.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28078	9366	9366	6272	928	12440	0	10294	36.66
16.	त्रिपुरा	1040	29	29	1000	825	11	194	1266	38.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मिजोरम	768	100	100	234	75	434			
18.	मेघालय	1463	0	0	200	43	1263			
19.	अरुणाचल प्रदेश	1756	70	70	500	266	1186	81	1459	24.82
20.	मणिपुर	3011	60	60	100		2851			
21.	नागालैंड	1110	982	982	128		0			
22.	उड़ीसा	6233	1379	1379	1400	711	3454	607	2697	43.27
23.	पंजाब	12809	9642	9642	1500	751	1667	707	11100	86.66
24.	चंडीगढ़	17	16	16	1	0	0	0	16	94.12
25.	राजस्थान	9200	2424	2424	2081	522	4695	0	2946	32.02
26.	तमिलनाडु	12617	7450	7450	1492	320	3675	1731	9501	75.3
27.	पुदुचेरी	98	98	98	0	0	0	0	98	100
28.	उत्तर प्रदेश	52125	10069	10069	14079	14358	27977	20898	45325	86.95
29.	उत्तराखंड	7546	1356	1356	1000	645	5190	618	2619	34.71
30.	पश्चिम बंगाल	3354	1295	1295	776	292	1283	923	2510	74.84
31.	सिक्किम	163	66	66	34	0	63	0	66	40.49
	जोड़	247864	79165	79165	53191	31530	115508	36768	147463	59.49

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान यूएसओएफ की ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्शन

सर्किल	उपलब्धि 2008-09 (20.01.09 से 31.03.09)	उपलब्धि 2009-10	उपलब्धि 2010-11	वर्ष 2011-12 के लिए कुल उपलब्धि	संचयी उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68	218	70	-56	300

1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1242	18994	18669	11471	50376
असम	171	1060	377	-280	1328
बिहार	23	1088	1521	-469	2163
छत्तीसगढ़	320	994	322	69	1705
चैन्ने दूरसंचार जिला	1	553	2827	2042	5423
गुजरात	1699	8434	17030	-7333	19830
हरियाणा	799	8419	2116	407	11741
हिमाचल प्रदेश	664	4469	2073	65	7271
जम्मू और कश्मीर	119	361	186	881	1547
झारखंड	220	863	308	-112	1279
कर्नाटक	2055	9857	10472	1329	23713
केरल	41	4413	16483	61759	82696
मध्य प्रदेश	231	2714	1033	385	4363
महाराष्ट्र	1539	15659	18992	-7775	28415
पूर्वोत्तर-I	1	39	613	74	727
पूर्वोत्तर-II	100	203	39	16	358
उड़ीसा	57	1419	3155	857	5488
पंजाब	4131	15688	7007	14775	41601
राजस्थान	834	6923	5545	3179	16481
तमिलनाडु	333	6284	10757	8711	26085
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	722	6559	1739	-1348	7672
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	75	1060	2002	-1415	1722

1	2	3	4	5	6
उत्तराखंड	32	716	516	3033	4297
पश्चिम बंगाल	302	4558	4765	2772	12397
कुल	15779	121545	128617	93037	358978

कुल लक्ष्य 888832

कुल उपलब्धि 358978

प्रतिशत उपलब्धि 40.4%

स्कीम के पूरा होने की निर्धारित तारीख 19.01.2014।

वर्ष 2011-12 के उपलब्धि कॉलम में – चिह्न से तात्पर्य कनेक्शनों की निवल वापसी से है।

[अनुवाद]

शिक्षा क्षेत्र के लिए नए दिशानिर्देश

4225. श्री के. सुधाकरण :
श्री सी. शिवासामी :
श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र की मूल संरचना में परिवर्तन करने तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी सुनिश्चित करने हेतु नए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में अब तक नए दिशानिर्देशों के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 25,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं; और

(च) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु स्वीकृत निधियों के उचित उपयोग की निगरानी के लिए उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1968, में कहा गया है कि देश के सभी भागों में व्यापक रूप से एक समान शैक्षिक ढांचा रखना लाभकारी होगा। 10+2+3 पैटर्न को अपनाना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसमें 10 वर्ष की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, 2 वर्ष की वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष की कॉलेज शिक्षा शामिल है। 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, में 10+2+3 ढांचे की आवश्यकता को दोहराया गया है और कहा गया है कि एक ऐसी प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की दिशा में बढ़ने के प्रयास किए जाएंगे जिसमें 5 वर्ष की प्राथमिक और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा शामिल हो।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968, 1986, 1992 के अनुरूप है। कई राज्य 7 वर्ष के प्रारंभिक शिक्षा चक्र का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें 4 वर्ष की प्राथमिक और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा शामिल है। इन राज्यों को सलाह दी गई है कि वे 5+3 पैटर्न को अपनाएं और सुनिश्चित करें कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। 5+3 के प्रारंभिक शिक्षा चक्र को अपनाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों के मानदंडों को संशोधित किया है ताकि अनुमोदित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और अतिरिक्त शिक्षक तथा शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

इसके अलावा, सर्वसुलभ पहुंच, स्कूल छोड़कर जाने की दर में कमी करने, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ (क) शिक्षा का अधिकार नियमावली में राज्य द्वारा पड़ोस के संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए स्कूल खोलना, (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराना, (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और संरचनागत सुविधाएं उपलब्ध कराना, (घ) सभी बालिकाओं, अनुसूचित, जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के लिए वर्दियों का प्रावधान करना, (ङ) स्कूल बाह्य बच्चों को मुख्य धारा में लाकर उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला देने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित व्यावसायिक अर्हताएं अर्जित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों में ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजट 2012-13 में 25,555 करोड़ रुपए के केन्द्रीय परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कड़ा निगरानी तंत्र मौजूद है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किए गए पैनल में शामिल चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षा, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया द्वारा समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं, राज्य सर्व शिक्षा अभियान वित्त नियंत्रकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें, प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों विभागों के माध्यम से क्षेत्र स्तरीय अनुवीक्षण, तथा इसके साथ-साथ कार्यक्रम प्रगति संबंधी स्वतंत्र समीक्षा मिशन शामिल हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालयों के लिए निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की पारदर्शी प्रणाली भी विद्यमान है।

[हिन्दी]

आवंटित ब्लॉकों में कोल रिजर्व्स

4226. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री अर्जुन राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2004 से 2009 के बीच आवंटित कोयला ब्लॉकों में आवंटन के समय उपलब्ध ब्लॉक-वार कोल-रिजर्व का ब्यौरा क्या है, और कितने ब्लॉक आवंटित किए गए थे;

(ख) सरकार को सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रत्येक कंपनी से कंपनी-वार, जिन्हें ब्लॉक आवंटित किए गए थे, कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) विगत तीन वर्षों में वर्ष-वार और चालू वर्ष में इन कोयला ब्लॉकों से कितना उत्पादन प्राप्त हुआ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 2004-2009 के दौरान आवंटित किए गए ब्लॉकों की संख्या सहित ऐसे कोयला ब्लॉकों में, आवंटन के समय अनुमानित कोयला भंडार का ब्यौरा ब्लॉक-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार को आवंटित किए गए कोयला ब्लॉकों से कोई निधि प्राप्त नहीं होती है। 2004-2009 के बीच आवंटित किए गए 154 कोयला ब्लॉकों में से 4 कोयला ब्लॉक में उत्पादन आरंभ हो गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कोयला ब्लॉकों से वार्षिक उत्पादन वर्ष-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कोयला ब्लॉकों के आवंटन का ब्यौरा

ब्लॉक की क्र.सं.	पार्टी का नाम	आवंटन की तारीख	व्यक्तिगत (आई) संयुक्त रूप से (जे)	आवंटित ब्लॉक	राज्य	निजी (पी) सरकारी (जी)	भूगर्भीय भंडार (मि.ट. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नालको	27.08.2004	आई	उत्कल "ई"	ओडिशा	जी	194

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	23.09.2004	आई	गिधमुरी	छत्तीसगढ़	जी	80.27
3.	छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	23.09.2004	आई	पतोरिया	छत्तीसगढ़	जी	269.25
4.	नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन	11.10.2004	आई	पकरी-बरवाडीह	झारखंड	जी	1600
5.	प. बंगाल खनन विकास ट्रेडिंग लि.	14.01.2005	आई	ट्रांस दामोदर	पश्चिम बंगाल	जी	103.15
6.	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	03.03.2005	आई	बरजोरा (नार्थ)	पश्चिम बंगाल	जी	85.49
7.	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	03.03.2005	आई	कागरा जॉयदेव	पश्चिम बंगाल	जी	196.15
8.	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	28.03.2005	आई	बेलगांव	महाराष्ट्र	पी	15.3
9.	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	26.04.2005	आई	पचवारा नार्थ	झारखंड	जी	125.71
10.	जयसवाल नेको लि.	13.05.2005	आई	मोइतरा	झारखंड	पी	215.78
11.	अभिजीत इनफ्रा. प्रा.लि.	26.05.2005	आई	ब्रिन्द्रा	झारखंड	पी	34.72
12.	अभिजीत इनफ्रा. प्रा.लि.	26.05.2005	आई	ससई	झारखंड	पी	26.35
13.	अभिजीत इनफ्रा. प्रा.लि.	26.05.2005	आई	मेरल	झारखंड	पी	17.05
14.	इलेक्ट्रोस्टील कार्स्टिग लि.	07.07.2005	आई	पर्वतपुर सेन्ट्रल	झारखंड	पी	231.22
15.	डोम्को स्मोकलेस फ्यूल प्रा.लि.	08.07.2005	आई	लालगढ़ (नार्थ)	झारखंड	पी	30
16.	टिस्को	11.08.2005	आई	कोतरी बसंतपुर	झारखंड	पी	148.4
17.	टिस्को	11.08.2005	आई	पचमो	झारखंड	पी	101.99
18.	ऊषा मार्टिन	24.08.2005	आई	लोहारी	झारखंड	पी	9.99
19.	कारपोरेट इस्पात लि.	02.092005	आई	चित्रपुर	झारखंड	पी	212.01
20.	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	आई	मरकी मंगली-II	महाराष्ट्र	पी	19
21.	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	आई	मरकी मंगली-III	महाराष्ट्र	पी	
22.	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	आई	मरकी मंगली-IV	महाराष्ट्र	पी	
23.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	10.11.2005	जे	तालाबीरा-II और III	उड़ीसा	जी	152.33

1	2	3	4	5	6	7	8
	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	10.11.2005	जे	तालाबीरा-II और III	ओडिशा	जी	
	हिंडालको इंडस्ट्रीज	10.11.2005	जे	तालाबीरा-II और III	ओडिशा	पी	
24.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	29.11.2005	जे	उत्कल-ए	ओडिशा	जी	333.4
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि./जिंदल थर्मल पावर लि.	29.11.2005	जे	उत्कल-ए	ओडिशा	पी	
	जिंदल स्टेनलैस स्टील लि.	29.11.2005	जे	उत्कल-ए	ओडिशा	पी	
	श्याम डीआरआई लि.	29.11.2005	जे	उत्कल-ए	ओडिशा	पी	
25.	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लि.	06.12.2005	आई	टाडीचेरला-I	आंध्र प्रदेश	जी	61.28
26.	मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग कॉरपोरेशन	12.01.2006	आई	अमेरिया	मध्य प्रदेश	जी	214.41
27.	मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग कॉरपोरेशन	12.01.2006	आई	अमेरिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश	जी	101.24
28.	झारखंड इस्पात प्रा.लि.	13.01.2006	जे	नार्थ धादू	झारखंड	पी	923.94
	पवनजय स्टील एंड पावर जनरेशन प्रा.लि.	13.01.2006	जे	नार्थ धादू	झारखंड	पी	
	इलेक्ट्रोस्टील कार्स्टिग लि.	13.01.2006	जे	नार्थ धादू	झारखंड	पी	
	आधुनिक एलॉएज एंड पावर लि.	13.01.2006	जे	नार्थ धादू	झारखंड	पी	
29.	भूषण लि.	13.01.2006	जे	बिजहान	ओडिशा	पी	130
	महावीर फेरो	13.01.2006	जे	बिजहान	ओडिशा	पी	
30.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	175.65
	अक्षय इन्वेसटमेंट प्रा.लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	
	छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	
	छत्तीसगढ़ विद्युत कॉपोरेशन लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	
	एमएसपी स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	

1	2	3	4	5	6	7	8
	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच) कंपनियों का कंसोर्टियम)	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	
31-32.	इस्पात गोदावरी	13.01.2006	जे	नैकिया-I+नैकिया-II	छत्तीसगढ़	पी	399
	इन्ड एग्रो सिनर्जी	13.01.2006	जे	नैकिया-I+नैकिया-II	छत्तीसगढ़	पी	
	श्री नकोदा इस्पात	13.01.2006	जे	नैकिया-I+नैकिया-II	छत्तीसगढ़	पी	
	वन्दना ग्लोबल लि.	13.01.2006	जे	नैकिया-I+नैकिया-II	छत्तीसगढ़	पी	
	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि.	13.01.2006	जे	नैकिया-I+नैकिया-II	छत्तीसगढ़	पी	
33.	भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	1042
	आधुनिक मैटेलिक्स लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	
	दीपक स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	
	आधुनिक कारर्पोरेशन लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	
	उड़ीसा स्पोंज आयरन लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	
	एसएमसी पावर जनरेशन लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	
	श्री मेटलिक्स लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	
	वीसा स्टील लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी	
34.	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	जे	गारे पालमा-IV/6	छत्तीसगढ़	पी	156
	नालवा स्पांज आयरन लि.	13.01.2006	जे	गारे पालमा-IV/6	छत्तीसगढ़	पी	
35.	जायसवाल नेक्को लि.	13.01.2006	जे	गारे पालमा-IV/8	छत्तीसगढ़	पी	107.2
36.	अल्ट्राटेक लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61
	सिंहल इंटरप्राइजेज	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	
	नव भारत कोलफील्ड लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	
	वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रा.लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	
	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	

1	2	3	4	5	6	7	8
	अंजनी स्टील प्रा.लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	
	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच कंपनियों का कंसोर्टियम)	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	
	सनफ्लाग आयरन स्टील लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	
37.	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	13.01.2006	जे	गोंडुलपारा	झारखंड	जी	140
	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	13.01.2006	जे	गोंडुलपारा	झारखंड	जी	
38.	नीलाचल आयरन एंड पावर जनरेशन	13.01.2006	जे	डुमरी	झारखंड	पी	18
	बजरंग इस्पात प्रा.लि.	13.01.2006	जे	डुमरी	झारखंड	पी	
39.	गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर लि.	13.01.2006	जे	निरद मालेगांव	महाराष्ट्र	पी	19.5
	गुप्ता कोलफील्ड्स एंड वाशरी लि.	13.01.2006	जे	निरद मालेगांव	महाराष्ट्र	पी	
40.	नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन	25.01.2006	आई	तलाईपल्ली	झारखंड	जी	965
41.	नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन	25.01.2006	आई	दुलंगा	ओडिशा	जी	260
42.	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि.	30.01.2006	आई		झारखंड	जी	2
43.	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि.	30.01.2006	आई		झारखंड	जी	1
44.	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि.	30.01.2006	आई		झारखंड	जी	2.5
45-46.	गुजरात राज्य विद्युत कॉरपोरेशन लि.	06.02.2006	जे	महानदी मछाकाटा	ओडिशा	जी	480
	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	06.02.2006	जे	महानदी मछाकाटा	ओडिशा	जी	720
47.	टाटा स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	जे	राधिकापुर (ईस्ट)	ओडिशा	पी	115
	इस्को इंडस्ट्रीज लि.	07.02.2006	जे	राधिकापुर (ईस्ट)	ओडिशा	पी	
	एसपीएस स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	जे	राधिकापुर (ईस्ट)	ओडिशा	पी	

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	एस्सार पावर लि.	12.04.2006	जे	महान	मध्य प्रदेश	पी	144.2
	हिंडालको इंडस्ट्रीज	12.04.2006	जे	महान	मध्य प्रदेश	पी	
49.	रूंगटा माइन्स लि.	25.04.2006	जे	बुन्दु	झारखंड	पी	102.52
50.	रूंगटा माइन्स लि.	25.04.2006	जे	राधिकापुर (वेस्ट)	ओडिशा	पी	210
	ओसीएल इंडिया लि.	25.04.2006	जे	राधिकापुर (वेस्ट)	ओडिशा	पी	
	ओसियन इस्पात लि.	25.04.2006	जे	राधिकापुर (वेस्ट)	ओडिशा	पी	
51.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	02.08.2006	आई	परसा	छत्तीसगढ़	जी	150
52.	छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवेलपमेंट कारपो.लि.	02.08.2006	आई	गारे-पालमा, सेक्टर-I	छत्तीसगढ़	जी	900
53.	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपो.	02.08.2006	जे	गारे-पालमा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़	जी	768
	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड,	02.08.2006	जे	गारे-पालमा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़	जी	
54.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिग कारपो.	02.08.2006	आई	मोरगा-II	छत्तीसगढ़	जी	250
55.	गुजरात मिनरल डेवेलपमेंट कारपो.	02.08.2006	आई	मोरगा-II	छत्तीसगढ़	जी	350
56.	एमएमटीसी	02.08.2006	आई	गोमिया	झारखंड	जी	355
57.	झारखंड खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	आई	पिनद्रा-देवीपुर	झारखंड	जी	110
58.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	02.08.2006	आई	सराय	झारखंड	जी	202
59.	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	02.08.2006	आई	राजबर ई एंड डी	झारखंड	जी	385
60.	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	आई	लेटहर	झारखंड	जी	220
61.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	02.08.2006	आई	दोनगिरी ताल-II	मध्य प्रदेश	जी	175
62.	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	02.08.2006	आई	मरकी-जोहरी-जामानी-अद्वकोरी	महाराष्ट्र	जी	11

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली	02.08.2006	जे	मारा-II महान	मध्य प्रदेश	जी	477.50
	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि. (एचपीजीसीएल)	02.08.2006	जे	मारा-II महान		जी	477.50
64.	ओडिशा खनन निगम	02.08.2006	जे	नौगाव तेलीसाही	ओडिशा	जी	733
	आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	जे	नौगाव तेलीसाही	ओडिशा	जी	
65.	प. बंगाल खनन विकास टेंड्रिग कारपो.	02.08.2006	आई		पश्चिम बंगाल	जी	335
66.	प. बंगाल खनन विकास टेंड्रिग कारपो.	02.08.2006	आई		पश्चिम बंगाल	जी	210
67.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मीनाक्षी	ओडिशा	पी	285.24
68.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.200	आई	मीनाक्षी बी	ओडिशा	पी	250
69.	विद्युत वित्त निगम उड़ीसा यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मीनाक्षी डीप साइड	ओडिशा	पी	350
70.	विद्युत वित्त निगम सासन यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मोहेर	मध्य प्रदेश	पी	402
71.	विद्युत वित्त निगम सासन यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मोहेर-अमलोहरी विस्तार	मध्य प्रदेश	पी	198
72.	विद्युत वित्त निगम सासन यूएमपीपी	26.10.2006	आई	छत्रसाल	मध्य प्रदेश	पी	150
73.	चमन मैटलिक्स लि.	20.02.2007	आई	कोसर डोंगरगांव	महाराष्ट्र	पी	22.51
74.	बांकुरा डीआरआई माइनिंग मैन्युफैक्चर्स कं. प्रा.लि.	20.02.2007	आई	बिहारीनाथ	पश्चिम बंगाल	पी	95.16
75.	एस्सार विद्युत जनरेशन लि.	20.02.2007	आई	चकला	झारखंड	पी	83.05
76.	जिंदल स्टील एंड विद्युत लि.	20.02.2007	आई	जीतपुर	झारखंड	पी	81.09
77.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	11.04.2007	आई	सीतनाला	झारखंड	जी	108.8
78.	प्रिज्म सीमेंट लि.	29.05.2007	आई	सिआल घोघरी	मध्य प्रदेश	पी	30.38
79.	एसकेएस इस्पात लि.	29.05.2007	आई	रावनवारा नार्थ	मध्य प्रदेश	पी	174.07
80-81.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.07.2007	जे	चेंदीपारा चेंदी-II	ओडिशा	जी	794.5

1	2	3	4	5	6	7	8
	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	जे	चेंदीपारा चेंदी-II	ओडिशा	जी	500
	महाजेनको	25.07.2007	जे	चेंदीपारा चेंदी-II	ओडिशा	जी	294.5
82.	केरला राज्य विद्युत बोर्ड	25.07.2007	जे	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा	जी	200.66
	ओडिशा हाइड्रो विद्युत जनरेशन निगम	25.07.2007	जे	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा	जी	200.66
	गुजरात विद्युत जनरेशन निगम	25.07.2007	जे	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा	जी	200.66
83.	असम खनिज विकास निगम	25.07.2007	जे	मंदाकिनी बी	ओडिशा	जी	300
	मेघालय खनिज विकास निगम	25.07.2007	जे	मंदाकिनी बी	ओडिशा	जी	300
	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड चेन्नई	25.07.2007	जे	मंदाकिनी बी	ओडिशा	जी	300
	ओडिशा खनन निगम	25.07.2007	जे	मंदाकिनी बी	ओडिशा	जी	300
84.	ओडिशा विद्युत जनरेशन निगम	25.07.2007	आई	मनोहरपुर	ओडिशा	जी	181.68
85.	ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन	25.07.2007	आई	डीप साइड मनोहरपुर	ओडिशा	जी	350
86.	गुजरात खनिज विकास निगम	25.07.2007	जे	नैनी	ओडिशा	जी	500
	पीआईपीडीआईसीएल	25.07.2007	जे	नैनी	ओडिशा	जी	
87.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	25.07.2007	जे	ऊरमा पहाड़ीटोरा	झारखंड	जी	437
	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	जे	ऊरमा पहाड़ीटोरा	झारखंड	जी	263
88.	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	पतरातू	झारखंड	जी	450
89.	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	राबोडीह ओसीपी	झारखंड	जी	133
90.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कॉर्पो.	25.07.2007	आई	जगन्नाथपुर ए	प. बंगाल	जी	273
91.	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कॉर्पो.	25.07.2007	आई	जगन्नाथपुर बी	प. बंगाल	जी	176
92.	आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	सुलियारी	मध्य प्रदेश	जी	75
93.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	मरकी बरका	मध्य प्रदेश	जी	80
94.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	आई	शंकरपुर भटगांव-II	छत्तीसगढ़	जी	80.13

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	मोरगा-III	छत्तीसगढ़	जी	35
96.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	मोरगा-IV	छत्तीसगढ़	जी	35
97.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	आई	सोन्धियाँ	छत्तीसगढ़	जी	70
98.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	सेमरिया/पीपरिया	मध्य प्रदेश	जी	38.62
99.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	शाहपुर ईस्ट	मध्य प्रदेश	जी	42
100.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	शाहपुर वेस्ट	मध्य प्रदेश	जी	42
101.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	बिचारपुर	मध्य प्रदेश	जी	36
102.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	मांडला साउथ	मध्य प्रदेश	जी	72
103.	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	वरोरा	महाराष्ट्र	जी	73
104.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.06.2007	आई	परसा ईस्ट	छत्तीसगढ़	जी	180
105.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.06.2007	आई	कांताबासन	छत्तीसगढ़	जी	180
106.	पुष्प इस्पात एवं माइनिंग लि.	16.07.2007	आई	ब्रहमपुरी	मध्य प्रदेश	पी	55.05
107.	विद्युत वित्त निगम तिलैया यूएमपीपी झारखंड	20.07.2007	आई	केरनदारी बीसी	झारखंड	पी	972
108.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज	01.08.2007	जे	तुबेड	झारखंड	पी	189
	टाटा पावर लि.	01.08.2007	जे	तुबेड	झारखंड	पी	
109.	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	17.09.2007	आई	मांडला नार्थ	मध्य प्रदेश	पी	194.96
110.	एस्सार पावर लि.	06.11.2007	आई	अशोक करकट्टा सेन्ट्रल	झारखंड	पी	110
111.	भूषण विद्युत एवं इस्पात लि.	06.11.2007	आई	पत्तल ईस्ट	झारखंड	पी	200
112.	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्रा.लि.	06.11.2007	आई	सयांग	छत्तीसगढ़	पी	150
113.	डीबी विद्युत लि.	06.11.2007	आई	दुर्गापुर-II/सारया	छत्तीसगढ़	पी	91.67

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	बाल्को	06.11.2007	आई	दुर्गापुर-II/ ताराईमर	छत्तीसगढ़	पी	211.37
115.	अदानी विद्युत लि.	06.11.2007	आई	लोहार वेस्ट विस्तार	महाराष्ट्र	पी	169.832
116.	सावा इस्पात लि.	06.11.2007	जे	अर्धग्राम	प. बंगाल	पी	121
	जयबालाजी स्पोंज लि.	06.11.2007	जे	अर्धग्राम	प. बंगाल	पी	122
117.	पश्चिम बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग निगम	27.12.2007	आई	सीतारामपुर	प. बंगाल	जी	210
118.	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	09.01.2008	जे	मंदाकिनी	ओडिशा	पी	96.84
	जिंदल फोटो लि.	09.01.2008	जे	मंदाकिनी	ओडिशा	पी	96.84
	टाटा पावर कंपनी लि.	09.01.2008	जे	मंदाकिनी	ओडिशा	पी	96.84
119.	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	09.01.2008	जे	सेरेगढ़	झारखंड	पी	83.33
	जीपीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लि.	09.01.2008	जे	सेरेगढ़	झारखंड	पी	66.67
120.	सीईएससी लि.	09.01.2008	जे	माहुआगढ़ी	झारखंड	पी	110
	जैश इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा.लि.	09.01.2008	जे	माहुआगढ़ी	झारखंड	पी	
121.	जिंदल इस्पात एवं विद्युत लि.	17.01.2008	जे	अमरकोण्डा मुर्गादांगल	झारखंड	पी	205
	गगन स्पोंज आयरन प्रा.लि.	17.01.2008	जे	अमरकोण्डा मुर्गादांगल	झारखंड	पी	205
122-123.	स्टरलाइट एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया एंड डीप साईड ऑफ रामपिया	ओडिशा	पी	112.22
	जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया एंड डीप साईड ऑफ रामपिया	ओडिशा	पी	112.22

1	2	3	4	5	6	7	8
	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि. (सीपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया एंड डीप साइड ऑफ रामपिया	ओडिशा	पी	84.16
	लेन्को ग्रुप लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया एंड डीप साइड ऑफ रामपिया	ओडिशा	पी	112.22
	नवभारत विद्युत प्रा.लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया एंड डीप साइड ऑफ रामपिया	ओडिशा	पी	112.22
	रिलायंस एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया एंड डीप साइड ऑफ रामपिया	ओडिशा	पी	112.22
124.	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12
	आर.के.एम. पवाररजेन प्रा.लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12
	वीसा विद्युत लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12
	ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12
	वंदना विद्युत लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	53.52
125.	एसकेएस इस्पात एवं विद्युत लि.	06.02.2008	जे	फतेहपुर	छत्तीसगढ़	पी	73.85
	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	06.02.2008	जे	फतेहपुर	छत्तीसगढ़	पी	46.15
126.	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पो. लि.	11.04.2008	जे	जोगेश्वर एंड खास जोगेश्वर	झारखंड	जी	84.03
127.	रूंगटा माइंस लि.	14.05.2008	जे	चोरीटांड तैलिया	झारखंड	पी	18.7
	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	14.05.2008	जे	चोरीटांड तैलिया	झारखंड	पी	8.72
128.	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	05.06.2008	जे	रोहने	झारखंड	पी	172.53
	भूषण पावर एंड स्टील लि.	05.06.2008	जे	रोहने	झारखंड	पी	60.23
	जयबालाजी इंडस्ट्रीज लि.	05.06.2008	जे	रोहने	झारखंड	पी	17.23

1	2	3	4	5	6	7	8
129.	महाजेनको (मैसर्स औरंगाबाद का.लि. एसपीवी)	17.07.2008	आई	भिवकुण्ड	महाराष्ट्र	जी	100
130.	राठी उद्योग लि.	05.08.2008	आई	केसला नार्थ	झारखंड	पी	36.15
131.	बिहार स्पंज आयरन लि.	05.08.2008	आई	मचरकुण्डा	मध्य प्रदेश	पी	23.86
132.	मिडईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील्स लि.	05.08.2008	आई	टांडसी-III एवं टांडसी-III (विस्त.)	मध्य प्रदेश	पी	17.39
133.	बिरला कॉरपोरेशन लि.	12.08.2008	आई	बिक्रम	छत्तीसगढ़	पी	20.98
134.	गोवा इंडूस्ट्रीयल विकास निगम	12.11.2008	आई	गारे पालमा सेक्टर-III	झारखंड	जी	210.2
135.	मुकुंद लिमिटेड	20.11.2008	जे	राजहारा नार्थ (सेंटल एंड ईस्टर्न)	झारखंड	पी	10.05
	विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि.	20.11.2008	जे	राजहारा नार्थ (सेंटल एंड ईस्टर्न)	महाराष्ट्र	पी	7.04
136.	महाराष्ट्र सिमलेस लि.	21.11.2008	जे	गोंडखारी	महाराष्ट्र	पी	29.91
	धारीवाल इंफ्रास्टक्चर (प्रा.) लि.	21.11.2008	जे	गोंडखारी	महाराष्ट्र	पी	23.93
	केसोराम इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	जे	गोंडखारी	मध्य प्रदेश	पी	44.87
137.	कमल स्पोंज स्टील एवं पावर लि.	21.11.2008	जे	थेसगोरा-बी/ रुद्रपुरी	मध्य प्रदेश	पी	30.67
	रेवती सीमेंट प्रा.लि.	21.11.2008	जे	थेसगोरा-बी/ रुद्रपुरी	छत्तीसगढ़	पी	14.37
138.	इलैक्ट्रोथोर्म (इंडिया) लि.	21.11.2008	जे	भाष्करपारा	छत्तीसगढ़	पी	24.69
	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	जे	भाष्करपारा	ओडिशा	पी	22.22
139.	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	27.02.2009	आई	रामचांदी प्रोमोशन ब्लॉक	ओडिशा	पी	1500

1	2	3	4	5	6	7	8
140.	स्ट्रेटेजिक एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लि. (एसइटीएसएल)	27.02.2009	आई	नार्थ ऑफ अरखापल श्रीरामपुर	झारखंड	पी	1500
141.	रूंगटा खान लि.	28.05.2009	जे	मेदनीराई	झारखंड	पी	80.83
	कोहिनूर स्टील (प्रा.) लि.	28.05.2009	जे	मेदनीराई	झारखंड	पी	
142.	टाटा स्टील लि.	28.05.2009	जे	गणेशपुर	झारखंड	पी	137.88
	आधुनिक थर्मल एनर्जी लि.	28.05.2009	जे	गणेशपुर	झारखंड	पी	
143.	एएमआर आयरन एंड स्टील प्रा.लि.	29.05.2009	जे	बंदेर	महाराष्ट्र	पी	31.53
	सेंचूरी टेक्सटाईल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.	29.05.2009	जे	बंदेर	महाराष्ट्र	पी	47.29
	जे.के. सिमेंट लि.	29.05.2009	जे	बंदेर	महाराष्ट्र	पी	47.29
144.	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	29.05.2009	जे	खप्पा एवं विस्तार	महाराष्ट्र	पी	53.6
	डालमिया सीमेंट (भारत) लि.	29.05.2009	जे	खप्पा एवं विस्तार	महाराष्ट्र	पी	31.12
145.	मोनेट इस्पात और एनर्जी लि.	03.06.2009	जे	राजगमर डीप साइड (साउथ ऑफ पुलाकडीह नाला)	छत्तीसगढ़	पी	49.93
	टोपवर्थ स्टील प्रा.लि.	03.06.2009	जे	राजगमर डीप साइड (साउथ ऑफ पुलाकडीह नाला)	छत्तीसगढ़	पी	11.77
146.	आईएसटी स्टील एंड पावर लि.	17.06.2009	जे	दाहेगांव/ मकरधाकरा-IV	महाराष्ट्र	पी	70.74
	गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	17.06.2009	जे	दाहेगांव/ मकरधाकरा-IV	महाराष्ट्र	पी	36
	लफार्ज इंडिया प्रा.लि.	17.06.2009	जे	दाहेगांव/ मकरधाकरा-IV	महाराष्ट्र	पी	25.26
147.	करनपुरा एनर्जी लि. (एसपीवी ऑफ जेएसईबी)	26.06.2009	जे	मौर्या	झारखंड	पी	225.35

1	2	3	4	5	6	7	8
148.	भूषण स्टील लि.	03.07.2009	जे	अंदल ईस्ट	पश्चिम बंगाल	पी	237.23
	जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	03.07.2009	जे	अंदल ईस्ट	पश्चिम बंगाल	पी	229.5
	रशमी सीमेंट लि.	03.07.2009	जे	अंदल ईस्ट	पश्चिम बंगाल	पी	233.27
149.	हिमाचल ईएमटीए पावर लि.	10.07.2009	जे	गौरंगडीह एबीसी	पश्चिम बंगाल	पी	68.85
	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	10.07.2009	जे	गौरंगडीह एबीसी	पश्चिम बंगाल	पी	68.85
150.	अकलतारा पावर लि. (एसपीवी ऑफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	आई	पुटा परोगिया	छत्तीसगढ़	पी	692.16
151.	अकलतारा पावर लि. (एसपीवी ऑफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	आई	पिनदराखी	छत्तीसगढ़	पी	421.51
152.	रामस्वरूप लौह उद्योग लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुजोर	पश्चिम बंगाल	पी	685.39
	आधुनिक कारपारेशन लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुजोर	पश्चिम बंगाल	पी	
	उत्तम गालवा स्टील्स लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुजोर	पश्चिम बंगाल	पी	
	हावड़ा गैसेज लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुजोर	पश्चिम बंगाल	पी	
	विकास मेटल एंड पावर लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुजोर	पश्चिम बंगाल	पी	
	एसीसी लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुजोर	पश्चिम बंगाल	पी	
153.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	12.10.2009	जे	उर्तन नार्थ	मध्य प्रदेश	पी	46.55
	मोनेट इस्पात और एनर्जी लि.	12.10.2009	जे	उर्तन नार्थ	मध्य प्रदेश	पी	23.27

विवरण-II

2004-2009 के दौरान आवंटित कोयला ब्लॉकों से उत्पादन का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कोल ब्लॉकों के नाम	उत्पादन मि.ट.			
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	बेलगांव	0.051	0.14	0.114	0.14

1	2	3	4	5	6	7
2.	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि.	पर्बतपुर	0.013	0.055	0.034	0.097
3.	दामोदर वैली कारपो.	बरजोरा नार्थ	–	–	0.021	0.98
4.	विरांगना आयरन एंड स्टील लि.	मरकी मगली-III	–	–	0	0.037

रिश्वत के मामलों में वृद्धि

4227. श्रीमती रमा देवी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रिश्वत देने वालों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) कोई भी केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसने रिश्वत देने वालों के विरुद्ध पिछले तीन वर्ष अर्थात 2009, 2010, 2011 और 2012 (31.03.2012 तक) के दौरान 36 मामले दर्ज किए हैं। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या
1	2
2009	7
2010	12
2011	15
2012 (31.03.2012 तक)	2
कुल	36

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 में उकसाने वालों के रूप में रिश्वत देने वालों के लिए सजा निर्धारित की गई है। तथापि, केंन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत-लेनदेन के संबंध में उपर्युक्त अवधि के दौरान ट्रैप के 737 मामले दर्ज किए हैं।

(ग) से (ङ) इस बारे में सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार "भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं" की अपनी नीति कार्यान्वित करने के लिए पूर्णतया जागरूक तथा वचनबद्ध है तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हाल ही में इसने कई कदम उठाए हैं जिसमें शामिल हैं:–

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना और लोकहित प्रकटन तथा प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 को लोक सभा में दिनांक 26 अगस्त, 2010 को पुरःस्थापित करना (लोक सभा द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को पारित);

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर, वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में पूर्वसक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; राज्य सरकारों को भी मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने की सलाह दी गई है;

(vi) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना;

(viii) संसद में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन;

(ix) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कंवेशन का 2011 में अनुसमर्थन;

(x) विदेशी लोक पदाधिकारियों और लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 का लोक सभा में पुर:स्थापन;

(xi) न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुर:स्थापन (लोक सभा द्वारा दिनांक 29.03.2012 को पारित);

(xii) केंद्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा केंद्र सरकार के अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी को जन व्यापी बनाया जाना; और

(xiii) वस्तुओं और सेवाओं की सूमय-बद्ध सुपुर्दगी संबंधी-सिटीजन और शिकायत निवारण विधेयक, 2011 को दिनांक 20.12.2011 को लोक सभा में पुर:स्थापित करना।

[अनुवाद]

घटिया उपहारों की खरीद

4228. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री पी. लिंगम :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के प्रोटोकॉल प्रभाग में राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और उच्च पदाधिकारियों द्वारा विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों को भेंट करने हेतु बहुत अधिक कीमत पर घटिया उपहारों की खरीद में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) मई, 2011 में मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि इस मंत्रालय के प्रोतोकोल प्रभाग द्वारा खरीदे गए कुछ उपहार वांछित गुणवत्ता तथा विशिष्टता के अनुसार नहीं थे।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की थी, जिसमें इस मामले में प्रथम दृष्टया मंत्रालय के अधिकारियों की संलिप्तता अथवा सहापराधिता को स्थापित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, इस मामले की विस्तृत जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी दी गई है, जो चल रही है।

एग्जिट पॉलिसी

4229. **डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :**
डॉ. सुचारु रंजन हल्दर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीओटी ने टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए एग्जिट पॉलिसी के संबंध में मामला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पास भेजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या रहा;

(ग) क्या ट्राई की एग्जिट पॉलिसी पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11(4) के तहत अपेक्षित अनुसार इस बारे में सलाह लेने की योजना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की अपने राजस्व को बचाने ओष एग्जिट पॉलिसी के मामले में निजी कपंनी को होने वाले अकस्मात लाभ को रोकने हेतु क्या योजना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ङ) दूरसंचार विभाग ने उन लाइसेंसधारियों, जो एक लाइसेंस के तहत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान से बाहर निकलना चाहते हैं, के लिए निकास नीति के संबंध में दिनांक 10 अक्तूबर, 2011 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें मांगी हैं।

ट्राई ने दिनांक 6 जनवरी, 2012 को "विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों हेतु निकास-नीति" के संबंध में एक परामर्श-पूर्व दस्तावेज जारी किया है जिसके द्वारा अलग-अलग लाइसेंसधारकों, सरकार के राजस्व तथा समग्र रूप से दूरसंचार क्षेत्र को होने वाली सुविधा, असुविधा, मुद्दों निहितार्थ के बारे में सभी स्टेकधारियों के विचार/टिप्पणियां मांगी गई थीं। इसके बाद, दिनांक 26 मार्च, 2012 को ट्राई ने स्टेकधारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने और परामर्श करने हेतु "विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों" हेतु निकास-नीति के संबंध में प्रत्युत्तर प्रारुप दस्तावेज जारी किया। ट्राई ने, प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर "विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों हेतु निकास-नीति" पर दिनांक 18 अप्रैल, 2012 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुशंसित किया गया है कि:—

(1) फिलहाल, सभी प्रकार के लाइसेंसों के लिए अलग से निकास-नीति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और लाइसेंसधारकों द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क उनके लाइसेंस निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार 'अप्रतिदेय' बना रहेगा।

(2) लाइसेंसों के अभ्यपर्ण के संबंध में विभिन्न लाइसेंसों में मौजूदा शर्तें, जिनके द्वारा लाइसेंसधारक कम से कम 60 कैलेंडर दिनों (आईएसपी लाइसेंस के माले में 30 कैलेंडर दिन) का अग्रिम नोटिस देकर अपना लाइसेंस अभ्यर्पित कर सकता है, लागू रहेंगी।

विद्यालयों में स्वास्थ्य कार्यक्रम

4230. शेख सैदुल हक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का विचार स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से विद्यालयों में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिसरण में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की अर्धवार्षिक जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, डायरन फोलिक ऐसिड, विटामिन ए और कृमिनाशक गोलियां भी बच्चों में बांटी जाती हैं। इसका पुनरीक्षण राज्यों के साथ कार्यक्रमम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में किया जाता है।

बीएसएनएल में नैमित्तिक कर्मी

4231. श्री पी.आर. नटराजन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि अनुसार राज्य-वार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में कार्यरत नैमित्तिक कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनकी दिहाड़ी समान पारितोषिक अधिनियम अनुसार आईडीए दिहाड़ी के अनुसार निर्धारित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नैमित्तिक श्रमिकों के आईडीए पर मासिक दिहाड़ी निर्धारित करने के लिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) एमटीएनएल में अनियत कर्मचारियों की संख्या शून्य हैं। बीएसएनएल में इस प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 3361 है। अनियत कर्मचारियों का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) बीएसएनएल के अनियत कर्मचारियों को समूह 'घ' केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान तथा महंगाई भत्ते के न्यूनतम 1/30 की दर से भुगतान किया जा रहा है जोकि 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' के अनुसार मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी से अधिक

है। ये मजदूरी भी 'एकसमान पारिश्रमिक अधिनियम' में निहित प्रावधान के अनुसार है। इन अनियत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि एवं ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जा रही है।

विवरण

अनियत कर्मचारियों की सर्किल-वार संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	अनियत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	110
2.	असम	219
3.	बिहार	16
4.	गुजरात	184
5.	जम्मू और कश्मीर	26
6.	हिमाचल प्रदेश	127
7.	कर्नाटक	8
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	महाराष्ट्र	18
10.	पूर्वोत्तर-I	191
11.	पूर्वोत्तर-II	140
12.	ओडिशा	4
13.	राजस्थान	29
14.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	14
15.	पश्चिम बंगाल	2215
16.	चैन्नै दूरसंचार जिला	3
17.	पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र	37
18.	उत्तर दूरसंचार क्षेत्र	1
19.	उत्तरी दूरसंचार परियोजना	8
20.	पश्चिमी दूरसंचार परियोजना	2
21.	पूर्वोत्तर टास्क फोर्स	7

विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा

4232. श्री खगेन दास : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की परियोजना के कारण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के पुलिवेनडुला क्षेत्र में पांच गांवों ने अपनी जमीन खो दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में पुलिवेनडुला में शिकायत निवारण समिति की एक बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यूसीआईएल की परियोजना के कारण अपनी भूमि खोने वाले ग्रामवासियों को अब तक प्रदान की गई रियायत का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शिकायत निवारण समिति की इससे पूर्व भी बैठकें हुई थीं; और

(छ) यदि हां, तो बैठकों की संख्या, दिए गए आश्वासनों और पूरे किए गए आश्वानों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अंतर्गत एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा (वाईएसआर) जिले के पुलिवेनडुला क्षेत्र के चार गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया है।

(ख) ये गांव हैं, तुम्मल्लापल्ली (322.73 एकड़), मबुचिन्टलापल्ली

(96.74 एकड़), रचकुंटापल्ली (269.99 एकड़) और के.के. कोट्टला (11.56 एकड़)।

(ग) जी, हां।

(घ) 17.03.2012 को बैठक आयोजित हुई थी। तथापि, कुछ सदस्यों द्वारा समिति के गठन के बारे में किए गए विरोध के कारण वह बैठक स्थगित/निलंबित की गई थी।

(ङ) चार गांवों के भू-स्वामियों को मुआवजे के तौर पर अब तक रुपए 9,65,05,960/- (नौ करोड़ पैंसठ लाख पांच हजार नौ सौ साठ हजार केवल) की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ऐसे भूमि विहीन व्यक्तियों के 204 नामितों को यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में रोजगार प्रदान किया गया है।

(च) जी, हां।

(छ) शिकायत निवारण समिति द्वारा पूर्व में 02.07.2011, 09.12.2011, 11.01.2012 और 17.03.2012 को पांच बैठकें आयोजित की गई थीं जिनमें निम्नलिखित मुद्दों को उठाया गया था:—

(i) जल की गुणवत्ता और भू-जल के स्तर की जांच

(ii) भू-विस्थापित व्यक्तियों के नामितों को रोजगार

(iii) अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण।

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) उपर्युक्त मुद्दों को हल करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

ईंधन आपूर्ति समझौता

4233. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन आपूर्ति समझौते से न तो कोल इंडिया लिमिटेड और न ही जनता को कोई लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का 80 प्रतिशत कोयला तुलनात्मक आयातित कोयले की लैण्डेड लागत के 70 प्रतिशत बट्टे पर एफएसए के अंतर्गत बेचा जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि घूस देने की इच्छुक फर्मों को एफएसए प्रदान किए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो राजकोष को होने वाली क्षति को और छूट पर कोयला खरीदने वाली कंपनियों के अत्यधिक लाभ को रोकने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) अक्तूबर, 2007 की नई कोयला वितरण नीति के प्रावधानों के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों और इसके उपभोक्ताओं के बीच संपन्न किए जाते हैं जो सम्पन्न एफएसए के सहमत नियम एवं शर्तों पर कोयला कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच लेन-देन को सुकर बनाते हैं।

(ग) और (घ) सीआईएल द्वारा ई-नीलामी के अंतर्गत बेचे गए कोयले को छोड़कर, जो इस समय अपनी वार्षिक कोयला उत्पादन का लगभग 10-11% है, अन्य सभी क्षेत्रों को कोयले की बिक्री अधिसूचित मूल्य पर ईंधन आपूर्ति करार के माध्यम से की जाती है। सीआईएल ने अनुमान लगाया है कि गैर-कोकिंग कोयले के वर्तमान अधिसूचित मूल्य तुलनीय आयातित गैर-कोकिंग कोयले की अवतरित लागत की तुलना में 15% से 65% के बीच में कम है।

(ङ) ऐसा कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न के भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हज यात्रियों के लिए सुविधाएं

4234. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार द्वारा हज यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारें भी इसमें योगदान देती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) भारत सरकार भारतीय हज समिति के समन्वय से निम्नलिखित के माध्यम से हज यात्रा में सहयोग करती है– (i) मक्का, मदीना और जेद्दा में रहने की व्यवस्था और अन्य संभारतंत्रीय सहयोग करके, (ii) हज के दौरान हाजियों की सहायता करने के लिए डाक्टरों और पारामेडिक्स, समन्वयकों, सहायक हज अधिकारियों, हज सहायकों और खादिम-उल-हुज्जाज की प्रतिनियुक्ति करके, (iii) मक्का, मीना, अराफात, मुजदलीफा और मदीना में हाजियों के लिए अस्पतालों, औषधालयों और एंबुलेंसों की स्थापना करके और उनके लिए दवाईयों की आपूर्ति करके, (iv) भारत के 21 उड़ान स्थलों से जेद्दा जाने और वापसी की हवाई यात्रा को आसान बनाकर, (v) प्रशिद्वाकों को प्रशिक्षण देकर जो इसके बदले में हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने से पूर्व हाजियों को इस यात्रा के बारे में जानकारियां देते हैं। वार्षिक हज समीक्षा बैठक में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है और प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें राज्य हज समितियों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविरों, पोलियो तथा मेनिन्जाइटिस से बचाव के लिए टीके और हाजियों के प्रस्थान करने से पूर्व सभी उड़ान स्थलों पर पारगमन आवास की व्यवस्था करती हैं।

[अनुवाद]

शीर्ष संस्थानों को नवाचारी विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना

4235. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शीर्ष संस्थानों को नवाचारी विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार अब तक कितने संस्थानों को नवाचारी विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया गया है;

(ग) देश में जिन संस्थानों को नवाचारी विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जाना बाकी है, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इन चयनित संस्थानों को कब तक नवाचारी विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) ऐसे विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि सरकार देश में अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इस विधेयक में वर्तमान विश्वविद्यालयों को अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय में बदलने की भी व्यवस्था है।

चीन द्वारा अवसंरचना का विकास

4236. श्री निशिकांत दुबे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-चीन सीमा पर रेल नेटवर्क सहित विभिन्न अवसंरचनात्मक/विकासात्मक कार्यों को संज्ञान में लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन भारत के सीमा क्षेत्रों के सामने तिब्बत तथा जिन्झियांग स्वायत्त क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास कर रहा है। इनमें किंघाई-तिब्बत रेलमार्ग, जिसे जिगेज तथा निंगची तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और सड़क तथा हवाई सुविधाओं का विकास शामिल हैं। सरकार चीनी सीमा क्षेत्र के समीप अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर सावधानीपूर्वक तथा विशेष ध्यान दे रही है ताकि हमारी रणनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें और साथ ही इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो सके। इनमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर सरकार लगातार नजर रखती है और इसकी रक्षा के लिए सभी अपेक्षित उपाय करती है।

द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार

4237. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या **प्रवासी भारतीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ सरकार ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते हस्ताक्षरित किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते हस्ताक्षरित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन समझौतों से लाभान्वित हुए व्यवसायिकों, श्रमिकों और कॉर्पोरेटों की संख्या कितनी है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने बेल्यिजम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, दक्षिण कोरिया, स्विटरजरलैंड और चेक रिपब्लिक के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से आठ प्रचालन में हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) फिनलैंड, पुर्तगाल, कनाडा, आस्ट्रिया और स्वीडन के साथ सामाजिक करारों पर बातचीत पूरी हो गई है। जापान और आस्ट्रेलिया के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर बातचीत चल रही है।

(घ) बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्विटजरलैंड आठ देशों, जहां सामाजिक सुरक्षा करार प्रचालन में है, के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों के संबंध में, अब तक भारतीय व्यावसायिकों को जारी किए गए 'कवरेज के प्रमाण-पत्रों' की संख्या 9,401 है।

परिणामों को घोषित करने में विलंब

4238. श्री कमल किशोर 'कमांडो' : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनौपचारिक शिक्षा में परिणामों की घोषणा में विलंब हेतु विद्यार्थियों के लिए अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अस्थाई प्रवेश प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनौपचारिक शिक्षा में कुछ विश्वविद्यालयों विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक परिणामों की घोषणा में विलंब के कारण प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं, रोजगार और उच्चतर अध्ययन इत्यादि में समान अवसरों की अस्वीकृत के संबंध में जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, इसने दिनांक 20 सितम्बर, 2011 की अपनी अधिसूचना के जरिए अभ्यर्थियों के लिए अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अस्थाई प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, बशर्ते कि उनके अर्हकारी परीक्षा के परिणाम दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 तक प्रस्तुत कर दिए गए हों।

(ग) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उनके अंतर्गत तैयार किए गए संबंधित अधिनियमों और संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अभिशासित सांविधिक स्वायत्त निकाय हैं। अधिनियमों के अंतर्गत, सभी शैक्षणिक मामले, जिनमें परीक्षाओं का आयोजन और परिणामों की घोषणा शामिल है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सक्षमता में आते हैं। अतः मंत्रालय ने उप-राष्ट्रपति, सचिवालय से प्राप्त दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को एक प्रतिवेदन उचित कार्रवाई हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजा था जो मुक्त अध्ययन स्कूल द्वारा अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के परिणाम की घोषणा में विलम्ब होने से संबंधित है। परिणामों की घोषणा में विलंब रोकने के लिए, विश्वविद्यालय ने 2011-12 में परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने के लिए हाथ से कार्य किए जाने के स्थान पर कम्प्यूटरों का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

आईटीआई का पुनरुत्थान

4239. श्री एम.बी. राजेश : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को आईटीआई हेतु पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को एक निर्धारित

तिथि के भीतर पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देश को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(च) पुनरुद्धार पैकेज में कर्मचारियों हेतु सम्मिलित कल्याण पैकेजों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या आईटीआई को रक्षा मंत्रालय द्वारा टेकओवर करने या इसे रक्षा दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2011 (अनंतिम) तक वहन की गई हानियों का ब्यौरा निम्नवत् है:—

वर्ष	हानि की राशि (करोड़ रु.)
2008-09	668
2009-10	459
2010-11	358
2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक)	271. (अनंतिम)

(ख) जी, हां। सरकार ने मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज को दिनांक 30.01.2012 को औद्योगिक एवं वितरण पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया है।

(ग) बीआईएफआर को प्रेषित मैसर्स आईटीआई लि. के पुनरुद्धार पैकेज की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

क्र. सं.	निम्नलिखित के रूप में सरकार	सरकार से सहायता की राशि (करोड़ रु.)		कुल
		तत्काल वितवरण हेतु	निगरानी समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद यथा समय वितरण किए जाने हेतु	
1.	जारी तथा प्रत्याशित परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता	460	1804	2264
2.	लंबित देयताओं और पुनरुद्धार योजना लागत को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता	995.79	897	1892.79
3.	मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्राथमिकता वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची में बीईएल के समकक्ष रखने हेतु रक्षा मंत्रालय से अनुरोध।			

(घ) और (ङ) जी, नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईटीआई लि. का पुनद्धार पैकेज प्रस्तुत करने के लिए सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया है।

(च) पुनरुद्धार पैकेज में 360 करोड़ रु. राशि के भविष्य निधि, उपदान आदि, 165 करोड़ रु. राशि के 1997 के वेतन संशोधन संबंधी बकाया और 155 करोड़ रु. तक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम परिव्ययों के भुगतान आदि जैसे सांविधिक भुगतानों की अदायगी शामिल है।

(छ) और (ज) जी, हां। दूरसंचार विभाग ने सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित मैसर्स आईटीआई लि. द्वारा विनिर्मित एवं विकसित सेवाओं और वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से मैसर्स आईटीआई लि. को रक्षा मंत्रालय

के एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल करने हेतु रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है।

आईएएस कोटे में वृद्धि

4240. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने लोगों के प्रति बढ़ते प्रशासनिक, सामाजिक और अन्य दायित्वों के आलोक में आईएएस अधिकारियों हेतु कोटे में वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के विद्यमान कोटे का ब्यौरा क्या है और क्या आईएएस अधिकारियों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध है और यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने कोटे में वृद्धि हेतु अनुरोध पर विचार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 01.01.2012 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों/संयुक्त संवर्गों के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मौजूदा उपलब्ध संवर्ग संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार, द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम-4(2) के प्रावधानों के अनुसार और राज्य सरकारों की मांग के औचित्य/आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।

विवरण

दिनांक 1.1.2012 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्य/संवर्गों की भारतीय प्रशासनिक सेवा की संवर्ग संख्या और पदस्थ अधिकारी

क्र. सं.	राज्य/संवर्ग का नाम	भा.प्र.से. की कुल प्राधिकृत संख्या	पदस्थ अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	376	284
2.	एजीएमयूटी	337	221
3.	असम-मेघालय	248	205
4.	बिहार	326	198
5.	छत्तीसगढ़	178	124
6.	गुजरात	260	208
7.	हरियाणा	205	178
8.	हिमाचल प्रदेश	129	101
9.	जम्मू और कश्मीर	137	91
10.	झारखंड	208	108
11.	कर्नाटक	299	219
12.	केरल	214	158
13.	मध्य प्रदेश	417	299
14.	महाराष्ट्र	350	295
15.	मणिपुर-त्रिपुरा	207	137
16.	नागालैंड	91	52
17.	ओडिशा	226	148
18.	पंजाब	221	161
19.	राजस्थान	296	184
20.	सिक्किम	48	33
21.	तमिलनाडु	355	286
22.	उत्तराखंड	120	84
23.	उत्तर प्रदेश	592	376
24.	पश्चिम बंगाल	314	227
	कुल	6154	4377

टेलिमेडिसीन कार्यक्रम

4241. **डॉ. शशी थरूर :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इसरो के टेलिमेडिसीन कार्यक्रम की स्थिति क्या है और किन राज्यों में यह सबसे अधिक प्रयोग में है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं कौन-सी हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम हेतु निर्धारित कुल वित्तीय परिव्यय कितना है; और

(घ) क्या सुदूर स्थित डॉक्टरों से प्राप्त सलाहों का प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी व्यवसायिकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षोपाय तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) इसरो के टेलिमेडिसीन कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों सहित अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 382 अस्पतालों (60 स्पेशलिटी अस्पताल, 306 ग्रामीण/जिला अस्पताल, 16 टेलिमेडिसीन मोबाइल वैन) में टेलिमेडिसीन सुविधा स्थापित की गई है। टेलिमेडिसीन कार्यक्रम के लिए उपग्रह बैंडविस्तार इन्सैट-3ए और जीसैट-12 उपग्रहों पर प्रदान किया जाता है। टेलिमेडिसीन कार्यक्रम बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों में प्रयोग में नहीं है।

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं में सामान्य चिकित्सा-शास्त्र, हृदय विज्ञान, विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान, नेत्र विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, अर्बुदशास्त्र, मधुमेह विज्ञान, महिला और शिशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नियमित दूरवर्ती परामर्श शामिल हैं। ग्रामीण/दूरवर्ती अस्पतालों में स्वस्थ्य व्यावसायिकों को उनके ज्ञान अद्यतन करने हेतु निरंतर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए भी टेलिमेडिसीन सुविधा का उपयोग किया जाता है।

(ग) इसरो के टेलिमेडिसीन कार्यक्रम के लिए बजट अंतरिक्ष विभाग के वार्षिक बजट के प्रदान किया जाता है। टेलिमेडिसीन कार्यक्रम के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंतर्गत प्रस्तावित बजट 300.00 करोड़ रुपये है और 2012-13 के लिए निर्धारित परिव्यय 11.12 करोड़ रुपये है।

(घ) सुरक्षा उपाय के रूप में टेलिमेडिसीन सेवाएं ग्रामीण/जिला अस्पतालों जैसे रोगी के छोर वाले अस्पतालों में सुप्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूरवर्ती परामर्श के दौरान स्वास्थ्य स्तर 7 (एचएल 7) और मेडिसीन में अंकीय प्रतिबिंबन एवं संचार (डिकोम) जैसे पर्याप्त आंकड़ा सुरक्षा तथा संपूर्णता के गुणों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित टेलिमेडिसीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए रोगी से संबंधित आंकड़ों तथा उपचार संबंधी पर्ची का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान-प्रदान किया जाता है। रोगी से संबंधित आंकड़े और उपचार संबंधी पर्चियां टेलिमेडिसीन सर्वर में भी सुरक्षित रखी जाती हैं। चिकित्सक और विशेषज्ञ दूरवर्ती परामर्श हेतु चिकित्सा व्यवसाय की स्थापित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हैं जैसा कि व्यक्तिगत परामर्श की स्थिति में किया जाता है। जिन अस्पतालों में विशेषज्ञ परामर्श देते हैं उनका चयन सावधनीपूर्वक किया जाता है और वहां सुशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध होते हैं।

शिक्षा तंत्र में सुधार

4242. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री संजय भोई :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति अनुसंधान केन्द्र के एक प्रकोष्ठ, उत्तरदायित्व नवाचार द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्कूल शिक्षा तंत्र निधियों और अनियमित संवितरण की घटिया उपयोगिता के कारण वांछित परिमाण दिखाने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट में उठाए गए मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय स्कूल शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) उत्तरदायित्व नवाचार द्वारा संचालित 'पैसा' सर्वेक्षण में 14,283 स्कूल शामिल थे। 'पैसा' रिपोर्ट में जांच के विशिष्ट बिन्दु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक स्कूल अनुदान हैं, नामत:

(i) अनुरक्षण अनुदान, (ii) स्कूल अनुदान और (iii) अध्यापक अनुदान, जो 'पैसा' के अपने निष्कर्षों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुल आवंटन का 5 प्रतिशत है। 'पैसा' के निष्कर्षों में यह उल्लेख है कि:—

(i) समग्र रूप से, स्कूलों द्वारा प्राप्त अनुदान 2008-09 में 77 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 82 प्रतिशत हो गए हैं। अनुदान का विवरण इस प्रकार है कि 84 प्रतिशत स्कूलों ने अनुरक्षण अनुदान प्राप्त किया, 87 प्रतिशत स्कूलों ने अध्यापक अनुदान प्राप्त किया और 77 प्रतिशत स्कूलों ने स्कूल अनुदान प्राप्त किया।

(ii) सभी तीनों अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों में प्राप्त अनुदानों की मात्रा 2008-09 के 55 प्रतिशत स्कूलों से बढ़कर 2010-11 में 70 प्रतिशत स्कूल तक हो गई है।

(iii) औसत रूप से राशि प्राप्त करने वाले 90 प्रतिशत स्कूलों द्वारा पैसा खर्च करने की सूचना दी गई है। स्कूल अपनी राशि का व्यय सफेदी/प्लास्टरिंग (68 प्रतिशत), शौचालयों की मरम्मत (39 प्रतिशत), पेयजल सुविधाओं की मरम्मत (48 प्रतिशत), चारदीवारी की मरम्मत (26 प्रतिशत), भवन की मरम्मत (छत, फर्श दीवार) (50 प्रतिशत), इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की खरीद (36 प्रतिशत), फर्नीचर की खरीद (46 प्रतिश्धत), बिलों का भुगतान (39 प्रतिशत), स्कूल आयोजन (69 प्रतिशत), चार्ट, ग्लोब, अन्य शिक्षण सामग्री की खरीद (77 प्रतिशत), सीटिंग मैट/टाट पट्टी की खरीद (56 प्रतिशत), चाक, डस्टर, रजिस्टर की खरीद (89 प्रतिशत), ब्लैक बोर्ड, डिस्पले बोर्ड इत्यादि की रंगाई (71 प्रतिशत) पर करते हैं।

सरकार ने 'पैसा' रिपोर्ट के निष्कर्षों को राज्य शिक्षा सचिवों के साथ बांटा है और राज्यों को यह सुनिश्चित करने सलाह दी गई है कि स्कूलों को वार्षिक अनुदान समय से जारी किया जाए।

(ङ) प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से सर्वशिक्षा अभियान के मानदंडों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है। बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मध्याह्न भोजन योजना भी आरंभ की गई है माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सरकार ने माध्यमिक शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया है।

कोयले की कालाबाजारी

4243. श्री किसनभाई वी. पटेल
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार ने देश में कोयले की चारी/कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्यों/जिला प्रशासनों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे निवेदन पर विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विभिन्न कोयला खदानों में किस स्तर तक कोयले की चोरी रोकी गई है;

(ङ) कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा कामिकों का ब्यौरा क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और देश में कोयले की चोरी/उठाईगिरी तथा कालाबाजारी को रोकना/समाप्त करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य/जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। ऐसे अवैध कार्यकलापों को समाप्त करने के लिए राज्य/जिला प्रशासन के साथ बार-बार विचार-विमर्श आयोजित किया जाता है। कोयले की चोरी/उठाईगिरी तथा कालाबाजारी को रोकने/समाप्ति करने के लिए कोयला कंपनियों को निम्नलिखित उपाय करने के लिए निदेश दिए गए थे:—

(i) संवेदनशील बिन्दुओं पर चेक-पोस्ट की स्थापना करना;

(ii) कोयला डम्पिंग यार्ड के चारों ओर चार-दिवारी, रोशनी

की व्यवस्था और 24 घंटे सशस्त्र गोर्डों की तैनाती की व्यवस्था करना;

(iii) ओवर-बर्डेन डम्पों सहित खान के आस-पास नियमित रूप से गश्त लगाना;

(iv) रेलवे साइडिंगों में शास्त्र गार्डों की तैनाती करना;

(v) जिला अधिकारियों के साथ नियमित अंतराल पर परस्पर बातचीत और संपर्क करना तथा प्रत्येक महीने जिला प्रशासन के साथ बैठक आयोजित करना;

(vi) जिले के बाहर ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए चालान जारी करना और होलोग्राम चिपकाना तथा उठाईगिरी को नियंत्रित करने के लिए सीआईएसएफ के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाना;

(vii) कोयले की उठाईगिरि/चोरी के विरुद्ध स्थानीय थाने में कोलियरियों और सीआईएसएफ के संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से एफआईआर दर्ज कराना। सीआईएसएफ द्वारा अपराधियों के कार्यकलापों पर गहन निगरानी रखना।

(viii) पुरानी/परित्यक्त खुली खदानों की चरणबद्ध तरीके से भराई/डोजिंग/सीलिंग/विस्फोट के लिए कार्रवाई करना।

सुरक्षा कार्मिकों और राज्य/जिला प्रशासन की कानून और व्यवस्था एजेंसियों द्वारा मारे गए संयुक्त छापों के फलस्वरूप 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान बरामद किए गए कोयले की मात्रा और उसकी लगभग कीमत निम्नानुसार है:—

सहायक कंपनी-वार कोयले की चारी/उठाईगिरी

कंपनी	2008-09		2009-10		2010-11	
	बरामद की गई मात्रा (टन)	लगभग कीमत (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन)	लगभग कीमत (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन)	लगभग कीमत (लाख रु.)
ईएसएल	9152.00	91.520	4137.00	48.460	2300.00	46.000
बीसीसीएल	9714.54	189.659	7662.00	163.699	9645.18	191.498
सीसीएल	2524.00	27.595	393.75	4.424	8477.85	86.011
एनसीएल	9.00	0.180	3.00	0.060	0	0
डब्ल्यूसीएल	353.15	5.988	275.48	4.654	169.63	2.719
एसईसीएल	843.98	15.043	378.67	5.601	8.50	0.158
एमसीएल	607.10	4.420	1362.70	12.571	36.50	0.365
एनईसी	2.80	0.080	15.00	0.330	22.38	0.946
कोल इंडिया	23206.57	334.486	14427.60	239.799	20660.04	327.696

(ङ) से (छ) कोयले की चोरी/उठाईगिरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ), पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षाकार्मिकों तथा विभागीय सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया जाता है। सरकार

हर संभव उपाय कर रही है जिससे कोयले की चोरी/उठाईगिरी तथा कालाबाजारी जैसे अवैध कार्यकलापों को नियंत्रित किए जाने को सुनिश्चित किया जा सके।

नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण

4244. **श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण (एनएसआरए) विधेयक, 2011 के माध्यम से सूचना के अधिकार को संशोधित करने के लिए दो प्रस्तावों पर गंभीर चिन्ता जताई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना आयोग में एक सूचना आयुक्त के नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण (एनएसआरए) विधेयक, 2011 के माध्यम से, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 की अनुसूची-II में प्रस्तावित संशोधनों पर सरोकार जाहिर किया है। विधेयक को 7 सितम्बर, 2011 को लोक सभा में पेश किया गया है।

नई प्रौद्योगिकी

4245. **श्री सुशील कुमार सिंह : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खनन क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला खनन क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु नए संस्थानों की स्थापना करने या विद्यमान संस्थानों के साथ समझौता करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार समकालीन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया के संबंध में क्षमताओं के उन्नयन हेतु अपने और बाह्य स्रोतों से प्राप्त कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु कोयला कंपनियों को नए प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। सुरक्षा पर्यावरण एवं संरक्षण के मद्देनजर किफायती ढंग से कोयले का अधिकतम निष्कर्षण करने के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की ओपनकास्ट खानों में व्यवहार्य सीमा तक कोयला सीमा की भू-खनन विशेषताओं और परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए उपर्युक्त नई प्रौद्योगिकी अपनायी गई है। मौजूदा प्रौद्योगिकी को चरणबद्ध तरीके से अद्यतन तथा आधुनिकीकृत किया जा रहा है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) सीआईएल के लिए सभी नई परियोजनाओं की योजना बना रहा है। सीआईएल की भूमिगत खानों में पावर्ड सपोर्ट लॉंगवाल टैक्नोलॉजी, सतत खानिक, साइड डिस्चार्ज लोडर्स, लोड हाल डम्पर्स आदि जैसी नई प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) धीरे-धीरे परामपरागत खनन से उत्पादन में कमी कर रही है और वह अपनी खानों में नई तथा आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियां लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सभी ओपनकास्ट खाने मशीनीकृत हैं और वे शॉवल, डम्पर, ड्रेगलाइन, सतही खनिक, इनपिट क्रशर कन्वेयर आदि जैसे उपकरणों से संचालित हो रही हैं। हाल ही में ओपनकास्ट खानों, जहां आर्थिक व्यवहार्यता सीमा प्राप्त कर ली गई है, मैं अवशिष्ट कोयले का उत्खनन करने के लिए हाईवॉल खनन आरंभ किया गया है। मौजूदा हैण्ड सेक्शन खानों में अर्ध-मशीनीकरण और मशीनीकरण लागू करके बड़ी मात्रा में मौजूदा भूमिगत कोयला खानों में उन्नयन किया गया है। क्षमता, उत्पादकता और सुरक्षा मानदंडों में वृद्धि करने के लिए एससीसीएल की भूमिगत खानों में साईड डम्प लोडर, लोड हाल डम्पर, विस्फोट गैलरी पद्धति एवं सतत खनिक के साथ कोयले का निष्कर्षण प्रचलन में है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय किसी प्रौद्योगिकीय समझौते का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि "बिल्ड, ऑपरेट और मेंनटेन (बीओएम)" आधार पर नई वाशरियों की स्थापना किए जाने की योजना बनाई जा रही है। भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान, रांची जैसे एक नये संस्थान की स्थापना भुवनेश्वर में की जाएगी।

एससीसीएल आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को लागू करने में अग्रणी रही है। इसकी खानों में जब भी नयी प्रौद्योगिकी लागू की गई है, एससीसीएल विर्निमाताओं/प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सहायता से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती रही है। प्रत्येक वर्ष देश की विभिन्न विख्यात संख्याओं में कौशल उन्नयन कार्यक्रम में उनके स्टाफ और अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) और (च) सीआईएल में कर्मचारियों का कौशल उन्नयन एक नियमित प्रक्रिया है और वित्त वर्ष 2012-13 में यह एमओयू का एक भाग है। अपने कर्मचारियों को अपने संस्थानों/प्रशिक्षण केंद्रों अथवा किसी अन्य स्थान पर कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों द्वारा उपाय किए गए है। समकालीन प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के संबंध में कौशल के उन्नयन सहित सीआईएल/सहायक कंपनियों के कार्यपालकों और कार्य-कार्यपालकों को प्रशिक्षण देने के लिए सीएमपीडीआईएल, रांची में एक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा है।

एससीसीएल खनन में नए प्रवेशकों को मौलिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तेरह (13) प्रशिक्षण संस्थान चला रही है। नए और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को अनुवर्ती वर्षों में आवधिक प्रशिक्षण और नई प्रौद्योगिकियों पर कौशल उन्नयन प्रदान किया जाता है। एससीसीएल स्थल पर उत्कृष्ट केंद्र की भी स्थापना करने की योजना बना रही है जो इसके कर्मचारियों को विकसित प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन पर कार्यक्रम की पेशकश करेगी।

[हिन्दी]

एसएसए के अंतर्गत अतिरिक्त अध्यापकों हेतु निधियां

4246. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) मानक विद्यमान स्कूलों हेतु भर्ती किए गए अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन को सम्मिलित नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार का विचार एसएसए बजट के अंतर्गत निधियन हेतु उक्त अध्यापकों के वेतन को सम्मिलित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संघ सरकार का विचार गुजरात सहित कुछ राज्यों द्वारा 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2010 तक भर्ती किए गए अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन, जो उनके बजट में नहीं था, हेतु व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों में मूलत: (i) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक चालीस बच्चों के लिए एक शिक्षक, (ii) एक प्राथमिक स्कूल में कम-से-कम दो शिक्षक, और (iii) उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक का प्रावधान था।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है अध्यापकों की संस्वीकृति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप संशोधित किया गया है अर्थात:

(क) कक्षा I से V के लिए

(i) साठ दाखिल बच्चों तक दो अध्यापक

(ii) 61-90 बच्चों तक तीन अध्यापक

(iii) 91-120 बच्चों तक चार अध्यापक

(iv) 121-200 बच्चों तक पांच अध्यापक

(v) यदि दाखिल बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो जाती है तो पांच अध्यापकों के अतिरिक्त एक प्रधानाध्यापक; और यदि दाखिल बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो तो छात्र-शिक्षक अनुपात (मुख्य अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।

(ख) कक्षा VI से VIII के लिए

(i) प्रति कक्षा कम-से-कम एक अध्यापक ताकि (क) विज्ञान और गणित; (ख) सामाजिक अध्ययन; और (ग) भाषाओं के लिए प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो।

(ii) प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम-से-कम एक अध्यापक;

(iii) जहां एक सौ से अधिक बच्चे दाखिल हुए हैं, वहां (क) एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक; और (ख) कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा; तथा कार्य शिक्षा हेतु अंशकालिक अनुदेशक।

(ग) और (घ) सर्वशिक्षा अभियान के लिए सहायता राज्य क्षेत्र के उन शिक्षक पदों के वेतन के लिए उपलब्ध नहीं है जो क्षयण और सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हो गए हों। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षकों की तैनाती में असंतुलनों को दूर करने के लिए शिक्षक तैनाती को तर्कसंगत बनाएं और राज्य क्षेत्र की शिक्षक रिक्तियों को अपने राज्य बजटों से भरें। राज्य क्षेत्र की रिक्तियों को घटाने के बाद तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए शिक्षकों की तर्कसंगत पुन: तैनाती पर विचार करने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पर विचार किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूएस हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों को प्रताड़ित किया जाना

4247. श्री एंटो एंटोनी :
श्री संजय सिंह चौहान :
श्री विजय बहादुर सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमेरिका में उत्प्रवासन अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों को क्लीयरेंस देने में विलंब किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने अवसरों पर प्रसिद्ध भारतीय नागरिकों को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तलाशी का सामना करना पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विरोध जताया है और अमेरिका से ऐसी घटनाओं का ब्यौरा मांगा है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं के होने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (च) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय नागरिकों जिनमें आगन्तुक भारतीय प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल हैं, के अमेरिका पहुंचने पर अमेरिकी उत्प्रवासन अधिकारियों द्वारा ज्यादा देकर तक उनकी जांच की गई है अथवा अमेरिकी हवाई अड्डों से प्रस्थान के समय उन्हें अधिकाधिक सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। ऐसी घटनाओं में हाल ही में 12 अप्रैल, 2012 को व्हाइट प्लेन्स हवाई अड्डे पर श्री शाहरूख खान के साथ हुई घटना भी शामिल है जब उत्प्रवासन अनापत्ति जांच के कारण उन्हें विलम्ब हुआ था। हालांकि, न्यूयॉर्क में भारत के प्रधान कोंसुलावास के हस्तक्षेप के उपरांत अमेरिकी सीमा शुल्क तथा सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने तत्काल कदम उठाते हुए श्री खान को जाने दिया और इस कारण श्री खान को हुई असुविधा के लिए तहेदिल से खेद व्यक्त किया।

सरकार ने भारत-अमेरिका उड्डयन सुरक्षा समूह की बैठक सहित ऐसे सभी अवसरों पर इस बात पर बल दिया है कि यद्यपि यह प्रत्येक देश द्वारा उनके अपने-अपने हवाई अड्डों पर अपेक्षित सुरक्षा प्रक्रियाओं का सम्मान करता है, परंतु यह इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि इससे वास्तविक यात्रियों को कोई असुविधा न हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य राजनयिक शिष्टाचारों एवं विशेषाधिकारों को ध्यान में रखा जाए और यात्रियों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहा जाए। अमरीका सरकार ने ऐसे घटनाक्रमों के लिए खेद व्यक्त किया है और सूचित किया है कि वह भविष्य में अमेरिका स्थित हवाई अड्डों पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में कदम उठाएगा।

[हिन्दी]

कोयला खानों की नीलामी

4248. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री रेवती रमण सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिना किसी नीलामी के कोयला खानों/ब्लॉकों को आवंटित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सिवाय 1993 के पहले से कंपनियों के अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड को जब पहली बार कोयला खानें आवंटित की गई थीं, कोई नीलामी नीति नहीं थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में सभी कोयला खानों की नीलामी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है;

(ङ) विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न उद्योगों पर इसका संभावित लाभ क्या होगा;

(च) देश में राज्य-वार बंद की गई कोयला खानों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला खदानों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) निजी कंपनियों तथा सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉक निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आवंटित किए गए थे:—

(i) **जांच समिति के माध्यम से केप्टिव वितरण मार्ग :** सार्वजनिक/निजी पार्टियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन जांच समिति नामत: अंतर्मंत्रालयी, अंतर-सरकारी निकाय के तंत्र के माध्यम से किया जाता है। सचिव (कोयला) जांच समिति के अध्यक्ष हैं तथा इसमें इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि. (एन.एल.सी.), और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना की तैयारी की स्थिति, अन्त्य उपयोगकर्ता की आवश्यकता के साथ ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा गुणवता और आवेदक कंपनी का ट्रेक रिकार्ड, संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय आदि की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जांच समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा आवंटन का निर्णय लिया जाता है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की धारा 3(3)(ए)(iii) के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटन का निर्णय लिया जाता है।

(ii) **सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत :** सरकारी कंपनी व्यवस्था मार्ग के अधीन सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को अभिज्ञात ब्लॉकों की सूची परिचालित की जाती है। सरकारी कंपनियों के लिए आवेदन राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार से आमंत्रित किए जाते हैं। इस मार्ग के अधीन सरकारी कंपनियों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग और वाणिज्यिक खनन, दोनों के लिए केवल सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है, जहां कैप्टिव उपयोग का कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक वाणिज्यिक खनन से उत्पादित कोयले का संबंध है, खनित कोयले का उपयोग आवंटिती कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा, ऐसे ब्लॉकों से उत्पादित कोयले की आवंटिती कंपनी द्वारा उपभोक्ता को स्वयं निर्धारित मूल्य पर आपूर्ति की जा सकती है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की धारा 3(3)(ए)(i) के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटन का निर्णय लिया जाता है।

(iii) **टैरिफ आधारित बोली मार्ग :** कोयला ब्लॉकों को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रणाली के आधार पर स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजना के लिए निर्दिष्ट किया गया है। टैरिफ आधारित बोली मार्ग के अंतर्गत पहचान किए गए कोयला ब्लॉकों को विद्युत मंत्रालय को सौंप दिया जाता है, जो पात्र कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करके टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अवार्ड किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के साथ कोयला ब्लॉकों का लिंकेज निर्धारित करता है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) सफल बोलीदाता को अवार्ड की जाती है। टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से चयन की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii) के तहत विद्युत मंत्रालय की

सिफारिशों पर टैरिफ के लिए बोली के आधार पर विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है। नियम एवं शर्तों वही हैं जो जांच समिति मार्ग के माध्यम से केप्टिव व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित ब्लॉकों के लिए हैं।

अभी तक कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पात्र सार्वजनिक और निजी कंपनियों को लगभग 50 बिलियन टन के भू-गर्भीय भंडार वाले 218 कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। उनमें से 25 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। आवंटन रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों में से दो कोयला ब्लॉक पात्र कंपनियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पुन: आवंटित कर दिए गए। उपरोक्त के मद्देनजर लगभग 44.23 बिलियन टन के भू-गर्भीय भंडार वाले कुल आवंटित ब्लॉक 195 हैं।

पारदर्शिता लाने की दृष्टि से केप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु प्रतियोगी बोली प्रणाली लागू करने के संबंध में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और इसे 9 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम में यथा-निर्धारित नियम और शर्तों पर प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान करने का प्रावधान करने की मांग की गई है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:—

— जहां खनन अथवा ऐसे अन्य निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए किसी सरकारी कंपनी अथवा निगम को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता है;

— जहां किसी ऐसी कंपनी अथवा निगम को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता है जिसे टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) के लिए प्रतियोगी बोलियों के आधार पर पावर प्रोजेक्ट अवार्ड की गई है।

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी" को दिनांक 02.02.2012 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है। कोयला ब्लॉकों का भावी आवंटन संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

(ङ) प्रतियोगी बोली के माध्यम से नीलमी द्वारा आवंटन आरंभ नहीं हुआ है। इसलिए विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न उद्योगों पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(च) देश में राज्य-वार बंद की गई कोयला खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

राज्य	बंद/परित्यक्त/रोकी गई खानों की संख्या (अनंतिम)
पश्चिम बंगाल	54
झारखंड	26
मध्य प्रदेश	53
महाराष्ट्र	19
छत्तीसगढ़	22
उड़ीसा	01

(छ) कोल इंडिया लि. कोयला खान सुरक्षा से संबंधित कानूनों में यथा लागू सभी उपायों का पालन करती है।

[अनुवाद]

अभियांत्रिकी कॉलेजों के प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति

4249. **कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभियांत्रिकी कॉलेजों के प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति या चयन हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश में बड़ी संख्या में अभियांत्रिकी कॉलेज ऐसे मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे अभियांत्रिकी कॉलेजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रवृत्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) देश में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य/निदेशक की नियुक्त अथवा यन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदंडों के ब्यौरे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका, 2012-13 में दिए गए हैं जो एआईसीटीई की वेबसाइट (*www.aicte-india.org*) पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) एआईसीटीई से प्राप्त सूचना के अनुसार, 33 संस्थान मानदंडों तथा मानकों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गयी थी। एआईसीटीई के नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन के लिए इन समस्याओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। इस सूची में छत्तीसगढ़ से कोई संस्था नहीं है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है। शिकायतों की जांच और एआईसीटीई के मानदंडों के अनुपालन के लिए विशेषज्ञ समिति संबंधी संस्था में भेजी जाती है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में सूचित खामियों/कमियों के आधार पर चूककर्त्ता संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं।

एक बार कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हो जाने पर संस्थाओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। चूककर्त्ताओं के विरुद्ध उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2012-13 के अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राज्य	संस्थान का नाम	टिप्पणी
1	2	3
मध्य प्रदेश	महाकाल प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, उज्जैन	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
	वर्दायक लोक शिक्षा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय रामोती देवी इंजीनियरिंग संस्थान, उज्जैन, मध्य प्रदेश	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
	सृजन प्रौद्योगिकी प्रबंध तथा विज्ञान संस्थान, रतलाम, मध्य प्रदेश	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
	विक्रांत प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान, वेटरीनरी कालेज महु के पीछे, इंदौर, मध्य प्रदेश	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
	प्रशांति प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, उज्जैन, मध्य प्रदेश	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
पंजाब	डीएवी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर	कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं
	भाई महा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, मुक्तसर	कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं
तमिलनाडु	गोपाल रामालिंगम मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज, पनपक्कम	प्रवेश में कमी
	वीकेके विजयन इंजीनियरिंग, कॉलेज, कांचीपुरम	अनुमोदन वापस लेना
	श्री कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, कांचीपुरम	प्रवेश में कमी
	श्री पद्मावती इंजीनियरिंग कॉलेज, कांचीपुरम	अनुमोदन वापस लेना

1	2	3
उत्तर प्रदेश	अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली बिजनेस स्कूल, प्लाट संख्या 28-1, नॉलेज पार्क-3 ग्रेटर नोएडा-201306 (उत्तर प्रदेश)	अनुमोदन वापस लेना
	महिलाओं के लिए बिजनेस स्कूल, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	अनुमोदन वापस लेना
	दिल्ली बिजनेस स्कूल, ग्रेटर नोएडा	अनुमोदन वापस लेना
	बीबीएस इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, उत्तर प्रदेश	प्रवेश में कमी
	बीबीएस प्रबंध अध्ययन संस्थान, ग्रेटर नोएडा	कोई प्रवेश नहीं
	सर छोटूराम इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मेरठ, उत्तर प्रदेश	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
आंध्र प्रदेश	मधीरा एजुकेशनल सोसायटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कोहेडा, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	अनुमोदन का कोई विस्तार नहीं
	गुरूकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन	प्रवेश की कोई स्थिति नहीं
	पेनीन्या प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, विवेकानंद नगर, डेलसुख नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	अनुमोदन वापस लिया जाना प्रक्रियाधीन
केरल	कोचीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कुट्टान्डु तथा कोचीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, केरल	सभी पाठ्यक्रमों में कमी का पत्र दिया गया
	केरल सहकारिता प्रबंध संस्थान, केरल	सभी पाठ्यक्रमों में कमी का पत्र दिया गया
	माउंट जिऑन महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, केरल	सभी पाठ्यक्रमों में कमी का पत्र दिया गया
	श्रीकृष्ण इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्कूल, कर्नाटक	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
	एनआरआई होटल मेनेजमेंट एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
	टीटीएल बिजनेस प्रबंधन कॉलेज (पीजी पाठ्यक्रम), कर्नाटक	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
	श्री केवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कर्नाटक	कोई प्रवेश नहीं – प्रक्रियाधीन
झारखंड	एलिस प्रौद्योगिकी संस्थान	अनुमोदन वापस लेना प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र	श्री साईनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी	कोई प्रवेश नहीं। आदेश जारी
	सोनकर कॉलेज आफ फार्मेसी	कोई प्रवेश नहीं। आदेश जारी

1	2	3
	श्री सचिदानंद शिक्षण समिति कॉलेज ऑफ फार्मेसी	कोई प्रवेश नहीं। आदेश जारी
	हाईटेक प्रौद्योगिकी संस्थान	वापस लेने के आदेश जारी
	हाईटेक पालिटेक्नीक	वापस लेने के ओदश जारी

[हिन्दी]

चीन द्वारा नत्थी वीजा

4250. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री राकेश सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा विरोध जताने के बावजूद चीन भारतीय नागरिकों को नत्थी वीजा जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान चीन ने कितने भारतीय नागरिकों को नत्थी वीजा जारी किए हैं;

(घ) उक्त नागरिक किन राज्यों से संबंधित थे;

(ङ) क्या सरकार ने नत्थी वीजा के संबंध में चीन के समक्ष विरोध जताया है; और

(च) यदि हां, तो यह विरोध किस स्तर पर जताया गया है और इस संबंध में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (च) सरकार को अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राष्ट्रिकों को नत्थी वीजा जारी करने के संबंध में चीन की नीति के बारे में जानकारी हैं। पासपोर्ट के साथ नत्थी किए हुए अलग कागज पर जारी की गई वीजा देश से बाहर यात्रा के लिए वैध नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न भाग है तथा निवास स्थान अथवा जातीय आधार पर भारतीय राष्ट्रिकों के वीजा आवेदकों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसके संबंध में सरकारी स्थिति के बारे में चीन सरकार को कई अवसरों पर तथा उच्चतम स्तर पर स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया है। सरकार चीन की यात्रा करने वाले यात्रियों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखती।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में अंडाल के समीप घरेलू हवाई अड्डा

4251. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में अंडाल के समीप घरेलू हवाई अड्डे के लिए कार्य प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो अंडाल हवाई अड्डे का कार्य कब तक पूरा होगा एवं यह चालू हो जाएगा; और

(ग) अब तक सरकार द्वारा हुई प्रगति की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल स्थित दुर्गापुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना हेतु मैसर्स बंगा एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड (बीएपीएल) को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। प्रर्वतक ने सूचित किया है कि रनवे, एप्रन, यात्री टर्मिनल भवन, एटीसी भवनों, एयरसाइड की ग्रेडिंग, बाऊंड्री वॉल इत्यादि का निर्माण 405 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया गया है जो अक्तूबर, 2012 में पूरा होना तय है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

4252. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि काफी लम्बे समय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का कोई प्रमुख नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का पालन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय इसके लिये उन कुलपतियों की अपेक्षा करता है जो जांच का सामना कर रहे हों; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अध्यक्ष का पद 5.2.2011 से रिक्त पड़ा हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष 6 फरवरी, 2011 से आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रक्रिश शुरू कर दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का चयन खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाए गए पैनल से किया जाता है, जो पैनल के चयन के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों को प्रस्तुत करती हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की तैनाती से पहले सतर्कता निकासी सुनिश्चित की जाती है।

[अनुवाद]

सिविल अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार

4253. **डॉ. अजय कुमार : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्ष के दौरान ऐसे कितने भ्रष्ट वरिष्ठ सिविल अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है;

(ख) सिविल अधिकारियों के विरुद्ध लगे आरोपों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु विधि तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) सीबीआई द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 (31.03.2012 तक) के दौरान, इसने संयुक्त सचिव एवं इससे ऊपर के रैंक के 122 अधिकारियों के विरुद्ध 110 मामले दर्ज किए हैं। कुछ आरोपित अधिकारी एक पद से अधिक मामलों में शामिल हैं।

(ख) इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रमुखतः या तो आपराधिक कदाचार या आय से अधिक संपत्ति या आपराधिक षड्यंत्र या जालसाजी मामला आदि से संबंधित हैं। इन मामलों में की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधायन संबंधी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन।

(ii) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना और लोकहित प्रकट तथा प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 को दिनांक 26 अगस्त, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाना। (लोक सभा द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को पारित कर दिया गया)।

(iii) संसद में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन।

(iv) विदेशी लोक पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 का लोकसभा में पुर:स्थापन।

(v) न्यायिक मानक और जबावदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुर:स्थापन। (लोक सभा ने दिनांक 29.03.2012 को पारित कर दिया है)।

(vi) राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स ऐंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रिवांसेज विधेयक, 2011 का 20.12.2011 को लोक सभा में पुर:स्थापन।

विवरण

की गई कार्यवाही का ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	2007	9	बंद किए गए — 03 मामले लंबित विचारण — 07 मामले
2.	2008	15	बंद किए गए — 01 मामला अन्वेषणाधीन — 02 मामले लंबित विचारण — 10 मामले आरडीए की सिफारिश की गई — 02 मामले
3.	2009	27	बंद किए गए — 04 मामला आरडीए की सिफारिश की गई — 04 मामले अंवेषणाधीन — 03 मामले लंबित विचारण — 15 मामले उचित कार्रवाई के लिए विभाग को संदर्भित — 01 मामला
4.	2010	20	आरडीए की सिफारिश की गई — 03 मामले लंबित विचारण — 08 मामले बंद किए गए — 02 मामले अन्वेषणाधीन — 07 मामले
5.	2011	24	आरडीए की सिफारिश की गई — 01 मामले अन्वेषणाधीन — 22 मामले उचित कार्रवाई के लिए विभाग को संदर्भित — 01 मामला
6.	2012 (31.03.2012 तक)	14	अन्वेषणाधीन — 13 मामले लंबित विचारण — 01 मामला
	मामलों की कुल संख्या	110	

(आरडीए: नियमित विभागीय कार्रवाई)।

[हिन्दी]

सामान्य प्रवेश परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

4254. श्री रमाशंकर राजभर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी. रामासामी समिति ने इंजिनियरिंग और विज्ञान पाठ्यक्रमों हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा कराने के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो नयी प्रणाली कब से लागू किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न भागीदारों के साथ हुए विचार-विमर्शों तथा ऑनलाइन जनमत के माध्यम से प्राप्त परिणामों के आधार पर टी. रामासामी समिति ने यह सिफारिश की कि कक्षा XII की परीक्षा में निष्पादन को महत्व प्रदान करने के लिए अभिरुचि और एडवांस डोमेन नॉलेज के परीक्षण अथवा केवल अभिरुचि के परीक्षण के लिए

एक ही राष्ट्रीय परीक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, चार चुनिंदा बोर्ड द्वारा 3-4 वर्षों के लिए किए गए मूल्यांकनों के संबंध में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा किए गए एक प्रमुख परीक्षण के आधार पर समिति का मत था कि स्कूल बोर्ड के सामान्यीकरण के लिए एक आंकड़ा पद्धति व्यवहार्य थी।

(ग) आईआईटी परिषद् ने 14.09.2011 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए परसनटाईल सूत्र के आधार पर सामान्यीकृत राज्य बोर्ड के परिणामों को महत्व प्रदान करते हुए एक समान राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने का सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रस्ताव का 22 फरवरी, 2012 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य मंत्रियों द्वारा भी 'सिद्धांतत:' अनुमोदन किया गया।

(घ) इसके वास्तविक कार्यान्वयन से पहले सभी भागीदारों के परामर्श से सम्मिलित परीक्षा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पर्सनल कम्प्यूटर की बिक्री

4255. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2011 के दौरान पर्सनल कम्प्यूटर की बिक्री बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इससे कितना राजस्व अर्जित किया है; और

(घ) चालू वर्ष 2012 के दौरान कितने पर्सनल कम्प्यूटर के लिये नयी मांग किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ (एमएआईटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पर्सनल कम्प्यूटरों की बिक्री में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान आंशिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 के दौरान देश में लगभग 10 मिलियन पर्सनल कम्प्यूटर बेचे गए थे जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान 9.31 मिलियन कम्प्यूटर बेचे गए थे।

(ग) माल की बिक्री भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अंतर्गत शामिल है और यह राज्य का एक विषय है। इस प्रकार, केन्द्र सरकार पर्सनल कम्प्यूटरों सहित माल की बिक्री से कोई राजस्व अर्जित नहीं करती है।

(घ) एमएआईटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री 12.36 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

भारत के ट्रांसजेन्डर का उत्पीड़न

4256. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के ट्रांसजेन्डर का विमानपत्तनों पर उत्पीड़न किये जाने संबंधी कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जेन्डर फ्री पासपोर्ट जारी करने का है जैसाकि ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का स्तर

4257. **श्री यशवीर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ माध्यम से दी जा रही शिक्षा के मानक का विनियमन करने हेतु जांच करने एवं उपाय सुझाने के लिये किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई संस्तुतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संस्तुतियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 6-20/2010-डीएल दिनांक 5 अगस्त, 2010 के तहत निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति गठित की थी:-

(i)	प्रो. एन.आर. माधव मेनन	–	अध्यक्ष
(ii)	यूजीसी के अध्यक्ष/सचिव	–	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष, एआईसीटीई	–	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष, डीईसी	–	सदस्य
(v)	श्री ललित भसीन, वरिष्ठ अधिवक्ता	–	सदस्य
(vi)	श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता	–	सदस्य
(vii)	श्री अनन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	–	संयोजक

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

- विभिन्न विषयों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में विधिपरक स्थिति में सामंजस्य लाना जैसे कि वे यूजीसी अधिनियम, एआईसीटीई अधिनियम और इग्नू अधिनियम से संबंधित हैं।
- दूरस्थ शिक्षा के विषय संबंधी मामलों में कार्रवाई करने के लिए यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र के भीतर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों/संस्थाओं के अनुमोदन के लिए कार्यढांचे की सिफारिश करना।
- दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के लिए जो पारम्परिक तरीकों के साथ साम्यता को सुकर बनाएंगी, परिणाम संबंधी बेंचमार्कों की सिफारिश करना।
- दूरस्थ और मिश्रित तरीकों के माध्यम से तकनीकी कार्यक्रमों के अनुमोदन की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश की सिफारिश करना।
- 2020 तक 30 प्रतिशत के लक्षित सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) तक पहुंचने के लिए दूरस्थ शिक्षा के योगदान में वृद्धि करने हेतु तरीके सुझाना।

(ग) जी, हां।

(घ) माधव मेनन समिति की रिपोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि तकनीकी और व्यावसायिक सहित प्रत्येक पारम्परिक विश्वविद्यालय और संस्था को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के दोहरे तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए; संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारतीय दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसीआई) नामक एक नए विनियामक निकाय का सृजन करें; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम में ओडीएल सस्टिम के विनियामक की जिम्मेदारियों को हटाने के लिए संशोधन करें; ओडीएल सिस्टम में एक अंतरिम उपाय के रूप में मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्राप्त करने हेतु यूजीसी को नीति निर्देश जारी करें; संस्थाएं अध्ययन केंद्रों को अपने सांविधिक भौगोलिक क्षेत्र में रखें; पीएचडी दूरस्थ तरीके के माध्यम से करने की अनुमति न देने संबंधी यूजीसी के निर्णय की समीक्षा करें और नए सम-विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने की अनुमति न दें; संबंधन कॉलेजों/फ्रेंचाइजी केंद्रों के माध्यम से कार्यात्मक सम-विश्वविद्यालयों पर रोक लगाएं; आईसीटी का प्रयोग; ओडीएल सिस्टम और नियमित सिस्टम के माध्यम से दी गई डिग्रियों की, शैक्षिक और रोजगार, दोनों प्रयोजनों के लिए समानता प्रदान करें।

(ङ) सरकार ने सिद्धांत रूप में रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, जो संसद में पहले ही पेश किया गया है, को ध्यान में रखते हुए नए सांविधिक डीईसीआई की स्थापना के विरुद्ध निर्णय किया है। तद्नुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

कोयला ब्लॉकों का आवंटन

4258. **श्री एस.आर. जेयदुरई :**
श्रीर डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक कंपनियों जिन्हें लौह और इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने हेतु कोयला ब्लॉक मिले थे ने इन परियोजनाओं पर आगे बढ़ने की बजाय भारी मुनाफे के लिए आवंटित ब्लॉकों की बिक्री कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कय है तथा इन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें लौह एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु कोयला ब्लॉक आवंटित किये गये हैं; और

(ङ) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) सरकार द्वारा जिन कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया था उनके द्वारा कोयला ब्लॉकों की बिक्री किए जाने संबंधी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आईजीआई की निर्माण परियोजना

4259. **श्री महेश्वर हजारी :**
श्री कामेश्वर बैठा :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनी, डायल को लाभ देने के विचार से भारतीय विमापत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की अनुशंसा से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना की निर्माण लागत, जो पहले 8975 करोड़ रुपये थी अब बढ़कर 12718 करोड़ रुपये हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इतने बड़े राजस्व की हानि में किसी नियमों के उल्लंघन/अनियमितताओं की रिपोर्ट है;

(ग) यदि हां, तो क्या नियमों की अनदेखी करने के कारण निर्माण कार्य की लागत बढ़ने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कंपनी डायल के कार्यकरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) कंपनी डायल को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और इस धनराशि से किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) दिल्ली अंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डायल) द्वारा प्रारंभ में 8975 करोड़ रुपये की लागत अनुमान लगाया गया था, जिसे डिजाइन एवं विस्तृत ड्राइंगों का अंतिम रूप दिए जाने पर संशोधित करके 12857 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस संशोधित लागत पर भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समय समय पर प्रतिवेदन/शिकायतें प्राप्त होती रहती है, जो मोटे तौर पर यात्री शिकायतों, अवसंरचना अवरोधों, परियोजना से संबंधित मुद्दों, गैर-एरोनाटॉकिल सेवाओं को उप ठेके पर देने, सुरक्षा मुद्दों इत्यादि से संबंधित होती हैं। हवाई अड्डा प्रचालक के साथ हुए संविदागत करार, निर्धारित प्रक्रिया तथा शिकायत निवारक प्रणाली के अंतर्गत प्रतिवेदनों/शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है।

(च) भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने करार के अनुसार डायल की पूंजी में 26 प्रतिशत की दर पर (637 करोड़ रुपये) भागीदारी की है।

[अनुवाद]

गरीबी का आकलन

4260. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी की रेखा का निर्धारण करने हेतु कोई वैज्ञानिक एवं विस्तृत गणना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में गरीबी की गणना एक व्यक्ति के खाद्य, कपड़ा, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि की प्रतिमाह आवश्यकता के आधार पर करती है;

(ग) यदि हां, तो परिवार का भरण-पोषण करने के लिए बीपीएल परिवारों की प्राक्कलित औसत पारिवारिक आय क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बीपीएल परिवारों के आय मानदंड को महंगाई द्र के साथ सम्बद्ध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) योजना आयोग गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर लगाता है। सर्वेक्षण में लगभग एक लाख परिवारों के व्यय को सारणीबद्ध किया गया है। चूंकि परिवारों में सदस्यों की संख्या अलग-अलग होती है। अत: प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय प्रति माह जिसे एमपीसीई कहते हैं का निर्धारण करने के लिए तुलना में प्रयोजन से एनएसएसओ परिवार व्यय को सदस्यों की संख्या से विभाजित करता है। गरीबी रेखा को परंपरागत रूप से एमपीसीई के अर्थों में व्यक्त किया गया है। गरीबी अनुमान लगाने हेतु कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की गई है। गरीबी अनुमान हेतु कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2005 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रु. और शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रु. की एमपीसीई को वर्ष 2004-05 के मूल्य पर गरीबी रेखा के रूप में अनुशंसित किया था जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया था। तेंदुलकर समिति ने 2009 में प्रस्तुत रेखा के रूप में अनुशंसित किया था जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया था। तेंदुलकर समिति ने 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मानदंडात्मक और पोषणगत दृष्टियों से व्यय की पर्याप्तता का समावेश किया है। इसमें कहा गया है कि:-

> "कैलोरी मानदंडों से इतर, प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को अनाज, शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में, गरीबी रेखा के आसपास प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की तुलना पोषणगत, शैक्षिक और स्वास्थ्यगत परिणामों संबंधी मानदंडात्मक व्यय की निरन्तरता से जांचते हुए वैध किया गया है।"

परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के बाद कराए जाते हैं। वर्ष 2004-05 के पश्चात् यह सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 में कराया गया है। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन किया है जिसमें परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एनएसएस के 66वें दौर (2009-10) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है तथा 19 मार्च, 2012 को वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी अनुमान जारी किया गया है। इस प्रेस नोट के अनुसार अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा एमपीसीई के रूप में वर्ष 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रु. अनुमानित की गई है। पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए अखिल भारत गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3365 रु. प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 4300 रु. प्रतिमाह होगी तथा ये गरीबी रेखाएं मूल्य विभेदकों के कारण अलग-अलग राज्यों में भिन्न होगी। आधार वर्ष में दी गई गरीबी रेखाएं मुद्रास्फीति सूचकांकों का प्रयोग करते हुए आगामी वर्षों के लिए अद्यतन की जाती है।

गरीबी के बहुआयामों एवं सूचकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीबी के अनुमान तथा गरीबों की पहचान के लिए कार्यप्रणाली पर पुन: विचार करने के लिए एक तकनीकी समूह बनाने का निर्णय लिए है जिससे कि गरीब एवं वंचित परिवारों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और स्कीमों का लाभ प्राप्त हो सके। तकनीकी समूह के गठन एवं इसके विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

संवैधानिक अनुमति संबंधी समिति

4261. श्री अशोक कुमार रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य और केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा कच्ची परमाणु सामग्री सहित परमाणु खनिजों की खोज एवं अनुसंधान के संबंध में सांविधिक अनुमति मंजूर करने पर सतर्कता बरतने के लिये किसी समिति का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु खनिज निदेशालय परमाणु खनिजों से संबंधित खोज एवं अनुसंधान के बारे में निर्णय लेने के लिये जिम्मेदार है तथा परमाणु ईंधन चक्र की दिशा में यह प्रथम अपेक्षित कदम है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, देश के नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के लिए आवश्यक यूरेनियम स्रोतों और अन्य परमाणु खनिजों नामत: थोरियम, नायोबियम टेंटलम, बेरिलियम, जर्कोनियम और लीथियम के सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी कार्य में जुटा हुआ है।

(घ) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय के कार्यकलापों में हेलिकॉप्टर की सहायता से किए गए (हेलि-बोर्न)/वायुवाहित सर्वेक्षण, भूरासायनिक/भूभौतिकी सर्वेक्षण, आवीक्षी/विस्तृत सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक वेधन आदि शामिल हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने देश में यूरेनियम के नए भंडारों का पता लगाने की दृष्टि से ऐसे सर्वेक्षणों का आयोजन करके यूरेनियम के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, अब तक 1,75,010 मीटर टन *स्वस्थाने यूरेनियम* (U_3O_8) संसाधनों का पता लगाया है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ चर्चा

4262. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भारत का दौरा किया तथा भारतीय नेताओं और अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके साथ उनकी बैठकें हुई थीं; और

(ख) उक्त बैठकों में चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री आसिफ अली जरदारी 8 अप्रैल, 2012 को निजी यात्रा पर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए जिसमें परिवार के सदस्यगण, पाकिस्तान के संघीय आंतरिक मंत्री, पाकिस्तान के विदेश सचिव, अन्य पदाधिकारीगण, निजी स्टाफ, सुरक्षा कार्मिक और मीडिया के लोग शामिल थे।

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी। दोनों नेताओं के बीच मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक बातचीत हुई थी, जिसमें भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और साझा हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। यह नोट किया गया था कि बातचीत की प्रक्रिया में सतत प्रगति हुई है जिसे पिछले वर्ष दोबारा प्रारंभ किया गया था। दोनों पक्षों ने महसूस किया कि हमें कदम-दर-कदम आगे बढ़ने और सभी मुद्दों के व्यावहारिक तथा परस्पर स्वीकार्य हल तलाश करने की जरूरत है। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों तथा दोनों देशों के लोगों के आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की। बातचीत से यह स्पष्ट था कि दोनों देश बातचीत की प्रक्रिया एवं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार में भारत और पाकिस्तान के लोगों का आपसी हित समझते हैं।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय अवसंरचना बांड

4263. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रवासी भारतीय अवसंरचना बांड जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नौकरशाही में भ्रष्टाचार

4264. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के ऐसे कितने मामलों की जांच की गई जिनमें उक्त एजेन्सियों ने सरकार को कार्रवाई करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार उक्त सुझावों पर समय से कार्रवाई नहीं करती है जिससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून अप्रभावी हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जहां तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का संबंध है, आयोग में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है तथा जहां कहीं भी ऐसे विशिष्ट एवं सत्यापनीय आरोपों का पता चलता है जहां सतर्कता/भ्रष्टाचार शामिल हो, वहां शिकायतों को उपयुक्त एजेंसी, अर्थात संगठन के सीवीओ या सीबीआई को उस मामले में अन्वेषण करने के लिए तथा आयोग को सूचित करने के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान संबंधित संगठनों को अन्वेषण एवं सूचित करने के लिए भेजी गई शिकायतों की संख्या क्रमशः 1714, 945 एवं 1023 रही है।

सीवीओ अथवा सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्य/रिकार्डों के आधार पर अन्वेषण रिपोर्टों पर विचार विमर्श करने पर आयोग (क) संबंधित लोक सेवक/लोक सेवकों के विरुद्ध आपराधिक तथा/या नियमित विभागीय कार्रवाई (प्रमुख या लघु) प्रारंभ करने की; (ख) संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की; या (ग) मामले को बंद करने की सलाह देता है तथा ऐसी सलाहों को प्रथम चरण सलाह कहा जाता है। आयोग ने वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान क्रमशः 3161, 3424 एवं 3144 मामलों में अपनी प्रथम चरण सलाह दी थी। सीवीसी ने प्रथम चरण में पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान क्रमशः 959, 964 एवं 869 मामलों में दंडात्मक या अन्य आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति की थी।

जहां तक सीबीआई का संबंध है, इसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान निम्नानुसार मामले दर्ज किए हैं:—

वर्ष	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या
2009	795
2010	650
2011	600

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीबीआई ने 2583 सरकारी अधिकारियों से युक्त 1459 मामलों में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए सरकारी सेवकों/लोक सेवकों के अभियोजन के लिए मंजूरी मांगी है। वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	मामलों की संख्या जिनमें मंजूरी मांगी गई है	इन मामलों में किए गए अनुरोधों की संख्या
2009	531	876
2010	498	966
2011	376	647
2012 (31.03.2010 तक)	54	94
कुल मामलों की संख्या	1459	2583

(ख) और (ग) भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के लिए निवारक उपायों

के भाग के रूप में, यह आवश्यक है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समय पर पूरी हों तथा दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। यह अन्य लोगों के लिए निवारक उपाय के रूप में कार्य करेगा। यद्यपि अनुशासनात्मक मामलों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, फिर भी केन्द्रीय सरकार ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के शीघ्र निपटान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सतर्कता संबंधी वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के माध्यम से अनुशासनात्मक मामलों के निपटान की भी निगरानी की जाती है तथा जहां कहीं भी विलंब का पता चलता है वहां संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग से ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान का अनुरोध किया जाता है।

अभियोजनों के मंजूरी मिलने के संबंध में, सीबीआई ने सूचित किया है कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 31.03.2012 तक की स्थिति के अनुसार अभियोजना की मंजूरी के लिए 03 माह से अधिक 39 मामलों में 82 अनुरोध लंबित हैं। यद्यपि अभियोजन के लिए मंजूरी के मामलों का निर्णय करने के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, फिर भी, कभी-कभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए इस समय सीमा का पालन करना संभव नहीं होता है। विलंब प्रायः उपलब्ध साक्ष्य के विस्तृत विश्लेषण, सीवीसी, राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श के कारण, तथा कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण होता है।

अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने में विलंब को नियंत्रित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रत्येक चरण में निश्चित समय-सीमा के लिए तथा जान बूझकर विलंब के लिए जबावदेही नियत करने की व्यवस्था करते हुए अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 399/33/2006-एवीडी-III, दिनांक 06.11.2006 के द्वारा, इसके बाद अन्य कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.12.2006 के द्वारा पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

[अनुवाद]

पूर्व चेतावनी प्रणाली

4265. **श्री रमेन डेका : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु असम में एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) सन् 2009 से उत्तर पूर्वी परिषद् (एनईसी) के आदेश पर अंतरिक्ष विभाग के उत्तर पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एनई सैक) द्वारा असम में बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली (एफएलईडब्ल्यूएस) पर एक पाइलट परियोजना आरंभ की गई है। यह पाइलट परियोजना प्रारंभ में असम के लखीमपुर जिले को आवृत्त करती थी और बाद में असम के धेमाजी, बारपेटा, नलबारी, बक्सा, कचर, करीमगंज और हाइलाकांडी जैसे सात और जिलों में इसका विस्तार किया गया। 2009 में 25% के सफल बाढ़ चेतावनियों से शुरूआत करके 2011 में बाढ़ चेतावनियों की सफलता 75% तक पहुंच गई है। भविष्यवाणी का औसत मार्गदर्शन समय 2009 के 7 घंटे से बढ़कर 2011 में 14 घंटे हो गया है। इस परियोजना का मुख्य लाभार्थी असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) अंतर-एजेंसी आंकड़ा विनियम, भू सर्वेक्षण और संबंधित शमनकारी एजेंसियों को बाढ़ संबंधी चेतावनियों के संप्रेषण में सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है।

(ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

गरीबी में कमी

4266. **श्री पूर्णमासी राम : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीब की श्रेणी में है;

(ख) यदि हां, तो गरीब की श्रेणी से उन्हें निकालने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) आज की तिथि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कितनी है तथा इसे निर्धारित करने का मानदंड क्या है;

(घ) क्या न्यूनतम मजदूरी से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गरीब की श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय सहायता/मुफ्त अनाज देने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 66वें दौरे में संग्रहित परिवार उपभोग व्यय संबंधी व्यापक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने हाल ही में वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी के अनुमानों की परिगणना की है। 2009-10 के लिए राज्य-वार गरीबी रेखाओं और गरीबी औसत की परिगणना तेंदुलकर कार्यप्रणाली के आधार पर की गई है। उक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, योजना आयोग ने 19 मार्च, 2012 को जारी प्रेस नोट के जरिए, अनुमान जारी किए हैं। उक्त प्रेस नोट में उल्लिखित अनुसार, देश में गरीबी अनुपात 2004-05 के 37.2% से घटकर 2009-10 में 29.8% रह गया।

(ख) सरकार ने लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करने तथा देश में गरीबी कम करने के लिए विशिष्ट गरीबी न्यूनीकरण और उपशमन कार्यक्रमों, जैसे – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और समग्र स्वच्छता अभियान इत्यादि को कार्यान्वित कर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार की अन्य सभी नीतिगत पहलें जिनसे देश में उच्च जीडीपी विकास हुआ है, ने वैयक्तिक और सामूहिक रूप से काफी समय से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और अतिनिर्धनता और दरिद्रता में कमी करने में योगदान दिया है।

(ग) अनुसूचित रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरें उपयुक्त सरकारों (राज्य और केन्द्र) द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित/संशोधित की जाती है।

न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन हेतु मानकों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) कमाने वाले एक सदस्य के लिए 3 उपभोक्ता यूनिट।

(ii) प्रति औसत भारतीय वयस्क सदस्य के लिए 2700 कैलोरी न्यूनतम खाद्य आवश्यकता।

(iii) प्रति परिवार प्रति वर्ष 72 गज कपड़े की आवश्यकता।

(iv) सरकारी औद्योगिक आवास स्कीम के अंतर्गत दिए गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुरूप किराया।

(v) कुल न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत ईंधन, लाइटिंग एवं अन्य विविध मदों के व्यय हेतु।

(vi) कुल न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त 25 प्रतिशत त्योहारों/समारोहों एवं वृद्धावस्था, शादी विवाह आदि सहित बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा, न्यूनतम मनोरंजन के साधनों पर खर्च।

उपर्युक्त (क) से (ङ) पर की गई मानकों की संस्तुति भारतीय श्रम संगोष्ठी की 1957 में हुए सत्र में की गयी थी तथा (च) के संबंध में रेपटकेस ब्रेट और कंपनी लिमिटेड केस में 1991 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संस्तुति की गई थी। तथापि, समान मजदूरी ढांचा रखने एवं पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) निर्धारित किया है। यह सांविधिक नहीं है फिर भी उपर्युक्त सरकारों में एनएफएलएमडब्ल्यू के समतुल्य न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में एनएफएलएमडब्ल्यू 01 अप्रैल, 2011 से रु. 115 प्रतिदिन है।

(घ) और (ङ) गरीबी रेखा की परिभाषा एवं न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के मानदंड अलग-अलग हैं।

(च) सरकार ने दिसम्बर, 2011 में लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल प्रस्तुत किया है तथा बिल की वर्तमान में खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थीय संसदीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। बिल में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ वर्गों के लिए नि:शुल्क अथवा वहनीय भोजन की विधिक हकदारी दी गई है। ये वर्ग है: गर्भवती/दुग्ध पान कराने वाली महिलाएं, बच्चे अथवा अन्य विशेष समूह जैसे दरिद्र, निराश्रय, आपदा एवं आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्ति एवं भूखमरी में रह रहे व्यक्ति। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समय एवं तरीकों के अंदर खाद्यान्न अथवा भोजन की मात्रा की आपूर्ति नहीं होने पर बिल में पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान का प्रावधान है।

[हिन्दी]

एक विषय के रूप में पर्यावरण

4267. श्री प्रदीप कुमार सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा में पर्यावरण को एक विषय के रूप में शामिल करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में नागरिकों में जागरूकता शिविर आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) स्कूलों में सभी कक्षाओं में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय बनाने के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2003 के निर्देशों ने नागरिकों के बीच काफी जागरूकता पैदा की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इंजीनियरिंग कालेजों में पर्यावरण अध्ययन के संबंध में अवर स्नातक स्तर तक चार पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर स्तर पर सात पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया है। पर्यावरण अध्ययन को कुछ कार्यक्रमों में एक विषय के रूप में प्रदान किया जाता है। हालांकि यह तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनिवार्य नहीं है। आईआईटी/एनआईटी जैसे केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित संस्थानों में भी पर्यावरण अध्ययन उनकी पाठ्यचर्या का भाग है।

परमाणु नीति की समीक्षा

4268. श्री रेवती रमन सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी परमाणु नीति की समीक्षा करने के लिये किसी समिति का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तटीय क्षेत्रों में परमाणु संयंत्रों के मामलों की समीक्षा करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) देश की एकीकृत ऊर्जा नीति देश के लोगों को जीवनदायिनी (लाइफलाइन) ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सतत वृद्धि करने; ऊर्जा संबंधी सतत सुरक्षा के लिए सक्षम, ऊर्जा संबंधी आवयकता को लागत प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए ध्यानपूर्वक तैयार की गई है। नाभिकीय विद्युत, जोकि ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, जिसमें ऊर्जा संबंधी दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है, देश के ऊर्जा मिश्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। त्रि-चरणीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम एक सुदृढ़ कार्यक्रम है, और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

फुकुशिमा दुर्घटना के बाद तटवर्ती स्थलों पर अवस्थित प्रचालनरत और निर्माणाधीन दोनों किस्म के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की पुनरीक्षा की गई है। इन पुनरीक्षाओं से यह पता चला है कि देश के नाभिकीय विद्युत रिएक्टर सुरक्षित हैं और उनके डिजाइन में कई विशिष्टताएं और गुंजाइश हैं जोकि भूकंप और सुनामी जैसी गंभीरतम प्राकृतिक घटनाओं का सामना कर सकती हैं। तटवर्ती स्थलों पर अवस्थित किए जाने वाले नए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की विशिष्टताओं और प्रावधानों में आधुनिकतम किस्म की सुरक्षा के डिजायन की विशिष्टताएं और प्रावधान भी मौजूद होंगे जो गंभीरतम प्राकृतिक घटनाओं की स्थिति में इनका सुरक्षित होना सुनिश्चित करेंगे।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी

4269. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय एवं वन मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रत्येक परियोजनाओं हेतु मंजूरी अब तक मिलने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, हरियाणा में गोरखपुर; मध्य प्रदेश में चुटका; आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा और गुजरात में छाया मीठी विरदी में अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) संबंधी अध्ययनों के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) अनुमोदित कर दिए गए हैं। विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने का कार्य यिका जा रहा है।

(ग) पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रिया में, विचारार्थ विषयों का अनुमोदन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण, सार्वजनिक सुनवाई, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण, और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने से पूर्व उसकी अंतिम पुनरीक्षा किया जाना शामिल है। इस प्रक्रिया में खास तौर पर लगभग दो वर्ष का समय लगता है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

4270. श्रीमती मीना सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बढ़ रही बेरोजगारी के मद्देनजर 12वीं पंचवर्षीय योजना और चालू वर्ष के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के लिये प्रस्तावित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण दक्ष श्रमशक्ति के अभाव में उद्योग सफल नहीं हो रहे हैं एवं उनके समक्ष विविध समस्याऐं आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार पर व्यय के लिये कितनी निधियां प्रस्तावित हैं; और

(घ) भविष्य में इससे कितने व्यक्तियों/युवाओं के लाभान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भेजा गया प्रस्तावित परिव्यय 131197.55 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान 6680.00 करोड़ रुपए है।

(ख) एक ऐसे कुशल और उत्पादक कार्यबल, जो व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ मुख्य धारा की शिक्षा को शामिल करने के जरिए गुणवत्ता और उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान हो, का सृजन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता अवसंरचना आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, फिनिशिंग स्कूलों का संशोधित कार्यक्रम भी इंजीनियरिंग स्नातकों के रोजगार में वृद्धि करने में सहायक होगा।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

एयर इंडिया और निजी एयरलाइनों द्वारा मानार्थ पास

4271. श्री रमेश बैस :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मानार्थ पास दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया द्वारा दिए गए उक्त पासों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मानार्थ पास जारी करने के कारण एयर इंडिया को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परंपरा पर रोक लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय वाहकों से यात्रा को प्रोत्साहित करने व बढ़ावा देने के लिए एयरलाइन अपने वाणिज्यिक हित से दौरा प्रवर्तकों, यात्रा लेखकों, मीडिया कार्मिकों, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संपर्कों और प्रोत्साहन स्कीमों/समारोहों के लिए मानार्थ टिकटें जारी करती हैं। यह एक ऐसी परिपाटी है जिसे विश्वभर में सभी एयरलाइनों द्वारा कारपोरेट नीति के अनुरूप और एयरलाइन को होने वाले प्रत्याशित फायदे और लाभ के आधार पर अपनाया गया है। इन किरायों

में राजस्व नहीं होता और एयरलाइनों को घाटा भी नहीं होता क्योंकि राजस्व भुगतानकर्ता यात्रियों को जगह देने के बाद सामान्यतया इन टिकट धारकों को सुविधा प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों जैसे 2009-2010, 2010-11 और 2011-12 के दौरान एयर इंडिया ने क्रमशः 258, 449 और 93 मानार्थ टिकटें जारी की हैं।

विलंबित दूरसंचार परियोजनाएं

4272. श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक दूरसंचार परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर अब तक परियोजना-वार किस सीमा तक कार्य किया गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा देश की निम्नलिखित 3 जारी दूरसंचार परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा रहा है इनका ब्यौरा विवरण-I, II और III के रूप में संलग्न है।

(i) स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस)।

(ii) संचार सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी (सीएसआरएम)।

(iii) राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)।

विवरण-I

स्पेक्ट्रम हेतु नेटवर्क

अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने रक्षा मंत्रालय के स्पेक्ट्रम को रिक्त करने के स्थान पर थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए वैकल्पिक ओएफसी नेटवर्क की स्थापना के लिए एक स्पेक्ट्रम परियोजना नेटवर्क (एनएसपी) को अनुमोदित किया था। मंत्रिमंडल ने दिनांक 3 दिसंबर, 2009 को हुई अपनी बैठक में रक्षा सेवाओं (वायु सेना हेतु 1077.16 करोड़ रुपए और थलसेना और नौसेना के लिए 8098 करोड़ रुपए) हेतु 36 माह की अवधि में वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने हेतु 9175.16 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुमोदन दिया था। तदनुसार, वायु सेना से संबंधित परियोजना को जून, 2010 में पूरा किया जाना था तथा थलसेना और नौसेना हेतु समूची परियोजना को दिसंबर, 2012 तक पूरा किया जाना है। वायुसेना नेटवर्क (एएफएनईटी) को वायुसेना द्वारा दिनांक 14.09.2010 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।

जहां तक थलसेना, नौसेना कोर नेटवर्क हेतु ओएफसी का संबंध है, बीएसएनएल ने दिनांक 15.01.2010 को निविदा जारी की थी। ओएफसी की अनुमति लागत 2000 करोड़ रुपए थी और निविदाशुदा लागत लगभग निविदा जारी की थी। 7500 करोड़ रुपए आई। चूंकि अनुमानित लागत की तुलना में निविदा की लागत बहुत अधिक थी इसलिए आवश्यकता की विवरणी और प्रयोक्ता स्तर आवश्यकता के पूरे सेट को अंतर-मंत्रालय समूह (आईएमजी), जिसका दिनांक 15.10.2009 को गठन किया गया था, को भेजा गया। अंतर मंत्रालय समूह ने दिनांक 23 अगस्त, 2011 को अपनी रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत की। इस मुद्दे को दिनांक 28.10.2011 को दूरसंचार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दूरसंचार आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और इस शर्त के साथ 5503 करोड़ रुपए की बजट बढ़ोतरी करने की सिफारिश की कि अंतर-मंत्रालय समूह यह प्रमाणित करेगा कि प्रस्तावित रक्षा नेटवर्क हेतु विर्निदेशनों और अनुमानों को रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं और कार्य के क्षेत्र के संदर्भ में इष्टतम बनाया गया है। आईएमजी ने दिनांक 23.01.2012 को इष्टतम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

36 माह की अवधि में रक्षा सेवाओं के लिए वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने के लिए मंत्रिमंडल की अवसंरचना संबंधी समिति (सीसीआई) द्वारा दिनांक 3.12.2009 को पहले ही अनुमोदित की गई 8098 करोड़ रुपए की कुल राशि के अतिरिक्त, 5236 करोड़ रुपए के वित्तीय अनुमोदन और दूरसंचार विभाग के बजट में इसका प्रावधान करने संबंधी प्रस्ताव को सीसीआई को प्रस्तुत किया जाएगा। सीसीआई नोट के प्रारूप को अंतर मंत्रालय परामर्श हेतु दिनांक 24.02.2012 को परिचालित किया गया है। विधि मामलों के विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और योजना आयोग से टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं। रक्षा मंत्रालय, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से टिप्पणियां भेजने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

विवरण-II

संचार सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी (सीएसआरएम)

सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 16.06.2011 को हुई अपनी बैठक में, इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु 450 करोड़ रुपए के सरकारी वित्त पोषण के साथ 'दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा अभिप्रमाणन' संबंधी परियोजना तथा सांविधिक अंतरावरोधन एवं निगरानी हेतु 'केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली' संबंधी परियोजना वाले 'संचार सुरक्षा, अनुसंधान एवं निगरानी केन्द्र' की स्थापना हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

इस स्कीम को 13-14 माह की अवधि वाले तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना है। सांविधिक अंतरावरोधन एवं निगरानी हेतु पायलेट परियोजना को सीसीएस द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीन माह के अन्दर ही प्रारंभ किया जाना था।

इस परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:–

(i) सीएमएस के मामले में पायलेट परियोजना को 30.09.2011 तक पूरा कर लिया गया है जिसमें सी-डॉट ने एमटीएनएल और टीसीएल में से प्रत्येक के लिए एक आईएसएफ सर्वर स्थापित किया है। अंतरावरोधन सेवाओं को इन दोनों टीएसपी के लिए सफलतापूर्वक एकीकृत और परीक्षित किया गया है और एलईए से उनका परीक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) टीटीएससी के बारे में, दूरसंचार उपस्करों के परीक्षण के लिए परीक्षण मानकों, प्रक्रियाओं और परीक्षण उपकरणों को तैयार करने के लिए आईआईएससी, बेंगलूरू में एक पायलेट प्रयोगशाला स्थापित की गई है। आईआईएससी, बेंगलूरू ने रूटर्स एवं वीओआईपी स्विचों के संबंध में कुछ शेष परीक्षणों को छोड़कर, परीक्षण के ईएएल 3 स्तर को प्राप्त कर लिया है।

विवरण-III

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन हेतु स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करके पंचायतों के लिए मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है। एनओएफएन स्कीम के प्रारंभिक चरण की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इस परियोजना को दो वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

एनओएफएन परियोजना को सरकार, बीएसएनएल रेलटेल और पावरग्रिड की इक्विटी भागीदारी के साथ केन्द्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक विशेष उद्देश्य साधन यानी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए इस कंपनी को दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है।

बीबीएनएल फिलहाल इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु औपचारिकताएं (बोली दस्तावेज प्रक्रिया, कार्य की इकाई आदि) तैयार कर रही है।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध

4273. श्री सुवेन्दु अधिकारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सैलफोन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी स्कूलों में सैलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकार/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे सभी शैक्षणिक संस्थानों में सैलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने पर 29.07.2009 को एक परिपत्र जारी किया था।

(ग) से (च) शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण तथा अधिकतर स्कूल एवं कॉलेजों के राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण, यह संबंधित राज्य सरकारों के लिए है कि वे इस मामले में उपयुक्त निर्णय लें।

[हिन्दी]

नालंदा विश्वविद्यालय

4274. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इस कार्य की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परियोजना हेतु निधियों के अभाव में कार्य में विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु आवश्यक संसाधन और सुविधाओं के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई गई भूमि के चारों ओर बाउन्ड्री का निर्माण कार्य दिसंबर, 2011 में प्रारंभ हुआ। परिसर का निर्माण कार्य ग्लोबल डिजाइन कंपीटिशन, निर्माण कंपनी के चयन और कार्य दिए जाने के पश्चात प्रारंभ होगा। विश्वविद्यालय को प्रतियोगिता आयोजित करने में सहायता एवं परामर्श देने के लिए वरिष्ठ एवं प्रख्यात वास्तुकारों की एक स्थायी/स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। ब्यौरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान
2009-10	50
2010-11	5
2011-12	10
2012-13	15

शिक्षा के स्तर में गिरावट

4275. श्री सुदर्शन भगत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि होने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्कूलों में रटंत प्रक्रिया से सिखाने के परिणामस्वरूप स्कूली शिक्षा के स्तर में यह गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि नामांकन में वृद्धि से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है तथापि नामांकन में वृद्धि से वर्तमान स्कूल सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने अवसंरचना, शिक्षकों, शिक्षण-अधिगम उपस्करों आदि के लिए मानक और मानदंड बनाए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कक्षा III, V और VIII के लिए राष्ट्रीय शिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षण के दो चक्र आयोजित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षण के दो चक्रों के परिणामों में किसी कमी को नहीं दर्शाया गया है अपितु इनमें बच्चों में औसत अध्ययन उपलब्धि में सुधार के संकेत हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में अध्ययन के पारंपरिक तरीकों में बदलाव लाना और बच्चों के संपूर्ण विकास को पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बने रहने से रोकने हेतु पाठ्यचर्या को बेहतर बनाना सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास, बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा के निर्माण और बाल अनुकूल तथा बाल केन्द्रित तरीके से कार्यकलापों, खोज और अन्वेषण के माध्यम से अध्ययन को ध्यान में रखा जाएगा।

राज्यों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के सिद्धांतों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यचर्या का नवीकरण करने के लिए कहा गया है। कई राज्यों में इस प्रक्रिया को पहले ही आरंभ कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यचर्या नवीकरण और संसाधन व्यक्तियों तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण दोनों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

सऊदी अरब की हिरासत में भारतीय नागरिक

4276. **श्री निखिल कुमार चौधरी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरब सहित अरब देशों में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में अरब देश जा रहे भारतीय नागरिकों के साथ वहां की कंपनियां दासों की तरह व्यवहार करती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे को संबंधित सरकारों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो वीजा अवधि बीत जाने के पश्चात् भी वर्तमान में वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) शून्य, जहां तक सरकार को जानकारी है, सोमालिया में दस्युओं द्वारा रखे लोगों को छोड़कर।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार को बेहतर अवसरों की तलाश में अरब देशों में प्रवास कर रहे भारतीय नागरिकों के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है कि उन्हें संबंधित प्राधिकारियों/कंपनियों द्वारा बंधक बनाया जा रहा है अथवा उनसे गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। तथापि, अरब क्षेत्र में हमारे मिशनों और केन्द्रों को अन्य प्रकार की शिकायतें अवश्य प्राप्त होती हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, मिशन/केन्द्र संबंधित नियोक्ता और/अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के साथ शीघ्र तथा सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए मामले को उठाता है। भारत सरकार ने, अरब देशों में अपने मिशनों/केन्द्रों के माध्यम से, भारतीय कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनेक उपाय तथा पहलें की हैं।

(घ) वीजा अवधि समाप्त हो जाने के बाद अरब देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सी.वी.सी. के परामर्श का पालन न किया जाना

4277. **श्री बाल कुमार पटेल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने आयोग के परामर्श के अनुपालन न किए जाने/परामर्श न लिए जाने/परामर्श को स्वीकार न करने के मामलों को गंभीरता से न लेने के लिए मंत्रालय/विभागों पर अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के परामर्श का अनुपालन न करने/परामर्श को स्वीकार न करने हेतु मंत्रालय/विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने की प्रस्ताव है;

(ग) क्या मंत्रालय/विभाग, आयोग की गंभीरता से नहीं ले रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आयोग को और अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए कोई विधान लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) केन्द्रीय सूचना आयोग ने सूचित किया है कि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि अधिकांश मामलों में, जहां शामिल अधिकारी उसके परामर्शी क्षेत्राधिकार के दायरे में हैं, संबंधित प्राधिकारियों ने आयोग की सलाह को स्वीकार किया है और तद्नुसार कार्य किया है। तथापि, यह चिंता का विषय है कि कुछ मामलों में, जहां अधिकारी उसके क्षेत्राधिकार के दायरे में थे, या तो आयोग के साथ परामर्शी तंत्र का पालन नहीं किया गया अथवा संबंधित प्राधिकारियों ने आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया। आयोग ऐसी अस्वीकृति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाता है।

(ख) अनुशासनिक मामलों में, शास्ति आरोपित करने का अंतिम निर्णय संबंधी अनुशासनिक प्राधिकारी के पास होता है। अनुशासनिक प्राधिकारी होता है कि वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह और असहमति के कारणों, यदि कोई हो, सहित अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के बाद और मामले में सभी तथ्यों ओर परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद स्पष्ट आदेश जारी करे। तथापि, अखिल भारतीय सेवाओं और रेल मंत्रालय सहित सभी समूह 'क' केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित अनुशासनिक मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच अलग-अलग मत होने पर निर्णय हेतु प्रधानमंत्री को सौंपे जाने आवश्यक होते हैं। इस संबंध में लिये गये निर्णय से अनुशासनिक अधिकारी को अवगत करा दिया जाता है ताकि सुसंगत अनुशासनिक नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा समझौता

4278. श्री एम. आनंदन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) ने यूरोपियन एयरोनोटिक डिफेंस एवं स्पेस कंपनी (ईएडीएससी) के अंतर्गत एक कंपनी, एस्ट्रियम एसएएस की लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत वाली 800 किलोग्राम की एक सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसरो की वाणिज्यिक कंपनी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन और एस्ट्रियम एसएएस के बीच वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एस्ट्रियम एसएएस द्वारा निर्मित उन्नत दूर संवेदी सैटेलाइट स्पाट-6 का प्रक्षेपणप इसरो के पोलर सैटेलाइट जांच व्हिकल (पीएसएलवी) से किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) इसरो की वाणिज्यिक इकाई एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन्ट्रिक्स) और यूरोपियन एयरोनोटिस डिफेंस एवं स्पेस कंपनी (ईएडीएस), फ्रांस के अंतर्गत एक कंपनी एस्ट्रियम एसएएस के बीच जनवरी 25, 2012 को बंगलूरू में एक वाणिज्यिक प्रमोचन सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के अंतर्गत 800 कि.ग्रा. भार वाले एस्ट्रियम एसएएस द्वारा निर्मित एक दूर संवेदी उपग्रह को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट में रख कर प्रमोचित किया जाएगा। इस प्रमोचन के लिए एस्ट्रियम एसएएस एन्ट्रिक्स को 13.9 मिलियन यूरो का भुगतान करेगा (जो कि 1 यूरो = 65 रुपये के विनिमय दर से लगभग 90.35 करोड़ रुपये होता है)।

(ग) और (घ) एन्ट्रिक्स और एस्ट्रियम के बीच हस्ताक्षरित उपर्युक्त प्रमोचन सेवा करार दोनों एजेंसियों के बीच सितम्बर, 2008 में हस्ताक्षरित दीर्घकालीन करार का एक हिस्सा है।

(ङ) जी, हां।

(च) स्पाट-6 उपग्रह को पीएसएलवी का उपयोग करते हुए उसके कोर एकल संरूपण में (अर्थात् छः ठोस स्ट्रैप आन मोटरों के बिना) भेजा जाएगा। स्पार्ट-6 उपग्रह को 2012 के उत्तरार्ध में एक वृत्ताकर एवं 655 कि.मी. तुंगता के सूर्य तुल्यकाली कक्षा में प्रमोचित किया जाएगा।

[अनुवाद]

एनएसीआईएल में स्टाफ की कमी

4279. श्री संजय धोत्रे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि. (एनएसीआईएल) में स्टाफ की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की संवर्ग-वार वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) क्या स्टाफ की कमी से कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) 31.3.2012 तक श्रेणी-वार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:—

पायलट (कार्यपालक पायलटों सहित)	1543
इंजीनियर (कार्यपालक इंजीनियरों सहित)	1425
कार्यपालक और सामान्य श्रेणी के अधिकारी	5109
कर्मीदल (कार्यपालक केबिन कर्मीदल सहित)	3102
तकनीशियन	3395
सामान्य श्रेणी के कर्मचारी	12277
कुल	26851

(घ) से (च) उपरोक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

परीक्षा केंद्र

4280. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में इंदौर सहित देश के विभिन्न राज्यों में संघ लोक सेवा आयोग के और अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में चयनित राज्य-वार केंद्रों सहित उक्त केन्द्रों को कब तक स्थापित करने की संभावना हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अधिशेष कर्मचारियों का आमेलन

4281. श्री समीर भुजबल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में अधिशेष घोषित किया जाता है और किसी विशेष राज्य व जिले में केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में समान वेतनमान में रिक्तियों में उनके वर्तमान वेतनमान में बहाल नहीं किया जाता है; और

(ख) राज्यों में केंद्र सरकार के अन्य विभागों में रिक्तियों में केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों की बहाली न करने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों, किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को क्रियाकलाप के स्थानांतरण का कार्य माप के अध्ययन, केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के बंद करने आदि के फलस्वरूप अधिशेष घोषित कर दिया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अधिशेष प्रकोष्ठ अधिशेष कर्मचारीवर्ग को उसी राज्य, जहां वे अधिशेष घोषित किए जाने के समय कार्य कर रहे थे, में उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता पर उनके मूल ग्रेड वेतन, अनुकूलता आदि को ध्यान में रखते हुए पुनर्नियुक्त करने का प्रयास करता है।

यद्यपि, सामान्यतया, समूह 'ग' (4200/- रु. के ग्रेड वेतन तक) के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उसी राज्य, जिसमें वे अधिशेष घोषित किए जाने के समय कार्यरत थे, में पुनर्नियुक्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तथापि, यदि संगत समय पर अधिशेष प्रकोष्ठ को कोई उपयुक्त रिक्तियां बताई नहीं जाती हैं तब उन्हें अन्य राज्यों में पुनर्नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है।

कम्प्यूटर शिक्षा

4282. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **मानव संसाधनल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके क्या परिणाम रहे और स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य क्या है;

(ग) क्या देश में अधिकतर स्कूल विद्यार्थियों की कम्प्यूटर तक और कम्प्यूटर शिक्षा हेतु विशेषज्ञ अधिकारियों तक पहुंच नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार के स्कूलों में विद्यार्थी कम्प्यूटर अनुपात और विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वशिक्षा अभियान में नवाचार शीर्ष के तहत कम्प्यूटर आधारित अध्ययन (सीएएल) हेतु प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 50 लाख

रुपए राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती हैं सीएएलए में विज्ञान और गणित पर विशेष बल देते हुए अधिक से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों (यूपीएस) को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस घटक में अन्य बातों के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो हार्डवेयर, साफ्टवेयर, प्रशिक्षण, रख-रखाव तथा संसाधन सहायता को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए नियमित स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध करायी जाती है। 2011-12 तक सीएएल के तहत अब तक 80,307 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया जा चुका है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/कमजोर वर्गों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों पर जोर देते हुए सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण में कम्प्यूटर समर्थित अध्ययन तथा आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)' दिसम्बर, 2004 में शुरू की गयी थी तथा इसे 2010 में संशोधित किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक स्कूल को 6.4 लाख रु. (अनावर्ती) तथा 2.7 लाख रु. (आवर्ती) का अनुदान दिया जाता है जिसे केन्द्र एवं राज्य के द्वारा, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा जहां पर यह 90:10 है, 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है।

इस योजना में मौजूदा राज्य सरकारी स्कूलों में से किसी एक को परिवर्तित कर जिलों में 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था भी है जो एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करेंगे तथा अपनी अवसंरचना एवं संसाधनों को समीपवर्ती स्कूलों के साथ साझा भी करेंगे। इस योजना के तहत प्रति स्मार्ट स्कूल 25 लाख रु. (अनावर्ती) तथा 2.5 लाख रु. (आवर्ती) की दर से अनुदान दिया जाता है जिसे केंद्र एवं राज्य द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा जहां पर यह 90:10 है, 75:25 के अनुपात में वहन यिका जाता है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान सीएएल के तहत कवर किए गए स्कूलों की संख्या की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में देखी जा सकती है। 1.78 करोड़ विद्यार्थियों सहित 94,752 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतम माध्यमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें सामान्य स्कूलों हेतु प्रति स्कूल अन्य सहायक उपकरणों सहित 40 कम्प्यूटर उपलब्ध कराना भी शामिल है। इस योजना में स्कूलों में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षण हेतु अलग से कम्प्यूटर शिक्षक की व्रूवस्था है तथा इसके अतिरिक्त शिक्षकों के सेवापूर्व और सेवाकालीन (भर्ती के समय तथा पुनश्चर्या) प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान स्मार्ट स्कूलों सहित अनुमोदित स्कूलों की संख्या की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में देखी जा सकती है।

विवरण-I

2009-10 से 2011-12 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'स्कूलों में सचूना और संचार प्रौद्योगिकी' के तहत कम्प्यूटर आधारित अध्ययन का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10 शामिल किये गये जिले	2010-11 शामिल किये गये जिले	2011-12 शामिल किये गये जिले
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	3
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	23
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	16
4.	असम	23	23	26
5.	बिहार	37	38	38
6.	चंडीगढ	1	1	1
7.	छत्तीसगढ़	18	18	18
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1	1
9.	दमन और दीव	2	2	2
10.	दिल्ली	9	9	9
11.	गोवा	2	2	2
12.	गुजरात	25	25	25
13.	हरियाणा	20	21	21
14.	हिमाचल प्रदेश	12	12	12
15.	जम्मू और कश्मीर	22	22	22
16.	झारखंड	24	24	24

1	2	3	4	5
17.	कर्नाटक	29	30	30
18.	केरल	14	14	14
19.	लक्षद्वीप	1	1	1
20.	मध्य प्रदेश	50	50	50
21.	महाराष्ट्र	35	35	35
22.	मणिपुर	9	9	9
23.	मेघालय	7	7	7
24.	मिजोरम	8	8	8
25.	नागालैंड	11	11	11
26.	ओडिशा	30	30	30
27.	पुदुचेरी	4	4	4
28.	पंजाब	20	20	20
29.	राजस्थान	33	33	33
30.	सिक्किम	4	4	4
31.	तमिलनाडु	30	30	30
32.	त्रिपुरा	4	4	4
33.	उत्तर प्रदेश	71	71	72
34.	उत्तराखंड	13	13	13
35.	पश्चिम बंगाल	20	20	20
	कुल	631	634	638

विवरण-II

2009-10 से 2011-12 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'स्कूलों में सचूना और संचार प्रौद्योगिकी' के तहत स्मार्ट स्कूलों सहित राज्य-वार अनुमोदित स्कूलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	पीएमईजी द्वारा अनुमोदित स्मार्ट स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	28	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	—	4031	—	05
3.	अरुणाचल प्रदेश	55	24	—	—
4.	असम	—	1240	969	—
5.	बिहार	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	1100	—	—	—
8.	दादरा और नगर हवेली	—	13	01	02

1	2	3	4	5	6
9.	दमन और दीव	—	08	—	02
10.	दिल्ली	—	594*	1110	—
11.	गोवा	—	—	—	—
12.	गुजरात	2730	—	—	—
13.	हरियाणा	1000	1617	—	—
14.	हिमाचल प्रदेश	—	618	848	05
15.	जम्मू और कश्मीर	200	—	—	—
16.	झारखंड	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	—	—	—	—
18.	केरल	—	—	—	05
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	2000	—	2000	—
21.	महाराष्ट्र	—	—	5000	—
22.	मणिपुर	130	260	—	04
23.	मेघालय	100	241	164	04
24.	मिजोरम	—	37	181	04
25.	नागालैंड	—	82	—	04
26.	ओडिशा	—	4000	—	—
27.	पुदुचेरी	—	—	182	04
28.	पंजाब	870	494	—	05
29.	राजस्थान	—	2000	—	—
30.	सिक्किम	—	46	—	04
31.	तमिलनाडु	1880	461	1999	05
32.	त्रिपुरा	—	282	—	—
33.	उत्तर प्रदेश	—	1500	1608	05

1	2	3	4	5	6
34.	उत्तराखंड	500	500	—	—
35.	पश्चिम बंगाल	—	2000	—	05
	कुल	10435	19482	14062	63

*अनुमोदित स्कूलों की संख्या को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरित किया गया।

[हिन्दी]

दूरसंचार आपरेटरों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

4283. **श्री लाल चन्द कटारिया :**
श्री उदय प्रताप सिंह :
डॉ. क्रुपारानी किल्ली :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आपरेटरों के नाम क्या हैं जिन्होंने 2008 में लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं आरंभ नहीं की हैं और टावर नहीं लगाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के संबंध में दूरसंचार आपरेटरों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है/समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या अधिकांश आपरेटरों ने 2008 में लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् आज तक अपने 50% स्पैक्ट्रम का भी उपयोग नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) रॉल आउट दायित्वों के संबंध में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस की संबंधित शर्त के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य कवरेज की अपेक्षा नहीं की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) लाइसेंसधारकों को आवंटित स्पेक्ट्रम के प्रतिशत उपयोग का विश्लेषण नहीं किया जाता है।

कोयला ब्लॉकों का उत्पादन

4284. **श्री मधुसूदन यादव :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षित कोयला ब्लॉक के आवंटनों की नीति के अंतर्गत आवंटित कोयला ब्लॉकों में आरंभ हुए कोयला ब्लॉक-वार और तिथि-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कोयला ब्लॉकों से प्रतिवर्ष कोयला उत्पादन का ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि रक्षित ब्लॉकों से उत्पादित कोयले का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है जिसके लिए उसका आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) केप्टिव कोयला ब्लॉक के आवंटन की नीति के अंतर्गत आवंटित कोयला ब्लॉकों में कोयला उत्पादन का कोयला ब्लॉक-वार ब्यौरा और उक्त कोयला ब्लॉकों से वर्ष-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निर्धारित दिशानिर्देशों और आवंटन पत्र के साथ संलग्न लक्ष्य चार्ट के अनुसार कोयला ब्लॉक विकसित करने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से आवंटिती कंपनी की है। आवंटन पत्र की शर्तों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कथित केप्टिव खनन के उद्देश्यों को छोड़कर और केंद्र सरकार के विगत अनुमोदन को छोड़कर किसी कोयले को बेचा, डिलीवर, अंतरित अथवा निपटाया नहीं जाएगा। उपर्युक्त शर्त संबंधित राज्य सरकार, जहां ब्लॉक स्थित है, के साथ प्रतिपादित खनन पट्टे का भाग भी है। उपर्युक्त का कोई उल्लंघन किए जाने पर खनन पट्टा रद्द कर दिया जाएगा और/अथवा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

विवरण

1997-98 से 2011-12 तक केप्टिव ब्लॉक (ब्लॉक-वार) उत्पादन मि.ट. में

ब्लॉक	कंपनी	ब्लॉकों की सं.	उत्पादन आरंभ होने की तारीख	1997-98	1998-99	1999-00
सरिसाटोली	आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज/सीईएससी लि.	1	अक्तू. 2002			
तालाबीरा-I	हिंडालको	1	अक्तू. '2003			
तारा (ईस्ट) एंड (वेस्ट)	डब्ल्यूबीएसईबी	2	1997	0.709	1.792	2.17
तसरा	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि.	1	नव. '2009			
गारे-पालमा-IV/1	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	1	फर. 1999		0.037	0.78
गोटीटोरिया (ई/वे)	बीएलए इंडस्ट्रीज	2	अक्तू '2004			
गारे-पालमा-IV/5	मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि.	1	जून '2004			
गारे-पालमा-IV/2 एवं IV/3	जिन्दल पावर लि.	2	जून '2007			
गारे-पालमा-IV/4	जायसवाल नेको लि.	1	सित. '2006			
गारे-पालमा-IV/7	रायपुर अलॉयस एंड स्टील लि.	1	मार्च '2009			
मरकी-मंगली-I	बी.एस. इस्पात	1	मार्च '2011			
पचवारा सेन्ट्रल	पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	1	मार्च '2006			
चोतिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	1	जुलाई '2006			
बरजोरे	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1	मार्च '2009			
कथौटिया	ऊषा मार्टिन लि.	1	दिस. '2008			
नामचिक नामपुक	अरुणाचल प्रदेश मिनरल देव कॉरपोरेशन	1	अप्रैल '2007			
बरंज-I, II, III, IV, किलोनी एंड मनोरा दीप	केपीसीएल	6	अग. 2008			
बरजोरा (नार्थ)	दामोदर वेली कॉरपोरेशन	1	मार्च '2011			
बेलगांव	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	1	दिस. '2007			
प्रभातपुर-ए टू सी	इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि.	1	दिस. '2008			
मर्का मंगली-III	विरांगना स्टील लि.	1	दिस. '2011			
कुल		29		0.709	1.829	2.95

2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (पी*)
		0.317	1.495	2.401	2.622	2.546	2.754	2.984	3.213	2.929	3.763
			0.099	0.524	0.936	1.159	1.47	2.066	2.33	2.285	2.356
2.41	2.91	3.085	3.769	3.994	3.992	4.765	4.229	4.139	3.303	2.876	2.690
									0.063	0.014	0.04
1.42	1.55	2.116	2.466	2.965	5.31	5.968	5.994	5.998	5.999	5.999	5.997
				0.096	0.282	0.218	0.329	0.236	0.299	0.297	0.298
				0.126	0.439	0.668	0.835	0.989	1	0.952	0.85
							0.578	4.893	6.045	5.688	5.25
						0.059	0.279	0.396	0.56	0.406	0.478
								0.008	0.291	0.432	0.774
										0.015	0.003
					0.025	1.603	3.797	6.175	8.476	8.031	8.308
						0.625	0.9	0.919	1	1	1
									0.115	0.257	0.213
								0.013	0.062	0.3	0.351
							0.079	0.142	0.251	0.299	0.222
								0.991	2.252	2.275	2.189
										0.021	1.13
							0.001	0.051	0.14	0.114	0.161
								0.013	0.055	0.034	0.105
											0.065
3.83	4.46	5.518	7.829	10.11	13.61	17.61	21.245	30.01	35.45	34.22	36.24

शिक्षा क्षेत्र के लिए निधियां

4285. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर उसे जीडीपी का 6% करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार शिक्षा पर व्यय को उक्त स्तर तक ले जाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र हेतु आवंटित/उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को शिक्षा हेतु बजट में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक प्रत्येक राज्य से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में शिक्षा पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 3.85 प्रतिशत (अनंतिम) था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) में यह निर्धारित किया गया है कि शिक्षा पर होने वाले व्यय को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए ताकि यह यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाए।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 1,97,570 करोड़ रु. (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग हेतु तथा 1,49,784 करोड़ रु. तथा उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु 47,786 करोड़ रु.) का योजनागत आवंटन किया गया था जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए व्यय का लगभग 3.4 गुणा है। शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजनागत परिव्यय में यह महत्वपूर्ण वृद्धि शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत व्यय के लक्ष्य की दिशा में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाती है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आवंटन			खर्च		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
2009-10	36400.00	8132.21	44532.21	31502.28	8779.67	40723.68
2010-11	46036.00	7872.00	53908.00	43497.47	8384.94	51882.41
2011-12	52060.00	11306.00	63366.00	50732.99	9477.40	60210.39
2012-13	61427.00	12649.00	74046.00	—	—	—

राज्यों द्वारा किए जाने वाले व्यय को प्रोत्साहन देने हेतु 11वीं योजना के दौरान कई योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे (i) माध्यमिक शिक्षा की सुलभता में वृद्धि करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (ii) ब्लॉक स्तर पर 6000 माडल विद्यालयों की स्थापना (iii) माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों का निर्माण तथा संचालन (iv) 374 नए माडल डिग्री कालजों की स्थापना (v) विस्तार, समावेशन तथा उत्कृष्टता हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना (vi) यूजीसी

अधिनियम की धारा 12ख के तहत सहायता प्राप्त न कर सकने वाली संस्थाओं के स्तरोन्नयन हेतु विशेष सहायता (vii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आदि।

कोयला ब्लॉकों का विकास

4286. श्री दत्ता मेघे :
श्रीमती रमा देवी :
श्री अंजन कुमार एम. यादव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सार्वजनिक और निजी कंपनियों को आवंटित खानों में कार्य आरंभ न किए जाने के कारण सरकार को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन निजी कंपनियों, जिन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, की निगरानी करने के लिए किसी प्राधिकरण का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो श्रमिकों से संबंधित सुरक्षा उपायों, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा उपायों को किस प्रकार कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या किसी विदेशी कंपनी को भी कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोयला खानों से उपार्जित राजस्व ही रायल्टी है और जब भी कोयले का उत्पादन किया जाता है, उसकी मात्रा पर लगाया गया कर अन्य कर कहलाता है।

(ग) सरकार ने उन निजी कंपनियों को मानीटर करने के लिए किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया है जिन्हें कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है।

(घ) आवंटित कोयला ब्लॉकों से संबंधित मजदूरों के सुरक्षा उपायों, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा उपाय करना आवंटिती की जिम्मेवारी है और उन्हें संगत कानूनों के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है।

(ङ) विदेशी कंपनियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है/सरकार के पास लंबित नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाक घरों के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान

4287. श्री ए. सम्पत : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक घर बचत बैंक खाते के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सेवाएं/योजनाओं के पारिश्रमिक भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप किए गए निधियों के लेन देन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डाक विभाग द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) सामाजिक सुरक्षा सेवाएं/योजनाओं के पारिश्रमिक भुगतान करने के लिए डाक विभाग एवं राज्य सरकारों के बीच किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान करने के लिए कुछ डाक सर्किलों एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) डाक सर्किलों के नाम एवं मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की तारीख दर्शाता हुआ ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान डाकघरों के माध्यम से वितरित की गई राशि निम्नानुसार है:—

वित्त वर्ष	वितरित की गई राशि (करोड़ रु.)
2008-09	3,863
2009-10	7,900
2010-11	9,179
2011-12 (फरवरी, 2012 तक)	6,793

(घ) गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत अर्जित पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	पारिश्रमिक (करोड़ रुपये)
2008-09	200.49
2009-10	शून्य*
2010-11	151.53
2011-12	राजस्व प्राप्त किया जाना है

*वर्ष 2009-10 में मनरेगा शून्य शेष तथा गैर-शून्य शेष बकाया को अलग अलग नहीं किया गया था।

विवरण

मनरेगा समझौता ज्ञापन का ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल	क्या एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं	एमओयू की तारीख	टिप्पणी		
1	2	3	4	5		
1.	आंध्र प्रदेश	हां	30.06.2008			
2.	असम	राज्य स्तर पर कोई एमओयू नहीं है। 4 जिलों में उपायुक्त एवं डाक अधीक्षक स्तर पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।		जिले का नाम	डाक डिवीजन का नाम	एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तारीख
				कामरूप	गुवाहाटी	21.07.2008
				धुबरी	गोआलपाड़ा	20.10.2009
				कोकराझार	गोआलपाड़ा	17.11.2011
				डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	06.04.2012
3.	बिहार	हां	05.08.2009			
4.	छत्तीसगढ़	हां	27.06.2008			
5.	गुजरात	हां	05.06.2008			

1	2	3		4	5
6.	हरियाणा	हां		28.04.2008	
7.	हिमाचल प्रदेश	हां		17.07.2008	
8.	झारखंड	हां		16.01.2009	
9.	कर्नाटक	हां		16.01.2009	
10.	केरल	हां		17.09.2008	
11.	मध्य प्रदेश	हां		05.02.2009	
12.	महाराष्ट्र	हां		28.05.2008	
13.	पूर्वोत्तर	मेघालय	हां	23.07.2008	
		मिजोरम	हां	17.09.2008	
		मणिपुर	हां	07.01.2009	
		अरुणाचल प्रदेश	नहीं		
		त्रिपुरा	नहीं		
		नागालैंड	नहीं		
14.	ओडिशा	हां		05.06.2008	
15.	पंजाब	हां		22.07.2008	
16.	राजस्थान	हां		24.04.2008	
17.	उत्तराखंड	हां		04.03.2009	
18.	उत्तर प्रदेश	हां		06.06.2008	
19.	पश्चिम बंगाल	नहीं			

[हिन्दी]

निर्धन और दुर्बल वर्गों के लिए योजनाएं

4288. **डॉ. संजय जायसवाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्धन, दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए कोई व्यापक योजना तैयार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विशेषकर शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए अनेक स्कीमें शुरू की हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें शामिल हैं। स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

शैक्षिक विकास के लिए स्कीमें:

अनुसूचित जातियां:

1. **एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** यह स्कीम अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा सबसे बड़ा एकल हस्तक्षेप है। इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या उत्तर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है, जिससे कि वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें।

2. **अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति** - लक्षित समूहों अर्थात (i) शुष्क शौचालयों का मैला ढोने वाले, (ii) मैला ढोने के पारंपरिक लिंक वाले सफाई कर्मचारी, (iii) चमड़े का कार्य करने वाले तथा (iv) पशुओं की खाल उतारने वाले, (v) मैनहॉल तथा खुली नाली साफ करने वालों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

3. **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना** - इसका उद्देश्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

4. **एससी छात्रों की मेरिट का उन्नयन** - अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से उनके सम्पूर्ण विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराकर मेरिट का उन्नयन करना।

5. **राजीव गांधी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा फैलोशिप** - यह स्कीम अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल., पीएच.डी. और समकक्ष अनुसंधान डिग्री का अध्ययन जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से किया जाता है और इसके लाभों की तुलना यूजीसी के कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (जेआरएफ) और वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (एसआरएफ) से की जाती है।

6. **एससी छात्रों के लिए शीर्ष शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति स्कीम** - इस स्कीम का उद्देश्य देश के प्रमुख संस्थानों में 12वीं कक्षा के बाद अध्ययन जारी रखने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता मुहैया कराकर एससी छात्रों में गुणवत्ता शिक्षा को प्रोत्साहन देना है।

7. **राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति** - यह स्कीम चयनित अनुसूचित जाति, गैर-अधिसूचित, घुमंतू, अर्धघुमंतू, बेघर कृषि श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों के छात्रों को विदेशों में अध्ययन के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तरीय तथा पीएच.डी. कार्यक्रमों के उच्च अध्ययन जारी करने के लिए सहायता मुहैया कराती है।

8. एससी और ओबीसी छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग - यह स्कीम संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित समूह 'क' और 'ख' परीक्षाओं के लिए गुणवत्ता कोचिंग उपलब्ध कराती है।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसीज) तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसीज)

1. **मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति** - इस स्कीम का लक्ष्य मैट्रिक पूर्व स्तर पर अध्ययन करने वाले ओबीसी के बच्चों को प्रोत्साहित करना है।

2. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति** - पीएच.डी. डिग्री सहित मैट्रिकोत्तर/उत्तर माध्यमिक स्तरों पर अध्ययन करने वाले ओबीसी के छात्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना।

3. **छात्रावासों का निर्माण** - इस स्कीम का लक्ष्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखने वाले छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे कि वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा को जारी रख सकें।

अनुसूचित जनजातिः

1. **जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र** - इसका प्रमुख लक्ष्य विभिन्न पारंपरिक/आधुनिक व्यवसायों में जनजातीय युवाओं की शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों और बाजार संभावनाओं के आधार पर उनके कौशलों का उन्नयन करना है जो उन्हें उचित रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाएगा।

2. **कम साक्षरता वाले जिलों में एसटी लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण** - इस स्कीम का लक्ष्य पहचान किए गए जिलों या ब्लॉकों, विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और कमजोर जनजातीय समूह आवासीय क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों के सौ प्रतिशत नामांकन को सुगम बनाकर सामान्य महिला आबादी और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों में अंतराल को पाटना है।

3. **राजीव गांधी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा फैलोशिप** - यह स्कीम अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल., पीएच.डी. और समकक्ष अनुसंधान डिग्री का अध्ययन जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

4. **राष्ट्रीय विदेशी फैलोशिप** - यह स्कीम चयनित अनुसूचित जाति के छात्रों को अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही उच्च अध्ययन (स्नातकोत्तर, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल स्तर) जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

5. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु उच्च कोटि शिक्षा स्कीम** - यह स्कीम मेधावी एसटी छात्रों को डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तरों पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

6. **एसटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बुक बैंक और मेरिट का उन्नयन** - इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या उत्तर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें।

7. **एसटी छात्रों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा** - इस स्कीम का उद्देश्य एसटी छात्रों को देश के प्रमुख संस्थानों में 12वीं कक्षा के उपरांत अध्ययन जारी रखने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनमें गुणवत्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

8. **एसटी लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास** - इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे एसटी छात्रों को छात्रावास उपलब्ध कराकर जनजातीय छात्रों में साक्षरता को बढ़ावा देना है जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति और अपने गांवों की दूरस्थ लोकेशन के कारण अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाए।

9. **टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना** - इसका प्रमुख उद्देश्य पीटीजी सहित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूल शिक्षण के अनुरूप वातावरण में आवासीय सुविधाओं के साथ शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।

आर्थिक विकास के लिए स्कीमें:

अनुसूचित जातिः

1. **अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)** - इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की परिवारोन्मुखी स्कीमों को बल देना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जाति उपयोजना के संबर्धन के रूप में सौ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)** - एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य लाभार्थियों को विभिन्न आय सृजनकारी कार्यकलाप शुरू करने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध कराना है।

3. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)** - निगम के लक्ष्य समूह मैला ढोने

वाले हैं। निगम मैला ढोने वालों और इनमें गरीबी रेखा से बहुत नीचे की आय वाले लोगों के आर्थिक विकास और पुनर्वास को वरीयता देता है।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसीज) तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसीज):

1. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)** - निगम पिछड़े वर्गों को आर्थिक और वित्तीय स्कीमों तथा परियोजनाओं के लिए वित्त का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराता है जिससे कि पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्तियों या समूहों के प्रौद्योगिकीय और उद्यमी कौशलों का उन्नयन हो सकें।

अनुसूचित जनजातिः

1. **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)** - ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए दोनों सेवा प्रदाता और बाजार डेवलेपर के रूप में कार्य कर रहा है।

2. **विशेष कमजोर जनजातीय समूहों का विकास** - चूंकि पीटीजी अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर वर्ग है, इसलिए यह अनिवार्य है कि उनके संरक्षण एवं विकास तथा उनकी आबादी की गिरती प्रवृति पर प्रतिबंध को वरीयता दी जानी चाहिए। यह स्कीम राज्यों को उन क्षेत्रों पर ध्यानकेंद्रण करने में समर्थ बनाती है जिन्हें वे अपने पीटीजी और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के लिए संगत समझते हैं। कार्यकलापों में आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश के प्रयोजन हेतु ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की स्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा या पीटीजी विशेषकर घुमंतू पीटीजी के व्यापक समाज-आर्थिक विकास की अन्य नव प्रवर्तनकारी कार्यकलाप शामिल हैं।

3. **जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)** - इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को राज्य योजना के संवर्धन के रूप में वार्षिक आवंटन के आधार पर उन क्षेत्रों के लिए अनुदान दिया जाता है जिनमें राज्य योजना प्रावधान सामान्य रूप से जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं।

4. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम** - एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु आय सृजनकारी स्कीम के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन

4289. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक विकास होने या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद, जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी तक मूलभूत सुविधाओं/खाद्य सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से वंचित है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सहित दक्षिण एशिया के देश 2015 तक गरीबी उन्मूलन और सभी के लिए न्यूनतम शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए नवीनतम क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की है; और

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 में

29.8% गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया है। यह वर्ष 2004-05 में 37.2% से 7.4% की गिरावट के साथ वर्ष 2009-10 में 29.8 है। इस अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर कारक लागत में सकल घरेलू उत्पाद प्रति वर्ष 8.7% बढ़ गया है और स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय) प्रति वर्ष 7.0% बढ़ गई है।

(ख) देश में अत्यधिक लोग विभिन्न उपायों में ऐसी सुविधाओं की अपर्याप्तता से परेशान हैं।

(ग) और (घ) गरीबी से संबंधित यूएनडीपी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 1990 तथा 2015 के बीच राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को आधा करना है। इसका अभिप्राय: है कि भारत को 1990 से लगभग 47.5% से वर्ष 2015 तक लगभग 23.75% गरीबी अनुपात कम करना है। वर्ष 2009-10 में गरीबी 29.8% तक नीचे आ गई है। जीडीपी में लगातार विकास और कृषि में और तेज विकास के साथ गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात 2015 तक एमडीजी उद्देश्य के करीब आने की संभावना है।

शिक्षा से संबंधित यूएनडीपी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य से यह सुनिश्चित करना है कि 2015 तक हर जगह लड़के और लड़कियां समान रूप से प्राथमिक शिक्षा के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेंगे। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के अनुसार 6-10 वर्ष के बच्चों के प्राथमिक नामांकन में उनके निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) उपाय से वर्ष 2000 में 83% में सुधार होकर वर्ष 2009-10 में 98.3% हो गया है। डीआईएसई आंकड़ों पर आधारित प्रवृत्ति दर्शाती है कि देश अब 2015 से पहले शत-प्रतिशत एनईआर प्राप्त करने के लिए तैयार है।

वर्ष 2004-05 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार दक्षिण एशिया में प्रतिदिन 1.25 डॉलर पर जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 1990 में 51.15 से गिरकर वर्ष 2005 में 40.3% हो गया है तथा भारत में यह गिरावट 1990 में 51.3% से वर्ष 2005 में 41.6% है।

(ङ) और (च) सरकार गरीबी को कम करने तथा उसे पूरी तरह से समाप्त करने के कार्य के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य योजना अवधि (2007-12) के दौरान प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% कमी करने का था। परिवार उपभोग व्यय के संबंध में वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण वर्ष 2011-12 के दौरान कराया जा रहा है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के साथ-साथ होगा, इसके आंकड़े वर्ष 2013 में ही उपलब्ध हो जाएंगे और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी में कमी का आकलन इन आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

छात्रों का मूल्यांकन

4290. श्री प्रेमदास राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन परीक्षाओं की बजाय समवर्ती आधार पर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो छात्रों को उत्तीर्ण करने के लिए लागू किए गए मूल्यांकन मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों द्वारा अपनाए जा रहे समवर्ती मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रभावकारिता का अध्ययन करके कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 में यह प्रावधान है कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शैक्षिक प्राधिकरण को अन्य बातों के साथ-साथ बच्चे के ज्ञान की समझ और उसे लागू करने की उसकी योग्यता के व्यापक और सतत मूल्यांकन (सीसीई) का प्रावधान करना चाहिए। सीसीई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) से लिया गया है जिसमें मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली की सिफारिश की गई है जो शिक्षण समय की पूरी अवधि के दौरान शिक्षा के शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाए। सीसीई में सतत मूल्यांकन अन्तर्विष्ट है और उसे शिक्षण तथा अधिगम का एक अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रीय पुनश्चर्या अवसंरचना (एनसीएफ) 2005 में सीसीई के दृष्टिकोण की और अधिक व्याख्या की गई है जिसमें सामाजिक वातावरण और स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम के निदान, उपचार और संवर्धन के लिए सीसीई की सिफारिश की गई है। केन्द्र सरकार ने

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सलाह जारी की है। यह सलाह मंत्रालय की बेवसाइट *www.education.nic.in.* पर डाली गई है।

(घ) और (ङ) सीसीई के संबंध में कई अध्ययन किए गए हैं जिनमें तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में मैसूर के क्षेत्रीय संस्थान द्वारा 'अध्यापकों की मूल्यांकन प्रक्रिया की तुलना में सीसीई की प्रभाविता' शामिल हैं, जिसमें यह पाया गया है कि मूल्यांकन परिणामों पर आधारित कक्षा में शिक्षण संबंधी नीतियों के सतत फीडबैक, उपचार और सुधार द्वारा छात्र उपलब्धि के स्तर में वृद्धि हेतु अध्यापकों के कौशल में वृद्धि करने के लिए सीसीई महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर और खुर्दा में उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा 'ओडिशा राज्य में प्राथमिक स्तर पर सीसीई का प्रभाव' शीर्षक के एक अन्य अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया है सीसीई का शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों, नामत: नियमितता, समयबद्धता और अनुशासन में महत्वपूर्ण प्रभाव है।

[हिन्दी]

स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चे

4291. डॉ. बलीराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के बावजूद कई बच्चे अभी भी स्कूल की पहुंच से दूर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में स्कूल तक पहुंच नहीं बना पाने वाले बच्चों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन बच्चों का स्कूलों का नामांकन करने के लिए तथा देश में 100 प्रतिशत साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) 6-13 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में 2009 में आईएमआरबी इंटरनेशनल की विशेषज्ञ यूनिट सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अखिल भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 81.5 लाख थी। सामाजिक आर्थिक समस्याओं, आवास के समीप स्कूलों की अनुपलब्धता, अध्यापकों की अनुपलब्धता, शिक्षा के लिए अपर्याप्त सामुदायिक लामबंदी आदि के कारण बच्चे स्कूल नहीं गए। उपर्युक्त अध्ययन के तहत स्कूल नहीं जाने वाले अभिज्ञात बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा देने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य देश में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ रहा है। अपने प्रारंभ से ही सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक शिक्षा के अवसंरचनात्मक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है जिसमें 2.10 लाख नए प्राथमिक स्कूल, 1.74 लाख नए उच्च प्राथमिक स्कूल, 16.02 लाख अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 5.84 लाख शौचालय और 2.21 लाख पेयजल सुविधाएं शामिल हैं। गुणता में सुधार लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने अब तक पूरे देश में 19.14 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए हैं तथा सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्यिवन ढांचे में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार यह बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण अधिगम सामग्री और वर्दियां उपलब्ध कराता है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप एसएसए के मानदंडों को संशोधित किया गया है।

विवरण

आईएमआरबी सर्वेक्षण 2009 के अनुसार 6-13 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले अभिज्ञात बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6-13 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	1,72,354
3.	अरुणाचल प्रदेश	20,601
4.	असम	2,34,983

1	2	3
5.	बिहार	13,45,697
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	1,974
7.	छत्तीसगढ़	85,366
8.	दादरा और नगर हवेली	444
9.	दमन और दीव	23
10.	दिल्ली	1,24,022
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	1,62,355
13.	हरियाणा	1,07,205
14.	हिमाचल प्रदेश	2,451
15.	जम्मू और कश्मीर	9,691
16.	झारखंड	1,32,195
17.	कर्नाटक	1,08,237
18.	केरल	15,776
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	3,28,692
21.	महाराष्ट्र	2,07,345
22.	मणिपुर	12,222
23.	मेघालय	12,655
24.	मिजोरम	7,485
25.	नागालैंड	8,693
26.	ओडिशा	4,35,560
27.	पुदुचेरी	993
28.	पंजाब	1,267
29.	राजस्थान	10,18,326
30.	सिक्किम	647
31.	तमिलनाडु	52,876
32.	त्रिपुरा	8,434
33.	उत्तर प्रदेश	27,69,111
34.	उत्तराखंड	56,225
35.	पश्चिम बंगाल	7,06,713
	कुल योग	81,50,618

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

4292. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गयी है;

(ख) किन राज्यों में यह योजना अभी प्रारंभ की जानी है;

(ग) राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना चलाने में केन्द्रीय सरकार का अंश कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के संबंध में राष्ट्रव्यापी नीति बनायी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्राथमिक शिक्षा पर मध्याह्न भोजन का क्या प्रभाव पड़ा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) मध्याहन भोजन योजना देश भर में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) अनाज, परिवहन, प्रबंध निगरानी एवं मूल्यांकन तथा रसोई साधनों पर खर्च पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पकाने की लागत, रसोइयों एवं सहायकों को मानदेय का भुगतान तथा रसोई एवं भंडार के निर्माण का खर्च 90:10 के अनुपात में केन्द्र सरकार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के बीच तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75:25 के आधार पर विभाजित किया जाता है।

(घ) जी, हां। मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत सरकार की नीति सभी सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकायों के, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों में अध्ययनरत बच्चों को शामिल करने की है। यह योजना प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याहन भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करती है जो 100 ग्राम अनाज (गेहूं/चावल), 20 ग्राम दालों, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल से प्राप्त होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यह योजना एनर्जी कांटेंट की 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करती है, जो 150 ग्राम अनाज (गेहूं/चावल) 30 ग्राम दालों, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल से प्राप्त होती है। पोषक आहार में और सुधार पत्तेदार हरी सब्जी के अतिरिक्त आयरन और आयोडीन के साथ दोहरे पुष्ट नमक का इस्तेमाल करके किया जाता है, यह मध्याहन भोजन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, योजना के दिशानिर्देशों में स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत निगरानी तंत्र की व्यवस्था है। गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अनाज उठाने से पूर्व जिला प्राधिकरणों और एफसीआई के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। योजना का सतत रूप से पुनरीक्षण त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों, राष्ट्रीय स्तर पर संचालन एवं निगरानी समिति की बैठकों और कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों तथा केन्द्रीय पुनरीक्षण मिशनों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निगरानी संस्थान योजना का मूल्यांकन नियमित अंतराल से करता है।

(ङ) देश के अलग-अगल भागों में मध्याहन भोजन योजना के संबंध में किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि होने तथा स्कूल छोड़कर जाने की दर में कमी होने से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर इस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर हज यात्रा

4293. श्रीमती तबस्सुम हसन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रा के केवल अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट वैध है;

(ख) यदि हां, तो हज यात्रा-2012 के लिए हज यात्रियों को तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या कुछेक कारणों से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट जारी करना जटिल एवं समय खपाउ प्रक्रिया बन चुकी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार प्राथमिकता आधार पर हज यात्रियों के पासपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष प्रबंध करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन भावी हज यात्रियों, जिनकी पुलिस जांच रिपोर्ट तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हों, को प्राथमिकता के आधार पर सामान्य पासपोर्ट जारी करें। पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजनार्थ पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त करने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने में कभी-कभी समय लग जाता है। उन भावी हज यात्रियों, जिनकी पुलिस जांच रिपोर्टें प्राप्त न हुई हों, उनके लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों/पासपोर्ट अधिकारियों को केवल सऊदी अरब के लिए एक वर्ष की वैधता वाले अल्पावधिक वैधता पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भावी हज यात्रियों के आवेदनों के बैकलॉग को निपटाने के लिए सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा आवेदन जमा कराने हेतु विशेष काउंटर खोलकर, अतिरिक्त

अधिकारियों को तैनात करके, सप्ताहांत में कार्य करके, काउंटर पर पासपोर्ट सुपुर्द किए जाने आदि जैसे उपाय करके विशेष अभियान शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

4294. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न भागों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों एवं जन प्रतिनिधियों से अनुरोध/प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकारें अपने राज्यों में नयी आईआईटी के लिए भूमि उपलब्ध कराने में विफल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इन राज्यों से आईआईटी के प्रस्ताव वापस लेने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो क्या उन आईआईटी के उन अन्य राज्यों में अंतरित किए जाने की संभावना है जो भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जबकि 11वीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए हैं वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए विभिन्न हलकों से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय कोई नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस बारे में किसी भी प्रस्ताव को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किए जाने की प्रतीक्षा करनी होगी।

(घ) से (ङ) देश में स्थापित सभी नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए भूमि आवंटित करने का वचन सरकारों ने दिया है। जहां हैदराबाद, रोपड़, भुवनेश्वर, पटना और राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को पूर्णत: इंदौर तथा मंडी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को और आंशिक रूप से भूमि सौंप दी गई है वहीं गांधीनगर (गुजरात) के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भूमि अभी सौंपी जानी है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गांवों के विकास के लिए योजनाएं

4295. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्रीमती मीना सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने/का विचार देश के सभी गांवों के समग्र विकास के लिए सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन तथा नि:शुल्क स्वास्थ्यचर्या सुविधा प्रदान करने के लिए योजना बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं/उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) राज्य में किसी क्षेत्र की आयोजना व विकास का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को और बढ़ाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करने, प्राथमिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन व स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम नामत: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पहले ही प्रचालन में है। वर्तमान में इस संबंध में कोई एकल स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है।

मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग निधि

4296. श्री जगदानंद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यक मुस्लिमों की शिक्षा हेतु अलग धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि तथा उपयोग की गयी धनराशि राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितनी है; और

(घ) मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अन्य लोगों के समतुल्य लाने के लिए भविष्य की योजनाएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) योजना आयोग ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु 'मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं' (एसपीक्यूईएम) के तहत अलग से धनराशि निश्चित की है। इसके अलावा निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों/संस्थाओं में अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) योजना प्रचालित की गई है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के तहत आवंटित राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	वर्ष	एसपीक्यूईएम	आईडीएमआई
1.	2009-10	50.00	5.00
2.	2010-11	104.00	25.75
3.	2011-12	150.00	50.00
4.	2012-13	175.00	50.00

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी की गई राशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना के संबंध में राज्य-वार वित्तीय आवंटन

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1.	आंध्र प्रदेश	—	260.00	—
2.	असम	—	1039.00	459.53
3.	चंडीगढ़	0.36	—	—
4.	छत्तीसगढ़	—	811.67	229.70
5.	हरियाणा	—	37.50	—
6.	जम्मू और कश्मीर	—	347.87	538.60
7.	झारखंड	497.18	—	—
8.	कर्नाटक	—	490.17	210.58
9.	केरल	—	1490.09	—
10.	मध्य प्रदेश	561.35	1343.24	1085.53
11.	महाराष्ट्र	—	36.59	147.52
12.	राजस्थान	—	547.46	71.95
13.	त्रिपुरा	374.18	—	—
14.	उत्तर प्रदेश	3190.47	3554.55	11173.35
15.	उत्तराखंड	—	188.86	34.62
16.	उत्तर प्रदेश (एनआईओएस)	—	—	2.02
	कुल	4623.54	10147.00	13953.40

अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के संबंध में राज्य-वार वित्तीय आवंटन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1.	गुजरात	—	191.20	124.30
2.	हरियाणा	—	201.12	145.36
3.	जम्मू और कश्मीर	—	25.00	—
4.	कर्नाटक	—	281.98	357.26
5.	केरल	—	337.73	2588.56
6.	मध्य प्रदेश	—	252.94	—
7.	महाराष्ट्र	—	387.61	754.59
8.	राजस्थान	—	102.83	—
9.	उत्तराखंड	—	190.29	208.32
10.	सिक्किम	—	—	345.60
11.	मिजोरम	—	—	25.00
12.	असम	—	—	94.22
13.	उत्तर प्रदेश	448.00	277.05	200.39
	कुल	448.00	2247.80	4843.60

(घ) मुस्लिम अल्पसंख्यकों का शिक्षा स्तर अन्य समुदायों के शिक्षा स्तर के बराबर लाने के लिए, मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) तथा अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अलावा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में 374 मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने की योजना के तहत 64 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को शामिल किया गया है तथा पॉलिटेक्निक संबंधी उप-मिशन में 48 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अल्पसंख्यकों, महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपचारात्मक कोचिंग योजना कार्यान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2012

4297. श्री मनीष तिवारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान और सीरिया के प्रश्न पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) का रुख इन मुद्दों पर उनकी सम्बद्ध राष्ट्रीय आवश्यकता को दर्शाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ब्रिक्स की विज्ञप्ति में ईरान और सीरिया के प्रश्न पर भारत का रुख उसके उस रुख के अनुरूप है जैसाकि इसके राजनयिकों द्वारा इन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विचार-विमर्श में विहित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चौथे शिखर सम्मेलन के बाद भारत अब ब्रिक्स के भविष्य के बारे में क्या समझता है; और

(घ) क्या भारत इस विचार से सहमत है कि (ब्रिक्स) को अपने को संभाव्य भू-राजनीतिक इनटिटी के रूप में विकसित करना चाहिए जो इस आर्थिक संस्थान के विरुद्ध हो जो इसके गठन का आधार था?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 29 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में संपन्न चौथे शिखर सम्मेलन में घोषित ब्रिक्स दिल्ली घोषणा के अनुसार ईरानी एवं सीरियाई प्रश्न पर ब्रिक्स के दृष्टिकोण सर्वसम्मत हैं और ये इन मुद्दों के बारे में ब्रिक्स के देशों के अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। ये दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र मंचों पर भारत द्वारा अपनाई गई नीति के अनुरूप हैं।

(ग) और (घ) भारत ब्रिक्स के साथ अपनी सहलग्नता को पर्याप्त महत्व देता है और इसे वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के समकालिक मुद्दों, राजनीतिक एवं आर्थिक वैश्विक अभिशासन के मुद्दों पर समन्वय, परामर्श तथा सहयोग का एक मंच मानता है। एक समूह के रूप में ब्रिक्स ने वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतियों तथा वैश्विक स्थिरता एवं कल्याण का संवर्धन करने में आने वाली चिन्ताओं को दूर करने तथा दीर्घकालिक समाधानों के लिए एक दूसरे से तथा विश्व समुदाय के साथ सहलग्नता के लिए साझा इच्छा तथा क्षमता का प्रदर्शन किया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर में विद्रोहियों को चीन का समर्थन

4298. **श्री पी.सी. मोहन :**
श्री के. सुगुमार :
श्री रमेश बैस :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि चीन भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही समूहों को मूक समर्थन दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में किए गए दावे को चीन द्वारा यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि यह तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में चीन को ठोस सबूत देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) सरकार ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ इस मामले को उठाया है। चीन सरकार ने सूचित किया है कि वे ऐसे सशस्त्र गुटों को कभी समर्थन नहीं देंगे जो भारत सरकार के विरुद्ध हैं। चीन के विदेशी मंत्रालय ने यह कहा है कि चीन सरकार हमेशा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों का पालन करती है तथा वे भारत में सरकार विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करते। भारत तथा चीन आतंकवाद विरोधी वार्षिक वार्ता करते हैं जिसमें दोनों पक्ष ऐसे सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस वार्ता का पांचवां दौर 01 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर सतत नजर रखती है तथा इस सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

पिछड़े वर्गों का शैक्षिक विकास

4299. **श्री अंजन कुमार एम. यादव :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) आरक्षण व्यवस्था पर उक्त कदमों के क्या प्रभाव पड़े हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वर्ष 2005 में संविधान में किए गए 93वें संशोधन के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया, जिसमें सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% एवं 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सामाजिक रूप से लाभवंचित वर्गों हेतु निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उपाचारात्मक कोचिंग, सेवाओं में प्रविष्टि हेतु कोचिंग, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) हेतु कोचिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों इत्यादि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों जैसी योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। इससे सामाजिक रूप से लाभवंचित वर्गों के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अवसरों की सुलभता को बढ़ाकर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

[अनुवाद]

ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा बैंक की स्थापना

4300. **श्री प्रबोध पांडा :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री मानिक टैगोर :
श्री उदय सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री एंटो एंटोनी :

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

श्री रेवती रमण सिंह :

श्री जे.एम. आरुन रशीद :

श्री अधीर चौधरी :

श्री गोपीनाथ मुंडे :

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

श्री सी. शिवासामी :

श्री संजय दिना पाटील :

डॉ. संजीव गणेश नाईक :

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में हाल में हुए ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन में आतंकवाद रोकने, परमाणु कार्यक्रम रोकने तथा बहुपक्षीय ऋण सुविधा के संबंध में हुई वार्ता/लिए गए निर्णय/हस्ताक्षरित समझौते हुए हैं;

(ख) उक्त शिखर-सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) भारत को संभावित लाभ क्या हैं तथा शिखर-सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन से ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच किस हद तक व्यापार बेहतर होगा;

(घ) क्या ब्रिक्स राष्ट्रों ने विकासशील देशों के लिए विकास बैंक की व्यवहार्यता की परीक्षा करने का निर्णय किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या नीतियां बनायी गयी हैं;

(ङ) क्या किसी ब्रिक्स राष्ट्र ने इस कदम का विरोध किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में उस राष्ट्र द्वारा क्या विकल्प सुझाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने ब्रिक्स राष्ट्रों में तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना तथा कोर क्षेत्र परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संसाधन सृजित करने के लिए विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक की तर्ज पर बनी बहुपक्षीय एजेंसी की व्यवहार्यता की परीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 29 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आतंकवाद का मुकाबला करने में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को सशक्त बनाने के निश्चय की पुन:पुष्टि की जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वयन करने के लिए यूएन चार्टर की संरचना के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार प्रमुख भूमिका निभाएगा। नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा उसे पारित कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षित परमाणु ऊर्जा के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबद्ध सुरक्षा मानकों के कड़े अनुपालन तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अभिकल्पन, निर्माण तथा प्रचालन से संबंधित अपेक्षाओं की शर्त के अध्यधीन जारी रहनी चाहिए। नेताओं ने परमाणु सुरक्षा मानकों के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की अनिवार्य भूमिका पर भी जोर दिया।

बहुपक्षीय ऋण सुविधा के संबंध में नेताओं ने विश्व बैंक से आह्वान किया कि वे ऋण की लागतों में कमी करते हुए प्रवर्तनकारी ऋण साधनों को अपनाकर विकास, वित्त व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने तथा संसाधन जुटाने के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दें। नेताओं ने ब्रिक्स तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में अवसंरचना तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए ब्रिक्स के नेतृत्व में नए विकास बैंक की स्थापना की संभावना पर विचार किया तथा अपने वित्त मंत्रियों को यह निदेश दिया कि वे इस पहल की व्यवहार्यता एवं सक्षमता की जांच करें तथा अगले शिखर सम्मेलन में इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ग) भारत वैश्विक तथा क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों के साथ-साथ राजनैतिक एवं आर्थिक वैश्विक अधिशासन के समकालिक मुद्दों पर समन्वय, परामर्श तथा सहयोग के एक मंच के रूप में ब्रिक्स के साथ अपने विचार-विमर्श को काफी महत्व देता है।

शिखर सम्मेलन में समर्थित कार्य योजना में कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन तथा साथ ही ऊर्जा क्षमता एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों, शहरी अवसंरचना विकास इत्यादि सहित कई क्षेत्रों में अंतर-ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के बीच समन्वय एवं सहयोग की व्यापक कार्यसूची शामिल है। ब्रिक्स के सदस्यों के पास जानकारी का खजाना, तकनीक, क्षमताएं एवं बेहतर प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम एक-दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं तथा अपने लोगों के आपसी लाभ के लिए सार्थक सहयोग स्थापित कर सकते हैं।

इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ऐग्जिम/विकास बैंकों द्वारा हस्ताक्षरित (i) स्थानीय मुद्रा में ऋण सुविधा प्रदान करने से संबंधित मास्टर करार तथा (ii) ब्रिक्स बहुपक्षीय ऋण पत्र पुष्टि सुविधा करार नामक दो करार देश के राष्ट्रीय विनियमों के अध्यधीन समर्थनकारी करार हैं जिनमें ब्रिक्स विकास बैंकों के बीच सहयोग संवर्धित करने, अंतर-ब्रिक्स लेन-देन व्यापार लागतों में कमी करने तथा अंतर-ब्रिक्स व्यापार को बढ़ावा देने की क्षमता है।

(घ) से (छ) ब्रिक्स राष्ट्र ब्रिक्स तथा अन्य विकासशील देशों में अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अधिदेश को रीसाइकिल करके संसाधन जुटाने के लिए नए विकास बैंक स्थापित करने की व्यवहार्यता तथा सक्षमता की जांच करने के लिए सहमत हुए हैं। ब्रिक्स के वित्त मंत्री इस पहले की आगे जांच करेंगे तथा अगले शिखर सम्मेलन में अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम

4301. डॉ. रत्ना डे :
श्री नित्यानन्द प्रधान :
श्री वैजयंत पाण्डा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया है तथा यदि हां, तो उसके उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत रेटिंग देने के लिए चयनित स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य-वार कितने स्कूलों को अपेक्षित स्तर कायम रखते पाया गया है तथा योजना से सुसंगति नहीं रखने वाले स्कूलों के विरुद्ध क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) इस योजना के प्रारंभ से इसके लिए जारी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है तथा देश में सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) स्वच्छता के प्रावधानों और प्रक्रिया में सुधार को प्रभावी बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), शहरी विकास मंत्रालय तथा जर्मन टेक्नीकल कॉरपोरेशन (जीटीजेड) के सहयोग से देश भर में 'राष्ट्रीय स्कूल स्वच्छता पहल' की शुरुआत की गयी है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) जागरूकता सृजन तथा व्यवहार परिवर्तन (ii) स्कूलों में स्वच्छता तथा अपशिष्ट पृथकता पर ध्यान (iii) खुले में मलत्याग से मुक्त शहर (iv) अपशिष्ट जल का समुचित निका तथा अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित सेनिटेशन, स्वच्छ शौचालय आदतें, सुरक्षित पेयजल तथा बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय। इस कार्यक्रम पर 18.6.2010 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था वर्तमान में यह योजना सभी राज्यों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में लागू है।

(ग) से (च) इस पहले के अंतर्गत किसी स्कूल का 'चयन' नहीं किया जाता है। स्कूलों से अपनी सेनिटेशन स्थिति के लिए स्वयं की आकलन ऑनलाइन करने की आशा की जाती है। अब तक, देश के 28 राज्यों से 373 स्कूलों ने सेनिटेशन रेटिंग प्राप्त करने के लिए स्वयं को सीबीएसई की बेवसाइट पर पंजीकृत करवाया है। 373 स्कूलों में से 48 स्कूलों को आमतौर पर अपेक्षित सेनिटेशन मानकों कका अनुरक्षण करते हुए पाया गया है। स्कूलों को समुचित उपाय करते हुए अपनी सेनिटेशन रेटिंग में सुधार करने की सलाह

दी गयी है। सीबीएसई ने इस उद्देश्य के लिए कोई निधियां प्रदान नहीं की हैं।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के लिए पुनरुद्धार पैकेज

4302. **श्री गणेश सिंह :**
श्री नीरज शेखर :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री बलीराम जाधव :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री यशवीर सिंह :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री संजय धोत्रे :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री रवनीत सिंह :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री पी.के. बिजू :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 27 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स सहित एयर इंडिया के लिए नया बेड़ा प्राप्त करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन कर नौकरशाहों के बजाय पेशेवरों को नियुक्त करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एयर इंडिया में पूंजी प्रदान करने/को पुनरुद्धार पैकेज देने के बाद इसकी प्रगति/प्रदर्शन की निगरानी की है या सरकार का ऐसा करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कंपनी का पुनरुद्धार करने तथा इसे वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। मंत्रिमंडल ने 12.04.2012 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिसमूह द्वारा यथा अनुशंसित कायाकल्प योजना और एयर इंडिया में इक्विटी निवेश अनुमोदित कर दिया। इस योजना में बिक्री और लीज बैक आधार पर 27 बोइंग 787 और 3 बोइंग 777 विमान शामिल किए जाने की परिकल्पना भी की गई है, जिनके लिए आर्डर 2005-2006 में ही बोइंग को दिए जा चुके हैं।

(ख) सरकार एयर इंडिया के बोर्ड में पेशेवर और प्रबंधकीय सलाह देने के उद्देश्य से, पहले ही गैर-आधिकारिक अशंकालिक निदेशकों की नियुक्ति कर चुकी है।

(ग) कायाकल्प योजना और वित्तीय पुनर्संरचना योजना की प्रगति की मानीटरिंग मंत्री-समूह द्वारा की जा रही है।

(घ) एयर इंडिया ने लागत में कटौती और राजस्व वृद्धि की दिशा में अनेक पहलें की हैं, जैसे (i) पूर्ववर्ती एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मार्ग का पूर्ण यौक्तिकरण और रूट नेटवर्क को समाप्त करना; (ii) कुछ विशेष हानिप्रद मार्गों का यौक्तिकरण; (iii) यात्री अपील में वृद्धि करने के लिए अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर बिल्कुल नए विमानों को शामिल करना; (iv) पुराने बेड़े को चरणबद्ध रूप से हटाना और परिणामस्वरूप अनुरक्षण संबंधी लागत में कमी लाना; (v) लीज पर लिए गए विमानों को लीज समाप्त होने पर या बीच में ही वापस किया जाना; (vi) गैर-प्रचालनिक क्षेत्रों में नियुक्तियों पर रोक लगाना; (vii) निष्फल व्यय में कटौती लाने के लिए स्टाफ की पुनः तैनाती; (viii) पुराने हो रहे बेड़े को ग्राउंड किया जाना, जिनमें बी 747-400 विमान भी शामिल हैं, जिनका उपयोग केवल कतिपय प्रकार के प्रचालनों तथा बीवीआईपी उड़ानों के प्रचालन के लिए किया जाएगा; (ix) विदेशों से ईडी/आईबीओ को वापस भारत में प्रतिस्थापित करना; (x) कतिपय स्थानों पर ऑफ लाइन विदेशों कार्यालयों को बंद करना (xi) फ्रेंकफर्ट हब को समाप्त करके दिल्ली हब की स्थापना, जिसके परिणामस्वरूप मार्गों की पुनर्संरचना की वजह से उल्लेखनीय बचत होगी; (xii) एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना।

[अनुवाद]

उपहारों के लिए मार्ग-निदेश

4303. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीवीआईपी) के केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विदेश दौरों में, के दौरान प्राप्त उपहारों के बारे में कोई व्यापक मार्गनिदेश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में विदेश में सरकारी खर्चे पर दौरे करने वाले वीवीआईपी का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा वीवीआईपी-वार प्राप्त उपहारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन वीवीआईपी का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि में प्राप्त उपहारों की घोषणा करके सरकार के पास जमा कराई और उन वीवीआईपी का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि में प्राप्त उपहारों की घोषणा नहीं की;

(ङ) उक्त अवधि में भारतीय मिशनों/दूतावासों द्वारा इन वीवीआईपी को दैनिक भत्ते रूप में कुल कितनी राशि दी;

(च) वीवीआईपी द्वारा सरकार के पास जमा किए गए उपहारों को बेचने से सरकार को कुल कितनी आय हुई है; और

(छ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वीवीआईपी उन्हें प्राप्त उपहारों की घोषणा करके उन्हें सरकारी तोशखाने में जमा करवाएं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) और (छ) सरकार समय-समय पर इस विषय पर दिशा-निर्देश जारी करती है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपनी विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त उपहार यथासंशोधित विदेशी अंशदान (उपहारों तथा भेंटों की प्राप्ति एवं प्रतिधारण) विनियम, 1978 द्वारा शासित होते हैं। प्रतिलिपि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्तियों की विदेश यात्राओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। यह मंत्रालय माननीय उप-राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त उपहारों से संबंधित कार्य करता है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्राप्त उपहारों का विवरण नीचे दिया गया है।

अतिविशिष्ट व्यक्ति	प्राप्त उपहरों की कुल संख्या (जनवरी, 2009 से 24 अप्रैल, 2012)
भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति	22
भारत के माननीय प्रधानमंत्री	157

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उपहार घोषित करने वाले तथा उनको सरकार के पास जमा करने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में विवरण तोशखाना में है, जो निम्न प्रकार है—

अतिविशिष्ट व्यक्ति	तोशखाना में जमा उपहारों की कुल संख्या (जनवरी, 2009 से 24 अप्रैल, 2012)
भारत के माननीय उप राष्ट्रपति	22
भारत के माननीय प्रधानमंत्री	157

(ङ) सूचना संकलित की जा रही है तथा इसके उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(च) अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा तोशखाना में जमा किए गए किसी भी उपहार की बिक्री नहीं की जाती। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्तियों को उपहारों के प्रतिधारण की अनुमति देकर सरकार ने 62,000/- रुपए की राशि एकत्र की।

विवरण-I

रजिस्ट्री सं. डी.(डी.)-72

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 306] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 1978/आषाढ़ 1, 1990

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1978

का.आ. 402 (अ)—केन्द्रीय सरकार, विदेश अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 8 के खंड (घ) के अनुसरण में धारा 4 में विनिर्ष्टि किसी व्यक्ति को भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में दान या उपहार स्वरूप दिए गए विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने या प्रतिधारित करने के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ — (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) अभिप्रेत है;

(ख) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित ऐसे शब्दों और पदों का जो अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमश, उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. दान या उपहार स्वरूप विदेशी अभिदाय को स्वीकृति या प्रतिधारण का विनियमन—(1) अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो किसी भारतीय शिष्टमंडल का सदस्य हे, ऐसे सदस्य के रूप में उसे (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा व्यक्ति कहा गया है) दान या उपहार स्वरूप किए गए किसी विदेशी अभिदाय को इस विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वीकार कर सकना है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति दान या उपहार स्वरूप कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है वहां वह उसकी प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर भारत सरकार के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और उस मंत्रालय या विभाग के सचिव को, जिसने उस शिष्टमंडल का जिसका वह सदस्य है आयोजन किया है लिखित रूप में निम्नलिखित सूचना देगा:

(क) ऐसा दान या उपहार प्राप्त करने के तथ्य;

(ख) विदेशी स्रोत, जिससे वह प्राप्त हुआ;

(ग) भारत में उसका अनुमानित बाजार-मूल्य;

(घ) वह स्थान जहां और वह तारीख जिसको यह प्राप्त हुआ; और

(ङ) उस संबंध ऐसे अन्य विवरण जो वह उन परिस्थितियों में उपयुक्त समझे बताये जाएं:

परन्तु ऐसी दशा में, जहां ऐसा व्यक्ति ऐसा दान या उपहार उस समय प्राप्त करता है जब वह विदेश में या भारत से बाहर के राज्य क्षेत्र में हो, वहां ऐसी सूचना उसके भारत वापस आने की तारीख से तीन दिन के भीतर दी जाएगी।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त प्रत्येक दान या उपहार, उपविनियम, (2) के अधीन उसके द्वारा ऐसी प्राप्ति की सूचना देने की तारीख से तीस दिन के भीतर, भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास जमा कर दिया जाएगा, जिसने ऐसे शिष्टमंडल का जिसका वह सदस्य था आयोजना किया था:

(4) उप-विनियम (3) में निर्ष्टि भारत सरकार का सचिव ऐसे प्रत्येक दान या उपहार को, जो उसके पास जमा किया गया है, भारत में उसके बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु विदेश मंत्रालय के तोशखाना को भेज देगा।

(5) ऐसा निर्धारण, ऐसे दान या उपहार के तोशखाना में प्राप्त होने की तारीख तीस दीन के भीतर, तोशखाना में वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए लागू तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसरण में किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसे निर्धारण की सूचना लिखित रूप में तुरंत दी जाएगी।

(6) उपविनियम (5) क अधीन इस प्रकार किया गया निर्धारण अंतिम होगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी।

(7) ऐसा प्रत्येक दान या उपहार, जिसका उप-विनियम (5) के अधीन निर्धारित भारत में बाजार मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास प्रतिधारण हेतु वापस कर दिया जाएगा:

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति को जब वह एक ही शिष्टमंडल में ही एक से अधिक दान या उपहार प्राप्त होते हैं वहां ऐसा व्यक्ति उनमें से केवल एक ही दान या उपहार प्रतिधारित करने का हकदार होगा।

(8) ऐसा प्रत्येक दान या उपहार जिसका उप-विनियम (5) के अधीन यथानिर्धारित भारके में बाजार मूल्य एक हजार रुपए से अधिक है, तोशखाना में प्रतिधारित कर लिया जाएगा।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को उप-विनियम (5) के अधीन उसे सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर इस विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह ऐसे दान या उपहार का उप-विनियम (5) के अधीन यथा निर्धारित भारत में बाजार मूल्य और एक हजार रुपए के अंतर का संदाय करके उसे खरीद ले:

परंतु यह और कि इस उपविनियम के अधीन किया गया विकल्प का प्रयोग अंतिम होगा।

[सं. II/21022/5(6)/77-एफ सी आर ए-I]

जे.सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.(डी.)-72

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 496] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 1981/कार्तिक 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1981

का.आ. 786 (अ)—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियोग) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 8 के खंड (घ) के अनुसरण में, विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः—

1. विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) संशोधन विनियम, 1981 है।

2. विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 के विनियम 3 में—

(क) खंड (2) के उप खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड को रखा जायेगा, अर्थात्:—

"उद्भव के देश में उसका लगभग बाजार मूल्य"

(ख) उपखंड (4) में "भारत में उसका बाजार मूल्य" शब्दों के स्थान पर "उद्भव के देश में उसका बाजार मूल्य" शब्द रखे जायेंगे।

(ग) उपखंड (7) में और साथ ही उपखंड (8) में "भारत में बाजार मूल्य-" शब्दों के स्थान पर

"उद्भव के देश में बाजार मूल्य" शब्द और "एक हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "और जहां कहीं आवश्यक हो।" "तीन हजार रुपये" शब्द रखे जायेंगे।

[सं. II/21022/10(4)/81-एफ सी आर ए-I]
आर.एम. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.(डी.एन.)-72

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 642] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1984/पौष 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1984

का.आ. 980 (अ)—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियोग) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 8 के खंड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:—

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) संशोधन विनियम, 1984 है।

2. विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 में, विनियम 3 के उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(6) यदि उप-विनियम (5) के अधीन इस प्रकार किए गए निर्धारण के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।"

[सं. II/21022/10(1)/83-एफ सी आर ए-I]
सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.(डी.एन.)-127

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 326] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनू 8, 1989/ज्येष्ठ 18, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1989

का.आ. 720 (अ)—विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 8 के खंड (घ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति अथवा उनका प्रतिधारण) विनियमन, 1978 में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियमन बनाती है, अर्थात:—

1. (1) ये विनियम विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति अथवा उनका प्रतिधारण) संशोधन विनियम, 1989 कहलाएंगे।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति अथवा उनका प्रतिधारण) विनियम, 1978 के विनियम 3 में–

(क) उप विनियम (2) में–

(i) "तीस दिनों के भीतर" शब्दों के बाद "भारतीय शिष्टमंडल के नेता" शब्द जोड़ जाएंगे,

(ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,:–

"आगे शर्त यह है कि यदि भारतीय शिष्टमंडल के नेता का यह मत हो कि ऐसे दान (दानों) अथवा उपहार (उपहारों) का भारत में बाजार मूल्य 1000 रुपये से अधिक है और उक्त नेता ऐसे व्यक्ति को लिखित में यह निदेश दे कि इन विनियमों की ऐसी अपेक्षाओं का जो उसके मामले में लागू होती हों, अनुपालन करे तो ऐसे व्यक्ति द्वारा इन विनियमों में दी गई अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) उप-विनियम (7) के परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"आगे शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक ही शिष्टमंडल में रहते हुए एक से अधिक दान या उपहार प्राप्त किए गए हों और ऐसे सभी दानों या उपहारों का भारत में बाजार मूल्य, भारतीय शिष्टमंडल के नेता द्वारा यथानिर्धारित, 1,000/- रुपये से अधिक नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसे सभी दानों/उपहारों को प्रतिधारित कर सकेगा।"

[सं. II/21022/10(2)/82-एफ सी आर-I]
आर.एम. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:– मुख्य विनियम 22 जून, 1978 का का.आ. 407 (अ) के तहत अधिसूचित किए गए, और बाद में 5.11.81 के का.आ. 786 (अ) तथा 31.12.84 को का.आ. 980(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/98

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II–खण्ड 3–उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 36] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 1999/माघ 7, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1999

का.आ. 37 (अ)–केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 8 के खंड (घ) के अनुसरण से विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) संशोधन विनियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 में, विनियम 3 के उप-विनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु कोई मंत्री दिए गए किसी दान या उपहार को तभी प्रतिधारित कर सकेगा/कर सकेगी जब उस दान का उप-विनियम (5) के अधीन निर्धारित मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक न हो।"

[सं. II/21022/11(9)/97-एफ सी आर ए-I]
गुरूचरण सिंह, संयुक्त सचिव

विवरण-II

भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं

2009

1. उप राष्ट्रपति की म्यांमार यात्रा, 5-8 फरवरी
2. उप राष्ट्रपति की कुवैत यात्रा, 6-8 अप्रैल
3. राष्ट्रपति की स्पेन तथा पोलैण्ड यात्रा, 20-27 अप्रैल
4. उप राष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, 8-10 मई
5. एससीओ एवं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की रूसी परिसंघ की यात्रा, 15-17 जून
6. प्रधानमंत्री की जी-8 शिखर सम्मेलन के लिए इटली यात्रा, 7-11 जुलाई
7. प्रधानमंत्री की गुट निरपेक्ष सम्मेलन के लिए फ्रांस तथा मिस्र की यात्रा, 13-17 जुलाई
8. राष्ट्रपति की रूस तथा तजाकिस्तान यात्रा, 2-8 सितंबर
9. जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की पिट्सबर्ग की यात्रा, 23-27 सितंबर
10. प्रधानमंत्री की थाइलैंड यात्रा 23-25 अक्तूबर
11. राष्ट्रपति की यूके तथा साइप्रस यात्रा, 26 अक्तूबर-1 नवंबर
12. प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पोर्ट ऑफ स्पेन यात्रा, 21-28 नवंबर
13. प्रधानमंत्री की डेनमार्क यात्रा, 17-18 दिसंबर

2010

1. उप राष्ट्रपति की जाम्बिया, मलावी, बोत्सवाना यात्रा, 5-12 जनवरी
2. प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा, 27 फरवरी-1 मार्च,
3. प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्राजील यात्रा, 10-16 अप्रैल
4. सार्क शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा, 28-30 अप्रैल
5. राष्ट्रपति की चीनी लोक गणराज्य की यात्रा, 26-31 मई
6. उप राष्ट्रपति की चेक गणराज्य तथा क्रोएशिया यात्रा, 6-12 जून
7. जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा, 25-29 जून
8. राष्ट्रपति की लाओस तथा कम्बोडिया यात्रा, 9-18 सितंबर
9. भारत के उप राष्ट्रपति की ब्रुसेल्स यात्रा, 3-6 अक्तूबर
10. प्रधानमंत्री की जापान, मलेशिया तथा वियतनाम यात्रा, 24-30 अक्तूबर
11. जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की कोरिया गणराज्य की यात्रा, 10-12 नवंबर
12. राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात तथा सीरिया यात्रा, 21-29 नवंबर
13. प्रधानमंत्री की बेल्जियम तथा जर्मनी यात्रा, 9-11 दिसंबर

2011

1. प्रधानमंत्री की चीन तथा कजाकिस्तान यात्रा, 12-15 अप्रैल
2. राष्ट्रपति की मॉरीशस यात्रा, 24-28 अप्रैल
3. उप राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा, 6-7 मई
4. प्रधानमंत्री की अफगानिस्तान यात्रा, 12-13 मई
5. प्रधानमंत्री की इथोपिया तथा तंजानिया यात्रा, 23-28 मई
6. भारत के उप राष्ट्रपति की सूडान तथा उगांडा की यात्रा, 6-8 जुलाई
7. राष्ट्रपति की कोरिया गणराज्य तथा मंगोलिया यात्रा, 24-30 जुलाई
8. प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा, 6-7 सितंबर

9. प्रधानमंत्री की न्यूयार्क यात्रा, 21-27 सितंबर

10. राष्ट्रपति की स्विट्जरलैण्ड तथा आस्ट्रिया यात्रा, 30 सितंबर-7 अक्तूबर

11. उपराष्ट्रपति की तुर्की यात्रा, 10-15 अक्तूबर

12. प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा, 17-19 अक्तूबर

13. उप राष्ट्रपति की आस्ट्रेलिया यात्रा, 27-31 अक्तूबर

14. प्रधानमंत्री की कान, फ्रांस यात्रा, 2-5 नवंबर

15. प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा, 9-12 नवंबर

16. प्रधानमंत्री की बाली, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर यात्रा, 17-20 नवंबर

17. प्रधानमंत्री की रूस यात्रा, 15-17 दिसंबर

2012

1. प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा, 24-27 मार्च।

[हिन्दी]

ठेके देने में अनियमितताएं

4304. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री अब्दुल रहमान :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ स्थित अमौसी हवाई अड्डे एवं अन्य हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवन, हैंगर्स, टरमैक आदि के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को ठेके देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, कोलकाता तथा दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा हवाई अड्डे-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या कुछ ठेकेदारों को अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से काम दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मानदंडों/दिशा-निदेशों/नियमों आदि के उल्लंघन संबंधी अनुमानित राशि एवं दुरुपयोग की गयी राशि कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के तहत जांचाधीन है। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई छानबीन के बारे में इस मंत्रालय को कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अधिक स्पेक्ट्रम की रिकवरी

4305. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीएसएम ऑपरेटरों द्वारा संविदागत मूल्य के अलावा रखे गए ऑपरेटर-वार अधिक अनुमानित स्पेक्ट्रम क्या हैं;

(ख) इन लाइसेंसों की वास्तविक लेफ्ट आउट अवधि तथा संविदागत स्पेक्ट्रम पर अधिकतम सीमा क्या है;

(ग) अधिक स्पेक्ट्रम की गणना एवं रिकवरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रस्तावित विधि क्या है; और

(घ) विभिन्न ऑपरेटरों के बीच लेवल प्लेइंग फिल्ड सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है क्योंकि कुछ ऑपरेटर 10 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम रखे हुए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (घ) 4.4/6.2 मेगाहर्ट्ज का प्रारंभिक स्पेक्ट्रम सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंसधारकों/एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसधारकों को सेवा लाइसेंस के करार के उपबंधों के अनुसार उपलब्धता के अध्यधीन आवंटित किया जाता है। प्रारंभिक स्पेक्ट्रम से अधिक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम भी इस तरह के आवंटन के समय लागू दिशा-निर्देशों/आदेशों/मानदंडों के अनुसार उपलब्धता के अधयधीन आवंटित किया जाता है।

तथापि, ट्राई ने **'स्पेक्ट्रम की नीलामी'** पर 23 अप्रैल, 2012 को अपनी सिफारिश दी और सुझाव दिया कि स्पेक्ट्रम के अर्जन की सीमा संबंधित सेवा क्षेत्र में प्रत्येक बैंड में आवंटित स्पेक्ट्रम का 50% और प्रत्येक सेवा क्षेत्र में सभी बैंडों में सम्मिलित रूप से कुल आवंटित स्पेक्ट्रम का 25% होगी। इन सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा की जा रही है।

छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

4306. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री हरिन पाठक :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जारी योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में छात्राओं के लिए नयी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जाने वाले मानदंड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) कॉलेज एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष उपलब्ध 82,000 नई छात्रवृत्तियों में से, 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां बालिका छात्राओं को प्रदान की जाती हैं बशर्तें कि वे स्कीम के अंतर्गत अन्य अपेक्षाओं को पूरा करें। इस स्कीम के अंतर्गत स्नातकों के लिए प्रथम तीन वर्षों तक 10,000 रु. प्रति वर्ष तथा स्नातकोत्तरों के लिए 20,000 रु. प्रति वर्ष की राशि स्वीकार्य है। स्नातकोत्तर स्तर पर कोई नया चयन नहीं है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे विद्यार्थी प्रथम तीन वर्षों के लिए 10,000 रु. प्रति वर्ष और चौथे एवं पांचवें वर्ष के लिए 20,000 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त करेंगे। स्नातकोत्तर स्तर तक उसी विषय में, स्कीम के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष छात्रवृत्ति का नवीकरण किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में उन बालिका छात्राओं हेतु इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जो देश में गैर-व्यावसायिक स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जो देश में गैर-व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, एकल बालिका जो अन्य अपेक्षाओं को पूरा करती है, को अवार्ड लिए 2000 रु. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

(ख) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी

4307. श्री आनन्द प्रकाश परांजपे :
श्री हरिन पाठक :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय भोई :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल एवं एमटीएनएल अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसंरचनागत दूरसंचार सेवा प्रदान कर रहे हैं तथा उनकी मौजूदगी के परिणामस्वरूप टेलीफोन कॉल दरें कम हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन परिस्थितियों के कारण इन पीएसयू से भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों को उनके स्थान पर उपयुक्त भर्ती किए बिना

वापस भेजने के लिए दूरसंचार विभाग बाध्य हुआ जिससे इन पीएसयू में अधिकारियों की कमी हो गई;

(घ) क्या इन पीएसयू में फिर से नियुक्त होने से उनके इंकार के बाद दूरसंचार विभाग में इन वापस गए अधिकारियों को आधिक्य के रूप में घोषित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अधिकारियों की सेवाओं को किस प्रकार से उपयोग में लाने का विचार है एवं बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्टाफ कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) बीएसएनएल मुंबई और दिल्ली महानगरों को छोड़कर अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ये सेवाएं दिल्ली और मुंबई महानगरों में प्रदान कर रहा है। टेलीफोन की कॉल दरें प्रचालकों के विवेकाधीन हैं और ये बाजार की शक्तियों और प्रतिस्पर्द्धा सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर हैं। दूरसंचार प्रचालकों की अत्यधिक संख्या होने के कारण प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होने पर कॉल दरों के कम होने की संभावना रहती है। यह देखा गया है कि जब से बीएसएनएल और एमटीएनएल ने मोबाइल टेलीफोनी प्रदान करना प्रारंभ किया है, मोबाइल सेवाओं की दरें कम हुई हैं।

(ग) से (ङ) दिनांक 1 अक्तूबर, 2000 को बीएसएनएल के निगमीकरण और बीएसएनएल/एमटीएनएल में समूह ''ख'', ''ग'' और ''घ'' के लगभग 3,97,000 अधिकारियों के आमेलन के बाद आईटीएस अधिकारियों सहित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभिन्न सेवाओं के समूह ''क'' अधिकारियों को मंत्रिमंडल द्वारा प्रारंभ में वर्ष 2005 में और बाद में वर्ष 2008 में अनुमोदित किए गए अनुबंध व शर्तों के अनुसार बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन के लिए अपने विकल्प देने के लिए कहा गया था। इस बीच, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ के दिनांक 1 जून, 2011 के आदेश में, दूरसंचार विभाग को निदेश दिया कि वह अपने उन समूह ''क'' अधिकारियों को आगे कोई और अवसर न दे तो बीएसएनएल में समप्रतिनियुक्ति पर बने हुए हैं और उन्हें उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करे। विभाग में लिए गए निर्णय के अनुसार, सितंबर, 2011 में सभी समूह ''क'' अधिकारियों को बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन के लिए अपना विकल्प देने का अंतिम अवसर दिया गया था।

जो अधिकारी बीएसएनएल/एमटीएनएल में समप्रतिनियुक्ति पर हैं परंतु जिन्होंने विकल्प देने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 8.11.2011 तक बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन के लिए विकल्प नहीं दिया है, वे सरकारी सेवा में वापस/प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

30.04.2012 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल और एमटीएनएल में समप्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 1454 समूह ''क'' आईटीस अधिकारियों में से 394 को दूरसंचार विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। इससे बीएसएनएल और एमटीएनएल की किसी भी सेवा में कोई व्यवधान नहीं आया है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ने अनन्य रूप से समूह ''क'' आईटीएस अधिकारियों में से वरिष्ठ और मध्य प्रबंधन स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी है।

प्रत्यावर्तन के बाद, आईटीएस अधिकारियों सहित समूह ''क'' के वे अधिकारी जिन्होंने सरकारी सेवा में बने रहने का विकल्प दिया है, परंतु दूरसंचार विभाग की आवश्यकता के अनुसार आधिक्य में पाए गए हैं, उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37-क के उप-नियम (6) और आधिक्य स्टाफ की पुन:नियुक्ति से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार सरकार के आधिक्य प्रकोष्ठ के माध्यम से पुन: नियुक्त किया जाता है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय असंतुलन

4308. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के विकास में अंतर्राज्यीय एवं क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की राजधानियों तथा महानगरों से दूर के क्षेत्रों में विकास की गति का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे सुदूर क्षेत्रों के विकास के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अलग योजना शामिल करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) भारत के उप-महाद्वीपीय स्वरूप के कारण, एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विकास के स्तर भिन्न-भिन्न हैं। यहां संसाधनों की उपलब्धता, अवसंरचना स्तरों और समाज-आर्थिक मानदंडों में भिन्नता के कारण भौगोलिक मानदंडों और ऐतिहासिक विकासों में भिन्नता अंतर्भूत है।

(ख) किसी भी क्षेत्र की आयोजना और उसका विकास प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से, विभिन्न विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, फ्लैगशिप कार्यक्रमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों को उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है। देश में विकास में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने के लिए वर्ष 2006-07 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की शुरूआत की गई थी जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था ताकि चिह्नित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को पूरा किया जा सके।

(ग) इस संबंध में कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया गया है। तथापि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत 250 पिछड़े जिलों को कवर किया गया जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा प्रति कृषि श्रमिक आउटपुट, कृषि मजदूरी दर तथा जिले की अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी के प्रतिशत के तीन मानदंडों को लेकर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर चिह्नित तथा अपने पहले चरण में कवर किए गए सभी 200 जिले और आईएमटीजी द्वारा 17 समाज-आर्थिक परिवर्तियों के आधार पर चिह्नित 170 पिछड़े जिले शामिल हैं जिनमें 120 जिले दानों में शामिल रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की पहले से ही मौजूदगी को देखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से कोई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा

4309. श्री मनोहर तिरकी :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार की वर्तमान नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में राज्य-वार विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवंटित/प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अभी तक हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्यों ने उक्त राशि का पूर्णतया उपयोग कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि राज्य एक समयबद्ध तरीके से इन राशियों को पूर्णतया उपयोग में लाएं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा विकसित कर रहा है जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जिसे विभिन्न सेक्टरों के लिए व्यवसाय संबंधी मानकों को तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है, कि घनिष्ठ साझेदारी में एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अर्हता प्रणाली हेतु साझे सिद्धांत तथा दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा। इसमें औपचारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच छात्रों के लिए समस्तरीय और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, बहुविधि प्रवेश तथा निर्गम की व्यवस्था होगी। इसमें प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रत्यायन, मूल्यांकन तथा प्रमाणन की व्यवस्था होगी जोकि देश में नवीकृत तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली की सफलता में आधारस्तम्भ साबित होगा।

(ख) से (ङ) कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु कोई पृथक निधियां/अनुदान आवंटित नहीं किया गया है और इसलिए निधियों के उपयोग की मात्रा का प्रश्न ही नहीं उठता।

एमडीएमएस के अंतर्गत खाद्यान्न की चोर बाजारी

4310. श्री संजय सिंह :
श्री एस. अलागिरी

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन हेतु खाद्यान्नों को खुले/चोर बाजार में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 2011 और 2012 के दौरान अब तक प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसका क्या परिणाम रहा;

(घ) क्या खाद्यान्नों के दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई मशीनरी/तंत्र उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान कोई ऐसा मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा खाद्यान्नों के दुरुपयोग एवं अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए मध्याह्न भोजन स्कीम दिशा-निर्देशों में स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक मॉनीटरन तंत्र का प्रावधान किया गया है! जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल स्तर पर उपस्थिति रजिस्टरों, मध्याह्न भोजन लाभार्थियों तथा एमडीएमएस स्टॉक को अनुरक्षित करना अपेक्षित है। इन रजिस्टरों की जांच ब्लॉक तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है। निधियों की उपयुक्त उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर, तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से आवंटन सूचना, खाद्यान्नों के उठान एव उनकी उपयोगिता का अनुवीक्षण किया जाता है। इस स्कीम का अनुवीक्षण राष्ट्रीय स्तर की संचालन-सह मॉनीटरन समिति की बैठकों तथा कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के माध्यम से भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्थल मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय समीक्षा मिशनों द्वारा राज्यों का दौरा किया जाता है। स्वतंत्र अनुवीक्षण संस्थाओं द्वारा भी नियमित अंतरालों पर स्कीम का मूल्यांकन किया जाता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग/केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अभियोजन संबंधी प्रक्रिया

4311. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री एस. अलागिरी :
श्री हरीश चौधरी :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.वी.सी./सी.बी.आई. द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन प्रक्रिया समय पर आरंभ नहीं हो पायी है और अभियोजन आरंभ करने में अनेक महीनों का समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई न करने के दोषी पाए गए प्राधिकरणों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के अधीन, दिनांक 31.03.2012 को तीन माह से अधिक समय से अभियोजन की मंजूरी के लिए 39 मामलों में 82 अनुरोध लंबित हैं।

उपलब्ध साक्ष्य के विस्तृत विश्लेषण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श और कभी-कभी संगत दस्तावेजी सबूतों की अनुपलब्धता के कारण प्राय: विलंब होता है। सीवीसी अभियोजन के लिए संबंधित प्राधिकरणों से मंजूरी नहीं लेता है। यह, इसको संदर्भित मामलों में, प्रशासनिक प्राधिकरणों को केवल परामर्श देता है।

(ग) से (च) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में निर्देश दिया था कि 'अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने की तीन माह की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। हालांकि, जहां महान्यायवादी या महान्यायवादी के कार्यालय में किसी विधि अधिकारी के परामर्श की आवश्यकता हो, वहां एक माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।' अभियोजन के लिए मंजूरी देने में विलंब को रोकने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 399/33/2006-ए.वी.डी.-III तथा इसके बाद दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 के अन्य कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुदेश जारी किए हैं जिसमें प्रत्येक चरण में निश्चित समय सीमा नियत करने और जान-बूझकर विलंब के लिए जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान किया गया है।

सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) (च), केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने की शक्ति देती है। तदनुसार, आयोग संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के सक्षम प्राधिकारियों के पास 3 माह से अभियोजन की मंजूरी के लिए लंबित मामलों की निगरानी रखता है।

विलंब के कारण अभिनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भी आवधिक समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

बीएसएनएल और एमटीएनएल के ग्राहकों में कमी

4312. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्री तूफानी सरोज :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री बाल कुमार पटेल :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों की तुलना में बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के टेलीफोन ग्राहकों का राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के राजस्व, व्यय और बाजार हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इनकी दूरसंचार और इंटरनेट ब्रॉडबैंड बाजार हिस्सेदारी और लाभकारिता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ रही है। तथापि, कुछ निजी प्रचालकों की तुलना में बीएसएनएल और एमटीएनएल की वृद्धि कम है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 29.2.2012 की स्थिति के अनुसार निजी प्रचालकों के साथ-साथ बीएसएनएल/एमटीएनएल के टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या का लाइसेंस क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2011 तक) के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल का राजस्व और व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बीएसएनएल		एमटीएनएल	
	आय	व्यय	आय	व्यय
2008-09	35,812	34,354	5,250	4,986
2009-10	32,045	34,078	5,058	8,477
2010-11	29,688	36,002	3,992	6,767
2011-12 (31.12.2011 तक)	20,617	27,770	2,671	5,329

पिछले तीन वर्षों की तारीख 31 मार्च और चालू वर्ष की तारीख 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों के संबंध में बीएसएनएल/एमटीएनएल की बाजार हिस्सेदारी का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दूरसंचार विभाग (डीओटी), बीएसएनएल और एमटीएनएल की वित्तीय हालत में सुधार करने के उद्देश्य से उनके कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा उन्हें लाभकारी बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:—

- कंवर्जेंस और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पूंजीगत व्यय और प्रचालनात्मक व्यय को इष्टतम बनाना।
- सरकारी परियोजनाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान देते हुए ब्रॉडबैंड और उद्यम व्यवसाय पर एकीकृत ध्यान देकर स्थायी राजस्व प्रवाहों को सशक्त बनाना।
- मानीटरिंग के उद्देश्य से शीर्ष 100 शहरों से आने वाले राजस्व पर ध्यान केंद्रित करना।
- ग्राहक सुरक्षा, सेवा की सुपुर्दगी, सेवा संबंधी आश्वासन, राजस्व प्रबंधन और परिसंपत्ति प्रबंधन पर प्रचालनात्मक रूप से निरंतर बल देना।
- डाटा प्रयोगों और मूल्य वर्द्धित सेवाओं पर उत्साहजनक ढंग से जोर देना।
- निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक क्रियाकलापों को सामाजिक दायित्व से स्पष्ट रूप से पृथक करना।
- विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अंतिम छोर ग्राहकों तक विभिन्न सेवाओं का कंवर्जेंस, समेकन और इनकी निर्बाध सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नेटवर्क का अगली पीढ़ी के नेटवर्क में प्रगामी प्रवेश।

दूरसंचार विभाग के विभिन्न दूरसंचार एककों को परस्पर सहक्रियाशील बनाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने सिफारिश की है कि दूरसंचार विभाग बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से सहक्रियाशील सहयोग करने और इसे मान्यता प्रदान करने को प्रोत्साहन दे और उनके पारस्परिक लाभों हेतु उनके संसाधनों और क्षमताओं के इष्टतम उपयोग के लिए सहायता करे।

इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी 2012) के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रावधान यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्रक और दूरसंचार विभाग के अन्य संगठनों के बीच उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से सहक्रियाशील सहयोग करने और उसे मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रोत्साहन देने के साथ-साथ राष्ट्र की एक सुदृढ़ और सुरक्षित दूरसंचार एवं सूचना अवसंरचना का निर्माण करने में उनके संसाधनों और क्षमताओं के इष्टतम उपयोग में सहायता दी जाए।

विवरण-I

निजी दूरसंचार प्रचालकों और बीएसएनएल/एमटीएनएल के टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या का लाइसेंस क्षेत्र-वार ब्यौरा

(आंकड़े लाख)

क्र. सं.	लाइसेंस क्षेत्र का नाम	सभी निजी प्रचालक				बीएसएनएल/एमटीएनएल			
		31.03.09 की स्थिति के अनुसार	31.03.10 की स्थिति के अनुसार	31.03.11 की स्थिति के अनुसार	29.02.12 की स्थिति के अनुसार	31.03.09 की स्थिति के अनुसार	31.03.10 की स्थिति के अनुसार	31.03.11 की स्थिति के अनुसार	29.02.12 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	272.95	414.63	537.35	580.45	56.58	66.24	93.10	109.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	48.23	76.15	101.89	125.88	13.24	14.50	17.40	14.79
3.	बिहार	178.75	322.42	475.74	564.97	44.09	61.15	71.64	67.04
4.	गुजरात	216.50	293.03	432.12	486.38	45.75	51.28	56.92	58.07
5.	हरियाणा	81.97	115.96	173.73	191.80	25.80	33.61	36.67	35.32
6.	हिमाचल प्रदेश	24.32	37.14	55.51	61.86	12.67	16.29	20.02	20.13
7.	जम्मू और कश्मीर	25.73	45.73	49.21	51.87	11.70	12.07	10.50	12.41
8.	कर्नाटक	214.10	338.65	444.46	493.89	49.17	60.43	77.46	87.36
9.	केरल	134.22	201.47	255.14	274.77	65.54	75.08	91.48	101.19
10.	मध्य प्रदेश	176.82	281.31	411.50	468.83	44.75	.54.20	60.59	55.74
11.	महाराष्ट्र	275.29	388.35	554.91	641.30	70.87	76.91	90.79	83.70
12.	पूर्वोत्तर	25.83	42.37	57.45	67.93	11.05	13.99	17.09	18.40
13.	ओडिशा	70.29	127.73	185.94	220.81	22.51	31.12	43.92	48.23
14.	पंजाब	122.89	167.54	245.31	275.79	42.41	49.46	58.09	58.28
15.	राजस्थान	197.01	293.57	375.14	427.61	47.22	59.09	68.74	67.21
16.	तमिलनाडु	244.66	377.67	500.31	560.63	55.72	66.43	86.75	96.11
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	211.36	359.22	536.85	636.34	75.39	96.09	114.40	114.10
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	168.80	271.74	414.01	484.21	39.00	47.99	52.21	55.39
19.	पश्चिम बंगाल	135.68	227.90	363.70	422.51	30.59	32.82	40.71	42.67
20.	कोलकाता	101.76	147.56	209.28	225.73	29.48	31.09	36.87	33.83
21.	चेन्नई	84.96	106.31	118.57	126.55	21.38	22.99	25.27	24.89
22.	दिल्ली	209.15	270.69	374.74	407.80	35.86	39.42	41.84	44.11
23.	मुंबई	176.45	247.78	330.38	349.67	44.70	46.49	47.53	48.18

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (29.02.2012 तक) के दौरान बीएसएनएल/एमटीएनएल और अन्य निजी दूरसंचार प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी

(चालू कनेक्शन मिलियन)

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार		29.02.2012 की स्थिति के अनुसार	
		चालू कनेक्शन	बाजार हिस्सेदारी की प्रतिशतता	चालू कनेक्शन	बाजार हिस्सेदारी की प्रतिशतता	चालू कनेक्शन	बाजार हिस्सेदारी की प्रतिशतता	चालू कनेक्शन	बाजार हिस्सेदारी की प्रतिशतता
1.	बीएसएनएल	81.49	18.98	97.28	15.66	117.06	13.83	120.40	12.75
2.	भारती एयरटेल	96.65	22.52	130.69	21.03	165.50	19.56	182.04	19.28
3.	रिलायंस टेलीकॉम	73.37	17.09	103.60	16.67	136.95	16.18	153.27	16.23
4.	वोडाफोन एस्सार	68.77	16.02	100.86	16.23	134.57	15.90	149.44	15.82
5.	टाटा इंडिकॉम	36.04	8.40	67.10	10.80	90.42	10.68	83.31	8.82
6.	आइडिया	43.02	10.02	63.82	10.27	89.50	10.58	110.71	11.72
7.	एयरसेल	18.48	4.30	36.86	5.93	54.84	6.48	63.26	6.70
8.	एमटीएनएल	7.98	1.86	8.58	1.38	8.94	1.06	9.24	0.98
9.	बीपीएल	2.16	0.50	2.84	0.46	3.09	0.37	3.26	0.35
10.	एचएफसीएल इंफोटेल/कनेक्ट	0.55	0.13	0.50	0.08	1.66	0.20	1.58	0.17
11.	श्याम टेलीलिंक्स/रेनबो	0.73	0.17	3.94	0.63	10.10	1.19	15.43	1.63
12.	यूनिनोर	—	—	4.26	0.69	22.79	2.69	41.14	4.36
13.	एसटेल	—	—	1.01	0.16	2.82	0.33	3.43	0.36
14.	एटिसलाट डीबी	—	—	—	—	0.97	0.11	1.69	0.18
15.	विडियोकॉन	—	—	—	—	7.11	0.84	6.20	0.66
	कुल	429.25	100.00	621.35	100.00	846.33	100.00	944.40	100.00

[अनुवाद]

घरेलू क्षेत्र में नई उड़ानों का प्रस्ताव

4313. श्री राजेन्द्रसिंह राणा :
श्री जोसेफ टोप्पो :
श्री रूद्र माधव राय :
श्री कमल किशोर 'कमांडो' :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री अनंत कुमार
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी बड़े शहर हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का घरेलू क्षेत्र में विभिन्न गंतव्यों से/को नई उड़ानें आरंभ करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी मार्ग-वार ब्यौरा क्या है और इन उड़ानों को आरंभ करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) इस संबंध में विभिन्न संगठनों/कॉरपोरेट घरानों/कारोबारी समुदायों/लोक प्रतिनिधियों से प्राप्त निवेदन/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और हवाई यातायात में वृद्धि और हवाई सेवाओं की और जवाबदेही तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान में 77 हवाईअड्डों के लिए/से अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। इन हवाईअड्डों का राज्य ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के मद्देनजर वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित एयरलाइनों द्वारा घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को अविनियमित किया गया है तथा उड़ानों को प्रचालित किया जा रहा है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

जनवरी, 2011 से अब तक विमान संपर्कता पर संदर्भों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर उपलब्ध है।

विवरण-I

राज्य-वार विमान संपर्कता

क्र.सं.	राज्य	विमान संपर्कता वाले शहरों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, राजामुंदरी, तिरूपति, विजयवाड़ा, विजाग
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, सिल्चर, तेजपुर
4.	बिहार	पटना, गया
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	गोवा	गोवा
8.	गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कंदला, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा
9.	हरियाणा	—
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, कुल्लू, शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोसी

1	2	3
12.	झारखंड	रांची
13.	कर्नाटक	बेंगलूरू, हुबली, मंगलौर
14.	केरल	कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर इंदौर, जबलपुर, खजुराहो
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, पुणे
17.	मणिपुर	इम्फाल
18.	मेघालय	शिलांग
19.	मिजोरम	आइजॉल
20.	नागालैंड	दीमापुर
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर
22.	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना
23.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
24.	सिक्किम	—
25.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची, तूतीकोरिन
26.	त्रिपुरा	अगरतला
27.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
28.	उत्तराखंड	देहरादून
29.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा, कोलकाता
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
2.	लक्षद्वीप	अगाती
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
4.	दादरा और नगर हवेली	—
5.	दमन और दीव	दीव
6.	पुदुचेरी	—

विवरण-II

वर्ष 2011 से अब तक विमान संपर्कता के लिए अनुरोध संबंधी संदर्भों की सूची

क्रम सं.	नाम	विमान संपर्कता
1	2	3
1.	श्री सौरभ पटेल (दलाल), नागर विमानन राज्य मंत्री, गांधी नगर	सूरत से दिन/रात्रि उड़ानें।
2.	डॉ. रमन सिंह, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़	बैंगलोर के रास्ते रायपुर तथा केरल के लिए विमान सेवा
3.	श्री हरि मांझी, संसद सदस्य (लोक सभा)	गया से वाराणसी/दिल्ली/मुम्बई के लिए विमान संपर्कता

1	2	3
4.	श्रीमती दर्शना जरदोश, संसद सदस्य (लोक सभा)	सूरत से
5.	श्री सुशील कुमार शिंदे, पावर मंत्री	शोलापुर से
6.	श्री रेवती रमन सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	इलाहाबाद-दिल्ली मार्ग पर बोइंग विमान से विमान सेवा का स्तरोन्नयन
7.	श्री धीरज प्रसाद साहू, संसद सदस्य (लोक सभा)	दिल्ली से रांची के लिए दैनिक शाम की उड़ान
8.	श्री सुरेश अंगड़ी, संसद सदस्य (लोक सभा)	बेलगाम से बैंगलोर तक
9.	श्री कपिल मुनि करवारिया, संसद सदस्य (लोक सभा)	इलाहाबाद होते हुए लखनऊ तथा वाराणसी से मुम्बई तक
10.	श्री सी.आर. पाटील, संसद सदस्य (लोक सभा)	दिल्ली-सूरत-दिल्ली सेक्टर पर उड़ानें
11.	श्री कुंवरजीभाई बावलिया, संसद सदस्य (लोक सभा)	राजकोट से दिल्ली
12.	श्री अजय भट्टाचार्य, अध्यक्ष, दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	सूरत से उड़ान
13.	मुख्य मंत्री असम	गुवाहाटी से हब
14.	नागालैंड के राज्यपाल	नागालैंड से संपर्कता
15.	डॉ. राम शंकर कठेरिया, संसद सदस्य, आगरा	आगरा से संपर्कता
16.	ए. महरजाद, महासचिव, अंडमान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर से फूकेट/बैंकाक
17.	प्रो. के.वी. थामस, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के माध्यम से सचिव, केरल कल्चरल फॉरम, मिजोरम से अभ्यावेदन	आईजल में विमान यातायात सुविधाओं में सुधार के संबंध में

[हिन्दी]

विमानन क्षेत्र में विकास

4314. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**

श्री पी. करूणाकरन :

श्री एंटो एंटोनी :

श्री एस.आर. जेयदुरई :

श्री समीर भुजबल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन क्षेत्र के विकास में सामान्य कमी दर्ज की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत में इस क्षेत्र में दर्ज की गई विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानन क्षेत्र में भारी विकास संभावनाओं का विकास करने और इस क्षेत्र में शीर्षोपरि लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में नागर विमानन क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ख) पिछले तीन वर्षों, वर्ष 2009 से 2012 (मार्च तक), के दौरान घरेलू यात्री वहन में वृद्धि निम्नानुसार है:

वर्ष	वहित यात्री (मिलियन में)	वृद्धि (प्रतिशत)
2008	41.27	—
2009	43.84	+6.33
2010	52.02	+18.66
2011	60.66	+16.61
2012 (मार्च तक)	15.27	+6.55

(ग) और (घ) नागर विमानन सेक्टर संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां अधिकतर एयरलाइनों को प्रचालनिक घाटे हो रहे हैं। भारतीय विमान यातायात उद्योग पर वैश्विक स्तर पर अन्य प्रचालकों की तुलना में अधिक प्रचालनिक लागत का बोझ है। यह मुख्य रूप से एटीएफ की उच्च लागतों और इस क्षेत्र से संबंधित सभी सेवाओं और वस्तुओं पर अव्यवस्थित तथा उच्च कर हैं। सरकार ने एयरलाइनों द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए तथा इस क्षेत्र की दीर्घकालीन व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

(i) नागर विमानन के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों और इनके समाधान संबंधी सुझाव के लिए चर्चा हेतु सचिव नागर विमानन की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया है, जिसमें सदस्य के रूप में वित्त सचिव, सचिव, वित्तीय सेवाएं, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा विदेश व्यापार महानिदेशक हैं।

(ii) एटीएफ पर वैट के युक्तिकरण का मुद्दा राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया है।

(iii) विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर एयरलाइनों द्वारा एटीएफ के आयात के अनुमति दी गई है।

(iv) नागर विमानन नीति के प्रतिपादन के लिए सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(v) नागर विमानन मंत्रालय ने विशेषज्ञों के माध्यम से एटीएफ के मूल्य निर्धारण तथा वित्तीय ढांचे का अध्ययन कराया है। इसकी रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित नई पहलों में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना, एयरोस्पेस उद्योग का विकास तथा अनिवार्य विमान सेवा निधि का सृजन शामिल है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट सेवा केन्द्र

4315. श्री रवनीत सिंह :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी स्थान और शहर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) स्थापित करने संबंधी निर्णय लेने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या किसी स्थान पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए उचित मानदंड नहीं अपनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) पासपोर्टों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की क्षमता में सुधार करने के लिए, सरकार ने *नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेन्स (एनआईएसजी)*, हैदराबाद की नियुक्ति की थी – यह एक सरकारी एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में परामर्शदाता के रूप में इस प्रणाली का स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए की गई थी। एनआईएसजी ने एक व्यापक अध्ययन के पश्चात् फरवरी, 2007 में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) तरीके से पासपोर्ट सेवा परियोजना प्रारंभ करने की संस्तुति की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के अधीन विभिन्न जिलों से प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के आधार पर देश भर में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार किया गया। पीएसपी का अनुमोदन केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर, 2007 में किया गया था। 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पासपोर्ट कार्यालयों के अधीन पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की सूची

पासपोर्ट कार्यालय	पासपोर्ट कार्यालयों के नगर में अवस्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र	पासेपार्ट कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य जिलों में अवस्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र	पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) की कुल संख्या
1	2	3	4
दिल्ली	दिल्ली 1, दिल्ली 2	गुड़गांव	3
मुंबई	मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3	कोई नहीं	3
हैदराबाद	हैदराबाद 1, हैदराबाद 1, हैदराबाद 3	विजयवाड़ा, निजामाबाद तिरुपति	6
चैन्ने	चेन्नै 1, चेन्नै 2, चेन्नै 3	कोई नहीं	3
बंगलौर	बंगलौर 1, बंगलौर 2	हुबली-धारवाड़, मंगलौर	4
अहमदाबाद	अहमदाबाद 1, अहमदाबाद 2	बड़ौदा, राजकोट	4
कोचीन	कोचीन	त्रिसूर, अलापुझा, एर्नाकुलम ग्रामीण, कोट्टायम	5
जालंधर	जालंधर 1, जालंधर 2	होशियारपुर	3
त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम	कोल्लम, त्रिवेंद्रम ग्रामीण	3
चंडीगढ़	चंडीगढ़	लुधियाना, अंबाला	3
त्रिची	त्रिची	तंजुवर	2
कोलकाता	कोलकाता	बहरामपुर	2
लखनऊ	लखनऊ	वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर	4

1	2	3	4
जयपुर	जयपुर	जोधपुर, सीकर	3
कोझिकोड	कोझिकोड 1, कोझिकोड 2	कन्नूर 1, कन्नूर 2	4
ठाणे	ठाणे	नासिक	1
मदुरै	मदुरै	तिरुनेलवेली सिटी	2
पुणे	पुणे	कोई नहीं	1
पटना	पटना	कोई नहीं	1
विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	कोई नहीं	1
सूरत	सूरत	कोई नहीं	1
भोपाल	भोपाल	कोई नहीं	1
गाजियाबाद	गाजियाबाद	कोई नहीं	1
बरेली	बरेली	कोई नहीं	1
मल्लापुरम	मल्लापुरम	कोई नहीं	1
नागपुर	नागपुर	कोई नहीं	1
अमृतसर	अमृतसर	कोई नहीं	1
कोयंबतूर	कोयंबतूर	कोई नहीं	1
गुवाहाटी	गुवाहाटी	कोई नहीं	1
भुवनेश्वर*	भुवनेश्वर	कोई नहीं	1
रांची*	रांची	कोई नहीं	1
पणजी*	पणजी	कोई नहीं	1
जम्मू*	जम्मू	कोई नहीं	1
श्रीनगर*	श्रीनगर	कोई नहीं	1
शिमला*	शिमला	कोई नहीं	1

1	2	3	4
रायपुर*	रायपुर	कोई नहीं	1
देहरादून*	देहरादून	कोई नहीं	1
दिल्ली*	दिल्ली	कोई नहीं	1
कुल पासपोर्ट सेवा केंद्र			77

*एक साथ स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र।

कोयले का आयात

4316. **श्री यशवंत सिन्हा :**
श्री उदय सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत कंपनियों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रपति के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रपति निदेश के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को कोयले की न्यूनतम सुनिश्चित मात्रा की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोल इंडिया कंपनी ने विदेशों से महंगे कोयले के आयात का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रपति के निदेश जारी करने के क्या कारण हैं;

(ङ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां से कोयले का आयात किए जाने की संभावना है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(च) कोयले के आयात को कम करने के लिए देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत उपयोगिताओं के साथ कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों द्वारा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) संपन्न करने के लिए 17.02.2012 के कोयला मंत्रालय के अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 04.04.2012 को कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को राष्ट्रपति का एक निदेश जारी किया गया था। कोयला मंत्रालय के दिनांक 17.02.2012 के अनुदेश 31.03.2015 को अथवा उससे पहले आरंभ किए गए/आरंभ होने वाले विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार संपन्न करने के लिए जारी किए गए थे जिनके पास इस शर्त पर, वितरण कंपनियों (डिस्कोम) के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय करार है कि 31.12.2011 तक आरंभ हुए उक्त विद्युत संयंत्रों के साथ एफएसए, 31.03.2012 तक संपन्न कर लिए जाएंगे। ऐसे मामलों में एफएसए की अवधि 20 वर्षों की अवधि के लिए होगी जिसकी 80% के लेवी के दंड तथा 90% लेवी के प्रोत्साहन के ट्रिगर स्तर के साथ प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात समीक्षा की जाएगी।

(ग) एफएसए की शर्तों के अनुसार, न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने का कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का निर्णय विद्युत उत्पादक कंपनियों से प्राप्त होने वाली विशिष्ट स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

(घ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का बोर्ड 12, 22 और 28 मार्च, 2012 को आयोजित अपनी बैठकों में इस मामले पर विचार-विमर्श करने के पश्चात, 17.02.2012 को जारी कोयला मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन पर विचार नहीं कर सका। विद्युत उपयोगिताओं को पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने और अनुदेशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता और तात्कालिकता को मद्देनजर कोयला मंत्रालय को राष्ट्रपति का निदेश जारी करना पड़ा था।

(ङ) आयातित कोयले की खरीद और उसके लिए नियम एवं

शर्तों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया विद्युत कंपनियों से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही आरंभ की जाएगी। अभी तक सीआईएल द्वारा आयातित कोयले की स्वीकृति के संबंध में सीआईएल को विद्युत कंपनियों से कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता नहीं प्राप्त हुई है।

(च) कोयले की मांग में हो रही वृद्धि को पूरा करने के लिए सीआईएल अपने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। 12वीं योजना अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सीआईएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

(i) चल रही परियोजनाओं से अपने उत्पादन में 2011-12 में 227.63 मि.ट. से बढ़ाकर 2016-17 में 300.18 मि.ट. तक करने का कार्यक्रम बनाया गया है। 12वीं योजना के दौरान आरंभ किए जाने वाली अपनी भावी/विस्तार परियोजनाओं से 63.80 मि.ट. अतिरिक्त उत्पादन होने की परिकल्पना की गई है।

(ii) मौजूदा खानों का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण।

(iii) समयबद्ध तरीके से चल रही परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(iv) निर्धारित समय-सीमा के भीतर वन/पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना ताकि परियोजनाएं संबंधित विभाग/राज्य सरकार/केंद्र सरकारी की एजेंसियों के साथ मामले को आगे बढ़ाकर उत्पादन आरंभ कर सकें।

(v) अभिज्ञात और विस्तारित परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ संपर्क करना।

एनपीसीआईएल में विनिवेश

4317. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में इक्विटी विनिवेश का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि एनपीसीआईएल में विनिवेश को सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) वर्तमान में न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इक्विटी को विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विनिवेश प्रक्रिया पर विचार करने से पूर्व, विनिवेश संबंधी पूर्व अपेक्षाओं जैसेकि कंपनी को निजी कंपनी से सरकारी कंपनी में परिवर्तित करना, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करना और शेयरों को रद्द करना, को पूरा करना पड़ता है।

(घ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अनुसार, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को सरकारी कंपनियों द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है जिनमें केन्द्र सरकार का 51% हिस्सा होता है। अत: न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में विनिवेश के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी.बी.एस.ई. विद्यालयों की मान्यता समाप्त करना

4318. श्री यशवंत लागुरी :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सी.बी.एस.ई. द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों का स्वरूप क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त शिकायतों के आधार पर मान्यता रद्द किए गए विद्यालयों के नाम और संख्या क्या हैं; और

(घ) उक्त विद्यालयों की मान्यता रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा 1643 शिकायतें प्राप्त की गईं।

(ख) शिकायतें भूमि मानदंडों का पूरा न होना, अवसंरचना की कमी, वेतन का भुगतान न होना, सेवा शर्तों का पालन न होना, सेवा का अनैतिक समापन, स्टाफ के डोजियरों को रोके रखना, अयोग्य अध्यापकों की भर्ती, सेवा में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को रोजगार, फीस में अत्यधिक वृद्धि, केपीटेशन फीस और डोनेशन लेना, बोर्ड की परीक्षाओं में असंबद्ध स्कूलों के छात्रों को प्रायोजित करना इत्यादि से संबंधित हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन 13 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की गई, उनकी सूची विवरण में दी गई है।

(घ) इन स्कूलों की संबद्धता भूमि मानदंडों का पूरा न होना, असंबद्ध स्कूलों के छात्रों को प्रायोजित करने इत्यादि जैसे संबद्धता मानदंडों के उल्लंघन के कारण समाप्त की गई थी।

विवरण

क्र.सं.	उन स्कूलों का नाम जिनकी संबद्धता समाप्त की गई
1	2
1.	शिवालिक पब्लिक स्कूल, चंडीगढ़
2.	सेंट ल्यूक स्कूल, भारत नगर, राजस्थान
3.	स्वामी विवेकानंद पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल, यमुना नगर, हरियाणा
4.	रामआसरे रॉय पब्लिक स्कूल, दरभंगा, बिहार
5.	मॉडर्न पब्लिक स्कूल, देवघर, झारखंड
6.	अत्री इंग्लिश मीडियम स्कूल, मंगोलपुर, पश्चिम बंगाल
7.	पुवादा सत्यनाराण मूर्ति मेमोरियल रेजीडेंशियल स्कूल, विजियानगरम्, आंध्र प्रदेश
8.	न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना, बिहार
9.	कॉस्मोपोलिटन पब्लिक स्कूल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
10.	पार्कवुड स्कूल, आंध्र प्रदेश
11.	प्रेमलोक मिशन, पटना, बिहार
12.	सुरेश चंद अग्रवाल मेमोरियल स्कूल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
13.	ऋषि पब्लिक स्कूल, रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश

[अनुवाद]

बारहमासी इमेजिंग उपग्रह

4319. श्री संजय भोई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री आनन्द प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बारहमासी परिस्थितियों में तस्वीरें लेने की क्षमता वाले विशेष क्षमता के स्वदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाली है जो इस प्रयोजन हेतु विदेशी उपग्रहों की निर्भरता को समाप्त करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उपग्रह के प्रक्षेपण से किन-किन क्षेत्रों को लाभ होगा;

(घ) उक्त उपग्रह को कब तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है;

(ङ) इसके प्रक्षेपण के परिणामस्वरूप कितने विदेशी राजस्व की बचत होने की संभावना है; और

(च) विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) देश के प्रथम स्वदेशी अभिकल्पित सूक्ष्मतरंग प्रतिबिंबन उपग्रह, राडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट-1) को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी. - सी. 19) में रख कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अप्रैल 26, 2012 को श्री हरिकोटा से प्रमोचित किया गया। सी-बैंड संश्लेषी द्वारक राडार से युक्त यह उपग्रह मेघ भेदन और सूर्य की रोशनी के बिना भी प्रतिबिंबन को संभव बनाता है। रिसैट-1 के लिए लगभग 6 बजे प्रात: और 6 बजे सायं के प्रतिबिंबन सत्रों का चयन किया गया है।

(ग) रिसैट-1 के प्रमोचन से मुख्यत: कृषि, आपदा प्रबंधन सहायता और वानिकी के क्षेत्रों में लाभ मिलेगा।

(घ) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट पी एस एल वी - सी 19 का उपयेाग करते हुए अप्रैल 26, 2012 को 05:47 बजे रिसैट-1 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया है।

(ङ) भारत सूक्ष्मतरंग प्रतिबिंबन हेतु उपयोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी उपग्रह प्रतिबिंबों पर निर्भर करता रहा है। ऐसे प्रतिबिंबों के अभिग्रहण पर वार्षिक रूप में लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा का व्यय होता है। इस प्रकार के आंकड़ों के अभिग्रहण में समय लगता है तथा इसमें उपग्रह प्रतिबिंबों की उपलब्धता और उसकी प्राप्ति से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। रिसैट-1 की उपलब्धता से विदेशी एजेंसियों पर हमारी निर्भरता कम होगी। मेघ आच्छादन की स्थितियों, विशेषत: मानसून के समय में हमारे अपने सूक्ष्मतरंग उपग्रह का उपयोग करके प्रतिबिंबन किया जाएगा।

(च) विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता को कम करने हेतु अतिरिक्त भू-पर्यवेक्षण, संचार एवं नौवहन उपग्रहों के निर्माण तथा प्रमोचन के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक उपाय किए हैं। संचार और भू-पर्यवेक्षण उपग्रहों का एक समूह पहले से ही देश को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

विदेशी जेलों में भारतीय

4320. **श्री प्रताप सिंह बाजवा :**
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **प्रवासी भारतीय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों की जेलों में बंद भारतीयों की संख्या का आरोप-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गांवों को मोबाइल सेवाओं से कवर करना

4321. **श्री सतपाल महाराज :**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री गणेश सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक मोबाइल संपर्क से जुड़े गांवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का दूर-दराज के गांवों, पर्वतीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी गांवों को मोबाइल संपर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है और सभी गांवों को मोबाइल सेवा से जोड़ने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) देश में सभी गांवों को मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कितना धन निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने उन गांवों को टेलीफोन सेवा से जोड़ने के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है जो गांव ग्राम सार्वजनिक दूरभाष (वीपीटी) से जोड़ना व्यवहारिक नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं से कवर किए गए गांवों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(i) देश के दूरसंचार सेवा से वंचित गांवों में चरणवद्ध रूप में मोबाइल संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु समय-समय पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीमें तैयार की जाती हैं।

(ii) ऐसे विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां अभी फिक्स्ड वायरलेस और मोबाइल कवरेज नहीं है, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टावरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि द्वारा साझा मोबाइल अवसंरचना नामक एक स्कीम शुरू की गई है। ऐसे गांवों या गांवों के समूह जिनकी आबादी 2000 या इससे अधिक हो और जिनमें मोबाइल कवरेज उपलब्ध न हो उनमें इस स्कीम के अंतर्गत टावर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया था। सफल बोलीदाताओं के साथ मई 2007 में दिनांक 1.6.2007 से प्रभावी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7306 टावर अर्थात लगभग 99.35% टावर स्थापित कर लिए गए हैं। मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल सेवा प्रचालकों द्वारा 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार 15720 बीटीसी (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) लगाए गए हैं।

(iii) गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों में स्थित ऐसे 2199 अवस्थितियों, जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं और जिनमें अभी किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा कोई भी कवेरज उपलब्ध नहीं कराया गया है, की पहचान की है और इस संबंध में दूरसंचार विभाग को सूचित किया है। इन अवस्थितियों की पहचान सुरक्षा तथा अनुरक्षण संदर्भों को ध्यान में रखते हुए टावर और मोबाइल उपकरण संस्थापित करने के लिए की गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने पहले ही 363 अवस्थितियों पर टावर संस्थापित कर दिया है। बीएसएनएल को इन वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने और उनका प्रबंधन करने के लिए मनोनयन आधार पर यूएसओएफ से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) निधि का निर्धारण अर्थात विशिष्ट स्कीम हेतु यूएसओएफ से वितरित की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि के संबंध में निर्धारण कार्यान्वियन एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित करार (करारों) के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में, देश के विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ द्वारा वर्ष 2007 में साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम के क्रियान्वयन हेतु करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इस स्कीम हेतु अनुमानित लागत (वित्तीय सहायता) 588 करोड़ रु. है।

(ङ) और (च) 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार, 5,80,556 गांव अर्थात 2001 की जनगणना के अनुसार आबाद राजस्व गांवों की कुल संख्या के 97.8% गांव ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा से कवर कर दिए गए हैं। शेष आबादी वाले गांवों में अगस्त, 2012 तक वीपीटी उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। जिन गांवों में अन्य वायरलाइन या वायरलेस प्रौद्योगिकी पर वीपीटी उपलब्ध कराना संभव नहीं है उनमें वीपीटी डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

विवरण

बीएसएनएल की सेल्यूलर मोबाइल सेवा द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल	बीएसएनएल द्वारा सेल्यूलर सेवाओं से कवर किए गए गांवों की संख्या (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	हरियाणा	4141
2.	हिमाचल प्रदेश	15959
3.	जम्मू और कश्मीर	5168
4.	पंजाब	11135
5.	राजस्थान	25938
6.	उत्तराखंड	11546
7.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	69457
8.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	8768
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	286
10.	असम	17888
11.	बिहार	23358
12.	कोलकाता (टीडी)	437
13.	झारखंड	19287
14.	पूर्वोत्तर-I	2105
15.	पूर्वोत्तर-II	3622
16.	ओडिशा	26986
17.	पश्चिम बंगाल	24084
18.	छत्तीसगढ़	12336
19.	गुजरात	13553
20.	महाराष्ट्र	20945
21.	मध्य प्रदेश	29251
22.	आंध्र प्रदेश	20090
23.	चेन्नई (दूरसंचार जिला)	836
24.	केरल	1372
25.	कर्नाटक	21687
26.	तमिलनाडु	12347
	कुल	402582

विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा

4322. श्री अधीर चौधरी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विदेश सचिव की हाल ही की पाकिस्तान यात्रा के पश्चात् भारत और पाकिस्तान के संबंध में कुछ सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दौरे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच और सौहार्दपूर्ण और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क)

से (ङ) विदेश सचिव ने 23-24 जून, 2011 को पाकिस्तान का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव विश्वासोत्पादक उपायों, जम्मू और कश्मीर तथा मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदानों को बढ़ावा देने सहित शांति एवं सुरक्षा पर द्विपक्षीय बातचीत के लिए इस्लामाबाद में मिले। बातचीत खुले और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। दोनों पक्षों ने परस्पर समझ को प्रोत्साहित करने के लिए एक रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण तरीके से बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अपने इरादों को दोहराया।

विदेश में विद्यार्थियों के हितों के सुरक्षोपाय

4323. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री सुदर्शन भगत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों में जा रहे विद्यार्थियों के हितों के सुरक्षोपाय हेतु कदम उठाने पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सरकार विद्यार्थियों सहित विदेश यात्रा करने वाले तथा वहां कार्य करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा की देख-भाल करना विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों तथा कान्सूलेट्स का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विदेश मंत्रालय भी समय-समय पर यात्रा परामर्श जारी करता है तथा जब कभी भी आवश्यक हो विदेशी सरकारों के साथ विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाता है।

[अनुवाद]

सरकार पर एयरलाइंसों का बकाया

4324. **श्री जे.एम. आरून रशीद :**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री संजय दिना पाटील :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजीसीए की उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार पर एयर इंडिया और निजी एयरलाइंसों का करोड़ों रु. बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न एयरलाइंसों पर विभिन्न एजेंसियों जैसे तेल कंपनियां कर प्राधिकरणों (आयकर और सेवाकर दोनों) पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों, विमानपत्तन प्राधिकरण, ऋणदाता बैंक नौवहन प्रभार और उनके कर्मचारियों को देय का एयर लाइन-वार, कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डीआईएएल), एयर इंडिया और कुछ एयरलाइंस देय की अदायगी नहीं किए जाने के कारण बंद होने के कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंसों पर कुल देय राशि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) एयर इंडिया तथा अन्य एयरलाइनों द्वारा बकाया देय राशियों के भुगतान में विलंब के कारण दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (प्राइवेट) लिमिटेड (डायल) को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(घ) एयर इंडिया तथा अन्य एयरलाइनों से डायल को कुल बकाया देय राशियों निम्न प्रकार है:—

एयरलाइंस	बकाया राशि (19.04.2012 तक) (करोड़ रु.)
एयर इंडिया	462.43
अन्य एयरलाइनें	150.34
कुल	612.77

[हिन्दी]

दिल्ली विमानपत्तन पर दलाल

4325. **श्री भूदेव चौधरी :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन पर दलाल पुनः सक्रिय हो गए हैं तथा घरेलू और विदेशी यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस संबंध में और भविष्य में विमानपत्तनों पर यात्रियों के लिए बाधारहित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) दलालों की समस्या का सामना अधिकतर बड़े तथा मेट्रो एयरपोर्टो पर करना पड़ता है। वे मूलतः टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर या आगंतुक क्षेत्र के भीतर से कार्य करते हैं।

(ग) आमतौर पर दलाल टैक्सी प्रचालकों, ट्राली प्रचालकों, ट्राली ले जाने वाले स्टाफ, लोडिंग एजेंटों तथा ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए एयरलाइनों द्वारा नियोजित अन्य स्टाफ के साथ मिली-भगत से कार्य करते हैं। इन दलालों को सीआईएसएफ द्वारा स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है। स्थानीय पुलिस दलालों के विरुद्ध कार्यवाही करती हैं, जैसे पैसों का जुर्माना। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की जांच नियमित रूप से की जाती है तथा एयरपोर्ट पर दलालों का खतरा सहित सभी अवांछनीय क्रियाकलापों को रोकने के लिए निगरानी में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

अकार्यशील मोबाइल टॉवर

4326. **श्री श्रीपाद येसो नाईक :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल के अभाव में देश के अनेक जिलों में मोबाइल टॉवर अकार्यशील हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित जिलों में मोबाइल टॉवरों को विद्युत हेतु ईंधन की आपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार सेवाओं को विद्युत हेतु खपत किए गए डीजल की मात्रा और डीजल पर व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में दूरसंचार क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं का आकलन करने और इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या अध्ययन कराया गया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, नहीं जहां तक एमटीएनएल का संबंध है। भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और निजी प्रचालकों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए सूचना शून्य है।

(ग) संबंधित सेवा प्रदाता अपने मोबाइल टॉवरों को विद्युत प्रदान करने के लिए ईंधन की आपूर्ति की व्यवस्था करता है। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

(घ) सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल टॉवरों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए बाजार में उपलब्ध डीजल का प्रयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार टॉवरों को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु डीजल खपत की मात्रा नीचे दी गई है।

एमटीएनएल, दिल्ली में:–

वर्ष	डीजल खपत की मात्रा	खर्च की गई राशि (लगभग)
2009-10	481 किलो लीटर	1.90 करोड़ रुपए
2010-11	428 किलो लीटर	1.60 करोड़ रुपए
2011-12	450 किलो लीटर	1.70 करोड़ रुपए

एमटीएनएल, मुंबई में:–

वर्ष	डीजल खपत की मात्रा	खर्च की गई राशि (लगभग)
2009-10	8.88 किलो लीटर	3,15,671
2010-11	10.38 किलो लीटर	5,01,951
2011-12	0.38 किलो लीटर	17,980

बीएसएनएल और निजी प्रचालकों द्वारा मोबाइल टॉवरों को चलाने के लिए डीजल की खपत के बारे में कोई वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि प्रत्येक टॉवर के लिए प्रतिवर्ष औसतन 8760 लीटर डीजल ईंधन की खपत होती है, जिसमें यह माना जाता है कि इससे डीजल जनरेटर सेटों का प्रचालन 8 घंटों तक होता है और देश में 5.88 लाख टॉवर मौजूद हैं।

(ङ) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

नशीली दवाओं के सेवन में वृद्धि

4327. श्री हमदुल्ला सईद :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों विशेषकर इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों में नशीली दवाओं के सेवन में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित सभी संस्थानों को समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं/छात्र सोसायटी को नशीली दवाओं से मुक्त करने के लिए विद्यार्थियों के हित में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना होता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक "मदिरा एवं अन्य पदर्श (नशीली दवाओं) की रोकथाम हेतु सहायता की केंद्रीय सेक्टर योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत अन्य के साथ-साथ युवाओं सहित व्यसनियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त/समेकित सेवा प्रदान करने हेतु समेकित व्यसन एवं पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए) का संचालन करने के लिए गैर-सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कुडनकुलम विद्युत परियोजना

4328. श्री पी. विश्वनाथन :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाग ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र को चालू करने से पहले कोई जन सुनवाई आयोजित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप तमिलनाडु और केरल में जनसंख्या का पलायन सुनिश्चित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा तमिलनाडु और केरल राज्यों मे जमीन से बेदखल किए गए लोगों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंदिरा लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने जमीन जबर्दस्ती अधिगृहीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तिरूनेलवेली को एनर्जी पार्क के रूप में समर्थ बनाने हेतु शेष छह रिएक्टरों के लिए रूसी सरकार द्वारा क्या वचनबद्धता की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा निर्धारित की गई प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, किसी नाभिकीय विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है। कुडनकुलम यूनिट 1 तथा 2 के मामले में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनुमति वर्ष 1989 में प्रदान की गई थी। उस समय सार्वजनिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। सार्वजनिक सुनवाई को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997 की अधिसूचना के तहत शुरू किया गया था। उक्त स्थल पर चार अतिरिक्त यूनिटों के विस्तार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सभी छह यूनिटों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त रिपोर्ट पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में वर्ष 2007 में सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया था।

(ख) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) की स्थापना से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हुआ है। लोगों के पलायन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण प्रचलित निर्धारित कार्यविधि और प्रक्रिया के अनुसार किया गया था।

(ङ) कुडनकुलम स्थल पर, रूसी परिसंघ के साथ तकनीकी सहयोग करते हुए चार अन्य रिएक्टरों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। कुडनकुलम में इन अतिरिक्त यूनिटों को स्थापित करने के लिए रूसी परिसंघ के साथ एक अंतरसरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सीएसएस हेतु निधियों का आवंटन बढ़ाना

4329. डॉ. कृपारानी किल्ली : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े जिलों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आवंटन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) अनेक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि के मानकों/दिशानिर्देशों में विशेष सूचकों के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है। पिछड़े जिलों के लिए आवंटन में वृद्धि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए उपलब्ध आवंटन तथा संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत स्थानिक वितरण हेतु मानकों पर निर्भर करेगी।

सामान्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), जो कि एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्कीम है, वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी जिससे कि पहचान किए गए जिलों/क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण अंतराल को भरा जा सके तथा यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन थी। बीआरजीएफ के दो घटक थे (i) 27 राज्यों में 250 जिलों को कवर करते हुए जिला घटक, तथा (ii) राज्य घटक जिसमें बिहार के लिए विशेष योजना, बुन्देलखंड पैकेज तथा 78 चयनित जनजातीय व पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना शामिल थी।

पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के संतुलित विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों में वृद्धि बनाए रखने हेतु अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अलावा वर्ष 2012-13 में बीआरजीएफ को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है। सभी सरकारी नीतियों का उद्देश्य राज्य सरकारों के परामर्श व सहायता से पूरे देश में संतुलित विकास करना है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्कूल

4330. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्कूलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व अनुदान आयोग ने प्रस्तावित शिक्षा स्कूलों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालयों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के बाद ही ब्यौरे तैयार किए जा सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की अंतर्निष्ठ क्षमता

4331. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लीवरेज की अंतर्निष्ठ क्षमता में 142 देशों में 69वीं रैंक पर है और पसर्नल कम्प्यूटर रखने, इंटरनेट, ब्रॉबैंड और मोबाइल खरीदने तथा उसके उपयोग में पिछड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसका तुलनात्मक विवरण क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गये/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) जी, हां। भारत को विश्व आर्थिक मंच के नेटवर्क तैयारी सूची में 69वीं सम्पूर्ण श्रेणी पर रखा गया है।

(ख) निम्नलिखित तालिका में भारत के साथ अन्य ब्रिक्स देशों के तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत हैं:—

क्र. सं.	सूची	चर	ब्राजील	भारत	चीन	दक्षिण अफ्रीका
1.	सम्पूर्ण		65	69	51	72
2.	इस्तेमाल	व्यक्तिगत इस्तेमाल	66	117	82	96

व्यक्तिगत इस्तेमाल के संदर्भ में उपयोग उप-सूची का एक विश्लेषण नीचे दिया गया है:—

– व्यक्तिगत इस्तेमाल से संबंधित उप-सूची में काफी हद तक ऐसे चार शामिल हैं जो प्रौद्योगिकी तक पहुंच की बजाय स्वामित्व पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

– यह विकसित और व्यापक रूप से प्रयुक्त पहुंच के साझा मॉडलों जैसे साइबर कैफे या सामान्य सेवा केन्द्र या राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, जो शैक्षिक संस्थानों को उच्चगति डेटा संचार तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं, पर विचार नहीं करता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदम भारत में आईसीटी तक पहुंच में सुधार करने में सहायक होंगे:—

(i) राष्ट्रीय फाइबर ऑपटिक नेटवर्क (एनओएफएन) पंचायत स्तर तक ब्रॉडबैंड गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और व्यक्तिगत इस्तेमाल के साथ-साथ मूलसंरचना और डिजिटल सामग्री उप-सूचियों पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ii) संसद के संयुक्त सत्र को अपने संबोधन में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए अनुसार सभी पंचायतों को शामिल करने के लिए सीएससी योजना की 100,000 से 250,000 तक अपस्केलिंग से दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में, सभी नागरिकों तथा सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।

आईआईटी, बीएचयू को वैधानिक मान्यता

4332. श्री पी. कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने सरकार से इसको वैधानिक मान्यता देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या इस संस्थान को वैधानिक मान्यता देने में विलंब होने के कारण 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों की उपाधियां रोकी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनाई गई संविधियों की संविधि 25 (क) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। तथापि, एक विधेयक नामत: प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011, जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी संस्थान के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी के रूप में निगमित किया गया है, दिनांक 24.03.2011 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, तथा यह राज्य सभा के विचारार्थ लंबित है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने अकादमिक सत्र 2006-07 शुरू होने के बाद या इसके शुरू होने पर कक्षाओं में दाखिला लिया हो अथवा अकादमिक सत्र 2009-10 या इसके बाद पाठ्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) में पाठ्यक्रम अध्ययन पूरा किया हुआ माना जाएगा। तद्नुसार, आज की तारीख तक काफी संख्या में ऐसे विद्यार्थी आईआईटी (बीएचयू) की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत हैं।

[हिन्दी]

तकनीकी/उच्चतर शिक्षा में विषमता/असंतुलन

4333. श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर में भारी विषमता/असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) तकनीकी संस्थाओं को शैक्षिक जगत, उद्योग तथा आम जनता की मांग पर देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया है। देश में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित 81 तकनीकी संस्थाएं हैं। केन्द्र द्वारा वित्तपोषित इन संस्थाओं का ब्यौरा मंत्रालय की बेवसाइट (*www.mhrd.gov.in*) पर उपलब्ध है। गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गई। तकनीकी संस्थाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को स्थापित करके तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलीटेक्निकों, उप-मिशन" योजना के तहत मंत्रालय देश के असेवित और अल्प सेवित 300 जिलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के अध्यधीन नए पॉलीटेक्निकों को स्थापित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रति पॉलीटेक्निक 12.30 करोड़ रुपए की एक बार दी जाने वाली वित्तीय किस्तों में सहायता है तथा 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय और 12.30 करोड़ रुपए से अधिक गैर-आवर्ती व्यय, कोई हो, को पूरा करने हेतु उपलब्ध कराती है।

विवरण

अनुमति प्रदान की गई तकनीकी संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1881
2.	अरुणाचल प्रदेश	3

1	2	3
3.	असम	30
4.	बिहार	61
5.	छत्तीसगढ़	113
6.	दिल्ली	79
7.	गोवा	16
8.	गुजरात	415
9.	हरियाणा	476
10.	हिमाचल प्रदेश	76
11.	जम्मू और कश्मीर	40
12.	झारखंड	45
13.	कर्नाटक	666
14.	केरल	297
15.	मध्य प्रदेश	535
16.	महाराष्ट्र	1455
17.	मणिपुर	3
18.	मेघालय	5
19.	मिजोरम	1
20.	ओडिशा	282
21.	पंजाब	389
22.	राजस्थान	512
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	1301
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	1033
27.	उत्तराखंड	156
28.	पश्चिम बंगाल	219
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	12
31.	दादरा और नगर हवेली	3
32.	दमन और दीव	1
33.	पुदुचेरी	27
	कुल योग	10139

[अनुवाद]

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच

4334. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल 13 प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच उच्चतर शिक्षा तक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विवरण क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2007-08 में 13.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 15 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2009-10 के सकल नामांकन अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की बहुलता वाले जिलों को प्राथमिकता देते हुए देश में शैक्षिक रूप से प्रत्येक 374 पिछड़े जिलों में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना शुरू की है। XIवीं योजना में, स्थापित उच्चतर शिक्षा में पहुंच को बढ़ाने के लिए 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्थापित किए गए थे। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006, जो वर्ष 2005 में संविधान के 93वे संशोधन के अनुवर्तन में अधिनियमित किया गया था, में सभी केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत तक आरक्षणों की व्यवस्था है।

विवरण

उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात
(18-23 साल वर्ष)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.0
3.	असम	9.0
4	बिहार	11.0
5.	छत्तीसगढ़	20.0
6.	गोवा	28.3
7.	गुजरात	15.9
8.	हरियाणा	19.1
9.	हिमाचल प्रदेश	23.9
10.	जम्मू और कश्मीर	18.2
11.	झारखंड	9.4
12.	कर्नाटक	18.1
13.	केरल	13.1
14.	मध्य प्रदेश	14.9
15.	महाराष्ट्र	21.4
16.	मणिपुर	14.8
17.	मेघालय	15.4
18.	मिजोरम	26.5
19.	नागालैंड	16.1
20.	ओडिशा	11.3
21.	पंजाब	10.8
22.	राजस्थान	9.6
23.	सिक्किम	24.8
24.	तमिलनाडु	19.0
25.	त्रिपुरा	11.4
26.	उत्तर प्रदेश	10.9
27.	उत्तराखंड	36.0
28.	पश्चिम बंगाल	11.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26.2
30.	चंडीगढ़	28.0
31.	दादरा और नगर हवेली	4.4
32.	दमन और दीव	2.3

1	2	3
33.	दिल्ली	47.9
34.	लक्षद्वीप	5.3
35.	पुदुचेरी	29.1
	कुल	15.0

आरटीई एक्ट का दुरुपयोग

4335. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति, विशेषकर गुजरात में कैसी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) केन्द्रीय आरटीई नियमावली 9 अप्रैल, 2010 को अधिसूचित की गई थी, जो गैर-विधान सभा वाले 5 संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होती है।

(ii) 28 राज्य सरकारें राज्य आरटीई नियमावली अधिसूचित कर चुकी है।

(iii) सर्व शिक्षा अभियान कार्यढांचे को कार्यान्वयन हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संशोधित किया गया है।

(iv) राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त आरटीई-एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र-राज्य निधियन पद्धति में संशोधन किया गया है।

(v) शिक्षा अर्हता मानदंडों को अधिसूचित किया गया है तथा केन्द्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित की है।

(vi) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शुरूआत से 39,502 नए प्राथमिक विद्यालय और 11,952 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने, 28,561 प्राथमिक विद्यालय और 8,247 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण, 4,98,339 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, 2,49,400 शौचालयों तथा 22,791 पेयजल इकाइयों के निर्माण और 6 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

गुजरात के संबंध में, संयुक्त आरटीई-एसएसए कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार ने 2010-11 से 2012-13 के लिए 53,688 अतिरिक्त शिक्षक पदों, 47,445 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, 2,165 शौचालयों, 9881 बालिकाओं हेतु पृथक शौचालयों, 1,597 प्रधानाध्यापक कक्षों और 2,162 स्कूलों की चारदीवारी को संस्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा गुजरात राज्य सरकार ने राज्य आरटीई नियमावली अधिसूचित की है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया है, तथा (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के तहत शैक्षिक प्राधिकरण की नियुक्ति हेतु, (ख) आठ वर्षीय प्रारम्भि शिक्षा पर नीति; (ग) बच्चों को किसी कक्षा में न रोकने; (घ) कोई शारीरिक दंड नहीं देने, (ङ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं लेने; (च) प्राइवेट ट्यूशन; संवीक्षण प्रक्रिया तथा कैपिटेशन फीस पर रोक लगाना; और (छ) न्यूनतम कार्य दिवस तथा शिक्षण के घंटे निर्धारित करने हेतु; अधिसूचनाएं जारी की हैं।

आतंकवाद से निपटने पर भारत-अमेरिका चर्चा

4336. श्री सी. शिवासामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद संबंधी मुद्दे पर चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) भारत और अमेरिका ने आतंकवाद-रोधी सभी पहलुओं में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित बातचीत की जिसमें विशेष भारत के पड़ोस में आतंकवाद एवं आतंकवाद समूहों के बारे में सूचना और मूल्यांकनों को साझा करने, आसूचना आदान-प्रदान; जांच कार्यों

में सहयोग के साथ-साथ आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा से जुड़े क्षमता सृजन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के क्षेत्र शामिल हैं।

आतंकवाद-रोधी भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य दल, जो फरवरी, 2000 में गठित किया गया था, ने अब तक बारह बैठकें की हैं, जिसमें से अंतिम बैठक 25 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों पक्षों ने जुलाई, 2010 में आतंकवाद-रोधी सहयोग पहल पर हस्ताक्षर करके और मई, 2011 में होमलैंड सुरक्षा बातचीत प्रारंभ करके अपने आतंकवाद-रोधी सहयोग को और सुदृढ़ किया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

4337. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना संबंधी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत-सिंगापुर परियोजना एजेंसी से वार्ता करने हेतु परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए कोई समिति/कोर ग्रुप बनाया गया है;

(ग) इस समिति/ग्रुप के संभावित सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर सिंगापुर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सिंगापुर में प्रस्तावित संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रस्तावित संस्थान में प्रवेश हेतु मानक क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) सिंगापुर सरकार से सिंगापुर में आईआईटी मॉडल पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-सिंगापुर) की स्थापना के प्रस्ताव पर, प्रो. संजय जी. धान्डे, निदेशक, आईआईटी-कानपुर द्वारा एक संकल्पना नोट तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप, एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) गठित किया गया था जिसमें भारतीय तथा सिंगापुरी पक्षों से पांच-पांच सदस्य थे। प्रस्तावित संस्था में पाठ्यक्रमों तथा दाखिले सहित प्रस्ताव का विवरण तैयार करने के लिए संयुक्त कार्य समूह की बैठक अभी आयोजित होनी है। संयुक्त कार्य समूह के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं:—

भारतीय पक्ष	सिंगापुरी पक्ष
1	2
प्रो. संजय जी. धान्डे, निदेशक, आईआईटी-कानपुर	श्रीमती तान चिंग यी, स्थाई सचिव, शिक्षा मंत्रालय
प्रो. एस. शंकर शास्त्री, डीन, इंजीनियरी कॉलेज कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले (यू.सी. बर्कले)	श्री नग चेर पांग, उप सचिव (नीति), शिक्षा मंत्रालय
प्रो. सतीश त्रिपाठी, प्रोवोस्ट, न्यूयार्क राज्य विश्वविद्यालय, बफलो	श्री अरोन थाम, निदेशक (एच.सी.डी.) आर्थिक विकास बोर्ड
सुश्री रेणु खटोड़ कुलाधिपति, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन सिस्टम तथा अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन	प्रो. एर मेंग व्हा उपाध्यक्ष (आई.आर.) नंयांग प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय

1	2
उच्चतर शिक्षा अथवा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ के प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव	प्रो. मोहन कनकनहली, एसोसिएट प्रोवोस्ट, ग्रेजुएट एजुकेशन, सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

निर्धनता अनुमानों पर पुनः आकलन करना

4338. **श्री आनंदराव अडसुल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले देश में निर्धनता अनुमानों पर पुनः आकलन का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वर्तमान निर्धनता अनुमान किन वर्षों पर आधारित है; और

(घ) योजना आयोग द्वारा निर्धनता अनुमानों का कब तक पुनः आकलन किया जाएगा और ये किस वर्ष पर आधारित होंगे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित होती हैं। गरीबी के बहुआयामों एवं सूचकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीबी के अनुमान तथा गरीबों की पहचान के लिए कार्यप्रणाली पर पुनः विचार करने के लिए एक तकनीकी समूह बनाने का निर्णय लिया है जिससे कि गरीब एवं वंचित परिवारों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और स्कीमों का लाभ प्राप्त हो सके। तकनीकी समूह के गठन एवं इसके विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) गरीबी के वर्तमान अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2009-10 में कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित है। परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष पर कराए जाते हैं। चूंकि, वर्ष 2009-10 एक सामान्य वर्ष नहीं था, अतः एनएसएसओ ने वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। नवीनतम सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए गरीबी का पुनः अनुमान लगाया जाएगा। जब कभी अनुमान हेतु कार्य प्रणाली संशोधित की जाती है तो सामान्य प्रक्रिया यह है कि पिछले कुल वर्षों के अनुमानों पर पुनः विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

बोर्डों का विलय

4339. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनेक राज्य शिक्षा बोर्डों को एक महा एकीकृत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार प्राप्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गरीबी का आकलन

4340. **श्री धर्मेन्द्र यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गरीबों की संख्या का नए सिरे से आकलन करने हेतु निर्णय पहले ही ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए सिरे से आकलन करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गरीबी का आकलन करने हेतु वर्तमान आधार-वर्ष क्या है; और

(घ) योजना आयोग द्वारा कब तक यह आकलन कार्य करने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित होती हैं। गरीबी के बहुआयामों एवं सूचकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीबी के अनुमान तथा गरीबों की पहचान के लिए कार्यप्रणाली पर पुनः विचार करने के लिए एक तकनीकी समूह बनाने का निर्णय लिया है जिससे कि गरीब एवं वंचित परिवारों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके। तकनीकी समूह के गठन एवं इसके विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

योजना आयोग ने गरीबी अनुमान हेतु कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। तेंदुलकर समिति ने 2004-05 में अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा की गणना ग्रामीण क्षेत्रों में 447 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 579 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के रूप में की थी। योजना आयोग ने परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण संबंधी एनएसएस के 66वें दौर (2009-10) के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2004-05 के आधार वर्ष की गरीबी रेखा को अद्यतन करते हुए वर्ष 2009-10 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 673 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 860 रुपये एमपीसीई किया है।

परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष पर कराए जाते हैं। चूंकि, वर्ष 2009-10 एक सामान्य वर्ष नहीं था, अतः एनएसएसओ ने वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। नवीनतम सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए गरीबी का पुनः अनुमान लगाया जाएगा। जब कभी अनुमान हेतु कार्य प्रणाली संशोधित की जाती है तो सामान्य प्रक्रिया यह है कि पिछले कुछ वर्षों के अनुमानों पर पुनः विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

कोयले की उपलब्धता

4341. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री पी.के. बिजू :
श्री नरहरि महतो :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2012-13 के लिए देश में कोयले की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या भेल इंडिया लिमिटेड को इस वर्ष से कम-से-कम 64 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करना पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार और वर्ष-वार प्रतिशतता में कितना कोयला आयात किया गया;

(घ) मांग को पूरा करने के लिए प्रतिशतता में कितना कोयला आयात किया जाना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आयात कर खत्म करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) लघु इकाइयों की संख्या कितनी है और इन इकाइयों को किस प्रकार का कोयला दिया जा रहा है और किन खानों से इन्हें कोयला दिया जाता है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना 2012-13 के अनुसार योजना आयोग द्वारा देश की यथा आकलित अनुमानित कोयले की आवश्यकता 772.84 मि.ट. है।

(ख) 2011-12 के दौरान 435.84 मि.ट. कोयला उत्पादन की तुलना में सीआईएल की, 2012-13 के दौरान 464.10 मि.ट. — 28.26 मि.ट. की वृद्धि किए जाने की योजना है। 28.26 मि.ट. का अतिरिक्त उत्पादन मुख्य रूप से एससीएल, सीसीएल, एनसीएल, एसईसीएल और ईसीएल से होगा।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सीआईएल द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:—

(i) मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि।

(ii) तय कार्यक्रम के अनुसार लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए चल रही परियोजना का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन।

(iii) निर्धारित समय-सीमा के भीतर ईसी/एफसी प्राप्त करने के लिए सभी सहायक कंपनियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परियोजनाएं समय पर उत्पादन आरंभ कर सकें।

(iv) अभिज्ञात एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि-अर्जित करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सहायक कंपनियों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की मात्रा प्रतिशत में, देश-वार और वर्ष-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना 2012-13 के अनुसार 2012-13 के दौरान कोयले की मांग एवं स्वदेशी उपलब्धता के बीच 148.44 मि.ट. का अंतर है जो कुल मांग का 19.21% है। इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाना होगा।

(ङ) और (च) 2012-13 के यूनियन बजट के अनुसार सरकार ने 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए स्टीम कोयले के लिए 1% की समान रियायती शुल्क सहित मूल उत्पाद शुल्क की पूर्ण छूट का प्रस्ताव किया है।

(छ) 4200 टन प्रति वर्ष से कम की वार्षिक आवश्यकता वाली लघु इकाइयां सीआईएल की सहायक कोयला कंपनियों के उपलब्ध स्रोतों में राज्य नामित एजेंसियों के माध्यम से सभी ग्रेडों का कोयला प्राप्त कर रही हैं। 4200 टन प्रतिशत वर्ष से अधिक आवश्यकता वाली ऐसी इकाइयां, जिनके पास सीआईएल की सहायक कंपनियों से वैध लिंकेज प्राप्त हैं, इन कंपनियों से सीधे विभिन्न ग्रेडों का कोयला प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा, सभी लघु इकाइयां ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद स्वयं कर सकती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का देश-वार और वर्ष-वार आयात

देश	2009-10		2010-11		2011-12	
	मात्रा	देश का प्रतिशत योगदान	मात्रा	देश का प्रतिशत योगदान	मात्रा	देश का प्रतिशत योगदान
1	2	3	4	5	6	7
इंडोनेशिया	32.164	43.91	35.944	52.15	29.004	57.48
आस्ट्रेलिया	22.836	31.17	15.949	23.14	12.099	23.98
साउथ अफ्रीका	14.492	19.78	11.214	16.27	5.02	9.95
यू.एस.ए.	1.401	1.91	1.771	2.57	1.252	2.48
रूस	0.146	0.20	0.423	0.61	0.634	1.26

1	2	3	4	5	6	7
चीन पीआरपी	–	–	0.242	0.35	0.347	0.69
न्यूजीलैंड	1.059	1.45	0.795	1.15	0.274	0.54
यूक्रेन	0.095	0.13	–	–	0.233	0.46
कनाडा	–	–	–	–	0.14	0.28
आस्ट्रिया	–	–	–	–	0.066	0.13
इजराइल	–	–	–	–	0.06	0.12
ईरान	–	–	0.014	0.02	0.056	0.11
नीदरलैंड	–	–	–	–	0.05	0.10
जर्मनी	–	–	–	–	0.049	0.10
मलेशिया	–	–	0.011	0.02	0.037	0.07
वियतनाम एसपी	0.188	0.26	0.241	0.35	0.034	0.07
जापान	–	–	–	–	0.027	0.05
कोरिया आरपी	–	–	–	–	0.024	0.05
संयुक्त अरब अमीरात	–	–	–	–	0.024	0.05
नाइजीरिया	–	–	–	–	0.023	0.05
म्यांमार	–		–	–	0.02	0.04
मेक्सिको	–	–	0.022	.03	0.016	0.03
आयरलैंड	–	–	–	–	0.01	0.02
बेनिन	–	–	–	–	0.008	0.02
तुर्की	–	–	–	–	0.008	0.02
चेकोस्लोवाकिया गणराज्य	–	–	–	–	0.007	0.01

1	2	3	4	5	6	7
मोजाम्बिक	0.083	0.11	–	–	0.005	0.01
फिलिपीन्स	0.671	0.92	0.262	0.38	0.005	0.01
पुर्तगाल	–	–	–	–	0.005	0.01
कोलम्बिया	–	–	0.1	0.15	–	–
केन्या	–	–	0.05	0.07	–	–
फ्रांस	–	–	–	–	0.003	0.01
सउदी अरब	–	–	–	–	0.003	0.01
सिंगापुर	–	–	–	–	0.003	0.01
मिस्र	–	–	–	–	0.002	0.00
इटली	–	–	–	–	0.002	0.00
मौरक्को	–	–	–	–	0.002	0.00
यूके	–	–	0.075	0.11	0.001	0.00
अन्य	0.12	0.16	1.804	2.62	0.905	1.19
कुल	73.255	100.00	68.918	100.00	50.46	100.00

[हिन्दी]

स्मारक डाक टिकट

4342. **श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशिष्ट व्यक्तियों पर स्मारक डाक टिकट जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों के नाम सहित सरकार को प्राप्त तथा स्वीकृत प्रस्तावों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान के ब्रह्मऋषि श्री खेतरामजी महाराज पर उक्त टिकट जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावक से यह अनुरोध किया गया है कि वह प्रकाशित सरकारी स्रोतों से प्राधिकृत सामग्री भेजे। इसके प्राप्त होने पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने संबंधी नियमों के अनुसार, अनुरोध की जांच की जाएगी।

(ङ) अनुरोध की गई सामग्री की प्राप्ति के आधार पर, मामले को फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 2012 के लिए 17.11.2011 को आयोजित फिलैटली सलाहकार समिति की बैठक द्वारा विचार किए गए विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	व्यक्ति
1	2
1.	कु. मणिबेन पटेल
2.	तमिल सावंत कंबन अडीप्पोडी सा गणेशन
3.	सरदार गौथू लचन्ना
4.	मुशीर हुसैन किदवई
5.	हुतात्मा बाबू गेनू
6.	बाबू सियाराम सिंह
7.	मौलाना हसरत मोहानी
8.	मदनलाल ढींगड़ा
9.	भाऊसाहेब बांदोडकर
10.	बी.बी. बोड़कर
11.	केसरी सिंह बरहट
12.	जोरावर सिंह
13.	प्रताप सिंह बरहट
14.	पं. श्री राम शर्मा आचार्यजी
15.	अनंत लक्ष्मण कन्हेरे
16.	कृष्णजी गोपाल कर्वे
17.	विनायक नारायण देशपांडे
18.	बंदा सिंह बहादुर
19.	सावरकर की ऐतिहासिक मार्सिएल छलांग
20.	मावेरान पूलिथेवर
21.	सारंगधर दास
22.	शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी
23.	प्रीतिलता वड्डर
24.	एन.एस. वरदचारी
25.	डॉ. टी.वी.एस. चेलापति राव
26.	रामहरि राजगुरू
27.	विट्ठल दास मोदी
28.	डॉ. बापू जी सालुनके
29.	गोकल दास पटेल
30.	केशव मेनन
31.	सुश्री ऐनी मास्क्रेनी
32.	वैकुड स्वामी
33.	बाबा आम्टे
34.	मैरी क्लबवाला जाधव
35.	मुन्नी देवी बाल्मीकि
36.	राय केदारनाथ जी
37.	एच.डी.एच. मुक्तजीवन स्वामिबापा
38.	डॉ. दिनकर देसाई
39.	केम्पेगौड़ा
40.	उमर्शी हिरजी चढवा
41.	शहीद मणिराम दीवान
42.	हरिभाऊ उपाध्याय

1	2
43.	फादर म्यूलर
44.	कैप्टन दुर्गाप्रसाद चौधरी
45.	एस.आर. शेकर
46.	वी.जे. मथाई
47.	पीरजादा जी.ए. महजूर
48.	पं. ओम नारायण दत्त जी
49.	बी. नागी रेड्डी
50.	भैरो सिंह शेखावत
51.	कामिनी कुमार चंद
52.	डॉ. एच.एम. पटेल
53.	एच. मुहम्मद कोया साहिब
54.	यू.एन. ढेबर
55.	के.एस. कोडन्द्रमैहागरू
56.	पंडित कमलापति त्रिपाठी
57.	नाथूराम मिर्धा
58.	बिजय चन्द्र भगवती
59.	लोकनेता बालासाहेब देसाई
60.	वसंत राव नायक
61.	आनंदी लाल पोद्दार
62.	के. करुणाकरन
63.	सरदार बलदेव सिंह
64.	आचार्य पी.के. अत्रे
65.	संत शिरोमणि बाबा आसूदाराम

1	2
66.	गीवर्गीज मार ग्रेगोरियस
67.	चट्टांबी स्वामिकल
68.	परमहंस ओंकारानंद सरस्वती
69.	पुष्कर मुनि
70.	श्रीमद्रामानुज
71.	गुरू जांभेश्वरजी
72.	जैनाचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराज
73.	ब्लेस्ड यूफ्रेसिया सीएमसी एलुवतिंगल
74.	सी. आरोन
75.	संत तरण तारण
76.	एम.ए. तिमोथिअस मेट्रोपोलिटन
	लेखक/पत्रकार/कवि आदि
77.	भंवर लाल नाहटा
78.	महमूद अयाज
79.	डॉ. मुल्कराज आनंद
80.	गुरुजडा वेंकट अप्पाराव
81.	पन्नालाल पटेल
82.	डॉ. जयंत खत्री
83.	धर्मपाल गुप्ता 'वफा'
84.	शहजादा दारा शिकोह
85.	अमिय भूषण मजूमदार
86.	आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर
87.	हुकुम चंद नारद

1	2
88.	डॉ. ए. चिदंब्रनाथन चेट्टियार
89.	नाशिकराव त्रिपुडे
90.	राम गोपालजी माहेश्वरी
91.	के. रामकृष्ण पिल्लै
92.	उमाशंकर जोशी
93.	संत जानकी प्रसाद
94.	जगन्नाथ दासारू
95.	गोपाल सिंह नेपाली
96.	गंगाधर मेहर
97.	जी.जी. जोशी (धूमकेतू)
98.	सी.के. पिल्लै
99.	पं. पन्नालाल जैन
100.	अली सरदार जाफरी
101.	कवि मुद्दाना
102.	जी.एल. भार्गव
103.	नौशाद अली
104.	शरण रानी
105.	संगीताचार्य विशमदेव चट्टोपाध्याय
106.	पद्मश्री एस. मुखर्जी
107.	अशोक कुमार
108.	मैक मोहन
109.	डॉ. तालिमारेन आव
110.	के.के. हेब्बर

1	2
111.	सुनिल दत्त
112.	भारत भूषण
113.	इस्माइल मर्चेंट
114.	सी.वी. नागय्या
115.	मदन मोहन
116.	रवि शंकर देराश्री
117.	प्रो. एस.वी. सेठी
118.	डॉ. मैल्कम एस. आदिशेषैय्या
119.	बिनोदे कानूनगो
120.	सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र
121.	प्रताप सिंह महाराज भोसले
122.	जस्सा सिंह रामगढ़िया
123.	एम.आर. मोरारका
124.	फूलचंद तांबोली
125.	डॉ. जी.के. देवराजुल
126.	ओ.पी. जिंदल
127.	डॉ. नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग
128.	एस. चंद्र शेखर
129.	डॉ. शंकर आबाजी भिसेय
130.	पं. मोतीलाल नेहरू
131.	पं. मदन मोहन मालवीय
132.	सी. अच्युत मेनोन
133.	आदि जगदगुरु श्री श्री शिवरात्री स्वामीजी

1	2
134.	प्रज्ञावर पन्ना लाल जी महाराज
135.	झूलेलाल
136.	पन्नालाल घोष
137.	एम. कृष्णन

विवरण-II

महान विभूतियों पर प्राप्त एवं वर्ष 2012 में जारी करने के लिए स्वीकृत प्रस्ताव

क्र. सं.	व्यक्तित्व का नाम	जारी करने की तारीख
1	2	3
1.	पूर्णचंद्र गुप्ता	02.01.2012
2.	भाई जगता जी	15.01.2012
3.	श्याम नारायण सिंह	24.01.2012
4.	वसंतदादा पाटील	01.03.2012
5.	श्यामा चरण शुक्ल	09.03.2012
6.	आर. वेंकटरामन	18.04.2012
7.	एम.बी. कडाडी	17.05.2012
8.	आचार्य ज्ञान सागर	19.05.2012
9.	दुर्गा प्रसाद चौधरी	2012 (तारीख निर्धारित की जानी है)
10.	करपूर चंद्र कुलिश	-वही-
11.	मोतीलाल नेहरू	-वही-
12.	राम गोपाल महेश्वरी	-वही-
13.	झूले लाल	-वही-
14.	आदि जगदगुरू श्री शिवरात्री शिवयोगिगलु	2012 (तारीख निर्धारित की जानी है)
15.	पीरजादा गुलाम अहमद महजूर	-वही-
16.	(चार डाक-टिकटों का सेट) 1. पं. मल्लिकार्जुन मनसूर 2. कुमार गंधर्व 3. गंगूबाई हंगल 4. डी.के. पट्टम्माल	-वही-

धार्मिक शिक्षा/विश्वास का नया विषय

4343. श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे नये विषय को आरंभ करने का है जो केवल धार्मिक शिक्षा/विश्वास से संबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कैट-III बी में प्रशिक्षित पायलट्स

4344. श्रीमती जे. शांता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे प्रशिक्षित पायलटों की संख्या कितनी है। जो खराब दृश्यता में कैट-III बी युक्त विमानों का परिचालन कर सकते हैं;

(ख) देश में ऐसे विमानपत्तनों की संख्या कितनी है जो ऐसे विमानों का परिचालन कर सकते हैं;

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऐसे विमानपत्तनों की संख्या कितनी है जहां ऐसी सुविधाएं प्रतिष्ठापित की गई हैं; और

(घ) सरकार ने प्रतिकूल मौसम स्थितियों में विमानों की उड़ान में विलंब और इसके रद्द होने से बचाने के लिए विमानपत्तनों पर नवीनतम उपकरणों को प्रतिष्ठापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) कैट-III बी प्रशिक्षित पायलटों का ब्यौरा:

पायलट इन कमांड (पी1)	=	926
सह-पायलट/प्रथम अधिकारी (पी2)	=	657

(ख) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा एकमात्र हवाईअड्डा है, जो कैट-III बी उड़ानों का संचालन कर सकता है।

(ग) ग्यारहवीं योजना के अंत तक रनवे-28, 11 और 29 के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईएलएस कैट-III बी सुविधा को संस्थापित किया गया है।

(घ) (i) एएसएमजीसीएस (एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एण्ड कंट्रोल सिस्टम), जोकि कैट-III बी प्रचालनों के लिए अपेक्षित है, यह दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलूरू हवाईअड्डों पर प्रचालनिक है।

(ii) अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी हवाईअड्डे पर जहां धुंधवाली स्थितियां हैं, वहां के लिए भी एएसएमजीसीएस की योजना है।

(iii) जयपुर हवाईअड्डे पर II प्रणाली रनवे विस्तार के बाद कार्यान्वित होने की संभावना है।

(iv) को-लोकेटेड प्राथमिक राडार (एएसआर)/द्वितीयक राडारों (एमएसएसआर) को 6 हवाईअड्डों पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(v) 9 हवाईअड्डों/स्थानों पर द्वितीयक निगरानी राडार (एमएसएसआर) विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(vi) एडीएस-बी 14 हवाईअड्डों पर संस्थापित किया जा रहा है।

(vii) मांग की तुलना में वहन क्षमता का संतुलन करने तथा प्रतिकूल मौसम स्थिति में भी विलम्ब/रद्द करने की घटनाओं को कम करने के लिए केन्द्रीय विमान यातायात प्रवाह प्रबंधन को कार्यान्वित करने की योजना अंतिम चरण में हैं।

गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क

4345. श्री पी. वेणुगोपाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने देश में विकसित गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) को दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करने वाली सात कंपनियों को स्थानांतरित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीपीओएन ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाया या बढ़ाने की संभावना है तथा आवाज, दृश्य और आंकड़ों को भेजने में भी बढ़ावा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उक्त प्रौद्योगिकी ने ब्रॉडबैंड और दूरसंचार सुविधाओं का किसी प्रकार विस्तार किया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने देश में विकसित गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) को दूरसंचार उपकरणों के सात विनिर्माताओं नामत: मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, मैसर्स यूटीएल, मैसर्स एसएम क्रिएटिव, मैसर्स वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड, मैसर्स साई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, एवं मैसर्स एचएफसीएल को स्थानांतरित किया है।

(ग) से (ङ) जीपीओएन ऐसी प्रौद्योगिकियों में से एक है जो तीन प्रकार की सेवाओं अर्थात् वॉयस, वीडियो एवं डाटा को प्रदान करने हेतु ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए उपयोग की

जा सकती है। यह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए बिल्डिंग ब्लॉकों में से एक है। देश में विकसित एवं निर्मित होने के कारण भी यह देश में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस पारिस्थितिक तंत्र को पेश करने में सहायक हो सकती है।

मदरसे

4346. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जामिया मिलिया इस्लामिया तथा एएमयू आदि जैसी अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के आधार पर सभी विश्वविद्यालयों के नामांकन हेतु मदरसों से अर्हताओं को मान्यता देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राज्य मदरसा बोर्डों के प्रमाणपत्रों-अर्हताओं, जिन्हें राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा उनकी माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक अर्हताओं के बराबर समकक्षता प्रदान की गई है, को रोजगार और शिक्षा के उच्च स्तरों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् और अन्य स्कूल परीक्षा बोर्डों के बराबर समकक्षता प्रदान की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

आदान लागत

4347. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न ब्लॉकों में आदान लागत देने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) सरकार विभिन्न कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से आउटपुट की लागत नहीं देती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान केन्द्रों के रूप में आई.आई.टी.

4348. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुसंधान केन्द्रों के रूप में बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अनिल काकोडकर की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् ने डॉ. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, शासी बोर्ड, आई.आई.टी., बाम्बे की अध्यक्षता में शिक्षा तथा उद्योग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करके एक समिति गठित की थी जिसका उद्देश्य आई.आई.टी. प्रणाली की स्वायत्तता में वृद्धि करने तथा उन्हें अनुसंधान तथा उच्चतर अध्ययन हेतु विश्वस्तरीय संस्थाएं बनाने के लिए रूपरेखा सुझाना था। परिषद् ने समिति की रिपोर्ट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था तथा आई.आई.टी. प्रणाली की स्वायत्तता में वृद्धि करने के लिए इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन किया था जिसका आशय अन्य बातों के साथ-साथ इसके अनुसंधान कार्यकलापों में वृद्धि करना है ताकि 2020 तक मौजूदा पी.एच.डी. स्नातकों की संख्या को प्रति वर्ष 1000 से बढ़कर 10000 किया जा सके तथा संकाय क्षमता की लगभग मौजूदा संख्या को 4000 से बढ़ाकर 16000 तक किया जा सके जिससे कि देश में तेजी से होने वाले विकास की मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त संकाय तथा अनुसंधानकर्त्ताओं का बड़ा पूल तैयार किया जा सके।

[अनुवाद]

अनुकंपा आधारित नियुक्ति

4349. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में चयनित अर्हक अभ्यर्थियों की अनुकंपा आधारित नियुक्ति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) सरकार का केरल राज्य सहित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों में अनुकंपा आधारित नियुक्ति के मानकों में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर से नीचे के सभी पदों पर भर्ती और नियुक्तियां, संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन द्वारा उनकी मानव संसाधन नीति के अनुसार की जाती हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी संचालन/कामकाज संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की स्वायत्तता दी गई है।

उपभोक्ताओं को बीमा कवर

4350. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने उपभोक्ताओं को निःशुल्क वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवरेज पॉलिसी लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस पॉलिसी के अंतर्गत बीएसएनएल के कितने उपभोक्ता पंजीकृत हैं;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने उपभोक्ताओं को बीमा सुरक्षा देने के लिए बीमा कंपनी के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पॉलिसी के अंतर्गत राज्य-वार कितने बीएसएनएल उपभोक्ता पंजीकृत हैं; और

(ङ) बीमा कंपनी ने इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए क्या शर्तें और निबंधन निर्धारित किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) इस समय, भारत संचार निगम लि. की अपने उपभोक्ताओं के लिए कोई निःशुल्क वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवरेज पॉलिसी नहीं है।

(ग) से (ङ) इस समय, भारत संचार निगम लि. का अपने उपभोक्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किसी भी बीमा कंपनी के साथ कोई करार नहीं हुआ है।

बच्चों को मुफ्त शिक्षा पर सब्सिडी

4351. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् विद्यालयों को बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार से सब्सिडी मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली संभावित सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक छात्र पर किए जा रहे व्यय के आधार पर सब्सिडी दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या निजी विद्यालयों के लिए सब्सिडी बहुत कम है जो छात्रों से बहुत अधिक फीस लेते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार के इस कदम से निजी विद्यालयों को अन्य छात्रों की फीस बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विद्यालयों के छात्र और उनके अभिभावक बोझ तले न दबें, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आईटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) में यह

व्यवस्था है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अनुसरण में प्रथम कक्षा में (या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जैसा भी मामला हो) अलाभान्वित समूह या कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला देते हैं, को उनके द्वारा इस प्रकार उपगत किए गए व्यय की राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक इसमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति की रीति राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य शिक्षा का अधिकार संबंधी नियमों में निर्धारित की जाती है।

(ग) से (च) गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की राशि स्कूल द्वारा प्रभारित/प्रभार्य फीस नहीं है बल्कि धारा 12(1)(ग) के अनुसरण में दाखिल किए गए अलाभान्वित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर इसके द्वारा वास्तविक उपगत व्यय की राशि उस राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की राशि तक होगी जिसमें सकूल स्थित हैं। प्रतिपूर्ति की राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। बहुत से निजी स्कूलों द्वारा प्रति बालक व्यय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में सरकारी स्कूलों में किए जाने वाले व्यय की तुलना में कम है। तद्नुसार, सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी वाली प्रतिपूर्ति ऐसे स्कूलों में कमजोर वर्ग और अलाभान्वित समूह के बच्चों को शिक्षित करने की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, महानगरों में कुछ स्कूल में प्रति बालक बजट, राज्यों में स्थित स्कूलों से कहीं अधिक होता है। इन स्कूलों को सामान्य श्रेणी के छात्रों पर बढ़ी हुई फीस का भार डाले बिना अंतराल को पूरा करने हेतु लोकोपकारी व्यक्तियों, परोपकारी न्यासों और कॉरपोरेट निधियन जैसे नवीन तरीकों को खोजना होगा।

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता पर कार्य समूह

4352. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना पैनल विद्यालय शिक्षा और साक्षरता पर कार्य समूह की स्थापना द्वारा गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक राज्य-वार रूपरेखा क्या है; और

(ग) अभी तक निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा आंध्र प्रदेश सहित इस संबंध में प्रत्येक राज्य का क्या विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता हेतु निम्नलिखित कार्य समूहों का गठन किया था:—

(i) प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्य समूह।

(ii) माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर कार्य समूह।

(iii) शिक्षक शिक्षा पर कार्य समूह।

(iv) स्कूल शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित निजी साझेदारी पर कार्य समूह।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा गुणवत्ता पर बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है तथा योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा।

यद्यपि कार्य समूहों के अंतर्गत गठित उप-समूहों में आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि शामिल थे, किन्तु उप-समूहों/कार्य समूहों की सिफारिशों को राज्य-वार तैयार नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

दूरसंचार न्यायाधिकरण के बीएसएनएल को निदेश

4353. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार न्यायाधिकरण ने बीएसएनएल को इंटर कनेक्ट यूजेज चार्जेज (आईयूसी) पर निजी दूरसंचार कंपनियों को लॉग ऑफ नहीं करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निजी दूरसंचार आपरेटर के विरुद्ध आपरेटर-वार बाकाया आईयूसी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) निजी प्रचालकों से किस तरह से बकाया (आईयूसी) वसूल किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) कतिपय प्रचालकों ने दूरसंचार विवाद समाधान

एवं अपीलीय प्राधिकरण (टीडीएसएटी) में याचिका दायर की है। टीडीएसएटी ने अपने निर्णय में निजी दूरसंचार कंपनियों को लॉग ऑफ नहीं करने के लिए बीएसएनएल को निर्देश दिया है। प्रमुख निजी दूरसंचार प्रचालकों के बकाए का ब्यौरा प्रचालक-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बीएसएनएल ने उक्त संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी है।

विवरण

प्रमुख निजी दूरसंचार प्रचालकों से संबंधित बीएसएनएल के बकाया

प्रचालक का नाम	बकाया देय (करोड़ रुपए)
भारती एयरटेल	169.07
आइडिया	121.36
आरसीएल	101.63
वोडाफोन	49.54
टीटीएलसी	33.83
वीईएसएल	29.72
स्पाईस सेल्यूलर	14.54
आरटीएल	9.23
डाटा एक्सेस	6.89
डीएसएल	4.5
टीसीएल	4.32
डिशनेट	2.96
एयरसेल	2.2
रिलायंस इन्फो	1.09

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सुधार

4354. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम पुराने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के पुनर्गठन और व्यवहारिक ज्ञान पर बल देने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या संबंधित विश्वविद्यालयों के अकादमिक निकायों के अंतर्गत आती है। अधिकांश विश्वविद्यालयों की पाठ्यचर्या को आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वह समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप रहें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक मॉडल पाठ्यचर्या उपलब्ध कराती है जिसमें इंजीनियरी शिक्षा के सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक दोनों मूल्यांकनों की आवश्यकता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षिक सत्र 2012-13 की शुरूआत से पहले सभी विश्वविद्यालयों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित संस्थाओं के लिए संशोधित मॉडल पाठ्यचर्या अधिसूचित की जाएगी।

वैश्विक अनुसंधान विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन

4356. श्री नवीन जिंदल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिक देशों के बीच गुणवत्ता सुधार, किफायती होना तथा सभी तक प्रभार जैसे मानदंडों के आधार पर एक प्रतिष्ठित वैश्विक अनुसंधान विश्वविद्यालय के अंतरिम निष्कर्षों को संज्ञान में लिया है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय इंजीनियर वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में प्रदान की जा रही इंजीनियरिंग की शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रदान की जा रही इंजीनियरिंग की शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर है तथा कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों में भारी प्रतियोगिता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पूरे देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं इसके प्रचार में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) इंजीनियरी शिक्षा की मौजूदा गुणवत्ता और शिक्षण/अध्ययन प्रक्रिया में अनुसंधान संघटक और उद्योग अंतरपृष्ठ (इंटरफेस) के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की देश में इंजीनियरी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं नामत: डिप्लोमा और डिग्री स्तरीय संस्थाओं के लिए संकाय के सुधार के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम योजना तथा इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संवर्धन योजना। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-II भी देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करता है। 2430 करोड़ रुपये की यह परियोजना देश में 200 संस्थाओं को कवर करेगी जिनमें से 20 प्रतिशत संस्थाएं निजी इंजीनियरी कॉलेज होंगे। इसके अलावा, देश में इंजीनियरी शिक्षा की गुणवत्ता को एक संशोधित प्रत्यायन प्रणाली जो परिणाम (आउटकम) पर आधारित है, के जरिए नियंत्रित करने और मॉनीटर करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई है।

आदिवासी नृत्य को बढ़ावा देना

4356. श्री वरुण गांधी : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय आदिवासी नृत्य के रूपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई अहमद) : (क) जी, हां। आईसीसीआर विदेशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा महोत्सवों में भाग लेने के लिए जनजातीय नृत्य मण्डलियों को प्रायोजित करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में आईसीसीआर ने निम्नलिखित जनजातीय नृत्य मण्डलियां प्रायोजित की हैं:—

1. गुजरात से स्पेन 12 सदस्यीय सिद्दी गोमा मंडली, जिसका नेतृत्व श्री अल्लारखा मुकिन्दो द्वारा किया गया था।
2. पश्चिम बंगाल से चीन 14 सदस्यीय साराभुज मंडली, जिसका नेतृत्व श्री तरुण प्रधान द्वारा किया गया था।
3. गुजरात से सेनेगल 10 सदस्यीय सिद्दी गोमा मंडली, जिसका नेतृत्व सुश्री सिद्दी रुमानाबेन छोटूभाई द्वारा किया गया था।
4. कनाडा में 10 सदस्यीय खानाबदोश कारवां मंडली ''चिह्न'', जिसका नेतृत्व सुश्री मीनाक्षी राय द्वारा किया गया था।
5. ओडिशा से त्रिनिदाद व टोबैगो 10 सदस्यीय मयूर भंज छऊ नृत्य मंडली ''दक्षिण साही छऊ नृत्य मंदिर'', जिसका नेतृत्व श्री कार्तिकेश्वर राणा द्वारा किया गया था।

चीन-पाक संबंध

4357. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका से संबंधों में तनाव के कारण पाकिस्तान अपने अधिकृत कश्मीर का गिलगित और बलतिस्तान चीन को दे रहा है जिससे भारतीय सुरक्षा को खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में गिलगित-बलकिस्तान चीन को सौंपे जाने पर पाकिस्तान सरकार का कोई आधिकारिक विवरण अथवा रिपोर्ट नहीं देखी है। तथापि, वर्ष 1963 चीन-पाकिस्तान के तथाकथित ''सीमा करार'' के तहत, पाकिस्तान ने गैर-कानूनी रूप से पीओके में भारतीय क्षेत्र का 5,180 वर्ग किलोमीटर

भू-भाग चीन को सत्तान्तरित किया। सरकार भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के अपने संकल्प हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने पर दृढ़ बनी हुई है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार की शिकायतें

4358. **श्री राकेश सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच के लिए निर्णय लेने हेतु कोई दिशा-निर्देश और समय-सीमा बनाई गई है या बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को देखते हुए भ्रष्टाचार विरोधी कानून में संशोधन लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, यह भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न शिकायतों के सत्यापन और लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित मामलों के बारे में प्राथमिक जांच-पड़ताल भी संचालित करता है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अपराध मैनुअल-2005 में दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, गुप्त सत्यापन, शिकायत के प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए तथा प्राथमिक जांच-पड़ताल शिकायत के पंजीकृत होने के तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार-निरोधी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने कुछ ही समय पहले संसद में कई विधान पुरःस्थापित किए हैं। इनमें से कुछ ये हैं:—

(i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;

(ii) भंडाफोड़ कर्त्ताओं की सुरक्षा विधेयक;

(iii) विदेश लोक पदाधिकारियों और लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011; और

(iv) वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी हेतु नागरिकों का अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक, 2011।

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 तथा भंडाफोड़ कर्त्ताओं की सुरक्षा विधेयक, 2011 लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है तथा ये विधेयक राज्य सभा में लंबित हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रित क्षेत्र

4359. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकी परिवेश में सुधार के लिए मुख्य केन्द्रित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इससे कुल मिलाकर देश की औद्योगिक वृद्धि में मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) देश में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए चिह्नित मुख्य क्षेत्र निम्नांकित हैं:—

(i) अवसंरचना की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार

(ii) कर-संरचना को युक्तिसंगत बनाना (करों के प्रपात तथा प्रतिलोमित कर ढांचे का उन्मूलन)

(iii) कौशल विकास

(iv) श्रम नम्यता

(v) कच्चे माल की कमी

(vi) नवप्रवर्तन

(vii) प्रवेश/निकास संबंधी बाधाओं की समाप्ति।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, मुख्य क्षेत्रों में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) वैश्विक संकट के कारण, औद्योगिक विकास 2007-08 के 9.2 से घटकर 2008-09 में 4.1 रह गया। विकास में आई इस कमी को कई नीतिगत उपायों के माध्यम से नियंत्रित किया गया और परिणामस्वरूप, विकास दर बढ़कर 2009-10 में 8.9 और 2010-11 में 6.8 हो गई। ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग की संयुक्त वार्षिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

विवरण

(i) अवसंरचना:

ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में, योजनावधि (2007-12) के दौरान, अवसंरचना क्षेत्रकों (10 अप-क्षेत्रकों सहित) में 20,56,150 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अंग के रूप में, अवसंरचना क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की है। उस चरण में, निवेश अनुमान को संशोधित कर 20,54,205 करोड़ रुपए कर दिया गया था जबकि योजना अनुमान 20,56,150 करोड़ रुपए का था।

विनिर्माण क्षेत्रक के विकास के लिए अपेक्षित साझा अवसंरचना के अलावा, कई मंत्रालयों, विभागों ने औद्योगिक अवसंरचना की कमी के समाधान के लिए औद्योगिक उद्यानों/क्लस्टरों को विकसित करने की पहलें शुरू की हैं। कुछ मुख्य पहलें निम्नवत् हैं:—

एकीकृत कपड़ा उद्यान योजना 2005 में शुरू की गई थी ताकि कपड़ा मूल्य शृंखला के विभिन्न उप-क्षेत्रकों तथा गुणवत्ता अवसंरचना की कमजोरियों और विखंडन को निष्प्रभावी किया जा सके। एकीकृत कपड़ा उद्यान योजना के अंतर्गत, 4183.36 करोड़ रुपए की लागत से 40 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

11वीं योजना में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत, मेगा फूड पार्कों और प्रशीतन शृंखला हेतु 280.85 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया गया है। 2010 तक अनुमोदित 15 मेगा फूड पार्कों में से दो पार्कों का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। अक्तूबर, 2011 में पन्द्रह अतिरिक्त मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दी गई।

निर्यात अवसंरचना तथा संबद्ध क्रियाकलाप हेतु राज्यों को सहायता देने की योजना एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके तहत राज्यों को निर्यात संबंधी समुचित अवसंरचना सृजित करने हेतु प्रोत्साहन — संबद्ध सहायता दी जाती है। 80 प्रतिशत निधियां (राज्य संघटन) अनुमोदित मानदंड के आधार पर राज्यों को आवंटन हेतु निर्धारित की जाती हैं और शेष 20 प्रतिशत केंद्रीय संघटन से।

सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम साझा सुविधा केंद्रों, औद्योगिक संपदाओं/औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक अवसंरचना के सृजन/स्तरोन्नयन और सॉफ्ट इंटरवेंशन का समर्थन करता है। 2003 से, 18 साझा सुविधा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और 35 साझा सुविधा केंद्र कार्यान्वियनाधीन हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार का योगदान 115.36 करोड़ रुपए रहा है।

औद्योगिक अवसंरचना स्तरोन्नयन स्कीम की शुरूआत 2003 में, ऐसे चुनिंदा कार्यात्मक क्लस्टरों/स्थलों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए गुणवत्ता अवसंरचना संवर्द्धन हेतु की गई थी जिनके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना ज्यादा है। औद्योगिक अवसंरचना स्तरोन्नयन स्कीम के तहत अब तक, कुल 2526.46 करोड़ रुपए की लागत से 38 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। 38 संस्वीकृत परियोजनाओं में से 14 पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं का काम विभिन्न चरणों में है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, औद्योगिक अवसंरचना स्तरोन्नयन स्कीम में भारत सरकार का योगदान 586.94 करोड़ रुपए का रहा है।

जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों का सृजन जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के माध्यम से, नव-प्रवर्तन की प्रसुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार ने आठ जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों

तथा इन्क्यूबेशन केंद्रों को सहायता प्रदान की है। फिलहाल, चार पार्क कार्य कर रहे हैं और अन्य चार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्रक की स्थिर और कम हिस्सेदारी संबंधी चिंता के कारण विनिर्माण क्षेत्रक के लिए विशेष नीति बनाना आवश्यक हो गया ताकि विकास में तेजी आए, समावेशी विकास हो तथा लाभप्रद रोजगार का प्रावधान किया जा सके। तद्नुसार, सरकार ने 25 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है जिसमें अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय निवेश को विनिर्माण जोनों की स्थापना की अभिकल्पना की गई है।

दादरी (उत्तर प्रदेश) और जेएनपीटी (नवी मुम्बई) के बीच 1483 किलोमीटर लम्बा पश्चिम समर्पित रेल माल ढुलाई गलियारे के साथ दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल ने 15 सितम्बर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे में औद्योगिक नगरों के विकास हेतु वित्तीय और सांस्थानिक संरचना तथा वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया था। इसमें अन्य के साथ, औद्योगिक नगरों के विकास हेतु अगले पांच वर्षों में निधि/न्यास के लिए 17,500 करोड़ रुपए के साथ **मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन निधि** का सृजन शामिल है।

(ii) कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाना:

जीएसटी शुरू करने के तौर-तरीकों के निर्धारण हेतु राज्य वित्त मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्रक-वार समान अवसर उपलब्ध कराने सम्बन्धी मामले भी उठाए गए और शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया ताकि 2008 में बाहरी कारकों के चलते उत्पन्न परिस्थिति का समाधान किया जा सके।

(iii) कौशल विकास :

सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कौशल विकास हेतु एक समन्वित कार्रवाई शुरू की है 2009 में बनाई गई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार पर जोर दिया गया है और वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2008 के शुरू में, त्रि-स्तरीय सांस्थानिक ढांचा सृजित किया गया जिसमें (i) प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद् (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी 1896 आईटीआई के स्तरोन्नयन की प्रक्रिया शुरू की है। 500 आईटीआई को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत किया जाना है तथा शेष 1396 आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाई जा रही है। ताकि इन संगठनों को मांग के अनुरूप बनाया जा सके। कौशल विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कौशल विकास पहल भी, बीच में स्कूल छोड़ देने वालों, मौजूदा कामगारों तथा आईटीआई उत्तीर्ण लोगों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) श्रम नम्यता:

श्रम कानूनों की समीक्षा/संशोधन की प्रक्रिया चलती रहती है ताकि उन्हें देश की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके। रोजगार संरक्षण पर केन्द्रित कुछ श्रम कानूनों में लचीलेपन की कमी के कारण रोजगार में कमी आती है। यद्यपि, श्रम नम्यता संबंधी श्रम कानूनों में संगत उपबंधों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, सरकार ने संसद में श्रम कनून (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणी देने और पंजियों के रखरखाव से छूट) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न विवरणियों के प्रपत्रों और रखे जाने वाली पंजियों का सरलीकरण करना तथा कवरेज के दायरे का विस्तार करना है।

(v) कच्चे माल की कमी:

देश में खनिज क्षेत्रक की संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है क्योंकि जिस पैमाने पर उत्खनन का कार्य होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है और खनिज विकास की धारणीयता से जुड़े मुद्दे भी हैं। मुख्य पहल यह हुई है कि लोक सभा में दिसंबर, 2011 में खान और खनिज (विकास और विनियम) विधेयक प्रस्तुत किया गया है विधेयक का उद्देश्य खनन क्षेत्रक में निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए बेहतर विधायी माहौल बनाना है। साथ ही, सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विदेश में कच्चे माल के तौर पर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की नीति तैयार की है।

(vi) **नवप्रवर्तन पर बल:**

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद् की स्थापना देश में नवप्रवर्तन की दिशा तैयार करने और समावेशी नवप्रवर्तन का प्रारूप तैयार तथा कार्यान्वित करने हेतु किया गया है, परिषद् ने नवम्बर, 2011 में प्रथम "जनता को रिपोर्ट-2011" जारी कर दी है। परिषद् की पहलों में, अन्य के साथ, क्षेत्रीय उद्योग में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पारितंत्र के सृजन पर बल दिया गया है जिसमें उ़ेग नवप्रवर्तन क्लस्टरों का सृजन कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेष जोर दिया गया है।

(vii) **प्रवेश/निर्गम बाधाओं का उन्मूलन:**

व्यापार विनियामक परिदृश्य को बेहतर बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहा है समिति देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की अधिसूचना के साथ ही, उद्यमी अपने सदस्यों को साझेदार के रूप में अपनी आंतरिक संरचना को संगठित करने हेतु लचीलापन प्रदान करते हुए समिति देयता के लाभ ले सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में आये बदलावों तथा देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार और विकास को देखते हुए कंपनियों के एक नए विधान को अधिनियमित करने का निर्णय लिया है। कंपनी विधेयक, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। कंपनियों के निर्गम के रूप, कंपनी विधेयक, 2011 में शामिल नए उपबंधों से कंपनियां सही तरीके से बाहर जा सकेंगी।

विधिक शिक्षा में दूसरी पीढ़ी के सुधार

4360. **श्री अशोक तंवर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विधिक शिक्षा में दूसरी पीढ़ी के सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सूचित किया है कि 2010 में विधि मंत्री के कल्पना वक्तव्य पर आधारित विधि मंत्री द्वारा विधिक शिक्षा में द्वितीय पीढ़ी सुधारों के लिए राष्ट्रीय परामर्श के दौरान, बीसीआई ने स्वैच्छिक अनवरत विधिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है जो एक अधिवक्ता की अपनी व्यावसायिक जानकारी, निपुणता, दृष्टिकोण तथा रीति शास्त्र को व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनाए रखने और बढ़ाने में सहायता देते हैं। बीसीआई ने विधिक शिक्षा-2008 के नए नियमों को तैयार करते हुए अनेक नवाचारी सुधार भी शुरू किए हैं। बीसीआई ने बार में नए स्नातकों को प्रवेश देने के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय बार परीक्षा भी शुरू की है। बीसीआई, सतत विधिक शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में युवा वकीलों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित कर रही है।

मध्याह्न भोजन के पोषक तत्व

4361. **श्री के.पी. धनपालन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों को विद्यालयों में दिये जा रहे मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों के सुधार के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की ऊर्जा की मात्रा जिसे 100 ग्राम खाद्यान्नों (चावल/गेहूं), 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल से प्राप्त किया जाता है, से युक्त पौष्टिक पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर योजना में 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की ऊर्जा मात्रा, जिसे 150 ग्राम खाद्यान्नों (चावल/गेहूं), 30 ग्राम दाल और 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल से प्राप्त किया जाता है, से युक्त भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, द्विगुणा पुष्टिकृत आयरन और आयोडीनयुक्त नमक के साथ-साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करते हुए पौष्टिकता स्तर में आगे और सुधार किया जाता है।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना

4362. **श्री ओम प्रकाश यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को कुल कितनी राशि आवंटित की गई;

(घ) बिहार के लिए उक्त अवधि के दौरान आवंटन-उपयोग का क्या अनुपात है; और

(ङ) बिहार को अभी तक विशेष दर्जा न देने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई, 2011 में प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा देने का अनुरोध किया गया था। बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा देने के अनुरोध सहित ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने और उनकी जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी दल (आईएमजी) गठित किया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय मंत्रालय राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्यों को निधियां जारी करते हैं। तीन वर्षों के दौरान बिहार को जारी की गई राशि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये)

	2009-10	2010-11	2011-12
राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	4579.97	6371.12	5942.93
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	7626.18	13725.22	13155.77
कुल	12206.15	20096.34	19413.27

राज्य द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण-पत्रों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं।

(ङ) विभिन्न मानदंडों, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, को मिलाकर विचार करने के बाद विशेष श्रेणी दर्जा केवल राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा प्रदान किया जाता है:—

(i) पहाड़ी और दुर्गम भूभाग;

(ii) कम जनसंख्या घनत्व और/अथवा जनजातीय जनसंख्या का बड़ा भाग;

(iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक अवस्थिति;

(iv) आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन; और

(v) राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति।

बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा देने से संबंधित ज्ञापन की जांच करने के लिए गठित किए गए अंतर-मंत्रालयी दल (आईएमजी) ने हाल ही में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अवसंरचना के लिए निधि

4363. चौधरी लाल सिंह :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र-वार अवसंरचना विकास के संबंध में भौतिक और वित्तीय अर्थ में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) कमी का यदि कोई कारण हो तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना के विकास में अधिक गति देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजनावधि (2007-12) के दौरान बिजली (अपारंपरिक बिजली सहित), सड़कों, पुलों, दूरसंचार, रेलवे (मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली सहित), सिंचाई (जलसंभर सहित), जलापूर्ति तथा स्वच्छता, पत्तन (अंतर्देशीय जलमार्गों सहित), विमानपत्तनों, भंडार तथा रेल गैस पाइप लाइन क्षेत्रकों में 20,56,150 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के रूप में, अवसंरचना क्षेत्रक में हुई प्रगति की समीक्षा की है। उस चरण में, निवेश अनुमान 20,54,205 करोड़ रुपए का था जबकि योजना अनुमान 20,56,150 करोड़ रुपए का था। ग्यारहवीं योजना के लिए क्षेत्रक-वार अनुमान तथा संशोधित मध्यावधि अनुमान नीचे तालिका-1 में है:—

तालिका-1

अवसंरचना में निवेश के संबंध में ग्यारहवीं योजना के प्राक्कलन और संशोधित मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान

(2006-07 के मूल्य पर करोड़ रुपये)

क्षेत्रक	ग्यारहवीं योजना	
	योजना प्राक्कल	मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान
बिजली (एनसीई सहित)	6,66,525	6,58,630
सड़क और पुल	3,14,152	2,78,658
दूरसंचार	2,58,439	3,45,134
रेलवे (मेट्रो रेल सहित)	2,61,808	2,00,802
सिंचाई (जलसंभर सहित)	2,53,301	2,46,234
जलापूर्ति और स्वच्छता	1,43,730	1,11,689
पत्तन (अंतर्देशीय जलमार्ग सहित)	87,995	40,647
विमानपत्तन	30,968	36,138
भंडारण	22,378	8,966
तेल और गैस पाइप लाइन	16,855*	1,27,306
कुल	20,56,150	20,54,205

नोट: *योजना लक्ष्य केवल गैस पाइप लाइनों से संबंधित है।

मध्यावधि मूल्यांकन के क्षेत्रक-वार निम्नांकित प्रगति देखी गई:—

बिजली

1. बिजली क्षेत्रक में, 6,58,630 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलित निवेश 6,66,525 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन से थोड़ा कम है। बिजली क्षेत्रक में निजी निवेश संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि मूल प्राक्कलनों की तुलना में 55% की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश का योगदान घटने की संभावना है — खासकर ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्रक में निवेश अनुमान से कम होने के कारण। ग्यारहवीं योजना के दौरान, 78,700 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, 62,374 मेगावाट की क्षमता वृद्धि होने की संभावना है।

सड़क

2. सड़क क्षेत्रक में भी संशोधित प्राक्कलित निवेश 2,78,658 करोड़ रुपये है जो 3,14,152 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन की तुलना में काफी कम है। योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमान से कम सड़क परियोजनाएं आवंटित करने के कारण, केन्द्र का निवेश घटने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उच्च निवेशों के कारण, सड़क क्षेत्रक में राज्यों का निवेश बढ़ने की संभावना है।

3. ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों में बीओटी परियोजनाएं कम संख्या में आवंटित किए जाने के कारण, निजी क्षेत्र का निवेश भी कम रहने का अनुमान है। तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य आवंटित करने और उसके कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय लिया है ताकि प्रतिदिन 20 किलोमीटर की दर से राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। इससे ग्यारहवीं योजना के पिछले दो वर्षों के दौरान निवेश में तीव्रता आने की संभावना है। किन्तु इस तीव्रता के कारण व्यय में वृद्धि 12वीं योजना में होगी।

दूरसंचार

4. दूरसंचार क्षेत्रक में विकास की गति बहुत तेज रही है और निवेश 3,45,134 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो ग्यारहवीं योजना के निर्माण के समय मूल रूप से अनुमानित 2,58,439 करोड़ रुपये की राशि से 1.3 गुना ज्यादा है। यह ग्यारहवीं योजना के निर्माण के समय अभिकल्पित की तुलना में, निजी क्षेत्र का निवेश 1.59 गुना अधिक रहने के कारण हुआ है। इसके विपरीत, दूरसंचार में केन्द्र का निवेश, 11वीं योजना तैयार करते समय प्राक्कलित राशि से 23.84% अधिक रहने का अनुमान है।

रेलवे

5. ग्यारहवीं योजना में रेलवे में (मेट्रो रेल सहित) संशोधित निवेश अनुमान अब लगभग 2,00,802 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो 2,61,808 करोड़ रुपये के पूर्व प्राक्कलन से 23.3% कम है। केन्द्रीय क्षेत्रक निवेश और निजी निवेश – दोनों मूल प्राक्कलनों से कम हैं। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, निजी निवेश 8,316 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो मूल प्राक्कलनों का महज 16.5% है।

पत्तन

6. इस क्षेत्रक में प्रगति अनुमान से बहुत कम रही है। ग्यारहवीं योजना के दौरान निवेश अब 40,647 करोड़ रुपये ही रहने का अनुमान है जो 87,995 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के आधे से भी कम है। पत्तन क्षेत्रक में भी निजी निवेश, योजना की शुरूआत में किए गए प्राक्कलनों की तुलना में लगभग 40.31% कम रहने की संभावना है। ऐसा इस कारण हुआ है कि ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों में, संबंधित पत्तन न्यासों द्वारा सार्वजनिक-निजी सहभागिता वाली बहुत कम परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। पोत परिवहन मंत्रालय ने महापत्तनों के लिए 545 एमएमटी की अतिरिक्त क्षमता के मूल लक्ष्य को संशोधित कर कम कर दिया है और अब इसका प्रस्ताव, ग्यारहवीं योजना अवधि में 29,905 करोड़ रुपये की लागत से 393.27 एमएमटी क्षमता वाली केवल 48 परियोजनाएं विकसित करने का है।

7. महापत्तनों में क्षमता संवर्धन में धीमी प्रगति की तुलना में, राज्य क्षेत्रक में निजी क्षेत्र के पत्तनों ने सापेक्षिक रूप से अच्छा किया है। ग्यारहवीं योजना के लिए प्राक्कलित कुल 32,517 करोड़ रुपये के निजी निवेश में से, राज्य क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की निवेश हिस्सेदारी 26,370 करोड़ रुपये है।

विमानपत्तन

8. ग्यारहवीं योजना में निवेश अब 36,138 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि मूल अनुमान 30,968 करोड़ रुपये का था। विमानपत्तनों में सार्वजनिक और निजी–दोनों निवेश, ग्यारहवीं योजना की शुरूआत में किए गए अनुमान की तुलना में बढ़ने की संभावना है। निजी निवेश 23,155 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो विमानपत्तन अवसंरचना में कुल निवेश का 64.07% है। राज्य क्षेत्रक विमानपत्तनों में निवेश 2009-10 से लगातार घटा है क्योंकि हैदराबाद और बंगलूरू की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

तेल और गैस पाइप लाइन

9. ग्यारहवीं योजना में तेल और गैस पाइप लाइनों में निवेश बढ़कर 1,27,306 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि मूल अनुमान 16,855 करोड़ रुपये का ही था। निवेश में यह उल्लेखनीय वृद्धि इसलिए हुई है कि इस आंकड़े में, तेल पाइपलाइनों में निवेश की राशि भी शामिल है जबकि पूर्व के आंकड़ों में केवल गैस पाइपलाइनों में निवेश की राशि को शामिल किया गया था। ग्यारहवीं योजना के दौरान तेल पाइप लाइनों में निवेश की राशि को शामिल किया गया था। ग्यारहवीं योजना के दौरान तेल पाइप लाइनों में निवेश 1,08,190 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस श्रेणी में केन्द्र के बड़े निवेश भी शामिल हैं।

जलापूर्ति और स्वच्छता

10. योजना में जलापूर्ति और स्वच्छता में कुल निवेश 1,11,689 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 1,43,730 करोड़ रुपये के मूल अनुमान से 22% कम है। शहरी विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कार्यनीति में, शहरी अवसंरचना में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को त्याग दिया गया है जिसके कारण इस क्षेत्र में निवेश की संभावना पैदा हुई है।

सिंचाई

11. सिंचाई और जलसंभर प्रबंधन में निवेश ग्रामीण अवसंरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ग्यारहवीं योजना में, इस क्षेत्रक में कुल निवेश लगभग 2,46,234 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो पूर्व के अनुमान से 7.52% अधिक

है और यह दसवीं योजना में हुए 1,19,894 करोड़ रुपये के निवेश के दोगुने से भी ज्यादा है।

(ख) उक्त तालिका-1 से स्पष्ट है कि ग्यारहवीं योजना के समग्र निवेश लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए जाएंगे।

(ग) जी, हां। सरकार की योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना को काफी बढ़ावा देने की है।

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में स्वीकार किया गया है कि सरकार को अवसंरचना में निवेश की गति बढ़ाने पर बल देना जारी रखना चाहिए क्योंकि यह विकास को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 22 अक्तूबर, 2011 को अनुमोदित दृष्टिकोण-पत्र में कहा गया है कि बारहवीं योजना के दौरान, अवसंरचना में कुल निवेश 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। दृष्टिकोण-पत्र में यह भी कहा गया है कि अवसंरचनचा निवेश (बिजली, सड़क, पुल, दूरसंचार, रेलवे, सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता, पत्तन, विमानपत्तन, भंडारण तथा तेल और गैस पाइप लाइन के रूप में परिभाषित) को योजना के आधार-वर्ष (2011-12) में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8 प्रतिशत से बढ़ाकर, 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत करने की जरूरत होगी। इस प्रकार के निवेश के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक से वृहत् परिव्यय की आवश्यकता होगी किन्तु इसके साथ निजी निवेश में भी समानुपातिक रूप से अधिक निवेश करना होगा। ग्यारहवीं योजना में, अवसंरचना में निजी तथा सार्वजनिक और निजी भागीदारी निवेश कुल निवेश के 30 प्रतिशत से ज्यादा रहने का अनुमान है। बारहवीं योजना में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना होगा। बारहवीं योजना में अवसंरचना हेतु निधियों के बारे में अधिक ब्यौरा बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल किया जाएगा जिसे तैयार किया जा रहा है।

समावेशी विकास

4364. श्री राधे मोहन सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्पष्ट प्राथमिकताओं के साथ समावेशी विकास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र-वार इस संबंध में क्या प्रगति की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की कार्यनीति अपनाई गई ताकि विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, समावेशी विकास के विविध आयामों तथा सामाजिक लक्ष्यों को दर्शाने वाले 27 मॉनीटरणीय लक्ष्यों की पहचान की गई जिनमें से 13 को राज्यों के स्तर पर अलग-अलग किया जा सकता था। हाल के वर्षों में भारत में जो आर्थिक विकास की उच्च दर देखी गई है, उसके कारण भारत की आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत हुई है जिसके चलते देश को, लोगों और खासकर गरीबों तथा वंचितों के जीवन-स्तर पर निर्णायक प्रभाव डाल सकने वाली क्षमता हासिल करने में सहायता मिली है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में समग्र साक्षरता 2001 के 64.83 से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 1993-94 के 45.3 से घटकर 2004-05 में 37.2 और 2009-10 में 29.8 रह गया। 2001 में, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित प्रसव 66 थी जो 2010 में घटकर 47 रह गई। 1992-93 में प्रति लाख जीवित प्रसव मातृ मृत्यु दर 424 थी जो 2007-09 में घटकर 212 रह गई। इसी प्रकार, पेयजल के संवर्द्धित स्रोत का उपयोग करने वालों का प्रतिशत 1992-93 के 68.2 की तुलना में 2008-09 में 9.14 हो गया। स्वच्छता सुविधारहित घरों का प्रतिशत 1992-93 में 70 था जो 2008-09 में बढ़कर 49.2 हो गया।

ग्यारहवीं पंचर्षीय योजना (2007-12) का लक्ष्य 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना था जिसमें कृषि क्षेत्रक में 4 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रक में 10 से 11 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रक में 9 से 11 प्रतिशत के औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य शामिल है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी वर्ष 2011-12 के उन्नत राष्ट्रीय आय आकलन को ध्यान में रखते हुए, सेवा क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का अनुमान है जो ग्यारहवीं योजना के विकास लक्ष्यों के दायरे में ही है। तथापि, कृषि और उद्योग क्षेत्रकों में विकास लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ कमी रह सकती है। विभिन्न आंतरिक तथा बाह्य कारकों, यथा—वैश्विक आर्थिक मंदी, यूरो जोन संकट, मुद्रास्फीति के अनवरत दबाव तथा देश के कुछ हिस्सों में 2008-09 तथा 2009-10 में सूखे जैसी स्थिति के कारण,

ग्यारहवीं योजना में औसत विकास दर 7.9 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है।

[हिन्दी]

आईटी कंपनियों द्वारा रोजगार सृजन

4365. श्री अर्जुन राय :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आईटी कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार अवसर को दोगुना कर अमरीका में एक लाख रोजगार का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्योग की इकाइयों ने उक्त अवधि के दौरान भारत में औसत दर से रोजगार का सृजन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रोजगार सृजन में उक्त अंतर के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार, अनुमान है कि अमेरिका में भारतीय आईटी-बीपीओ कंपनियों द्वारा नियोजित प्रत्यक्ष कार्यबल वित्त वर्ष 2006 में 58,000 से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2011 में 1,07,000 हो गया है।

(ग) और (घ) इस उद्योग ने अमेरिका की तुलना में भारत में तेजी से रोजगार सृजित किया है जो वित्त वर्ष में अमेरिका के संदर्भ में 8,70,000 से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 में 18,72,000 हो गया है (उपर्युक्त संख्याओं के अलावा)।

(ङ) सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए हैं जिनमें सॉफ्टवेयर निर्यात गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक माल का शुल्क रहित निर्यात, उत्पादन शुल्क छूट, सीएसटी की प्रतिपूर्ति/छूट, आयकर छूट और विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) में विभिन्न वित्तीय रियायतें शामिल हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण महिलाओं के लिए बेअरफुट कॉलेज

4366. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण महिलाओं के लिए बेअरफुट कॉलेज का ब्यौरा क्या है जिसे राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया;

(ख) इसने ग्रामीण महिलाओं को अपने परिवारों की आय बढ़ाने में किस तरह मदद की;

(ग) क्या इस प्रणाली को कुछ भारतीय राज्य सरकारों और विदेशों द्वारा हूबहू अपनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कॉलेजों को निधि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) असहाय महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए देश में इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्य योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में कोई ऐसा कॉलेज नहीं चलाया जा रहा है। तथापि, जैसाकि मीडिया के कुछ भागों में रिपोर्ट आई है, बेअरफुट कॉलेज, जिसे सोशल कार्य और रिसर्च सैंटर के रूप में भी जाना जाता है, एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है जो राजस्थान के तिलोनिया गांव में परिचालित है। केंद्र सरकार इस कॉलेज का निधियन नहीं कर रही है और न ही देश के अन्य किसी भाग में ऐसी प्रणाली से अवगत है। यह कॉलेज कोई डिग्री प्रदान नहीं कर रहा है और एक मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान नहीं है। केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें 'सामुदायिक कॉलेज'

चला रही हैं जिनका उद्देश्य भी स्थानीय समुदायों को सम्बद्ध कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

गरीबी में कमी

4367. श्री नीरज शेखर :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री यशवीर सिंह :
श्री वरूण गांधी :
श्री नवीन जिंदल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के आकलन के अनुसार 2004-05 से 2009-10 के दौरान देश में गरीबी की दर में 1.5 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी में कमी को दर्शाने के लिए गरीबी के मानदंडों में हेर-फेर की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अपनाई गई गरीबी रेखा आंकड़ा इस का आंकड़े के साथ आम आदमी के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में गरीबी के वास्तविक आंकड़े के प्रकाशन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 66वें दौर में संग्रहित परिवार उपयोग व्यय संबंधी व्यापक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने हाल ही में वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी के अनुमानों की परिगणना की है। 2009-10 के लिए राज्य-वार की वर्तमान गरीबी रेखाओं और गरीबी औसत की परिगणना तेंदुलकर कार्यप्रणाली के आधार पर की गई है। उक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, योजना आयोग ने 19 मार्च, 2012 को जारी प्रेस नोट के जरिए, अनुमान जारी किए हैं। उक्त प्रेस नोट में उल्लिखित अनुसार, देश में गरीबी अनुपात 2004-05 में के 37.2% से घटकर 2009-10 में 29.8% रह गया। इस अवधि में गरीबी अनुपात प्रतिवर्ष 1.5% बिन्दु तक घटा है। गरीबी में राज्य-वार कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित होती है। गरीबी अनुमान हेतु कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2005 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रु. और शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रु. की एमपीसीई को वर्ष 2004-05 के मूल्य पर गरीबी रेखा के रूप में अनुशंसित किया था जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया था। तेंदुलकर समिति ने 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मानदंडात्मक और पोषणगत दृष्टियों से व्यय की पर्याप्तता का समावेश किया है। इसमें कहा गया है कि:–

"कैलोरी मानदंडों से इतर, प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को अनाज, शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में, गरीबी रेखा के आसपास प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की तुलना पोषणगत, शैक्षिक और स्वास्थ्यगत परिणामों संबंधी मानदंडात्मक व्यय की निरन्तरता से जांचते हुए वैध दिया गया है।"

परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के बाद कराए जाते हैं। वर्ष 2004-05 के पश्चात् यह सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 में कराया गया है। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन किया है जिसमें परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एनएसएस के 66वें दौर (2009-10) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है तथा 19 मार्च, 2012 को वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी अनुमान जारी किया गया है। इस प्रेस नोट के अनुसार अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा एमपीसीई के रूप में वर्ष 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रु. अनुमानित की गई है।

गरीबी के बहुआयामों एवं सूचकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीबी के अनुमान तथा गरीबों की पहचान के लिए कार्यप्रणाली पर पुनः विचार करने के लिए एक तकनीकी समूह बनाने का निर्णय लिया है जिससे कि गरीब एवं वंचित परिवारों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और स्कीमों का लाभ प्राप्त हो सके। तकनीकी समूह के गठन एवं इसके विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक गरीबी अनुपात में राज्य-वार कमी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9.5	5.7	8.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.4	-1.4	5.5
3.	असम	-3.5	-4.3	-3.5
4.	बिहार	0.4	4.3	0.9
5.	छत्तीसगढ़	-1.1	4.6	0.7
6.	दिल्ली	7.9	-1.5	-1.2
7.	गोवा	16.6	15.3	16.1
8.	गुजरात	12.4	2.2	8.6
9.	हरियाणा	6.3	-0.6	4.0
10.	हिमाचल प्रदेश	15.8	-8.0	13.5
11.	जम्मू और कश्मीर	6.0	-2.4	3.8
12.	झारखंड	10.1	-7.3	6.2
13.	कर्नाटक	11.4	6.3	9.7
14.	केरल	8.2	6.3	7.5
15.	मध्य प्रदेश	11.6	12.1	11.9
16.	महाराष्ट्र	18.4	7.4	13.7
17.	मणिपुर	-8.1	-11.9	-9.2
18.	मेघालय	-1.4	0.6	-1.0
19.	मिजोरम	-8.1	-3.6	-5.6
20.	नागालैंड	-9.3	-20.7	-12.1
21.	ओडिशा	21.6	11.7	20.1
22.	पुदुचेरी	22.7	8.3	13.0
23.	पंजाब	7.5	0.6	5.0
24.	राजस्थान	9.4	9.8	9.5
25.	सिक्किम	16.3	21.0	17.8
26.	तमिलनाडु	16.4	7.0	12.2
27.	त्रिपुरा	24.6	12.5	22.6
28.	उत्तर प्रदेश	3.4	2.4	3.2
29.	उत्तराखंड	20.3	1.0	14.7
30.	पश्चिम बंगाल	9.4	2.4	7.5
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.7	0.5	2.6
32.	चंडीगढ़	24.3	0.9	2.4
33	दादरा और नगर	7.7	0.1	10.1
34.	दमन और दीव	-31.6	-18.6	-24.5
35.	लक्षद्वीप	-21.8	8.8	-0.4
	अखिल भारत	8.2	4.6	7.4

[हिन्दी]

विद्यालयों को मान्यता

4368. श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी संबद्धता प्राप्त करने के लिए विद्यालयों से भारी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने विद्यालयों को सीबीएसई द्वारा संबद्धता दी गई है;

(घ) क्या मान्यता देने से पहले अवसंरचना की आवश्यकता, भूमि का आकार और स्वामित्व, प्रतिशत, वास्तविक जगह की उपलब्धता, अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र, विद्यालय के लिए आवश्यक प्रयोगशाला जैसे मानदंडों पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के लिए 4382 आवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त आवेदनों तथा प्रदत्त संबद्धता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबद्धता हेतु आवेदनों की जांच बोर्ड के संबद्धता उपनियमों में दिए गए पैरामीटरों की रोशनी में करता है।

विवरण

प्राप्त आवेदनों तथा प्रदत्त संबद्धता का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त संबद्धता		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	53	128	56	12	19	22
2.	असम	12	23	13	7	12	7
3.	बिहार	36	74	68	20	49	44
4.	गुजरात	45	48	43	17	25	15
5.	हरियाणा	114	177	138	74	121	82
6.	हिमाचल प्रदेश	21	21	18	14	12	7
7.	जम्मू और कश्मीर	6	10	11	4	3	5
8.	कर्नाटक	76	108	121	52	62	67
9.	केरल	226	115	81	65	20	24
10.	मध्य प्रदेश	73	137	84	47	93	51

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	83	139	107	31	78	59
12.	मणिपुर	7	2	7	3	1	1
13.	मेघालय	2	1	3	1	0	2
14.	नागालैंड	3	4	1	2	3	0
15.	ओडिशा	20	37	26	12	20	10
16.	पंजाब	61	118	91	37	86	58
17.	राजस्थान	65	99	80	37	59	43
18.	सिक्किम	0	1	3	0	1	1
19.	तमिलनाडु	37	56	82	15	32	55
20.	त्रिपुरा	3	5	3	2	1	1
21.	उत्तर प्रदेश	131	218	199	87	121	109
22.	अरुणाचल प्रदेश	10	18	9	6	11	3
23.	मिजोरम	1	1	0	0	1	0
24.	पश्चिम बंगाल	12	10	14	3	8	5
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	3	1	0	3
26.	चंडीगढ़	3	3	7	1	1	5
27.	गोवा	1	1	1	0	0	1
28.	पुदुचेरी	2	3	1	1	2	0
29.	दादरा और नगर हवेली	0	3	2	0	2	0
30.	दमन और दीव	1	0	0	1	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	छत्तीसगढ़	21	39	34	14	33	12
33.	झारखंड	33	22	20	19	13	8
34.	उत्तराखंड	29	33	48	22	20	27
35.	दिल्ली	30	46	58	20	35	47
36.	विदेशी स्कूल	14	8	10	12	5	5
	कुल	1232	1708	1442	639	949	779

[अनुवाद]

4जी सेवाओं को शुरू करना

4369. श्री एल. राजगोपाल :
श्री लालचन्द कटारिया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा हाल में 4जी सेवाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्किल-वार ऐसे सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) 3जी सेवाओं की तुलना में 4जी सेवाओं की अतिरिक्त विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या ऐसी सेवाएं बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा शुरू की गई हैं तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, हां। बीएसएनएल एवं भारती एयरटेल ने 4जी सेवाएं शुरू की हैं।

(ख) बीएसएनएल ने आंध्र प्रदेश, बिहार ओडिशा, तमिलनाडु (चेन्नै सहित), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, असम, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), एवं पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार को छोड़कर) सेवा क्षेत्रों, जिनमें उत्तरांचल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के नए राज्य भी शामिल हैं, के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी सेवाओं पर आधारित वाईमैक्स (वर्ल्डवाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेवएक्सेस) शुरू किया है। बीएसएनएल ने केरल एवं पंजाब सर्किलों के शहरी क्षेत्रों में भी वाईमैक्स (4जी) सेवाएं शुरू की हैं।

भारती एयरटेल लिमिटेड ने कोलकाता सेवा क्षेत्र में एलटीई (लॉंग टर्म इवलूशन) प्रौद्योगिकी आधारित 4जी बीडब्ल्यूए सेवाएं शुरू की हैं।

(ग) 3जी की तुलना में 4जी कुछ ज्यादा इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। 4जी उच्चतर डाटा दरों के अनुसार 3जी प्रौद्योगिकी की तुलना में निष्पादन एवं क्षमता में सुधार के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए उच्चतर समाधान वीडियो 3जी की तुलना में 4जी प्रौद्योगिकी में बेहतर कार्य करता है।

(घ) बीएसएनएल द्वारा वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की गई हैं जिनका ब्यौरा उपरोक्त पैरा (ख) में दिया गया है। एमटीएनएल

द्वारा भरसक प्रयास किए जाने के बावजूद उसे फ्रेंचाइजी मॉडल (राजस्व हिस्सेदारी आधार) पर बीडब्ल्यूए सेवाएं शुरू करने के लिए हिस्सेदार नहीं मिल सका। अत: उसने स्पेक्ट्रम को वापस करने के लिए दूरसंचार विभाग को लिखा है।

(ङ) और (च) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 फरवरी, 2012 के निर्णय के मद्देनजर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण लिमिटेड (ट्राई) ने 'स्पेक्ट्रम की नीलामी' के संबंध में दिनांक 23.04.2012 को अपनी सिफारिशें की हैं, जो सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

केवीएस के शिक्षकों को चिकित्सा सुविधाएं

4370. श्री तूफानी सरोज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय कर्मचारी होने के नाते इन शिक्षकों का प्राय: स्थानांतरण किया जाता है जिससे उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधाएं पाने में समस्या होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए किन कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं मुम्बई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर में स्थित केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विस्तरित की गई हैं। वे स्थान जहां पर सीजीएचएस सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां वे सिविल सेवा चिकित्सा परिचर नियमावली, 1944 के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं के हकदार हैं और प्रधिकृत चिकित्सा परिचर/सरकारी अस्पताल/सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों इत्यादि से उपचार ले सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री वी. नारायणसामी।

इस समय श्रीमती एम. विजय शांति और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। अत: कृपया अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, मैं, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 919(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 920(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियमन, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 921(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 922(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) संशोधन नियम, 2012, जो 31 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2012, जो 16 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 93(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2012, जो 16 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन नियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 144(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 146(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 216(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6644/15/12]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6645/15/12]

(3) (एक) उत्तराखंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6646/15/12]

(5) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-I और II), दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6647/15/12]

(7) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6648/15/12]

(9) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6649/15/12]

(11) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6650/15/12]

(13) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6651/15/12]

(15) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, संगरूर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, संगरूर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6652/15/12]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6653/15/12]

(19) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6654/15/12]

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : महोदय, मैं नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 जो 6 अप्रैल, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस/321/23/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6655/15/12]

...*(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल एग्री-फूड बॉयोटेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री अश्विनी कुमार]

(दो) नेशनल एग्री-फूड बॉयोटेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नेशनल एग्री-फूड बॉयोटेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6656/15/12]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6657/15/12]

(2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6658/15/12]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखि संदेशों के सूचना सभा को देनी है:—

1. "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि 30 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, शब्द 'बासठवें' के स्थान पर शब्द 'तिरसठवें' प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, ३ अंक '2012' प्रतिस्थापित किया जाए।

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधन के बारे में लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।"

2. "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि 30 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 को निम्नलिखित संशोधन के साथ पारित कर दिया है:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, शब्द 'बासठवें' के स्थान पर शब्द 'तिरसठवें' प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, अंक '2011' के स्थान पर अंक '2012' प्रतिस्थापित किया जाए।

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधन के बारे में लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।"

---

*सभा पटल पर रखा गया।

2. महोदय, मैं प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 जिन्हें 30 अप्रैल, 2012 को राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के साथ लौटा दिया है को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

31वें से 34वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राव इंद्रजीत सिंह (गुड़गांव) : महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना औरा प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे मे बत्तीसवां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारें में तैंतीसवां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

25वें से 27वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

27वां और 28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(एक) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदोनों की मांगों (2012-13) के बारे में सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

24वें और 26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) : महोदय, मैं सामाजिक न्याय

[श्रीमती सुस्मिता बाउरी]

और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में छब्बीसवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइये। अब हम 'शून्य काल' पर चर्चा करेंगे। आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइये। आप अपने स्थान से बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अपने स्थानों पर वापस जाइए। आप वहां से बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आपकी बोलने में रुचि नहीं है, तो कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम 'शून्य काल' पर चर्चा करेंगे।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोशी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ. मुरली मनोहर जोशी बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : सभापति जी, मैं बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : केवल श्री जोशी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)...*

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री नामा नागेश्वर राव आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं कैसे बोल सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) पाकिस्तान, विशेष रूप से सिंध में हिन्दुओं के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : सभापति जी, कृपया करके

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप सदन को ऑर्डर में लाइये।...*(व्यवधान)* आप पहले हाउस को ऑर्डर में लाइये।...*(व्यवधान)* बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे पर मुझे बोलना है।...*(व्यवधान)* आप कृपया करके सदन को ऑर्डर में लाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदय, यह आपका समय है। आप बोल सकते हैं, और वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसे लोग सुन नहीं पायेंगे। फिर भी, मैं बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जो भी बोलेंगे उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अतः, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य को अपनी बात कहने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, यह विषय बहुत गंभीर है और इस पर मैं सारे सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक समझता हूं। हमारे पड़ोस पाकिस्तान में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वे सम्पूर्ण मानवीय अधिकारों और सांस्कृतिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हैं।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* यह पाकिस्तान में मानवाधिकारों और सांस्कृतिक अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। *[हिन्दी]* मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने इन मामलों को, जब उनकी बात वहां के प्रधानमंत्री जी से हुई थी, तब नहीं उठाया। हमारे विदेश मंत्री ने भी इन मामलों को नहीं उठाया। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में बलपूर्वक हिन्दू लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, उनका बलात् धर्मांतरण किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अगर आप देखें, स्थिति ऐसी है, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हर महीने औसतन 25 लड़कियां इस प्रकार के दुर्भाग्य का शिकार हो रही हैं। आज सिंध में 90 प्रतिशत हिन्दुओं की संख्या रहती है। वहां नौजवान हिन्दू लड़कियों को चिन्हित करके उनका अपहरण किया जा रहा है। उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उनका बलात् धर्मांतरण किया जा रहा है। उसके बाद जब कोर्ट उनको कोई राहत देती है, तब उनको धमकियां दी जाती हैं। उनके परिवारों को हर तरह से सताया जाता है। उनको हर तरह से धमकियों के आधार पर रोका जाता है। नतीजा यह हुआ कि हर महीने वहां से दस-बीस की संख्या में हिन्दुओं का पलायन हो रहा है। 400 से अधिक हिन्दू परिवार पिछले दस महीने में यहां आये हैं। दुर्भाग्य की बात है कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस मामले में बिल्कुल चुप हैं और इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सवाल किया गया, तो उन्होंने जबाव दिया कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। यह आंतरिक मामला नहीं है। यह मामला मानवीय अधिकारों का है। यह मामला सांस्कृतिक अधिकारों का है। अगर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है, धर्मांतरण की बलात् प्रक्रिया है और लोगों को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह सांस्कृतिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। हम हर बार कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ता हो रही है, होनी चाहिए, हम अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन इस कीमत पर कि अपने देश के पड़ोस में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता रहे, और आप उन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाते। आपने इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के सामने नहीं उठाया, आपने कभी इन मामलों को पाकिस्तान की सरकार से नहीं उठाया और तारीफ यह है कि दिल्ली में लोगों को यह पता नहीं है, गृह मंत्री जी यहां सामने बैठे हैं, कि कितने परिवार यहां पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए हैं। वे रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर शरणार्थी बनकर आए हैं, इसलिए यह अंतराष्ट्रीय मामला भी बनता है। ये वहां से केवल किसी तस्करी में भागकर नहीं आए हैं, ये अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, वहां की सरकार से उत्पीड़न और अत्याचार के कारण आए हैं। यह

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में थियोक्रेटिक स्टेट है, वह एक धार्मिक राज्य है, पांथिक राज्य है, इसलिए वहां माइनॉरिटीज के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, इसे हमें सहन नहीं करना चाहिए। हमारे देश में कितना प्रबल मानवाधिकार आयोग है, हम इन मामलों को यहां बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारे पड़ोस में यह हो रहा है और इस पर सरकार चुप है। वे लोग यहां आते हैं, तो कहते हैं कि हमें इस सरकार पर भरोसा था कि यह सरकार मानवाधिकारों की रक्षा करेगी, हमारे सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी, लेकिन यह सरकार हमको धोखा दे रही है। वे कहते हैं कि *[अनुवाद]* इस सरकार ने हमें धोखा दिया है। *[हिन्दी]* यह सरकार हमें धोखा दे चुकी है, हमारा संरक्षण नहीं करती। मैं जानना चाहता हूं कि घटनाएं कितने दिनों से अखबारों में आ रही हैं, क्या एक्शन लिया गया? गृह मंत्री जी ने क्या किया, विदेश मंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए थे, तो क्या उनके साथ इस मसले को उठाया गया? ये गंभीर प्रश्न हैं। हम अपने देश के लोगों को किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं? हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं कि भारत दुनिया के अंदर सांस्कृतिक अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहता है। हम हमेशा बोलते रहे हैं कि मानव अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, *[अनुवाद]* सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। *[हिन्दी]* लेकिन यह तो जबर्दस्त जेनोसाइड हो रहा है कल्चरल राइट्स का। लोगों को भगाया जा रहा है, क्योंकि उनका धर्म अलग है, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है और क्योंकि वे हिन्दू हैं। वे लोग आएंगे यहीं, कहीं और तो जा नहीं सकते। अरब सागर में जाएंगे नहीं, वहां से अफगानिस्तान में भी नहीं जाएंगे। भारत की सरकार का, भारत के विदेश मंत्री, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का क्या फर्ज है, इसका उत्तर आज देश जानना चाहता है। आप इन्हें क्या संरक्षण देंगे? क्या आप पाकिस्तान की सरकार से बात करेंगे कि वह इस प्रकार की घटनाओं को बंद करे? क्या आप इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठाएंगे और क्या आप इस देश की जनता को आश्वासन दे सकेंगे कि भारत में उत्पन्न हुए किसी धर्म के प्रति यदि इस प्रकार का अत्याचार होगा, तो सरकार उसका निषेध करेगी।

अपराह्न 12.13 बजे

इस समय श्री नामा नागेश्वर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अपराह्न 12.13¼ बजे

इस समय श्री के. चन्द्रशेखर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय देश का विभाजन हुआ था, हमने ही कहा था कि हिन्दुओं को वहां रहना चाहिए, भारत की सरकार यहां मौजूद है। उस समय वहां 15 प्रतिशत हिन्दू थे, जिनकी संख्या आज घटकर दो प्रतिशत रह गयी है। यह क्या हो रहा है? इस प्रकार का जेनोसाइड, कल्चरल जेनोसाइटड हम कब तक सहन करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार की इस पर क्या नीति है? क्या प्रोटेक्शन वह देना चाहती है इन परिवारों को और किस प्रकार से वह इन सांस्कृतिक अधिकारों के जेनोसाइड को रोकेगी। सांस्कृतिक अधिकारों की यह हत्या, एक सरकार द्वारा सुविचारित नीति के माध्यम से एक विशेष धर्म और संस्कृति पर आक्रमण द्वारा हो रही है। *[हिन्दी]* क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? क्या आप इसे मानेंगे, हम नहीं मानते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्री से और गृह मंत्री से कि इस समस्या के बारे में देश को आश्वस्त करें कि वे क्या कदम लेंगे और कब तक इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक देंगे? इस पर हम आपका बयान चाहेंगे और यह चाहेंगे कि इस देश को और दुनिया भर के हिन्दुओं को आप इस बात का आश्वासन दें कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अगर उनके साथ उत्पीड़न होगा, तो भारत की यह सरकार, भारत की जनता उनके साथ खड़ी होगी। यह कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं है, लेकिन यह सांस्कृतिक और मानवाधिकारों का मामला है और इसको बचाने का कर्त्तव्य भारत जैसे देश का सबसे अधिक बनता है। मुझे अफसोस है कि सरकार इस मामले में चुप रही है, बैठी रही है, सोती रही है, शायद इसलिए कि यह अभागे हिन्दू हैं। क्या उनका यही अपराध है कि वे हिन्दू है? अगर ऐसा नहीं है, तो अभी तक आपने क्या किया और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इसका बयान आप इस सदन में दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट, श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री भर्तृहरि महताब, डॉ, संजय जायसवाल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री शिवराम गौड्डा, श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्री रमेन डेका, श्री आनंदराव अडसुल एवं डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी स्वयं को डॉ. मुरली मनोहर जोशी द्वारा शून्य काल में उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : यह बहुत गंभीर मामला है। वहां से एक मिनिस्टर भागकर आ गए, एक मिनिस्टर वहां से छोड़कर आ गए, वहां हमारी बहन-बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है।...*(व्यवधान)* सिंध प्रांत का हिन्दू सुरक्षित नहीं है।...*(व्यवधान)* हमारी बहन-बेटियों की इज्जत...*(व्यवधान)* हिन्दू का कोई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। आपको बोलने के लिए समय दिया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस मामले को श्री जोशी जी द्वारा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाया गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मामला पहले ही उठाया जा चुका है। जो लोग इससे संबद्ध होना चाहते हैं, वे लोग पर्ची भेज सकते हैं। हरिन पाठक जी, यदि आप संबद्ध होना चाहते हैं तो अपना नाम भेजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब मै श्री रमेन डेका को बुला रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : माननीय सदस्यों ने जो वेदना व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से विचार-विमर्श करने के बाद एक विस्तृत वक्तव्य की जरूरत है। सरकार एक वक्तव्य देगी।

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई) : मैं उत्तर पूर्व की छात्राओं और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। हाल ही में डाना संगमा की आत्महत्या की घटना झकझोर देने वाली घटना है जो यह दर्शाती है कि रा.रा. को दिल्ली में छात्राओं का उत्पीड़न होता है। बीपीओ में काम करने वाली महिलाओं और उत्तर पूर्व की छात्राओं का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है।

मैं, उत्पीड़न की कुछ ज्वलंत घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। हाल ही में, रिचर्ड लोइट्राम, 18 अप्रैल, 2012 को अपने कमरे में मृत पाया गया। मई, 2005 में मिजोरम की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। दिसम्बर, 2008 में गुडगांव में मकान मालिक ने मिजोरम की दो छात्राओं के साथ मारपीट की और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अक्तूबर, 2009 में 19 वर्ष की मणिपुर की छात्रा पर आईआईटी के एक छात्र ने हमला किया, गला दबाया और उसे जलाकर मार डाला। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया। लड़की के माता-पिता के काफी कहने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई। नवम्बर, 2010 में मणिपुर की एक 30 वर्षीया बीपीओ कर्मचारी का अपहरण करके चलते हुए टैंपो में धौला कुआं में सामूहिक बलात्कार किया गया। इस मामले में भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया। उत्तर पूर्व के छात्रों के जोर देने के बाद उन्होंने मामले में प्राथमिकी दर्ज की परन्तु सरकार ने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया है। मार्च, 2010 में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में एक मणिपुरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। पुलिस ने काफी जोर देने के बाद प्राथमिकी दर्ज की है।

जनवरी, 2012 में फिर दिल्ली में एक 20 वर्षीय मणिपुरी महिला के साथ बलात्कार किया गया। सरकार और दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्व की छात्राओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है।

अतः, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि यह ब्यौरा देते हुए कि गत तीन वर्षों के दौरान कितनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं तथा सरकार ने निर्दोष लड़कियों तथा उत्तर पूर्व के छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं, एक वक्तव्य जारी किया जाए। हम समाचार पत्रों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमेशा यह देखते हैं कि उत्तर पूर्व के जनजातीय लोगों और असम के छात्रों का उनके साथियों और अन्य लोगों ने उत्पीड़न किया। अतः, मैं गृह मंत्री से इस संबंध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री खगेन दास और श्री सतपाल महाराज ने भी इस संबंध में सूचनाएं दी हैं। वे स्वयं को इस मुद्दे के साथ संबद्ध कर सकते हैं। यह पीठ आशा करती है कि इस मुद्दे की जांच करने के बाद सरकार इस विषय पर अपना उत्तर देगी। डॉ. तरुण मंडल, श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री ए. सम्पत ने श्री रमेन डेका द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जी की बात सुनिए। श्री शैलेन्द्र कुमार जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमारे सामने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। खगेन दास जी ने इस विषय पर सूचना दी है। खगेन दास जी, आप स्वयं को इस विषय से संबद्ध कर सकते हैं। यह मुद्दा उठाया जा चुका है। क्या आप विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री खगेन दास : जी, हां। सभापति महोदय।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : गहन वेदना और पीड़ा के साथ मैं उत्तर पूर्व के लोगों के साथ हो रहे नस्ली भेदभाव के मुद्दे को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। ये मात्र बंगलूरू और दिल्ली में घटित दो घटनाएं ही नहीं हैं अपितु, बड़े शहरों में उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति क्रूर व्यवहार एक आम बात है। उनके साथ छेड़छाड़ बलात्कार, हत्या, आक्रमण, घात लगाकर हमला करना, लूटपाट आदि की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में 19 वर्षीय एक मणिपुरी छात्र, लोइटन रिचर्ड, बंगलूरू में अपने हॉस्टल के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। शव परीक्षा रिपोर्ट से यह पता चला कि उसकी हत्या की गई थी। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि बंगलूरू पुलिस किस आधार पर यह कह रही है कि यह एक दुर्घटना है और स्वाभाविक मृत्यु का मामला क्यों दर्ज किया गया?

उत्तर पूर्व और देश के शेष भागों के बीच व्यापक सांस्कृतिक भिन्नता और संवादहीनता है। समय आ गया है कि हम अपनी विविधता पर गर्व करें और रंग-रूप तथा संस्कृति के आधार पर लोगों को न आंकें। जाति, पंथ, रंग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मीडिया को भी उत्तर पूर्व में होने वाली घटनाओं पर भी पर्याप्त ध्यान देना आरंभ करना चाहिए ताकि, यह क्षेत्र सांस्कृतिक और अन्य आधार पर देश के शेष भगों के साथ जुड़ सके।

मेरी यह पुरजोर मांग है कि इस संबंध में नए सिरे से जांच आरंभ की जाए तथा दोषियों को दंड दिया जाए। माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी ने यह कहा है कि वह उत्तर पूर्व क्षेत्र के निवासी हैं अतः, उत्तर पूर्व के लोग रिचर्ड के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री अधीर चौधरी, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्री मनोहर तिरकी, श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ, श्री एम.बी. रमेश, श्री पी. करुणाकरन और श्री पी.के. बिजू ने उत्तर पूर्व के छात्रों की स्थिति संबंधी मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह प्रश्न सदन की गरिमा और समस्त सम्मानित संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से सीधा जुड़ा हुआ है। लगातार देखा गया है कि पिछले एक-दो वर्षों से तथाकथित कुछ लोग जनसभाओं में खुलेआम संसद पर चोट पहुंचाते हैं, संसद की गरिमा पर चोट पहुंचाते हैं और सांसदों को....* यह बराबर मंचों से कहा जा रहा है और हम लोगों ने, अध्यक्ष लोग सभा को इस विषय पर नोटिस भी दिया कि विशेषाधिकार के तहत ऐसे लोगों को बुलाया जाए, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पायी हैं अभी सुबह से बराबर टी.वी. चैनलों पर आ रहा है और इस तरह से संसद की अवमानना हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को, जो एनजीओ चलाकर, बड़े-बड़े मठों में बैठे हैं, जिनके पास अकूत धन कहां से आ रहा है, इसकी जांच कराई जाए। एक तरह से यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है, संसद की गरिमा गिर रही है।

हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी से लेकर अब तक, वर्ष 1950-52 से जबसे संविधान बना है, इस संसद की गारिमा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे कौन-कौन लोग हैं जो तमाम जन-मानस में जाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और आवाम के लोगों को पूरी तरह से गुमराह करके, प्रजातंत्र

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं। आज संसद की गरिमा और सांसदों के विशेषाधिकार का मामला है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, आप हम लोगों के गार्जियन हैं, आप सभापति पीठ पर हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय में जांच कराकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री खिलाड़ी लाल बैरवा और श्री पन्ना लाल पुनिया ने श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध किया है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने जब इस पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन्स पर हमला किया था।...*(व्यवधान)* मैंने इसलिए नाम लिया है कि मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है। इसलिए इस पर आप फैसला करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपरे स्थान पर बैठ जाइए। आप स्वयं को इससे संबद्ध कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। श्री शैलेन्द्र कुमार जी की सूचना माननीय अध्यक्ष के समक्ष है। कृपया उनके निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए।

अपराह्न 12.25 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन — *जारी*

(दो) गुजरात दिवस समारोह के अवसर पर राज्य पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य पर कथित हमले और दुर्व्यवहार के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, सौभाग्य से आप प्रिवीलेज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मैं आज इस मामले को इसलिए उठा रही हूं क्योंकि माननीय सदस्या बोलने तक की स्थिति में नहीं हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन का ध्यान और विशेषकर हमारी स्पीकर महोदया, जो स्वयं महिला हैं, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन, जो स्वयं महिला हैं, ओपोजिशन की लीडर, जो स्वयं महिला हैं और आज इस सदन में उपस्थित हैं। आप सबके बीच में मैं इस सदन में एक महिला सांसद की करूणा आपके सामने बयान करना चाहती हूं।

महोदय, कल गुजरात दिवस था और गुजरात दिवस के अवसर पर, जैसा कि प्रिवीलेस कमेटी ने चाहा था, डीओपीटी से आर्डर गए और उसके बाद से एमपीज को राज्य सरकारों के फंक्शन्स पर बुलाना शुरू किया गया। हमारी डॉ. प्रभा जी को भी इनवीटेशन मिला, बीआईपी कार्ड मिले, उनके एमएलएज को भी मिले। दाहोद अपने जिले में गौरवशाली गुजरात दिवस के अवसर पर सरकारी फंक्शन मनाने के लिए वे अपने घर से बाहर निकलीं। अपने कैम्पस से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के बाहर पुलिस रास्ता रोक कर के खड़ी हुई है। वे अपना वीआईपी पास लेकिर नीचे उतरीं कि मुझे पास मिला है और मुझे सरकारी फंक्शन में आना है, उसके बाद मुझे संसद पहुंचना है, क्योंकि वहां हमारी डिमान्ड्स फोर ग्रान्ट्स चल रही हैं। जैसे ही उन्होंने अपने पास को दिखाया, पास देखे बगैर उनके बालों को खींचना और उनका हाथ पकड़ कर के, उनके सम्पूर्ण शरीर पर जो घाव दिखाई दे रहे हैं, उनको पुलिस ने ड्रैग करके वहां से जीप में ले जाकर डाल दिया।

महोदय, वे बार-बार कहती रहीं कि मैं इस बात पर अभियान कर रही हूं, मैं तो तारीफ कर रही थी कि मेरे जिले में जो पानी नहीं आ रहा था, पानी भी आ रहा है। मैं तो आज गुजरात दिवस के मौके पर लोगों को बधाई देने जा रही थी। मेरा संसद होने के नाते कर्त्तव्य बनता है कि मैं कार्यक्रम में जाऊं और सरकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मेरा अधिकार भी है। मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहती हूं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया, उसके बाद जैसे कि बहुत बड़ा कोई दुर्दांत डाकू या चोर हो, इनको गाड़ी में बैठाकर, इनके एमएलएज के साथ, इनको दो-तीन सौ किलोमीटर दूर गांव से पहले और जब हलौल आया, तब इन्होंने अपना टिकट भी दिखाया कि मुझे रात की ट्रेन से दिल्ली जाना है। आप मेरी टिकट देख लीजिए। रेलवे स्टेशन से भी इनका टिकट कन्फर्म किया गया कि इनका टिकट कन्फर्म है या नहीं। एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार करना, मैं समझती हूं कि इसे बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चिल्लाती रही, सारे बाल बिखरे हुए, जिस तरह से दूसरे एमपीज, एमएलऐज द्वारा लगातार हमारे पास सूचनाएं आईं, इन्होंने कहा कि दर्द के मारे मेरा बुरा हाल है और मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि आपको क्या दवाई दी जाए। डॉक्टर होने के कारण इन्होंने

[डॉ. गिरिजा व्यास]

आइनमेंट वगैरह लगाया, टेटनेस का इन्जेक्शन लगाया, लेकिन उसके बाद भी आठ बजे इन्हें मेडिकल की सुविधा मिली, तब इन्होंने सर्टीफिकेट भी बनाया और जब कन्फर्म हुआ कि वास्तव में दिल्ली जा रही हैं, तब जो ये रतलाम से बैठने वाली थीं, इन्हें स्टेशन बदलकर बड़ौदा रेलवे स्टेशन से बैठना पड़ा।

मैंने इसीलिए तीन माननीय महिला सदस्यों का नाम सदन में लिया। मैं समस्त सदन से निवेदन करूंगी कि क्या हमारी संवेदना समाप्त हो गई है? क्या द्रौपदी का दृश्य बार-बार हमें दिखाई देगा और हम देखते रह जाएंगे? मैं सदन को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं कि केवल दोषी वही व्यक्ति ही नहीं होता है, जो दुर्दांत कर्म करता है, बल्कि दोषी वह भी है, जो मूक बैठ कर दृश्यों को देखता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन्हें न्याय दिलाया जाए। यह मामला कोई व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने आपको गौरवशाली दिन बनाने के लिए जो सरकार आहूत करती है, जो सरकार अपने आपको बहुत अच्छी सरकार मानती है, वह सरकार जिसकी तारीफें हर जगह पर की जाती हैं, उस सरकार का रवैया, मुझे कहते हुए शर्म आती है, उस सरकार का रवैया आज भी वही है, जो उस समय वहां हुआ था, जब महिलाओं के पेट को चीर कर उनके बच्चों को बाहर निकाला गया था।

मैं सदन में आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहती हूं कि न्याय दिलाया जाए और हमारी महिला सदस्यों को प्रोटेक्ट किया जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदय, मैं अपने को डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं अपने को डॉ. गिरिजा ब्याज द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं समझता हूं कि सभा मुझसे सहमत होगी कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बहुत गम्भीर मामला है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिये। अब, श्रीमती सुषमा स्वराज।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : सभापति जी, माननीय सांसद साथी गिरिजा जी ने जो बात यहां सदन में रखी है, जो तथ्य उन्होंने यहां पेश किये हैं, वे तथ्य बहुत ही गंभीर हैं। मैं सदन के सामने कहना चाहती हूं कि मैं स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी की क्या सच्चाई है, कैसे यह घटना घटी? पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद...*(व्यवधान)* गुजरात भाजपा शासित प्रदेश है।...*(व्यवधान)* मैं स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करके आपके माध्यम से सदन को तथ्यों से अवगत कराऊंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिये। कृपया इस तरह सदन में बाधा न पहुंचाएं। कृपया अपनी सीट पर बैठिये। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? कृपया बैठ जाइये। प्रत्येक माननीय सदस्य को इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है। सभा ने इस पर ध्यान दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया तर्क-वितर्क न करें।

अब डॉ. तम्बिदुरई।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात) : सर, यह बहुत गम्भीर मसला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे? अब, डॉ. तम्बिदुरई।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सभा को इस तरह बाधित न करें। आपको अनुमति नहीं दी जाती है। अब, डॉ. तम्बिदुरई।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : माननीय सदस्य ने घटना के बारे में विस्तार से बताया है।

महोदय, आप विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं। समिति के सभापति के नाते आपने पहले ही सांसदों की सुरक्षा करने, उन्हें कुछ सुविधाएं देने तथा उनका दर्जा बढ़ाने के लिए उपाय सुझाये हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ। उन्होंने आपके सुझाव कहां भेजे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय ने इस मद को लम्बित रखा है। सभी सांसदों को बहुत परेशानी हो रही है; कोई भी हमारा आदर नहीं कर रहा है। इसीलिए, हमें कुछ विशेषाधिकार चाहिए – सभी माननीय सदस्य अनुरोध कर रहे हैं। सभापति के नाते आपने कुछ उपाय सुझाये थे और हम जानना चाहते हैं कि उनका क्या हुआ?

सभापति महोदय : यह बहुत गंभीर मामला है। सभा ने इस पर ध्यान दिया है। माननीय अध्यक्ष को माननीय सदस्य से एक विशेषाधिकार संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री लालू, मैं अपना विनिर्णय देता हूं। कृपया पहले मेरा विनिर्णय सुनिये।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है। प्रिविलेज के नाम पर मामले को टाला नहीं जाए। बिना गवर्नमेंट के पुलिस कैसे यह काम कर सकती है?*...(व्यवधान)* इस पर सोचिए। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाइए। बिना गुजरात सरकार की इजाजत के, बिना सी.एम. की इजाजत से वे एक महत्वपूर्ण एम.पी. है और महिला खुद जब बोल रही हैं, तो इसमें जांच होनी चाहिए। इसे लाइटली नहीं लिया जाए।*...(व्यवधान)* यह असली चेहरा यहां का उजागर करता है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मामला पहले ही सभा के संज्ञान में लाया जा चुका है और यह काफी है। अब इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : यह नेता, प्रतिपक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री के बीच का मामला नहीं है। यह पूरी संसद के लिए चिंता की बात है। यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। यह किसी सांसद के देशभर में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के मूल अधिकार के उल्लंघन का मामला है। हमें विशेषाधिकार के मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार को गुजरात सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहना चाहिए और स्पष्टीकरण लेने के पश्चात् सरकार को इस संसद में प्रस्तुत करना चाहिए। फिर हम निर्णय लेंगे कि क्या किया जाना है।

सभापति महोदय : यह पर्याप्त है। अब किसी चर्चा की अनुमति नहीं है। मामला पहले ही सभा के संज्ञान में लाया जा चुका है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह सभा के सदस्य, विशेषरूप से महिला सदस्य के अधिकार का मामला है। घटना के बारे में डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा बताया गया है। यह एक गंभीर मामला है। सभा के सदस्य के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। विशेषाधिकार संबंधी स्थायी समिति द्वारा इसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। सभा को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय सभापति महोदय, सदन में अभी जो मामला चल रहा है, इससे गंभीर और कोई मामला हो भी नहीं सकता है। ये माननीय सदस्या तो हैं ही, इसके साथ आदिवासी महिला भी हैं। जिस तरह से गुजरात में इनके साथ व्यवहार हुआ है, उसकी केवल निंदा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि यहां उनको बुलाया जाना चाहिए और सदन के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इस मामले को सिर्फ प्रिविलेज कमेटी में भेजकर टाला न जाए क्योंकि इससे गंभीर और कोई मामला हो नहीं सकता है। इस तरह की अभद्रता सभ्य समाज में होगी तो देश कैसे चलेगा? यह सिर्फ एक महिला संसद सदस्या की नहीं बल्कि पूरे सदन की अवमानना है। मैं चाहूंगा कि इस पर गंभीर कार्रवाई की जाए, उन्हें कटघरे में बुलाया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह एक बहुत गम्भीर मामला है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए ही इसे सभा के संज्ञान में लाया गया है। माननीय अध्यक्ष को सांसदों के विशेषाधिकार हनन के बारे में अनेक शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष इस मामले पर निर्णय लेंगे।

ऐसे मामले पर विचार करने के लिए हमारे यहां एक प्रक्रिया है। यदि इसे विशेषाधिकार हनन के रूप में माना जाता है तो विशेषाधिकार संबंधी स्थायी समिति द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कृपया इसे माननीय अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दीजिये। सूचना माननीय अध्यक्ष के सामने है।, अब, हम अगला विषय उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह प्रिविलेज का मामला ही नहीं, क्रिमिनल एक्ट है।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : एक महिला दुख को खुद बयान कर रही है और उसके बावजूद ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बात की जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : यह विशेषाधिकार हनन नहीं है। यह संविधान और लोकतंत्र का हनन है। यदि एक मुख्य मंत्री कानून को अपने हाथ में लेता है तो लोकतंत्र और संविधान कहां रहेगा? यह संविधान का हनन है। यह संविधान का उल्लंघन है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। यह मामला माननीय अध्यक्ष के सामने है। इस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हमें उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी) : सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र अरानी है जोकि तमिलनाडु में है...*(व्यवधान)* कल, 1 मई, 2012 को शाम के समय मेरे नगर अरानी में कैलाशनाथर मंदिर उत्सव मनाया गया।

वहां, उत्सव में एक रथ (टैंपल कार) चल रहा था। उस समय वह टैंपल कार पलट कर गिर गई। उस दुर्घटना में पांच व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 10 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मरने वाले सभी लोग निर्धन और कारीगर थे।

अतः, मैं भारत सरकार से पीड़ितों और मृतकों के परिवारों को कुछ वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं केरल में कासरगोड और देश के कुछ अन्य भागों में एंडोसल्फान से प्रभावित लोगों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

यह अत्यधिक विषैला रसायनिक कीटनाशक है जिसका गत 25 वर्षों से देश के कुछ भागों विशेषरूप से कासरगोड में काजू पौधरोपण के लिए उपयोग किया जा रहा है। यद्यपि, प्रारंभिक अवस्था में इसके अत्यधिक गंभीर प्रतिकूल प्रभावों को महसूस नहीं किया था तथापि, एक अध्ययन से यह बात सिद्ध हुई है कि एंडोसल्फान का लगातार उपयोग, इस क्षेत्र में व्याप्त कुछ गंभीर रोगों का एक मुख्य कारण है। यह पर्यावरण, वन्य जीव, जल, वायु, तथा मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप, लगभग 4500 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 10,000 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। केरल राज्य के कासरगोड जिले में इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है। इसके परिणामस्वरूप अनेक समितियों का गठन किया गया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि एंडोसल्फान एक गंभीर विषैला कीटनाशक है। प्रारंभिक अवस्था में, भारत सरकार इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तत्पश्चात्, इंटरनेशनल जेनेवा कन्वेंशन ने एंडोसल्फान पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था।

मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ये पीड़ित लोग अभी तक इसके शिकार बने हुए हैं। मैंने यह देखा है कि कई छोटे बच्चे इससे अंधे और बहरे हो गए हैं। अनेक बालिकाएं कैंसर और टीबी से पीड़ित हो गईं और बहुत से लोगों में शारीरिक विसंगतियां पैदा हो गईं। मेरा यह मानना है कि सरकार को उन लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देनी चाहिए। यह कार्य केवल केरल सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। परन्तु, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 475 करोड़ रुपये का एक वित्तीय पैकेज देने का अनुरोध किया है। परन्तु, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि बजट या सरकार के निर्णयों में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच, एंडोसल्फान कंपनी

अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के बल पर, सरकार के निर्णयों का उल्लंघन करने का प्रयास कर रही है। यह, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लंघन कर रही है। वह कालीकट मेडिकल कॉलेज के वैज्ञानिकों को, उनके द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए कोर्ट के नोटिस भेज रही है। परन्तु, वैज्ञानिकों ने कड़ा कदम उठाया है और यह कहा है कि यह सत्य है कि इन बीमारियों का मुख्य कारण एंडोसल्फान है।

इस संबंध में, मैं सरकार से राज्य को एक विशेष पैकेज स्वीकृत करके एंडोसल्फान के पीड़ितों को राहत देने के लिए सभी संभव कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी पालन करना चाहिए। यह अत्यधिक प्रभावशाली कंपनी सरकार के निर्णयों की अवहेलना करने तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का भी प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, श्री पी.के. बिजू, और श्री एम.बी. राजेश, को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती हे।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, यूं तो पूरे देश में सरकारी उपक्रम, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। हमारे यहां झारखंड में भी कई पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स काम करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से एचईसी, रांची है, कोल इंडिया है। लेकिन देश के किसी भाग में पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स उस नीति पर, उस पॉलिसी पर नहीं चल रही हैं, कुछ मामलों में जिस नीति, जिस पॉलिसी पर वे झारखंड में चल रही हैं। हमारे यहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों सालों से कुछ जमीनों पर जो लोग बसे हुए हैं और वर्षों से जिन मकानों में वे रह रहे हैं, उनको अतिक्रमण हटाने के नाम पर आज बेघर किया जा रहा है। कई दिनों, कई महीनों से लगातार यह अभियान चल रहा है। मैं इस सदन में जिस लोक सभा क्षेत्र हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें एक बड़ा कोयला क्षेत्र है और वहां पर सैंट्रल कोल फील्ड्स, सीसीएल नाम की संस्था, जो कोल इंडिया की संस्था है, वह वहां कोयला खनन का काम चलाती है। आप जानते हैं कि कई साल पहले कोयला क्षेत्र का निजीकरण हुआ था। उस समय और उसके बहुत पहले से जिन लोगों को बुलाकर बसाया गया था कि हमें दुकान की आवश्यकता है, हमें मंदिर की आवश्यकता है, हमें मस्जिद की आवश्यकता है, हमें गुरुद्वारे की आवश्यकता है, हमें और कई सर्विसेज की आवश्यकता है, हमें स्कूल की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके स्थान देकर बसाया गया था कि आप ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कीजिये। आज इन सबको इस नाम पर कि आपके पास जमीन का पट्टा नहीं है, वहां से उजाड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। लोगों के घरों में बिजली और पानी की सप्लाई को अचानक काटा जा रहा है। यहां पर महिलाओं का जिक्र आया, महिलाओं को घर से खींचकर निकाला जा रहा है कि इस घर को खाली करो। मैंने उसके खिलाफ रांची में 4 दिन तक धरना भी दिया था, मैं बराबर इसके विरोध में खड़ा रहा हूं और आज भी यहां पर बताना चाहता हूं कि चाहे जिस भी शक्ति से टकराना पड़ेगा, मैं टकराऊंगा, लेकिन इन अनाथ, असहाय लोगों को बेघर नहीं होने दूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हो यह रहा है कि कोर्ट में मामला जाता है, रांची हाई कोर्ट में मामला जाता है और वहां पर चूंकि कोल इंडिया में कोई पॉलिसी नहीं है, हजारों घर खाली पड़े हैं, जो लोग उनमें रह रहे हैं, अगर वे उन घरों को खाली कर दें तो दूसरे ही दिन वह घर गिर जायेगा। कोल इंडिया को आज के दिन उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि छटनी के माध्यम से बहुत कम उनके कर्मी बचे हैं। लेकिन जबरदस्ती उन घरों को खाली कराया जा रहा है, जबकि उनको बुलाकर बसाया गया था। चूंकि कोल इंडिया ने, एचईसी ने इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनायी है, इसलिए कोर्ट में उनको बहुत मुश्किल होती है। अगर वह आज पॉलिसी बना लें और कोर्ट में जाकर कहें कि हमारी यह पॉलिसी है। एक दफा पॉलिसी बनी कि हम लोग क्या करेंगे कि दो रुपए प्रति स्कावयर फुट के हिसाब से हमें रेंट चार्ज करेंगे और जो जिस घर में रह रहा है, उसको वहां रहने देंगे, जिसकी आवश्यकता आज कोल इंडिया को नहीं है। लेकिन पॉलिसी नहीं बनी है, कोर्ट में आप पॉलिसी पेश नहीं कर सकते हैं इसलिए कोर्ट आदेश करता है कि इनको खाली कराओ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के जो प्रतिनिधि आज सदन में उपस्थिति हैं कि कृपया आप इन सरकारी उपक्रमों को कहो कि वे इसके बारे में एक पॉलिसी बनायें और जाकर कोर्ट में उस पॉलिसी को दाखिल करें कि यह हमारी पॉलिसी है। उसके अंतर्गत कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं कि इसी दिल्ली शहर में अतिक्रमण को लेकर सरकार ने पॉलिसी बनायी। यहां कानून पास हुआ और उसके बाद कोर्ट का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। कोर्ट का हस्तक्षेप कैसे समाप्त होगा, पॉलिसी बनाने से समाप्त होगा।

[श्री यशवंत सिन्हा]

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तुरन्त आदेश जारी करे कि ये सरकारी उपक्रम वहां पर पॉलिसी बनायें और अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के साथ जो समाज के सबसे पीड़ित लोग हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर तत्काल रोक लगायी जाए। अगर रोक नहीं लगेगी, तो मैं दोबारा यहां इस बात को दोहराता हूं कि अगर किसी के ऊपर कोई आघात होगा, तो सबसे पहले यशवंत सिन्हा के ऊपर होगा, तब किसी और के ऊपर होगा, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा।

सभापति महोदय : श्रीमती पुतुल कुमारी, डॉ. तरुण मंडल और श्री पन्ना लाल पुनिया अपने आपको श्री यशवंत सिन्हा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह अत्यंत गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)* पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की जान जा चुकी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम सूची में शामिल है और आपको बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसे तुरंत रोका जाए...*(व्यवधान)* झारखंड के धनबाद क्षेत्र में पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मृत्यु हो चुकी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आचार्य जी, आप प्रत्येक मुद्दे पर नहीं बोल सकते। आपका नाम सूची में है और आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

डॉ. रत्ना डे।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : महोदय, कोई व्यक्ति कई महत्वपूर्ण तिथियों को भूल सकता है। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को नहीं भूल सकता। यह वह दिन है जब संसद का भी अवकाश होता है। इसका काफी महत्व है क्योंकि, श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है; राष्ट्र को विकास, समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करता है। परन्तु, आज देश में श्रमिकों की क्या स्थिति है? कम से कम यह कहा जा सकता है कि उनकी दशा शोचनीय है।

श्रम शक्ति बहुत महान होती है। परन्तु, सरकार श्रमिकों की शक्ति को कम आंकती है। विभिन्न प्रकार के श्रमिक अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। जिनमें से कुछ है – रोजगार भविष्य निधि के वितरण, संबंधी लंबित मामले, श्रमिकों के दावों को भुगतान न किया जाना आदि।

महोदय, मुझे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करने की अनुमति दें। सन् 1886 में, 1 मई को अमेरिका के चारा बाजार में श्रमिकों के लिये काम के अनिवार्य घंटे निर्धारित करने के लिए हड़ताल की गयी थी। लगातार कई आंदोलनों के बाद, 1 मई सन् 1891, को 1 मई को श्रम दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। 88 से अधिक देशों ने इस संकल्प को स्वीकार किया है। भारत ने सन् 1923 में मद्रास में 1 मई को श्रम दिवस के रूप में स्वीकार किया।

मैं श्रम संबंधी कुछ उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। लीओनार्डो दा विंसी ने कहा था: "ईश्वर श्रम की कीमत पर हमें सभी चीजें बेचता है।" सोफोल्स ने कहा: "बिना श्रम के कुछ भी फलता-फूलता नहीं है।" श्रम का इतना महत्व है। परन्तु श्रमिकों एवं उनके हितों की सदैव अपेक्षा होती है। उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे लोग मौलिक आवश्यकताओं जैसे पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित हैं। अक्सर वे लोग क्षमता से अधिक कार्य करने के कारण थक जाते हैं। अति शोषण के कारण, उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः, उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन दिये जाने की जरूरत है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने श्रमिकों के सगे-संबंधियों को छात्रवृत्ति दी है। ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और वे उन्नति कर सकें। उद्योग और श्रम को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में, 61 असंगठित क्षेत्रों का चयन किया गया है। मुख्य मंत्री और सरकार श्रमिकों को उनकी बीमारियों के इलाज हेतु 10,000 रुपये की धनराशि आवंटित करने जा रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि श्रमिक सम्मानित जीवन जी सकें और एक सामान्य जीवन जीने हेतु आर्थिक रूप से बेहतर हो सकें।

मैं श्रम मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों को यहां बताना चाहूंगा। तारांकित प्रश्न संख्या 350, दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के प्रत्युत्तर में, श्रम मंत्री जी ने कहा था कि 31 मार्च, 2012 को 5.70 लाख मामले लम्बित थे और कार्यभार की तुलना में लम्बित दावों का अनुपात 4.50 प्रतिशत है। यह लम्बित दावों के संदर्भ में है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कार्यभार की तुलना में लम्बित दावों के अनुपात और इतने मामलों की अधिक संख्या होने का क्या कारण है?

बीड़ी कर्मी और महिला श्रमिक घृणित और अमानवीय स्थितियों में कार्य करते हैं। बाल श्रम हमारे समाज में फैली एक अन्य कुरीति है। महानगरीय शहरों में ठेकेदार प्रवासी श्रमिकों से बहुत कम पैसों में काम कराते हैं।

अब, समय आ गया है कि हमारे देश के श्रमिकों के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे ठीक करें। चाहे यह एक फैक्ट्री हो या खेत, कार्य स्थलों में अनुकूल और स्वस्थ्य माहौल होना चाहिए। प्रबंधन और श्रमिक संघों; तथा प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध होना चाहिए। औद्योगिक, कृषि और सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे और शांतिपूर्ण संबंधों के लिए यह अनिवार्य है।

सभापति महोदय : श्री पी.एल. पुनिया को डॉ. रत्ना डे द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं एम.टी. अस्फाल्ट वेन्वर जलयान के चालक दर के उन सात भारतीय सदस्यों, जिन्हें 28 माह से भी अधिक समय से सोमालिया में बंधक बना कर रखा गया है।, की दुर्दशा की तरफ आपका ध्यान आकर्षिक करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उनके परिवार के सदस्यों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार एक विशेष समुदाय के लोगों ने चालक दल के उन सातों सदस्यों को सोमालिया में हराधीरे के निकट हरफूदा नामक स्थान पर बंधक बना रखा है।

इन सात भारतीयों को बंधक बनाने वाले समुदाय के काफी लोगों को मार्च, 2011 में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री डकैत विरोधी आपरेशनों में गिरफ्तार किया गया था। समस्या यह है कि इन सातों बंधकों से उनके परिवार के सदस्यों की जो भी थोड़ी-बहुत बातचीत हुई है, उसके अनुसार वे काफी कठिन परिस्थितियों में हैं। उनमें से कुछ तो बीमार हो गये हैं और बाकियों का तो पता लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। इन सातों बंधकों के परिवार के सदस्य, जो देश के विभिन्न हिस्सों, यहां तक कि आपके गृह राज्य केरल के भी हैं, इस मामले में भारत सरकार के हस्तक्षेप हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।

मैं जानता हूं कि सोमालिया में बहुत से अशासित प्रदेश हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने उत्तरदायित्व का अधित्याग कर दें; या कि भारत सरकार अपने सात भारतीयों को सोमालिया में उनके भाग्य पर छोड़ दे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि सरकार इस समुदाय से बातचीत के सभी रास्ते खुले रखे ताकि उन सातों भारतीयों को उनके बंधन से छुड़ाकर वापस लाया जा सके। क्योंकि समय बीतता जा रहा है और उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। जल्दी ही कहीं ऐसा न हो जाय कि इतनी देर हो जाय कि मामले में हस्तक्षेप ही न किया जा सके। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री पी.एल. पुनिया और श्री नीरज शेखर को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाये गये मामले से संबद्ध होने जाने की अनुमति दी जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, जब आईडीबीआई निरसन विधेयक को सभा के समक्ष लाया गया था तो माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को एक वाणिज्यिक बैंक में बदल दिये जाने के बाद भी उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस मामले को, सभा में सन् 2006 में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठाया गया था और पूर्व वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने भी इस संबंध में सभा को आश्वासन दिया था। सन् 2001 में जब आईडीबीआई निरसन विधेयक को पारित किया गया था तो भी आश्वासन दिया गया था। उस समय आईडीबीआई, आरबीआई का अंग है। आईडीबीआई के कर्मचारियों का वेतन आरबीआई कार्मिकों के वेतन के समान था। सन् 2007 में जब वेतन समझौते को अंतिम रूप दिया गया, आईडीबीआई के कार्मिकों का वेतन आरबीआई के वेतन के समकक्ष रखा गया था। वह समझौता 2007 में समाप्त हो गया। तब से आईडीबीआई के कार्मिकों के वेतन में सुधार को अंतिम रूप देने के लिए लगातार कई चर्चाएं सम्पन्न हुईं। इस मामले

[श्री बसुदेव आचार्य]

को पिछले सत्र में भी ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से इस सभा में उठाया गया था। परन्तु, व्यवधानों के कारण सभा को स्थगित कर दिया गया, माननीय मंत्री जी से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा नहीं दिया जा सका।

अब, अंत में, यह समझौता 22 मार्च, 2012 को हस्ताक्षरित हुआ। तभी से संघ समझौते को लागू कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है, आखिरकार इतनी विस्तृत चर्चाओं के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। पहले ही एक माह बीत चुका है। चूंकि प्रबंध और आईडीबीआई के कर्मचारियों के बीच यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ था परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। मुझे पता नहीं है कि क्या कारण होगा। सन् 2007 से ही वेतन सुधार अपेक्षित है। आईडीबीआई के कर्मचारी अपने वेतन में सुधार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझौता हस्ताक्षारित होने के बाद भी इसमें देर क्यों हो रही है और इसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा है?

महोदय, मेरी मांग है कि आईडीबीआई के कर्मचारियों के वेतनों में सुधार के समझौते को तुरंत लागू किया जाए और प्रभावी बनाया जाए।

सभापति महोदय : श्री पी.एल. पुनिया। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज पूरा देश जनसंख्या और जनसंख्या में पुरुष एवं महिलाओं के अनुपात को लेकर चिन्तित है। हाल में की गई जनगणना वर्ष 2011 में एक हजार पुरुषों पर केवल 940 महिलाएं हैं। यह अनुपात अत्यंत गंभीर है। इससे भी चौकाने वाला तथ्य यह है कि जीरो से छः वर्ष तक की आयु में लिंग अनुपात एक हजार बालकों के बदले केवल 914 बालिकाएं हैं। वर्ष 1920 में इन बालिकाओं की संख्या 914 की जगह 976 थी। यह आंकड़ा वयस्क अनुपात से काफी कम है। राज्य-वार आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रति एक हजार बालकों के लिए नौ सौ से भी कम बालिकाओं का अनुपात है। यह घोर चिन्ता का विषय है। पूरे समाज को लालच से ऊपर उठ कर सभी डॉक्टरों को इस प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास में भागीदारी करनी चाहिए। इससे यह सीधा प्रतीत होता है कि कन्या भ्रूण हत्या पूरे देश भर में हो रही है। भारत के पड़ोसी देशों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात भी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश में एक हजार पुरुषों पर 978 महिलाएं, पाकिस्तान में एक हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं, श्रीलंका में एक हजार पुरुषों पर 1034 महिलाएं हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

चीन में एक हजार पुरुषों पर 926 महिलाएं हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि महिलाओं और पुरुषों की जन्म दर को बराबर रखे जाने की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन कर सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (वियजनगरम) : सभापति महोदय, मैं भी देश में पुरुष-महिला जनसंख्या का अनुपात बनाये रखने के मुद्दे पर स्वयं को श्री पी.एल. पुनिया के साथ संबद्ध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्राकृतिक आपदा में घिरा हुआ है, नैचुरल डिस्टरबेंस प्रोन एरिया है, जहां हाल ही में 11 अप्रैल, 2012 को इंदिरा पाइंट में सुनामी आई और 15 सरकारी कर्मचारियों को जान बचाई, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में चाहे सुनामी आये, अर्थक्वेक आये, साइक्लोन आये, थंडरस्टोर्म आये, उसकी छानबीन के लिए, असिस्ट करने के लिए पुराने जमाने का बैलून चल रहा है। सुबह और शाम रोज दो बैलून छोड़ते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से बैलून नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि, इंस्ट्रूमेंट्स फ्रांस से नहीं आये। हमारे प्रशासन ने उपराज्यपाल महोदय ने उनके आदेश पर डिपार्टमेंट ऑफ मैट्रोलोजी, भारत सरकार को 22 जून, 2010 को पत्र दिया कि अंडमान और निकोबार में डॉपलर वैदर रडार लगाया जाये, क्योंकि, हमारे द्वीपसमूह में, खासकर के जिस एरिया में अंडमान और निकोबार के ऊपर से एयरलाइंस जाती हैं, उसमें थंडर स्टोर्म है कि नहीं, साइक्लोन है कि नहीं, इसका पूरा असैसमेंट करने के लिए इस रडार की जरूरत है। उसी मुताबिक मैं मांग कर रहा हूं कि पिछले दो साल से फाइल चल रही है, लेकिन साइट इंस्पैक्शन नहीं हो रहा है। हमारी मांग है

कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए एक पोर्ट ब्लेयर में, एक कैम्बल बे में, एक डिगलीपुर में और एक कार निकोबार में डॉपलर वैदर रडार लगाया जाये और तुरन्त काम करे, अंडमान और निकोबार को बचायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद। शेष मदों पर आज के विचार-विमर्श के अंत में विचार किया जाएगा।

सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा दो बजकर दो मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत पर्चियां सभा पटल पर रख सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को रखा हुआ माना जाएगा जिनके लिए पर्चियां निर्धारित समय के भीतर पटल पर रख दी जायेंगी और शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए केरल के कालीकट में केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा सहित लगभग 20 परीक्षाएं आयोजित करा रहा है जिसमें प्रत्येक वर्ष 20 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देते हैं। केरल के विद्यार्थी भी इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं। केरल में त्रिवेन्द्रम और एर्णाकुलम यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के दो केंद्र हैं। इसके कारण केरल के उत्तरी भाग, जहां राज्य के 14 जिलों में से 7 जिले स्थित हैं और जो मालाबार क्षेत्र के नाम से प्रचलित हैं, से संबंधित उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। जहां त्रिवेन्द्रम, राज्य के दक्षिण भाग में हैं वहीं एर्णाकुलम मध्य भाग में है।

मालाबार क्षेत्र से यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की समस्याओं को कम करने के लिए कालीकट (कोझिकोड) को यूपीएससी का केंद्र घोषित करने की निरंतर मांग रही है। वास्तव में, कालीकट में अन्य संस्थाओं के साथ-साथ आईआईएम, एनआईटी, कालीकट विश्वविद्यालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज और फिरोक कॉलेज जैसी संस्थाएं अवस्थित हैं। इसके अलावा, कन्नूर में कन्नूर विश्वविद्यालय और सम्पूर्ण मालाबार क्षेत्र में बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थाएं मौजूद हैं। यूपीएससी का एक केंद्र यहां खोलने से इन विद्यार्थियों को यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाएं देने में सुविधा होगी। कालीकट में परीक्षा करने हेतु संस्थाओं की कमी नहीं है। जिसमें गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक इत्यादि के अतिरिक्त शहर में 2 केंद्रीय विद्यालय भी हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि कालीकट को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का केंद्र बनाया जाए।

(दो) बीएड पाठ्यचर्या में 'खेलों' को एक विषय के रूप में शामिल किए जाने से पूर्व इसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एनसीटीई जो अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र में काम करती हैं, के द्वारा गत वर्ष बी.एड. परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्पोटर्स् को एक गाइड लाइंस के तहत शामिल किया गया है जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय में स्पोटर्स् का पाठ्यक्रम नहीं है। इस गाइड लाइंस को शामिल करने से पूर्व पहले तो इस संस्था को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से यह पता लगाना चाहिए कि ये विषय इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं। इस संबंध में मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से कई बार मिली और इसकी जानकारी दी है परंतु खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे उत्तर प्रदेश

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[राजकुमारी रत्ना सिंह]

के रायबरेली, सुल्तानपुर, छत्रपति साहू जी नगर एवं प्रतापगढ़ के छात्रों को बी.एड. में प्रवेश गत दो सालों से नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण इन क्षेत्रों के छात्रों में आक्रोश है क्योंकि इस गाइड लाइंस के तहत इस क्षेत्रों के छात्रों को बी.एड. में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि बी.एड. के इस पाठ्यक्रम में कुछ वर्षों के लिए स्पोर्ट्स के पाठ्यक्रम को हटाया जाए और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स के पाठ्यक्रम को रखा जाए और जब इस पाठ्यक्रम से छात्र पास होकर निकले तब एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.एड. के पाठ्यक्रम में स्पोर्ट्स का विषय रखा जाए।

(तीन) विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (राजगढ़) : भारत सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोषण आहार दिया जाता है तथा यह योजना 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। महंगाई तथा अन्य कारणों से खाद्यान्न सामग्री की दरों पर तो समय-समय पर उक्त योजना की राशि में वृद्धि होती रहती है, परंतु रुचिकर पौष्टिक मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को मात्र 1000/- रुपये की मानदेय दिया जाता है, जबकि उक्त योजना के क्रियान्वयन में रसोइयों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना में भी प्रतिदिन मजदूरी 122 रुपये है। जबकि मध्याह्न भोजन के रसोइये को लगभग 33 रुपये प्रतिदिन ही दिया जाता है। यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है।

देश के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के यहां कुशल/अकुशल दैनिक वेतन भोगी तथा अन्य मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी की दर निर्धारित है, जोकि उक्त राज्य के श्रम विभाग के मापदंडों के अनुरूप होती है। लेकिन वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के रसोइये हेतु जिला कलेक्टर के पास कोई गाइड लाइन नहीं है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाए कि मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय का भुगतान कम से कम उस जिले में प्रचलित कलेक्टर दर के अनुरूप किया जाए।

(चार) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित सेना स्टेशन की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण स्थान पर अवस्थित है। इसमें पड़ोसी बांग्लादेश भी सीमा पर 70 लाख से अधिक आबादी रहती है। इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि यद्यपि बांग्लादेश में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है परन्तु हमारे देश को अस्थिर करने की उत्सुक विरोधी पड़ोसी देश को बांग्लादेश से कार्य करने वाले उग्रवादियों, आतंकवादियों की मदद कर और उनके माध्यम से हमारे देश में आंतकी गतिविधियों को अंजाम देने में आसानी होती है।

इस तथ्य के मद्देनजर कि पश्चिम बंगाल के मध्य भाग में राज्य के उत्तर और दक्षिण भाग की तरह है कोई सैन्य प्रतिष्ठान नहीं है। अत: किसी आकस्मिक, स्थिति में यह हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। पहले, रक्षा मंत्रालय ने जिले में एक सैन्य केंद्र स्थापित करने की पहल की थी परन्तु अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति देखने में नहीं आई है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करने में तेजी लाएं जिससे इस भाग की सुरक्षा को और ठोस बनाने में मदद मिलेगी।

(पांच) केरल में चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी परिवारों के लिए मिट्टी के तेज के मासिक कोटे में वृद्धि किए जाने तथा उन्हें बिजली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) : केरल के चालाकुडी क्षेत्र में 4 आदिवासी कॉलोनियां हैं। ये हैं अदिचिलतोट्टी, अरयक्कावु, वेट्टुचुट्टाकडु और पेरुंपरा। कॉलोनियों में अधिकांश परिवारों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं। बिना विद्युत कनेक्शन वाले आदिवासी परिवारों को 72.50 रुपये की घटी दरों पर प्रतिमाह 5 लीटर मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है। विद्युत कनेक्शन वाले परिवारों को सामान्य दर पर प्रतिमाह 2 लीटर मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है। तथापि,

आपूर्ति लाइन पर जंगली पशुओं द्वारा आक्रमण के कारण बार-बार विद्युत-आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और टूटी हुई लाइनों को अक्सर कई दिनों के बाद बदला जाता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जहां मिट्टी के तेल का प्रति माह का वर्तमान कोटा विद्युत कनेक्शन वाले और बिना विद्युत कनेक्शन वाले दोनों तरह के परिवारों की एक माह की आवश्यकता पूरी करने के लिये अपर्याप्त होता है। वर्तमान कोटे की भी आपूर्ति करने हेतु मिट्टी के तेल की उपलब्धता में कमी के संबंध में भी शिकायतें आ रही हैं।

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि विद्युत कनेक्शन वाली और बिना विद्युत कनेक्शन वाली दोनों श्रेणियों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया जाए और मिट्टी के तेल की कमी की समस्या को हल किया जाए। यह भी अनुरोध है कि सरकार सभी आदिवासी परिवारों को विद्युत प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाये। सौर ऊर्जा, जो वनों के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए अधिक उपयुक्त है, की मदद से विद्युतीकरण की संभावना पर भी विचार किया जाए।

(छह) बीस लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तपोषण के व्यवहार्यता अंतर में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैंने नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र के व्यापक विकास के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। नागपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी माना जाता है। इसकी जनसंख्या लगभग 32 लाख है, यह एक तेजी से विकसित होता शहर है, विभिन्न कारणों से यह एक महत्वपूर्ण शहर बन रहा है चूंकि नागपुर एक खुशहाल और सरल गंतव्य स्थल है अत: यहां प्रवासियों का लगातार आना लगा रहता है। इसके परिणामस्वरूप यातायात और प्रदूषण में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है, नागपुर के लोग शहर में अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए रह रहे हैं।

इसलिए, सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने की दृष्टि से शहर में अत्याधुनिक जन यातायात प्रणाली सहित एक कुशल सार्वजनिक यातायात प्रणाली की आवश्यकता है। आज, नागपुर की सड़कों पर साइकिलों, स्कूटर, बसों, कारों और रिक्शाओं का मिला-जुला यातायात एक-दूसरे से धक्कामुक्की करता हुआ यातायात की समस्या को और अधिक बढ़ा रहा है। इससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। आने वाले वर्षों में स्थिति की और भी बिगड़ने की आशंका है। इसलिए, यहां के लोगों के लिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली अर्थात् शहर में मेट्रो अथवा मोनो रेल उपलब्ध कराने की अतिआवश्यकता है।

जैसा कि वर्ष 2004 में, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि वर्ष 2020 तक 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए सार्वजनिक त्वरित यातायात प्रणाली की योजना बनाने की आवश्यकता है। माननीया राष्ट्रपति जी ने इसी संकल्पना को 12.03.2012 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने नवीनतम भाषण में दोहराया है। वर्तमान में नागपुर शहर की जनसंख्या लगभग 32 लाख है ओर वर्ष 2020 तक 17%-18% की बढ़ोतरी के साथ 40 लाख होने का अनुमान है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने नागपुर में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंपा है और यह प्रक्रिया अधीन है।

जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में केवल 20% उपलब्ध कराया जा रहा है और बाकी लागत का 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। यह कुल 30% बनता है जो मेट्रो रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, ऐसी परियोजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आवश्यक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को 20% से बढ़ाकर 40% करने की आवश्यकता है। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत, यदि राज्य सरकार द्वारा 10% अतिरिक्त वित्त प्रदान करती है तो शेष 50% लगात को पूरा करने हेतु निजी विकासकर्त्ता भी आगे आ सकते हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, मैं सरकार से 20 लाख और अधिक जनसंख्या वाले शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को 20% से बढ़ाकर 40% करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से असम में ब्रह्मपुत्र नदी में साल भर आने वाली बाढ़ की समस्या का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन गोहैन (नोगोंग) : देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारहमासी बाढ़ द्वारा मचाई गई तबाही से सभी अवगत हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हुए मृदा अपरदन से बाढ़ की समस्या विशेषकर असम में और बढ़ गई है। असंख्य लोगों की जानें गई हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं, लाखों

[श्री राजेन गोहैन]

हैक्टेयर भूमि को ब्रह्मपुत्र ने नीगल लिया है और लाखों लोग घरविहीन एवं भूमिहीन हो गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का आश्रय स्थल है, का 60,000 हैक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र खत्म हो गया है। ब्रह्मपुत्र की बारहमासी बाढ़ और भूक्षरण, ये दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं और सरकार द्वारा इन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बाढ़ कई कारणों से होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। परंतु भूक्षरण नदी तल की अधिक गाद के कारण होता है और वैज्ञानिक सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से इससे बचाव हो सकता है। सरकार को इस मामले को तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत लाना चाहिए।

(आठ) अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर खंड में अप्रयुक्त रेलवे स्टेशनों को बंद किए जाने तथा नए स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस क्षेत्र में देश का विकास नहीं हो पाने के कारण विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।

मेरे संसदीय क्षेत्र से अहमदाबाद-उदयपुर रेल लाइन गुजरती है, वो अभी मीटरगेज है और उस रेल लाइन पर जो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं उनमें कई विसंगतियां हैं। रेलवे स्टेशन और गांवों के बीच बहुत अंतर होने की वजह से लोगों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। इसके चलते न तो लोगों को सुविधा मिलती है, न रेलवे को आय। रेलगाड़ी घाटे में चल रही है।

अब इस अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन हो रहा है तो मेरी मांग है कि इस पूरी रेल लाइन का नए सिरे से सर्वे किया जाए तथा अनुपयोगी रेलवे स्टेशनों को बंद किया जाए। यात्रियों की ज्यादा संख्या तथा रेल को अच्छी आय प्राप्त हो सके, इसको ध्यान में रखकर इस रेल लाइन पर नए रेलवे स्टेशनों को स्थापित किया जाए।

(नौ) बिहार के सूखा प्रभावित जिला नवादा और शेखपुरा में पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : बिहार के नवादा, शेखपुरा जिला लंबे समय से सूखाग्रस्त जिले हैं जहां मां, माटी, मानुस में मातमी सन्नाटा पसरा रहता है। इस बार अप्रत्याशित सुखाड़ ने पशु, पक्षी, मानव सभी को मौत का पैगाम दे रखा है।

यहां किसानों को पशु पेयजल, ताल-तलैया में पानी नहीं रहने के कारण सुखाड़ रोग के संक्रामकता का शिकार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। खेती उजाड़ और बंजर पड़ी हुई है। महिलाएं दो-तीन कि.मी. से पानी लाने के लिए विवश हो रही है। गर्मी और लू में वे दम तोड़ने लगती है।

इन दो जिलों में जमीन के नीचे पानी का तल नहीं है। तालाब, तलैया के सूख जाने के कारण चापाकल का पानी भी अब मयस्सर नहीं है। चिड़िया दिन में आर्तनाद करती रहती है। रात में शियार का रूदन अजीब भयानकता का एहसास कराता है।

बिहार सरकार इस प्राकृतिक विपदा का सामना अपने सीमित साधनों से करने का प्रयास कर रही है, पर वह नाकाफी है।

अतः केन्द्र सरकार एक टास्क फोर्स का गठन कर पेयजल के लिए चापाकल, ताल-तलैया की खुदाई एवं अन्य प्रकार के जलाश्यों के निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर करे।

(दस) राजस्थान में पंचना बांध की ऊंचाई को स्वीकृत सीमा के अनुसार कम किए जाने तथा प्रस्तावित अनीकुट/सरफेस बैरियर के कार्य को रोके जाने की आवश्कयता

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी) : मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के बाह विधानसभा में उगन नदी राजस्थान करौली सें प्रवेश करती है और खेरागढ़ एवं गांव कस्बों से होते हुए, अरनौत पुल के पास यमुना में मिल जाती है। यह नदी जब प्राकृतिक रूप से बहती थी तो क्षेत्र के किसान पानी को अपने खतों में इस्तेमाल कर अच्छी फसल उगाते थे, पर इस नदी पर राजस्थान सरकार ने पांचना बांध बनाकर नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया जिससे फतेहपुर सीकरी में पानी आना बिलकुल बंद हो गया। इसके कारण स्थानीय किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। वर्तमान में फतेहपुर सीकरी में इसका हाल यह है कि उगी झाड़ियों में आग लग रही है और उस आग की तपिश में स्थानीय किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के जोधपुर खंडपीठ ने अपने निर्णय 2 अगस्त, 2004 को नदी के पुराने स्वरूप 15 अगस्त, 1947 की

स्थिति के अनुसार बहाल करने का आदेश दिया था परंतु इस आदेश का भी पालन राजस्थान सरकार नहीं कर रही है।

केंद्र सरकार ने राजस्थान में पांचना बांध की ऊंचाई मात्र 685.50 लाख घन फीट पानी स्टोरेज हेतु स्वीकृति दी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बांध को अत्यधिक ऊंचा बना दिया है जिससे 2100 लाख घन फीट पानी का भंडारण इस बांध में होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि फतेहपुर सीकरी के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है।

इस नदी पर करौली में श्री महावीर जी के पास एनीकट/सर्फेस बैरियर प्रस्तावित है। यदि इसका निर्माण हो जाता है तो स्थिति और खराब हो जाएगी।

मेरी मांग है कि केंद्र राजस्थान सरकार को पांचना बांध की स्वीकृत ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई को कम करने का निर्देश दे और प्रस्तावित एनीकट/बैरियर का निर्माण करने हेतु कदम उठाएं।

(ग्यारह) बिहार में अंतर्राज्यीय उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के भाग कुटकु बांध के लौह द्वार का निर्माण करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (बिहार) के औरंगाबाद और गया जिले के लगभग एक लाख दस हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए शुरू की गई अंतर्राज्यीय उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना में सन् 1975 में कार्य शुरू हुआ। अभी तक लगभग 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा राशि खर्च करके भी परियोजना अधूरी है जबकि प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी। साथ ही स्थापना व्यय के रूप में प्रति वर्ष 12 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है और हजारों करोड़ रुपए परियोजना को पूर्ण करने में लगेंगे।

इस महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजना के डैम (कुटकु डैम) में लोहे के फाटक लगाने पर सन् 2007 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे डैम में पानी नहीं जमा होने के कारण बिहार और झारखंड की सवा लाख हैक्टेयर जमीन सिंचाई से वंचित हो रहा है, जिससे लगभग पांच लाख किसानों की खेती प्रभावित हो रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार कुटकु डैम पर लोहे के फाटक लगाए जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को अविलंब हटाएं।

(बारह) तमिलनाडु में सलेम रेलवे डिवीजन कार्यालय के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि दक्षिणी रेलवे के अंतर्गत सेलम मंडल को बड़े जोशोखरोश के साथ लगभग चार वर्ष पूर्व बनाया गया था। लोगों को लगा था कि उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो गयी है तथा उस क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इस मंडल को पलक्कड़ मंडल में से बनाया गया था। सेलम मंडल की मांग और इसका निर्माण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था और यह पूर्णतया इस मंडल के अंतर्गत रेलवे के विकास की भावना के अनुरूप था। परंतु अब हकीकत यह है कि सेलम मंडल के पास अपना कार्यालय भवन तक नहीं है और यह बिना किसी मूल अवसंरचनात्मक सुविधाओं के काम कर रहा है। इसका कारण यह है कि इसके अस्तित्व में आने के इन चार वर्षों के दौरान किसी भी निधि का आवंटन नहीं किया गया है।

निधि का आवंटन ना होने से सेलम में इस मंडल को बनाने के मूल उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर दिया है। इसलिए, मैं सरकार से सेलम मंडलीय कार्यालय पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए तुरंत पर्याप्त मात्रा में निधियां अवमुक्त करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा-बुडामारा खंड को चकुलिया से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज) : ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के क्रमश: मयूरभंज, जमशेदपुर और पश्चिमी मिदनापुर जिलों के लोगों ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के रूपसा-बुडामारा खंड को झारखंड के चकुलिया के साथ जोड़ने का आग्रह किया है। ज्ञात हुआ है कि रूपसा-बरीपदा-बुडामारा-बंगरीपोसी आमान परिवर्तन परियोजना के अंग के रूप में रूपसा से बुडामारा रेल लाइन के उन्नयन को शामिल करते हुए बुडामारा से चकुलिया तक विस्तार को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है और रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

वर्ष 2012-13 के बजट से मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है

[श्री लक्ष्मण टुडु]

कि रूपसा-बुडामारा लाइन का चकुलिया तक विस्तार का सर्वे हो रहा है। सन् 2009 में ही सर्वे के कार्य को लिया जा चुका था और परियोजना को स्वीकृत कर दिया गया था और इस परियोजना की लागत लगभग 468 करोड़ रुपए थी। लोगों की यह मांग काफी समय से लम्बित है। इसके महत्व के बावजूद अपर्याप्त धनराशि के आवंटन के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि रेलवे बोर्ड को इसे निश्चित समय के अंदर पूरा करवाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद झारखंड के औद्योगिक और खदान क्षेत्रों जैसे बोकारो/धनबाद/जमशेदपुर, चाईबासा और पारादीप, धमरा और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी बहुत कम हो जायेगी।

इस संबंध में, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि 2012-13 के रेल बजट में घोषित सर्वे को निरस्त कर देश के हित में उपर्युक्त कार्य को प्रारंभ करने के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान किए जायें।

(चौदह) स्टेकधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी निर्यात नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा) : देश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, देश में चीनी मिलों के माध्यम से लोगों को अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला हुआ है एवं चीनी मिलों के माध्यम से चीनी के अलावा जो पदार्थ निकल रहे हैं उनसे पेट्रोलियम पदार्थ एवं ऊर्जा संबंधी तत्वों एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी हो रहा है एवं काफी बड़ी सीमा तक इनका उत्पादन हो सकता है। जैसा कि सरकार द्वारा चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चीनी के निर्यात नीति की घोषणा करती है उसमें काफी कमियां होती हैं जिनके कारण चीनी उद्योग एवं गन्ना उत्पादित करने वाले किसानों के वाकस कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चीनी निर्यात का जो लक्ष्य रखा जाता है इसके लिए जो स्वीकृति दी जाती है उसमें मॉनीटरिंग का कोई कार्य नहीं होता है इस साल निर्यात हेतु कितनी अनुमति मिली है और कितना निर्यात किया गया है इसका कोई अता पता नहीं है।

सरकार से अनुरोध है कि चीनी संबंधी निर्यात नीति को देश के हित में, चीनी मिलों के हित में एवं किसानों के हित में बनाया जाये और इस पर निगरानी कार्य को भी सख्ती से किया जाये।

(पंद्रह) भारत और बांग्लादेश के बीच एक दूसरे की सीमा में विदेशी अंत: क्षेत्र के विनियमन के मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : देश की आजादी के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंत:क्षेत्र के विनिमय की समस्या है। इस समय बांग्लादेश में 111 भारतीय अंत:क्षेत्र और भारत में 51 बांग्लादेशी अंत:क्षेत्र हैं। दोनों देशों की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई पिछली जनगणना के अनुसार, भारतीय अंत:क्षेत्र की कुल भूति 17,149 एकड़ और भारत में बांग्लादेशी अंत:क्षेत्र की कुल भूमि 7,110 एकड़ है। बांग्लादेश के अंदर भारतीय अंत:क्षेत्र में 37,100 भारतीय रह रहे हैं और भरत के अंतर बांग्लादेशी अंत:क्षेत्र में 14,200 व्यक्ति रह रहे हैं।

दोनों ही देशों के बड़ी संख्या में लोग राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं और उन्हें एक स्वतंत्र समाज में व्यक्तिगत विकास हेतु आवश्यक सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

नेहरू-नून समझौता के दिनों से ही यह समस्या बरकरार है और इसे 1974 के इंदिरा-मुजीब समझौता में भी हल नहीं किया जा सका। यहां तक कि तीन बीघा के हस्तान्तरण के समय भी, अंत:क्षेत्रों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका।

अत:, मैं केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह बांग्लादेश की सरकार के साथ तुरंत इस मुद्दे को उठाए और भारत और बांग्लादेशी अंत:क्षेत्रों में निवास कर रहे दोनों ही देशों के नागरिकों को राहत प्रदान करे।

(सोलह) कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाए जाने तथा कृषि आयात-निर्यात नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले) : कृषि उत्पादन के आयात-निर्यात की नीति निर्धारण न होने के कारण चीनी, कपास, प्याज, आलू, मिल्क पाउडर, केसीन, चावल, अंगूर, गेहूं आदि कृषि उत्पादनों की कीमतों में कम ज्यादा उतर चढ़ाव हो रहा है। परिणामस्वरूप किसानों को अपने लागत मूल्य से भी कम दाम मिलने के कारण उसे भारी नुकसान

उठाना पड़ रहा है। आयात निर्यात शुल्क के बार-बार बदलाव के कारण मंडी में हमेशा के लिए अस्थिरता का वातावरण बना रहता है। उपभोक्ता और मीडिया के दबाव के कारण कृषि उत्पादों के दाम कम रखने के लिए सरकार की विवशता दिखाई देती है। आज उर्वरकों की आसमान को छूती कीमतें, डीजल के बढ़ते दाम, कोटनाशक और मजदूरी के बढ़ते दाम और उसके साथ-साथ प्रकृति में होने वाले जलवायु परिवर्तन के चलते किसानों को जी-तोड़ प्रयासों से फल बचाने के लिए उठाने वाले कष्ट, इसके लागत मूल्य में उसका सीधा असर परिणामस्वरूप किसानों को घाटे में खेती के जाने से किसानों के कदम धीरे-धीरे आत्महत्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं 'कॉप-हॉलीडे' लेने की असहायता तो दूसरे तरफ देश के खाद्यान्न सुरक्षा जैसे मुद्दे का एक बड़ी चुनौती के तहत उभरना। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का घटना प्रतिशत। अत: सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की नितांत आवश्यकता के साथ आयात-निर्यात नीति निर्धारण के लिए स्वायत्त उच्चाधिकार समिति गठित करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 2.03 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2012-13

गृह मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, हम मद संख्या 14 पर विचार करेंगे।

अब सभा गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52 से 56 और 96 से 100 पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों जिनके गृह मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2012-13 के अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव को परिचालित किया गया है, यदि वे कटौती प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो वे अपने कटौती प्रस्तावों का क्रमांक दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा को पर्ची भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को जिनकी निर्धारित समय के अन्दर सभा को पर्चियां प्राप्त होती हैं, प्रस्तुत किया हुआ माना जायेगा।

उसके थोड़ी देर बाद ही कटौती प्रस्तावों जिन्हें प्रस्तुत किया गया माना गया है, के क्रमांकों को दर्शाते हुए एक सूची सूचना पट्ट पर डाल ही जायेगी। यदि कोई भी सदस्य उस सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह उसे तत्काल सभा पटल पर उपस्थित प्राधिकारी के संज्ञान में ला सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52 से 56 और 96 से 100 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के लिए गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृत के लिए अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
52.	गृह मंत्रालय	487,56,00,000	37,39,00,000
53.	मंत्रिमंडल	100,70,00,000	23,18,00,000
54.	पुलिस	6477,07,00,000	1867,53,00,000

1	2	3	4
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	287,59,00,000	24,62,00,000
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	359,15,00,000	12,00,00,000
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	392,15,00,000	123,21,00,000
97.	चंडीगढ़	414,43,00,000	68,39,00,000
98.	दादरा और नगर हवेली	355,97,00,000	42,03,00,000
99.	दमन और दीव	175,60,00,000	58,41,00,000
100.	लक्षद्वीप	107,09,00,000	43,52,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	227722,96,00,000	49521,68,00,000

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : महोदय, आपने मुझे गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत जहां केंद्र-राज्य सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, अर्द्धसैनिक बलों का प्रबंधन, आतंरिक सुरक्षा, केन्द्र शासित प्रदेश, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी बात इस पर होगी, वह आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई है। आज भी जब मैं पार्लियामेंट आया तो प्रश्नकाल के समय जो चर्चा चल रही थी, जिस तरह का यहां पर माहौल था, वह कोई विदेशी गतिविधियों के कारण नहीं था। तेलंगाना के मुद्दे को लेकर अपने ही सदस्य यहां पर विरोध जता रहे थे। तेलंगाना की मांग कब से उठी? तेलंगाना राज्य की जब मांग उठी तो माननीय गृह मंत्री जी ने 9 दिसम्बर, 2009 को एक बयान दिया। बयान में यह भी कहा कि – *[अनुवाद]* कि तेलंगाना राज्य का गठन सुनिश्चित किया जाएगा; विधान सभा में एक समुचित संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। *[हिन्दी]* तीन वर्ष बीत गए। आपकी एक स्टेटमेंट ने तेलंगाना में यह हालात कर दिए कि लगभग सात सौ लोगों की जान चली गई। पता नहीं, आप ने उस दिन यह स्टेटमेंट कैसे दिया? शायद सोनिया जी का जन्म दिन था उनको प्रभावित करने के लिए यह स्टेटमेंट दिया। क्या कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हमें तेलंगाना राज्य बनाना है? आपकी पार्टी का, आपकी सरकार की इस पर क्या राय है? क्या आपने इस पर कुछ तय किया है? अगर अपने कुछ तय किया है तो सदन जानना चाहता है क्योंकि केवल आपकी एक स्टेटमेंट की बात नहीं है। हमारे सात सौ नौजवान भाइयों और बहनों की जान चली गई। आप तो शायद एक के भी घर नहीं गए होंगे लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उनके मन पर क्या बीती होगी, आप इस पर सोचिए। इस सदन का महत्वपूर्ण समय इस डिमांड को ले कर बार-बार जाता है। आखिर, सरकार इस पर क्या निर्णय करने वाली है। यह मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं। जहां तक मैं सदन की बात कर रहा हूं, संसद से जुड़ी हुई बात आती है तो कहीं न कहीं मैं वापस जो संसद पर हमला हुआ, भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ, जिसने हम सब को झंझोर कर रख दिया। मुझे लगता है कि न मैं, न आप और न ही देश उस दिन को भूल पाएगा। लेकिन एक बात आज भी सताती है कि क्या भारत एक आतंकवादी गतिविधियों के लिए सॉफ्ट स्टेट बन कर रह गया है? जब आप गृह मंत्री बने थे तो मुझे लगता था कि शायद आप में वह काबिलियत है कि आप कुछ न कुछ इस दृष्टि में करेंगे, चाहे वह माओवाद, नक्सलवाद या आतंकवाद की बात हो, आप एक काबिल वकील हैं। आपका पॉलिटिक्स में जो अनुभव है उसको देख कर लगता था कि गृह मंत्री के नाते शायद जिन परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा है आप उसको संभाल पाएंगे।

मंत्री महोदय, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2004 में अफजल गुरू को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। इसके आठ वर्ष बीत गए। क्या सरकार के हाथों में मेंहदियां लगी हैं, चूड़ियां पहन रखी हैं, आप में वह काबलियत नहीं कि एक आतंकवादी जिसने

संसद पर हमला किया, आप उसको फांसी चढ़ा सकें। आखिर, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है? क्या देश नहीं चाहता है कि अफजल गुरू को फांसी हो? क्या वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे? वह देश जानना चाहता है और हमने तो पहले भी कहा कि जब-जब आतंकवाद की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है तो मैं और मेरी पार्टी, पार्टी स्तर से ऊपर उठ कर आपके साथ, आपकी सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जब बाटला हाउस कांड हुआ, इंस्पेक्टर श्री एम.एल. शर्मा शहीद हुए तो शायद आपकी सरकार में से कोई उनके घर गया या नहीं गया? लेकिन जो आतंकवादी मारे गए उनके घर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इतने फ्रिक्वेंटली, लगतार जाते रहे, मानो कि हमें आतंकवाद को सम्मानित करना था। आपकी सरकार के एक मंत्री ने यूपी के चुनाव में यहां तक कह दिया कि बाटला हाउस कांड को लेकर सोनिया जी के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे दुःख इस बात का होता है कि काश, वह आंसू जो इंस्पेक्टर श्री एम.एस. शर्मा शहीद हुए या हमारा कोई फौजी भाई मरा है उसके लिए बहा होता। उनकी शहादत पर यह हुआ होता तो अलग बात थी लेकिन आतंकवादी के मरने पर हुआ। इस बात का मुझे दुःख होता है। आखिर हम किस तरह से राजनीति करना चाहते हैं। अपीसमेंट पॉलिसी, आप धर्म के नाम पर आरक्षण देने की मांग करते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन देश को बांटने का जो आप लोगों ने प्रयास किया है, वह सही दिशा में नहीं है। आज हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं। हमें केवल बाहरी आतंकवाद से खतरा नहीं है। अपने देश के अंदर जो माओवाद और नक्सलवाद हमें खोखला करता चला जा रहा है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। 26/11 का हमला हुआ। मुंबई के उस हमले ने हमारे आतंकवादी हमलों के प्रति कितनी तैयारियां हैं वह पूरे देश के सामने ला कर दिखा दिया। मंत्री महोदय वर्ष 2009 में आप भी एक आईबी के फंक्शन में गए थे। जब आप से सवाल पूछा गया कि क्या सुरक्षा का लचर प्रदर्शन वहां पर हुआ? मुंबई पुलिस उस अटैक का मुकाबला नहीं कर पाई। हमारी एनएसजी समय पर नहीं पहुंच पाई। हमारा इंटेलीजेंस फेल्यर हो गया। क्या हमारे मरीन पुलिस फेल हो गए? आपने शायद कहा था कि आपके पास इसका उत्तर है। अगर एनआईए उसका उत्तर था तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी आप देखें तो इस देश में कई हमले हुए। जब आपकी पार्टी के एक युवा महासचिव यह कहते हैं कि देश में हर आतंकवादी हमला नहीं रोका जा सकता, तो मैं एक गृह मंत्री के नाते आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या इस देश में आतंकवादी हमले नहीं रुकेंगे? अगर अमेरिका में 9/11 के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं होता तो भारत में बार-बार आतंकवादी हमले क्यों होते हैं, इस बात का जबाव आपको देना पड़ेगा। क्यों होते हैं, *[अनुवाद]* क्योंकि, हम एक कमजोर राष्ट्र बन गए हैं। हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं अथवा हमने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद आतंकवादी को मृत्युदंड नहीं दिया है। *[हिन्दी]* आप अफजल गुरू की पिछले आठ वर्षों से मेहमाननवाजी कर रहे हैं, आपने उसे सरकारी मेहमान बना दिया है। कसाब का पता नहीं कब तक फाइनल आर्डर आएगा, कब तक हम उसे पालेंगे? आपने इस देश की क्या दशा कर दी है? आपके युवा महासचिव यह कहते हैं कि एक आतंकवादी हमला भी नहीं रोका जा सकता। आपने खुद कहा है और मैं आपसे कहीं न कहीं सहमत भी हूं। जब राज्य सभा में चर्चा हुई थी तब वहां अरुण जेटली जी ने कहा *[अनुवाद]* कि हमें एक सुदृढ़ आसूचना प्रणाली, त्वरित कार्यवाही दल और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा तंत्र और दोषियों को दंड देने वाली एक ठोस कानूनी प्रणाली की आवश्यकता है। *[हिन्दी]* पिछले जितने केसेज हुए हैं, चाहे अफजल गुरू का हो, कसाब का हो, आजमगढ़ में आतंकवादियों ने जो किया या बाटला हाउस कांड में जो लोग मारे गए, अगर उन सबको लेकर बात की जाए, तो क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय, एनआईए बनाने की बात आई। यह देश गवाह है कि उसके बाद सब पोलटिकल पार्टीज और हमने भी कहा था कि ठीक है, अगर देश की सुरक्षा के साथ बात जुड़ी हुई है तो नेशनल इनवैस्टीगेटिंग एजेंसी बनाने में हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन एनआईए की भूमिका क्या रही? पहले तीन वर्षों में उन्होंने अपनी ओर से जो छानबीन की, क्या डेविड हैडली के बारे में पता लगा पाए थे, क्या आपको राणा के बारे में पता चल पाया था कि शिकागो ट्रायल कोर्ट के माध्यम से पता चला कि उनकी भूमिका भी लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के साथ मिलकर यहां अटैच रही? अगर ऐसा था तो अमेरिका के लिए हम अपने देश को पूरा खोल देते हैं, क्या अमेरिका ने आपको वहां जांच करने की अनुमति दी? अगर दी तो उसमें आपने और आपकी सरकार ने क्या किया? अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारे पास सुधरने का मौका नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी ने सही कहा है – गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए। शायद उस तरफ दोनों बातों की कमी लगती है। न हम दोषियों को पकड़ पाते हैं, न उन्हें फांसी पर चढ़ा पाते

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

हैं, न अपनी गलती कबूल करते हैं। जहां हम देश में नक्सलवाद, माओवाद की बात करते हैं, तो यूपीए वन को शायद पता नहीं चला कि माओवाद, नक्सलवाद होता क्या है और यूपीए वन की उसके प्रति नीतियां क्या थीं। अब आप आए, मैंने पहले भी कहा एक उम्मीद बांधी। लेकिन दांतेवाड़ा में एक नक्सलवादी हमला हुआ। उसमें नौजवान पुलिसकर्मी शहीद हुए। जहां विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा, आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने आपके पर कतरने शुरू कर दिए। जो माओवादी सोच के लोग आपकी पार्टी में हैं, जो कहीं न कहीं माओवादियों, नक्सलवाद से सहमति रखते हैं, जो कहते हैं कि आपमें बौद्धिक अहंकार है, *[अनुवाद]* कि गृह मंत्री में बौद्धिक अहंकार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी) : हमारी पार्टी कभी कुछ नहीं कहती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। यह कांग्रेस पार्टी के महासचिव के हस्ताक्षर वाला एक लेख है...*(व्यवधान)* महोदय, यह कांग्रेस पार्टी के महासचिव के हस्ताक्षर वाला लेख है।...*(व्यवथान)*

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उनका यह कहना है कि न केवल कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने यह कहते हुए कि गृह मंत्री को बौद्धिक अहंकार है, एक लेख लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए हैं। *[हिन्दी]* यह मेरा कहना नहीं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं। आपके पार्टी के श्री मणि शंकर अय्यर जी कहते हैं।...*(व्यवधान)* आपके सहयोगी दल कहते हैं।...*(व्यवधान)*

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, उन्हें केवल विषय पर बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं संगत विषय पर बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)* मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि यदि उनकी पार्टी को अपने गृह मंत्री पर विश्वास नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : आप मिनिस्टर होकर क्या करना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : जब चिदम्बरम साहब जबाव देंगे, तब बता देंगे। वे सक्षम हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री ठाकुर के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, उन्हें गृह मंत्रालय के बारे में बात करनी चाहिए न कि गृह मंत्री के बारे में...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : गृह मंत्रालय का नेतृत्व कौन करता है? क्या गृह मंत्री गृह मंत्रालय का प्रमुख नहीं होता है?...*(व्यवधान)* यदि कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के महासचिव को गृह मंत्री में विश्वास नहीं है तो मुझे यह कहते हुए खेद है...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी : मैं खेद के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह उनकी समझ है...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय यह उनकी ना समझी है। मैं सभा में सच्चाई बता रहा हूं। यह कांग्रेस महासचिव का हस्ताक्षर किया हुआ एक लेख है जिसमें यह कहा गया है कि गृह मंत्री बौद्धिक अहंकार से पीड़ित है। ये मेरे शब्द नहीं हैं।

सभापति महोदय : कृपया व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : श्री मणि शंकर अय्यर उनसे सहमत हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, सभा में व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, वाद-विवाद करने का उनका यही स्तर है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : आप मंत्री होकर हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, आप इससे अगली बात सुनिये, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इनके पार्टी के नेताओं ने अपने गृह मंत्री का उस समय, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब दंतेवाड़ा में हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनकी सरकार के, इनकी पार्टी के नेता तो इनके पर काटने में लगे थे, लेकिन विपक्ष ने गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। हमने कंधे के साथ कंधा जोड़कर, खड़े होकर कहा कि माओवाद, नक्सलवाद का सामना करो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। यह विपक्ष की भूमिका थी, लेकिन इनकी सरकार के लोग इनके पर काटने में लगे थे। *[अनुवाद]* उन्होंने कहा, 'माओवादियों से लड़ने के लिए मजबूत इरादा, अधिक साहस और दम की जरूरत है।' मैं उनसे सहमत हूं। वह ठीक हैं। परन्तु एक विभाजित यूपीए, एक विभक्त सरकार, एक विभक्त कांग्रेस पार्टी से वे ऐसा कैसे कर पायेंगे? उनसे कौन सहमत नहीं है? *[हिन्दी]* आपकी पार्टी आपसे सहमत नहीं है। विपक्ष आतंकवाद, मोआवाद का मुकाबला करने के लिए आपका साथ देता है।...*(व्यवधान)* यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। इसीलिए मैंने कहा था कि विपक्ष की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हम सदा सहयोग करते रहे हैं, लेकिन यह पार्टी बंटी रही है, चाहे जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है। माओवाद एक ऐसी मूवमैंट है, जो सशस्त्र विद्रोह है, सैन्य आंदोलन है। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि वहां पर सड़कें बनाइये, अस्पताल बनाइये। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कलैक्टर वहां विकास करवाता है, छत्तीसगढ़ में उसे अगवा करके ले जाते हैं। गृह मंत्री जी हमें कौन-कौन सी मांगें नहीं माननी पड़ती? ओडिशा में एमएलए को अगवा कर दिया जाता है। क्या माओवाद इस तरह से खत्म होगा? इटली के दो नागरिकों को ले गये। शायद सोनिया जी को जितना दुःख हुआ होगा, उतना ही मुझे हुआ और आपको भी हुआ। वे हमारे अतिथि थे। लेकिन क्या 20 वर्षों से अतिथि थे? हमारी वीजा पॉलिसी क्या है? *[अनुवाद]* हमारी वीजा नीति क्या है? *[हिन्दी]* इस देश में कोई भी आये, क्या 20 वर्षों तक यहां रह सकता है? वे इटली के नागरिक यहां पर क्या कर रहे थे? क्या जानबूझकर इस देश में कुछ लोग माओवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? क्या माओवाद, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए विदेशी ताकतों का भी हाथ है? क्या पीएलए के साथ, जो जम्मू और कश्मीर टेरोरिस्ट्स हैं, उनके संबंध पाये जाते हैं? एक नयी फोर्स बननी शुरू हुई कि हथियारों के बल पर हिन्दुस्तान पर राज करेंगे, इस लोकतंत्र को खत्म करेंगे, यह हम उस विचाराधारा को मारने के लिए एकजुट हैं, तैयार हैं? एकजुट तो तब होंगे, जब कांग्रेस एकजुट होगी। अगर कांग्रेस विभाजित है, सरकार विभाजित है, सहयोगी दल साथ नहीं दे रहे हैं, तो माओवाद-नक्लवाद का सामना आप क्या करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, किडनैपिंग्स के माध्यम से, ठेकेदारों से पैसे वसूल करके, सरकारी कर्मचारियों एवं कंपनियों से पैसे उगाही करके, अगर यह हो रहा है, तो हम इस पर कैस चेक लगाएंगे? नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में आप जो पैसा दे रहे हैं, वहां स्कैम्स कितने हुए है। क्या उन स्कैम्स के माध्यम से पैसा माओवाद-नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जा रहा है? क्या माओवादियों-नक्सलवादियों के कैम्प ओडिशा, झारखंड के साथ-साथ म्यांमार में भी लग रहे हैं? दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है, जो दो नक्सलवादी यहां से पकड़े गए नक्शों के साथ, उसमें साफ तौर पर पता चला था कि म्यांमार तक उनकी पहुंच है, वहां से आईएसआई साथ देकर यहां पर हथियार सप्लाई करती है, पैसे सप्लाई करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या चाइना भी माओवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है? अगर दे रहा है, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। गृह मंत्री जी, यह देश जानना चाहता है कि आपकी सरकार माओवाद-नक्सलवाद को कुचलने के लिए क्या करना चाहती है? इसकी फंडिंग कहां से हो रही है? इसको हथियार कहां से मिलते हैं, अगवा करके कैसे लेकर जाया जाता है, फिर उन आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को छुड़वाया जाता है। इसके खिलाफ आपकी सरकार क्या करने वाली है, क्या आप इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लाएंगे? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया इसके बारे में व्हाइट पेपर लाइए ताकि सदन को और देश को पता चल सके कि आपकी सरकार माओवाद-नक्सलवाद को लेकर क्या करने वाली है और अब तक क्या कार्यक्रम किए हैं?

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

जहां तक नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स की बात है, नागा निगोशिएशन्स में क्या हुआ, कहां तक वह बात बढ़ी। यहां मेरे जितने मित्र नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स से आते हैं, जब उनसे बात करते हैं, पता चलता है कि वहां रेलमार्ग नहीं है, सड़कें नहीं हैं, हवाई जहाज से जाने में बहुत असुविधा होती है। क्या हमने उस ओर कभी सोचा है? आज हमारे एक सहयोगी श्री रमन डेका जी ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि नॉथ-ईस्टर्न स्टेट्स से आने वाले जो बच्चे, हमारे भाई और बहन हैं, उनके साथ देश के अलग-अलग कोनों में जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनको मार दिया जाता है, उनको सताया जाता है, क्या उसके लिए हमारी सरकार ने कोई उचित कदम उठाया है? क्या वह दूरियां कम करने के लिए, नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स का विकास कैसे हो, हम अपने उन भाई-बहनों को अपने गले कैसे लगाएं, जम्मू और कश्मीर से हमारे जो भाई-बहन आते हैं, हम उनको अपने गले कैसे लगाएं, उनसे नजदीकियां कैसे बढ़ाएं, यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको उचित कदम उठाने चाहिए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको सब्सिडी दें, चाहे किसी और तरीके से फंडिंग करें, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू और कश्मीर नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका मंत्रालय और सरकार उस दिशा में कदम उठाएंगे ताकि हमारी किसी बहन के साथ बलात्कार न हो, उसको मारा न जाए, उसकी हत्या न की जाए। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात है, बहुत लम्बे समय से देखा गया है कि उनका उत्पीड़न भी किया गया है, लेकिन यह भी हम सबके सामने आता है कि किस तरह उन राज्यों में लगातार स्कैम्स बढ़ते चले गए। पैसे की कमी हो सकती है, कम दिया हो, लेकिन जितना दिया गया, क्या वह भी खर्च हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश के आपके पूर्व सीएम का नाम 1000 करोड़ रुपये के घोटाले में आया, पीडीएस स्कैम हुआ। असम में जो चावल जाता है, वह घूमकर कालाबाजारी में चला जाता है। उसी तरह से लोकटक लेक के लिए 243 करोड़ रुपये के स्कैम की बात सामने आई। एनआईए एक नार्थ सिल्चर हैल्थ कैम्प की जांच कर रही है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसके अलावा 13.45 करोड़ रुपए का तो कैश पकड़ा गया था, जिसमें वहां के बड़े-बड़े मंत्री और अधिकारियों के नाम आ रहे हैं? एनआईए ने उस पर क्या किया, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं? शायद आपको ये घोटाले छोटे लगें, क्योंकि केंद्र सरकार में तो 2जी स्पैक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, कामनवैल्थ गेम्स में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उसके आगे तो कुछ भी नजर नहीं आता। इन सबके सामने वे घोटाले तो कुछ भी नहीं हैं।...*(व्यवधान)* राजा जी जेल में है, मैं किसी व्यक्ति का यहां जिक्र नहीं करना चाहता कि कौन जेल में है या कौन जेल गया था, इस सरकार पर और इसके मंत्रियों पर बहुत आरोप लगे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने यहां भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया।

जम्मू और कश्मीर भी आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो ऐतिहासिक भूल, हिस्टॉरिकल ब्लंडर जवाहरलाल नेहरू जी कर गए थे इस देश में, चाहे वह कश्मीर के विवाद को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की बात हो या जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो या वैस्टर्न पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी आए, उनके सैटलमेंट की बात हो। इन सबके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा काम कर गए हैं कि पिछले 64 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

आप नेशनल इंटिग्रेशन की बात करते हैं। कश्मीर में तिरंगा फहराने जब हम देश के युवाओं को इकट्ठा करके ले जा रहे थे, तो उस राज्य के मुख्य मंत्री ने आपसे मुलाकात करके हम सबको वहां जाने से रोक दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने ही देश में, कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा पाए, क्योंकि हमें लाल चौक पर अरैस्ट कर लिया गया था।...*(व्यवधान)* क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम देश में किसी भी जगह तिरंगा लहरा सकें, कश्मीर में भी लहरा सकते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनुराग जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अनुराग सिंह ठाकुर के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर पर हमारा अधिकार है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा बना भी रहेगा। तिरंगे के सम्मान के लिए हम सदा लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ते रहेंगे। वहां तिरंगे को जलाया जाता है, हम उसका अपमान नहीं होने देंगे। प्रतिपक्ष के नेता को, चाहे वह लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, अनंत कुमार जी को, सभी को आप गिरफ्तार करते हो। यह मैं नहीं कहता, यह इस देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने नोटिस में लिखा है और जम्मू और कश्मीर सरकार से इस बारे में पूछा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी, उस समय आप बोल सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उसने राज्य सरकार से पूछा है कि आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, प्रतिपक्ष के नेता और सैंकड़ों कार्यकर्त्ताओं को कश्मीर में तिरंगा फहराने से क्यों रोका? यह मैं नहीं कहता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा है। यह विवाद का मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पैदा किया हुआ है और आज तक देश को झेलना पड़ रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू, लेह-लद्दाख की जनता को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जम्मू में लोगों पर प्रति व्यक्ति जो खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जम्मू, लेह-लद्दाख के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, यह मैं नहीं कहता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यह मेरा कहना नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने इंटरलोकेटर वहां के लिए नियुक्त किए थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपनी सीट पर जाइये। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, जो वहां के लिए इंटरलोकेटर नियुक्त किए थे, उनकी रिपोर्ट कहां पर है, मैं यह बात सरकार से जानना चाहता हूं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपनी सीट पर जाइए कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सर्वप्रथम आप अपनी सीट पर जाइये। जब मैं यहां पर खड़ा हूं, आपको अपने स्थान पर जाना चाहिए। सबसे पहले आपकी सीट पर जाइये।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आजाद भारत में तिरंगे के सम्मान से ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अनावश्यक रूप से सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आज जो अलगाववाद की बात हम करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि यह किसकी देन है, सबको मालूम है और कांग्रेस पार्टी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश की राजधानी में वहां के लोग आकर देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि किस कानून के तहत हम इन्हें जेल भेजें। वे जब देश विरोधी टिप्पणियां करते हैं तो गृह मंत्रालय कुछ नहीं करता है। हां, बाबा रामदेव, अण्णा हजारे या भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्त्ता जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो आप उन पर लाठियां चलाते हैं, उन्हें अरैस्ट करते हैं। यह सरकार अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुए है।

मैं इंटरलोकेटर्स की बात करना चाहता हूं। उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार ने की थी, अगर आपने नहीं की थी तो फिर किसने की थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर) **:** सभापति महोदय, यह एक गंभीर विषय है, अतः उन्हें गंभीरता से बोलना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं, कृपया अपनी सीट पर जाइये। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अपनी बारी आने पर ही आप बोलिए। जब आपकी बारी आए, आप उस समय बोलिए। इस तरह हस्तक्षेप न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने भाषण को समाप्त करने की कोशिश करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हम देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नोटिस दिया है इनकी सरकार को कि कश्मीर में तिरंगा क्यों नहीं फहराने दिया। यह मैं 'ट्रिब्यून' अखबार की प्रति लाया हूं, जिसमें यह खबर छपी है और इसके साथ ही मैं उस नोटिस की कॉपी भी सदन में लाया हूं। सरकार बताए कि वह क्यों अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपना रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम जम्मू और कश्मीर को ज्यादा एटोनॉमी देने की बात करते हैं। आखिर यह करके सरकार क्या करना चाहती है, यह देश की जनता जानना चाहती है। एटोनॉमी देने की बात अब कहां से आती है, क्योंकि हमने पहले ही वहां इतने अधिकार जम्मू और कश्मीर को दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। आखिर उसे इतनी देर तक क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? देश का पैसा उसमें लगा है इसलिए देश को जानने का अधिकार है।

आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाए। अगर कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग सेना का है। देश की सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर में सामान्य माहौल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव न किया जाए। अगर कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं तो सबसे बड़ा सहयोग देश की सेना का है। देश की सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है।

जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख के साथ कोई भेद-भाव न किया जाए। हाल ही में सरकार ने कहा कि हम एनसीटीसी के मुद्दे को लेकर अगर केन्द्र और राज्यों के संबंधों की बात की जाए तो लोकतांत्रिक ढांचे में, इस फैडरल स्ट्रक्चर में एक होम-मिनिस्टर होने के नाते आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व आता है। जहां आपकी पार्टी के लोग आपका विरोध करते हैं, विपक्ष आपका सहयोग आतंकवाद से लड़ने में करती है। वहीं पर जब एनआईए बनाने की बात आई तो सभी दलों ने आपका सहयोग किया। लेकिन एनआईए की भूमिका क्या होनी चाहिए।. ..*(व्यवधान)* यह रिपीटिशन नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है। *[अनुवाद]* यह कहता है: "एनआईए ने आरएसएस नेताओं का नाम लेने के लिए 1 करोड़ रु. की पेशकश की"। *[हिन्दी]* क्या यही एनआईए कर रही है। यह इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं किसी माननीय सदस्य विशेषतः ऐसे व्यक्ति को जो पहली बार भाषण दे रहा हो उसे निश्चित रूप से नहीं टोकूंगा और मुझे इस युवा सदस्य से अत्यन्त लगाव है। परन्तु यह एक आरोपी द्वारा एक अदालत में दाखिल किया गया एक शपथपत्र है। अदालत ने उस शपथपत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसी दिन, एनआईए ने इंडियन एक्सप्रेस के संपादक को

बताया: "हम इसका प्रतिउत्तर दाखिल करेंगे। यदि आप शपथपत्र प्रकाशित करना चाहते हैं तो प्रतिउत्तर को भी प्रकाशित कीजिए।" अगले दिन, इंडियन एक्सप्रेस ने एक छोटे स्तंभ में **लिखा:** "एनआईए एक प्रतिउत्तर दायर कर रहा है।"

आप एक ही पक्ष के अर्थात् या तो वादी या याची की दलील को देखते हो और आप उसी का प्रचार करते हो। मुझे उस रिपोर्टर और समाचारपत्र पर खेद है।...*(व्यवधान)* परन्तु इससे भी अधिक खेद तब होता है जब आप उस समाचारपत्र को लेते हो और बिना इस बात के जाने कि यह एक अदालत में लगाया गया एक आरोप है, आप इसे पढ़ते हो; एक प्रतिउत्तर दाखिल किया जा रहा है या दाखिल कर दिया गया है और अदालत इस पर फैसला सुनायेगा। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए। आप समाचारपत्र पढ़ते हैं इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है परन्तु आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए इस पर आत्मसंयम बरतना चाहिये।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, अगर इसके विस्तार में मैं जाने की बात करूं। जिनके ऊपर केस चल रहा है उन्होंने कहा है।... *(व्यवधान)* आपके कहने से सब्जैक्ट नहीं छूट सकता है।...*(व्यवधान)* क्योंकि एनआईए पर प्रश्नचिन्ह लगा है। एनआईए बनाने के लिए हमने भी सहमति दी थी। आज आप एनसीटीसी बनाने की बात करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगता है, जब विपक्षी दल आपके साथ सहयोग करता है, सहमति देता है कि आप एनआईए बनाये और एनआईए के अधिकारियों के ऊपर इस तरह से आरोप लगते हैं। जब जांच होगी तब होगी लेकिन अगर ये आरोप लगे हैं तो गंभीर आरोप लगे हैं कि एक व्यक्ति-विशेष एक संस्था के ऊपर आरोप लगाने के लिए एक-एक करोड़ देने की बात कहें, यह गंभीर विषय है और इसे अलग नहीं रखा जा सकता है। एनसीटीसी की आप बात करते हैं, राज्यों का विश्वास जीतने के लिए क्या आपको यह प्रयास नहीं करना चाहिए था कि एनसीटीसी लाने से पहले आप राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करते। आपको किसने मना किया था और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि

"कोई रूठे अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं।"

आपके और राज्यों के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। इंटर-स्टेट काउंसिल की मीटिंग शायद एक बार भी नहीं हो पाई। यूपीए-I में दो बार हुई थी और इतने बुरे संबंध होने के बावजूद आपकी मीटिंग्स नहीं होती हैं। एनसीटीसी हम पास करवाने की बात करते हैं, उसमें एक प्रमुख मुद्दा आता है कि आईबी को आप सर्च, अरैस्ट और प्रोसीक्यूट करने के अधिकार देने की बात करते हैं। जब एनआईए है तो एनसीटीसी की क्या आवश्यकता है? क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आपकी ही सरकार ने कई बार अपने बचने-बचाने के लिए, कई बार अपने लाभ के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया है यह देश जानता है और मुझे लगता है कि एसपी और बीएसपी वाले ज्यादा जानते होंगे। क्या एनसीटीसी और एनआईए का दुरुपयोग भी ऐसे ही किया जाएगा, राजनैतिक दुरुपयोग नहीं होगा। डर है और आपके द्वारा शासित राज्यों के मुख्य मंत्री भी दबे स्वर में इस बात को कहते हैं। इसलिए जो बीएसएफ है उसे भी सर्च, अरैस्ट और प्रोसीक्यूट पास देकर राज्यों में भेजना चाहती है। आरपीएफ को भी तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम आतंकवाद का सामना करने वाले हैं कि देश को बांटने वाले हैं। हम फैडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और यह देश का दुर्भाग्य है कि अगर आप जैसे मंत्री और आप जैसी सरकार आज इस पर जागरूक नहीं होगी और प्रीवेंशन ऑफ कम्युनल टार्गेट वायलेंस बिल वह भी ऐसी दिशा में बढ़ रहा था कि इस देश को धर्म के नाम पर बांटा जाए। माननीय मंत्री जी वह भी इस देश का दुर्भाग्य था। आप कृपया करके थोड़ा जागिये और अगर आप नहीं जागेंगे तो देश के लिए बहुत देरी हो जाएगी। देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। माओवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद को लेकर हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पार्टी आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपके साथ खड़ी है। मैं तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि "मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।" आशा करता हूं कि आतंकवाद और नक्सलवाद को रोकने के लिए आप उचित कदम उठाएंगे। हमारा सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सदैव आपके साथ बना रहेगा।

सांकेतिक कटौती प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले) **: मैं प्रस्ताव करता हूं:**

"कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस उपाय शुरू किये जाने की आवश्यकता (1)

[श्री राजू शेट्टी]

होम गार्ड्स को बेहतर सेवा शर्तें दिए जाने की आवश्यकता (2)

"कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

देश में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध को रोकने के लिए विशेष महिला कार्यबल का गठन करने की आवश्यकता (53)

"कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता (66)

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

हिली लैंड पोर्ट (पश्चिम बंगाल) के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता (52)

नीति निरनुमोदन

"कि संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

शिक्षकों को समयबद्ध पदोन्नति देने के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की विफलता (70)

सांकेतिक

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

गुजरात में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का नौसेना स्कंध शुरू करने हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता (71)

गुजरात में सामुद्रिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता (72)

गुजरात में इंटरसेप्टर बोट्स के अनुरक्षण हेतु केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता (73)

गुजरात में सभी पत्तनों की संरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता (74)

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की सामाजिक जांच की आवश्यकता (75)

सीमा पर बाड़ लगाने हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता (76)

"कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

गुजरात में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएमसी) का केन्द्र तथा सूरत (हजीरा) में तट रक्षक स्टेशन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता (77)

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : धन्यवाद सभापति जी, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है और मैं गृह मंत्रालय की जो अनुदान मांगें हैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी के अधीन विषय तो बहुत हैं, मैं अनुराग जी की बातों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस बात से मुझे जरूर आश्चर्य होता है कि जो पार्टी अपने सबसे प्रमुख नेता तो मुखौटा कह देती है, जो पार्टी अपने सबसे प्रमुख नेता आडवाणी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक जिन्ना जी के मॉसोलिएम में जाने पर उनका तिरस्कार कर देती है, वे हमारे मंत्री पर किसी जनरल सैक्रेट्री की छोटी सी टिप्पणी को इतना बड़ा विषय बना देते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है।

माननीय अटल जी हमारे सब के लिए सम्माननीय हैं, उन्हें मुखौटा बोलने में आपको शर्म नहीं आई लेकिन एक इंटलैक्चुअल एरोगेंस के छोटे से स्टेटमेंट को आपको इतना बड़ा मुद्दा बनाना पड़े।...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि आप अपनी नीति की तरफ झांकिये कि आप अपने नेताओं को क्या कह देते हैं और जहां तक गृह मंत्री जी के विषय में हम लोगों का क्या भरोसा है तो मैं वह इस बात से बता सकता हूं कि गृह मंत्री जी हमारे गृह मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री रहेंगे और इससे बड़ा किसी को प्रमाण नहीं चाहिए कि इनकी नीति

पर हमारी सरकार और हमारी पार्टी का क्या कॉन्फिडेंस है।...*(व्यवधान)* अनुराग जी, किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से विश्वास...*(व्यवधान)* जो गृह मंत्री है वह गृह मंत्री है और उसके प्रति यूपीए सरकार का हर घटक दल और हर सांसद उन पर और उनकी काबलियत पर विश्वास करता है।

सभापति जी, गृह मंत्रालय के बारे में कई मुद्दों पर बात हुई है, मैं उसका थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य भी आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद गृह मंत्रालय के अंदर जो दो-चार मुख्य विषय हैं, जिनके बारे में अनुराग जी ने भी बात की, अपनी टिप्पणी करूंगा। हमें देखना पड़ेगा कि आज जो वातावरण है और जिस पर आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी जो शायद गृह मंत्रालय के अधीन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह किस वातावरण में चल रहा है। आज हमारा एक पड़ोसी है पश्चिमी सीमा पर जिससे हमारे संबंध बहुत मधुर नहीं हैं और उसका क्या हस्तक्षेप रहता है यह हम सब कई वर्षों से जानते हैं और उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उत्तरी क्षेत्र में नेपाल है, चीन है, उनकी सीमाओं पर हम किस तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन बातों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बंगला देश और म्यांमार से किस तरीके से हमारे संबंध सुधर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी उनके सुधरने की स्थिति पर भी रुकाव आता है, उस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आंतरिक सुरक्षा का विषय केवल देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा का विषय नहीं रह गया है। भारत एक प्रगतिशील, एक बढ़ता हुआ विकासशील राष्ट्र है, जिसकी प्रगति में हम सबका योगदान है। मैं गर्व से कहता हूं कि केवल एक पार्टी का नहीं, हर राज्य जो प्रगति कर रहा है, उसका योगदान है, हर पार्टी का योगदान है, जिसने अपने-अपने राज्यों में प्रगति की है और हमारी प्रगति को देखकर कई राष्ट्र और दूसरे तरीकों से भी हमारे यहां चोट करना चाहते हैं। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जानना जरूरी है। हमारी चार मुख्य चुनौतियां हैं – जम्मू और कश्मीर की, आंतरिक सुरक्षा की, उत्तर-पूर्व राज्यों की और लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिज्म की।

महोदय, सबसे पहले मैं जम्मू और कश्मीर के विषय पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि अनुराग भाई ने सबसे ज्यादा समय जम्मू और कश्मीर के संबंध में लिया है। जम्मू और कश्मीर को लेकर इनके बहुत पुराने स्लोग हैं, जिन्हें ये बार-बार दोहराते रहते हैं। मैं इस बात को गर्व के साथ कहूंगा कि पिछले दो-तीन साल में जिस तरह से जम्मू और कश्मीर के हालात में सुधार हुआ है, उतना शायद पिछले 15-20 सालों में उस तरह के वातावरण का माहौल जम्मू और कश्मीर में बना नहीं है। हर चीज आंकड़ों में नहीं कही जा सकती है, लेकिन कभी-कभी आंकड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं।

महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इस तरह की एक भी घटना होनी चाहिए, लेकिन इन घटनाओं में कमी आई है, इसलिए मैं आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2005 में अगर 1990 आतंकवाद की घटनाएं हुई थीं, आज वर्ष 2011 में केवल 340 घटनाएं हुई हैं। यह संतोष की बात नहीं है कि इनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन ये घटनाएं कम तो जरूर हुई हैं। अनुराग जी ने सही बात कही है कि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बढ़ती हुई प्रगति एक राज्य में बढ़ता हुआ जो शांति का वातावरण है, यह उसका उदाहरण है। वर्ष 2010 के समय रैली में जो उत्पात हुआ था, वहां के यूथ के सामने आ कर जो आक्रोश प्रकट किया था, उसके बाद एमपीज़ का जो डेलिगेशन वहां गया, आठ सूत्रों पर एक विकास का कार्यक्रम चालू हुआ, शायद 28 हजार करोड़ रुपयों का प्रधानमंत्री जी ने पैकेज एनाउंस किया, कई पावर यूनिट्स बने, तीन-चार मेजर सड़कों के निर्माण का काम शुरू हुआ। हमारे प्राइवेट सैक्टर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सात-आठ हजार यूथ को नौकरी देने की पहल की और कई जगहों पर निर्माण का काम आरंभ हुआ तथा नई इंडस्ट्री लगी। इन सबकी वजह से आज जम्मू और कश्मीर में पीसफुल वातावरण का निर्माण हुआ है और आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। बहुत-सी चीजें इस बात को सच साबित भी करती हैं।

मैं अमरनाथ यात्रा का उदाहरण देना चाहता हूं। अमरनाथ यात्रा को कंट्रोवर्शियल करके ये लोग आज से दो-तीन साल पहले वहां सीटें जीतना चाहते थे। गृह मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जितने यात्री पिछले सात-आठ सालों से जाते थे, जो आज की तुलना में वे आंकड़े भी सदन के समक्ष रखें। मुझे इतना मालूम है कि जब इनकी सरकार थी, तो अमरनाथ में करीब 80 से 90 हजार तीर्थयात्री जाते थे, लेकिन इस साल रिकॉर्ड हुआ है और साढ़े छह लाख यात्री अमरनाथ यात्रा में गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि कौन हिन्दू धर्म की सेवा करता है। हम देशवासियों की सेवा करते हैं, इनमें हिन्दू धर्म भी है और हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। हम आपकी तरह अपनी कमीज के ऊपर लिख कर नहीं घूमते हैं कि जरा-सी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उसे कोशिश करें कि जम्मू में चार सीटें जीत जाएं। चौधरी लाल सिंह और मदन लाल शर्मा जी ने दिखा दिया कि उस कंट्रोवर्सी का साल के बाद क्या नतीजा निकलता है। आप भी इन बातों से सीखिए।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

आप बात करते हैं कि हम देश को बांटते हैं, वे इस बात को याद कर लें कि अगर अस्सी परसेंट हिन्दू को देश का समझते हैं, तो बाकी बीस परसेंट लोग भी इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश की औलाद हैं, इसी देश की धरोहर हैं और इसी देश के रहेंगे। देश को बांटना या न बांटने का सबब आप हमें मत सिखाइएगा। इस देश के निर्माण में बहुत पहले से जिस पार्टी ने और जिस विचारधारा ने योगदान दिया है, वह देश की प्रमुख धर्मनिरपेक्षता की नीति को निर्धारित करती है। आप पीसफुल तौर तरीके की बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर की शांति की, आज जम्मू और कश्मीर में जिस तरह के हालात सुधरे हैं, उसके लिए मैं साधुवाद जम्मू और कश्मीर की सरकार को देना चाहता हूं, गृह मंत्री जी को, भारत सरकार के प्रयासों को और आल पार्टी डेलिगेशन को, जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी थे। आज हमें बहुत वर्षों के बाद लग रहा है कि विकास के साथ और संवेदनशीलता के साथ जम्मू और कश्मीर में जो हालात हैं, वे और भी जल्दी बेहतर होंगे। ऐसा प्रदेश जो हम सबके लिए प्रिय है, जहां के लोग हम सबके लिए प्रिय हैं, जहां के कुछ लोग कभी-कभी दूसरे लोगों के कारण भटक जाते हैं या विदेशी ताकतों के कारण, वे नौजवान भी वापिस आएंगे और इस देश के उसी तरह से नागरिक बनेंगे, जिस तरह से आप और हम हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति के लिए गृह मंत्री जी को मैं विशेषकर साधुवाद देता हूं।

महोदया, अब नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स की बात आती है। आपने सही बात कही कि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स का बड़ा पैचीदा मसला है। उसमें पैसा भी दिया गया है, विकास की भी कोशिश की है। लेकिन नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ अपने मसले हैं, कहीं मिलीटैंसी है, कहीं अलग-अलग तरह की सैपरेटिज्म है और छोटे-छोटे राज्य होने के बावजूद हर राज्य में दो-दो, तीन-तीन और चार-चार घटक दल हैं, जो अलग-अलग विचारधाराओं से अपनी बात करते हैं। कोई हथियार उठाए हुए हैं, कोई पीसफुल तरीके से किसी चीज की डिमांड करता है, कोई अपने तरीके से करता है। जो दो सौ एथनिक ग्रुप्स हैं, हमारे सात या आठ राज्यों में, वे अपने तरीकों से अपनी बात रखते हैं, इसलिए नार्थ-ईस्ट की समस्या बड़ी पेचीदा बन गई है। लेकिन इस बात से हमें संतोष होता है कि कुछ राज्यों में जिनमें मिजोरम और सिक्किम प्रमुख हैं, हर तरीके से शांति आयी है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यदि आप देखें तो वहां की संस्थाएं जो या तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या आतंकवादी गतिविधियों में कहीं न कहीं सम्मिलित थे, उनमें से अधिकांश ने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। कई जगहों पर हथियार डाल दिए हैं, कई जगहों पर बातचीत चल रही है, जिनमें उल्फा जैसे प्रमुख संगठन भी हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले पांच साल में जो प्रगति आयी है, हमारे इंटरलोक्योटर्स, जिनमें हलदर साहब प्रमुख हैं, वहां के तमाम घटक दलों के साथ बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां के विकास में धीरे-धीरे प्रगति आयी है, मुझे विश्वास है कि नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में भी हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें भी कुछ चेतावनियां दी गई हैं कि यह मसले कॉम्पलीकेटिड हैं और इन मसलों को समझ लेना कि बहुत आसान तरीके से सुलझा सकेंगे, यह निकट भविष्य में पॉसीबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि अवश्य ही फर्क पड़ेगा।

महोदय, अब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म की तरफ आते हैं। अनुराग जी आपने बड़ी लम्बी चर्चा की और कहा कि कुछ लोग यहां ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म का समर्थन करते हैं। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, हो सकता है, इधर हों, उधर हों, कहीं हो, कुछ लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म के बारे में अपने विचार रखते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि गृह मंत्री जी का क्या मत है और यूपीए सरकार का एकमत क्या है और मत यह है कि वहां के गरीब, आदिवासी का, जिसका पिछले कई वर्षों से तमाम परिस्थितियों के कारण शोषण हो रहा है। जिस कारण से हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग इस तरह के संगठनों द्वारा आकर्षित हुए हों, वह अपने में सत्य है। लेकिन उसका जिस तरह से माओवादियों ने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्हें गुमराह किया है और आज इस राष्ट्र के लिए शायद माओवादी सबसे बड़ी चुनौती बना है, पूरा यूपीए और यूपीए सरकार एकमत है कि देश के सामने आज अगर सबसे बड़ा प्रश्न है तो माओवादियों का प्रश्न है और उसको हटाने और मिटाने में राज्य सरकारों को जिस तरह की भी भारत सरकार की मदद मिलेगी, सम्पूर्ण तरीके से वह मदद मिलेगी, बल्कि मुझे लगता है कि पिछले 50-60 सालों में अगर किसी गृह मंत्री ने सबसे साफ तरीके से माओवादियों के खिलाफ बयान दिया है तो हमारे गृह मंत्री जी ने दिया है, किसी और गृह मंत्री ने इस तरीके से साफ रूप से उसका बयान नहीं दिया है।

मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार कई एलीमेंट्स माओवादी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, जो कई बार उन लोगों की करूणा, उन लोगों के दर्द को माओवादियों से कनफ्यूज करते हैं। इसको हमें कनफ्यूज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि

आज से 25-30 साल बाद पहले, जब मैं बहुत छोटा था, उस समय नक्सलबाड़ी में आंदोलन हुआ था। उसके बाद जब नक्सलवादी आइडियोलॉजी फैली थी, हो सकता है कि कुछ ऐसा नेतृत्व रहा होगा, जो मन में उन गरीबों के प्रति करूणा रखता होगा और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों ने उद्वेलित होकर हथियार उठाए होंगे। उनका मैं समर्थन भी करता है, लेकिन हिस्टोरिक रूप में इसके कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन आज जिस तरीके का नक्सलवाद है, आज जिस तरीके के माओवादी ग्रुप्स हैं, सबसे पहले ये विकास के खिलाफ हैं, ये गरीबों के खिलाफ हैं, ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो चाहते हैं कि हमारा गरीब समाज भी किसी तरीके से बेहतर बन सके। वे स्कूलों पर क्यों हमला करते हैं, सड़कें क्यों नहीं बनने देते हैं, अस्पताल वे क्यों नहीं बनने देते हैं, उनमें नर्सिज और डॉक्टरों को क्यों नहीं जाने देते हैं? इन सब प्रश्नों का जबाव यही है कि वे चाहते हैं कि वहां के समाज के लोग और भी बुरी हालात में जिएं। आप तो जानते हैं महोदय कि माओवादी आइडियोलॉजी में कुछ लोग इस बात को समझते हैं और कई बार इस बात को अपनी तरफ से आर्टिकुलेट करते हैं कि पीड़ा इतनी ज्यादा कर दीजिए, दुःख को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए, गरीबी इतनी ज्यादा कर दीजिए कि उस व्यक्ति के पास और कोई उपचार न बचे, वह केवल हमारी बंदूक के नीचे हमारे संरक्षण में रहे। कभी-कभी लोगों को उस परिस्थिति में रखना, गरीबी में रखना भी शायद उस परिस्थिति में रखना भी शायद माओवादियों की एक सोची-समझी रणनीति है, जिसके खिलाफ हम सब को काम करना चाहिए।

महोदय, अनुराग जी ने भी यह बात कही है कि कुछ दो-चार घटनाएं हाल ही में हुई हैं और कुछ समय से चलती चली आ रही हैं। हमारे करीब 90-96 जिले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से पीड़ित हैं। इसमें भारत सरकार सीधा रोल नहीं है। गृह मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि भारत सरकार राज्यों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म को मिटाने में सहयोग कर सकती है। यह बहुत आसान सवाल नहीं है। सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, पीस और फॉरेस्ट राइट्स, इन तीन चार चीजों को सम्मिलित करके ही एक पैकेज बनता है, जिससे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म का धीरे-धीरे मुकाबला कर सकते हैं और उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखें कि कितनी तरह की बटालियन आज भारत सरकार के सहयोग से बनायी हुई हैं। शायद दस स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन नयी बनायी गई हैं, नॉर्थ-ईस्ट के लिए 48 बटालियन बनायी गई हैं। 20 के करीब न्यू इंटेंसिव ट्रेनिंग स्कूल्स बनाये गये हैं जिनको सीआई-80 कहा जाता है। एक बीएसएफ के अंदर जंगल वॉर फेयर का नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। अगर गृह मंत्रालय की या यूपीए सरकार की कटिबद्धता माओवादियों को खत्म करने के लिए नहीं होती तो क्यों इस तरीके से कदम उठाये जाते? हमने हर जगह मजबूत किया है भले ही सीधा दायित्व न हो, बहुत सी जगहों पर जिस तरह की फंडिंग आज भारत सरकार ने माओवादियों और आतंकवाद को कम करने के लिए दी है, चाहे उनको स्पेशल एलाउंसेज दिये हों या चाहे और चीजें दी हों।

खासकर एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास करीबन 800 या 1000 ऐसे पुलिस थाने हैं और बहुत से सांसद शायद इस बात को नहीं जानते हों और मुझे भी जिंदगी में एक बार थाने में जाने का मौका मिला था लेकिन इन आंकड़ों से मैं परिचित नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे थाने हैं जहां शायद एक या दो टोटल पुलिस वाले रहते हैं और शायद लाठी भी उनके हाथ में नहीं है क्योंकि हथियार वे इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि किसी भी समय माओवादी आकर हमारे हथियार उठाकर ले जाएंगे। आज मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक योजना के अंदर 800 ऐसे थाने इन्होंने चुने हैं जिनको दो-दो करोड़ रुपये की लागत से फोर्टिफाइड थाना बनाया जाएगा और कम से कम 400 ऐसे थाने बनेंगे जहां 30 से 40 पुलिस वाले इनके बनने के बाद रह सकेंगे। उनके पास कुछ हथियार हो सकेंगे और जब पुलिस और थाना बनेगा तो हमारी नर्सेज वहां आ सकती हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ अध्यापक जा सकते हैं, सिविल इंजीनियर कुछ काम करने के लिए जा सकते हैं और वे लोग जा सकते हैं जो जनता से जुड़े हुए विकास के काम कर सकें, कम से कम वे लोग उन इलाकों में जा सकेंगे।

अगर यह छोटा सा प्रोजेक्ट उन सरकारों और भारत सरकार के बीच बढ़ते हुए कांफीडेंस का उदाहरण नहीं है तो और क्या उदाहरण आपको चाहिए? भारत सरकार की बनायी हुई फोर्सेज आज राज्य सरकार की फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं। आज जब जरूरत पड़ती है, फंडिंग वहां मुहैया करवायी जाती है बल्कि एक प्लानिंग कमीशन के स्पेशल फीचर के अंदर 7.5 हजार करोड़ रुपये के करीब पैसा नई सड़कों के लिए दिया गया है। इंटेंसिव एरिया प्रोग्राम प्लानिंग कमीशन का बनाया गया है जिसके अंदर 1510 करोड़ रुपया खर्च हो गया है और शायद 1000 या 1500 करोड़ रुपया और दिया जा रहा है। मुझे इस बात को जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि शायद 66000, मेरे आंकड़े सही नहीं हैं। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे आंकड़े तय करें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स

[श्री सन्दीप दीक्षित]

पिछले साल दो साल में आतंकवादी वाले डिस्टर्ब्ड एरियाज में किये गये हैं जो विकास से जुड़े हुए थे और जिनकी जरूरत वहां के लोगों से पता की गई और लोगों द्वारा क्रियान्वित किये गये जिनसे विकास की छोटी-छोटी आवश्यकताओं में बहुत ज्यादा सकारात्मक असर पड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से यदि विकास होता रहेगा और पुलिस फोर्सेज सशक्त होती रहेंगी तो अंत में एक ऐसी लड़ाई जो भारत के संविधान, भारत की सर्वप्रभुता और भारत की अखंडता के खिलाफ हमारे 90 या 96 जिलों में लड़ी जा रही है, उन पर हम धीरे-धीरे विजय प्राप्त करेंगे।

कभी-कभी यह जरूर लगता है और इसमें मैं किसी राजनैतिक दल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कभी-कभी हमें लगता है कि कई राज्य जो हैं, वे आतंकवाद के खिलाफ एक नीति नहीं रख रहे हैं। किसी राज्य का मुख्य मंत्री कभी कोई बयान दे देता है कभी किसी राज्य का मुख्य मंत्री कोई बयान दे देता है। मुझे मालूम है हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कम से कम एक नीति होनी आवश्यक है, ऐसा मैं सभी से अनुरोध करूंगा क्योंकि हमारे लिए तो ये राज्य हैं, हमारे लिए तो सीमित एरियाज जो हैं, वे पोलिटिकल बाउंडरीज हैं जिनके बाहर हमारी रिट नहीं चलती है लेकिन आतंकवादियों के लिए सम्पूर्ण इलाका एक है। अगर उसे कहीं भी कमजोर राज्य दिखता है या ऐसी राज्य सरकार दिखती है जो उनके प्रति एक अलग नीति रखती है तो एक जिले से दूसरे जिले में जाने में उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। जब ग्रेआउंस के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना इलाके में आतंकवाद के खिलाफ एक धावा बोला था तो सारे के सारे वहां से बस्तर जिले में, ओडिशा के कोरापुर जिले में और महाराष्ट्र के जिलों में भाग गये। बड़ी आसानी से चले गये थे और अपने दलों का वहां निर्माण कर दिया। हमें भी समुचित नीति के साथ कम से कम उस इलाके में जिसको ट्राईबल बैल्ट कहते हैं जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है, एकजुट होकर हमें उनका मुकाबला करना होगा।

इसके साथ-साथ बात आती है कि इंटरनल सिक्योरिटी में और क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? बहुत से कदम उठाये गये हैं। एनआईई की बात कही गयी। अनुराग भाई ने भी एनआईई की बात कही। उन्होंने एनआईई की प्रक्रिया पर कुछ बात कही। उसके साथ-साथ एक नेशनल ग्रिड के निर्माण की बात कही जा रही है। जब आपने बात कही थी कि वीजा के प्रति हमारी क्या नीति है तो वीजा पर जो नयी योजना आई है जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड वीजा प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिसमें कम से कम 51 ऐसे देश हैं जहां से शायद 50-60 प्रतिशत हिन्दुस्तान में आने वाले लोग वहां से आते। उनमें इस तरीके की नीति का क्रियान्वयन किया गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

आज हमारे पूरे कोस्टल एरिया में जहां पहले शायद ही कोई पुलिस थाना होता था, 73 नये कोस्टल पुलिस स्टेशंस बन गये हैं और 100 के करीब और नयी बोट्स ली जा रही हैं। आज बंगला देश के बॉर्डर पर जो फेंसिंग का काम चल रहा था, शायद 70 से 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। उसकी फ्लड लाइटिंग का और साथ ही सड़कों का काम चल रहा है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बॉर्डर की फेंसिंग लगभग पूरी हो गयी है। हमारी 27 क्रिटिकल सड़कें इंडो चाइना बॉर्डर पर मानी जाती हैं और बार-बार यह बात आती थी कि हिन्दुस्तान में इस तरह की सड़कें नहीं बनती हैं। मुझे भी इस बात को जानकर बहुत संतोष हुआ कि 23 सड़कें बना ली गई हैं और निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है।...*(व्यवधान)* आपके समय में वह नहीं थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल श्री सन्दीप दीक्षित जी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : आप फेंसिंग की बात पता कर लीजिए। आप बात सुनिए। जो मैंने आंकड़े दिये हैं। ये सही आंकड़े दिये हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं। मैंने आपको नहीं टोका था जब आप अपनी बात बोल रहे थे। क्या पुलिस थाने नहीं बने हैं? क्या कोस्टल पुलिस स्टेशंस नहीं बने हैं?...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दीक्षित, कृपया अपना भाषण जारी रखें। श्री अनुराग जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : अनुराग जी, ये सब काम चलते हैं। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ते तो पता चलता। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां उनको बताना आवश्यक नहीं है। अगर कोस्टल में इतना ही था तो आप भी अपने समय में बना लेते। इसलिए इन सब बातों में मत जाइए। मैंने पहले ही कहा था कि किसी एक पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से फर्क नहीं पड़ता है। ये कार्य अभी किये गये हैं। अभी मैं चाहूं तो कह दूं कि आपने भी मुम्बई के पहले क्यों नहीं सोचा था? आज नयी परिस्थिति बनी है। कोस्टल एरियाज में हमें पता चला है कि सिक्योरिटी का काम करना है और मैं गृह मंत्रालय को बधाई देता हूं। आपके शासित राज्यों को लगता है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो गृह मंत्री जी से बात करिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो कमी होगी, वह भी ये पूरी करेंगे।

अपराह्न 3.03 बजे

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

लेकिन जो आपने नहीं सोचा, कम से कम इस सरकार ने उसको सोचा है। उसको क्रियान्वित किया है और उस पर कार्य कर रहे हैं।

अगर फेंसिंग की बात आप जानना चाह रहे थे, पार्लियामेंट पर अटैक कब हुआ?

श्री निशिकांत दुबे : जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। ...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित : माफ कीजिएगा आप तो यहां हैं, आपके लौह पुरुष उस समय भारत के गृह मंत्री थे जिनके अधीन दिल्ली की सिक्योरिटी थी और किसी की नहीं है। आज आप जो कमेंट कर रहे हैं, वह कमेंट आप आडवाणी जी के खिलाफ कर रहे हैं, मेरे खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आडवाणी जी गृह मंत्री थे और दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके अधीन थी। आपका यह कमेंट उनके खिलाफ है। कांग्रेस के मुख्य मंत्री का दिल्ली पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है। आपके गृह मंत्री का है, आडवाणी जी का है जो उस समय गृह मंत्री थे। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। ये कुछ बातें मैंने इसलिए गिनवाईं क्योंकि बार-बार एक माहौल बनता था कि शायद उस तरीके से हम लोग मुस्तैदी से आतंकवाद का, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याओं का मुकाबला नहीं कर रहे हैं जो शायद लोगों के मन में अपेक्षा थी और ये आंकड़े देने का मतलब यही था कि गृह मंत्री जी का विभाग जो है, वह मुस्तैदी से डंटा रहा है और न केवल जम्मू कश्मीर में घटनाएं कम हुई हैं बल्कि पूरे देश में मेजर इंसीटेंड्स हैं, वे कम हुए हैं।

अनुराग जी, आपने बड़ी आतंकवादी घटनाओं की बात कही थी आपने ये भी कहा था कि एक भी इंसटेंस हो जाए और किसी एक नेता का आपने उदाहरण दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वह नेता जब भी कुछ कहता है, आधे आधे घंटे उसकी बात पर टिप्पणी संसद में जरूर करनी पड़ती है।

श्री निशिकांत दुबे : लेकिन आप उसके पीछे चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित : हम तो चलेंगे, हमारा नेता है हम अपने नेता के पीछे चलेंगे, गर्व से चलेंगे। आप नहीं बता सकते कि हमारा नेता कौन है। हम अपने नेता पर गर्व करते हैं और उस नेता के पीछे हमेशा चलेंगे। मैं आपको बता दूं आप अपने नेता के पीछे चलिए, वह जहां भी आपको लेकर जाता हो। उसी नेता ने दिल्ली में संसद का हमला भी करवाया था, इस बात को मत भूलिएगा।...*(व्यवधान)* लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 2006 से पहले, 2004 में हर साल इस देश में जितने बड़े आतंकवादियों के इंसीडेंट्स होते थे, उनके आंकड़े दीजिए और वर्ष 2006 के बाद खास तौर से 2008 के मुम्बई इंसीडेंट के बाद इस देश में कितने बड़े आतंकवादी इंसीडेंट्स हुए हैं, उनके भी आंकड़े दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि मुम्बई हमले के बाद दिल्ली होई कोर्ट और एक और बड़ा इंसीडेंट है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, केवल दो बड़े आतंकवादी इंसीडेंट्स हुए हैं जबकि आपके राज्य में छः या सात हर साल हुआ करते थे जिसमें आज बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। आज उस तरह के इंसीडेंट्स नहीं दिखते हैं जो आपके जमाने में दिखा करते थे। लौह पुरुष के अंडर यह देश सेफ नहीं था। माननीय चिदंबरम जी के अंडर यह देश आपके जमाने की तुलना में दस गुना ज्यादा सुरक्षित है, दस गुना ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी है और रहेगी।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

महोदय, मैं तीन-चार चीजें जरूर कहना चाहता हूं और आपकी तवज्जोह चाहता हूं। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं हम सबको प्रभावित करते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं जिसमें एक मुद्दा यह है कि बाकी राज्यों में पुलिसिंग आपके अंडर नहीं है, यह लॉ एंड आर्डर भी आपके अंडर नहीं है। अभी हमारे मित्र ने दिल्ली पुलिस की बात कही। दिल्ली पुलिस जरूर सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। मुझे मालूम है गृह मंत्रालय के पास और बहुत से कार्य रहते हैं और यह एडीशनल बर्डन है। किसी भी कारण से दिल्ली पुलिस का भार भारत सरकार ने ले रखा है। मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहूता हूं कि आप और आपका विभाग दोनों बहुत सशक्त हैं, दोनों में बहुत ज्ञान है, इंटेलीजेंस है। क्योंकि बीच-बीच में दिल्ली पुलिस की कमियों और खामियों के बारे में अखबारों में चर्चा होती है और दिल्ली का सांसद होने के नाते मैं स्वयं भी प्रभावित होता हूं। आप दिल्ली पुलिस के लिए कोशिश कीजिए और अगर हो सके तो दिल्ली को एक मॉडल पुलिसिंग स्टेट बनाने की कोशिश करें।...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे : एमसीडी को तोड़ेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित : एमसीडी को तोड़ने की बात सर्वसम्मति से पास हुई थी। पहले आप अपने 23 एमएलए से बात कीजिए फिर हमसे बात कीजिएगा। आपके ही जो पहले सांसद मित्र हुआ करते थे, उन्होंने तो पांच टुकड़ों की बात कही थी।...*(व्यवधान)* हमने तो केवल तीन किए हैं।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं, आपके पास अक्सर खबर नहीं पहुंचती होंगी दिल्ली में भी उस तरह की कुरीतियां पुलिस में दिखाई पड़ती हैं, यहां के थानों में कमजोरियां दिखाई देती हैं जो हिंदुस्तान के और दूरदराज इलाकों में दिखती हैं, यह बहुत दुख की बात है। दिल्ली हम सबकी राजधानी है, गौरव का प्रतीक है तो यहां की पुलिस भी गौरव की प्रतीक होनी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इस पर कुछ समय आप और आपका मंत्रालय देगा तो हम दिल्ली में बेहतर पुलिस व्यवस्था की तरफ बढ़ सकेंगे।

महोदय, अनुराग ठाकुर जी ने तेलंगाना के बारे में कहा। अनुराग जी भूल गए कि कितने अच्छे और साफ सुथरे तरीके से शायद पिछले सत्र में माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया था और बताया था कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी जब उन्होंने तेलंगाना की एनाउंसमेंट की थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अन्य इलाकों में क्या परिस्थिति बनी जिस कारण से उसमें कुछ तब्दिली आई और भारत सरकार आगे सोचने के लिए विवश हुई। जिस पार्टी का उनमें से किसी भी एक राज्य में स्टेट नहीं है, केवल एक राज्य की डिमांड को लेकर स्टेट बनाना चाहता है, वही नहीं समझेंगे कि कभी परिस्थिति में एक तरफ के पलड़े में कोई दिक्कत होती है तो दूसरे में क्या होगी।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हमने तीन बनाए थे।...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित : आपका आंध्र में कोई नहीं है, तेलंगाना में कोई नहीं है। आप तेलंगाना में अपनी जगह ढूंढ़ रहे हो और इसलिए इस भावना से जुड़ना आपके लिए बहुत आसान है।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : वहां 700 लोगों की जानें गई हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित : किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए या किसी भी देश के लिए आसान नहीं है कि 60 प्रतिशत लोगों की भावना को दरकिनार कर दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनुराग सिंह ठाकुर, आप पहले ही बोल चुके हैं। माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, चर्चा का उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* अनुराग जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। आप मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)* मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अब जिस तरह से एनआईए के काम चल रहे हैं, अन्य संस्थाओं और संगठनों के काम चल रहे हैं, इस बात से भी आपको सधन्यवाद देता हूं और शायद हमें भी जानकारी नहीं थी, हमें रिपोर्ट पढ़कर जानकारी मिली है कि पिछले तीन वर्षों में 60 टेररिस्ट मॉड्यूल पुलिस फोर्स ने हिन्दुस्तान में बर्बाद किए। लेकिन ये बात कभी उजागर नहीं होती है। एक

आध टेररिस्ट इंसीडेंट हो जाता है तो वह अखबारों में छपता है लेकिन पुलिस आपके नेतृत्व में मेहनत करके, जान जोखिम में डालकर मॉड्यूल्य को बर्बाद करती है तो हम कभी उठकर सलाम नहीं करते हैं। मैं गृह मंत्री जी आपको और आपके तमाम संगठनों को सलाम करता हूं कि ऐसा साठ माड्यूल्स आपने पिछले तीन साल में बर्बाद किये हैं, जिनमें जैश-ए-मौहम्मद का एक महत्वपूर्ण माड्यूल भी इस साल बर्बाद किया है और आतंकवाद की लड़ाई में यह बहुत आगे जायेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कई जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। आज एनआईए है, एनसीटीसी में जो भी प्रावधान मुख्य मंत्रियों के साथ मिलकर आपकी एक साझा सम्मति बनेगी, उसके अंदर भी कुछ प्रावधान आयेंगे। हिन्दुस्तान के कई इलाकों में अलग-अलग समुदाय के लोग, अलग तौर-तरीके के लोग हैं, जो कभी अरैस्ट होते हैं, कभी पकड़े जाते हैं और कभी उन पर केस चलता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि पुरानी लड़ाइयों में दुश्मन आइडेन्टिफाइड था, आपको पता चलता था कि आपका दुश्मन कौन है। अभी आतंकवाद में क्या दिक्कत होती है कि जो आदमी आप ही के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वह आप जैसा लगता है। आप ही के पड़ोस में रहता है, आपका भाई, बहन या बंधु होता है। इसलिए कभी-कभी समुदायों को या समाजों को इस बात को स्वीकार करने में मुश्किल होती है कि कल जिसके साथ मैं चाय पी रहा था या जिसकी लड़की के साथ मैं साइकिल पर घूम रहा था, जिसके साथ मैं फिल्म देख रहा था या जिसके साथ मैं बातचीत करता था, उसके ही परिवार का कोई आदमी आतंकवादी निकला या उस पर संदेह है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी इन परिस्थितियों में आप अगर कोई मैकेनिज्म डैवलप कर लें जिस कारण से समुदाय को भी कांफिडेंस में ले सके तो यह लगेगा कि न केवल न्याय किया जाए अपितु ऐसा लगे कि न्याय किया गया है। इसलिए कभी-कभी हमारे यहां लोगों के बीच में एक फीलिंग आती है और हर तरीके से हर राज्य में आती है, उसे भी ज्यादा बेहतर रूप से लोगों को कांफिडेंस में लेने में गृह मंत्रालय और आपके तमाम संगठन बहुत आगे जा सकेंगे।

महोदय, मैं इन बातों के साथ बहुत संतोष से कहना चाहता हूं कि पिछले चार साल में आपने बहुत बखूबी गृह मंत्रालय का नेतृत्व किया है और उस इस आशा से जिस प्रबल इच्छा से और जिस शक्ति से आपने गृह मंत्रालय को अभी तक अपना नेतृत्व प्रदान किया है, आगे भी इसी तरह से आप नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। पिछले सात-आठ साल में यूपीए सरकार के अंदर जिस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा बेहतर हुई है, हम एक और सशक्त और मजबूत देश बनकर निकले हैं। इसी के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री नीरज शेखर (बलिया) : माननीय सभापति जी, अभी माननीय सदस्य, श्री सन्दीप दीक्षित जी बोल रहे थे, मैं इनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह कह रहे थे कि हमारे गृह मंत्री आज हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इन्हीं की पार्टी ने कभी एक गृह मंत्री को इसलिए निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने एक दिन में दो-तीन बार कपड़े बदल दिए थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि गृह मंत्री कब तक रहेंगे। यह आपके हाईकमांड के ऊपर है, जब वह चाहेंगे और यदि श्री चिदम्बरम जी ने दो-तीन बार की बजाय पांच-छ: बार कपड़े बदल दिये तो हो सकता है कि यह भी हट जाएं। लेकिन इस बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो दो पक्ष और विपक्ष के लोगों के भाषण हुए, मुझे इस बात पर बहुत दु:ख होता है। कि ये लोग आपस में लड़ते हैं। जब एक जगह इंटर्नल सिक्युरटी की बात हो रही है तो हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में नक्सलवाद और माओवाद की कितनी गंभीर समस्या है। लेकिन आज हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आज इस सदन में यह संदेश जाना चाहिए था कि हम एकजुट हैं और हम इनके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए हम सब लोग गृह मंत्री जी के साथ हैं। आज मुझे वह दिन नहीं भूलता है कि जब दंतेवाड़ा में 76 जवानों की जान गई थी और मैं सोचता था कि उस दिन हमारे माननीय मंत्री जी अपने ऊपर इसका दायित्व लेते कि यह उनकी गलती से हुआ और मैं मानता हूं और आज मैं सदन में कहना चाहता हूं कि उस घटना का दायित्व गृह मंत्री जी को लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी गलती से वह घटना घटी थी। हम लागों को माओवादी लोगों को भड़काने की जरूरत नहीं है, हमें उनके साथ आज बात करने की जरूरत है। दोनों तरफ से हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हमें उनके साथ लड़ना भी है और उनके साथ हमें बात भी करनी है। मुझे इसलिए भी दु:ख होता है कि उनमें से कई लोग मेरे क्षेत्र बलिया से थे। जब मैं उनके घर गया तो मुझे वहां के लोगों से पता चला कि जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन्हें एक महीने की ट्रेनिंग के बाद दंतेवाड़ा भेज दिया गया। एक महीने में उसे 21 या 22 साल के नौजवान ने क्या ट्रेनिंग ली होगी कि वह वहां लड़ने चला गया। आज हम अपने जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे दु:ख है कि आज दोनों पक्षों के लोगों ने उन जवानों की बात नहीं कही। 21 साल का वह व्यक्ति एक महीने

[श्री नीरज शेखर]

की ट्रेनिंग के बाद वह दंतेवाड़ा गया, जबकि उसकी नई-नई शादी हुई थी। माननीय मंत्री जी ने उस दिन घोषणा भी की थी कि इन लोगों को 15 दिन में मुआवजा मिल जायेगा, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। कुछ मुआवजा मिला है, लेकिन पूरा मुआवजा आज तक नहीं मिला है। अब कहा जाता है कि हम लोगों ने बोला था कि उन लोगों के परिवार वालों को गैस एजेंसी आदि देंगे, वह सब खत्म हो चुका है, अब उन लोगों को नहीं मिलेगा। हमें अपने जवानों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज कहा जाता है कि जहां पर माओवाद फैल रहा है, हम उन क्षेत्रों में विकास के कार्य करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वहां विकास के कार्य हों, वहां के लिए पैसा भी दिया गया है, लेकिन वहां कैसे कार्य हो रहे हैं, कहां कार्य हो रहे हैं? जो उस क्षेत्र से हमारे सांसद आते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम लोगों के वश में तो कुछ है ही नहीं, सारे कार्य वहां का डी.एम. देखता है, वहां का सी.डी.ओ. देखता है। जो व्यक्ति वहां कुछ महीनों से काम कर रहा है, वह वहां के बारे में ज्यादा जानता है या वहां का सांसद वहां के बारे में ज्यादा जानता है। वहां का विधायक वहां के बारे में ज्यादा जानता है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है, बात वहां के डी.एम. की सुनी जायेगी। आपको अपने लोगों पर तो विश्वास है ही नहीं। हमें अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए। आप अपने सांसदों को दायित्व दें कि वहां पर काम करायें, वहां पर विकास के काम हों, वहां के लोगों से बात करें। डी.एम. और एस.पी. वहां पर दो महीने के लिए जाते हैं और उसके बाद वे किसी और क्षेत्र में चले जायेंगे। आधे लोग तो उन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों के लोग वहां जान का जोखिम डालकर काम करते हैं, वहां रहते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया जाता है। आज हम लोगों को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को विकास के काम भी वहां पर करने चाहिए। वहां पर माओवाद को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? अगर पिछले 63 सालों में वहां जो प्राथमिक सुविधायें होनी चाहिए थीं, वे भी नहीं मिलती हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सड़क नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो लोग माओवाद के साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसके साथ जुड़ेंगे। आज आप वहां पर कहीं भी चले जाइये, छत्तीसगढ़ में चले जाइये, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में चले जाइये, बिहार में चले जाइये, वहां पर आज भी मूलभूत सुविधायें नहीं हैं। जब तक उनें मूलभूत सुविधायें नहीं मिलेंगी, हम लोग कहते हैं कि वे उनके साथ क्यों जा रहे हैं, किसलिये जा रहे हैं, लोग उनसे इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमें यहां पर जरूर कुछ मिल जायेगा, लेकिन अगर हम सरकार के भरोसे बैठ रहेंगे तो 63 साल निकाल गये हैं, और 63 साल निकल जायेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उन क्षेत्रों के बारे में सोचें, वहां के विकास के बारे में सोचें। हम लोग 1600 करोड़ रुपया दिल्ली के फुटपाथ बदलने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन पीने के पानी और सड़क के लिए हम लोग छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और यू.पी. के कुछ इलाकों में काम नहीं करते हैं। आज जरूरत है कि उनसे बात की जाये। जब पिछली बार हमारी सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, जब यू.पी. में माओवाद की शुरूआत हुई थी, उन लोगों से बात की। उन लोगों की कुछ मांगें थीं कि हमारे यहां सड़क दी जाये, बिजली दी जाये, विद्यालय बनाये जायें और वहां माओवाद खत्म हो गया। अगर आप उनसे बात करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, वे सब लोग चाहते हैं कि भारत में रहें, भारत को एक शक्तिशाली देश बनायें, लेकिन अगर उनकी बात ही नहीं सुनी जायेगी, उन्हें लगता है कि इस सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है तो वे गलत रास्तों पर भटकेंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्सटर्नल, जो बाहर की ताकतों से हमें खतरा है, आज कहा जाता है कि जैसे 9/11 के बाद अमेरिका ने कर दिया, वहां पर उसके बाद से कोई घटना नहीं घटी। हम अपनी और अमेरिका की तुलना नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री जी के पास बहुत सारे काम हैं और हमारे पास ऐसी सुविधायें नहीं हैं, जो अमेरिका के पास हैं, लेकिन उन्हें रोका जा सकता है। हम उन लोगों को एक संदेश दे सकते हैं कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग हर घटना के बाद यह बात जरूर कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। कई घटनायें घटी हैं, मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि 26/11 के बाद कोई घटना नहीं घटी है। करीब 7 घटनाएं उसके बाद घटी हैं। जर्मन बेकरी, पुणे में, महरौली में, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वहां ब्लास्ट हुआ, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पर, जामा मस्जिद में, बनारस में, दिल्ली हाईकोर्ट पर घटना हुई और मुंबई में ब्लास्ट हुआ, कई घटनायें घटी हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद से कोई घटना नहीं घटी है। हम लोग जानते हैं कि आज घटनायें कम क्यों हो रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आज खुद अपने आप परेशान है, आज वे खुद अपने से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें

भारत के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। हमने कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर दिया है कि यहां पर घटनायें नहीं घट रही हैं। जब उन्हें मौका मिलेगा, वे फिर से यहां पर घटनाओं को अंजाम देंगे और हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एनआईए बनायी गयी, लेकिन आज वह क्या काम कर रही है? उसमें लोग ही नहीं हैं कि वे लोग काम कर सकें। जितने उसके सदस्य होने चाहिए थे, आज तक उतने सदस्य ही नहीं हैं।

उसके बाद एक नया चीज एनसीटीसी आ गया। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग नयी-नयी चीजें क्यों निकालते हैं क्योंकि उस पर काम कुछ नहीं होता। अभी नैटग्रिड की बात सन्दीप दीक्षित जी कह कर गए। उस पर क्या हुआ? चार-पांच सालों पहले उसकी घोषणा हुई थी और अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद एनसीटीसी की भी घोषणा हो जाएगी। बड़े फैनेफेयर से हम लोग उसको ले जाएंगे और उस पर भी कुछ नहीं होने वाला सिवाय इसके कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए शस्त्र के रूप में उसका उपयोग हो। इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला, मेरा यह मानना है।

मैं कुछ और समस्याओं की ओर कहना चाहता हूं कि विशेषकर केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने आदरणीय गृह मंत्री जी से पुलिस मॉड्र्नाईजेशन के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड मांगा था। हमें 100 करोड़ रुपए मिले। इससे क्या हो पाएगा? कई राज्यों में तो इससे भी कम है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पुलिस मॉड्र्नाईजेशन के लिए दिए जाने वाले फंड को बढ़ाएं क्योंकि अगर कोई भी प्रदेश में यह सामर्थ्य हो कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर ले तो उसकी पुलिस फोर्स को और बढ़ाने की जरूरत है, उसमें लोगों की भर्ती करने की जरूरत है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आपके यहां पुलिस की 60 प्रतिशत सीटें खाली हैं। आपको चाहिए कि उनको जल्दी भरें।

श्री नीरज शेखर : मैं मानता हूं। पर, इसके लिए तनख्वाह देने के लिए भी पैसे होने चाहिए। कहा जाता है कि पूरे देश में उन्नीस लाख और पुलिसकर्मी भर्ती करने पड़ेंगे और यह भी कहा जाता है कि इन्हें भर्ती करने में नौ साल लगेंगे। नौ साल बाद तो इनकी संख्या फिर से एक-दो लाख और बढ़ जाएगी। हम इन्हें क्यों नहीं भर्ती कर सकते हैं? आज देश में नौजवानों की कमी तो नहीं है। आज हजारों-लाखों-करोड़ों नौजवान साथी बेरोजगार हैं। उन्हें इसमें ही रोजगार दीजिए तो वे सुरक्षा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की पुलिस फोर्स को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है।

हमारी पुलिस के पास आज भी थ्री-नॉट-थ्री है जो प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग में लायी गयी थी। वे लोग आज भी उसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जरूरत है कि उन्हें नए हथियार दिए जाएं। आज उग्रवादियों, नक्सलवादियों, और माओवादियों के पास लेटेस्ट हथियार हैं। अब उनके पास ए.के.-57 से भी नए हथियार आ गए हैं और हम लोग थ्री-नॉट-थ्री से उनसे लड़ेंगे तो कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए जरूरत है कि आज पुलिस फोर्स को मॉड्र्नाइज किया जाए।

आज सीआरपीएफ के जवानों को देखकर और उनके बारे में सुनकर मुझे बहुत दु:ख होता है। उनके आवास की समस्या बहुत बड़ी है। वे लोग कहां-कहां पर रहते हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री नीरज शेखर : महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। कम से कम दस मिनट तो मेरा समय है, कम से कम उतनी देर बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के लिए कितना समय दिया गया है, वह मेरे पास है।

श्री नीरज शेखर : महोदय, अगर मेरा समय खत्म हो रहा है तो मैं एक-दो चीजें और बोलना चाहता था। जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, उसमें गृह मंत्रालय क्या करता है, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां नदियों के कटान से लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। वहां एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ घाघरा नदी है। चाहे बलिया हो या गाजीपुर हो, गंगा और घाघरा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं, वहां के लोगों को कटान से बड़ी परेशानी होती है। हर साल वहां की हजारों एकड़ जमीन कटान में चली जाती है। जब हम लोग राज्य सरकार से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह केन्द्र सरकार का मामला है और इसे गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन, कटान में जिन लोगों के खेत और घर चले जाते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस पर कुछ रोशनी डालें क्योंकि यह लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा है। उनके पास न घर रहता है और न खेत रहता है। जब इस बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि केन्द्र सरकार का यह

[श्री नीरज शेखर]

कहना है कि उन्हें दिया जाएगा जो बीपीएल में हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब किसी का घर और खेत चला गया तो उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। उससे बड़ी बीपीएल कौन है? यह तो सबसे बड़ी समस्या है। वे लोग बेचारे आज भी किसी दूसरे के घरों में रह रहे हैं। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के बारे में जानता हूं कि वहां हजारों लोग आज दूसरे के घरों में रह रहे हैं। वहां बहुत बड़ी समस्या कोशी की भी है। उससे जितने लोग वहां से हटे थे, उन्हें आज तक बसाया नहीं जा सका है। मैं चाहूंगा कि लोगों के पुनर्वास की जो समस्या है, इसके बारे में गृह मंत्री जी अपने भाषण में जरूर इसका जबाव दें।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। गृह मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि आप पर हम सभी लोगों को विश्वास है। आपके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आगे काम करेगा। लेकिन मुझे यह आशंका होती है, जैसे अभी हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि आपस में आपकी जो लड़ाई है, उसकी वजह से आप अपना काम न रोकें। मैं देखता हूं, कई बार ऐसे होता है कि कई मंत्रालय इसलिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आक्षेप लगने लगते हैं। आज डिफेंस, गृह मंत्रालय और फाइनेंस का वही हाल है। अगर ऐसे ही देश चलता रहा कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों के डर के मारे काम न करें और देश को इसके लिए भुगतना पड़े तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

सभापति महोदय, मैं फिर से इन मांगों का समर्थन करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे पास गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने वाले सदस्यों की एक लम्बी सूची है। जो सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे साथियों ने जो अपनी बात रखी है, मैं न आलोचना करने के लिए खड़ा हूं और न ही कोई टीका-टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं गृह मंत्री जी से कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। इस देश में चाहे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हों, चाहे नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं, आखिर में इनका सोल्यूशन क्या है? अगर यहां पर नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं तो क्या हम उसको गोली और बंदूक से कुचल सकते हैं? कोई न कोई समस्या है, मैंने तो नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में भी काम किया है, वहां पर मैं रहा हूं। मैं जानता हूं कि तमाम गरीब तबके के जो लोग हैं, वे भी बन्दूक उठा लेते हैं। उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, कहीं पर सामंती जुल्म है, कहीं पर अत्याचार एवं अन्याय है। उन्हें जब कोई सहारा नहीं मिलता है, प्रशासन की तरफ से जब उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है तो वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ही उपाय सोचते हैं कि अगर हम माओइस्ट से मिल जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वे बन्दूक उठाते हैं। कोई शौकिया बन्दूक नहीं उठाता है, इसलिए गृह मंत्री जी निश्चित रूप से आपको इस पर गंभीरता से सोचना होगा। ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा।

आज जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, अर्द्ध-सैनिक बलों के प्रबंधन का हो या सीमा का प्रबंधन हो। उत्तर प्रदेश, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। एक बहुत लम्बी दूरी है और वहां पर आपका केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात है। वे खुद सर्च एंड सीजर का काम कर रहा है। वे 10-15 किलोमीटर की रेडियस में खुद घरों में जाकर चैक करते हैं, जिससे लोग आतंकित हैं। बहराइच में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लखीमपुर-खीरी में हुई। आखिर ऐसा क्या कारण है? राज्य सरकार को आप विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं? राज्य सरकार की जो पुलिस है, आप उसको विश्वास में लीजिए। उसे साथ में लेकर आप कोई कार्यवाही करें। इसलिए आपने जो एनसीटीसी बनाया है, इसी समाधान के लिए पहले आपने एनआईए बनाया था। हम कह रहे हैं कि एनसीटीसी बनाने का औचित्य क्या है। जो हमारा संघ राज्य है, जो हमारा संघीय ढांचा है, इस तरह से क्या हम अपने मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं ले सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते? अगर हम बातचीत के द्वारा कोई चीज तय करें तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छा हल निकलेगा।

यह गृह मंत्री जी की समस्या नहीं है, यह सरकार की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है और हमें आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर शहर हैं, जैसे गोरखपुर शहर है, वे नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर तो आपने चैकिंग सिस्टम लगाया है, वहां

पर आपने बाड़ बनाई है, लेकिन 10-10, 20-20 किलोमीटर तक आपकी कोई बाड़ नहीं बनी है, आपने वहां पर कोई फूलप्रूफ बंदोबस्त नहीं किया है। जब चाहे कोई इधर के लोग उधर चले जायें और उधर के लोग इधर चले आयें। यही कारण है कि आपकी बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स जगह-जगह लगी हुई है तो आखिर कैसे ये उग्रवदी इस देश में घुस आते हैं, कैसे तमाम हथियार इस देश में चले आते हैं। आखिर, वे फोर्सेज करती क्या हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी यह बहुत गंभीर मामला है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए।

आज जो तमाम हमारी आंतरिक सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं, आज जो हमारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से आपके पास पुलिस बल नहीं है। राज्य सरकार को जितना आपको धन देना चाहिए, उतना धन उपलब्ध नहीं होता है। यही कारण है, इसी से तमाम, चाहे उग्रवादी गतिविधियां हों, चाहे नक्सली गतिविधियां हों, चाहे और क्रिमिनल एक्टिविटीज हों, इस कारण हो रही हैं। दूसरी तरफ जितना हमको पुलिस बल चाहिए, उतना पुलिस बल नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जब राज्य सरकारें भर्तियां करती हैं तो आपकी तरफ से कोई उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि चलिये, हम भी कुछ इनको अंशदान देंगे। अगर आपकी तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से अंशदान मिले तो निश्चित रूप से पुलिस बल की संख्या बढ़ सकती है।

दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हथियार खरीदने की बात आती है, जब हथियार खरीदने की बात कही जाती है तो समय से हथियार नहीं खरीदे जाते हैं, बन्दूकें तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपने उपलब्ध करा दीं, लेकिन आप कहते हैं कि कारतूस हम उपलब्ध नहीं कर पाएंगे तो अकेले खोखा बन्दूक लेकर कोई क्या करेगा, जब आप कारतूस उपलब्ध नहीं कराएंगे, इसलिए गृह मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसको भी आपको गम्भीरता से लेना चाहिए।

जहां तक मानवाधिकार का सवाल है, आज तामाम आपको ये खबरें मिलती होंगी कि इस जेल में फलां की हत्या कर दी गई, फलां लोग पीट गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, जब वे अपराध करके जेलों में जाते हैं तो एक तरफ तो अपराधी भी उनको पीटते हैं और वहां पुलिस प्रशासन के लोग भी पीटते हैं और उनके साथ जस्टिस नहीं होता है। ठीक है, अपराध किया है तो उसको जेल जाना चाहिए।

दूसरी तरफ आप मानवाधिकार की बात करते हैं तो उसका भी यह अधिकार है कि उसको भी सही ढंग से यह प्रोटैक्शन मिले। अगर उसकी उस जेल में हत्या हो जाती है तो क्या उसके परिजनों को कोई सहयोग आप देते हैं? क्या उनकी कोई आर्थिक मदद करते हैं? उसका कोई संज्ञान नहीं लेता है। इस तरह से जो राज्य और केंद्र के संबंध होने चाहिए, जो आपकी भागीदारी राज्य के साथ होनी चाहिए, वह भी समय से पर्याप्त नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची है, इसकी सूची 11 में राज्य की प्रविट संख्या एक और दो के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का मामला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ एंड आर्डर के मामले में अगर राज्यों के अंदर केंद्र की दखलंदाजी नहीं होगी, तो वहां लॉ एंड आर्डर सही ढंग से मेंटेन नहीं हो सकता है।

मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बने एक महीना और कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन हमारे जनपद आजमगढ़ में एक महीने के अंदर बत्तीस हत्यायें हो गयीं। जब एक जिले में इस तरह की हत्यायें हो रही है...*(व्यवधान)* तो कानून और व्यवस्था कहां है? हमारा पड़ोसी जौनपुर जिला है, अंबेडकर नगर है, बलिया है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर हत्यायें हो रही हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अपराधी को जेल जाना चाहिए और राजनीतिक दुर्भावना से इस तरह की चर्चायें हो रही हैं कि फलां के राज में अगर कोई अपराधी जेल चला गया है, तो हम ऐसे अपराधी को छोड़ेंगे। जब वह छूटकर आता है तो वह सीधे जाकर के, जिनके कारण वह जेल में गया होता है, उसको वह गोलियों से भूनता है। यह अपराध बढ़ाने का विषय है। क्या इससे अपराध नहीं बढ़ रहा है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि अगर राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, वह काबू में नहीं रहती है, तो आपको भी उसमें हस्तक्षेप करके उनको दिशा-निर्देश देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर** (परभनी) : गृह मंत्रालय का नाम काफी लंबे समय से सही या गलत कारणों से सुर्खियों में है,

---

*भाषण सभा पटल पर रख गया।

[श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर]

जिसकी जानकारी मंत्रालय के प्रमुखों को बेहतर होगी। नि:संदेह सरसरी निगाह डालने पर भी इसके कार्यकरण की छवि बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती।

ऐसे कई मानदंड हैं जिनके आधार पर हम राष्ट्रीय राज्यव्यवस्था में इसकी भूमिका का आकलन करते हैं।

1. जैसा कि हम सभी जानते हैं, गृह मंत्रालय अनेक राज्यों, विशेषरूप से जहां विपक्ष की सरकार है, उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे संविधान के प्रारंभिक अनुच्छेद-1 में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ होगा। संभवत: जब संविधान को लागू किया गया था तब संघीय शासन व्यवस्था की अपेक्षा एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव था। गत 60 वर्षों के दौरान भारतीय शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं। अब यह एक सहकारी संघ बन चुका है।

   इस संदर्भ में, गृह मंत्रालय की भूमिका सहकारी भागीदारी की अपेक्षा संरक्षणवादी और राजतंत्रवादी हो गई है। राज्यों के परामर्श के बिना राज्यपालों की नियुक्ति और निर्वाचित राज्य सरकार के प्रति उनका मनमाना रवैया; मंत्रालय के उच्चाधिकारियों द्वारा वे राज्य के मुख्य सचिवों को राज्य के राजनैतिक प्रमुखों के प्रत्येक आदेश का अंधानुकरण न करने की सलाह देते हुए हाल के संदर्भ और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति न देना, राज्यों के साथ संबंधों में विश्वास की कमी के कुछ उदाहरण हैं। मंत्रालय द्वारा विश्वास की कमी वाले क्षेत्रों की समीक्षा करने के लिए आयोजित मुख्य मंत्रियों की हाल की बैठक (एनसीटीसी पर चर्चा करने के लिए आगामी बैठक भी) से कुछ आशा बंधती है कि हमारी शासन व्यवस्था में संघवाद के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक उचित संतुलन की स्पिति बन रही है।

2. विभिन्न राज्यों में व्यापक जनजातीय क्षेत्रों में नक्सल आतंकवाद का संकट बढ़ रहा है। न तो राज्य पुलिस और न ही अन्य अर्ध-सैनिक बल उनका सामना करने के लिए उचित रूप से तैयार हैं। राजनैतिक व्यक्तियों उच्चाधिकारियों का अपहरण तथा नक्सल समूहों द्वारा जघन्य हत्याएं हम सभी के लिए गहन चिंता का विषय हैं। हमारी आसूचना प्रणाली लगभग विफल है। इस संबंध में कोई प्रभावी नीति और रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

3. उत्तर पूर्व एक अन्य क्षेत्र है जो काफी लंबे समय से इस अव्यवस्था का सामना कर रहा है तथापि, अब यह तुलनात्मक रूप से शांत है; इस क्षेत्र के नागरिक अभी भी अलगाववाद की भावना से पीड़ित हैं। अलगाववाद की यह भावना इस क्षेत्र के अत्यधिक सम्मानित राजनैतिक व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने उत्कृष्टता के साथ हम सभा की अध्यक्षता की है। हमें इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए एक उदार नीति तैयार करनी चाहिए।

4. भारत में विदेशों से सहायता प्राप्त और घरेलू कट्टरवादी आतंकवाद बड़े पैमाने पर मौजूद है। सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा की कोई बड़ी घटना, नहीं हुई है। यह हमारी शासन व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। परन्तु, हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही नहीं बरत सकते।

5. हमारे एयर चीफ मार्शल ने हाल ही में यह कहा है कि तालिबान भारत पाकिस्तान वाधा सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इच्छा शक्ति में इस प्रकार की कमी भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, विशेषरूप से यदि वे भारतीय सीमा में अपनी पैंठ बना लेते हैं। हमें इस प्रकार की घुसपैंठ को निष्फल बनाने के लिए निवारक कदम उठाने चाहिए।

***श्री जोस के. मणि** (कोट्टयम) : गृह मंत्रालय की वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं यह मंत्रालय के कतिपय नीतिगत क्षेत्रों के संबंध में कुछ सुझाव और टिप्पणियां करना चाहता हूं। भारत का नीति सुधार कार्यक्रम, वास्तविक संपदा का सृजन और कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से सफल रहा है। उदाहरण के लिए प्रस्तावित 73 तटवर्ती पुलिस स्टेशनों में से 71 का निर्माण किया जा चुका है। लाखों पुलिस कार्मियों की भर्ती की गई है, गत वर्ष गृह मंत्रालय ने यह दावा किया कि भारत में अब, प्रति 100,000 जनसंख्या पर 162 पुलिसकर्मी है जिनका अनुपात 2008 में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

128 : 100,000 था और जो धीरे-धीरे 250: 1,00,000 के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के निकट जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन उसे आतंकवाद रोधी कानून, कठोर प्रावधानों के साथ संगठित अपराध के विरुद्ध कानून लागू करने क्षेत्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) केन्द्रों का सृजन, आसूचना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, उपद्रव रोधी और आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए एक सुविचारित योजना तैयार की है। परन्तु, इन सभी के होते हुए भी देश में सुव्यवस्थित, सुनियंत्रित, कुशल नेतृत्व के अधीन सुसज्जित और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित पुलिस बल का अभाव है। चूंकि, पुलिस राज्य का विषय है और जहां केन्द्र सरकार की विफलता के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराती है। वहीं राज्य सरकारें, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र से कम निधियां प्राप्त होने का बहाना बनाती है। विभिन्न आयोगों और समितियों। 1978 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1996 में टिबेरो समिति, 2000 में पदमन भैया समिति, 2003 में जस्टिस मलिमथ समिति और 2006 में सोली सोराबजी समिति ने देश में पुलिस बल में सुधार करने की सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ निर्णय में एकीकृत कर दिया। माननीय न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को उसके निम्नलिखित निदेशों को पूरा करने का निर्देश दिया:-

राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजा सरकार राज्य पुलिस पर अनावश्यक प्रभाव या दबाव न डालें और व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए ताकि राज्य पुलिस सदैव देश के कानून तथा भारत के संविधान के अनुसार कार्य करें।

पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष नियत हो। आईजी पुलिस और अन्य अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष हो। जांच को पृथक किया जाए: जांच करने वाली पुलिस को कानून व्यवस्था कायम करने वाली पुलिस से अलग किया जाए, ताकि त्वरित जांच, बेहतर विशेषज्ञता और लोगों के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित हो।

पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना: बोर्ड, पुलिस उप-अधीक्षक या उससे नीचे के रैंक वाले अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन, पदोन्नति और सेवा से जुड़े अन्य सभी मामलों पर निर्णय लेगा।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना: पुलिस उप-अधीक्षक के रैंक तक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की जाए। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर एक अन्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की जाए।

परन्तु, केवल 13 राज्यों ने नए कानूनों को लागू किया है जबकि, 7 संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केन्द्र का प्रदर्शन भी निराशाजनक है। सुरक्षा आयोग हेतु इसके प्रस्तावित मॉडल से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक आयोग होगा। इसकी संरचना भी न्यायालय द्वारा सुझाए गए मानदंडों के अनुरूप नहीं है, शक्तियां बाध्यकारी नहीं है और इसके सदस्यों के चयन हेतु कोई विश्वसनीय प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना में केन्द्र का रिकॉर्ड बिल्कुल निराशाजनक है। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए एकल प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है; अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी से प्राप्त शिकायतों प ध्यान देने के लिए एक अलग प्राधिकरण है और राज्य स्तर पर गठित एक तीसरा प्राधिकरण दिल्ली से संबंधित शिकायतों की जांच करेगा।

चूंकि, पुलिस राज्य का विषय है, अत:, केन्द्र सरकार पुलिस सुधारों में आदर्श भूमिका निभाकर स्थिति में सुधार कर सकती है। इस प्रकार से इसे उन संघ राज्यक्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को पूरी तरह लागू कर किया जा सकता है, जोकि केन्द्र के सीधे प्रशासन के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका में प्रयोग किए जा रहे स्थानीय पुलिस को संघीय वित्तपोषण के एक नये तरीके को अपनाए जाने का भी मैं सुझाव देना चाहता हूं। वहां, राज्यों को संघीय वित्तपोषण इस शर्त पर जारी होता है कि पुलिस उत्तरदायित्व उपायों का विनियमन और क्रियान्वयन सांस्थानिक सुधारों पर केन्द्रित हो। यह संघीय सरकार को पुलिस उत्तरदायित्व से संबंधित न्यूनतम मानकों को सुसंबद्ध करने की अनुमति देता है कि इसे अपनाने से राज्यों को लाभ होगा परंतु इन न्यूनतम मानकों को सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करना सुनिश्चित करने की शक्ति राज्यों पर छोड़ी गयी है, इस प्रकार, स्थानीय प्रयोगों को बढ़ावा दिया गया है और पेचीदा एक समान मानकों से परहेज किया गया है।

अर्धसैनिक बलों की दयनीय जीवन स्थितियों के बारे में मीडिया में खबरें थीं कि उनके कब्जे वाले 830 से ज्यादा भवनों में बुनियादी

[श्री जोस के. मणि]

सुविधाओं का अभाव है। मानसून आने वाला है इसलिए बलों को अच्छी रहने की जगह उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से इस स्थिति का तुरंत संज्ञान लेने और अर्धसैनिक बलों के लिए अच्छी आवासीय और जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने हेतु बजट में प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं। साथ ही, अत्यधिक कार्य के दबाव और अवसाद के कारण अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों में आत्महत्या और साथी जवानों की हत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह बहुत दु:खद स्थिति है और सरकार को खाली पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और बलों के लिए नियमित अवसाद-मुक्ति के सत्र आयोजित करने चाहिए। अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के करियर उन्नयन हेतु आवधिक पुनरीक्षण भी होना चाहिए ताकि बलों में रोजगार जनित असंतोष की भावना से पीड़ित न हो।

आपदा प्रबंधन की बात करें तो सबको यह मानना होगा कि दिशानिर्देशों, खतरे का आकलन, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, क्षमता निर्माण और संचार नेटवर्क के विस्तार करने में हमने व्यापक परिणाम हासिल किए हैं। फिर भी, हमें चीन से भी सीखना होगा, जिसने आश्रम, अवसंरचना और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस संबंध में, इसने संसाधनों, तकनीक और संबंधित सूचना हेतु यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक, विदेशी सरकारों, निवेश बैंकों जैसे संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ काम किया है। ऐसे सीधे समन्वय से आपदा में कमी की कार्य योजना, बाढ़ आपदा भविष्यवाणियों की क्षमता में सुधार और स्थानीय संस्थानों की सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए, अब हमारे आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को अपना ध्यान प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों की आजीविका को दोबारा सृजित करने मात्र से हटाना चाहिए और यदि इसका अर्थ पुराने पुलों और सड़कों के पुनर्निर्माण के स्थान पर, समुदायों को मूलभूत शिक्षा और अधिक रोजगार सुरक्षा से है तब यह सरकार को अपनी आपदा प्रबंधन नीति के अंतर्गत उपलब्ध कराना चाहिए।

अब दया याचिकाओं की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के पास डर से ज्यादा दया याचिकाएं लंबित हैं। फांसी से माफी की अवधारणा जोकि कृपया और दया प्रदान करने की राजा की शक्ति के तौर पर शुरू हुई थी अब कार्यपालिका का अनिवार्य कर्त्तव्य है जोकि तभी पूरा किया जाए जब यह लोक कल्याण में हो। अभी, दया याचिकाओं पर अंतिम निर्णय में बहुत विलंब हुआ है जिनमें कुछ मामलों में एक दशक से भी पहले मृत्यु दंड दिया गया था, पर वे राष्ट्रपति के समक्ष अभी तक लंबित है। मेरा सुझाव है कि दया याचिका के संबंध में विचार-विमर्शों का जो भी नतीजा हो, लेकिन सरकार को कार्यपालिका के काम-काज में एक स्पष्ट नियमाचरण अपनाना और ताकि एक न्यायोचित समय में दया याचिकाओं का निपटारा किया जा सके।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं 2012-13 के लिए अनुदान की मांगों को अंगीकार करने के लिए समर्थन और अनुमोदन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : भारत जैसे विशाल देश में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत व्यापक है। देश की प्रगति और खुशहाली के लिए अमन-चैन बनाए रखना गृह मंत्रालय के ही कार्य क्षेत्र में आता है। एक खुशहाल राष्ट्र के लिए देश भर में शांति एवं सद्भावना का वातावरण बनाए रखना गृह मंत्रालय की मूलभूत जिम्मेदारियों का प्राथमिक दायित्व है। चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो, मानवाधिकारों की रक्षा का मामला हो, केन्द्र राज्य संबंधों को सद्भावपूर्ण बनाए रखने जैसा महत्वपूर्ण कार्य को, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा तटवर्ती क्षेत्रों की प्रभावी रूप से निगरानी एवं देखरेख भी गृह मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी है।

आत आतंकवाद नि:संदेह देश के लिए बड़ी चुनौती है और उससे निपटने के लिए सभी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आज आतंक का साया लगभग हर राज्य पर मंडराने लगा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन गए आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताती रहती है। आज देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (एनसीटीसी) को स्थापित करने की कवायद चल रही है। इस केन्द्र की स्थापना को लेकर जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वे निर्मूल नहीं हैं। इस आतंकविरोधी केन्द्र को लेकर जिस तरह यूपीए सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं उस पर सभी देशवासियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। यहां यह चिंता का विषय है कि केन्द्र सरकार लगातार देश के संघीय ढांचे को कमजोर बनाते हुए राज्यों के अधिकार खुद हड़पती जा रही है। एक तरफ केन्द्र आतंकवाद पर एनसीटीसी बनाने की बात करता है तो वहीं इससे निपटने के लिए गुजरात सरकार के "गुजको" विधेयक को मंजूरी भी नहीं देता। संघीय ढांचे में कानून-व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में

*भाषण सभा पटल पर रख गया है।

है। ऐसे में कोई आतंकविरोधी प्रावधान करने के लिए राज्यों की सहमति ली जानी चाहिए तथा केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े हर मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए।

लोगों को आशंका है कि इस नई व्यवस्था का केन्द्र द्वारा राजनैतिक दुरुपयोग हो सकता है। इस केन्द्र के गठन का उद्देश्य आतंकवाद के बारे में सारी जानकारियां एक स्थान पर केन्द्रित करना है ताकि उचित समय पर इसका उपयोग हो सके। दुनिया में जानकारी संग्रह करने वाला ऐसा कोई जासूसी संगठन नहीं जिसे अपने आप गिरफ्तारी का अधिकार भी हासिल हो। इस व्यवस्था का बेजा इस्तेमाल हो सकता है। केन्द्र के इस एकतरफा निर्णय से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल का संदेह पैदा होता है तथा राज्यों से बिना बातचीत किए इसकी घोषणा करने के पीछे एकतरफा कार्यवाही की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

अंत में मेरा आग्रह है कि भारत में अपराध पनपने का करण है यहां की सामाजिक-आर्थिक विषमताएं, जिससे आम जनमानस में असंतोष पनप रहा है तथा देश नक्सलवाद के रास्ते पर जाता दिख रहा है। अत: सरकार को इस मूल समस्या के निराकरण हेतु समय रहते ठोस कदम उठाने चाहिए तथा देश की पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण करके पुलिसजनों को आम जनता के प्रति मानवीय एवं संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण की एक नई एवं उचित व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी राज्यों के साथ वार्ता करके तय की जानी चाहिए ताकि आतंकवाद से कड़ाई दलगत राजनीति का विवाद बन कर न रह जाए।

[अनुवाद]

***डॉ. रत्ना डे** (हुगली) : आतंरिक सुरक्षा आज का सबसे बड़ी मुद्दा बन गई है। एक तरफ घरेलू मोर्चे पर हमारे सामने सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के मुद्दों की भरमार है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे माओवादी और नक्सलवादी बेरोकटोक अपना काम कर रहे हैं। हाल ही में ओडिशा विधान सभा के एक विधायक और छत्तीसगढ़ में कलेक्टर के अपहरण को देखते हुए, राज्य केवल मूक दर्शक बने नहीं रह सकते और वर्तमान परिदृश्य को जारी नहीं रहने दे सकते और जिसका परिणाम बाद में मोलभाव कर अनिवार्य रूप से जेलों में खतरनाक माओवादियों और नक्सलियों को रिहा करने के रूप में सामने आता है। इसे जारी रहने नहीं दिया जा सकता। इसे पूरी तरह से रोकना होगा।

*भाषण सभा पटल पर रख गया है।

मेरा राज्य, पश्चिम बंगाल लंबे समय से माओवादियों से पीड़ित है। पश्चिम बंगाल में हमारी राज्य सरकार और हमारी मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी माओवादियों से संबंधित मुद्दों को सूझबूझ और कूटनीति से समाधान करने की कोशिश कर रही हैं।

हमें केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है, चाहे यह राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु और माओवादी हिंसा के शिकार लोगों की सहायता के लिए आर्थिक सहायता के रूप में हो अथवा इस संकट से निपटने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अर्धसैनिक बलों को भेजना हो। पश्चिम बंगाल सरकार और हमारी मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी का उद्देश्य है कि माओवादियों को मुख्य धारा में लाया जाए ताकि वो भी देश के विकास और समृद्धि के लिए योगदान दे सकें। हम इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जोरदार प्रयास कर रहे हैं। हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हमारे नेता, कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समर्थतापूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करेगी, यह एक विवेचना का मुद्दा है।

मैं एक बात का उल्लेख करना चाहती हूं जो मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि मोआवादियों ने हथियार क्यों उठाए। सबसे पहले, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माओवादी और जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं, वे विकास, रोजगार के अवसरों, चिकित्सा सुविधाओं, विद्यालय सुविधाओं से वंचित हैं। राज्य और देश में विकास का फायदा उन तक नहीं पहुंच पाया। वे भी हमारे देश का हिस्सा हैं। विकास और योजनाओं से सभी को लाभ होना चाहिए।

एक दूसरी विचलित करने वाली खबर जो मेरे सामने आई (दि हिन्दू, दिनांक 29 अप्रैल, 2012, चेन्नई संस्करण) वह यह है कि हमारे वायु सेनाध्यक्ष, एन.ए.के. ब्राउनी ने हमें अफगान परिदृश्य पर चेताया है और आशंका जतायी है कि अफगानिस्तान के कट्टरवादी समूह अपना आधार भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये मुद्दे अत्यधिक महत्व के हैं, वह भी, जब वह ऐसी जगह से आये जो उच्च पद धारण करने वाला हो। इस महत्वपूर्ण सूचना पर मैं गृह मंत्री जी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी।

मुझे आशा है कि, इस सम्मानीय सदन के माननीय सदस्य भी विश्वास करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हावी हो रही अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए, इस चेतावनी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह सच भी साबित हो सकती है। हमारी सरकार को सीमाओं पर निगरानी रखनी चाहिए।

[डॉ. रत्ना डे]

अब, मैं ऐसे मामलों को उठाना चाहती हूं जो मुझे लगता है कि अत्यधिक महत्व के हैं। मानव दुर्व्यापार एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिसका सामना युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयां सभी राज्यों में स्थापित की जानी चाहिए। यदि वे पहले से ही मौजूद हैं, तो उन्हें दुरुस्त किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव दुर्व्यापार पूरी तरह बंद हो, इनकी नियमित तौर पर निगरानी की जाए।

बच्चों के अपहरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अभी हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था, कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में, रोजाना बच्चों का अपहरण हो रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूचना के अनुसार बच्चों के अपहरण की 7,650 घटनाएं दशाई गई हैं। यह 2008 के आंकड़े हैं। क्या माननीय मंत्री इस सम्मानित सदन को बच्चों के अपहरण संबंधी 2011 के आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। मंत्रालय ने समय-समय पर परामर्श (एडवाइजरी) जारी किए हैं परंतु माननीय मंत्री से मेरी दलील यह है कि दुर्व्यापार को रोकने और अपहृत बच्चों का पता लगाने हेतु असाधारण प्रयास किए जाएं और यह सुनिश्चित करें कि यह संकट कम हो और आने वाले दिनों में पूरी तरह समाप्त हो।

इसके बाद, मैं बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर आता हूं। यह एक और संकट बन चुका है। इस पहलू को गंभीरता से लिया जाना चाहिये और इस कठिन परिस्थिति को समाप्त करने हेतु उचित प्रयास किये जाने चाहिए। बचपन खेलने-कूदने और पढ़ने के लिए होना चाहिए जबकि वे अपराधी बनते जा रहे हैं। बाल अपराध को रोकने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

अन्य मुद्दा उपद्रव है जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसे रोका जाना चाहिए। यह हमारे विशाल देश पर एक अतिरिक्त बोझ है। उपद्रव को रोकने हेतु एक कठोर नीति बनाया जाना चाहिए।

पूरे देश में सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे।

मुंबई हमले के बाद से तटीय सुरक्षा भी एक चिन्ता की बात है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कुछ साल पहले मुंबई में तबाही मचाने वाले आतंकी हमले के बाद सरकार ने क्या किया है?

मैं सीमा-पार आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं। यह आसान काम नहीं है और करने की अपेक्षा कहना ज्यादा आसान है। परन्तु मैं सरकार से सीमा-पार आतंकवाद के संकट को अपने देश में घुसने से रोकने हेतु हमारी सीमाओं विशेषत: पाकिस्तानी सीमाओं पर चौकसी के माध्यम से सतर्कता बनाये रखने का निवेदन करती हूं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सतर्क है। आज तक हम सभी जगह विज्ञापन और जागरूकता अभियान देख सकते हैं। लोगों को आपदा पर जागरूक करने की कोशिश करने और उन्हें भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, सुनामी इत्यादि जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगी। आपदा का सामना करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने एवं जागरूक करने के लिए प्राधिकरण का प्रयास प्रशंसनीय है। मैं सरकार के प्रयास का स्वागत करती हूं। भविष्य में जब भी कभी हमें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना पड़ा तो उस समय यह निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा।

हमारे यहां विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल अधिनियम, राष्ट्रीय जांच अभिकरण अधिनियम, 2008 इत्यादि जैसे विभिन्न अधिनियम हैं और गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से इन कानूनों एवं संस्थाओं की खामियों को दूर करने के लिए उनकी समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए निवेदन करूंगी ताकि हमारे देश में लोग सुरक्षित और निश्चिंत हो सकें और वे बिना किसी आतंकवादियों, अतिवादियों और अलगाववादियों के डर के शांति और चैन से रहे सकें। माओवादी अपनी इच्छानुसार उन पर हमला करते हैं और पूरे परिदृश्य को बिगाड़ कर रख देते हैं।

***श्री आर. थामराईसेलवन** (धर्मापुरी) : भारत की आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और बाह्य खतरों से ज्यादा खतरा माओवादी विद्रोहियों की ओर से आ रहा है। वामपंथी चरमपंथियों द्वारा देश और समाज के विरुद्ध छेड़ा गया तथा कथित 'दीर्घकालिक जन युद्ध' नागरिकों और सुरक्षा बलों, विदेशी नागरिकों और अधिकारियों तथा विधानमंडलों और रेलवे, मोबाइल संचारों और ऊर्जा तंत्रों जैसी आर्थिक अवसंरचना को लक्ष्य बनाता जा रहा है। अत्यन्त विकट सुरक्षा चुनौती देश के सामने माओवादी विद्रोहियों का वामपंथी उग्रवाद सुरक्षा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया है।

संबंधी सबसे बड़ी चुनौती है। आज माओवादी भारत के 17 राज्यों के 600 से अधिक जिलों में फैल चुके हैं और वे देश के भीतर गृह युद्ध छेड़ने की स्थिति में हैं। मुझे यह जानकर बहुत दु:ख हो रहा है कि कई राज्यों में संसाधनों की कमी के कारण माओवादियों से संघर्ष में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार 6000 से अधिक लोग माओवादी हमलों में मारे जा चुके हैं। माओवादी कहते हैं कि वे गरीबों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए लड़ रहे हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि अपने ही हित के लिए इन निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। मुझे विश्वास है कि इन माओवादियों को बाहर से समर्थन प्राप्त हो रहा है और इनके समर्थन के स्रोत को खोज निकालने के लिए सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अत:, हमें समझना चाहिए कि माओवादी खतरा किसी अन्य खतरे से बढ़कर है।

यह सही है कि हमें एकजुट होकर माओवादी खतरे और/या ऐसे किसी भी खतरे जिसके गंभीर परिणाम हों का मुकाबला करना चाहिए। यही कारण होगा कि सरकार ने एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र की आवश्यकता महसूस की है। हमारा संविधान राज्य सरकारों को कुछ निश्चित शक्तियां प्रदान करता है और ये शक्तियां उन्हीं के पास होनी चाहिए। केन्द्र को उन शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और इसे भारत के संविधान में वर्णित भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह भय है कि जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है एनसीटीसी राज्य की शक्तियों को छीन लेगा। अत:, इस संदर्भ में राज्यों की आशंकाओं का निराकरण होना आवश्यक है। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी एनसीटीसी के संबंध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और एक स्थान पर उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर संसाधनों की कमी के कारण माओवादियों से संघर्ष में गतिरोध झेलना पड़ा है। मुझे यह जानकर काफी दु:ख हो रहा है। राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण की योजना सन् 2000-01 में ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके लक्ष्यों में एक आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के रूप में उभरती आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में पुलिस बल की सहायता करना था और उसके लिए राज्य अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पाने के हकदार हैं। हाल ही में सम्पन्न माननीय मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन, में कई मुख्य मंत्रियों ने उक्त स्कीम के अंतर्गत अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु अति आवश्यक धनराशि प्रदान करने में देरी की शिकायत की। इससे बचना चाहिए। सरकार को कथित स्कीम के तहत अनुदान देने हेतु राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर पर्याप्त धनराशि प्रदान करनी चाहिए। अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकृति और वास्तविक पुलिस कर्मचारियों की संख्या, प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर, क्रमश: 145.25 और 117.09 थी। भारत में प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर पुलिस की संख्या 130 है। देश में कुल स्वीकृत राज्य पुलिस की संख्या 20.56 लाख है जबकि वास्तविक संख्या 15.53 लाख है इस प्रकार 5.30 लाख पुलिस कार्मिकों की कमी है। अत: उन रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भरने की नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्र की एकता के लिए आर्थिक आतंकवाद भी समान रूप से खतरनाक है। आज, हर दिन नकली भारतीय मुद्राओं की बरामदी की रिपोर्ट दिखाई देती है। मुझे एक समाचारपत्र की एक रिपोर्ट देखने को मिली है कि पुलिस बल ने 10 करोड़ रुपये से थी अधिक की जाली मुद्रा बरामद की है। इसे पुन: घटित नहीं होने देना चाहिये। पुलिस बल को इस बारे में अधिक सतर्क होना चाहिए, और इसे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

इसी के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री सुखदेव सिंह** (फतेहगढ़ साहिब) कुछ हर तक हम देश के लोगों की मांगों और आकांक्षाओं पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यही उचित प्रतिक्रिया है। वस्तुत:, यही वह प्रतिक्रिया है जो लोगों को उचित प्रतीत होगी।

मैं देश में सुरक्षा की स्थिति के अवलोकन से अपनी बात आरंभ करता हूं। यह संतोष की बात है कि गत वर्ष कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। संतोषप्रद यह भी है कि इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण सांप्रदायिक घटना भी नहीं है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें क्षमता निर्माण के कार्य को जारी रखना चाहिए। हमें आतंकी चुनौती पर पूर्व कार्यवाही करने और सांप्रदायिक वैमनस्य को रोकने के लिए अपनी संस्थाओं और शासन प्रणाली में सुधार करना चाहिए।

गत वर्ष जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक वर्षों के बाद उपद्रव और हत्याओं की घटनाओं में सर्वाधिक कमी देखी गई। जम्मू और कश्मीर में 499 घटनाएं हुईं। जिनमें 78 नागरिकों की मृत्यु हुई और 64 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और 239 आतंकवादियों/उग्रवादियों को मार दिया गया। यद्यपि, इस वर्ष के आरंभ से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के प्रयासों और सीमा पर हमारे क्षेत्र में मुठभेड़ की संख्या में वृद्धि हुई है। अब तक 16 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 16 को गिरफ्तार किया गया है। हम उन्हें जैसे भी हो जहां भी हो परास्त करेंगे।

---

*भाषण सभा पटल पर रख गया है।

[श्री सुखदेव सिंह]

मैं वाहे गुरू से प्रार्थना करूंगा कि 2012 में स्थिति में और सुधार देखने को मिले।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि नक्सलवाद की एक गंभीर चुनौती है। मैंने यह अनुरोध किया कि यदि नक्सलवादी हिंसा का मार्ग छोड़ देते हैं तो हम राज्य सरकारों को वार्ता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अत:, नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारों के परामर्श से मैं संबंधित राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे धीरे-धीरे इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और सिविल प्रशासन का प्राधिकार पुन: स्थापित करने में सफल होंगे। मैं राज्य सरकारों से यह आग्रह करता हूं कि वे तत्काल सिविल प्रशासन की पुन: स्थापना सुनिश्चित करे ताकि विकास और कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा सकें:—

1. श्रमशक्ति एक गंभीर समस्या बनी हुई है। 01.01.2009 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या वस्तुत: 14,70,837 थी। 30.09.2009 तक यह बढ़कर 15,04,153 हो गई और 31.03.2010 तक इसके बढ़कर 154,81,439 होने की संभावना है। अत:, 15 माह की अवधि में लगभग 1,10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है या की जाएगी जो कि 26/11 की त्रासदी के पश्चात् एक सकारात्मक कार्यवाही की तरफ संकेत करता है।

2. मेरा मानना है कि भर्ती की धीमी प्रक्रिया के पीछे वास्तविक कारण है पर्याप्त निधियां प्रदान न किया जाना।

3. किसी राज्य में पुलिस स्टेशन सुरक्षा का स्पष्ट प्रतीक होता है। पुलिस स्टेशनों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

4. इस तथ्य को सभी मानते हैं कि सुरक्षा संबंधी मामलों में 'अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती' का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी राज्यों में पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए। परन्तु, यदि और अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाती है तो उनमें से कुछ को विशेष रूप से आसूचना, आतंकवाद रोधी, इकाई, त्वरित कार्यवाही समूह, औद्योगिकी सुरक्षा बल और तटीय सुरक्षा संबंधी सुरक्षा एंजेसियों में लगाया जाना चाहिये।

5. राज्यों में पुलिस सुधार की कार्यवाही भी काफी धीमी है। सभी राज्यों ने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारतीय संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है। 22 राज्यों ने अभी तक एक नए पुलिस अधिनियम को लागू नहीं किया है; और 24 राज्यों ने अभी तक राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों ने कानून व्यवस्था और 'जांच' कार्यों को अलग-अलग नहीं किया है।

इन मामलों पर आपको तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए एक योजना की आवश्यकता है। कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। वस्तुत:, इसके लिए निरंतर कठिन परिश्रम और लगातार निगरानी की आवश्यकता है। अत: हम संविधान के अनुरूप एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए बाध्य है। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्माननीय सभा के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस अहम ओहदा गृह मंत्रालय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी बजट पेश होते हैं, स्थायी समिति के द्वारा जो मांग आती है, उसके बाद इसमें यहां बहस होती है, फिर यह अनुदान पास होता है।

महोदय, मैं फिलहाल की एक घटना सुनाना चाहता हूं कि बिहार में केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में किस तरह से काम हो रहा है। हमारे यहां चंपारण में, मोतीहारी में अभी फिलहाल विश्वविद्यालय का मामला बनाकर केंद्र और राज्य के संबंधों में खटास पैदा की जा रही है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। इस पर भी गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर विधानसभा से कोई बिल पास होकर आता है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को उसका सामना करना चाहिए। वहां पर कुछ इस तरह की बात होती है कि केन्द्र राज्य को अपने में उलझा देता है ताकि इसमें अलग से कोई सुविधा नहीं मिले। संपूर्ण देश में अनिश्चितता का माहौल है। आंतरिख सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा की बात है, जैसा कि पूर्व वक्ता अभी कह चुके हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा बौर बाह्य सुरक्षा पर बहुत सारे कुठाराघात हो रहे हैं, उस पर

बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री बहुत काबिल हैं, बहुत ज्यादा विद्वान है, अच्छे लॉयर हैं, लेकिन इनकरो हिंदीभाषी, जो हिंदी में भाषा होनी चाहिए, उनको भारत की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर क्या समस्या है और कहां पर क्या होना चाहिए? उनको लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। अफजल गुरू और कसाब जैसे सरकारी मेहमान को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर, जेल में रखकर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पायी कि उसको क्या करना है?

आतंकवाद के चलते हमारे देश में विध्वंस हो रहा है। अमेरिका में जिस तरह आतंकवादी हमला हुआ तो वहां पर लगाम लगा दिया गया। हमारा सूचना तंत्र ऐसा है कि आतंकवादी को हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी हो जाती है। हमारे पुलिस बल या एनएसजी के आदमी सूचना के अभाव में उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण भारत में पुलिस के लाखों पद रिक्त हैं। उन्हें शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। नए थानों एवं पुलिसकर्मियों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ होम गार्ड को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु और सशक्त बनाने की भी जरूरत है। देश में समान पुलिस प्रणाली की जरूरत है। किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था को अगर ठीक से फंडिंग नहीं होगी तो वह अपने स्तर पर नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में फंड दिया जाए। हमारे यहां पेड़ों के नीचे और खुले आसमान के नीचे जो थाना का काम चल रहा है जिसके कारण पुलिस का मनोबल नीचे रहता है उनको रहने के लिए भवन नहीं है, उनके लिए शौचालय नहीं है। वहां पर जो भी रहते हैं वे क्षुब्ध मन से रहते हैं। हमलोग थाना में भी जाते हैं और देखते हैं कि थाना में जो भी एफआईआर होता है और एफआईआर होने के बाद नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तुरंत भीतर कर दिया जाता है लेकिन जो अमीर आदमी हैं जो इससे परे रहते हैं उन तक हाथ नहीं पहुंचता है। इसलिए जो आईपीसी की धारा बनी है वह सबों के लिए समान हो, सबों के लिए कारगर हो। आईपीसी कोड में जो नियमावली हमारे अंग्रेजों के शासन काल से चला आ रहा था, अभी तक साठ वर्ष या चौसठ वर्ष हो गए हैं, हमलोगों के यहां अभी वही धारा चल रहा है। उसमें बदलाव की जरूरत है। जैसा कि अटेम्प्ट टू मर्डर में जो केस चलता है, तीन सौ सात की जो धारा चलती है जिसमें थाना प्रभारी को दिया जाता है — लगता है कि जान से मारने की नीयत से लाठी से वार किया गया है, मारा गया है तो धारा लगा दिया जाता है। मामला अगर डीजीपी के यहां चला जाता है तो उनको लगता है कि जान से मारने की नीयत से नहीं है। मतलब, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी और डीआईजी, सब जगह अलग-अलग, जिसको जैसा लगता है वैसा धारा लगाता है, धारा को उलटता है और उसके हिसाब से करता है। इसलिए इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। नक्सल बनने का प्रमुख कारण है कि वहां के सामंती लोगों द्वारा पहले काम किया जाता था, सताया जाता था जिससे कि नक्सल बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास नहीं होता है। वहां विकास नहीं होने के कारण लोग बेरोजगार रहते हैं जिनको काम नहीं मिलता है, यह सब लोग जानते हैं कि खाली मन शैतान का घर, अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वे अनर्गल काम में लगेंगे और हमको नक्सल का सामना करना पड़ता है।

हमारे यहां, झारखंड और ओडिशा में खनिज-पदार्थ हैं। हमारे यहां जो खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं। वहां पर नया-नया कानून बना कर जो काम हो रहा है जिससे ज्यादा असंतोष बढ़ रहा है। और आदिवासी क्षेत्र जो उजड़ जाते हैं, वे नक्सली एरिया से प्रभावित हो कर नक्सल बन रहे हैं। हमको इसे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। ताकि वहां पर जो माइनिंग के काम में वहां के जो उजड़े हुए बस्ती हैं उनको फिर से बसाने की जरूरत है। हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऐड देना चाहिए ताकि वे लोग नक्सल नहीं बनें। यह भी नक्सल बनने का एक कारण है। केन्द्र और राज्य के संबंध को बना कर रखना चाहिए। अभी एनसीटीसी की बात सभी जगह चल रही है। इस पर हंगामे भी हुए। बिना मुख्य मंत्रियों को बुलाए केन्द्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने अपनी स्तर से एनसीटीपी पर काम करवा लिया और फिर जब बवाल उठा तो मुख्य मंत्रियों की बैठक बुला कर उस पर विचार-विमर्श किया गया। अगर मुख्य मंत्रियों को बुला कर यह बात पहले हो जाती तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। सबों को एक साथ समन्वय बना कर, केन्द्र-राज्य संबंध बना कर चलना चाहिए ताकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोगों का ब्रीच न हो पाए। इसलिए केन्द्र और राज्य का संबंध हमेशा बना रहना चाहिए। हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है हम लोगों को उसके हिसाब से चलना चाहिए। देश की सूचना तंत्र मजबूत करने की जरूरत है। और इसे व्यापक बनाने की भी आवश्यकता है। जिससे बाहरी घटनाओं का त्वरित गति से जानकारी मिले। खुफिया तंत्र में सुधार की काफी गुंजाइश है यदि

[श्री विश्व मोहन कुमार]

इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। खासकर हमलोगों का जो एरिया है, मैं बिहार राज्य से आता हूं और मेरा एरिया सुपौल जिला है। सुपौल जिला नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है और आगे जा कर किशनगज, बंगलादेश से जुड़ा हुआ है।

हम लोगों को बहुत सारी आंतरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर केन्द्र सरकार से हमारे राज्य को मदद नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेपाल में अभी सरकार बनी है, लेकिन पहले जो माओवादी सरकार थी, वहां माओवादी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। वहां से बिहार में बहुत आर्म्स आते थे। वहां से एक्टिविस्ट्स आकर हमारी आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी पैदा करते थे। उस एरियां, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश हमारी आंतरिक सुरक्षा में खलल पैदा करते हैं जिससे हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए।

बिहार में वर्ष 2008 में प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें बहुत से लोग मरे थे, बहुत सारे घर उजड़ गए थे। सत्ता पक्ष से माननीय सोनिया गांधी जी वहां गई थीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। उन्होंने कहा कि प्रलंयकारी बाढ़ आई है। उन्होंने देने के मुद्दे पर चुप्पी साध दी। मैं चाहूंगा कि एनडीआरएफ या जिस तरह हो, जैसे कल असम में घटना घटी, अगर किसी भी राज्य में इस तरह की घटना घटती है, आजकल आग लगने का समय है, आग लगने से हमारे बहुत से भाईयों के घर उजड़ जाते हैं, उन लोगों को सहायता देनी चाहिए।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : गृह मंत्रालय, भारत सरकार आंतरिक सुरक्षा, अर्द्ध-सैनिक बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य संघ, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि कार्य करता है। लोक व्यवस्था एवं पुलिस राज्य के विषय हैं। परन्तु आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य आक्रमण के समय केन्द्र सरकार को विशेष अधिकार मिले हुए हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के माध्यम से राजभाषा के अनुरूप हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने का कार्य केन्द्र सरकार का है। देश में आजादी के 65 साल बाद भी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में वाद-विवाद अंग्रेजी में हो रहा है और सरकार के प्रशासन की हिन्दी भाषा अति जटिल है।

देश में पुलिस को आधुनिक किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए 2007-08 से 2010-11 के तीन सालों के 3612 करोड़ स्वीकृत हुए किन्तु, 250 करोड़ खर्च ही नहीं हुए। वर्तमान समय में एफआईआर को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से संचालित किया जाये जिससे इस पर की गई कार्यवाही की जानकारी किसी भी समय ली जा सके। पुलिस विभाग को नये सिरे से भ्रष्टाचार मुक्त किये जाने की आवश्यकता है तभी देश को अपराध मुक्त किया जा सकता है।

देश में मादक पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान से की जा रही है और भारत मादक तस्करी का अड्डा बन चुका है। आये दिन नाइजिरिया के नागरिक भारत में मादक पदार्थों के मामलों में पकड़े जा रहे हैं।

देश में नक्सलवाद, अलगाववाद एवं माओवाद ताकतों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे उनके देश की एकता को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों पर रोक लग सके।

देश के 72 पिछड़े एवं नक्सलवाद एवं माओवाद प्रभावित इलाकों में एकीकृत कार्य योजना स्वीकृत की गई है। 1500 करोड़ आवंटित किया गया है। परन्तु जिला प्रशासन ने इस पर कोई सशक्त कार्यवाही नहीं की है। हालांकि केन्द्र सरकार ने 1060 करोड़ राज्य सरकारों को आवंटित कर दिए हैं।

आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवादियों को सजा दिया जाना अति आवश्यक है। आतंकी घटना को अंजाम देने वाले जिन्हें सजा न्यायालय दे चुका है वह राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर रहे हैं।

देश में तस्करी रोकने के लिए एवं घुसपैठ को रोकने के लिए सीमाओं पर बाड़ लगाई है और चौकियां बढ़ाई हैं और अब सीमा सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। बिहार में बाल्मिकी नगर से किशनगंज तक सीमा सड़क का निर्माण शीघ्र करने की आवश्यकता है। देश में साढ़े सात लाख किलोमीटर पर समुद्री तट है, जहां पर चौकसी बढ़ानी चाहिए जो 9 राज्यों एवं 4 संघ राज्यों को छूता है।

देश में सुरक्षा को देखते हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 116 अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत किये गये हैं। इन केन्द्रीय सशस्त्र

*भाषण सभा पटल पर रख गया है।

पुलिस बलों के अफसरों एवं जवानों को पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाये तो पुलिस में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है।

देश में 35 राज्यों में और संघ क्षेत्रों में 27 आपदा प्रबंधन हैं। इसमें राहत एवं भोजन सामग्री को उपलब्ध कराने में नाहक देरी होती है। यह प्रशासन की जबावदेही है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

देश में बम ब्लास्ट एवं आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम के लिए समन्वयकारी जिम्मेदारी पूर्वक व्यवस्था हो, क्योंकि प्रत्येक ऐसी घटना में यह बात सामने आती है कि विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी पायी जाती है।

[अनुवाद]

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में कुछ शब्द कहने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मनुष्य अपने जीवन में सदैव अमन और चैन की कामना करता है हर कोई अपने अन्तर्मन से इसके लिए लालायित रहता है। हमारे पावन संविधान में भी इसे हमारे मौलिक अधिकार के तौर पर माना है। परन्तु महोदय, यह अत्यंत दुःखद स्थिति है कि हमारे देश में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों के कारण लोगों की अमन चैन से जीवन बसर करने की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो रही। यद्यपि भारत सरकार सभी प्रकार के आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, तथापि गृह मंत्रालय, कुछ हद तक, इससे लड़ने में असफल हुआ है। 13 फरवरी, 2010 को पुणे की जर्मनी बेकरी में हुए बम विस्फोट, इसके बाद 13 जुलाई, 2011 को जावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और मुंबई के दादर इलाके में हुए विस्फोट, हाल ही में ओडिशा में बीजेडी विधायक श्री झिना हिकाका और माओवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ में सुकमा के जिलाधिकारी का अपहरण गृह मंत्रालय की असफलता को साबित करते हैं और हमें हमारी आंतरिक सुरक्षा के विद्यमान खतरे की याद दिलाते हैं।

इसके बावजूद, आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए भारत सरकार की प्रेरणा और भावना प्रशंसनीय है। यह प्रशंसनीय है कि आतंकवाद की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए बहु एजेंसी केन्द्र, मैक, का गठन किया गया है और यह एजेंसी दूसरी आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ वास्तविक सहयोग और आसूचना बांटने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। परन्तु हामरी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीटीसी के गठन की अवधारणा का समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इसके काम करने का तरीका और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान में वर्णित भारत में संघीय ढांचे का अतिक्रमण है। इसका गठन राज्य की शक्तियों के अतिक्रमण को बढ़ावा देगा।

इस सम्माननीय सभा में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक सर्व मान्य तथ्य है कि सीपीआई (माओवादी) जो मुख्य वामपंथी अतिवादी, अभी तक हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यह कहना अत्यंत शोचनीय है कि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के 34 साल के शासनकाल में, सीपीआई(एम) काड़र जिसे तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार का समर्थन प्राप्त था, ने पश्चिम बंगाल में अव्यवस्था का वातावरण बना दिया था। अब आम जनता ने लोकतांत्रिक तरीकों से सीपीआई(एम) को पश्चिम बंगाल से उखाड़ तो फेंका है किन्तु उन्होंने अपने आतंकवाद के प्रतीक के तौर पर निर्दोष आम आदमी की बहुत बुरी हालत में छोड़ा है।

2011 के विधान सभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की स्थिति से हम सभी अवगत हैं। पश्चिम बंगाल को तत्कालीन सीपीआई(एम) सरकार अपनी अकुशलता और छुपे हुए राजनीतिक एजेंडे के कारण पश्चिम बंगाल में माओवादी समस्या का समाधान नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा समर्थित सीपीओ(एम) कैडर ने पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया में 200 से अधिक सशस्त्र कैम्प बनाये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुवेन्दु अधिकारी : उनके अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में अर्ध सैनिक बलों की 55 कंपनियां भेजी थीं। परंतु उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए विधान सभा चुनाव 2011 की पूर्व संख्या पर इन अर्ध सैनिक बलों का जानबूझकर दुरुपयोग किया, विशेषरूप से संयुक्त कार्यवाही बलों का उन्होंने 7 जनवरी, 2011 को लालगढ़ से सटे नेताई गांव में जनसंहार-जैसी घटना को भी अंजाम दिया। (कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया) राजनीतिक समर्थन प्राप्त कुछ सशस्त्र गुंडों ने निर्दयतापूर्वक चार महिलाओं सहित नेताई गांव के नौ गांव वालों को मार डाला। मैं अपने भाषण के माध्यम से इन नौ मृतक व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनके

[श्री सुवेन्दु अधिकारी]

नाम हैं: फूलकुमारी मैतई, सरस्वती घोराई, गिताली अदक, आरती मंडल, श्यामानंदा घोराई, धीरेन सेन, ध्रुबप्रसाद गोस्वामी, अरुप पात्रा और सौरव घोराई...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.53 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए***]**

लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस सरकार के लोकतांत्रिक शासन में, सुश्री ममता बनर्जी के योग्य नेतृत्व में, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात कार्यवाही में नहीं जायेगी।

(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

श्री सुवेन्दु अधिकारी: हमें 9 अगस्त, 2010 का वह दिन अवश्य याद रखना चाहिए जब श्रीमती ममता बनर्जी ने लालगढ़ में एक सार्वजनिक रैली की थी और उसमें यह घोषणा की थी कि समाज के लिए घातक इन संकटों का समाधान करने के लिए अधिक से अधिक विकास करना होगा। पद ग्रहण करने के पश्चात्, वह अपनी घोषणाओं पर कार्य कर रही हैं। विभिन्न विकासात्मक कार्यों का प्रस्ताव और उन्हें लागू करके एवं निचले स्तर पर संपर्क स्थापित करने के लिए राजनैतिक अभियान आरंभ करके पश्चिम बंगाल की मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सरकार वहां विध्वंसक गतिविधियों पर रोक लगा रही है। वास्तविक दोषियों के विरुद्ध संयुक्त कार्य बल का उपयोग करके हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी, इस क्षेत्र में हथियार और गोला बारूद बरामद करने में सफल रही हैं। इतने कम समय में, पश्चिम बंगाल की वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पांच लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं तथा स्कूली छात्राओं को 20,000 से अधिक साइकिलों का वितरण किया है।

इसके अतिरिक्त, सभी जनजातीय परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस में बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया जिलों में कुल 10,7000 कनिष्ठ कांस्टेबल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल की भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त, वहां स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वहां विकास कार्यों की बाढ़ सी आ गई है। विकास कार्यों के अतिरिक्त, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार के सभी मंत्री, निर्वाचित संसद सदस्य और विधायक तथा स्थानीय नेताओं ने इस क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकलाप आरंभ किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, आम जनता को नैतिक समर्थन मिल रहा है और वे सामान्य जीवन जीना शुरू कर रहे हैं।

परन्तु, महोदय, यह जानकर दुःख हो रहा है कि सीपीआई(एम) पार्टी कैडर और माओवादी एक साथ मिलकर, पश्चिम बंगाल में इन विकास कार्यों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों षड्यंत्रकर्त्ता, इस क्षेत्र में मौजूदा शांति और सामान्य स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरोपित सीपीआई(एम) नेता, जिन्होंने नेताई गांव में बड़े पैमाने पर जघन्य नरसंहार किया था, आज वह पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों में सीपीआई माओवादियों की शरण में हैं। अतः महोदय मेरा आपके माध्यम से माननीय, गृह मंत्री भारत सरकार से अनुरोध है कि हमारे देश के हित में न केवल इन माओवादियों, बल्कि, सीपीआई(एम) पार्टी कैडर और सीपीआई(एम) बुद्धिजीवियों जिनका माओवादियों की पूर्ण समर्थन हैं, के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

अंत में मैं इस सम्माननीय सभा में यह कहना चाहता हूं कि इस बात पर समुचित रूप से विचार किया जाए कि जिस समय पश्चिम बंगाल में माओवादी गतिविधियां नियंत्रण में हैं उसी समय उनकी गतिविधियां झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में बढ़ रही हैं। मेरा मानना है कि ऐसा, केन्द्र सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में विकास कार्य आरंभ न करने और विभिन्न उग्रवादी संगठनों से अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद बरामद करने में विफल रहने के कारण है। इसके अतिरिक्त, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य पश्चिमी बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं। अतः, इन राज्यों में ऐसी विघटनकारी ताकतों में वृद्धि होने से पश्चिम बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जोखिम में वृद्धि होती है। अतः, मेरा यह मानना है कि भारत सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय को इन विघटनकारी ताकतों को समाप्त करने के लिए हमारी माननीय नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के मार्ग पर चलना चाहिए।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपके माध्यम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं:–

1. कृपया राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को माओवादी प्रवण क्षेत्रों में अपनी राजनैतिक गतिविधियां आरंभ करने का परामर्श दें;

2. कृपया मौजूदा पश्चिम बंगाल सरकार की तरह वहां भी विकास कार्य आरंभ करें;

3. कृपया अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद बरामद करने के लिए कठोर कदम उठाएं; और

4. कृपया इन विघटनकारी ताकतों पर नियंत्रण पाने हेतु संबंधित राज्यों के वित्तीय भारत में कमी लाने के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय बलों की तैनाती हेतु प्रभार वसूली के आदेश को निरस्त करें।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : आज राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न पूरे देश में अहम स्थान पर है। आतंकवाद पूरे भारत में नहीं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। हम बार-बार जीरो-टोलरन्स की बात कर रहे हैं, मगर सच यही है कि आतंकवाद बार-बार अपना सिर उठा रहा है। अमेरिका में आतंकवाद की घटना के बाद वहां की सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं जबकि उस घटना के बाद वहां ऐसा जघन्य कृत्य दुबारा नहीं हो सका है।

मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे खोखले दावे के बावजूद आतंकी घटनाएं हो रही हैं।

सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एनसीटीसी जैसे बिल लाने का प्रयास किया है और अमेरिकी रवैये को अपनाने का प्रयास किया है, मगर उसमें हमारे संविधान का मुख्य आधार, यानी की संघीय ढांचे का प्रहार करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आतंकवाद को समाप्त करने के और कई विकल्प है। उसमें हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को इस तरह क्षति पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सरकार से मांग है कि इस बिल में से आपत्तिजनक प्रावधानों को दूर करना चाहिए।

माओवाद एवं नक्सलवाद एक और अहम पहलू है, अभी-अभी विधेयक और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपहृत किए हैं। मेरी मांग है कि इसके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। साथ-साथ वनवासी एवं गरीबों के प्रति न्याय करके उनके विस्तारों में विकास के कार्यों को करके इस हिंसा को दूर करने का प्रावधान करना चाहिए।

मैं गुजरात से लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं। गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बार्डर एवं 1600 कि.मी. लंबे दरियाई मार्ग से जुड़ा हुआ प्रदेश है और आतंकियों के निशाने पर है। गुजरात सरकार ने 'गूजकोक' नामक बिल को पारित करके तीन बार केन्द्र एवं महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा है। मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है। कि गुजरात के आतंकवाद विरोधी इस बिल को स्वीकृति नहीं दी जाती है। जबकि ऐसे ही प्रावधानों वाले महाराष्ट्र के 'मकोका' बिल को केन्द्र ने पारित भी कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम आतंकवाद के प्रति सियासत और राजनीति अपनाएंगे तो हम इस समस्या से कैसे लड़ पाएंगे?

मैं गुजरात के कई आई.पी.एस. ऑफिसरों में व्याप्त गैर-शिट के प्रति राज्य सरकार जब कानूनी कार्यवाही कर रही है तब केन्द्र के गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी प्रवृत्ति को थामने के बजाय बढ़ावा देने की राजनीति कमनसीब और आलोचना के पात्र है।

*मैं सीबीआई के राजनीति दुरुपयोग, खास करके गुजरात में सीबीआई के माध्यम से वहां चुनी गई लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का केन्द्र के प्रयासों की निंदा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आतंकवाद आज देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे का बुद्धिमता से समाधान करने के लिए भारत को एक प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए। आज राष्ट्र के समक्ष एक बड़ा प्रश्न यह है कि हम इस चुनौती का सामना किस प्रकार करेंगे?

1989 से 2012 तक हिंसा की घटनाओं के कारण लगभग 6377 नागरिकों, 2285 सुरक्षा बल के जवानों 2913 अग्रवादियों सहित कुल मिलाकर लगभग 11,575 लोगों की जान जा चुकी है।

---

*भाषण सभा पटल पर रख गया है।

[श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश]

अपराह्न 4.00 बजे

मैं हाल की घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

21 अप्रैल, 2012 को माओवादी विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों के दो अधिकारियों की हत्या करने के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलैक्टर श्री एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण कर लिया। श्री एलेक्स पॉल मेनन, तमिलनाडु के तिरुनैलवेली जिले से 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छः माह पूर्व ही उनका विवाह हुआ था। उनकी पत्नी श्रीमती आशा मेनन, उनके पिता और सभी संबंधी पीड़ा में हैं। उनके अपहरण की खबर सुनकर हमारे नेता की तरफ से हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष थलपति थिरु एम.के. स्टालिन और श्री टी.के.एस. इलेंगोवन, संसद सदस्य श्री मेनन के पिता से मिले और श्री मेनन की रिहाई के लिए उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुझे आशा है कि सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माओवादी 11 दिनों के संघर्ष के पश्चात् आज कलैक्टर को रिहा कर देंगे। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए मैं सरकार से उनके उपचार के लिए आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध करता हूं। केवल इतना ही नहीं, हाल ही में ओडिशा के लक्ष्मीपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक श्री झिन हिकाका का माओवादियों ने अपहरण कर लिया था और उनकी मांगों को पूरा करने के बाद उन्हें छोड़ा गया।

इसके पश्चात्, मध्य मार्च में माओवादी विद्रोहियों ने इटली के दो पर्यटकों का अपहरण करके बाद में उन्हें छोड़ दिया। 2008 में भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर आतंकवादियों ने (26/11) हमला किया। नई दिल्ली में उच्च न्यायालय में भीड़भाड़ वाले स्वागत क्षेत्र में एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ। स्रोतों से पता चलता है कि पूरे भारत में बम विस्फोटों का भय व्याप्त था। इसी प्रकार भारत में अनेक घटनाएं हुई हैं। जब कभी भी कुछ होता है, इसका आरोप अथवा दोष हम तुरंत संबंधित मंत्रालय पर लगा देते हैं। केवल आरोप अथवा दोष लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय, यह कहीं बेहतर होगा कि समस्या का समाधान करने के लिए राजनीतिज्ञ संयुक्त चर्चा करें और अपना योगदान दें। मुद्दों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। हमें राजनीतिक लाभ के लिए इस अवसर का उपयोग नहीं करना चाहिए।

महोदय, लगभग 230 जिले नक्सलियों से प्रभावित पाए गए जिसमें से 90 गंभीर रूप से प्रभावित थे। दूरस्थ क्षेत्रों और घने जंगलों के अंदरूनी क्षेत्रों में बसे उपग्रामों और गांवों की पहचान की जाए और उनके कल्याण के लिए नयी पुनर्वास योजनाओं को लागू किया जाए।

एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए, शांति और सद्भाव आवश्यक पूर्वापेक्षा है। गृह मंत्रालय को निषिद्ध आंदोलन के नेताओं को संरक्षण और आर्थिक मदद देने वाली बाहरी ताकतों का पता लगाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए।

यह उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का है। संबंधित राज्यों में महत्वपूर्ण स्थलों की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय की है; इसे सामाजिक सद्भाव को संरक्षण और बढ़ावा देना चाहिए; मानव अधिकारों के सिद्धान्तों का सम्मान करना चाहिए; आंतरिक कलह से राज्यों की रक्षा करनी चाहिए; यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों का शासन संविधान के अनुरूप हो।

नक्सल समस्या के समाधान के लिए मेरे कुछ निम्नलिखित सुझाव हैं: एक, हमें उपेक्षित कृषि श्रमिकों और गरीबों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए; दो, सरकार को गरीब कृषकों और भूमिहीन मजदूरों के भूमि अधिकारों में सुधार करना चाहिए; तीन, सरकार को सभी प्रभावित राज्यों में नक्सल समस्या से निपटने के लिए विशेषरूप से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी "एकीकृत कार्य योजना" की निगरानी करनी चाहिए; चार, माओवादियों के साथ बातचीत करनी चाहिए; उनकी समस्याओं का पता कर उनके मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए; पांच, आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के लिए आकर्षक पुनर्वास योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए।

महोदय, गलतियां ढूंढ़ना और किसी व्यक्ति पर आरोप लागना आसान है परन्तु किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना आसान नहीं है। जो कोई भी अच्छा काम करे, हममें उसकी प्रशंसा करने की दरियादिली होनी चाहिए।

उसी प्रकार, मैं गृह मंत्री द्वारा देश में शांति और सद्भाव कायम करने के लिए अनथक, अनवरत तथा बेजोड़ कार्य किए जाने के लिए उनकी सराहना करता हूं। अपने गहन अनुभव तथा कुशलता से हमारे गृहमंत्री निश्चित ही भारत को शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में काम करेंगे।

मैं राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के बारे में बात करूंगा। महोदय, हम एनसीटीसी के विरुद्ध नहीं हैं परंतु साथ ही, राज्य सरकार की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नये कानून एनसीटीसी के नाम पर, राज्यों पर केन्द्र का प्रभाव अथवा राजनीतिक

प्रभाव नहीं थोपा जाना चाहिए। मेरे विचार से, एनसीटीसी राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाएगा और आतंकवाद से निपटने के लिए उन्हें अधिक अधिकार देगा। एनसीटीसी विभिन्न एजेंसियों के कार्मिकों से युक्त एक संयुक्त परिचालन आयोजना और संयुक्त आसूचना केन्द्र होना चाहिए। राज्य के हितों को प्रभावित किए बिना, एनसीटीसी आदेश, 2012 को संशोधित किया जा सके।

केन्द्र आपदा प्रबंधन पुलिस बल (सीडीएमपीएफ) के गठन के बारे में मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदाएं समझने के भयानक होती है और अक्सर उन्हें समझना मुश्किल होता है क्योंकि वे कब और कहां आयेगी इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जिस पर हमारा नियंत्रण है वो है, कि हम समुदायों और सरकारों के रूप में उन खतरों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं जो इन प्राकृतिक आपदाओं से आते हैं। जैसाकि सभी जानते हैं, अद्वितीय भू-जलवायु स्थितियों और पर्यावरणीय बदलावों के कारण भारत परंपरागत रूप से भी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन बार-बार घटित होने वाली घटनाएं है। 1992-2010 के दशक में, हर साल आपदाओं के कारण लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और लगभग 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए। निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक सम्पत्ति का बहुत अधिक नुकसान हुआ।

चूंकि हमारे पास स्थिति को संभालने के लिए समुचित प्रबंधन प्रणाली नहीं है, इस वजह से अक्सर लोगों को काफी देर से राहत मिल पाती है। इसलिए, यह सर्वथा उचित होगा कि विशेषकर आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्रीय आपदा प्रबंधन जल बल नामक एक अलग विशेष राहत स्कंध की स्थापना की जाए। सरकार को अधिक धनराशि आवंटन हेतु कदम उठाने चाहिए।

इस संबंध में, मैं मछुआरों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। 1983 से रामेश्वरम् के मछुआरों की परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में तटरक्षक बलों को भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना के हमलों से बचाना चाहिए। प्रभावित मछुआरों की कठिनाइयों के समाधान हेतु हमारी सरकार को नयी रणनीति बनानी चाहिए।

आतंक के नाम पर, अब तक जो भी हुआ है वह अमानवीय और निंदनीय है। यह न केवल सभ्य समाज पर हमला है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक खतरा और चुनौती है। दलगत और राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर लेकिन सभी के सहयोग और समर्थन से वास्तव में, संप्रग सरकार आतंकवादियों, माओवादियों और नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा सकती है और देश में शांति और सद्भाव स्थापित कर सकती है। यदि आंतरिक खतरा खत्म हो जाए और आंतरिक सुरक्षा का भरोसा हो, तो सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान दे सकती है और इस तरह, हमारा देश महाशक्तियों की सूची में स्थान बना लेगा। अंत में एकता की विजय होती है।

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं माओवादियों को एक संदेश देना चाहता हूं– मेरा उनसे (माओवादियों से) अनुरोध है कि एक क्षण के लिए अपने पिता, माता, भाई, बहन, बच्चों और अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। हथियारों के इस्तेमाल से हम कभी भी अपना मनचाहा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बजाय वे सरकार से बातचीत कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। डीएमके सहित सभी राजनीतिक दल, सरकार से उनके साथ बातचीत करने और उनके मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध करते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, आशा है यह सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि ऐसे राज्य को छोड़कर जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो, यह सभा राज्यों के बजट, विशेषरूप से पश्चिम बंगाल के बजट पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।

तथापि, मैं गृह मंत्रालय, जो देश में शांति और अमन-चैन का एकमात्र अभिरक्षक है, की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मांग संख्या 52, 54 और 55 पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा।

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सूची के प्रविष्टि संख्या 1 और 2 के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु, संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार, यह भारत सरकार की कर्त्तव्य बाध्यता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में प्रत्येक राज्य के प्रयासों की रक्षा करें और इसमें सहायता करें। किंतु इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय को प्रदान किया गया बजट अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सन् 2012-13 के लिए मंत्रालय को कुछ बजट आवंटन का मात्र 4.9 प्रतिशत प्राप्त हुआ है जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय और उपभोक्ता मामले मंत्रालय इत्यादि की तुलना में काफी कम है।

[श्री खगेन दास]

महोदय, यदि पिछले वर्ष की तुलना में बजट की प्रतिशत वृद्धि को देखें तो यह 19 प्रतिशत कम है। 2011-12 में, पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। परंतु, इस बार इसमें सिर्फ 12 प्रतिशत की ही वृद्धि है। यदि इस वर्ष के पूंजीगत व्यय को देखें तो यह पिछले वर्ष के 18.47 प्रतिशत की तुलना में 18.52 प्रतिशत है। योजनागत आवंटन में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजनागत आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा दूसरा मुद्दा, पुलिस बल के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इसे सन् 2000 में इस उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था कि पुलिस को आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिये सशक्त बनाया जा सके। परन्तु, एक दशक के बाद भी, इसके उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। मुख्य समस्या यह है कि इस योजना को आवश्यकता से कम वित्तीय आवंटन किया गया है। अत:, मैं योजना हेतु आवंटन में वृद्धि की मांग करता हूं। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा राज्यों को हथियार प्रदान किये जा रहे हैं, परंतु राज्य गोला-बारूद की भी मांग कर रहे हैं। बिना गोला-बारूद के हथियार देने का कोई अर्थ नहीं है। अत:, गोला-बारूद की खरीद हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिये और पर्याप्त मात्रा में राज्यों को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

अब मैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (एन.सी.टी.सी.) पर आता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि एन.सी.टी.सी. का होना अनिवार्य है। परन्तु संघीय प्रणाली में, संघ सरकार राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कैसे कर सकती है? यह संघीय ढांचे पर हमला कैसे कर सकती है? सरकार कहती है कि केवल गैर यू.पी.ए. राजनीतिक दल ही इस विचार का विरोध कर रहे हैं। यह सच नहीं है। सरकार के सहयोगी राजनीतिक दल जैसे टी.एम.सी., डी.एम.के. और एन.सी.पी. भी इसका विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जहां से एन.सी.टी.सी. का विचार ग्रहण किया गया है, में फेडरल क्राइम की संकल्पना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, एन.सी.टी.सी. को गिरफ्तार करने, छान-बीन करने और जब्त करने की शक्ति नहीं दी गई है। कोई भी लोकतांत्रिक समाज, विधि-विरुद्ध, क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत किसी आसूचना एजेंसी, जो संसद और न्यायालयों की निगरानी के अधीन न हो, को कार्यवाही करने और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दे सकता है। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि जब तक देश के मुख्य मंत्रियों में आम सहमति नहीं हो जाये तब तक एन.सी.टी.सी. को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

देश में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में गृह मंत्रालय असफल रहा है। इटली के दो नागरिकों, ओडिशा के एक विधायक, छत्तीसगढ़ एक जिला कलेक्टर के अपहरण और इसी तरह की अन्य बहुत घटनाएं यह दर्शाती हैं कि नक्सलियों के प्रति केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या देश में विशेषत: जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों और देश के कुछ अन्य हिस्सों हथियार और जाली नोटों की तस्करी से संबंधित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उन सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दें जहां से हथियारों और जाली नोटों की तस्करी होती है, सीमाओं पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा करने, इन सीमाओं पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर फ्लड लाइट की व्यवस्था की जाए और सीमाओं के साथ-साथ सड़कों का निर्माण किया जाए।

महोदय, गृह मंत्रालय बी.एस.एफ. अधिनियम में संशोधन लाने के लिए प्रस्ताव कर रहा है। यह प्रस्तावित संशोधन संघीय ढांचे के निर्धारित सिद्धान्तों के विरुद्ध है। मुझे मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर केन्द्र सरकार के राज्यों के साथ गैर-परामर्शी दृष्टिकोण पर घोर आपत्ति है। मैं गृह मंत्रालय से पूछता हूं कि राज्यों के भीतर राज्य बनाने के लिए इसके पास क्या अधिकार है। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जांच पड़ताल करने के लिए वे बी.एस.एफ. को अधिकार कैसे दे सकते हैं? अत:, मैं तुरंत ही इस विधेयक को वापस लेने की मांग करता हूं।

अब, मैं अपने अर्द्ध-सैनिक बलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सन् 2007 से 2011 के बीच पिछले पांच वर्षों में लगभग 46,000 जवान सेना छोड़कर जा चुके हैं। इसका अर्थ है कि हर साल लगभग 10,000 सैनिक सेना छोड़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* यदि आप कांस्टेबल के स्तर पर रिक्तियों को देखें, तो वहां इस समय एक लाख रिक्तियां हैं। अत:, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी पूरे विस्तार से बताएं कि जवान सेना छोड़ कर क्यों जा रहे हैं और उन्हें सेना में बनाए रखने तथा रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे

त्रिपुरा के बारे में, मैं बताना चाहूंगा कि अगस्त 2009 से त्रिपुरा में तैनात सी.आर.पी. के चार बटालियन वापस बुला लिया गया है। यह गंभीर मामला है और अति आवश्यक है कि उन्हें जल्दी से जल्दी

पुन: तैनात किया जाये ताकि उपद्रवियों का सामना प्रभावी और ठोस तरीके से किया जा सके।

अंत में, मैं रियांग शरणार्थियों के बारे में कहना चाहूंगा। मैंने इस मुद्दे को माननीय गृह मंत्री जी के साथ सलाहकार समिति की बैठक में और साथ ही उनके कार्यालय में भी कई बार उठाया है। मुख्य मंत्रियों की 16वीं बैठक में हमारे मुख्य मंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया है। मिजोरम से प्रवर्जन करने वाले 36,000 से अधिक रियांग शरणार्थी पिछले 14 सालों से त्रिपुरा में रह रहे हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। इन परिवारों की उपस्थिति के कारण वित्तीय, सामाजिक और कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं में बढ़ावा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन परिवारों को उनके मूल निवास स्थानों पर पूरे आदर और सम्मान के साथ जल्दी से जल्दी भेजा जाये।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : मैं वर्ष 2012-13 की गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में अपने सुझाव निम्नानुसार ले करना चाहता हूं:—

1. देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है तथा 200 से अधिक जिलों में नक्सलवाद/माओवाद फैल चुका है और इन संगठनों द्वारा विधायक व वहां जिला कलेक्टरों का भी अपहरण कर अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकारों को विवश कर रहे हैं। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए सबस बड़ा खतरा है। सरकार को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इस समस्या का हल करना चाहिए।

2. एनसीटीसी के गठन के प्रस्ताव राज्यों में आम सहमति स्थापित कर केन्द्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह से संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं चाहिए। क्योंकि संघीय ढांचा संविधान प्रदत्त भारत की एक विशेषता है जिसको बचाये रखना हमारा सबका कर्तव्य है।

3. एनआईए/सीबीआई आदि संस्थाओं की जांच निष्पक्ष हो इस हेतु इनका सेपरेट कैडर होना चाहिए। डेपटेशन पर आने वाले अधिकारियों की क्रमश: कमी की जानी चाहिए और कैडर के अधिकारियों को ही जांच एजेंसी में रखना चाहिए। जहां-जहां पर सीबीआई के दुरुपयोग की संभावनायें रहती हैं, उन सभी नियमों/प्रावधानों/विवेकीय शक्तियों की समय-समय पर समीक्षा कर दुरुपयोग की संभावनाओं को कम किया जाना चाहिए।

4. गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का दायित्व है। अत: गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित सीताकांत महापात्रा कमेटी की अभिशंसा के अनुसार और सदन में समय-समय पर दिये गये गृह राज्य मंत्री के आश्वासन के अनुसार राजस्थानी एवं भोजपुरी को अविलम्ब संबिधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जावे।

5. नोर्थ एवेन्यू में सांसदों के आवास हैं, जहां पर पिछले दिनों तीन चार चोरी की घटनाएं घटित हुई। एक तो गुजरात के सांसद श्री महेन्द्र पी. चौहान के स्वयं के सामने चोर चाकू दिखाकर भाग जिसकी सूचना दिल्ली पुलिस को 100 नम्बर पर तथा नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में देने के बाद भी 30 मिनट तक पुलिस नहीं पहुंची। चूंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, अत: सांसदों की आवासों की सुरक्षा के लिए विशेष टीम की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : सभापति महोदय, बीजू जनता दल की ओर से आज मुझे गृह मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे इस बात का स्मरण है कि मेरे पास सीमित समय है इसलिए, मैं अपने राज्य से संबंधित और सुसंगत गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलूंगा।

ओडिशा के समक्ष माओवादी चुनौती के मुद्दे पर मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नहीं किया है और यह समस्या अब पूरे देश में फैल गई है। अब यह किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं रह गई है। यह कोई विशेष क्षेत्र की समस्या भी नहीं है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि आज इस 'लाल गलिपारा' की समस्या से जूझ रहा है। दुर्भाग्यावश, सरकार से असमंजस के चलते इस मामले से निपटने में केन्द्रीय सतर पर भी बड़े पैमाने पर असमंजस की स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं माओवादियों और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पिनाकी मिश्रा]

वामपंथी चरमवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया है जिससे आज हमारा देश जूझ रहा है।

कांग्रेस के माननीय सांसद श्री सन्दीप दीक्षित जी ने प्रभावशाली तरीके से यह बताया है कि किस प्रकार माननीय गृह मंत्री इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। परन्तु, हमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अनेक सदस्यों के बारे में शंका है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सप्रंग-II सरकार में यह सरकार के भीतर एक सरकार है जिसके ऊपर संसद की कोई निगरानी नहीं है, और जिसकी किसी के प्रति कोई जबावदेही नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अनेक अति विशिष्ट सांसदों के बार-बार इन माओवादी युवाओं को गुमराह युवा कहा है जिनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। अतः, केन्द्र सरकार के भीतर यह असमंजस है कि और यह असमंजस आज राज्यों में भी व्याप्त हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप, कोई समग्र राष्ट्रीय नीति नहीं है। मैं केन्द्र सरकार पर पांच मुख्य मोर्चों पर इस समस्या की आनेदखी करने का जिम्मेदार ठहराता हूं। गृह मंत्रालय केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है अतः, यह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

सबसे पहले मैं, केन्द्र सरकार पर 115 वर्ष पुराने भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन, परिवर्तन या उसका निरसन करने में विफल रहने का आरोप लगाता हूं जिससे आज देश में कोई भी संतुष्ट नहीं है। अपनी भूमि और घर-वार से निष्कासित होने वाले लोग — क्योंकि उनकी भूमि पर उद्योग लगाए जाने हैं इसलिए उनकी भूमि का अर्जन किया जाता है — व्यथित लोग होते हैं जो इन माओवादी आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यह केन्द्र सरकार की विफलता है।

दूसरे, एमएमआरडी अधिनियम, जो कि 1957 का अधिनियम है, का भी बहुत पहले निरसन किया जाना चाहिए था और भूमि से निष्कासित होने वाले जिन लोगों की भूमि से कोयला और लौह अयस्क आदि निकाले जा रहे हैं और उन्हें भूमि से निष्कासित करके उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता ऐसे लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रदान करने वाली नीति की व्यवस्था करते हुए एक नया अधिनियम बनाया जाना चाहिए था। तीसरे, नई खानिज रॉयल्टी नीति का भी मुद्दा है जिसके बारे में प्रत्येक राज्य सरकार जहां खनिज भंडार मौजूद है, आवाज उभर रही है ताकि यदि केन्द्र सरकार इस बारे में ध्यान न भी दे तो यथासंभव भूमि से निष्कासित होने वाले अपने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमें कुछ अधिक धनराशि प्राप्त हो सके।

चौथी बात, समाजवादी पार्टी के श्री नीरज शेखर ने बिल्कुल सही कहा है कि इन समस्याओं का सामना करने के लिए राज्यों में तैनात किए जाने वाले के.रि.पु.ब., सी.सु.ब. और अन्य संगठनों के कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। युवा लड़के, जिन्होंने मात्र तीन से छः माह का प्रशिक्षण लिया होता है को अत्यधिक जटिल और पेचीदा परिस्थितियों का सामना करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में वे पूरी तरह से चकरा जाते हैं। यह समस्या और अधिक जटिल बन जाती है क्योंकि दुर्भाग्यवश, इन तलाशी अभियानों में इन क्षेत्रों में अत्यधिक लूटमार और दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं, अनेक घरों को जला दिया जाता है, बड़े पैमाने पर चोरी तथा मवेशियों और मुर्गों की चोरी होती है इसके परिणामस्वरूप, लोगों में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त होता है और माओवादियों के प्रति स्नेह की भावना पैदा होती है जो कि तुरंत उनके आहत मन और मानसिक पीड़ा को इस दूर करने के लिए उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। इस सबके कारण भी केन्द्र के स्तर पर सोच अथवा समग्र नीति का न होना है।

सभापति महोदय, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि ओडिशा ने किस प्रकार हमारे राज्य में इस समस्या का सामना किया है। आपने दो जाने माने व्यक्तियों के अपहरण की घटनाएं देखी होंगी। अपने देखा कि जब दो कट्टर माओवादियों घासी और गननाथ पात्रा, की रिहाई की मांग की गई तो सरकार ने माओवादियों से बातचीत करने से साफ इंकार कर दिया। दो अत्यधिक कट्टर और खतरनाक व्यक्ति, जिन्हें माओवादी छुड़ाना चाहते थे, परन्तु, सरकार का यह उत्तर था कि इस विषय पर कोई वार्ता नहीं होगी, जिन मुद्दों पर बात की जा सकती है उनपर बात कीजिए। अंततः किन मुद्दों पर बातचीत हुई? एक महिला, अर्थात् एक मांडर की पत्नी को छोड़ा गया और अब तक चासी मुलिया संघ के पांच या सात लोगों को रिहा किया गया है, जो कि बहुत निचले स्तर के कैडर हैं और जिनके विरुद्ध मामूली से अपराध दर्ज है। अतः, मेरा यह मानना है कि राज्य सरकार ने अपहरण की इस जटिल स्थिति को बड़ी बुद्धिमता से और पूरी परिपक्वता से संभाला है। निःसंदेह, हमारे राज्य में, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है। कि चरमपंथी हिंसा की दृष्टि से माओवादी हमलों की घटनाओं में कमी आ रही है। सरकार ने वन अधिकार अधिनियम और उसके कार्यान्वयन की दृष्टि से असाधारण कार्य किया है।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ओडिशा में लाभार्थियों अर्थात् जनजातियों की संख्या की दृष्टि से और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन्हें दिए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अत: यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। परन्तु, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य में श्री नवीन पटनायक द्वारा आरंभ की गई 'दो रुपये किलो चावल' की योजना, जनजातीय क्षेत्रों में एक समान रूप से सभी पर लागू है। वहां कोई एपीएल और बीपीएल श्रेणी नहीं है। सभी को इस का लाभ मिलता है और आज यह योजना इन स्थानीय लोगों और स्थानीय जनजातीय के लिए एक बहुत बड़ी सहायता और राहत का स्रोत बन गई है। आपने और सभासदों ने यह देखा है कि इसी कारण से वहां माओवादियों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और स्थानीय दबाव के कारण उन्हें अपहृत लोगों को अंततः छोड़ना पड़ा। मेरा मानना है कि इसका कुछ श्रेय सरकार को भी जाता है। सभापति महोदय, अब मैं सीधे इस बात पर आता हूं कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। केन्द्र सरकार को मनमाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनके अपने मुख्य मंत्री, कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हेलीकॉप्टर द्वारा छानबीन के साथ-साथ्ता यात्रा के संदर्भ में सहायता हेतु सरकार को लिखा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पिनाकी मिश्रा : चेयरमैन साहब, आप छोटी पार्टियों के इतने ज्यादा संरक्षक हैं तो कृपया आप हमें थोड़ा समय दीजिए। इस हाउस में छोटी पार्टियों के सबसे बड़े संरक्षक आप है। मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं बकवास नहीं करूंगा, कोई बेवकूफी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको इतना बता सकता हूं।

[अनुवाद]

इसलिए, सभापति महोदय, हम सरकार से उनके अपने मुख्य मंत्रियों द्वारा की जा रही हेलीकॉप्टर सीमा सड़कों का निर्माण इन क्षेत्रों को दिए जा रहे बहुत मामूली आईएपी को बेहतर तरीके से लागू कराना जैसी मांगों की तरफ ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। मेरे साथी कोरापुट के माननीय सांसद यहां पर उपस्थित हैं। वे कहते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में, आईएपी एक पूरा धोखा है। यह काम नहीं करता क्योंकि संसद सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया गया है; विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया; और आईएपी के संबंध में नौकरशाह नौकरशाही जैसा रवैया ही अपनाते हैं। जिससे स्थानीय लोगों का भला नहीं हो सकता। इस तरह के मामलों में निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। हमें (उठाओ पिक एंड चूस और छांटो नीति) अपनानी होगी, जिससे असंतुष्ट और भ्रमित लोगों का भला होगा।

सभापति महोदय, मैं अपने भाषण में एनसीटीसी के मुद्दे के बारे में उल्लेख करूंगा, मुझे लगता है कि तीन-चार प्रदेशों में कांग्रेस के 3 या 4 मुख्य मंत्रियों, इन के अलावा इस सदन के प्रत्येक सदस्य और देश के प्रत्येक मुख्य मंत्री सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। यह एक ऐसी चीज है जो बेईमानी से निकली है। मैं यह सलाह के तौर पर कह रहा हूं। इसी सदन में, माननीय गृह मंत्री जी को दोषी ठहराया गया था। मैं यह पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि वह 13 मार्च, 2012 को इस सभा में उन्होंने ईमानदारी से उत्तर नहीं दिया। एक तारांकित प्रश्न के उत्तर के संबंध में दिये गये वक्तव्य में सात तक एनसीटीसी के कर्त्तव्य और कार्यकरण दिए गए हैं। छापेमारी के संबंध में, तलाशी और जब्ती के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में, अभियोजन के संबंध में, कुछ भी नहीं कहा गया है; इस सभा के समक्ष एक वक्तव्य रख दिया गया है। यह एक बहुत ही कपटपूर्ण ढंग से तैयार की गई तरकीब जिसे यहां खेला जाना था। वास्तव में एनसीटीसी की संकल्पना का कार्यान्वयन हमारे देश में अमेरिका की नकल पर बिना सोच विचार किया गया है। आज हमारे पास एनआईए की छाया मात्र है। मुंबई धमाकों के बाद हम सभी एनआईए को अस्तित्व में लाने हेतु सहर्ष तैयार थे।

हमें मालूम है कि एनआईए में केवल 388 पदों का ही सजृन किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से निष्प्रभावी साबित होना ही था। अब ऐसे में एनसीटीसी को कैसे बेहतर बनाया जायेगा? अत: मैं, केन्द्र सरकार, और गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपने बौद्धिक दर्द को, जिसके लिए उनके दल के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं वैसे मुझे नहीं मालूम कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे थे या प्रशंसा नहीं कर रहे थे, कुछ समय के लिए प्रयोग ना करें।

महोदय, वह एक बहुत भाग्यशाली गृह मंत्री रहे हैं क्योंकि दुर्भाग्य से पाकिस्तान, जैसा श्री शेखर ने कहा, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, अत: बाहरी मोर्चे पर गृह मंत्री इस देश के लिए बहुत भाग्यशाली रहे हैं लेकिन आंतरिक मोर्चे पर, जहां तक अंतर्राज्यीय संबंधों और केन्द्र-राज्य संबंधों का प्रश्न है, उन्हें बहुत कुछ करना है। मैं उनसे अपनी ऊंची उड़ान से धरातल पर आने तथा मुख्यमंत्रियों की आगामी बैठक में राज्यों के साथ अधिक अर्थपूर्ण ढंग से सम्बद्ध होने का अनुरोध करता हूं।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, सबसे पहले, मैं मुंबई शहर के महत्व के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं, जो ना केवल महाराष्ट्र की राजधानी है बल्कि इस देश की भी आर्थिक राजधानी है। दुर्भाग्य से यह शहर, जो इस देश के कुल राजस्व के 34 प्रतिशत से अधिक का भुगतान केन्द्र सरकार को करता है, असुरक्षित है। जब भी यहां के नागरिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे - अपने घर से बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, तो वे अपने जीवन के प्रति आश्वस्त नहीं होते; नाम मालूम कब वहां बम विस्फोट हो जाए या कब वहां पर आतंकवादी हमला हो जाए।

मैं लगातार हुए बहुत सारे बम विस्फोटों और हमलों के बारे में बताना चाहता हूं जो 1993 से महाराष्ट्र में हुए। 12 मार्च, 1993 को लगातार हुए बम विस्फोटों ने झावेरी बाजार सहित पूरी मुंबई को दहला दिया था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। 29 अक्तूबर, 1993 को माटुंगा स्टेशन पर विस्फोट हुआ, जिसमें दो लोग मारे गए थे और 40 से अधिक घायल हुए थे। 27 फरवरी, 1998 को विरार, ठाणे में विस्फोट हुए जिसमें दो लोग मारे गए थे। 2 दिसम्बर, 2002 को घाटकोपर में एक बस में विस्फोट हुआ, जिसमें दो लोग मारे गए थे और 49 लोग घायल हुए थे। 6 दिसम्बर, 2005 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन में विस्फोट हुआ जिसमें 22 लोग घायल हुए। 27 जनवरी, 2003 को विले पार्ले स्टेशन के नजदीक विस्फोट हुआ, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हुए। 13 मार्च, 2003 को मुलुंड में एक रेलगाड़ी में विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 80 से अधिक घायल हुए थे। 29 जुलाई, 2003 को घाटकोपर में एक बस में विस्फोट हुआ, जिसमें तीन लोग मारे गए थे और 30 लोग घायल हुए थे। 25 अगस्त, 2003 को झावेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया में हुए दोहरे विस्फोटों में 55 लोग मारे गए थे और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। 3 मई, 2006 को घाटकोपर में विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। 11 जुलाई, 2006 को सात उपनगरीय रेलगाड़ियों में विस्फोट हुए जिसमें 189 लोग मारे गए थे और 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। 8 सितम्बर, 2006 को नासिक जिले के मालेगांव को तीन विस्फोटों ने दहला दिया था जिसमें 31 व्यक्ति मारे गए थे और 312 व्यक्ति घायल हुए थे। 29 सितम्बर, 2008 को नासिक जिले के माले गांव में भीखू चौक पर विस्फोट हुआ जिसमें छह लोग मारे गए थे और 101 लोग घायल हुए थे। 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 12 फरवरी, 2010 को पुणे के जर्मन बेकरी में विस्फोट हुआ था जिसमें कुछ विदेशी नागरिकों सहित कुल 17 व्यक्ति मारे गए थे और 54 व्यक्ति घायल हुए थे। 13 जुलाई, 2011 को झावेरी बाजार सहित दक्षिणी मुंबई तीन बम विस्फोटों से दहल गई थी जिसमें 21 लोग मारे गए थे एवं 130 जख्मी हुए।

महोदय, इसी प्रकार जनजातीय बहुल आबादी वाला महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला, नक्सली हमलों से जूझ रहा है। 9 अक्तूबर, 2009 को गढ़चिरौली में नक्सलियों ने 17 पुलिसकर्मियों को मार डाला। यही नहीं, 2 नवम्बर को गढ़चिरौली जिले में नक्सली हमलों में दो अन्य लोग घायल हो गए थे। लाहरी गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर जैतूनी हरे यूनिफार्म वाले करीब 200 सशस्त्र नक्सलियों ने एक पुलिस गश्ती टीम पर हमला किया।

महोदय, उसके बाद 13 अक्तूबर, 2011 को एक बड़ा हमला हुआ था।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री आनंदराव अडसुल : क्यों, महोदय। मैंने सिर्फ दो या तीन मिनट ही बोला है।...*(व्यवधान)*

आपको इस विषय के महत्व के बारे में जानना होगा कि मुंबई, जो देश को 34 प्रतिशत राजस्व दे रहा है में क्या हो रहा है। यह एक महानगर है जहां विभिन्न धर्मों और देश के विभिन्न राज्यों के लोग रह रहे हैं। मुंबई शहर का यही महत्व है। कहा जाता है कि मुंबई लघु भारत है; यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी है।

13 अक्तूबर, 2011 को सीआरपीएफ यूनिट के प्रमुख श्री विजय कुमार मारे गए थे। हम प्रत्येक सप्ताह समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि एक हमला हुआ है जिसमें विशेषतः, पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के लोग मारे जा रहे हैं। उस तरह से, यह बहुत गंभीर मामला है।

महोदय, मैं कसाब के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसे हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा जिन्दा पकड़ लिया गया था। अब, वह हमारे देश के जेल में है परन्तु उसे अभी तक फांसी नहीं दी जा सकी है। मुझे नहीं मालूम है कि उसे किस कारण से फांसी नहीं हो पायी है। अफजल गुरू के साथ भी ऐसा ही मामला है।

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया एक मिनट का समय दें।

श्री आनंदराव अडसुल : जी, हां, महोदय।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको कारण बताऊंगा। मैं आपको कारण बताऊंगा क्योंकि इसे बार-बार उठाया जाता है।...*(व्यवधान)*

हमें एक राष्ट्र के रूप में अवश्य फैसला लेना चाहिए... क्या हम विधि के शासन के प्रति वचनबद्ध हैं या हम कुछ मुद्दों को विधि के शासन के बाहर जाकर हल करने के प्रति वचनबद्ध हैं? हमें किसी एक तरफ रहने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। यदि हम इस देश या इसके कुछ निश्चित पहलुओं को कानून के दायरे से बाहर जाकर शासन करने के प्रति वचनबद्ध हैं तो हम कसाब को खड़ा कर उसके सिर में गोली मार सकते हैं। यदि हम विधि के शासन के द्वारा शासित होते हैं तो हमें उस पर मुकदमा चलाने और अपील करने और पुनः अपील करने की अवश्य अनुमति देनी चाहिए। उस पर एक अदालत में मुकदमा चला; उसे दोषी ठहराया गया। उसने उच्च न्यायालय में अपील की; दोषसिद्ध की अभिपुष्टि हुई। उसने उच्चतम में अपील फाइल कर रखी है; मामले पर सुनवाई हो चुकी है; और पिछले सप्ताह फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। जब निर्णय सुना दिया जायेगा, तब हम कार्यवाही कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि 'कसाव को वहां क्यों रखा गया है?' कहने से पहले अपने विचार को अवश्य स्पष्ट कर लेना चाहिए। कसाब को वहां इस लिए रखा गया है क्योंकि एक अपील लंबित है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री अडसुल के अलावा बाकी बातें कार्यवाही में नहीं जायेंगी। आप सब कृपा कर आसन ग्रहण करें। शांति रखें।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि हमें कुछ निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। परन्तु अफजल गुरू के बारे में क्या कहना है? सन् 2001 में उसने इसी संसद, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर हमला किया था। क्या आपके पास इसका कोई जबाव है?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री आनंदराव अडसुल : आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसमें सालों लग गए हैं।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरूनेलवेली) : यह सब जानते हैं कि गृह मंत्रालय की बहुआयामी जिम्मेदारियां हैं। जिनमें से महत्वपूर्ण हैं — आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य, संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन इत्यादि।

आंतरिक सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है जो पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास से संबंधित है। आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के रूप में आंतरिक सुरक्षा संबंधी उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए तथा उनके पास पर्याप्त संख्या में जवान, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण इत्यादि भी होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष राज्यों को केंद्र की ओर से पर्याप्त अनुदान-सहायता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यदि पुलिस बलों को पर्याप्त धन जारी नहीं किया जाएगा तो वे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पायेंगे। समय-समय पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने हेतु आपात स्थिति में राज्यों को केंन्द्रीय बल उपलब्ध कराये जाते हैं। बहुत से राज्यों में महिला पुलिस, बल बहुत कम है। तमिलनाडु और दिल्ली पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल रखने वाले अग्रणी राज्य हैं। राज्यों से महिला पुलिस बलों में वृद्धि करने हेतु आगे आना चाहिए और महिलाओं को राज्य पुलिस बल और अर्ध सैनिक बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्यों को अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

अक्सर पुलिस और सैन्य कर्मियों की कार्यदशाएं दयनीय होती हैं। उन्हें लम्बे समय तक काम करना पड़ता है, पर्याप्त पानी/भोजन/विश्राम के बिना वर्दी, गर्म और ठंडे मौसम की स्थितियों में खड़े रहना पड़ता है। अक्सर उन्हें अकस्मिक परिस्थितियों के लिए छुट्टी नहीं दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार-बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.एस. रामासुब्बू]

है। विशेषरूप से सेना में कार्यरत जवान मानसिक रूप से अशांत होते हैं, उनमें से कुछ अपने उच्चधिकारियों के व्यवहार से कुंठित होते हैं। ऊंचे स्थानों, संवेदनशील स्थलों पर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और पर्याप्त वेतन, रक्षात्मक सामग्रियों, स्वास्थ्य जांच, छुट्टी इत्यादि से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अक्सर जवानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। उनकी वाजिब शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकारियों को जवानों की शिकायतें धैर्यपूर्वक सुनने का निर्देश दिया जाता है। देश की सुरक्षा के लिए देश के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए शिक्षित और प्रेरित किया जाना चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) का संबंध है तो ऐसी शिकायतें मिली हैं कि राज्यों से समुचित रूप से परामर्श नहीं किया गया है और राज्यों द्वारा व्यक्त बहुत सी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा ऐसी भावना है कि एनसीटीसी आदेश राज्यों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली निकाय का गठन किया जाना चाहिए। प्रस्ताव लागू करने से पूर्व राज्यों द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं और आशंकाओं का समाधान करना होगा। आतंकवाद से लड़ने और स्वापक संबंधी आपराधिक क्रियाकलापों पर काबू पाने के लिए एनसीटीसी का गठन अत्यावश्यक है। प्रत्येक राज्य को इस अच्छे कार्य में सहायता करनी चाहिए। राज्य सरकार को एनसीटीसी लाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए।

जहां तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का संबंध है तो बड़ी संख्या में वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने का उचित प्रमाण रखने की जानकारी नहीं थी वे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनमें से अधिकांश, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अभी भी अपनी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं और वे अपने जीवन के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय राजस्व राज्यों द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय राजस्व से वितरित की जा रही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन में अनियमितताएं/विसंगतियां पाये जाने की भी सूचना है। सरकार को प्रणाली की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें कोई खामी न हो। इसी प्रकार, बहुत से जवानों, पुलिसकार्मियों, जिन्होंने देश और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, को अनुग्रह राशि इत्यादि नहीं दी जाती है जैसाकि घटना होने के समय आश्वासन दिया जाता है। उनके आश्रितों को एक उचित समयावधि के भीतर रोजगार देने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

भारत बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन, सुनामी, जंगल की आग इत्यादि जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील बन गया है। इन चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु आपदा कम करने के उपायों को मजबूत बनाया जाना और लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। विधार्थियों को आपदा प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही कार्पोरेट तथा सरकारी विभागों का अपने स्टाफ को रक्षा संबंधी तैयारियों और आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

देश में तटीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 7,500 कि.मी. का विशाल तटीय क्षेत्र है। तटीय सुरक्षा संबंधी लापरवाही की सूचना भी अवसर मिलती है और हमें तटीय खतरों से अपने देश की रक्षा करनी पड़ती है। तटीय सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए और तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। मछुआरों की पहचान पत्र जारी करने के अलावा, नौकाओं के पंजीकरण, ट्रांसपोंडरों की स्थापना, तटवर्ती गावों के निवासियों को बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) जारी करने के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए और तटवर्ती गश्त को तेज मिकए जाने की भी आवश्यकता है।

सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत जवानों, पड़ोसी देशों में निर्माण कार्य कर रहे, सीमा सड़क संगठन, आईटीबीपी और संवेदनशील स्थानों में कार्यरत जवानों महत्वपूर्ण प्रतिष्ठनों की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ के जवानों का भी पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी मूल आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे कि सामान्यत: अधिकारियों को सुविधाएं दी जाती हैं। उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और उनकी वाजिब चिंताओं का भी समाधान किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री रतन सिंह** (भरतपुर) : भारत महान देश है 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या 113 करोड़ के करीब पहुंच गई है। सभी का

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। शिशु जन्म व मृत्यु के पंजीकरण अनिवार्य हैं। देश के सम्पूर्ण क्षेत्र में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और चीन से जुड़ा हुआ है। इन सभी सीमाओं पर सुरक्षा बल कार्यरत है, जो सदैव दीश की सीमा पर निगरानी व सुरक्षा करते हैं। समुद्री सीमा पर आवश्यक सुरक्षा के प्रावधान किये हुए हैं। भारत का समुद्र तट सीमा 9 राज्यों व 4 संघ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जिस पर आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के सभी साधन कार्यरत हैं। सभी प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिये सभी आंतरिक व बाहरी अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये आधुनिक तकनीकी के हथियार, नवीनतम सूचना यंत्र एवं अन्य साधन भारतीय पुलिस को उपलब्ध कराई है। 2008-09, 2010-11 के लगभग 3612 करोड़ इस मद में स्वीकृत किये हैं। भारत सरकार ने समेकित कार्य योजना के तहत पहले 72 जिलों में साक्षरता, सड़क, सिंचाई, पेयजल जैसी सुविधाएं दिलाने के लिए 15 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। जिससे वहां कि निवासियों को सभी सुविधाएं मिल सकें एवं विकसित भारत के साथ विकास कार्य में सक्रिय सहयोग कर प्रगति में सहयोगी हों, जिससे इन क्षेत्रों में शांति और सदभाव सदैव कायम रहे। सरकार ने बढ़ते मादक पादार्थों की तस्करी रोकने के लिये आवश्यक कानूनी प्रावधान लागू किये हैं।

देश में लगभग 27 आपदा प्रवण राज्य एवं संघ क्षेत्र हैं, जिसमें आपदा के समय भोजन सामग्री एवं सभी आवश्यक साधन, सुरक्षा के सभी उपाय समय रहते हुए सरकार आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने को तत्पर रहती है।

विकसित विश्व के साथ भारत सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। भारतवर्ष भाईचारा, सद्भाव और आपसी सहयोग के लिए विश्व प्रसिद्ध देश है।

माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि विकासशील भारत में 65 वर्षों के बाद भी दलित समाज अभी भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाया है। दलित वर्ग, गरीब वर्ग में सामाजिक व धार्मिक व सम्मानीय स्वतंत्रता अभी भी अपेक्षित है। भारतवासियों का सुखद स्वप्न है कि भारत दो प्रकार का न हो, एक ही प्रकार का होना चाहिए। ऐसा भारत हो, जहां सभी समाज, जातियां, धर्म आजादी से समान रूप से रहें। सहअस्तित्व, धार्मिक सहिणुता के अवसर मिलें जिससे सभी जातियों का समग्र रूप से समान विकास हो। विकसित शहरों व गांवों में उपलब्ध सभी सुविधाओं का, स्वतंत्रता का सभी व्यक्ति उपयोग कर सकें यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, असहिष्णुता के कारण विभिन्न प्रदेशों में दलित व महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में बहुत वृद्धि हुई है।

हरियाणा के कई जगहों पर दलितों को मारपीट किया, घर जला दिया गया एवं हाथ काट दिये गये। ऐसी बर्बर घटनाओं की रोकथाम अविलम्ब आवश्यक है। देश में 2007 में 29825, 2008 में 33367, 2009 में 33426 घटनाएं दलितों के शोषण और अत्याचार की हुई है।

दलितों के प्रति अपराध एवं महिलाओं के प्रति अपराधों की तालिका नीचे दी गई है।

दलितों के प्रति अपराध

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखंड	उत्तराखंड	दिल्ली
2008	8009	3617	598	42	34
2007	6144	2786	538	71	24
कोर्ट में लम्बित मामले (07-08)					
	30266	8115	854	300	92
महिलाओं के प्रति अपराध					
2008	23569	8662	3183	1151	3938
2007	20993	7548	3317	1097	4804

कोर्ट में लम्बित अपराध वर्ष 2007 का विवरण भी दर्शाया गया है। इससे प्रगति अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं दिल्ली जैसे प्रान्तों में अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो समाज में विखराव का कारण बना हुआ है। दलित महिलाओं पर 2007 में 1349, 2008 में 1457 अत्याचार हुए और 2007 में 407 महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं:—

- माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भारत के अधिकतर गांवों में अभी दलित समाज के व्यक्तियों को अन्य समाज अपनी बराबरी के साथ रहने व बैठने में दूरी बनाये हुए है।

[श्री रतन सिंह]

- दलित समाज के व्यक्ति अभी भी खुलकर गांवों में बराबरी तौर पर चारपाई पर बैठ नहीं पाते। दलित समाज के व्यक्ति अभी मंदिर में अन्य समाज के व्यक्ति की तरह भगवान के दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। पेयजल स्रोतों से बराबरी में पेयजल प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अभी विवाह समारोह/शादी में दूल्हे/वर को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है एवं बैंड बाजा भी नहीं बजने दिया जाता है। इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार सामने आती रहती हैं।

- शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय जैसे विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी एवं मेडिकल इत्यादि में पर्याप्त निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रवेश व लाभ नहीं ले पाते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में विभिन्न नियुक्तियों में स्थान नहीं ले पाते हैं एवं यह सभी पद अन्य विकसित वर्गों द्वारा भर दिये जाते हैं।

- उच्च पदों पर प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्तियां, माननीय उच्च न्यायालय के जजेज के पदों पर नियुक्तियां होने में चहुंओर कठिनाइयां ही मिलती हैं। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में जजेज की नियुक्तियों हेतु दलित वरिष्ठ न्यायाधीश पदास्थित नहीं पाये। दलित समाज को सरकार भर्तियों से रोकने को एक विशेष तरीका ठेकेदारी प्रथा पर भर्ती का सामने आया है। इस भर्ती के अनुसार सभी पद अन्य सवर्ण समाज द्वारा भर दिये जाते हैं। दलित समाज को आरक्षण नहीं मिल पाता है, जबकि प्रधान एवं मूल नियोजक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के है।

- उत्तर प्रदेश में आपातकाल के दौरान दलितों को जमीनें आवंटित की गई थीं। ज्ञात हुआ है कि बाहुबलियों एवं अन्य सवर्ण समाजों द्वारा उनकी जमीनों को पुन: छीनकर कब्जा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज तड़प रहा है एवं समाज में अपना सम्मान बचाये रखने के लिये संघर्षरत है। विभिन्न स्वीकृत पदों पर आरक्षण के हिसाब से अभी तक भी भर्ती नहीं हो पा रही है। अभी तक केवल 7-8 प्रतिशत तक ही विभिन्न आरक्षण का कोटा भरा जा सका है। दलित समाज में विशेष असंतोष बना हुआ है। उनकी नियुक्ति हेतु वांछित योग्यता रखने के बावजूद महत्वपूर्ण विशेषज्ञ पदों का चयन नहीं हो पाया है। इनके उच्च स्तरीय समीक्षा किया जाना एवं बैकलाग भरा जाना अति आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार भारत के 64 प्रतिशत गांवों में दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। 43 प्रतिशत गांवों में दलितों का सड़कों पर बारात निकालना तथा बैंडबाजा बजाना वर्जित है। 38 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बैठकर खाना (मिड-डे-मील) खिलाया जाता है और दलित बालक रसोई तथा परोसगारी से बाहर रहता है। कोई 30 प्रतिशत पंचायत कार्यालयों में दलितों को घुसने और बैठने की व्यवस्था नहीं है, जबकि 28 प्रतिशत दलितों को राशन की दुकानों में कार्य करने और 12 प्रतिशत गांवों में मतदान तक नहीं करने दिया जाता है।

- भारत मां के परितंत्र होने में मूल रूप से असमानता आपसी फूट एवं छुआछूत इत्यादि कारण रहे हैं। विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा इन्हीं सामाजिक कुरीतियों का लाभ उठाया गया एवं भारत को बार-बार गुलाम बनाया गया। आज भी यह मूल कारण है जो समान रूप से समाज के देश के समग्र एवं बहुमुखी विकास में बाधा है। इसी परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक है कि सामाजिक असमानताओं एवं आपसी फूट एवं छुआछूत के समूल उन्मूलन के लिये सामाजिक एवं संगठन स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए एवं इन समाज की सामाजिक बीमारियों को समूल उखाड़ कर फेंका जाए।

भरतपुर का मेवात क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है जहां हिन्दू और मुसलमान दोनों साथ-साथ रहते हैं। भाईचारे की भावना से रहते हैं। शांति और सदाचार सदैव पूर्ण बना रहे, इसके लिए स्थाई तौर पर दो कंपनी आरएसी/सीआरपी कौ सदैव तैनात किया जाये।

भरतपुर क्षेत्र भगवान श्रीकृष्ण व ब्रज आंचल का क्षेत्र है, जहां उन्होंने विभिन्न क्रीड़ाओं की, समाज के उच्च नियमों की सर्व स्वीकार्य स्थापना की। ब्रज भाषा इस क्षेत्र की मूल भाषा है। ब्रज भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये एवं मान्यता दी जाये।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भारत के सभी दलित, गरीब, मजदूर किसानों को न्याय दिलाया जाये, उन्हें सम्मानपूर्वक रहने, अपना विकास कर सद्‌भाव और समानता के जीवन यापन करने का अधिकार और सुअवसर वास्तविक रूप से दिलाये जाने के सभी वांछित उपाय, प्रबंध करें। सभी प्रकार के साधन उपलब्ध कराये जायें और समाज के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी व संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध समय रहते सभी वांछित कार्यवाही की जाये, जिससे भविष्य में किसी भी गरीब, किसान दलित मजदूर को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। वह सुरक्षित महसूस करे। उन्हें सम्मानपूर्वक सदाचार और भाईचारे के साथ रहने के सुअवर मिलें। भारत सरकार के गृह विभाग के जनकल्याणकारी एवं जनउपयोगी भारत में एकता और शांति और सद्‌भाव बनाये रखने के लिये इस अच्छे बजट का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में अपनी पाटी की ओर से खड़ी हुई हूं।

गृह मंत्रालय संभवत: सर्वाधिक जटिल मंत्रालय है और मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा गत चार वर्षों के दौरान भी आंतरिक सुरक्षा मुद्दों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए निश्चित रूप से उन्हें बधाई देना चाहती हूं। आज देश में क्या घटित हो रहा है, अनेक वक्ताओं ने वामपंथी आंदोलन के बारे में बोला है। उन्होंने आतंकवाद की बात की है। मुझे लगता है कि आतंकवाद आज केवल हमारे देश की समस्या नहीं है परंतु यह एक वैश्विक परिदृश्य बन गया है जिसके बारे में हम सभी बहुत चिंतित हैं। जैसा कि श्री अडसुल जी ने कहा है मुझे लगता है कि यह बहुत ही सटीक बात है कि महाराष्ट्र, जहां से हम चुनकर आए हैं, वह पूरे देश में आंतकी हमलों के लिए सबसे आसान लक्ष्य है। इस देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य, महाराष्ट्र, उसमें भी विशेषकर मुंबई जहां गत दशक में संभवत: सर्वाधिक हृदयविदारक विस्फोट हुए हैं, मैं दो दशकों में सर्वाधिक आतंकी हमले हुए हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हम केवल 26/11 को ताज महल होटल और ओबराय होटल में हुए बम विस्फोटों की घटना की बात करते हैं परन्तु, छोटे क्षेत्र जहां समाज के निचले स्तर के लोग, अर्थात् आम आदमी रहते हैं वहां विभिन्न ट्रेनों में अनेक विस्फोट हुए हैं और ये लोग इन ट्रेनों का प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और इन विस्फोटों में घायल हुए हैं, और हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से ध्यान देने और पूरी क्षमता के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में विफल रहे हैं। मैं इस धरा का नमन करती हूं। मेरे सहयोगी श्री रितीश ने भी जर्मन बेकरी घटना का उल्लेख किया और अनेक सदस्यों ने महाराष्ट्र में हुए आतंकी हमलों पर चिंता व्यक्त की है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को निश्चित रूप से इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि जब कभी किसी भी समय, दिन हो या रात महाराष्ट्र में आतंकी हमला हुआ, वह तुरंत हमारे राज्य में पहुंचे और यथा संभव हमारे सभी मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया। परन्तु, ऐसे कुछ मुदे हैं जिनका मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष उल्लेख करना चाहूंगी। वह बहुत विद्वान आदमी है और उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी है। 'परन्तु, मेरा यह मानना है कि भारत के समक्ष पूरे लाल गलियारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है। मेरे पूर्व वक्ता ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है और प्रधानमंत्री ने भी कई बार इस बात को दोहराया है कि माओवादी आंदोलन वामपंथी आंदोलन पर नियंत्रण लगाने की दृष्टि से आज आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बहुत घटिया है। महाराष्ट्र के बारे में आज मैं हाल ही में घटित एक घटना का उल्लेख करना चाहती हूं। पुस्तोला नामक एक गांव में सीआरपीएफ के 12 जवानों की हत्या की गई और 31 जवान घायल हुए। लगभग तीन दिन पहले पिछले सप्ताह भी एक घटना हुई। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि माननीय गृह मंत्री नियमित आधार पर महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में हैं। वह हमारी सहायता करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं परन्तु, हमें केन्द्र सरकार से विभिन्न स्तरों पर सहायता की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि हमें वस्तुत: त्वरित कार्यवाही बल का गठन करने की आवश्यकता है और हमने ऐसा किया है। हमारे पास लगभग 38 टीम हैं जिन्हें सुदृढ़ बनाए जाने और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। हमने उनसे कुछ हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने मुंबई के लिए हमें एक हैलीकॉप्टर दिया है परन्तु, इन सभी नक्सल और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए हमने हैलीकॉप्टर के लिए हैली-स्लाइथरिंग प्रैक्टिस एयर का अनुरोध किया है जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री भी माननीय गृह मंत्री से मिले थे। मुझे लगता है कि वह इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं।

फोर्स वन के संचालन का अनुरोध किया गया है। मुझे लगता है कि हमने महाराष्ट्र के अंतर्गत संचालन की मांग की है। हमने एक और बेहतर कदम उठाया है, वह है साइबर निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना। यह हमारे राज्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमें निश्चित

[श्रीमती सुप्रिया सुले]

रूप से केन्द्र सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। हमने केन्द्र सरकार की सहायता से अपने राज्य में 20 स्थानों पर एसआईडी कनेक्शनों की व्यवस्था की है। एसएमएसी और एसआईडीआईबी से जुड़े हुए हैं और हमें समर्थन देने के लिए हम आईबी का धन्यवाद करते हैं।

आर्थिक आतंकवाद एक अन्य मुद्दा है जिसे इस चर्चा में शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में एफआईसीएम, आर्थिक अपराध विंग ने उत्कृष्ट कार्य किया है। हावड़ा रेल लाइन संभवत: एक ऐसा स्थान है जहां सबसे अधिक हमले हुए हैं। हमें आर्थिक आतंकवाद के मुद्दे का समाधान करने के लिए केन्द्र से और अधिक सहायता की आवश्यकता है। एनसीटीसी के संबंध में काफी कुछ कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार निश्चित रूप से इनकी समर्थक है परन्तु, यहां एक मुद्दा है। मेरे विचार से हमारे माननीय गृह मंत्री ने भी यह कहा है कि यदि वे इसके प्राधिकार को स्वीकार करते हैं, तो वे इसकी जिम्मेदारी भी लेंगे कभी हमला होने पर अथवा जो भी भूमिका वे निभाना चाहें। मुझे लगता है हमें अधिक स्पष्टता चाहिए और हमें आशा है कि 5 तारीख को माननीय गृह मंत्री इन सभी लंबित मुद्दों को निश्चित रूप से स्पष्ट करेंगे।

एक दूसरा बड़ा मुद्दा त्वरित कार्यवाही बल का है। त्वरित कार्यवाही बल हमेशा से ही सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्राप्त दलों में से एक रहा है। जब उनकी तैनाती हमारे सभी राज्यों में होती है तो केवल हमारा राज्य ही नहीं – यह सभी राज्यों में होता है कि तब हमेशा विवाद होता है। राज्य सरकार हमेशा उन लोगों के प्रति सहायक नहीं होती जो उत्तर की तरफ से अथवा किसी बटालियन और इसके विपरीत आते हैं। इसलिए, हमेशा विवाद हुए हैं और कई बार हमें वो परिणाम नहीं प्राप्त हुए जैसे हमें अपेक्षित थे। इसलिए, जब भी त्वरित कार्यवाही बल की तैनाती होती है, यदि यहां से गृह मंत्रालय के संबंध राज्यों के साथ बेहतर हों, तो मुझे लगता है, हमें शानदार परिणाम प्राप्त होंगे।

ई-गवर्नेन्स अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) में, केन्द्र सरकार हमारे प्रति विशेष रूप से सहायक रही है। संपूर्ण आधुनिकीकरण के लिए, अभिग्रहण सीसुबल केरिपुबल और एनएसजी के माध्यम से किया गया है। यह सब कुछ केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है। यदि यह पूरा होता है और निर्धारित समय के अंदर पूरा होता है तो महाराष्ट्र को लाभ होगा, जहां संभवतया आतंकवाद की सबसे बड़ी समस्या है जिसका हम पिछले 20 वर्षों से सामना कर रहे हैं।

दो ऐसे बिन्दु हैं, जिनका में उल्लेख करना चाहती हूं, जिन पर पहले बात की जा चुकी है। अब मैं कसाब के बारे में बोलूंगी। मैं देख सकती हूं कि वह इस बात से परेशान है कि अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं आया है। भारत के लोगों में भी, कसाब को देखकर वेदना होती है और मुंबई में हम उसे सुबह-शाम देखते हैं। हमें जो बात स्वीकार करने में बहुत परेशानी है वो है – मैं मानवाधिकारों का सम्मान करती हूं – कि आप उसे फांसी पर नहीं लटका सकते। फास्ट ट्रैक अदालत हमारे लिए एक विकल्प है, परंतु मुझे लगता है कि दुनिया को यह जानना चाहिए कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है और ना ही करेगा तथा हमें इसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

विवाद का एक और विषय, जो हमारा केन्द्र सरकार के साथ है, कि केन्द्र सरकार ने कसाब की निगरानी के लिए हमें भातिसीपु की बलियनें दी हैं और हमारे पास 21 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक चुनौती है। इसलिए, मुझे लगता है कि इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

अंतिम बिन्दु राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के बारे में है। एनआईए केन्द्र सरकार द्वारा की गई एक बहुत अच्छी शुरूआत और एक अच्छा सुझाव है। परंतु, इसमें डीआईजी के पद है, जो अभी तक खाली हैं। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में डीआईजी के पद हैं, जोकि शुरूआत से ही खाली हैं। 2006 और 2008 में मालेगांव में विस्फोट हुए थे, जिनका श्री आनंदराव अडसुल ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है। दोनों विस्फोटों में, हैदराबाद से लोग आए और उन्होंने जांच की। इसलिए, मुझे लगता है इन सभी बिन्दुओं से माननीय गृह मंत्री पूर्णतया अवगत होंगे और मुझे विश्वास है कि वह निश्चित ही इन मुद्दों का समाधान करेंगे।

अब सिर्फ एक आखिरी मुद्दा बचा है जिस पर चर्चा नहीं हुई है। माननीय गृह मंत्री सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु मुझे विश्वास है कि 5 तारीख को जब वह सभी मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, वो निश्चित तौर पर इसका उल्लेख कर सकते हैं कि हमारे पास अपराध अभिलेख ब्यूरो है और यदि आप गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी अपराध अभिलेख ब्यूरो के अभिलेखों का अवलोकन करेंगे – चाहे यह भादस के अंतर्गत अपराध हो, चाहे यह महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो,

चाहे ये दुर्व्यापार के खिलाफ अथवा बच्चों के विरुद्ध हो — पिछले चार से पांच वर्षों में सभी अपराध बढ़े हैं, यदि नहीं बढ़े हैं तो वे काफी हद तक उतने ही रहे हैं परंतु वे कम नहीं हुए हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने और कार्यवाही करने को अनुरोध करती हूं। मैं उनका समर्थन करती हूं। बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए, विशेषकर जब यह इस देश की महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो। मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं और माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री के रूप में उनकी सभी उपलब्धियों पर बधाई देती हूं।

***श्री एस. सेम्मलई** (सलेम) : आतंकवाद और उग्रवाद देश की स्थिरता पर आघात करने वाले दो बड़े खतरे हैं। परन्तु, देश के लोगों की सहायता और प्रयासों से भारत इस समस्या पर काबू पा लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं हैं। परन्तु, हममें से अधिकांश सदस्य इस बात से दुःखी हैं कि सरकार अब भी लापरवाहीपूर्ण ढंग से इस समस्या का समाधान ढूढ़ रही है। सन् 2008 के 26 नवम्बर को हुए मुंबई हमले के बाद से, आतंकी के नौ मामले ऐसे हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं पाए हैं, अपराधियों को पकड़ने में गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्यवाही धीमी और असंतोषजनक है। जेहादी समूहों के अलावा, हिन्दू कट्टरवादी भी अपना घृणित चेहरा दिखला रहे हैं, ऐसे समय में गृह मंत्रालय को सतर्कता के साथ त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं बरती जानी चाहिए। यह तथ्य सभी की जानकारी में है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को उकसा रहा है एवं उन्हें सहायता दे रहा है। भारत को यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि पाकिस्तान की यह दलील कि आंतकवादी समूहों को सहायता देने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, राष्ट्रों के समूह को प्रभावित नहीं कर पायेगी। जब तक पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को आश्रय देता रहेगा तब तक द्विपक्षीय वार्ता से कोई भी उपयोगी हल या परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ गृह मंत्रालय को किसी भी बाहरी या आंतरिक आतंकवाद का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए।

वामपंथी उग्रवाद के प्रति केन्द्र की तैयारी की दशा संतोषप्रद नहीं है। उग्रवादी स्वयं में एक कानून बन गए है और बंधकों को मुक्त करने के लिए अपनी शर्त बनाते है जैसा उन्होंने ओडिशा में किया। इसका क्या अर्थ है? वे हमारे ऊपर शर्तें थोपते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सम्प्रभुता के प्राधिकार पर सवाल उठाते हैं।

मुझे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर दें। राज्यों से विचार-विमर्श किये बगैर गठित किये गये केन्द्र सरकार के एनसीटीसी का लगभग 11 मुख्य मंत्रियों ने विरोध किया है। तमिलनाडु के माननीय मंत्री जी डॉ. पुराची तलबी अम्मा ने केन्द्र की कोशिश को ठीक ही राज्यों के महत्व को कम करने का प्रयास और राज्यों को महिमान्वित नगरपालिकाओं के रूप में पदावनत करने के समतुल्य कहा है। संविधान निर्माता शक्तिशाली केन्द्र और दुर्बल राज्यों की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। आप कमजोर अंगों के साथ शक्तिशाली मस्तिष्क नहीं रख सकते। ठीक उसी तरह, कमजोर राज्यों से आप शक्तिशाली केन्द्र नहीं बना सकते। चाहे यह एनसीटीसी हो या आरपीएफ को पुलिस की शक्तियां देने का मामला हो, या सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक 2011 हो, आपकी सारी कार्यवाही का उद्देश्य राज्यों की अनदेखी करना है, किन्तु यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। राज्यों के साथ अधीनस्थ की भांति बर्ताव न करें। आने वाले वर्षों में केन्द्र में केवल गठबंधन सरकारें ही बनेंगी। यदि केन्द्र, संगीन मामलों में राज्यों से विचार-विमर्श करने की संस्कृति को नहीं अपनाएगा तो अनावश्यक संघर्ष उत्पन्न होगा।

मेरे विचार से पंडित नेहरू ने एक बार जो कहा था उसे यहां दोहराना उचित होगा, "जो कुछ भी हम सर्वसम्मति से प्राप्त करते हैं, जो हम सहयोग से प्राप्त करते हैं, वह टिकाऊ रहेगा। जो कुछ भी इधर उधर हम संघर्ष, जोर-जबरदस्ती या धमकी से प्राप्त करेंगे यह ज्यादा दिन नहीं रहेगा।" यहां, मैं केन्द्र से विशेष अपील करता हूं कि वह राज्यों की भावनाओं का सम्मान करे और उनके प्रति मालिकाना रवैया न अपनाए। हम सहयोग सम्मान और परस्पर एकजुट होकर भारत की समृद्धि, शांति में योगदान दें।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : सभापति महोदय, मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमने गृह मंत्रालय के बजट के आंकड़ों को देखा है कि गृह मंत्री जी को कितना धन प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही मामूली है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी पूर्व में वित्त मंत्री भी थे। अब, वह गृह मंत्री हैं। जब वह वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री ने वित्तीय आवंटन हेतु उनसे संपर्क किया था। अब, गृह मंत्री के तौर पर धनराशि के आवंटन हेतु उन्हें वित्त मंत्री जी से संपर्क करना है। लेकिन, जो संसाधन उन्हें मिले है वे बहुत कम हैं।

महोदय, हम जानते हैं कि रक्षा और गृह इस देश के दो महत्वपूर्ण

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. एम. तम्बिदुरइ]

घटक हैं। हम मानव जीवन और उनकी सम्पत्तियों की रक्षा करने वाले शासक हैं। यदि कोई इस उद्देश्य की पूर्ति में असफल होता है, तो वह इस देश पर शासन करने के लिए अयोग्य है। आज सुबह बहुत से सदस्यों ने पूर्वोत्तर की महिलाओं की समस्याओं और उनके सामूहिक बलात्कार जैसी समस्याओं को उठाया। दिल्ली जैसे शहरों में भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने और भी बहुत से मुद्दे उठाए। अत:, मानव जीवन की सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसके लिए, हमें अधिक धन आवंटित करना होगा जिसमें अब हम असफल हुए हैं।

पिछले साल 2011-12 की अनुदानों की मांगों के आंकड़ों की तुलना में, इस वर्ष केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 2010-11 में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब, यह केवल 12 प्रतिशत है। इसलिए, कुल दस अनुदानों हेतु मंत्रालय को 62,171 करोड़ रुपए मिले हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री को अधिक धनराशि आवंटन हेतु अवश्य प्रयास करने चाहिए जिसे वह राज्य सरकारों को उनके गृह मंत्रालयों हेतु आवंटित करें।

अधिकतर राज्य सरकारों को धनराशि जुटाने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। वे अब केवल केन्द्र पर आश्रित हैं क्योंकि उनकी सभी वित्तीय शक्तियां वापस ले ली गई हैं। यदि वे किसी राज्य में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो वे केन्द्र पर निर्भर हैं। इसलिए, यह गृह मंत्री जी का परम कर्त्तव्य है वह उस उद्देश्य हेतु वित्त मंत्रालय से धनराशि प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें और उसे हासिल करें, किन्तु इसमें वह असफल हुए हैं।

इसी तरह, केन्द्र को राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिनमें गृह मंत्रालय ने बहुत से निकायों का निर्माण कर राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए, 26 नवम्बर को मुंबई हमले के बाद, क्या हुआ? एनआईए बनाया गया था। जब एनआईए बनाया गया था, बहुत से सदस्यों ने आशंका जताई थी कि चूंकि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्तियां दी गयी थीं, बहुत सी राज्य सरकारें उस प्रावधान का विरोध करेंगी। उस समय, मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह मामले को देखेंगे। अभी तक, उन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

एनसीटीसी के निर्माण के संबंध में, बहुत से सदस्यों ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हम वास्तव में आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं। यह इस समय की सर्वोपरि आवश्यकता है कि सरकार आतंकवाद का सामना पूरी मुस्तैदी से करे। साथ ही, जब इस तरह का कोई निकाय बनाया जा रहा है, तो इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करनी चाहिये। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया है क्योंकि एक बार फिर गिरफ्तार करने की शक्तियां एनसीटीसी को ही दी गयी हैं। जब अधिकार उन्हें दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से राज्य पुलिस बल की शक्ति छीन ली गई है। संविधान द्वारा राज्य सरकारों को पुलिस रखने और पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति देने का अधिकार दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे कानून लाने से राज्य सरकार केवल एक महिमामंडित निगम बन जाएगी। जब ना केवल वित्तीय शक्ति बल्कि गिरफ्तारी की शक्ति भी केन्द्रीय एजेंसियों में निहित होती है, तो राज्य एक निगम बन जाता है। ऐसा ही होने जा रहा है। इसी बात को मेरी मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही की मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी कहा गया है कि उन्होंने अधिकांश शक्तियों को वापिस ले लिया है और राज्यों से परामर्श भी नहीं किया गया है। हमारी मुख्य मंत्री ने इस संबंध में आशंका जताते हुए और गृह मंत्रालय में जो चल रहा है वह बताते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे पत्र लिखे हैं।

इसी तरह से, गृह मंत्रालय ने नेटग्रिड नामक एक दूसरी एजेंसी का गठन किया है। केन्द्र सरकार कुछ सूचना चाहती है। यही कारण हैं, कि उन्होंने इस एजेंसी की स्थापना की है। साथ ही, रक्षा मंत्रालय और केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालय इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे अपनी सूचना को आपके साथ बांटने को तैयार नहीं हैं। सरकार इस उद्देश्य के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन कर रही है। इस संबंध में, उन्होंने राज्य सरकारों के साथ परामर्श नहीं किया है। वे अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं।

श्री खगेन दास, हमारे मार्क्सवादी सहयोगी, ने पहले ही आरपीएफ अधिनियम के संशोधन का मुद्दा उठाया है। इसमें भी, वे आरपीएफ को अधिक शक्ति दे रहे हैं, और राज्य सरकारों की शक्ति छीन रहे हैं। परंतु अभी तक, 'पुलिस अधिकारियों की शक्तियां' संबंधी प्रावधान केवल भारतीय पुलिस अधिनियम में ही उपबंधित था। वे इस शक्ति को भी छीन रहे हैं और आरपीएफ को अधिक शक्तियां दे रहे हैं।

दूसरा उदाहरण यह है कि केन्द्र ने बीएसएफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। श्री खगेन दास ने यह मुद्दा भी उठाया है।

यह भी संघवाद के खिलाफ है, यहां भी आप राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं।

सीबीआई के संबंध में, कुछ सांसदों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि केन्द्र सरकार सीबीआई को नियंत्रित करती है। यह सर्व-विदित है। इस संबंध में कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। सब जानते हैं 2जी स्पेक्ट्रम मामले में क्या हो रहा है। वे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान वे कुछ लोगों को धमका रहे हैं, कभी-कभी उनके साथ नम्रता से पेश आते हैं और कुछ भाग रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन है जिसे इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, परंतु उन्हें पक्षपात रहित तरीके से काम करना होगा। अतः, उस उद्देश्य के लिए, उन्हें सीबीआई को अधिक प्राधिकार देने होंगे। मैं उनसे ऐसा करने का अनुरोध करता हूं।

अब, मैं भर्ती संबंधी नीति की बात करता हूं। अभी, आईपीएस की भर्ती बहुत धीमी है। यह पर्याप्त भी नहीं है। उसके लिए, आप सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों से कार्मिकों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह कदम उठा रहे हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। उन्हें ज्यादा आईपीएस अधिकारियों की भर्ती करनी चाहिए।

महोदय, तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में तमिलनाडु की हमारी मुख्य मंत्री ने पहले ही बहुत सारे कदम उठाए हैं। तटीय सुरक्षा समूह का गठन सबसे पहले 1994 में हुआ था जब वह मुख्य मंत्री थीं। तटीय सुरक्षा योजना के चरण-I के अंतर्गत समुद्री पुलिस स्टेशनों, आउटपोस्ट और जांच चौकियों जैसी अवसंरचना की स्थापना की गई। हाल ही में योजना के चरण-II के अंतर्गत 30 समुद्री पुलिस स्टेशन, 20 नौकाओं, 12 जैटियों, 30 चार-पहिया वाहनों आदि की स्वीकृति दी गई है। हमने तटीय क्षेत्र सुरक्षा के लिए इन वस्तुओं का सृजन किया है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, के.रि.पु.ब., सी.सु.ब., भा.ति.सी.पु. और के.ओ.सु.बः शामिल हैं। इन संगठनों से अधिकांश कर्मचारियों अर्थात् लगभग 50,000 लोगों ने त्यागपत्र दिया है। उनके संबंध में कुछ निश्चित नहीं है क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। मान लिजिए, देश के दक्षिणी भाग से कोई कर्मी हमारे देश के किसी उत्तरी भाग में सेवा कर रहा है और वह दक्षिण में अपना स्थानातंरण चाहता है तो उनका स्थानांतरण नहीं हो पाता। वे वहीं पर अपनी सेवा देने के लिए बाध्य होते हैं इसके परिणामस्वरूप, उनमें से कुछ त्याग पत्र दे रहे हैं और इन बलों में कुछ कर्मी तो आत्महत्या कर रहे हैं। अतः, चाहे उनके प्रति कुछ नरमी और सहानुभूति दर्शानी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। यदि उन्हें उनके राज्य में समायोजित और स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो कम से कम उनके पड़ोसी राज्य में उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। आप इस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं। कुछ सुरक्षाकर्मी 20-25 वर्षों से किसी सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात हैं और वे अपने मूलस्थान के निकट तैनाती प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

महोदय, अब मैं नक्सलवाद और माओवाद से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूं। जब डॉ. एम.जी.आर. मुख्य मंत्री थे उस समय तमिलनाडु में नक्सलवाद आरम्भ हुआ। उन्होंने इस स्थिति को कैसे संभाला? उन्होंने बलपूर्वक नक्सलवाद की स्थिति को संभाला और उन्होंने लोगों को अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी दिए। इसी प्रकार, तमिलनाडु की हमारी मुख्य मंत्री अम्मा जे. जयललिता भी इसी प्रकार यह कार्य कर रही हैं। एक माननीय सदस्या ने 2 रु. प्रति कि.ग्रा. या 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल प्रदान करने का उल्लेख किया। परन्तु, तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्य मंत्री निःशुल्क चावल और अनेक घरेलू वस्तुएं प्रदान कर रही हैं इसके अतिरिक्त वृद्ध लोगों के लिए बढ़ी हुई पेंशन तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी किया जा रहा है। यदि आप माओवादियों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको दूरदराज के क्षेत्रों विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने और विकास अवसंरचना विकसित करनी होगी? इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आरंभ करनी होगी। अन्यथा, यह समस्या हमेशा जारी रहेगी।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा अधिकारियों के अपहरण से संबंधित है। सभा में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से एक आईएएस अधिकारी के अपहरण का मामला उठाया गया था। श्री एलेक्स पॉल मेनन छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत थे परन्तु, हमें यह नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था। हमारे माननीय सदस्य ने भी हाल ही में यह मुद्दा उठाया था। उनके परिवार के सदस्य भी उनको लेकर चिंतित हैं। लोक सेवक ऐसे क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं परन्तु, उन क्षेत्रों में सेवारत व्यक्तियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? यदि उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है और उनका अपहरण किया जा रहा है तो राज्य में ऐसे क्षेत्रों में सेवा करने के लिए कौन आगे आएगा? अतः, केन्द्र सरकार को इस स्थिति का समाधान करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। यह एक अति गंभीर मामला है जिसे मैं सभा में उठा रहा हूं। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि, यदि आईएएस अधिकारियों का अपहरण किया जाता है, विदेशी नागरिकों या किसी विधायक का अपहरण किया जाता है तो भविष्य में अन्य राजनीतिज्ञों का भी अपहरण किया जा सकता है। आपका भी अपहरण किया जा सकता है। हम आज ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। सुबह भी कुछ माननीय सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में संसद सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था।

विशेषाधिकार समिति के सभापति श्री चाको, ने संसद सदस्यों की सुरक्षा हेतु कुछ सुविधाएं और नयाचार स्थिति के संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। मुझे जानकारी नहीं है कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मैं उनसे उस प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। इसके अतिरिक्त, सभा में एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था कि माननीय महिला सदस्य राज्य सरकार के एक समारोह में भाग नहीं ले सकीं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अनेक सदस्य ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। अतः, हम कोई अधिकार या सुविधा चाहते हैं। समिति ने पहले ही विभिन्न मंत्रालयों को यह सिफारिश की है और मेरा मानना है यह मामला इस समय गृह मंत्री के पास लंबित है। अतः मेरा, गृह मंत्री जी से अनुरोध कि वह यह सुनिश्चित करें कि माननीय संसद सदस्यों को सुरक्षा मिले जिसके संबंध में एक प्रस्ताव पहले ही लंबित पड़ा है।

अंततः, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय हो, परन्तु, समन्वय के नाम पर केन्द्र राज्यों के अधिकारियों में हस्तक्षेप न करे। उनके पास अपने अधिकार हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संविधान में उन्हें यह अधिकार दिए हैं, परन्तु, समवर्ती सूची के नाम पर केन्द्र उनके सारे अधिकार छीन रहा है और राज्य सरकार के परामर्श के बिना अनेक संगठनों की स्थापना कर रहा है। अतः, यथार्थ रूप से संघीय व्यवस्था की रक्षा करने के लिए गृह मंत्री को राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

***श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम) : मैं देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और संविधान के अनुसार राज्यों का शासन सुनिश्चित करने के लिए सं.प्र.ग. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह और माननीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम को बधाई देती हूं।

गृह मंत्रालय राज्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा कर रहा है। परन्तु, नक्सल प्रभावित राज्यों में अभी भी काफी कुछ किया जाना है। अक्सर नक्सली अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों, वरिष्ठ नौकरशाहों का अपहरण करते हैं और बारूदी विस्फोट कर रहे हैं।

राजभाषा समिति का सदस्य होने के कारण मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मंत्रालय राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू कर रहा है। हमने कई विभागों की जांच की है और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उन पर जोर दिया है।

मंत्रालय का राज्य विभाग केन्द्र-राज्य संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन के कार्य देखता हैं अभी हाल ही में, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के गठन के संबंध में केन्द्र और कुछ राज्यों के बीच कुछ समस्या हुई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, गृह मंत्री ने इस समस्या का समाधान किया है और इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं।

जहां तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध का संबंध है, यह हम सभी के लिए अत्यन्त चिन्ता की बात है। किसी भी राज्य की राजधानी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग आस-पास के गांवों से शहर की तरफ नौकरी की तलाश में आते हैं। परिणामस्वरूप यहां आने-जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। हम सभी को ज्ञात है कि अपराध करने के बाद अपराधी पास के गांवों में भाग जाते हैं। इसके बावजूद भी, इन अपराधों पर काबू पाने के लिए मैं पुलिस को धन्यवाद देती हूं। आतंकवादियों और अन्य अपराधों से निपटने के लिए उन्हें आधुनिक हथियार और नवीनतम तकनीक प्रदान किये जाने की जरूरत है। चूंकि महिलाओं के प्रति अपराधों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यह आवश्यक है कि इस संकट का समाधान करने के लिए महिला पुलिस बल को बढ़ाया जाये और कम से कम 10 प्रतिशत आईपीएस के पद केवल महिलाओं हेतु आरक्षित किया जाये।

यदि महिलाओं के प्रति कोई अपराध घटित होता है, तो महिला अधिवक्ता, महिला डाक्टर और महिला पुलिस जैसे महिला बल द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए।

महिला बटालियन पुलिस बल की संख्या में वृद्धि आवश्यक है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उन्हें अधिक संख्या में पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रोसाहित किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के उपद्रव से निपटने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बटालियन के अंतर्गत तटीय आंध्र में महिलाओं की रक्षा हेतु महिला बटालियन स्थापित करने की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में, निजी सुरक्षा एजेंसियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हम उनका स्वागत करते हैं। वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के ए.टी.एम. और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों की रखवाली करते हैं। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन निजी सुरक्षा अभिकरणों के प्रशिक्षण के मापदंड क्या हैं? क्या मंत्रालय उनके काम-काज के समय और उनकी तैनाती की देखरेख कर रहा है?

तटीय पुलिस थाने बनाने के लिए मैं गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। परन्तु, तटीय बेल्ट की चौकसी करने के लिए आधुनिक हथियारों और जैटी की तुरंत व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। इन पुलिस थानों में कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को 30 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए। सभी पुलिसकर्मियों की अन्य पुलिस विभागों की तरह तटीय पुलिस थानों में दो वर्षों की अनिवार्य प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए ताकि वे अधिक जोश और उत्साह के साथ कार्य कर सकें। मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि जहां भी तटीय पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं उनमें सुचारु रूप से कार्य को सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करें और जिस कार्य के लिए बजट का आवंटन किया गया है उसी पर प्रभावी रूप से इसे खर्च करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर दें।

देश में केन्द्र सरकार के सभी विभागों में, साइन-बोर्डों पर त्रिभाषीय फार्मूला—अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए। इससे न केवल हिन्दी का लागू किया जाना सुनिश्चित होगा बल्कि राष्ट्रीय एकता भी सुनिश्चित होगी।

यद्यपि, अनुदानों की मांगों की जांच गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति द्वारा विस्तारपूर्वक की जा चुकी है तथापि मैं 2012-13 की अनुदानों की मांगों का हार्दिक समर्थन करती हूं।

***श्रीमती विजया चक्रवर्ती** (गुवाहाटी) : आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन को बनाए रखना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मंत्रालय का कार्य राज्यों का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करना है न कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण करना या उनमें हस्तक्षेप करना।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एनसीटीसी, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित एक अप्रचलित विचार है। इस साधन के माध्यम से गृह मंत्रालय देश के संघात्मक ढांचे में हस्तक्षेप और उसे नष्ट करना चाहता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों पर नियंत्रण प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

गृह मंत्रालय के इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से देश छिन्न-भिन्न हो जाएगा। एनआईए पहले से ही कार्यरत है।

समग्र विकास तथा एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए शांति और सामंजस्य, अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं।

उभरते हुए विघटनकारी तत्वों का सामना करने के लिए कोई समन्वित नीति नहीं है। क्या नक्सल, माओवादी और देश में सक्रिय अन्य उपद्रवी तत्वों जैसे चरमपंथी गुटों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई समग्र दृष्टिकोण है? इनकी गतिविधियां कम होने के बजाय देश के हर कोने में बढ़ रही हैं।

क्या जैसा आजकल हो रहा है हम इसे एक कानून व्यवस्था की समस्या मानकर इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम उन कारणों का पता लगाने के लिए जिनके फलस्वरूप इन समस्याओं ने पिछले 60 वर्षों से यहां अपनी जड़ें जमा रखी हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर उपस्थित हों।

सत्ता लोलुप नेतृत्व, कभी-कभी जिसके आग्रह पर ये समस्याएं बरकरार रहती हैं हटाया जाना चाहिए।

अब तक हम रोग अर्थात मुख्य समस्या से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि रोग के लक्षणों जैसे उपद्रव और आतंकवाद आदि से ही जूझ रहे हैं।

हमें यह जानना चाहिए कि युवा इन समूहों के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं।

इन खतरनाक और संवेदनशील प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए अत्यधिक कार्यकुशलता की आवश्यकता है। सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकता के साथ-साथ कड़े उपायों से देश को इस अभिशाप से मुक्त किया जा सकता है।

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आतंकवाद और उपद्रव, आंतरिक विघटनकारी ताकतों के साथ-साथ निहित स्वार्थ वाली बाहरी ताकतों से कमजोर हुए राज्यों में फलता-फूलता है और सत्ता के लालची लोगों के आदेश पर अपने पैर पसारता है। यदि हम इस संबंध में सतर्क नहीं रहते हैं तो यह देश को बर्बाद कर देगा।

[श्रीमती विजया चक्रवर्ती]

जम्मू और कश्मीर में विभिन्न रणनीतियों के परिणामस्वरूप अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष लगभग 20 लाख पर्यटकों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया।

जहां तक उत्तर पूर्व क्षेत्र का संबंध है असम में उग्रवादी समर्पण कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है परन्तु, उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। परन्तु, कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है।

उपद्रवी तत्व अभी भी म्यांमार से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। बड़ी संख्या में अस्त्र-शस्त्र/गोला बारूद देश में आ रहा है। मणिपुर/नागालैंड में उपद्रवी तत्व, क्षेत्र में हमला करते रहते हैं।

धूर्त कोयला व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर धन एकत्र कर लिया है और ऐसी जानकारी है कि वे ऐसे तत्वों की भी सहायता करते हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी धीरे-धीरे माओवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कथित रूप से ऐसी भी जानकारी है कि मणिपुर में एनएससीएन और उपद्रवी तत्वों ने इन लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है।

जैसा कि बताया गया है उत्तर पूर्वी असम में हथियार छीनने और जबरन वसूली श्री गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं। मैं मंत्री जी से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करती हूं। बांग्लादेश, ऐसे उपद्रवी तत्वों के लिए एक सुरक्षित शरण स्थली बन गया है। यद्यपि, बांग्लादेश से गतिविधियां चलाने वाले कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, परन्तु बड़े संगठन अभी भी सक्रिय हैं।

असम में एक स्पष्ट नीति का अभाव है। गृह मंत्रालय बांग्लादेश से आने वाले करोड़ों लोगों के साथ क्या कार्यवाही करेगा? हमारी सीमाएं असुरक्षित क्यों हैं? सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है? सीमा सुरक्षा बल के होते हुए प्रतिदिन हजारों बांगलादेशी असम में कैसे घुस जाते हैं।

सीमा पुलिस को आधुनिक अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं दिए गए हैं?

सीमावर्ती नदियों की चौकसी के लिए सुरक्षा पुलिसकर्मियों की व्यवस्था क्यों नहीं है?

गृह मंत्रालय की यह नीति है कि बांग्लादेशी लोग असम में घुसपैठ कर और सरकार के अनुमोदन से यहां बसकर देश की नागरिकता प्राप्त करें और पूरे देश को अस्थिर करें।

यदि असम में चल रही स्थिति जारी रहती है तो कुछ वर्षों में देश का एक और विभाजन होगा।

पुलिस स्टेशनों की क्या स्थिति है? उनके पास बल नहीं है, आधुनिक हथियार नहीं है, निगरानी उपकरण और संचार प्रणाली नहीं है। केवल कुछ खाकीधारी लोग पुराने हथियारों से ही काम चला रहे हैं जो अपना काम पूरी मुस्तैदी से भी नहीं करते।

आउटपोस्ट बहुत कम है। संवेदनशील क्षेत्रों में आउटपोस्ट होना आवश्यक है। असम में केवल 6 वर्षों में 7500 बालिकाओं का अपहरण, 300 हत्याएं; मंदिर और नामधरों को व्यवस्थित रूप से लूटा गया मूर्तियों को नष्ट किया गया है।

सभी पुलिस स्टेशनों में अपराधों और अपराधियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए असम और उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपराधों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती।

उत्तर पूर्व क्षेत्र की सीमा-चीन, बांग्लादेश नेपाल और भूटान जैसे अनेक देशों से मिलती है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना एक आवश्यक शर्त है। यह क्षेत्र शेष देश के साथ एक छोटे से भूभाग से जुड़ा हुआ है।

गृह मंत्रालय का उपेक्षापूर्ण रवैया इस क्षेत्र के लए एक घातक विष का कार्य करेगा। अतः मेरा यह मंत्रालय से अनुरोध है कि बिना किसी और विलंब के उचित कदम उठाए जाएं।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

चेयरमैन साहब, देश में जो लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन डे बाई डे वीक हो रही है, उसके लिए जो मेन रीजन है, वह यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं बढ़ रही हैं। अभी सन्दीप दीक्षित जी पुलिस स्टेशंस के बारे में और कोस्टल लाइंस के बारे में बोल रहे थे। यह फैक्ट है कि 1991 में एक लाख की पोपुलेशन के लिए 131 पुलिस स्टेशंस थे, लेकिन अभी एक लाख की पोपुलेशन के लिए केवल 125 पुलिस स्टेशंस हैं।

अपराह्न 4.59 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

इसी तरह से जेल की पोजीशंस को भी बहुत इम्प्रूव करना चाहिए।

सैण्ट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेलों को अगर देखें तो ऑलरेडी इनकी ऑक्यूपेंसी 150 परसेंट तक जा रही है, इतनी ऑक्यूपेंसी कहीं भी नहीं है, लेकिन जेल पूरी बढ़ रही हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा इम्प्रूव करना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

यह सब इन्फ्रास्टक्चर इंप्रूव करने के लिए जो बजट एलोकेशन दिया है, टोटल एलोकेशन में होम अफेयर्स में 4.5 परसेंट दिया है। इसको काफी इनक्रीज करने की जरूरत है। मिनिमम 6 टू 7 परसेंट ऑफ दी टोटल बजट में होम अफेयर्स का बजट एलोकेशन होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज आलमोस्ट 10 से 15 परसेंट इसको एलोकेशंस दे रहे हैं, इसलिए जो भी एलोकशेन दिया है, वह बहुत कम है, इसके लिए ज्यादा एलोकेशन चाहिए। अगर वर्तमान में देखें तो कोस्टल लाइन में 7,516 किलोमीटर्स का कोस्टल लाइन है, उसके लिए केवल 73 पुलिस स्टेशंस हैं। आलमोस्ट 1100 किलोमीटर के लिए एक पुलिस स्टेशन है। उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसको देखना चाहिए। जम्मू और कश्मीर एंड बार्डर सिक्योरिटीज के बहुत ईश्यूज हैं, उसके लिए भी काफी कुछ गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है।

अभी देश में माफियाज काफी बढ़ रहे हैं। लॉ एंड आर्डर का प्राब्लम देखें तो माइनिंग माफियाज काफी बढ़ रहे हैं। लैंड ग्रैपिंग के माफियाज बढ़ रहे हैं। पोलिटिकल माफियाज भी बहुत हैं, उसमें ...* के भी हैं।...*(व्यवधान)* आप ठीक कह रहे हैं। ये माफिया पिछली यूपीए-वन और यूपीए-टू में काफी बढ़ रहे हैं। लिकर माफिया, आंध्र प्रदेश में लिकर माफिया प्रेजेंट सिटिंग मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है। *[अनुवाद]* यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से, राजनैतिक लोग माफिया गतिविधियों में लिप्त हैं। *[हिन्दी]* माफिया को कंट्रोल करना बहुत इंपोर्टेंट है। अभी रिसेंट टाइम में अगर देखें तो लास्ट यूपीए वन में ...*

[अनुवाइ]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया नाम न लें क्योंकि आरोप साबित किए जाने हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव : प्रूफ ऑफ डाक्यूमेंट के साथ दिया है। *[अनुवाद]* हमारे पास सीबीआई रिपोर्ट है। 2005 में ...(अध्यक्ष पीठ के अदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया, किसी का नाम न लें। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव : चेयरमैन साहब, आपकी परमीशन से एक कॉपी मैं होम मिनिस्टर को दूंगा। वर्ष 2005 में ....* इस केस में कुछ भी नहीं किया। *[अनुवाद]* सभापति महोदय, इस तरीके से माफिया का विस्तार हो रहा है।

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। आप जो कुछ भी लाये हैं पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव : सीबीआई की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है।

[अनुवाद]

> "मंगली कृष्णा के जांच वक्तव्य के अनुसार, "मामले के रहस्योद्घाटन से यह प्रमाणित हुआ है कि माननीय... के सहयोगियों" ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया इसे बन्द करें, अन्यथा मैं अगले सदस्य को आमंत्रित करूंगा। कृपया आप उन दस्तावेजों को पटल पर रख दें। आपने अपनी बात रखी, आप इसे माननीय मंत्री को दे दें।

श्री नामा नागेश्वर राव : मैं दे दूंगा, महोदय। *[हिन्दी]* जिस तरह से माफिया इन्वॉल्व हो रहा है, जिस तरह से सीबीआई रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)* सीबीआई इंक्वायरी उस जेंटलमैन के ऊपर जा रही है, वह भी कोर्ट का आर्डर होने के बाद। अभी यह मुद्दा ही है, लेकिन आज तक उसे अरेस्ट नहीं किया है, बाकी लोगों को आरेस्ट किया है। इस तरह से पोलिटिकल पीपुल को अगर सपोर्ट करते रहेंगे, माफियाज की इस तरह से हिम्मत बढ़ रही है।

सभापति महोदय, ये लोग नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं। नक्सली उन इलाकों में रह रहे हैं जहां गरीब लोग रहते हैं। ये लोग समृद्ध

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री नामा नागेश्वर राव]

घरों में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि राजनीतिक लोगों के समर्थन के कारण, ये लोग माफिया गतिविधियों में लिप्त हैं। इन लोगों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। हम कानून और व्यवस्था को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यदि इन लोगों का राजनीतिक और वित्तीय वरद हस्त प्राप्त होगा? यही कारण है कि माफिया गतिविधियां बढ़ रही हैं। आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं। *[हिन्दी]* सभापति महोदय, जिस तरह से प्रूफ होने के बाद भी इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेने की वजह से जिस तरह स माफिया इनक्रीज कर रहा है, होम मिनिस्टर को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस ईश्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। *[अनुवाद]* अन्यथा, चीजों को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। नक्सली जंगल में गरीब लोगों के साथ रह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वे अच्छे लोग हैं; मैं उनका समर्थन भी नहीं कर रहा हूं। परंतु ये माफिया लोग नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं। वर्तमान में, भारत दो तरह से बंटा है:— एक है अमीर भारत और दूसरा है गरीब भारत। नक्सली गरीब भारत के साथ हैं और ये माफिया लोग अमीर भारत के साथ हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए। आपने काफी समय ले लिया है। मैं आपको एक मिनट और दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव : लास्टली, मैं तेलंगाना के बारे में कहना चाहता हूं। तेलंगाना के बारे में होम मिनिस्टर ने नौ दिसम्बर, 2009 को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्लीयर कट कहा है कि सेपरेट तेलंगाना के बारे में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। *[अनुवाद]* ये लोग उनकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। यह सरकार छात्रों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है और 23 तारीख को उसी समय को उसी *[हिन्दी]* को उसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया। स्टेटमेंट रिवर्स करने की वजह से लगभग सात स्टूडेन्टस ने सुसाइड किया। *[अनुवाद]* ये लोग छात्रों की आत्महत्या के जिम्मेदार हैं। यह सरकार छात्रों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। *[हिन्दी]* इसके बाद श्रीकृष्ण कमेटी बनायी। कमेटी की रेकमेण्डेशंस आई। *[अनुवाद]* वे कुछ नहीं बोल रहे हैं *[हिन्दी]* कुछ नहीं बोला तो टीडीपी की तरफ से एक लैटर दे दो। हमने तो लैटर दे दिया आप कार्यवाही करिए। *[हिन्दी]* आपलोग स्टेट गवर्नमेन्ट चला रहे हैं। आप लोग सेंट्रल गवर्नमेन्ट चला रहे हैं। उस प्राब्लम को साल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग जिम्मेदारी के साथ उसको साल्व कर दीजिए। इसके कारण से हमारे तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में कोई इंवेस्टमेंट नहीं हो रहा है और बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। *[अनुवाद]* समस्त राज्य अशांत क्षेत्र हैं। *[हिन्दी]* तेलंगाना में काफी डिस्टर्बेंस है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव : आप के माध्यम से मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, गवर्नमेन्ट का स्टैंड क्या है? आप तेलंगाना देंगे या नहीं देंगे इसके बारे में क्लीयर करना चाहिए। एनसीटीसी के बारे में बाई अपोजिंग हमारे लीडर नारा चन्द्रबाबू नायडू जी ने एक लेटर दिया है उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। *[अनुवाद]* इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री पी. करुणाकरन** (कासरगोड) : गृह मंत्रालय का मुख्य ध्येय हमारे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। यह कहते हुए दुःख होता है कि स्वतंत्रता के 63 वर्षों के बाद भी, हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। साल-दर-साल, हम नयी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और पुरानी समस्यायें अनसुलझी पड़ी हैं। जब तीन साल पहले आतंकवादियों ने देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई पर हमला किया था और कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाईं तथा कुछ कुशल अधिकारी भी मारे गये तो देश सहम गया। इस सभा ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और सरकार ने इस मामले से निपटने के लिए कुछ नए कानून बनाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को मजबूत किया गया है और बहुत से अन्य उपाय किए गए हैं। यह घटना हमारे कमजोर सुरक्षा उपायों को दर्शाती है जो लम्बे समय से चले आ रहे थे।

यद्यपि यह अधिनियम संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और सभी शक्तियां सरकार को दी गई हैं, फिर भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। पिछले साल भी मुंबई पर हमला हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय में बम विस्फोट हुआ था और कुछ अन्य जगहों पर भी बम विस्फोट हुए थे। यह दर्शाता है कि सुरक्षा उपाय अभी भी बेहतर स्थिति में नहीं हैं। हालांकि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, यह संपूर्ण सुरक्षा सहायता का एक पहलू है।

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में, हम अभी बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में माओवादियों और नक्सलवादियों के हमले बढ़ रहे हैं। यह सरकार और देश के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। चाहे पश्चिम बंगाल हो अथवा बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, असम में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

और लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों में, सरकार इस मुद्दे को समय से काबू करने में विफल हुई है। इन शक्तियों का खतरा बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में आंध्र और कर्नाटक इसके उदाहरण हैं। हाल के समय में ओडिशा में एक विधायक का अपहरण किया गया था और छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने एक कलेक्टर को बंधक बना लिया था। विधायक और कलेक्टर का जीवन बचाने के लिए सरकार को कुख्यात अपराधियों को जेल से रिहा करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। राज्यों में ऐसा चलन सामने आया है।

हाल ही में, सरकार द्वारा पारित कुछ कानून राज्य और केन्द्र के बीच विवाद का मुद्दा बन गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और हस्तक्षेप के संबंध में सरकार ने एक न्या विधेयक पुर:स्थापित किया है विशेषकर जब बाहरी हस्तक्षेप हो रहा हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को कुछ ठोस उपाय करने चाहिए। परंतु साथ ही राज्य सरकार को भी विश्वास में लेना चाहिए। राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना और उनके दृष्टिकोणों पर विचार किए बिना, यह एक अनुचित कदम है और राज्यों तथा देश की भावना के विरुद्ध है। बहुत सी राज्य सरकारों ने केन्द्र की पहल का कड़ा विरोध किया है। केन्द्र सरकार को अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए।

बहुत से मामलों में सीबीआई की भूमिका एक विवाद का मुद्दा बन गई है। सरकार सीबीआई को लोकपाल विधेयक के दायरे में लाने में पूरी तरह से असफल हुई है। सरकार अपने राजनैतिक निर्णयों को लागू करने के लिए सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में चाहती है। पहले भारत में सीबीआई का एक प्रतिष्ठित दर्जा था। लेकिन अब केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण इसकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। हम जानते हैं कि बहुत से मामलों में केन्द्र सरकार ने सीबीआई का उपयोग या तो कुछ राजनैतिक दलों को समर्थन देने अथवा कुछ राजनीतिक दलों को मिलाने अथवा उन्हें तटस्थ रखने के लिए किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को स्थिर बनाए रखना है। इससे कानून की व्यवस्था की स्थिति में सहायता नहीं मिलेगी।

हमने केरल में देखा है कि कैसे सीबीआई को राजनेताओं के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। कुछ राजनैतिक दलों ने सीपीएम के सचिव के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांचों के माध्यम से एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। लेकिन पिछले चुनाव से पहले, इस मामले में दोबारा सीबीआई जांच की गई और जब सीबीआई ने पहल की थी तब ऐसा पूरी तरह राजनैतिक उद्देश्य से किया गया था। यहां तक कि सीबीआई की दोबारा जांच में भी कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई ने सीपीएम कार्यकर्त्ताओं का, खासतौर पर कनूर जिले में कुछ झूठे मामलों में आरोपित करने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाए हैं। 10 अथवा 15 साल पुराने कुछ मामलों में, सीबीआई को दोबारा मामला खोलने को कहा गया और उन्होंने इसमें सीपीएम कार्यकर्त्ताओं को दोषी के रूप में सम्मिलित किया। इन लोगों का इन मामलों से कोई संबंध नहीं है लेकिन वे राजनैतिक एजेण्डे के तहत सीपीआई(एम) और वामदलों की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। यह वास्तव में सीबीआई की एक बहुत खतरनाक पहल है और जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए, मैं सरकार से कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में सीबीआई की प्रतिष्ठा और उसका दर्जा बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : सभापति जी, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि आज राष्ट्र के सामने दो उदाहरण हैं। जहां ओडिशा में जनप्रतिनिधि का अपहरण हुआ वहां अपहरणकर्त्ताओं की दया पर जनप्रतिनिधि अपने परिवार में लौटा। दूसरा, सरकार की संस्थागत व्यवस्था में जिला अधिकारी प्रशासन का मुखिया होता है। मैं समझता हूं कि प्रशासकीय व्यवस्था में जिलाधिकारी से ज्यादा कोई ताकतवर पदाधिकारी नहीं होता है। आज निरीह अवस्था में नक्सलियों के बीच में वह फंसा हुआ है। वह उनकी दया और कृपा के आधार पर ही लौट कर अपने परिवार में आएगा। हमारी हुकूमत की ऑथरिटी कहां है? अभी जनप्रतिनिधि का और जिला प्रशासन के मुखिया का जिस राष्ट्र में अपहरण हो रहा हो और उसी परिप्रेक्ष्य में गृहमंत्रालय अनुदान मांगों पर यह बहस हो रही है। महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आखिर किस आधार पर इस राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी और गृह मंत्रालय किस आधार पर भारत के नागरिकों के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा प्रदान करेगी? महोदय, मैं यहां एक बात को रखना चाहता हूं कि आखिर क्यों राज्य की प्रशासन व्यवस्था फेल हो रही है? आज जहां पूरे राष्ट्र में बीस लाख के आस-पास पुलिस होनी चाहिए उसमें आज उनकी पच्चीस प्रतिशत रिक्तियां हैं। यह इसलिए है क्योंकि उनके राजस्व की क्षमता नहीं है कि उस बोझ को वहन कर सकें। भारत सरकार की जिम्मेवारी है राज्य की क्षमता को बनाए रखना और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है स्वयं विधान के मुताबिक कार्य करने की लेकिन उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। एक सामान्य बात मैं कह रहा हूं कि गत वर्ष राज्यों को ग्यारह सौ करोड़ रुपया उनके आधुनिकीकरण के लिए एवं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सहयोग मिलना था लेकिन केवल सात सौ करोड़ रुपये खर्च हुए। चार सौ करोड़ रुपये वापस हो गए। एक तरफ राज्य की पुलिस व्यवस्था अभाव को झेल रही है। दूसरी

[श्री जगदानंद सिंह]

तरफ, केन्द्र द्वारा जो उन्हें सहयोग मिलना है, इस बात के लिए नहीं मिलता है कि वे खर्च नहीं कर पाते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्यों की क्षमता बनाए रखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। इनका 50 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट है। केवल 700 करोड़ रुपये प्रशिक्षण के लिए हैं। जहां की पुलिस प्रशिक्षित नहीं होगी, हथियारों से लैस नहीं होगी, आज की चुनौतियों का सामना करने लायक नहीं होगी, हम अपनी उस धनराशि को भी व्यय नहीं कर पा रहे हैं जो गृह मंत्रालय को अपनी तथा राज्यों की पुलिस की अपनी क्षमता बनाए रखने के लिए प्राप्त होती है।

महोदय, मैं जानता हूं कि समय कम है। बिहार के भीतर औरंगाबाद में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इसलिए गोली चलाई गई, क्योंकि वे इस बात की मांग कर रहे थे कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। जहां उग्रवादी हैं वहां हम लड़ने से भाग रहे हैं और जहां जनता को लोकतांत्रिक ताकत और अधिकार मिले हुए हैं, यदि वे प्रशासकीय व्यवस्था के सामने अपनी बात उठाते हैं, तो गोली चलाई जाती है। आखिर इस राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलेगी?

भारत सरकार का कार्य है कि वह अपनी सीमाओं का प्रबंधन करे। मैं कोस्टल इलाके और अन्य इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात कर रहा हूं, जो नेपाल से लगी हुई हैं। सबको पता है कि आज नेपाल में माओइस्ट लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। चारों तरफ प्रबंधन हो रहे हैं। बंगाल की सीमा हो, त्रिपुरा की सीमा हो, चाहे वह म्यांमार से लगी हुई हो, बांग्लादेश में लगी हुई हो, चारों तरफ फैंसिंग के कार्य हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान और भारत की सीमाओं को फैंसिंग करके, लाइटिंग करके सुरक्षित कर दिया गया है। बहुत लम्बी मांग के बाद भारत सरकार ने नेपाल की सीमा पर केवल आइटीबीबी को नियुक्त किया है। उस कारण सारे अपराधी उधर से चले जाते हैं और बिहार की समस्या बनी रहती है।

मैं गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। ये बताएं कि आज अपराधियों, उग्रवादियों के हाथ आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं? हथियारों के दो ही स्रोत हैं — यदि विदेशों से आएंगे तो सीमा प्रबंधन द्वारा रोकना आपका काम है या भारत सरकार की हथियार बनाने की आर्डिनैंस फैक्ट्री है, वहां से वे सारे हथियार, गोला बारूद उग्रवादियों, अपराधियों के हाथ में जा रहे हैं। क्या इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका नहीं है? यदि केन्द्र सरकार उन अपराधियों, उग्रवादियों को आधुनिक हथियारों से लैस होने देगी, तो इस देश की कानून-व्यवस्था, शांति-सुरक्षा कैसे रह सकती है।

भारत और नेपाल की सीमा पर नेपाल की तरफ से गंडक नदी के इस पार आकर अनधिकृत रूप से इनक्रोचमैंट किया जा रहा है। वहां केन्द्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है कि आखिर भारत की सीमा, जहां अतिक्रमण हो रहा हो, उसे बचाने के लिए कुछ प्रयास किया जा सके। जब वहां केन्द्रीय पुलिस है तो बिहार पुलिस उस काम की देख-रेख नहीं कर सकती। केन्द्रीय पुलिस सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती तो सीमा प्रबंधन किस स्तर का है? मैं कहना चाहता हूं कि भारत और नेपाल, भारत और भूटान की सीमाओं को बहुत आसान न माना जाए। आप राष्ट्र को चारों तरफ से घेरेबदी में ले लें। अगर एक तरफ खुली सीमाएं रहेंगी तो अपराधियों, अलगाववादियों और आतंकवादियों को भारत में आने का रास्ता मिलता रहेगा। जब घटनाएं महाराष्ट्र में होती हैं तो आतंकवादियों का लिंकेज बिहार से इसलिए मिल जाता है क्योंकि प्रवेश द्वारा वही है। प्रवेश द्वार वही होगा जो खुला होगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अदब के साथ मांग करना चाहता हूं कि भारत-नेपाल और भारत-भूटान की सीमा को असुरक्षित न रखा जाए। हम जिस तरह फैंसिंग करके, फ्लड लाइट लगाकर अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, उस योजना के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जो नेपाल से लगती है, उसकी भी उतनी ही मुस्तैदी से रक्षा की जाए। वहां के केवल पुलिस लगाने से बात नहीं बनती।...*(व्यवधान)* यह एक अहम प्रश्न है। यदि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं असुरक्षित रहेंगी, एक ऐसा द्वार खुला रहेगा तो हर तरह के अपराध इस देश के अंदर होंगे। आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवादियों को हथियार मिलेंगे।

महोदय, अब तो इस देश में आर्थिक व्यवस्था पर भी चोट आ रही है। उसी रास्ते से हमारे यहां जाली नोट भी चले आ रहे हैं, जिस रास्ते से हथियार आते थे, आतंकवादी आते थे। आखिर उस सीमा को किस आधार पर असुरक्षित छोड़ा गया है, चाहे कोस्टल का इलाका हो, पश्चिम सीमाएं हों या पूर्वी सीमाएं हों। अगर हम भारत की रक्षा करने का दम रखते हैं, तो इस सीमा की भी रक्षा करनी पड़ेगी। उसकी भी फैंसिंग करनी पड़ेगी, फ्लड लाइट लगानी पड़ेगी। यहां भी हमें आधुनिक हथियारों से लैस सिपाहियों को लगाना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री मोहम्मद असरारूल हक** (किशनगंज) : हमारा हिन्दुस्तानी समाज मुख्तलिक मजहबी इंकाइयों, मुख्तलिफ कबिलों, जात और बिरादरियों पर आधारित है। हम एक-दूसरे से रंग व नस्ल और मजहब

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में अलग-अलग होने के बावजूद एक हैं और यही हमारी सबसे बड़ी समाजी दौलत है। हम सैंकड़ों साल से एक-दूसरे के साथ इसी तरह रहते आए हैं। हमें एक-दूसरे से किसी भी हाल में अलग नहीं किया जा सकता। हमारा यही कौमी बिरसा है। यही हमारी धरोहर है और यही हमारा इतिहास है। हमें इस काबिले फख्र कौमी विरासत की हिफाजत हर हाल में करनी है और इसके लिए हमें हर तरह की कुरबानी देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम एक अजीम सरजमी की अजीम कौम है। अजमत तोहफे में नहीं मिलती। इसे हासिल करना पड़ता है। इसको हासिल करने के लिए हमारे असलाफ ने हमारे पुरखों ने बेमिसाल और बेलॉस कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानी की राह कमजोर दिलों की राह नहीं है। ये उन लोगों की राह है जो मजबूत कूवत इरादे के मालिक होते हैं। जो खतरात मोल लेते हैं और जो वक्त के हर चैलेंज का मुकाबला करते हुए भरपूर एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं।

हजार बाद हवादिस हूं आंधियां उठे
मगर चिरागे मोहब्बत हमें जलाना है।

हमारे मुल्क के मेमारो की दूरंदेशी थी कि उन्होंने आजाद हिन्दुस्तान को एक सेक्यूलर स्टेट करार दिया। सेक्युलरिज्म का नजरिया, वेहदत में कसरत, अनेकता में एकता, मजहबी रवादारी और तमाम धर्मों के सम्मान पर आधारित है। यूं भी कसरत में वेहदत वाले समाज को एक जम्हूरी निजाम में कल्चरों के डायवर्सिटी के तकाजों के बीच एक दरमियानी रास्ते की जरूरत होती है। अगर हम आजाद हिन्दुस्तान के पिछले 63 सालों पर निगाह डालें तो हम बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं कि आवामी जम्हूरिया हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि लाख आंधी व तूफान के बावजूद हम हिन्दुस्तानी तेज व तुंद मुखालिफ हवाओं में भी जम्हूरियत के चिराग को पूरे आन, बान व शान के साथ जला रहे हैं।

जहां भी जाएगा ये रोशनी लूटाएगा
किसी चिराग का अपना मकां नहीं होता।

इसी के साथ हम इस हकीकत से भी बाखबर हैं कि हमारे सेक्यूलर और जम्हूरी मुल्क में अभी तक ऐसी जहनियत मौजूद है जो फिरका परस्ती और फिरका वाराना फसादात व तशद्दूद का सबब बनती रहती है। जिस तरह दहशतगर्दी और करप्शन और नक्सलवाद जैसी लानतों में निमटने के लिए जरूरतमंदाना और मजबूत इकदामात उठा रहे हैं इसी तरह फिरका परस्ती से निपटने के लिए हमें मजबूत और ठोस कदम उठाना होगा। इसलिए कि हमारा मुल्क सेक्यूलर बुनियादों पर खड़ा है और फिरका परस्ती उन बुनियादों को खोखला कर रही है। इसी तरह फिरका वाराना फसादात हमारे मुल्क की सेक्यूलर पेशानी पर कलंक का टीका है। बिला शुबा इन फसादात के बीज अंग्रेजों ने बोए थे। लॉर्ड क्लाइव की ईमा पर पहला फिरका वाराना फसादात 1741 में मुर्शिदाबाद में फूट पड़ी थी। अंग्रेज चले गए। मगर इसके बाद भी आजाद हिन्दुस्तान में फिरका वाराना फसादात का सिलसिला जारी है और अब तक हजारों फसादात रूनुमा हो चुके हैं। जब तक फसादात और फिरका वाराना फसादात की रोकथाम के लिए जामिया और मोअस्सिर इक्दामात नहीं किए जाएंगे ये दाग धोया नहीं जा सकता। फिरका वाराना हम आहंगी को कूवत बख्शने के लिए यूपीए हुकूमत की मुसलसल कोशिश के बावजूद फिरका परस्ती का जहर जिस तेजी के साथ फैलता जा रहा है और उसके असर बद से अख्लियतों और कमजोर तबकों में अदम तहफूज के एहसासात में जिस तरह इजाफा हो रहा है अगर जल्द-से-जल्द इसकी खबर न ली गई तो हमारा समाजी ताना-बाना बिखर जाएगा। कसीर जहती मुआशरे में तनाजे लाजिमी है। लेकिन आपसी तनाजात इख्तलाफात और झगड़ों को इंतकामी सियासत के जालिमाना जज्बे से दूर रहकर जम्हूरियत की हसासियत के साथ पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए।

याद रखिए, हमारा आईना समाज के रंगारंगी की भावनाओं को बरकरार रखने पर सबसे ज्यादा जोर देता है और हमारे मुल्क की एकता के लिए सेक्यूलरिज्म और जम्हूरियत से ज्यादा अहम कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर हमेशा कड़ी निगाह रखें। कि ये सिस्टम कभी बीमार न होने पाए।

उठा बढ़कर उन चिरागों को बुझा दो
जिन चिरागों से नफरत का धुंआ उठता है।

जनाब, हमारे राष्ट्रपिता और जद्दोजहत आजादी के अजीम कायद महात्मा गांधी जिन्होंने 15 अगस्त को हमारे लिए मुमकिन बनाया था। जब तिरंगे झंडे ने यूनियन जैक की जगह संभाली थी। इस मौके पर खुशियां मनाने के लिए वो देहली में मौजूद नहीं थे। वो कलकत्ता में थे। और हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तानियों से बचाने में मशरूफ थे। अगर आज गांधी जी होते तो हमें उस वक्त तक चैन की नींद लेने नहीं देते जब तक फिरका परस्ती की लानत से हमारे मादरे वतन को पाक न कर देते। गांधी जी का नजरिया ही था कि अगर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खून का दरिया पार करना पड़े तो ऐसी मंजिल को हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। उनका ख्याल था कि गलत रास्तों से कभी भी अच्छे नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते। इसीलिए उन्होंने ब्रितानवी साम्राज्य को मुल्क से निकालने के लिए अहिंसा का रास्ता इख्तियार किया था। गांधी जी को ये शेर नजर करके अपनी बात पूरी करता हूं।

फूंक कर अपने आशियाने को
रोशनी बख्श दी जमाने को।

[श्री मोहम्मद असरारूल हक]

آپ نے مجھے از راہ کرم وزارت داخلہ کے لئے امدادی بحث میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس کی تائید و سمرتھن کے لئے کھڑا ہوں۔

عزت مآب!

ہمارا ہندوستانی سماج مختلف مذہبی اکائیوں، مختلف قبیلوں، ذاتوں اور برادریوں پر آدھارت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے رنگ و نسل اور مذہب میں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی سماجی دولت ہے۔ ہم سینکڑوں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے آئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کسی بھی حال میں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ہمارا قومی ورثہ ہے، یہی ہمارا دھروہر ہے اور یہی ہمارا اتہاس ہے۔ ہمیں اس قابل فخر قومی وراثت کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے اور اس کے لئے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہئے۔ ہم ایک عظیم سرزمین کی عظیم قوم ہیں عظمت تحفہ میں نہیں ملتی اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے اسلاف نے ہمارے پرکھوں نے بے مثال اور بے لوث قربانیاں دی ہیں۔ قربانی کی راہ کمزور دلوں کی راہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی راہ ہے جو مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ جو خطرات مول لیتے ہیں اور جو وقت کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے، بھرپور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔

ہزار بار حوادث ہوں، آندھیاں اٹھیں
مگر چراغ محبت، ہمیں جلانا ہے

عزت مآب!

ہمارے ملک کے معماروں کی دوراندیشی تھی کہ انہوں نے آزاد ہندوستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا۔ سیکولرزم کا نظریہ وحدت میں کثرت، انیکتا میں ایکتا، مذہبی رواداری اور تمام دھرموں کے سمان پر آدھارت ہے۔ یوں بھی کثرت میں وحدت والے سماج کو ایک جمہوری نظام میں کلچروں کے ڈائیورسٹی کے تقاضوں کے بیچ ایک درمیانی راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم آزاد ہندوستان کے پچھلے ۶۵ سالوں پر نگاہ ڈالیں تو ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ عوامی جمہوریہ ہندوستان کا شاید سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ لاکھ آندھی و طوفان کے باوجود ہم ہندوستانی تیز و تند مخالف

ہواؤں میں بھی جمہوریت کے چراغ کو پورے آن بان اور شان کے جلا رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہم اس حقیقت سے بھی باخبر ہیں کہ ہمارے سیکولر اور جمہوری ملک کی ابھی تک ایسی ذہنیت موجود ہے جو فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ فسادات وتشدد کا سبب بنتی رہتی ہے، جس طرح ہم دہشت گردی اور کرپشن جیسی لعنتوں سے نمٹنے کیلئے جرئتمندانہ اور مضبوط اقدامات کر رہے ہیں اسی طرح فرقہ پرستی سے بھی نمٹنے کے لئے ہمیں مضبوط اور ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارا ملک سیکولر بنیادوں پر کھڑا ہے اور فرقہ پرستی ان بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اسی طرح فرقہ وارانہ فسادات ہمارے ملک کی سیکولر پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ بلاشبہ ان فسادات کے بیج انگریزوں نے بوئے تھے لارڈ کلائیو کی ایماء پر پہلا فرقہ وارانہ فساد 1741ء میں مرشدآباد میں پھوٹ پڑا تھا انگریز چلے گئے مگر اس کے بعد بھی آزاد ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ہزاروں فسادات رونما ہو چکے ہیں۔ جب تک فسادات اور فرقہ وارانہ تشدد کی روک تھام کیلئے جامع اور موثر اقدامات نہیں کئے جائیں گے یہ داغ دھویا نہیں جا سکتا۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو قوت بخشنے کیلئے یو پی اے حکومت کی مسلسل مساعی کے باوجود فرقہ پرستی کا زہر جس تیزی سے کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے اثر بد سے اقلیتوں اور کمزور طبقوں میں عدم تحفظ کے احساسات میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے اگر جلد از جلد اس کی خبر نہ لی گئی تو ہمارا سماجی تانا بانا بکھر جائیگا۔ کثیر جہتی معاشرہ میں تنازع لازمی ہے۔ لیکن آپسی تنازعات، اختلافات اور جھگڑوں کو انتقامی سیاست کے ظالمانہ جذبہ سے دور رہ کر جمہوریت کی حساسیت کے ساتھ پرامن طریقہ سے حل کیا جانا چاہیے۔

یاد رکھئے! ہمارا آئین سماج کی رنگارنگی کی بھاؤناؤں کو برقرار رکھنے پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اور ہمارے ملک کی ایکتا کے لئے سیکولرزم اور جمہوریت سے زیادہ اہم کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر کڑی نگاہ رکھیں کہ یہ سسٹم کبھی بیمار نہ ہونے پائے۔

اٹھو! بڑھکر ان چراغوں کو بجھا دو
جن چراغوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہے

عزت مآب!

ہمارے راشٹر پتا اور جدوجہد آزادی کے عظیم قائد مہاتما گاندھی۔ جنہوں نے 15 اگست کو ہمارے لئے ممکن بنا تھا۔ جب ترنگے جھنڈے نے یونین جیک جگہ سنبھالی تھی۔ اس موقع پر خوشیاں منانے کے لئے وہ دہلی میں موجود نہیں تھے۔ وہ کلکتہ میں تھے اور ہندوستان کو ہندوستانیوں سے بچانے میں مصروف تھے۔ اگر آج گاندھی جی ہوتے تو اس وقت تک ہمیں چین کی نیند لینے نہیں دیتے جب تک کہ فرقہ پرستی کی لعنت سے ہماری مادر وطن کو پاک نہ کر دیتے۔ گاندھی جی کا نظریہ ہی تھا کہ اگر اپنی منزل پر پہونچنے کیلئے خون کا دریا پار کرنا پڑے تو ایسی منزل کو حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دینا چاہئے۔ ان کا خیال تھا کہ غلط راستوں سے کبھی اچھے نتیجے حاصل نہیں کئے جا سکتے۔ اسی لئے انہوں نے برطانوی سامراج کو ملک سے نکالنے کے لئے اہنسا کا راستہ اختیار کیا تھا۔

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : महोदय, गृह मंत्रालय बहुविध उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है — उसमें से महत्वपूर्ण हैं आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंध, सीमा प्रबंध, केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंध इत्यादि। समयाभाव के कारण इन सभी पहलुओं का उल्लेख करने का अवसर पाना कठिन है। इसलिए, मैं दो या तीन पहलुओं पर ही अपने विचार रखना चाहूंगा। इन पहलुओं से संबंधित सभी बिन्दुओं को पेश करने की अनुमति देने के लिए मैं सभापति महोदय का अनुग्रह चाहूंगा। मेरा पहला मुद्दा केन्द्र-राज्य संबंधों पर है, और उसके बाद उग्रवादी क्रियाकलापों, सीमा की स्थिति और आपदा प्रबंध आयेंगे।

अब समय आ गया है कि हम केन्द्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में, स्थिति का पुनर्निरीक्षण करें सरकारिया आयोग द्वारा बहुत सी सिफारिशें की गई हैं, परन्तु वे लम्बे समय से सरकार के पास लंबित हैं। सरकार को इस संदर्भ में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब हम एनसीटीसी पर बात कर रहे हैं। कुछ राज्यों का यह तर्क बहुत सटीक है कि एनसीटीसी राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण करने जा रही है। कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सूची में है। इस कानून को बनाकर क्या सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने जा रही है? अतः, हम इसके विरुद्ध हैं।

हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिये कि भारत एक संघीय राज्य है। हमारी सोच यह नहीं होनी चाहिए कि राज्य कमजोर हो और केन्द्र शक्तिशाली हो। दूसरी ओर यदि केन्द्र कमजोर होगा तो राज्य शक्तिशाली नहीं होंगे। इस संबंध में निगरानी और संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था है। हमारा अपना संविधान है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

समस्या क्या है? स्वयं गृह मंत्रालय से ही समस्या आ रही है। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा जिसमें से एक तेलंगाना का है। इस बारे में गृह मंत्री का एक रुख है? स्वयं, गृह मंत्री के एक कथन ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। अब स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि सभा में हम प्रतिदिन व्यवधान का सामना कर रहे हैं। अतः, यह स्पष्ट होना चाहिए कि गृह मंत्री जी का दृष्टिकोण अभी भी वैसा ही है या उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है।

अब मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल में जीटीए के बारे में बात करता हूं। ऐसी उम्मीद थी कि गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से समस्या हल हो जायेगी। परन्तु, यह और भी गंभीर हो गयी। पहाड़ी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों, डुवर्स क्षेत्रों में भी यह फैल चुकी है। हड़तालें और प्रति हड़तालें हो रही हैं। वे आग से खेल रहे हैं। समस्या का समाधान करने के स्थान पर आजकल जो हो रहा है वह यह है कि गृह मंत्री और राज्य सरकार दोनों ही आग से खेल रहे हैं। इसलिए, इस समस्या को तुरन्त हल किया जाना चाहिए। मामले को सुलझाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।

अब मैं तथाकथित माओवादियों की समस्या पर आता हूं। मैं यहां पर तथाकथित शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं। यह माओवाद नहीं है। ये तथाकथित माओवादी गतिविधियां हैं। हमारे देश के कुछ हिस्सों में कट्टरवादी शक्तियां उनकी आड़ में कार्य कर रही हैं।

सवाल यह है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए? यह स्पष्ट है कि उन कट्टरवादी गुटों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है; वे संसदीय लोकतंत्र के विरोधी हैं; वे सशस्त्र संघर्ष और विद्यमान भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते हैं। वर्ष 2007 से, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जो जानकारी मैंने एकत्र की है, इन गुटों द्वारा 2500 से भी अधिक नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया है, उनमें से अधिकांश जनजातीय लोग हैं जिन्हें पुलिस के भेदी बताया गया। अब वे अपनी रणनीतियों में बदलाव ला रहे हैं — अपहरण हो रहे हैं। यहां तक कि जन प्रतिनिधियों और कार्यकारी अधिकारियों का अपहरण किया जा रहा है। स्वयं गृह मंत्री जी ने एक घोषणा की कि यदि ये कट्टरवादी गुट हिंसा का त्याग कर दते हैं तो वे उनके साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं। परन्तु उन्होंने हिंसा नहीं छोड़ी। इसके बावजूद भी बातचीत जारी है। राज्य और केन्द्र सरकारें इन माओवादी ताकतों के दबावों के आगे घुटने टेक रही हैं। वे अब नई चाल चल रहे हैं। इस बारे में सरकार का एक दृष्टिकोण है? वे किस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं? इसके बारे में वे क्या सोचते हैं?

हमें त्रिआयामी नीति के बारे में बतलाया गया है। मैं उस पर आऊंगा। पहली कानून और व्यवस्था की नीति है। कानून और व्यवस्था आवश्यक है; पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और इससे अन्य संबंधित क़दम भी उठाए जाने चाहिए। यह एक सच्चाई है कि पुलिस ज्यादतियां हो रही हैं और शक्ति का दुरुपयोग भी हो रहा है। जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की नाराजगी को बढ़ावा मिला है। इसके कारण विभिन्न स्थानों पर यह स्थिति पैदा हुई है। अतः, इस सरकार को इस बारे में चौकस रहना चाहिए और राज्य सरकारों को इसी के अनुरूप निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि पुलिस की ओर से कोई ज्यादती न हो और पुलिस शक्ति का दुरुपयोग न

हो। स्थिति की सिर्फ लीपापोती करने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

दूसरे, हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास आवश्यक है, परंतु सवाल यह है कि यदि भूमि अधिग्रहण के कारण जनजातीय लोगों के एक बड़े हिस्से को उनकी भूमि से हटाया जा रहा है और उनकी भूमि को काफी संख्या में निगमित क्षेत्रों को दी जा रही है, अतः उन्हें पुनर्वासित किया जाना चाहिए। पिछले दशक के दौरान, कम से कम 225,000 लाख एकड़ कृषि भूमि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जा चुकी है। यदि जनजातीय लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता है तो आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, परन्तु केन्द्र सरकार को इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पर्याप्त क्षतिपूर्ति के मामले में यदि एक अच्छी पुनर्वास नीति नहीं अपनायी गई तो आप इन सारी समस्याओं को कैसे हल करेंगे? लाखों जनजातीय लोग अपनी जमीनों से बेदखल होते जा रहे हैं। उनके पुनर्वास के बिना और उसकी समस्याओं का समाधान किए बिना विकास असम्भव है।

तीसरी बात राजनीतिक दृष्टिकोण की है। सही राजनीतिक दृष्टिकोण का होना अति आवश्यक है। वे गलत नीतियों का पालन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री प्रबोध पांडा : वैकल्पिक नीति क्या होगी? इसका यह अर्थ नहीं है कि शासक दल का ही प्रभुत्व रहे और किन्हीं अन्य राजनीतिक दलों को कार्य करने की अनुमति न दी जाये। यह राजनीति नहीं है। इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी और ये और गंभीर होती जायेंगी। हमारे पास बहुदलीय व्यवस्था है और सभी दलों को संसदीय प्रणाली में अवश्य विश्वास करना चाहिए; उनमें एकता होनी चाहिए। सरकार को उन्हें बुलाने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि वे सभी इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को शुरू कर सकें। अन्यथा, स्थिति को हल नहीं किया जा सकता।

मैं एक अन्य विषय 'आपदा' पर चर्चा करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अब समाप्त करें।

श्री प्रबोध पांडा : जी, हां, मैं केवल एक मिनट लूंगा। भारत की भौगोलिक भू-जलवायु तथा यहां की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐसी है कि यहां लोगों को — बड़ी संख्या में प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मानवजनित आपदाएं भी भुगतनी पड़ती हैं, विश्व के सर्वाधिक आपदा संभावित देशों में इसका स्थान आता है।

मेरा सवाल है कि इस बारे में सरकार का रुख क्या है। समस्या का समाधान केवल राहत देने से ही नहीं हो सकता। अतः जब तक आपदा न्यूनीकरण उपायों को विकास प्रक्रिया का अंग नहीं बनाया जाता तब तक सतत विकास नहीं किया जा सकता। 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में, 21 आपदा संभावित है। अतः, सरकार को इस मामले में रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, राहत, प्रतिक्रिया और पुनर्वास केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी। हम जानते हैं कि बचाव इलाज से बेहतर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपदा आने के पश्चात् सरकार अपना कार्य शुरू करे। अतः, ये सभी चीजें जैसे बचाव और तैयारी आवश्यक है। इस बारे में, इस सरकार द्वारा बहुत कम कहा गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे अपने विचार व्यक्त करने हेतु अवसर देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री गणेश सिंह** (सतना) : गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देश में कानून व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। केन्द्र एवं राज्यों के बीच तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है। एक तरफ आतंकवादी हमलों से देश भयभीत है, कब-कहां घटना हो जाये, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। पूर्व में जितनी आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनके दोषी लोगों को न्यायालयों ने फांसी तक की सजा सुनायी है, किन्तु केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अभी तक उन्हें फांसी नहीं देने दी। इससे देशवासी चिंतित हैं कि आखिरकार गृह मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है? देश इस बारे में जानना चाहता है। देश की खुफिया एजेंसी न जाने किस काम पर लगी है, एक भी खबर सही नहीं निकली। घटना घटित होने के बाद कार्रवाई की जाती है। इसी तरह नक्सलवादी पूरे देश की कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अभी तक तो पुलिस कर्मचारी मारे जाते रहे हैं तथा आम आदमी भी मारे जाते रहे हैं, लेकिन अब तो कलेक्टर भी पकड़े जाने लगे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का लगातार विस्तार होता जा रहा है तथा उनकी आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गणेश सिंह]

रही हैं। सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह राज्यों का मामला है। इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य के बीच तालमेल की जरूरत है। केन्द्र सरकार एनसीटीसी जैसी व्यवस्था पर जोर दे रही है, इससे देश का संवैधानिक ढांचा प्रभावित होगा, राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे। इस पर केन्द्र सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

आज अर्द्ध-सैनिक बलों को और आधुनिक हथियारों की जरूरत है। साथ ही उन्हें और सुविधा देने की भी जरूरत है किन्तु इस तरफ सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं है। अपराधियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत है। इस मंत्रालय के अधीन सीबीआई है, लेकिन उसकी निपक्षता पर हमेशा प्रश्न खड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या सीबीआई का दुरुपयोग नहीं रोका जा सकता? यह संभव होने के बाद भी ऐसे कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं?

देशवासी यह मानते हैं कि सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। प्रदेशों की पुलिस व्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार को सहयोग देने चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उन कारणों का पता लगाकर नक्सलवादियों को इससे दूर रहने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत मजबूत बनाने की जरूरत है। लोगों का उस पर विश्वास कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय के समाज कल्याण के जो दायित्व हैं, उन्हें भी पूरा करने के लिए उसे आगे आना चाहिए। देश में पुलिस बलों के द्वारा लोगों से दुर्व्यवहार की खबरें तो आती रहती हैं, उन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, जिससे लोगों का मानवाधिकार प्रभावित न होने पाये। देश में कानून का राज है, लेकिन वह दिखाई कम पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षा दी जाये ताकि लोग निश्चिंत होकर राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। देश के विभिन्न जिलों में जनसख्या के अनुपात में पुलिस बल की अत्यंत कमी है। बजट में इसके लिए और प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे इस कमी को दूर किया जा सके।

अंत में मैं गृह मंत्री जी का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों में नगर सेना पुलिस की ओर दिलाना चाहता हूं। इन नगर सैनिकों से पुलिस वालों की तरह काम लिया जाता है, किन्तु इनके लिए सुविधायें अत्यंत कम हैं। ऐसा लगता है जैसे वे दैनिक वेतनभोगी हों। देश के सभी राज्यों में तैनात नगर सेना बल को पुलिस बल का दर्जा दिया जाये। देश में पिछड़े वर्ग के युवाओं व युवतियों का एक अर्द्ध-सैनिक बल गठित किया जाये, जिससे इनकी भी पुलिस बल में सेवायें मिल सकें।

आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना की मांग की जा रही है, किन्तु सरकार मौन है। यह गलत है। तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब तक वहां हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सदन में विपक्षी दल ने कहा है कि पृथक राज्य बनाने के लिए यदि केंद्र सरकार बिल लायेगी तो उसका पूरा समर्थन किया जायेगा परन्तु केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है।

देश की सीमाओं से विदेशी घुसपैठिये लगातार आ रहे हैं। चीन, अरुणाचल प्रदेश पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में खुलेआम राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चल रही है, लेकिन उन पर रोक नहीं लगायी जा रही है। आखिरकार इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? केंद्र सरकार अपनी जबावदेही को मजबूती के साथ निभाये, यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

****श्री शेर सिंह घुबाया** (फिरोजपुर) : सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम वर्ष 2012-13 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, पंजाब, की पाकिस्तान के साथ लगभग 550 कि.मी. लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तीन प्रमुख नदियां– सतलुज, ब्यास और रावी भी इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयां होती हैं। बरसात के मौसम में नदियां उफान पर होती हैं और उनसे पूरे क्षेत्र में भारी बाढ़ आती है। बहुत बार, नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगकर बहती हैं। इस क्षेत्र में कोई स्थायी बाढ़-नियंत्रण उपाय नहीं किए गए हैं। मानसून के मौसम के दौरान क्षेत्र में तबाही मचाने वाली बाढ़ को रोकने हेतु कोई तंत्र नहीं है।

महोदय, भारत के विभाजन के दौरान पंजाब की उपजाऊ भूमि का भी भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में विभाजन का दिया गया था। दुर्भाग्य से सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों की स्थिति बहुत खराब

---

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतर।

है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। अधिकांश लोग निरक्षर हैं। बहुत से युवा बेरोजगार हैं। अक्सर सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होती हैं। तनाब अथवा युद्ध-काल के दौरान टैंक और भारी सैन्य वाहन इन सड़कों पर चलते हैं और इन सड़कों को मलबे में बदल देते हैं। इन सड़कों पर गड्ढे आम बात है। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। नदियों में आने वाली बाढ़ सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की परेशानी बढ़ा देती हैं।

माननीय गृह मंत्री इस सम्माननीय सभा में उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि किसी केंद्रीय योजना के अंतर्गत सीमावर्ती सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाए क्योंकि ये सड़कें सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। वस्तुत: सम्पूर्ण भारत में पूरे सीमावर्ती क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार किए जाने की जरूरत है। केंद्र को स्वयं यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की समस्या है। इस क्षेत्र में अधिकांशत: स्कूल नहीं हैं। महोदय, बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के युवा अक्सर गुमराह हो जाते हैं। वे जाली मुद्रा और हथियारों की तस्करी जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों और अन्य उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। समय की मांग है कि इन युवाओं को ऐसी हानिकारक गतिविधियों से बचाया जाए। इन युवाओं को सी.सु.ब., सेना, भा.ति.सी.पु. और अन्य अर्धसैनिक बलों में रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे भारत की मुख्यधारा में बने रहें। इस तरह, हम पाकिस्तान की घृणित हरकतों को भी रोक सकते हैं जोकि मौके का फायदा उठाना चाहता है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने भारत और पंजाब में मुख्यधारा से अलग हुए सिखों के पुनर्वास के लिए सहमति दे दी है। ये सिख आपरेशन ब्लू स्टार के बाद अथवा विभिन्न दूसरे कारणों से देश से बाहर चले गए थे और विदेश में बस गए थे। तथापि, महोदय, इन सिखों को वीजा नहीं दिए गए हैं। इन लोगों को भारत और पंजाब में वापस आने दिया जाए।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में, सरकार गुमराह युवकों, जो सीमापार पाकिस्तान चले गए थे, कई रोजगार और नकद प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्हें भारत वापस आने की अनुमति दी गई है और उनका मुख्यधारा में पुनर्वास किया जा रहा है। हम इस कार्य से प्रसन्न हैं। तथापि, पंजाब में पंजाबियों और सिखों के मामले में ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। पंजाबियों और सिखों के साथ यह भेदभाव क्यों?

महोदय, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान पंजाबी और सिख हमेशा आगे रहते थे। देश के लिए शहीद होने वालों में वे किसी से पीछे नहीं थे। हम हरित क्रांति के अग्रदूत थे। फिर भी केंद्र द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अफगानिस्तान के सिखों और हिन्दुओं को वहां के धर्मार्थ और धार्मिक कट्टर-पंथियों द्वारा बाहर भगाया जा रहा है। उन्होंने भारत में शरण मांगी है। तथापि, केंद्र सरकार ने उनकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया। सरकार द्वारा उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है। उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है। उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ रही है। केन्द्र को इन असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए।

महोदय, पंजाब में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। उनके पास पुराने हथियार हैं। आजकल, अपराधियों के पास पुलिस बल से बेहतर हथियार हैं। समय की मांग है कि हमारे पुलिस बल को प्रशिक्षित किया जाए और उनका आधुनिकीकरण किया जाए। तभी वे हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए, केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए कुछ राशि निर्धारित करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने समुदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठता हूं। महोदय, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में राय सिख बहुसंख्या में हैं। यह एक बहादुर और मेहनतकश कौम है। पंजाब में, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया है। तथापि, अन्य राज्यों में राय सिख समुदाय दयनीय स्थिति में हैं। अन्य राज्यों में उन्हें अ.जा. का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि राय सिख समुदाय को अन्य राज्यों में भी अ.जा. का दर्जा प्रदान किया जाए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शेर सिंह घुबाया : महोदय, राजग सरकार के कार्यकाल में सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों, जिनकी उपजाऊ भूमि कंटीले तारों की बाढ़ से आगे पड़ती थी, के 2500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया गया था। परन्तु जब संप्रग सरकार केंद्र में सत्ता में आई तो इसने क्षतिपूर्ति योजना समाप्त कर दी। इन मजबूर किसानों को परेशानी हो रही है। बढ़ती हुई कीमतों और आसमान छूती हुई महंगाई के मद्देनजर उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/- रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाना चाहिए।

[श्री शेर सिंह घुबाया]

महोदय, जैसा मैंने कहा कि वर्षों के मौसम में पंजाब की नदियां सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना मार्ग बदल लेती हैं। इससे सीमा के सीमांकन में परिवर्तन हो जाता है। क्षेत्र के लोगों को नदी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से कष्ट होता है क्योंकि बहुत से स्थानों पर नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जब यह अपना मार्ग बदल लेती है तो इससे क्षेत्र के लोगों में भ्रम पैदा होता है क्योंकि नदी के रास्ता बदलने से तत्कालीन भारतीय क्षेत्र कभी-कभी पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के भीतर आ जाते हैं। इससे लोगों में तनाव बढ़ जाता है। अतः कोई तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि यह भ्रम समाप्त हो सके।

महोदय, जिन किसानों की उपजाऊ भूमि कंटीले तारों की बाढ़ लगाने के लिए ली गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। सीमा पर शून्य रेखा पर बाढ़ लगाई जानी चाहिए। इस समय वह बाढ़ भारतीय क्षेत्र के भीतर 4 से 6 कि.मी. की दूरी पर लगी हुई है। अंत में, महोदय, मैं अपनी बात दोहराता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए ताकि वे गुमराह न हो सकें। इससे दीर्घकाल में देश को लाभ होगा।

***श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर** (पोन्नानी) : आज हम अपने देश के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा कर रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गृह विभाग पर भारी दायित्व और जिम्मेदारियां हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, सीमा सुरक्षा प्रबंधन, मानव अधिकारों के सिद्धांतों को कायम रखना और आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना होता है। हम सभी यह जानते हैं कि ऐसे कुछ चरमपंथी तत्व हैं जो कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। चाहे वामपंथी चरमवाद हो, प्रादेशिक चरमवाद हो या कट्टरवादी समूहों की गतिविधियां, ये सभी खतरनाक हैं। इस संदर्भ में, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह ना केवल सरकार का उत्तरदायित्व है अपितु, हमारे देश के सभी राजनैतिक दलों की संयुक्त जिम्मेदारी भी है। इस संबंध में हमें किसी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं करनी चाहिए और एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए।

हम सभी को मानव अधिकारों की अपनी विरासत पर गर्व है। दुर्भाग्यवश, भारत में मानव अधिकारों के हनन की घटनाएं होती हैं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

मैं बंदी संप्रत्यार्वन अधिनियम, 2003 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। हम सभी यह जानते हैं कि भारत से बाहर विभिन्न जेलों में सैंकड़ों भारतीय बंद हैं। भारत बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 के अनुसार 15 देशों के साथ पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। मैंने इस सम्माननीय सभा में एक अन्य अवसर पर साऊदी अरब की जेलों में बंद भारतीय कैदियों के बारे में उल्लेख किया है। कारावास की अवधि बीत जाने पर भी सैकड़ों भारतीय अभी भी जेलों में बंद हैं। हमारे देश के साऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध हैं। मेरा यह नम्र निवेदन है कि हमें इन निर्दोष लोगों को जेल से रिहा कराने के लिए संबंधित मंत्रालय को हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसी प्रकार, श्रीलंका की जेलों में भी बेबुनियाद आधारों पर लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है। हमें उन्हें रिहा कराने के लिए चर्चा आरंभ करनी चाहिए और तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

में अगला मुद्दा तटीय सुरक्षा के बारे में उठाना चाहता हूं। समुद्री सुरक्षा और कार्गो सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में हमें अपने मछुआरों के जीवन और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं इटली के जहाज जिस पर से केवल के दो मछुआरों की हत्या की गई थी, के विरुद्ध उठाए गए कड़े कदम के लिए भारत सरकार और केरल सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं साइबर अपराध से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। साइबर अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमें साइबर कानून में संशोधन करने और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कई कदम उठाने चाहिए।

मैं के.रि.सु.ब. अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया को सुकर बनाने से संबंधित अंतिम मुद्दा उठाना चाहता है। यह सत्य है कि एक मामले को निपटाने में कई वर्ष लग जाते हैं। जांच और अन्य प्रक्रिया विलंबकारी और जटिल है। हमें तदनुसार कानून में संशोधन करना होगा। हमें यह जानकारी है कि विधि आयोग के 77वें प्रतिवेदन में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया गया है। श्री एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में विधि आयोग काफी महत्वपूर्ण था। रिपोर्ट के अंतिम पैरा में यह कहा गया है "विलंब को दूर करने संबंधी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में अनुचित विलंब न किया जाए।" हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि यह विचाराधीन कैदियों के संबंध

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में है। भारत में विचाराधीन कैदियों के संबंध में है। भारत में विचाराधीन कैदियों को न्याय नहीं मिल रहा है। कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना उन्हें कई वर्षों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। न्याय में देरी, न्याय प्रदान न करने के बराबर है। अत: हमें विचाराधीन कैदियों के संबंध में प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा अर्द्ध-सैनिक बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र और राज्यों के संबंध, राजभाषा, आपदा प्रबंधन जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, वह गृह मंत्रालय के अधीन हैं। गृह मंत्रालय अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से सम्पादन कर सके, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित और आवश्यक संसाधनों से भी लैस किया जा सके, इसके लिए बजट में जो भी प्रावधान हो, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पिछले पांच वर्षों के अंदर हमने इस बात को महसूस किया है कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और सीमा प्रबंधन की स्थिति बदहाल हुई है। साढ़े तीन वर्षों से माननीय चिदम्बरम जी देश के गृह मंत्री हैं। जब चिदम्बरम जी गृह मंत्री बने थे, तब देश को इनसे बहुत आशाएं थीं। प्रारंभ में एक वर्ष तक इन्होंने कुछ काम करने का प्रयास भी किया था, लेकिन अचानक उनकी धार कुन्द होती गई और आज तो गृह मंत्रालय की स्थिति न केवल बदहाल है, बल्कि हमारे गृह मंत्री भी बदहाल स्थिति में ही जीवन यापन कर रहे हैं। जब मंत्रालय का मुखिया ही अपने दुर्दिन में जी रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कैसे अच्छी होगी, इसका हम सहज की अनुमान लगा सकते हैं।

महोदय, पिछले दो दशकों से देश के अंदर आतंकी हमले जिस तेजी के साथ बढ़े हैं, मुझे लगता है कि उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोई भी ईमानदार प्रयास और पहलें नहीं हो गई हैं। कम से कम इस तरह की पहल तो दिखनी ही चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि सितम्बर वर्ष 2001 में अमेरिका में हमला हुआ था और दिसम्बर वर्ष 2001 में देश की संसद पर हमला हुआ था। उससे पहले भी हमले हुए थे लेकिन देश की संसदीय लोकतंत्र के सबसे बड़े आधार संसद पर हमले के अभियुक्तों को अब तक सजा नहीं हो पाई। अभी यहां पर जब शिव सेना के माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न उठाया गया, माननीय गृह मंत्री ने कसाब के मुद्दे पर सफाई देने का प्रयास किया लेकिन यह देश जानना चाहता है कि आखिर अफजल को क्यों अब तक फांसी नहीं हुई है और जब आतंकवादियों के प्रति हम लोग इतने नरम होंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तो चरमराएगी ही और वर्तमान में यही हो रहा है। इसलिए देश और दुनिया के अंदर एक मैसेज जाता है कि भारत एक नरम देश है। आतंकवाद को वोट बैंक के नजरिये से देखा जाता है। इस तरह से यह सरकार आतंकवाद के प्रति न केवल सुस्त है बल्कि लापरवाह बनी हुई है और यही लापरवाही इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है।

महोदय, कौन नहीं जानता कि 1993 में मुंबई में सीरियल विस्फोट हुए थे। सरकार बार-बार पाकिस्तान से मांग करती है कि दाउद इब्राहिम को दीजिए क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि दाउद इब्राहिम और उसके गैंग का अंडरवर्ल्ड का पूरा साम्राज्य देश के अंदर फलफूल रहा है। मुम्बई और देश के अंदर उनकी सारी अनैतिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें इस पर मौन क्यों हैं? अंडर वर्ल्ड को इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर कोई अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जहां तक माओवाद का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियां देश में तेजी से बढ़ी हैं। मुझे याद है कि 2004 में इस देश के 54 जिलों में नक्सलवाद था। आज सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि इस देश के 230 जिले नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित हैं। 90 जिलों में वह चरम पर है। चरम की स्थिति इस प्रकार है कि विधायकों का अपहरण हो रहा है। जिलाधिकारी का अपहरण हो रहा है और फिर माओवादियों से नैगोशिएट करके किसी प्रकार से हम लोग उनके सामने यानी राज्य यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जैसे माओवादियों के द्वारा इस देश की सत्ता का संचालन हो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सत्ता का संचालन माफिया, अपराधी, नक्सलवादी और माओवादी कर रहे हैं या कोई एक सशक्त सरकार कर रही है, यह तय नहीं हो पा रहा है और इसीलिए जब गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो माओवाद और नक्सलवाद की स्थिति भी अत्यंत खतरनाक स्थिति में हम सबके सामने यहां पर है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आखिर वोट बैंक की राजनीति के लिए हम इस देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति कब तक इस प्रकार का लचर रवैया अपनाते रहेंगे?

[योगी आदित्यनाथ]

महोदय, में बहुत ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि आप घंटी बजाएंगे। मैं अभी तीन दिन पहले की घटना आपको बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारा लगभग सीमावर्ती जनपद है। भारत और नेपाल की 1751 कि.मी. की सीमा पूरी खुली सीमा है। आज पाकिस्तान से किसी भी आतंकवादी को अगर भारत के अंदर घुसना है तो करांची से काठमांडू, काठमांडू में खुली सीमा से और फिर वह भारत के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र में शरण लेता है। फिर वहां से भारत के अंदर कभी भी एंटर करता है। 29 अप्रैल की घटना है। सुनौली बॉर्डर जो जनपद महाराजगंज का नेपाल से सटा हुआ कस्बा है, वहां पर 40 हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए आतंकवादी पकड़े जाते हैं, 48 घंटे तक उनसे पूछताछ होती है। 48 घंटे के बाद उन्हें ससम्मान छोड़कर वापस कहा जाता है कि ये जम्मू और कश्मीर के हैं। उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है कि 1986 में वे लोग भारत छोड़कर पाक अधिकृत कश्मीर चले गये थे। पीओके में रहकर उन्होंने आतंकवादी प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में पिछले 25 वर्षों से वे लिप्त रहे हैं।

कितने दुर्भाग्य की बात है कि पुनर्वास के नाम पर आतंकवादियों का पुनर्वास हो रहा है। इस देश में पुनर्वास और मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों और नक्सलवादियों के लिए तो मानवाधिकार है लेकिन सामान्य नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखें कि जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1990 में 58,697 परिवार विस्थापित हुए थे और आज तक मंत्रालय पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है, सरकार नहीं कर पाई है। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में वर्ष 1997 में 36,000 रियांग जनजाति के लोगों को धर्मांतरण न करने की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया गया। वे त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। आज तक उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। 36,000 रियांग जनजाति के लोग आज भी त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इतने वर्षों से वे लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और हम कहते हैं कि इस देश में कानून का राज है। कौन से कानून का राज है? सरकार कौन सी सुरक्षा, कौन सी शांति और किस सद्‌भावना की बात कह रही है? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार आतंकवादियों के लिए पुनर्वास की नीति तो घोषित करती है मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ईमानदरी से अपने ही देश के नागरिकों के लिए, जो भारत की राष्ट्रीयता और परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत के हित के साथ अपना हित देखते हैं, कोई पुनर्वास की नीति बनाकर मूल भूमि पर बसाने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता है? हमें आपत्ति गृह मंत्रालय की अनुदानों पर नहीं है, हम अनुदान की मांगों का समर्थन करते हैं। हम मांग करते हैं कि पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, आधुनिक हथियार दिए जाएं। उन्हें आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। सरकार इस देश में आतंकवाद, राष्ट्रविरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को संरक्षण देने की बात कहती है, अधिकारों की बात कहती है, लेकिन इस देश के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रही है।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि गृह मंत्रालय कश्मीर और मिजोरम से निकाले गए मूल निवासियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करे। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूपीए के आने के बाद पीडब्ल्यूजी और एमसीसी का पुनर्गठन होकर सीपीआई (माओवादी) के नाम पर एक नया संगठन गठित किया गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास इतने संसाधन हो गए हैं कि वे भारत के सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों और सेना को चुनौती दे रहे हैं? जिन्हें भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, भारत की परंपरा पर विश्वास नहीं है, जो वार्ता से समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, जो संवाद स्थापित नहीं करना चाहते, क्यों नहीं सरकार उनके साथ सख्ती से कार्रवाई करती है? क्यों आज सरकार अपनी धार को कुंद करना चाहती है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे तत्व जो भारत के संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं, भारत के साथ सशस्त्र संघर्ष करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रारंभ करे।

महोदय, मैं धर्मांतरण की गतिविधियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर अलगाववाद है तो उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की है। इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रभावी कानून बनना चाहिए कि अगर धर्मांतरण असंवैधानिक है तो गृह मंत्रालय को धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। कश्मीर के बारे में बराबर चर्चा हो रही है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को सरकार समाप्त करने जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कश्मीर में अगर शांति है तो इसमें सशस्त्र सेना बल

विशेषाधिकार अधिनियम की बहुत बड़ी भूमिका है। वे अपराधी जिन्हें राष्ट्र के संविधान और मर्यादा पर विश्वास नहीं है, उनके लिए सख्ती आवश्यक है। इस विशेषाधिकार अधिनियम को वापिस न लिया जाए इससे सेना और बलों के जवानों का मनोबल टूटेगा जिससे देश की सुरक्षा के सामने गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें जो वे किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करें जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं शुरू करने से पहले यह तवक्को करता था, उस तरफ बैठे हुए साथियों से लेकिन आदित्यनाथ जी और श्री अनुराग जी की तकरीर के बाद सारा हाउस यह समझ गया होगा कि सारे मुल्क हिन्दुस्तान के अंदर और खास कर इन्होंने लास्ट में रियासते जम्मू और कश्मीर के बारे में भी जिक्र किया, लेकिन आज यह जो सारा हुआ है, यह क्रेडिट आपको यूपीए फर्स्ट और यूपीए सैकिंड को देना चाहिए और खासकर हमारे प्रधानमंत्री, सरदार मनमोहन सिंह जी, गृह मंत्री, वजीरे दाखिला, जनाब चिदम्बरम साहब और हमारे यूपीए की चेयरपर्सन, जिन्होंने गाहे-बगाहे रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति रखी और वहां की सरकार का उत्साह बढ़ाया और यहां से उन्हें मदद भी दी और आज सारे देश के अंदर मैं यह कहता हूं कि नजर न लगे, टचवुड जो हालात रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर आज पुरअमन हालात हैं। आज 2.5 करोड़ के करीब अभी तक जागरूक कश्मीर के अंदर विजिटर्स गये। इसी तरह से एक करोड़ या सवा करोड़ के करीब माता वैष्णों देवी के दर्शन के लिए सारे देश से वहां लोग पहुंचे हैं और इसी तरह आपने ये आंकड़े भी देखे कि अमरनाथ की यात्रा के लिए पिछली बार साढ़े छः लाख लोग पहुंचे। मैं कोई मुकाबला करना नहीं चाहता। लेकिन 22 साल से सारे देश के लिए कश्मीर की समस्या एक परेशानी बनी हुई थी तो मैं वहां के जवां चीफ मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने और मरकजी सरकार ने मिलकर यह कोशिश की और आज ये हालात बने हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, जो आज फिर वहां के हालात खराब करना चाहते हैं। बाहर वाले लोगों की बहुत कोशिश है, वह नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। हमारे मुल्क की इतनी तेज तरक्की जारी रहे या मुल्क के अंदर अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे। वे हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि इस मुल्क की सलामती और एकता को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान पैदा न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मदन लाल शर्मा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : आप मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* सरदार जी, आप मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान पैदा न करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : रतन सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं ...*(व्यवधान)* मुझे खुशी होती कि जब आप खड़े हुए तो आप अपनी तकरीर के दौरान इस बात को उठाते और मैं उसका जवाब देता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मदन लाल शर्मा जी कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करिए।

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगतीं। ...*(व्यवधान)* यह कहना चाहता हूं कि ये बातें सुनना नहीं चाहते।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मदन लाल शर्मा]

इसलिए ये इन्हें हजम नहीं होतीं।...*(व्यवधान)* तब ये ऐसी बातें कह रहे हैं। ये हालात कब बने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया आपस में बात मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : जनाब मैंने आपको कोई ऐसी बात नहीं कही।...*(व्यवधान)* सरदार जी, आपको गुस्सा किसलिए आ गया, आपको तो खुश होना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मदन लाल शर्मा के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : आपको प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मुबारकवाद देनी चाहिए थी कि वे आज ये हालात हमारे लिए लाये और जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक किये।...*(व्यवधान)* आपको यह समझ में नहीं आ रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में शालीनता बनाए रखें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि मेरे साथियों को क्या परेशानी हो गयी? अकाली दल के मेरे साथी परेशान किसलिये हो गये?...*(व्यवधान)* यह अच्छी बात, अच्छे हालात और वहां की तरक्की हुई, आप हमारे पड़ोसी भी हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मदन लाल शर्मा के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री बाजवा जी कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्य कृपया सभा में शालीनता बनाए रखें। श्री शर्मा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, मैं यह समझता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, सभा का समय बर्बाद न करें। श्री शर्मा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : जनाब चेयरमैन साहब, ये सरदारों के ठेकेदार नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपस में बात करने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : सरदार हमारे सिर के ताज हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप एक ही बात कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी सरदार हैं।...*(व्यवधान)* ये उनके बारे में अच्छा सुनकर राजी नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बाजवा, कृपया बैठ जाइए। मैं उन्हें बता दूंगा। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया सभा में शिष्टाचार बनाए रखें। आपस में बातचीत करना मना है। श्री शर्मा, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, एक बात तो यह है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं पंजाबी आदमी हूं और इनकी भाषा में भी बोल सकता हूं। अगर आप इजाजत देंगे तो इन्हें समझ आ जायेगा कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि आप ऐसे ही करते रहोगे तो मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : ये प्रधानमंत्री जी के कार्यों को अच्छा नहीं समझते। इनको अच्छा नहीं लगा तो मैं उन अल्फाज को वापस नहीं ले सकता हूं।...*(व्यवधान)* सरदार हमारे सिर के ताज हैं और वे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम और वह एक हैं, इनको पता नहीं, क्या समझ में नहीं आया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहूं कि कश्मीर के हालात तब अच्छे हुए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने रीकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत 24 हजार करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर रिसायत को दिये।...*(व्यवधान)* जो मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर खर्च हुआ तो लोगों को एहसास हुआ कि हम विकास चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कश्मीर के लोगों ने यह बात समझकर वहां अमन लाने की कोशिश की। यहां हमारी मरकजी सरकार का भरपूर तावान हमें मिला। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं। इसके साथ अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक बात कही।...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

उसके साथ अनुराग जी ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की बात भी कही।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : मैं मान सकता हूं कि वक्त वक्त की सरकारों में वह कमियां रही होंगी, लेकिन मैं अपनी मरकजी सरकार यूपीए-2 को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह बात समझी और वहां एक ऑल-पार्टी डैलीगेशन गया। उसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर में स्पेशल टास्क फोर्स के तहत *250* करोड़ रुपये लद्दाख, कारगिल और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मदन लाल शर्मा]

जम्मू के लिए भी दिये और जो कमी रह गई थी, उसको भी दूर किया। ये बातें जो सही हैं, सुननी चाहिए। मैं वहां रहता हूं। हमने 22 साल कितनी मुश्किल में गुजारे हैं। आज अच्छे दिन आए हैं तो इनको खुशी होनी चाहिए कि सारे देश में अमन होना चाहिए, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट की बात है, माओइस्ट मिलिटैन्ट्स की बात है या कश्मीर के मिलिटैन्ट्स की बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण मेरे पास गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने वाले 8 सदस्यों की एक सूची है। यदि सभा सहमत हो तो माननीय गृह मंत्री के उत्तर देने के समय सहित सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : वहां केवल स्पेशल टास्क फोर्स के तहत ही पैसा नहीं दिया गया, बल्कि वहां पर अनइंप्लॉयमैंट दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज भी दिया गया। यहां 8000 नौजवान जो रियासत जम्मू कश्मीर के हैं जिनको फायदा हो रहा है।...*(व्यवधान)* आपको तकलीफ क्या है?...*(व्यवधान)* आपको तकलीफ क्या हो रही है? क्या आपके खिलाफ कोई बात हो रही है? मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूं जो वहां मरकजी सरकार ने किया है और हमें यहां कहना है। हम क्या अपनी सरकार का धन्यवाद नहीं करें?...*(व्यवधान)* आपको अपने वक्त में बोलना था। तब आपको बोलना नहीं आया? आपको अपनी रिसायत की नुमाइंदगी करनी नहीं आई?...*(व्यवधान)* आपको मरकजी सरकार को कोसना नहीं आया? अब मेरे समय में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको तो भाई साहब हमने कुछ नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, इन्हें परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा : जब आप अपनी पार्टी और स्टेट की नुमाइंदगी करने आए तो आपको तैयारी के साथ और आंकड़ों के साथ आना चाहिए था, पंजाब की तरजुमानी करनी चाहिए थी, वह तो करनी आई नहीं। अब हमें मरकजी सरकार ने जो दिया है, वहां के हालात ठीक हुए हैं, वहां अमन और आमान है, शांति है, सारे हाउस को मैं बधाई देना चाहता हूं और ये सब दुआ करें कि रियासत जम्मू और कश्मीर में इसी तरह से अमन रहे, वहां शांति रहे और सारे देश के लोग उस खूबसूरत वादी को देखने जाएं, वहां के नजारों को देखने जाएं जो 20-22 वर्षों से वे नहीं देख पाए। उसके साथ-साथ मैं दो-तीन पॉइंट और कहना चाहता हूं, जो इनीशियेटिव इन्होंने पहले लिये हैं।

एक बात रिफ्यूजियों की है वहां चार किस्म के रिफ्यूजी हैं — 1947 के रिफ्यूजी, वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, 1965 के रिफ्यूजी और 1971 के रिफ्यूजी। कश्मीरी माइग्रैन्ट्स भी बेचारे 22 सालों से दरबदर हैं। लेकिन मैं यूपीए सरकार और खासकर प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी जम्मू दौरे पर गए और उन्होंने वहां रिफ्यूजियों के क्वार्टर देखे, तो उन्होंने हजारों क्वार्टर बनाने का एलान किया और वहां जगती में बनाकर दे दिये और वहां लोगों को शिफ्ट भी कर दिया। अभी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि उनके लिए कोई इंतजामात नहीं। मैं मानता हूं कि कमियां हैं और मैं होम मिनिस्टर साहब से उनको दूर करने की मांग मैं करता हूं। उनकी तरफ और ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें सैन्टर के कुछ जॉइंट सैक्रेटरी रैंक के अफसर हों और हमारे वहां रैवेन्यू सैक्रेटरी रैंक के हों ताकि इसका हल निकले। हमारे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यहां 60 वर्षों से यह परेशानी न मरकज समझ पाया है, न अब तक की कोई भी रियासती सरकारें समझा पाईं कि यह समस्या है। 1947 के रिफ्यूजियों की वन टाइम सैटलमेंट हो जानी चाहिए। वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कोई ज्यादा तादाद में नहीं हैं। वे कोई नौ-दस हजार फैमिलीज हैं। उनको वहां न स्टेट सब्जैक्ट मिलता है, न नौकरी मिलती है, न जमीन खरीद सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं — पंचायत और असैम्बली में वोट नहीं डाल सकते सिर्फ पार्लियामैंट के लिए वोट डाल सकते हैं क्योंकि वहां उनका मकान है। उनका भी इनता बड़ा देश है, अपने ही देश के अंदर वे लोग हैं। हालांकि जो लोग दूसरी तरफ पाकिस्तान चले गए, उनके हकूक यहां महफ़ूज़ हैं। जो लोग हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में बसे, उनको सारी रियायतें मिली गईं, लेकिन इनको नहीं मिलीं। वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के रिफ्यूज़ी स्टेट सब्जैक्ट है। अगर किसी को जमीन कम मिली तो वह रियासी सरकार ने देनी है और यदि नहीं मिली तो वह सैंटर सब्जैक्ट बनता है। मेरी होम मिनिस्टर साहब से मांग है कि वर्ष 1956 और 71 के रिफ्यूज़ियों की भी कमी दूर की जाए।

महोदय, बार्डर मैनेजमेंट की भी बात है। जब से बार्डर पर फैंसिंग हुई, तब से बार्डर पर मिलीटैंसी कम हुई, इनफ्ल्ट्रेशन कम हुई है। मैं इस बात की ताइद करता हूं कि एक गलती वर्ष 1999 में हो गई कि डर के मारे दो-दो, पांच-पांच किलोमीटर पीछे लगा दी। हमारी जमीन आगे चली गई। पिछले बाहर बरसों से हमारी सरहदों पर बसने वाले बगैर वर्दी के, जो इस मुल्क के सिवीलियन हैं, उनकी जमीनें आगे है, वे बेचारे फाकाकशी के शिकार हैं। उनको न उस जमीन का कम्पनसैशन मिलता है, क्योंकि वह जमीन एक्वायर नहीं हुई है और न ही वे अपने खेत में जा सकते हैं। अगर वे अपने खेत में जाते हैं तो उनको छः बजे से पहले वापस गांव में आना पड़ता है। इस कारण से रात को जंगली जानवर उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। उनको इससे नुकसान होता है। इसलिए मरकजी सरकार आर्मी को हदाइद करे कि वह जमीन परमानेन्ट एक्वायर कर ली जाए, लोगों को उसका कम्पनसैशन दिया जाए या जीरो लाइन पर कुछ एरिया में जो फैंसिंग हुई है, वह हट जाए। पाकिस्तान से कई बार बुजदिलाना हरकत होती है। वे फायरिंग कर देते हैं। गोले लोगों के खेतों में, स्कूलों और अस्पतालों में गिरते हैं। इससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मरकजी सरकार को इस पर इनीशिएटिव लेना चाहिए। आज हम अपनी फौज को और पैरामिलिट्री फोर्सिज को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हम सरहद पर बसने वाले सिवीलियन को भी इतना ताकतवर और मजबूत बनाएं। उनकी फसलों का, उनकी जान-माल का बीमा करवा दिया जाए, ताकि डर के मारे लोगों का माइग्रेशन शहरों की तरफ न हो और सरहद भी महफूज रहे। वे अपने बहादुर फौजियों के साथ, पैरामिलिटरी फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां रहें। इससे भारत भी मजबूत रहेगा और सरहदें भी मजबूत रहेंगी।

सायं 6.06 बजे

[डॉ. गिरिजा व्यास *पीठासीन हुईं*]

महोदया, पैरा मिलिट्री फोर्सिज़ का भी एक मसला है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सबसे लम्बी सर्विस करके रिटायर होते हैं। उनको फौजियों की तरह एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाता है। वे लोग 58-60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। सर्विस के दौरान उनको फायदा मिलता है, लेकिन चेयरमैन साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वे रिटायर होते हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, अगर सूबेदार मेजर फोर्स का है, तो 12285 रुपए पेंशन लेता है। अगर वह इन्सपेक्टर रैंक का है, तो उसे 5535 रुपए पैरामिलिटरी फोर्स में। अगर कैप्टन है तो उसे 27700 रुपए आर्मी में पेंशन मिलती है, लेकिन 17200 टोटल डिप्टी कमांडेंट को मिलती है। इसी तरह फौज में कर्नल है तो 51400 रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन पैरामिलिटरी फोर्स के कमांडेंट को 23000 पेंशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है। मैं समझता हूं कि जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा अपनी सरहदों पर काटा हो, देश की खिदमत में काटा हो, जब उसकी पेंशन का समय आए, तो वह भी कम मिले, तो यह बात सही नहीं है। उसे एक्स सर्विस मैन और कैंटीन की सुविधा भी मिलनी चाहिए।

दूसरा, मैं आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की बात आपको बताना चाहता हूं। एसएसबी ने बहुत काम देश के लिए, खास कर देश की सरहदों पर काम किया है। वे सिविलियंस के साथ मिलकर काम करते थे, जो आज चीन बार्डर के लिए जरूरी है। जब करगिल की लड़ाई हुई, योगी आदित्यनाथ जी जब वाजपेयी जी लाहौर में गले मिल रहे थे और करगिल में पाकिस्तान की फौजें पहुंच चुकी थीं। वह एसएसबी का ही जवान जिसने पहली सूचना दी कि पाकिस्तान की फौजें कारगिल पहुंच गई हैं। आज आप बहुत-से नुक्ते उठा रहे थे। बातें हमें भी करनी आती हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हम बेइन्साफी करेंगे होम मिनिस्टर साहब से, यूपीए सरकार से, अपने आपसे और उन लोगों से जो मुश्किल वक्त में अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एसएसबी के लोगों

[श्री मदन लाल शर्मा]

का वन टाइम सैटलमेंट जो अंडर एज हैं, उन्हें भर्ती कर लिया जाए और जो ओवर एज हैं, वन टाइम उनकी सैटलमेंट हो जाए।

बेरोजगारी का मसला जम्मू-कश्मीर रियासत में है। मरकजी सरकार और होम मिनिस्टर साब का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन, मैं कहता हूं कि यह और लेना चाहिए और जम्मू और कश्मीर बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, उनको एज रिलैक्शेसन और क्वालिफिकेशन रिलेक्शेसन मिलनी चाहिए क्योंकि पिछले बीस-बाइस वर्षों में जो बॉर्डर पर अफरा-तफरी हुई, इससे वे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए। बॉर्डर के साथ-साथ जो आठ किलोमीटर का डिस्टैंड पड़ता है, मैं चाहता हूं कि उस आठ किलोमीटर के एरिया को बैकवर्ड करार देकर वहां की स्पेशल डेवलपमेंट करायी जाए।

इसके साथ ही मैं चेयरमैन साहिबा आपका, एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का, मैडम सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं और आज मैं फ़क्र के साथ कहता हूं कि आपकी कोशिशों के कारण जम्मू और कश्मीर के ऐसे हालात बने हैं। पता नहीं रतन सिंह अजनाला साहब को किसने समझाया और उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि आज आप सभी लोग अपनी छाती चौड़ी करके कह सकते हैं कि जो कश्मीर पहले सारे देश के लिए सिरदर्दी बन हुआ था, आज वही कश्मीर अमन और शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहां दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया है।

सभापति महोदया : मैं हाउस से निवेदन करना चाहूंगी कि हम होम अफेयर्स जैसे बहुत ही संजीदा विषय पर अपना डिबेट कर रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके हाउस में हम लोग अपनी गरिमा बनाए रखें और डिस्टर्ब न करें ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें।

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत) : मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं वह सूरत है और वह जिस राज्य का हिस्सा है वह गुजरात है। यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से भारत के नक्शे पर अति महत्व का स्थान रखता है। जहां गुजरात सीमावर्ती राज्य है और जमीनी स्तर पर कच्छ के रण से जुड़ा है और समुद्री सीमा के तौर पर 1600 कि.मी. की समुद्री सीमा से भारत का प्रवेशद्वार बन सकता है। सूरत, जो पाकिस्तान से 40 से 45 नोटिकल माइल पर है, समुद्री किनारे पर करोड़ों अरबों रुपये के हो ऐसे कई औद्योगिकी प्रतिष्ठान वहां विद्यमान हैं, जहां कुछ अनहोनी हुई तो पूरे दक्षिण गुजरात को असर हो सकता है।

गृह मंत्रालय की बजट मांगों पर कुछ मांगें हैं जो राष्ट्र हित में पूर्ण करना हमारे भविष्य के लिए अनिवार्य हैं। भारत के इतिहास में एक बार मुंबई में होटल ताज पर हमला हो चुका है। भारत के स्वाभिमान पर सीधी चोट पाकिस्तान ने समुद्री रास्ते से की है। पर वर्तमान केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय की सक्रियता इतनी है कि शायद दुनिया में इसकी मिसाल दूसरी नहीं होगी। हमें सालों हो गये, पर एक कसाब के गले के फंदे का नाप नहीं ले पाये हैं। मेरी आपसे मांग है कि गृह मंत्री जी अगर एक कसाब को फांसी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम दूसरा कसाब देश में ना आने पाये इतनी व्यवस्था तो करें। इसलिए गुजरात का किनारा एवं रण सुरक्षित हो उस हेतु राज्य सरकार के साथ मिलकर सुरक्षा को दृढ़ करने की दृष्टि से ज्यादा फंड आवंटित करना चाहिए। सूरत में एक सैनिक केन्द्र बने यह मांग सालों से विलंबित है। पर गृह मंत्रालय से सूरत में एक क्षेत्रीय एनएसजी का सेंटर बनाने की मेरी मांग है। हजीरा में कोस्टल गार्ड स्टेशन बने ताकि भविष्य में दूसरा कसाब ना पैदा हो। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया जाये। पाकिस्तान बार-बार गुजरात से सटे समुद्र में से भारतीय मछुआरों को अगवा करके ले जाता रहा है। मेरी मांग है कि मछुआरों को शिक्षित, सुरक्षित और जागृत करने हेतु फंड एलोकेट किया जाना चाहिए। गुजरात की समुद्री सीमा पर इंटरसेप्टर बोट हेतु सर्विस स्टेशन एवं मेंटेनंस स्टेशन बनाया जाये। साथ ही साथ, मेरी मांग है कि तमाम बम ब्लास्ट या किसी भी षड्यंत्र की माध्यम से हो रही अनहोनी घटनाओं को अगर ग्राउंड पर जो सुरक्षा कमी हैं, चाहे कांस्टेबल हों या ट्रैफिक पुलिस, उनकी अगर जागरूकता रही तो बहुत सी घटनायें रोकी जा सकती हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए ट्रेनिंग और उनको सभी प्रकार की शिक्षा मिले और उन्हें योग्य प्रकार के शस्त्र एवं इक्वीपमेंट के बारे में सरकार सोचे और योजना बनाकर उसे परिपूर्ण करे।

[अनुवाद]

***डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर) : गृह मंत्रालय की अनेक जिम्मेदारियों में से सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध बनाए रखना, संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन और आपदा प्रबंधन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलती रहे संविधान के अनुच्छेद 355 में प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशान्ति के विरुद्ध सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इन बाध्यताओं के अनुसरण में, गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किए बिना लगातार स्थितियों की निगरानी करता है, उचित सलाहें जारी करता है, सुरक्षा, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय समर्थन, दिशा-निर्देश और विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु, श्रम सहायता प्रदान करता है।

आंतरिक सुरक्षा विभाग पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास का काम-काज देखता है।

राज्य विभाग केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का काम-काज देखता है।

सीमा प्रबंधन विभाग तटीय सीमाओं सहित सीमाओं के प्रबंधन का काम-काज देखता है।

मेरे राज्य ओडिशा में, सुंदर तटीय क्षेत्र हैं। यह बंगाल से शुरू होते हैं और आंध्र में खत्म होते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान, तटीय क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता था। मुझे यह सच्चाई बताते हुए अत्यधिक दु:ख हो रहा है कि मेरे राज्य ओडिशा से सटे महासागर जिसे बंगाल की खाड़ी का नाम दिया गया पर ब्रिटिशों का शासन रहा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान, इसे बंगाल की खाड़ी नाम दिया गया। इसका नाम ओडिशा के नाम पर होना चाहिए। पूरा तटीय क्षेत्र हमारे राज्य में आता है। इसलिए, व्यापक लोक हित में इसका नाम तुरंत परिवर्तित किया जाए। इस महान महासागर, जिसकी मोहोदूधि नाम की बड़ी विरासत है, के समीप महान चन्द्रभागा नदी है और इन सागरों के समीप भगवान जगन्नाथ का मंदिर और कोणार्क मंदिर स्थित है। इसलिए, मैं, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पूरे क्षेत्र का नामकरण केवल भगवान जगन्नाथ के नाम पर किया जाए।

पूरी और कोणार्क के मंदिरों पर महासागर के रास्ते से हमले को रोकने के लिए सुरक्षा बल और पुलिस की चौकसी हेतु सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि किसी भी क्षण इस महान मंदिर पर जो एक वैश्विक विरासत है आतंकवादियों द्वारा हमला किया जा सकता है।

एक मजबूत स्थिर और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिये व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शांति और सद्भाव पूर्वापेक्षित है।

जनसंख्या के अनुसार कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्यों में अधिक पुलिस थाने होने चाहिए और राज्य यह चाहते हैं कि सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश केन्द्र-राज्य संबंधों के आधार पर सहयोगपूर्ण तरीके से बनाए जाएं। आज के वैज्ञानिक दौर में कुछ नई मशीनें और आधुनिक कंप्यूटर प्रत्येक पुलिस थाने में लगाए जाएं। पुलिस कार्मिक अभी तक ब्रिटिश काल के दौरान स्वीकृत किए गए हथियार और गोला-बारूद का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि उग्रवादियों को विदेशों से अधिकाधिक हथियार और गोला-बारूद मिल रहा है, हमें भी हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों को उनकी तुलना में बेहतर हथियार उपलब्ध कराने चाहिए। उग्रवादियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों को निर्दयता पूर्वक मारा जा रहा है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में अधिक पुलिस थाने और उप-पुलिस थाने बनाने चाहिए। गरीब लोगों को हमले और खतरे से बचाने के लिए अधिक पुलिस बलों को तैनात किया जाए। दिनोंदिन बढ़ते उग्रवादी हमलों को कैसे नियंत्रित किया जाए। सरकार की नीति को बदलना चाहिए। पहाड़ी स्थानों पर छिपे हुए उग्रवादी गरीब आदिवासी लोगों को पकड़ रहे हैं। वहां पर सड़कें, स्कूल, संचार होना चाहिए। गरीबी खत्म करने के लिए, केन्द्र सरकार को अधिक धन स्वीकृत करना चाहिए। यदि गरीबी को उखाड़ फेंका जाए, तो उग्रवाद स्वत: ही समाप्त हो जायेगा।

मेरा संबंध भुवनेश्वर निर्वाचन क्षेत्र – ओडिशा की राजधानी से है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हुए यातायात जाम हम रोज देखते हैं। मैं अधिक पुलिस और अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये पुलिस थाने और पुलिस कमिश्नरी के माध्यम से शासन करने के तंत्र को बदलने की मांग करता हूं। उन्हें कानून और व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए और सतर्क होना चाहिए। दिशानिर्देश स्पष्टत: कहते हैं कि संवेदनशील इमारतों जैसे धार्मिक स्थलों, मॉल और अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों के आस-पास अभेद्य सुरक्षा की जानी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री से बोस्टन में हुई ओडिशा छात्र की हत्या के संबंध में तत्काल जांच कराने का अनुरोध करता हूं।

गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए कुछ बड़े कार्यक्रमों और योजनाओं में जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बाढ़युक्त सड़कों, सीमा चौकियों और फ्लड लाइटिंग का निर्माण, आधुनिकीकरण, योजनाओं परियोजनाओं का पुनर्वास पुलिस नेटवर्क, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, पुलिस बल और

[डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

आवश्यक सेवाओं का आधुनिकीकरण, आतंकवाद के पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजनाएं आदि सम्मिलित हैं।

नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए उनकी प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए योजनाएं होनी चाहिए। देश की सीमाओं को मजबूत बनाया जाए ताकि आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सके। यह केवल राज्य सरकारों की सहायता के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिये अधिक हथियार तथा गोलाबारूद, पुलिस बल, हेलीकॉप्टर तुरंत उपलब्ध कराया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. मिर्जा महबूत बेग (अनंतनाग) : मैं आपको इस बारे में बताऊंगा और आपको सुनना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : बेग जी, कृपया आप चेयर को सम्बोधित करें।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, चिदम्बरम साहब जानते हैं, मैं सारे हाउस को यह बात बताना चाहता हूं। शेखर अब्दुल्ला ने मिर्जा अफजल बेग, जो लॉ नोइंग परसन थे, उन्होंने 1952 दिल्ली एग्रीमेंट किया। ये जो फेड्रलिज्म की बात कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक यूनियन के अंदर, रिपब्लिक के अंदर कैसे एक रिपब्लिक सर्वाइव कर सकता है, वह 1952 दिल्ली एग्रीमेंट है। हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ और हम वह एक्सेशन पर स्टिक करते हैं। हम सिर उठा कर कहते हैं कि हमने सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ एक्सेशन किया। मगर हमारे साथ स्पेशल पोजिशन, 1964 तक हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे, 1964 तक हमारे पास सदरे रियासत था, हमसे लोग पूछते हैं। उससे हिन्दुस्तान कमजोर नहीं होता, यह आपकी गलतफहमी है। यह हिन्दुस्तान की स्ट्रेंथ है कि यहां कांस्टीट्यूशन, विद इन कांस्टीट्यूशन, रिपब्लिक, विद इन रिपब्लिक और यूनियन एवं नेशन के अंदर एक नेशन जिंदा रह सकता है, यह स्ट्रेंथ है, जिसकी आजकल आप बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया आप चेयर को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : हमारा मानना है कि कश्मीर इश्यू का रेजोल्यूशन, रेस्टोरेशन ऑफ 1952 दिल्ली एग्रीमेंट का है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया आप बैठ जाएं। आपने अपनी बात रखी थी, ये अपनी बात रख रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। ...*(व्यवधान)* हमने नेगोसिएशंस किए हैं कि हमारी क्या रिलेशनशिप रहेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कोई ऑब्जेक्शनेबल शब्द होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया आप चेयर को संम्बोधित करिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैंने आपको कहा है कि इसे देख लिया जाएगा।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : हमारी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : हम बोल चुके हैं कि इसे दिखा लिया जाएगा। कृपया आप बैठ जाइए और आप चेयर को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : हमारी पार्टी का मानना है,...*(व्यवधान)* जो एक्सेशन की बेसिस थी, वे रेस्टोर होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : इसे देख लेंगे।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : इंटरलोक्युटर्स की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाईं,... *(व्यवधान)* उन्होंने रिकोमेंडेशंस दीं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : इसे दिखा दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : उस कमेटी में एक रिटायर्ड जस्टिस भी थे, उन्होंने रिकोमेंडेशंस दीं कि ऑटोनोमी को रेस्टोर करना चाहिए। ये जिसकी बात कर रहे हैं, मेरी कॉस्टीट्यूएंसी में वह इंसिडेंट हुआ।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : ये लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : छह इनोसेंट लोगों को मारा गया। आजकल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। महबूब बेग ने नहीं, सीबीआई ने कहा है कि वह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। हमसे लोग पूछते हैं, वे कहते हैं कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता। वे छः इनोसेंट लड़के उस फेक एनकाउंटर में मारे गए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट इतनी तंग आ गई, उसने ऑब्जर्वेशन की। उसने कहा – *[अनुवाद]* आप हमें नहीं बता सकते, आप नहीं कह सकते कि अफस्पा सुरक्षा बलों को उन्मुक्ति देता है, और आप नहीं कह सकते कि वे किसी कमरे में घुस सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं और तब कहें कि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

वे नहीं कह सकते है कि...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ऑब्जर्वेशन है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में मुझ से लोग पूछते हैं कि उन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिला और जो हमारे सिख भाईयों की बात कर रहे हैं, वे कहते थे कि इन लड़कों ने मारा है। अगर वह एनकाउंटर फेक है तो हम भी सवाल पूछते हैं कि कौन थे वे लोग, जिन्होंने छट्टीसिंहपोरा में सिख भाईयों का खून किया, हम भी जानना चाहते हैं?...*(व्यवधान)* वे कौन लोग थे, जिन्होंने हमारे सिख भाइयों का कत्ल किया, हम भी जानना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : बेग जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : बेग जी, अब आप वाइंड अप करिए।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : सभापति महोदया, मैं वाइंड अप कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप बैठिये।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : आप इनके प्रैशर में मत आइये। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने भी कहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : प्लीज आप वाइंड अप करिये।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : कि सबसे ज्यादा अगर खतरा देश को है तो वह नक्सलिज्म से है। हमारे चीफ मिनिस्टर पूछते हैं, क्या इनका मानना है कि वहां भी आर्मी जानी चाहिए? क्या ये कहते हैं कि वहां भी अफस्पा लगाना चाहिए, तब यह होगा। यह टाडा, ये पोटा, एनसीटीसी हमने देखा है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपका समय समाप्त हो गया।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : *[अनुवाद]* महोदया, मैं खत्म ही कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* मैं कन्क्लूड करूंगा। जब तक बेसिक इश्यूज रिजोल्व नहीं होते, तब तक ये जो चीजें हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मि. महबूब बेग के अलावा किसी और का भाषण या शब्द अब रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे। प्लीज़, आप वाइंड अप कीजिए।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : इनको मेरा भी टाइम दे दें।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : जी, मैं वाइंड अप करूंगा। मैं बीजेपी के इन भाईयों से पूछता हूं, वहां पर अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं। सिर्फ कुपवाड़ा के एक ह्यूमन राइट्स कमीशन गया, वहां पर हजारों कब्रें अनमार्क्ड हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने मुतालबा किया कि ट्रूथ एण्ड रिकोंसिलेशन कमीशन बैठना चाहिए, उसे बैठना चाहिए, पता लगना चाहिए कि वे कौन लोग थे। उनमें जो मिलिटेंट्स थे, उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर उन कब्रों में अगर मासूम हैं, बेगुनाह लोग हैं तो कश्मीरियों को यह जानने का हक है कि वे कौन लोग थे, जिन्होंने उनको मारा है। हमारी जो स्ट्रेंथ है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : आपके पास सिर्फ एक मिनट बाकी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : जी, मैं कन्क्लूड करूंगा। हमारा मानना है कि जो सख्ती है, सख्ती से मसले हल नहीं होते। हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ है कि हम डॉयलॉग प्रोसेस में यकीन रखते हैं, हम पीस प्रोसेस में यकीन रखते हैं। अभी इन्होंने कहा, उनको जबाव देना पड़ेगा, वहां बायकाट कॉल थी, बायकाट कॉल लोगों ने नहीं मानी, डिफाई की और 85 परसेंट लोगों ने पंचायत के चुनाव में पार्टीसिपेशन की, उन्होंने वोट दिये। वहां पर लाखों टूरिस्ट आये, लाखों लोग अमरनाथ गुफा में आये और सलामती से वापस चले गये तो हमारे लोगों का मानना है कि इस वक्त अगर इन्फिल्ट्रेशन लेवल कम है, अगर मिलिटेंसी में कमी आई है या एनकाउंटर्स में कमी आई है तो लोग चाहते हैं कि जो एक्सट्रा ज्यूडीशियल लॉज थे, एक्सट्राआर्डीनरी लॉज थे, जो ड्रैकोनियन लॉज थे और जो स्पेशल पावर्स एक्ट है तो हमारा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि वहां के लोग भी आराम की सांस ले सकें और ये जो लॉज थे, इन लॉज को उठाकर वे भी देश के और लोगों की तरह आगे जायें।

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी) : यूपीए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को महत्व दिया है इसके लिए एनआईए (राष्ट्रीय जांच अभिकरण) नेटग्रिड (राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड), पुलिस फोर्स का आधुनिकरण, क्राईम व क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं।

आज देश के सामने बाहरी सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2004 में यह स्वीकार किया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती थी।

छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित है, इसके अतिरिक्त झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल तथा बिहार राज्य भी नक्सलवाद की समस्या में प्रभवित है। मैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गस कदमों की सराहना करते हुए बताना चाहूंगा कि नक्सलवाद वहां से करीब-करीब समाप्त हो चुका है।

वर्ष 2004 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओईस्ट) को नक्सलाईज के नाम से भी जाना जाता है। यह दो संगठनों "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्केस्सिट लेनेनिस्ट" तथा "माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया" के समागम से बनी है। आज नक्सलवाद सेना की संख्या 11,500 से भी अधिक है, जिसके कारण 20 प्रदेशों को 200 से अधिक जिले प्रभावित हैं।

नक्सलवाद के कारण देश को भारी नुकसान पहुंच रहा है जिसमें मुख्यत: आधारभूत ढांचे को पहुंचाया गया नुकसान है। पिछले चार वर्षों में रेलवे के -150, पंचायत भवन-65, स्कूल भवन-156, पावर प्लांट तथा माईनिंग-30 सड़क एवं मार्गों -444 तथा बहुत से पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ बीएसएफ के कैंपों को भी नुकसान पहुंचाया है।

वर्तमान में नक्सलवादियों को कलेक्टर को बंधक बनाया हुआ है, इससे पहले विधायकों को भी अगवा कर बंधक बनाया गया था, जिसके बदलते फिरौती की मांग कर इनके बंद साथियों को छुड़वाने की मांग की जाती रही हैं पिछ्ले चार सालों में इस तरह के 731 मामले सामने आए हैं, जिसमें 1554 लोगों को अगवा किया गया था, जिसमें से 328 लोगों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त 535 मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जिसमें चौथ वसूली की गई है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछ्ले चार वर्षों में नक्सलवाद के कारण हो रही मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछ्ले चार ब्यौरे में 2190 आम आदमियों की मौत हुई है तथा 957 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है तथा कठोर निर्णय लेते हुए कुछ योजनाएं तथा नीतियां बनाई हैं, जो निम्नलिखित है:—

83 अत्याधिक प्रभावित जिलों में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से नक्सलवाद से हुई मौत के मामले में परियोजनाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि के साथ-साथ अनेको सहायक प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए 602 करोड़ जारी किये गये हैं।

पीड़ित नागरिकों/नक्सलववाद के पीड़ितों के परिवार हेतु केन्द्रीय योजना जिसके माध्यम से नक्सलवाद से हुई मौत के मामले में परिवारजनों को 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है।

नक्सलवादियों का सामना करने के लिए 78 बटालियन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

पिछले चार वर्षों में 362,17 करोड़ रुपए प्रभावित क्षेत्र के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रेक्चर स्कीम के तहत जारी किए गए हैं।

इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वर्ष 2010 में दो वर्ष के लिए 3300 करोड़ धनराशि वाली योजना प्रारंभ की गई थी। अभी तक 2500 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं।

पुलिस फोर्स को आधुनिकृत करने के लिए वर्ष 2011-12 में 1,111 करोड़ रुपए जारी किये गये थे। राज्य सरकारों द्वारा पूर्णरूप से पैसा खर्च न किये जाने के कारण 311 करोड़ पुन: केन्द्र को लौटाए गए हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाबल तैनात कर प्रभावी कार्यवाही करें तथा देशभर की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में रिक्त पड़े 98443 पदों को अविलम्ब भरने की व्यवस्था करें।

जम्मू और कश्मीर की समस्या भी देश के लिए अत्यंत गंभीर समस्या है, जिसपर यूपीए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आज जम्मू और कश्मीर में घटित घटनाओं में भारी कमी की जा सकी है। वर्ष 2005 में घटित घटनाओं की संख्या 1990 थी जो वर्ष 2001 में घटकर केवल 340 ही रह गई है। माता वैष्णो देवी तथा अमरनाथ यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों का प्रावधान है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम-1993, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम-1976 लेकिन सच्चाई यह है कि आज अनुसूचित जाति/जनजाति का पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। न्यायालय के आदेश के बाद ही उक्त एक्टों के अंतर्गत धारा 156 की सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के सैक्शन 4 के अनुसार उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, जो इस तरह के कृत्य करते हैं।

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम-1989 पर हुई बैठक में अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि राज्य सरकारें इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे रही हैं। सभी राज्यों में कनविक्शन रेट अत्यधिक कम है। गुजरात में कनविक्शन रेट तो कवेल 3.5 प्रतिशत ही है।

गुजरात के विभिन्न न्यायालयों ने पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन ना किये जाने पर 423 केस निरस्त कर दिये गए, जो एक गंभीर विषय है।

मैं माननीय मंत्री जी को निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा कि:—

1. एफआईआर दर्ज करने का अधिकार केवल पुलिस के पास ही न होकर ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारियों तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं को ई-गवर्नेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2. पीओए एक्स के सैक्शन 3(1) के अंतर्गत अपराधियों को दी जाने वाली सजा और कठोर किये जाने की आवश्यकता है।

3. बलात्कार/हत्या/गंभीर चोट पहुंचने पर दी जाने वाली सहायता राशि को 10 लाख तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

गृह मंत्रालय द्वारा एनसीटीसी (राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र) प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत देश में काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों के साथ जोड़कर उनका सही उपयोग किये जाने की अति महत्वपूर्ण योजना है। एनसीटीसी पर आम सहमति बनाने के प्रयास किये जा

[श्री पन्ना लाल पुनिया]

रहे हैं। इस संबंध में राज्यों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही आम सहमति बनाकर इस महान योजना को लागू किया जा सकेगा।

जहां तक गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का जन-भावना से जुड़ा मामला लंबित है। केन्द्र सरकार के पास 38 भाषाओं के प्रस्ताव लंबित हैं, जिसमें से आठ भाषाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजे गए हैं। मेरे साथ श्री रतन सिंह जी द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 दिनांक 27.03.2012 के जबाव में सरकार ने यह बताया कि भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने को किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है और ना ही प्रस्ताव के माध्यम से सम्मिलित किये जाने की समय-सीमा है।

मैं समझता हूं कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी न किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में हैं। यह पूरे देश के लोगों की मांग है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उसी के देश में मान्यता मिले। सदन में कई बार विभिन्न भाषाओं को संविधान के आठवीं अनुसूचित में शामिल किये जाने पर विभिन्न नियमों के तहत चर्चा की जाती रही है। जब संविधान लागू हुआ था, तब 14 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थी। समय-समय पर किये गए संविधान संशोधन के माध्यम से आज 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भाषाएं क्षेत्रीय हो सकती हैं, लेकिन आज इस तेज रफ्तार युग में कौन आदमी कहां पहुंच जाता है, इसको कोई पता नहीं, सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। कहीं रहने वाला न जाने कहां नौकरी कर रहा है, कहां व्यवसाय कर रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहां बोले जाने वाली भाषा, संस्कृति पूरे देश की धरोहररूपी सभ्यता है। भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है, स्वयं की अपनी-अपनी रचनाएं, कविताएं, लोकगीत, रागनियां, भजन, धारावाहिक, फिल्में आदि हैं।

मुझे यह पता चला है कि विदेशों में भारतीय प्रान्तों की भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं, जैसे मॉरिशस में भोजपुरी, अमेरिका में राजस्थानी, भोजपुरी आदि। भारत देश के नागरिकों में एक दर्द यह भी है कि नेपाली तथा सिंधी भारतीय मूल की भाषाएं नहीं हैं, फिर भी इन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

समय-समय पर सदन में उठती मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया है। जैसा कि दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को गृह राज्य मंत्री जी ने प्राइवेट मेम्बर बिल के अंतर्गत जबाव देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत मोहापात्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने वर्ष 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुति के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर कार्यवाही अभी तक भी मंत्रालय में चल रही हैं वर्तमान में विभिन्न भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आपेक्षित है, इस हेतु आयोग ने 17.07.2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण केन्द्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर में लोगों की भावना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिये जा रहे आश्वासनों पर गंभीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सभी भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : सामान्य बजट 2012-13 के गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने देश की आंतरिक सुरक्षा तथा अन्य विषयों पर चर्चा की जिसमें गृह मंत्रालय देश में कानून सुव्यवस्था की जिम्मेदारी में नाकामयाब रहने की बातें कही गईं। अति महत्वपूर्ण इस मंत्रालय की गलतियों तथा नीति-निर्णय में विलंब के चलते देश आतंरिक सुरक्षा से जूझ रहा है। गृह मंत्रालय की इन गंभीर स्थिति तथा प्रश्नों की अपेक्षा के चलते जनता परेशान है।

देश में बड़े-बड़े शहरों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। बार-बार हमले किए गए। मुम्बई जैसे महानगर में समुद्री मार्गों से घुसकर हमला किया जाए। सैकड़ों जानें गईं। गंभीर स्थिति के आतंकी हमले को लोग अभी नहीं भूले। सरकार ने कुछ सबक नहीं लिया। संज्ञान लेते तो तटरक्षक दल समग्र आधुनिक हथियार, साधनों से परिपूर्ण तथा संख्या बढ़ाकर मुम्बई के जनजीवन सुरक्षित कर सुरक्षा प्रदान हो जाती। लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय इसमें कोई सुधार नहीं कर पाया। उस 26/11

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के आतंकी हमले के आरोपियों को सजा भी नहीं दिला पाने वाले इन गृह मंत्रालय को अपनी कार्यपद्धति में महत्वपूर्ण परिणाम करने वाले निर्णय, नीति बनाने की जरूरत है।

देश में कई राज्यों में नक्सलवाद, माओवाद बढ़ने लगा है। कुछ राज्यों, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगूलरु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में लोकतंत्र में लोकतंत्र को ही चुनौती मिली है। मेरे गृह राज्य महाराष्ट्र के गड़चिरौली व गोंदिया जिले में तो जन-प्रतिनिधियों, अधिकारी तथा ठेकेदारों का जीना मुश्किल होते जा रहा है। अधिकारी दौरे नहीं करते। नेता कान्ट्रक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, विकास रुका है। कई पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच सदस्यों को तो राजीनामा देने के नक्सलियों द्वारा फरमान निकल रहे हैं। लोकतंत्र समाप्ति पर है। नक्सली और माओवादियों ने कई गांवों पर कब्जा बनाए जैसा माहौल है। पुलिस भी मुकाबला करने में तथा सुरक्षा देने में असफल हो रही है। कई बार बड़े-बड़े हमले कर बड़ी संख्या में पुलिस को मार गिराया गया। जंगल के खतरे यहां हो रहे हैं। हमले को गहरे जंगलों की आड़ के सहारे से आतंकी तथा नक्सली पुलिस पर हावी होने जैसा चित्र बन गया है। जनता में भय व्याप्त है। लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है।। सरकार, गृह मंत्रालय इस पर तुरंत संज्ञान लेकर प्रतिबंध तथा इन गतिविधियों को रोकने हेतु कदम उठाने की मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन) : आज पूरे देश की सीमाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं आये दिन हमारे देश में आतंकियों द्वारा दूसरे देशों के लोग घुसकर अपराध करते हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए सीमाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं करना चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा को होने वाली सभी खतरों को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। समाज को अपराध मुक्त वातावरण आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। भय का वातावरण शीघ्र खत्म करायें सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का परिरक्षण संरक्षण और उन्नयन कराना है। सरकार का व्यय देश में कानून का शासन लागू कराना और एक और एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली उपलब्ध कराना यह सरकार का काम है। लेकिन सरकार सबकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं दिख रही है।

देश में जहां, जहां दूसरे देशों की सीमायें जुड़ी है। वहां तक सेना के लोगों को ठीक से पहुंचने के लिए उन क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से लगी हुई दूसरे देशों की सीमायें हैं। उन सीमाओं तक पहुंचने के लिए एवं उनकी ठीक से देख-रेख करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को शीघ्र वहां के विकास के लिए केन्द्र सरकार को धन देना चाहिए जिससे सावधानी बरती जा सके। आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करना प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं के परिणामस्वरूप कटों का प्रशमन करना तथा सरकारी काम-काम में राज भाषा का प्रयोग आशानुकूलित बनाना है। इन सभी बिन्दुओं पर सरकार को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए।

देश में फैले, हुए आतंकवाद नक्सलवाद को शीघ्र रोकने के लिए सभी कदम उठाना चाहिए, सरकार को वह सभी कार्य करना चाहिए जिससे आम लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। आतंकवाद को खत्म करने के लिए शीघ्र सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण यंत्रों एवं हथियारों से लैस करना चाहिए जिससे राज्य पुलिस आतंकियों से निपट सके। मेरे सुझाव पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : आरदणीय सभापति महोदया, हमें आजाद हुए 65 वर्ष बीत चुके हैं। भारत गांवों में रहता है। देश में लगभग 7 लाख गांव हैं। गरीब असहाय लोगों को यह नहीं पता है कि प्रशासन क्या होता है। लोगों का आर्थिक विकास आज की सरकार की जिम्मेदारी है, परन्तु वह अपने कर्त्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं करती है। इसलिए, गरीब और निराश्रित धनी साहूकारों, जमीदारों और धनी किसानों की दया पर छोड़ दिये जाते हैं। उनका शोषण और दमन किया जाता है। शिक्षा या अच्छी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं है। भुखमरी से गरीबों की असामयिक मौत होती है और उन्होंने इसे अपना भाग्य मान लिया है। परन्तु, आज स्थिति बहुत आगे बढ़ गई है। नाराजगी और क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। चौथी या पांचवीं पीढ़ी ने आज हथियार उठा लिए हैं। देश के करीब 200 जिले आतंकवाद या नक्सलवाद की चपेट में हैं। पूरा पूर्वी भारत और मध्य भारत आतंक के साये में जी रहा है। यहां तक कि अर्द्ध-सैनिक या संयुक्त सुरक्षा बल भी इसे काबू में नहीं कर पायें हैं। माओवादियों से निपटने के अभियान सफल नहीं हो पाये हैं। हमें डर है कि बहुत ही जल्दी हम प्रजातांत्रिक देश का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

दर्जा खो देंगे और नेपाल जैसे हो जायेंगे। अतः, नेतृत्व को आम लोगों के अनुकूल, नीतियों में अवश्य बदलाव लाना चाहिए जो कि मूलभूत मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और दो जून की रोटी से सदैव वंचित रहे हैं। इसी के साथ, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर रोज बांग्लादेश और पाकिस्तान से घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। ये घुसपैठिये प्रायः आवंटित समाजरोधी क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। माल्दा और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते बिना किसी बाधा पड़ोसी देशों से जाली विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है। इससे भारत का आर्थिक विकास कई प्रकार से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक बार जब सीमा के दूसरी तरफ से वीजा के साथ व्यक्ति भारत में प्रवेश करते हैं तो वे अपने मूल स्थान पर कभी वापस नहीं जाते हैं। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता है क्योंकि वे भारतीयों में मिल जाते हैं। सरकार उन्हें ढूंढना आवश्यक नहीं मानती है ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। इस पहलू पर काफी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमें पता है कि आधार कार्ड तैयार किये जा रहे हैं; कई राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर को भी अद्यतन किया जा रहा है। परन्तु, यहां कार्य का दोहरीकरण हो रहा है और मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में होमलैंड स्थापित किया जाना था, परन्तु कार्य पूरी तरह से बंद हो चुका है। अतः, इस मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री जी से मैं विशेष वक्तव्य चाहता हूं। इसके अलावा, हम देश की वास्तविक जनसंख्या के बारे में अभी तक नहीं जानते क्योंकि जनगणना रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। मैं मंत्री जी से रिपोर्ट के साथ आने का आग्रह करता हूं।

मैं एक बार पुनः सरकार से आम लोगों, गरीब देशवासियों की देखभाल करने और जन अनुकूल नीतियों को अपनाने का निवेदन करता हूं। अन्यथा, प्रजातंत्र एक दूर की बात बन जायेगी और निकट भविष्य में भारत भी नेपाल जैसा देश बन जायेगा।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस में भाग लेने की अनुमति देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि समय दो-चार मिनट बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदया : आप शुरू करिए, आपको पूरा समय मिलेगा।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की। मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्युएंसी कूच बिहार, वेस्ट बंगाल है। सरकार ने स्वीकार यह किया कि माओवाद देश की एक ज्वलंत समस्या है। सभी सदस्यों ने यह कहा। हमारे वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा नार्थ बंगाल है। दार्जिलिंग के बीच का मैं रहने वाला हूं, पिछले साल जब गवर्नमेंट चेंज हुई, नयी गवर्नमेंट आयी, होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गए, पिछले साल जीटीए चुकती किया। संविधान के मुताबिक जीटीए चुकती किया जाए, यह तो हम भी चाहते हैं। पहाड़ पीसफुल रहे, यह हम भी चाहते हैं, लेकिन जो जीटीए चुकती हुआ था, अभी वह सफल नहीं हुआ, इसके कारण पहाड़ और समतल के बीच झगड़ा चल रहा है। मेरी विनती है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान करें।

मैडम, मैं इस बात और कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के प्रोटेक्शन के लिए, बार्डर के प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक फेंसिंग बनायी गयी, घुसपैठ रोकने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए इसे बनाया गया, सरकार की जो चिंता है वह ठीक है। लेकिन प्राब्लम है, आजादी के 62-63 साल चल रहा है, कश्मीर हमारे साथ हो, यह सभी सदस्य चाहते हैं। हमारी कांस्टीच्युएंसी कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में एक जिंदा प्राब्लम इन्क्लेव लैंड है, जिसे बांग्ला में मच्छीदमहल बोलते हैं। वह हमारी कांस्टीच्युएंसी में है। एक्सरेअगारो इंक्लेव लैंड जो गांव है, वह इंडिया में है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश का फिफ्टी ऐट इंक्लेव लैंड है इंडिया के अंदर है, उसमें फेंसिंग नहीं है। उधर का जो सिटीजन है, जो हैबिटेशन है, उसको कानून के मुताबिक आधुनिक व्यवस्था का कोई सुख-सुविधा नहीं मिल रही है। हम जब देश के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन इंक्लेव लैंड विनिमय न होने के कारण खतरा बढ़ता जा रहा है। इंडिया में कोई अपराध करे, तो वह बसने के लिए बांग्लादेश के इंक्लेव लैंड में घुस जाता है। यह न्यूज सरकार के पास है, लेकिन बांग्लादेश में कोई क्राइम करे, तो वह बसने के लिए इंडिया आता है। जो स्मगलर है, कालाबाजारी करने वाला है, वह फेंसिंग न होने के कारण वहां माल का आदान-प्रदान करता है। एक और लज्जा की बात है। हम बराबर महात्मा गांधी जी और नेताजी की बात करते हैं। हमारा इंडियन सिक्यूरिटी बहुत बड़ा है लेकिन वेस्ट बंगाल का एक जिला जलपाईगुड़ी है। वेरूबाड़ी का नाम हिन्दुस्तान के नक्शे में नहीं है उसको

एडवर्स लैंड बोलते हैं। यह बहुत शर्म की बात है। जहां हमारी स्वतंत्रता मजबूत है, सिक्यूरिटी मजबूत है। मेरी कांस्टीटूअंसी कूच बिहार है। वहां की 52 प्रतिशत आबादी शेड्यूल कास्ट है और वे सभी राजवंशी कम्युनिटी के हैं। केपीपी और केएलओ के कुछ लोग हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को वर्ष 2001 से ले कर आज तक भड़काने का काम कर रहे हैं। वे लोग कूच बिहार को अलग करना चाहते हैं। किसी हिस्से में कोई भी आवाज उठाता है तो हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वह उनको बातचीत करने के लिए बुला लेती है। दो दिन पहले हम ने अखबार में देखा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कूच बिहार को अलग करना चाहता है को बुलाया। कूल बिहार के लोगों ने केपीपी को कहते हैं कि जब जीटीए होगा तब कोई अलग स्टेट होगा। हमारा कूच बिहार अलग नहीं होगा। अब जीटीए हो गया तो सब सीटीए चाहते हैं। यही लोगों की मांग है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपय वाइंड अप कीजिए।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : हम यही कहना चाहते हैं कि कूच बिहार को दोबारा न बांटे। हमारी समस्या का समाधान जीटीए के मुताबिक करें। सिक्यूरिटी के लिए जल्दी समाधान करें। बार्डर के उधर जो जो इंडियन जमीन है वहां जो पीपुल्स हैं, फेसिंग की दूसरी तरफ इंडियन बच्चों के लिए स्कूल नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : बीएसएफ फेन्सिंग खेलता नहीं है। बार्डर के उधर लाखों इंडियन पीपूल्स हैं। वहां पर बहुत किसान हैं। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां पोलियो की बीमारी घटती जा रही है। हमारे यहां पढ़-लिखे लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहां इंजीनियर बढ़ते जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया आप बैठ जाइए। आपकी सभी बातें नोट कर ली गईं। अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : सभापति महोदया, मुझे गृह मंत्रालय के लिए वर्ष 2012-13 के लिये अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

सर्वप्रथम, इस सम्माननीय सभा के ध्यान में कुछ प्रश्नों को लाना चाहूंगा, जो कई सालों से मुझे परेशान किए हुए हैं। अनेक सारे सदस्यों ने अलग-अलग मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की है। परन्तु मुख्य मुद्दा, जिस पर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि देश के अधिकांश नागरिक एक ही लचर बहुत पुलिस प्रणाली का सामना कर रहे हैं। मेरे सभी सहकर्मी इस बात से सहमत होंगे। इस मूल कारण पर किसी सदस्य ने ध्यान नहीं दिया। हमारे गृह मंत्री अत्यंत बुद्धिमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। आपकी व्यवस्था कैसी है जहां पुलिस बल के लिए आवासीय सुविधा 30 प्रतिशत से भी कम है? आपके पास एक ऐसा पुलिस बल है, जिसके पास आवास नहीं है, जबकि इसे दिये जाने की गारंटी दी जाती है; आपके पास एक ऐसा पुलिस बल है, जिसके पास किसी प्रकार का बीमा नहीं है। आप कैसे लड़ेंगे? आप 21वीं सदी का पुलिस बल कैसे रख सकते हैं जबकि बजट का 95 प्रतिशत वेतन पर तथा 5 प्रतिशत अन्य कार्यों के लिए खर्च किया जाता है, जहां 99 प्रतिशत लोगों हेतु एक पदोन्नति है। आईएएस और आईपीएस अपनी पदोन्नति सुनिश्चित करते हैं, परन्तु एक कांस्टेबल, कांस्टेबल के रूप में भर्ती होता है और वह कांस्टेबल के रूप में ही सेवा से अवकाश ग्रहण करता है; एक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करता है और शायद वह भी उसी पद से अवकाश ग्रहण करता है। उनके लिए कोई भी प्रेरणा नहीं है।

भारत की आधुनिक पुलिस में आधुनिकता के नाम पर अपराध नियंत्रण हेतु प्राथमिकियों को दर्ज नहीं किया जाता। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण दूंगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने एक प्राथमिकी दर्ज करवानी चाही। इसमें तीन दिन लग गये। इस प्रकार, क्या हमारे पास कोई प्रक्रिया है? आज के समाचार पत्र में भी इस बारे में उल्लेख है। इस देश में यदि कोई सांसद बिना यह बतलाए कि वह एक सांसद है एक प्राथमिकी दर्ज करना चाहे तो यह वास्तव में असम्भव है कि एक प्राथमिकी दर्ज करवा ले। 60 सालों से ऐसा होता आया है। अतः, एक प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने हेतु उचित उपाय किए जायें। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। गरीब लोग तो प्राथमिकी (एसआईआर) दर्ज करा ही नहीं सकते।

एक अन्य प्रश्न न्यायालयों में सजा दिये जाने की दर और लंबित मामलों से संबंधित है। मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अदालतों में लंबित मामलों के मूल कारणों में एक यह है कि हम मौखिक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं; और वैज्ञानिक जांच बिल्कुल नहीं होती है। किसी पुलिस थाने द्वारा जांच-पड़ताल करने में मुख्य विशेषता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अजय कुमार]

यही है पुलिस का खोजी कुत्ता मंगा जाता है, जो खोज करता है। यह स्तर है जांच-पड़तरल का है। अतः, मेरा निवेदन है कि जब आपके पास कांस्टेबल के रूप में एक स्नातक अब पदभार ग्रहण कर रहा है तो आप फारेंसिग और आधुनिक जांच व्यवस्था क्यों नहीं मंगा सकते?

हम इतने पिछड़े क्यों हैं? हम सिर्फ मौखिक साक्ष्य पर विश्वास करते हैं और फिर हम न्यायालय को दोष देते हैं। आज दोषसिद्ध करने की दर पांच प्रतिशत से कम है। हम हर विषय पर बात करते हैं पर उस पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते। हम एनसीटीसी और एनआईए जैसी सुपर अवसंरचना की बात करते हैं। परन्तु, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सही ढंग तरह से की गई नरेगा या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह हमें पुलिस थानों में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। वास्तव में यहीं पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। जब भी कोई समस्या पैदा होती है, हम एक और सूचना का निर्माण कर देते हैं। हम वास्तव में इस के सबसे निम्नतम पदाधिकारी अर्ध्यात् कांस्टेबल जैसे ही हैं। कांस्टेबल ही है जो आसूचना एकत्र करता है। हम उनकी ही अपेक्षा करते आ रहे हैं पर संगठन एक के बाद एक बनाते जा रहे हैं।

आप जानते हैं कि मैं झारखंड का हूं। मैं अब नक्सलवाद पर चर्चा करूंगा क्योंकि यह एक बहुत गंभीर मामला है। एकीकृत कार्य योजना में, बजट का एक भाग आंगनवाड़ियों के लिए आवंटित है। मेरा प्रश्न है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले के कुल हिस्सों में, वास्तव में सोलहवीं सदी का भारत बसता है। क्यों नहीं ग्रामीण विकास विगत और गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करता ताकि हम सही मायनों में घर-घर तक विकास ला सकें? क्योंकि पुलिस द्वारा निगरानी किया जाना एक तरीका है परन्तु हम सब जानते हैं कि इसकी रचना करना बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे कुछ और विषयों पर भी चर्चा करनी है तत्पश्चात् मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। चूंकि भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आसूचना अभिकरणों और उनके बजट को किसी न किसी प्रकार की संसदीय निगरानी के अंतर्गत अवश्य लाया जाये। हमें एक ऐसा आधुनिक भारत नहीं चाहिए जहां आसूचना एजेंसियों की कोई जिम्मेदारी न हो, जहां हमें यह न पता हो कि बजट कहां खर्च हो रहा है।

अंत में एक महत्वपूर्ण बात, मैं इस सभा में कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि पुलिस सुधार लाया जाय। पुलिस सुधारों पर सिर्फ बातें ही होती हैं। हम कभी लागू नहीं करेंगे। मगर हमारे लोग ही पीड़ित होंगे। जब तक हम पुलिस सुधार के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन नहीं करेंगे तब तक 95 प्रतिशत लोग कष्ट में रहेंगे। हम नक्सलवाद और आतंकवाद के बारे में बात कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक, जो पुलिस भाने जाता है एक दयनीय अनुभव ही प्राप्त करता है। यदि आप इस देश को बदलना चाहते हैं, तो हम पुलिस सुधारों से आरंभ करें और इस उद्देश्य के लिये एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर वजारते दाखिल के बजट पर बोलने का मौका दिया। मोहरतरमा, मैं सबसे पहले वजीरे दाखिला से यह जानना चाहूंगा कि गालिब की शायरी दहशदगर्दी को फरोग देती है? वह इसलिए कि जो जवाब महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से अनलॉफल एक्ट के तहत ट्राइबुनल के सामने दाखिल किया गया है, उसमें उन्होंने अपने ऐफिडैविट में एक शेर लिखा जिसमें गालिब ने कहा था—

मौजे खू शख्स से गुजर की क्यों न जाए,
आस्ताने यार से उठ जाए क्या।

महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि गालिब की शायरी की दशहदगर्दी में फरोग हो रहा है और सिमी की तनजीम इन आशार को लेकर महाराष्ट्र को हिन्दुस्तान से अलहैदा करना चाहती है। इतनी बड़ी बेवकूफी की बात आज तक मैंने न पढ़ी है न कभी दिल-ओ-दिमाग में आई है। जब हमारे वजीरे दाखिला जवाब देने के लिए खड़े होंगे, तो वे बताएंगे कि गालिब की शायरी दहशदगर्दी को फरोग दे रही है।

दूसरी बात, दिल्ली-उर्दू अकादमी की तरफ से बच्चों की किताब 'उमंग' छापी जाती है। उस किताब को भी महाराष्ट्र पुलिस ने ट्राइबुनल के सामने पेश किया और कहा कि इस बच्चों की किताब से सिमी दहशदगर्दी में इजाफा कर रही है। हद ताकम यह हो गई कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने ट्राइबुनल के सामने यह कहा कि सिमी की फ्रंटल

आर्गनाइजेशन यानी सम-ए-अव्वल की तनजीम आईएसआई, आप बताइए कि इससे बढ़कर ये लोग क्या काम कर रहे हैं और किसको ताकत बक्श रहे हैं।

हमारे मुअजिज अपोजिशन की तरफ से जब बहस का आगाज हुआ तो उन्होंने तेलंगाना के बारे में बात की। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बीजेपी को 1998 इलैक्शन में 18 फीसदी वोट हासिल हुए थे। उसके बाद बीजेपी ने कहा था कि एक वोट दो, दो रियासत लो। आपने छः साल हुकुमत की और तेलंगाना बनाना भूल गए। आपकी क्या मजबूरी थी? क्या उस वक्त लोग नहीं मारे गए? क्या उस वक्त लोग नहीं मरे? आप आज खुदकुशी की बात कर रहे हैं। यकीनन इस ऐवान में कोई भी नहीं चाहता कि नौजवान बच्चे अपनी जान दें। मगर इस सियासी मुफाद परस्ती को खत्म होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : वे आपको भी शान्ति से सुन रहे थे। प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मुझे मालूम है कि आपको तकलीफ हो रही है।...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं तकलीफ हो। सच कड़वा होता है।...*(व्यवधान)*

मोहतरमा, मैं हुकुमत को बताना चाहता हूं कि अब वक्त आ चुका है कि मरकजी हुकुमत एक फैसला ले। वजीरे दाखिला साहब हमेशा यह कहते हैं कि चार पार्टियों ने अपनी राय नहीं दी, जिसमें हमारी पार्टी भी थी। मैं आपके जरिये उनको बताना चाहता हूं, वे यहां बैठे हैं, हमने जो श्रीकृष्णा कमेटी को लिखकर दिया, वह हमारी आखिरी बात है। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आप फैसला लीजिए। आप ऐसा फैसला लीजिए कि सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे। आप ऐसा फैसला लीजिए कि फिरकापस्त ताकतों को इससे फायदा न हो। आप ऐसा फैसला लीजिए कि हैदराबाद के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज न किया जाये। हैदराबाद मरकजी जेरे-इंतजाम इलाका न करार दिया जाये, क्योंकि तेलंगाना हैदराबाद का हिंडन लैंड है।

मोहतरमा, तीसरी अहम बात एनसीटीसी बनाने की है। मैं इसकी मुखालिफत इसलिए करता हूं कि अगर इसे बनाया जायेगा, तो इस इदारे के तहत अकलियतों पर और जुल्म किया जायेगा और हैरत की बात यह है कि इस इदारे को आईबी के तहत लाया जायेगा। क्या वजीरे दाखिला खड़े होकर हमें समझा सकते हैं कि आईबी को इस ऐवान के कानून के तहत बनाया गया? नहीं बनाया गया। जब आईबी को इस कानून के तहत नहीं बनाया गया, तो आईबी इस ऐवान को जबावदेह नहीं है। इसकी कोई कांस्टीट्यूशनल वैलिडिटी भी नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि पहले आईबी को इस ऐवान का जबावदेह बनाया जाये और ऐसे इदारों को मत बनाइये। आज आप हुकूमत कर रहे हैं, कल कोई और भी कर सकता है। आप इसे अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल करने का खिलौना मत बनाइये।

मोहतरमा, चौथा प्वाइंट इंटरलॉकुटर्स की रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर के ऊपर है। जो इंटरलॉकुटर्स को बनाया गया, यह गलत तरीके से बनाया गया। इसमें सियासी कायदीन को शामिल करना बेहद जरूरी था। आपने सियासी कायदीन को शामिल नहीं किया, इसलिए वहां जो अहम लोग हैं, जो सियासी तनजीम छोड़कर दूसरे तनजीम के लोग हैं, जिनसे गुफ्तशलिल किये बगैर, जिनसे बातचीत किये बगैर हम इस मसले का हल तलाश नहीं कर सकते। फिर यह रिपोर्ट आपके पास है, तो कैसे अखबारात में लीक हो गयी। वह इंटरलॉकुटर्स की रिपोर्ट हैरतकुंद है। वे लोग कहते हैं कि इस मसले का हल यह है कि आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे को वजीरे-आजम बना दीजिए और गवर्नर के ओहदे को सदर-ए-रियासत बना दीजिए। अगर वे लोग इतने होशियार हैं, अगर उनकी बात में दम है, तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि आप आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर तेलंगाना प्रदेश कर दीजिए, मसला हल हो जायेगा। अगर यही इनकी बात है और इंटरलॉकुटर्स की रिपोर्ट सही है, तो सात महीने का वक्त हो चुका है, आपने अभी तक उस रिपोर्ट को ऐवान में नहीं रखा। उस पर बहस होनी चाहिए। जब सारे ऐवान के सियासी जमात के जिम्मेदारों के जाकर कश्मीर में अपील की और यकीनन उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा असर वहां पड़ा। वहां पर अमन कायम हुआ और एक उम्मीद जागी। हमारा मसला यह है कि जब कश्मीर में अमन होता है तो हम कश्मीर को भूल जाते हैं। जब कश्मीर में लाग लगती है, तब हमें कश्मीर याद आता है। एक कन्टीन्यूअस एप्रोच की बेहद जरूरत है।

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

मोहतरमा, एक और बात है कि हालिया दिनों में वजीरे आला की कांफ्रेंस हुई थी, पूरे चीफ मिनिस्टर्स की। वजीरे दाखिला ने अपनी तकरीर में जुमला कहा कि हर कोई तहकीकात, जब किसी को पकड़ा जाता है, तो आप उसे महजब के ऐनक के मत देखिये और यह इशारा कर रहे थे मुसलमानों की तरफ। मैं आपके जरिये उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यह क्यों सोचते हैं, हम मजहब की ऐनक से क्यों देखते हैं? मैं आपके सामने छह मिसाल दे रहा हूं। एक, दिल्ली में मोइनुद्दीन दार का वाकया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : ओवेसी जी, आप बिल्कुल शार्ट में अपनी बात कीजिए। हम लोग बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मोहतरमा, मैं बिल्कुल शार्ट में अपनी बात कह रहा हूं। इरशाद अली का बकाया, इंडियन मिलिटरी अकादमी का बाकाया। मेरी कौन्सटीटूएंसी के बच्चे छह साल जेल में रहे। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में उन्हें बरी करवा दिया। अब मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। एक बच्चे की मां कैंसर से मर रही है। हम यह कहते हैं कि आप सेक्युलर हुकूमत की...*(व्यवधान)* परिभाषा बताइए। एक सेक्युलर गवर्नमेंट जो गुजरात की हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ...*(व्यवधान)* वहां का फैसला लिया।...*(व्यवधान)* हरेन पांडया की बेवा...*(व्यवधान)* नक्सलाइट का मसला अमन-ओ-जप्त का मसला नहीं है, यह एक माशिम मसला है। यह हुक्मरानी का मसला है। वजीरे अखबारी ने सही कहा कि कबाइली इलाकों में माइनिंग की बेन होनी चाहिए।

मोहतरमा, मैं आखिर में इस शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा। एक साबिका रूक्न पार्लियामेंट ने बड़ा खूब कहा। उनकी नजम थी – मेरा वतन।

गीतों से तेरी जुल्फों को मीरा ने संवारा
गौतम ने सदा दी तुझे नानक ने पुकारा
खुसरो ने कई रंगों से दामन को निखारा
हर सिल में मोहब्बत की उखुवत की लगन है
ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है।

मोहतरमा, इस शेर को लिखने वाला कौन था। उसके जिस्म के चार टुकड़े कर दिए गए और उसे जला दिया गया। उसका नाम एहसान जाफरी था। उस एहसान जाफरी की रूह इस ऐवान से, जो कानून की बारादस्ती को मानते हैं, उन सबसे कह रही है कि अगर तुम्हारे सीनों में इंसानियत जिंदा है, तो मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी बेवा जईक हो चुकी है, उन कातिलों को जेल में पहुंचाओ। जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने फिरकाना फसादात को रोकने के लिए कानून बनाया, जिसकी चेयरपर्सन आज यहां बैठी हुई हैं, अगर दूसरी रियासतें राजी नहीं हो सकतीं, तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जितनी के जेरे जियादत रियासतें हैं, वहां पर आप इस कम्यूनल वायलेंस बिल को लागू कीजिए। मेरे शहर में, मेरी कांस्टीट्वेंसी में चंद दिन पहले फसाद हुआ।...*(व्यवधान)* उस फसाद में मंदिर के ऊपर वोट डालने वाले आपके लोग...*(व्यवधान)* मंदिर के ऊपर वोट डाले, एक नहीं चार-चार...*(व्यवधान)* तमाम आरएसएस के लोग पकड़े गए।...*(व्यवधान)* मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ...* को फौरन गिरफ्तार किया जाए, मालेगांव और अजमेर बम ब्लास्ट के लिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) **:** महोदय, एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, लेकिन अन्य लोगों का नाम क्यों नहीं लिया गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : डिलीट कर दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए, डिलीट कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

جناب اسدالدین اؤویسی (حیدرآباد): محترمہ اسپیکر صاحبہ، میں آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر وزارتِ داخلہ کے بجٹ پر بولنے کا موقع دیا۔ محترمہ میں سب سے پہلے وزیرِ داخلہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ غالب کی شاعری دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے کیا؟ وہ اس لئے کہ جو جواب مہاراشٹر پولس کی طرف سے انلافل ایکٹ کے تحت ٹرابیونل کے سامنے داخل کیا گیا ہے اس میں انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں ایک شعر لکھا ہے جس میں غالب نے کہا تھا

موجِ خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے
آستانِ یار سے اٹھ جائے کیا

مہاراشٹر پولس نے کہا کہ غالب کی شاعری دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے اور سمی کی تنظیم ان اشعار کو لے کر مہاراشٹر کو ہندوستان سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ اتنی بڑی بے وقوفی کی بات آج تک نہ میں نے پڑھی نہ کبھی دل و دماغ میں آئی۔ جب ہمارے وزیرِ داخلہ جواب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ غالب کی شاعری دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔

دوسری بات، دہلی اردو اکادمی سے بچوں کی کتاب 'امنگ' چھاپی جاتی ہے۔ اس کتاب کو بھی مہاراشٹر پولس نے ٹرابیونل کے سامنے پیش کیا ہے اور کہا کہ اس بچوں کی کتاب سے سمی دہشت گردی میں اضافہ کر رہی ہے ہ۔ حد تو یہ ہوگئی کہ آندھرا پردیش پولس نے ٹرابیونل کے سامنے یہ کہا کہ سمی کی فرنٹل آرگنایزیشن یعنی صفِ اول کی تنظیم آئی۔ ایس۔ آئی، آپ بتائے کہ اس سے بڑھ کر یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور کس کو طاقت بخش رہے ہیں۔

ہمارے معزز اپوزیشن کی طرف سے جب بحث کا آغاز ہوا تو انہوں نے تیلنگانہ کے بارے میں بات کی۔ میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ بی۔ جے۔ پی۔ کو 1998 الیکشن میں 18 فیصدی ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ اس کے بعد بی۔ جے۔ پی۔ نے کہا تھا ایک ووٹ دو، دو ریاست لو۔ آپ نے چھ سال حکومت کی اور تیلنگانہ بنانا بھول گئے۔ آپ کی کیا مجبوری تھی؟ کیا اس وقت لوگ نہیں مارے گئے؟ کیا اس وقت لوگ نہیں مرے؟ آج آپ خودکشی کی بات کر رہے ہیں۔ یقیناً اس ایوان میں کوئی نہیں چاہتا کہ نوجوان بچے اپنی جان دیں۔ مگر اس سیاسی مفاد پرستی کو ختم ہونا چاہیے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

مجھے معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔۔(مداخلت)۔۔میں چاہتا ہوں تکلیف ہو۔سچ کڑوا ہوتا ہے۔

محترمہ، میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب وقت آچکا ہے کہ مرکزی حکومت ایک فیصلہ لے۔وزیرِ داخلہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چار پارٹیوں نے اپنی رائے نہیں دی، جس میں ہماری پارٹی بھی تھی۔میں آپ کے ذریعہ ان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ہم نے جوشری کرشنا کمیٹی کو لکھ کر دیا وہ ہماری آخری بات ہے۔اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہیں گے۔اب آپ فیصلہ لیجئے۔آپ ایسا فیصلہ لیجئے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔آپ ایسا فیصلہ لیجئے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو اس سے فائدہ نہ پہنچے۔آپ ایسا فیصلہ لیجئے کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔حیدرآباد مرکزی زیرِ انتظام علاقہ نہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ تیلنگانہ حیدرآباد کا ہنٹر لینڈ ہے۔

محترمہ، تیسری اہم بات این۔سی۔ٹی۔سی۔بنانے کی ہے۔میں اس کی مخالفت اس لئے کرتا ہوں کہ اگر اسے بنایا جائے گا تو اس ادارے کے تحت اقلیتوں پر اور ظلم کیا جائے گا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ادارے کو آئی۔بی۔کے تحت لایا جائے گا۔کیا وزیرِ داخلہ کھڑے ہو کر ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ کیا آئی۔بی۔کو اس ایوان کے قانون کے تحت بنایا گیا؟ نہیں بنایا گیا۔جب آئی۔بی۔کو اس قانون کے تحت نہیں بنایا گیا تو آئی۔بی۔اس ایوان کے جواب دہ نہیں ہے۔اس کی کوئی آئینی ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے۔اس لئے بے حد ضروری ہے کہ پہلے آئی۔بی۔کو اس ایوان کا جواب دہ بنایا جائے اور ایسے اداروں کومت بنایئے۔آج آپ حکومت کر رہے ہیں، کل کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔آپ اسے اقلیتوں کے خلاف استعمال کرنے کا کھلونا مت بنایئے۔

محترمہ، چوتھا پوائنٹ انٹرلاکٹرس کی رپورٹ جموں کشمیر کے اوپر ہے۔یہ جو انٹرلاکٹرس کو بنایا گیا، یہ غلط طریقے سے بنایا گیا ہے۔اس میں سیاسی قائدین کو شامل کرنا بے حد ضروری تھا۔آپ نے سیاسی قائدین کو شامل نہیں کیا، اس لئے وہاں جو اہم لوگ ہیں، جو سیاسی تنظیم چھوڑ کر دوسری تنظیم کے لوگ ہیں، جن سے گفتگو کئے بغیر، جن سے بات چیت کئے بغیر ہم اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے اور پھر یہ رپورٹ آپ کے پاس ہے۔کیسے اخبارات میں لیک ہوگئی۔پھر وہ انٹرلاکٹرس کی رپورٹ حیرت کن یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ چیف منسٹر کے عہدہ کو وزیرِ اعظم بنا دیجئے اور گورنر کے عہدہ کے صدرِ ریاست بنا دیجئے۔اگر وہ

لوگ اتنے ہوشیار ہیں، اگر ان کی بات میں دم ہے تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ آندھر پردیش کا نام بدل کر تیلنگانہ پردیش کر دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہی ان کی بات، انٹرلا کٹرس کی رپورٹ سہی ہے۔ سات مہینے کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے ابھی تک اس رپورٹ کو ایوان میں نہیں رکھا ہے۔ اس پر بحث ہونی چاہئے۔ جب سارے ایوان کے سیاسی جماعت کے ذمہ داروں نے جا کر کشمیر میں اپیل کی اور یقیناً اُن کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا اثر وہاں پڑا۔ وہاں پر امن قائم ہوا اور ایک امید جاگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کشمیر میں امن ہوتا ہے تو ہم کشمیر کو بھول جاتے ہیں، جب کشمیر میں آگ لگتی ہے تو ہمیں کشمیر یاد آتا ہے۔ ایک کنٹینوس، مسلسل اپروچ کی بہت ضرورت ہے۔

محترمہ، ایک اور بات ہے کہ ابھی حال ہی میں وزیرِ اعلیٰ کی کانفرنس ہوئی تھی، پورے چیف منسٹرس کی۔ وزیرِ داخلہ نے اپنی تقریر میں جملہ کہا کہ ہر کوئی تحقیقات،، جب کسی کو پکڑا جاتا ہے، تو آپ اسے مذہب کی اینک سے مت دیکھئے اور یہ اشارہ کر رہے تھے مسلمانوں کی طرف۔ میں آپ کے ذریعہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں، ہم مذہب کی اینک سے کیوں دیکھتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے چھ مثال دے رہا ہوں۔ ایک دہلی میں معین الدین ڈار کا وقعہ۔۔مداخلت۔۔۔ محترمہ میں بالکل شارٹ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ارشاد علی کا واقعہ، انڈین ملٹری اکادمی کا واقعہ، عمران کرمانی کا واقعہ، شہزاد کا واقعہ، حیدرآباد اور گجرات میں ہرین پانڈیا کا واقعہ، میرے پارلیمانی حلقہ کے بچے چھ سال جیل میں رہے، اس کے بعد گجرات ہائی کورٹ میں انہیں بری کروا دیا۔ اب مرکزی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کر رہی ہے۔ ایک بچے کی ماں کینسر سے مر رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سیکولر حکومت کی پریبھاشا بتائے۔ ایک سیکولر گورنمنٹ جو گجرات ہائی کورٹ نے سی۔بی۔آئی کے خلاف۔۔(مداخلت)۔۔۔ ہرین پانڈیا کی بیوہ۔۔ (مداخلت)۔۔۔نکسلائٹ کا مسئلہ، امن وضبط کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکمرانی کا مسئلہ ہے۔ وزیرِ صاحب نے سہی کہا کہ قبائلی علاقوں میں مائننگ کی بین ہونی چاہئے۔

محترمہ، میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک سابقہ رکن پارلیمنٹ نے بہت خوب کہا ہے ان کی نظم تھی میرا وطن؛

گیتوں سے تیری ظلف کو میر اُنے سنوارا
گوتم نے صدا دی تجھے نانک نے پکارا
خسروں نے کئی رتنوں کو دامن سے نکھارا
ہر دل میں محبت کی بخوت کی لگن ہے
یہ میرا وطن، میرا وطن، میرا وطن ہے

محترمہ، اس شعر کو لکھنے والا کون تھا، اس کے جسم کے چار ٹکڑے کر دئے گئے اور اسے جلا دیا گیا، اس کا نام تھا احسان جعفری تھا۔ اس احسان جعفری کی روح اس ایوان سے، جو قانون کی بالا دستی کو مانتے ہیں، ان سب سے کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے سینوں میں انسانیت زندہ ہے تو مجھے انصاف دلاؤ۔ میری بیوہ ضعیف ہو چکی ہے، ان قاتلوں کو جیل پہنچاؤ۔ جب نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل نے فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے لئے قانون بنایا، جس کی چیر پرسن آج یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اگر دوسری ریاستیں راضی نہیں ہو سکتی، تو میں آپ کے زریعہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی کانگریس کے زیرِ قیادت ریاستیں ہیں وہاں پر آپ اس کمیونل وائلنس بل کو لاگو کیجئے۔ میرے شہر میں، میرے پارلیمانی حلقہ میں چند دن پہلے فساد ہوا۔۔۔(مداخلت)۔۔۔اس فساد میں مندر کے اوپر گوشت ڈالنے والے آپ کے لوگ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔مندر کے اوپر گوشت ڈالے۔۔۔ایک نہیں چار۔ چار، تمام آر۔ ایس۔ ایس۔ کے لوگ پکڑے گئے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ (پروسیڈنگ میں شامل نہیں کیا گیا)۔ کو فوراً گرفتار کیا جائے، مالیگاؤں اور اجمیر بم بلاسٹ کے لئے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔۔

[अनुवाद]

***श्री ओ.एस. मणियन** (मईलादुतुरई) : जहां हम यह कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है वहीं इस लोकतंत्र की सुरक्षा करने और अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिये जो भारी कीमत चुका रहे हैं हमें उसे भी याद रखना चाहिए।

यह एक सच्चाई है कि आतंकी समूहों ने कई बार भारत को चोट पहुंचाई है। सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए अनेक उपाय किए हैं। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि हमारे देश पर फिर कभी हमला नहीं होगा। यह उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है जो दुनिया के सामने अपनी परमाणु छवि पेश कर रहा है। भारत को शांतिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में बदलने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

आतंकवाद को समझने में बहुत भ्रम हुआ है। कभी-कभी हिंसा को आतंकवाद समक्ष लिया जाता है। पिछली एक-चौथाई शताब्दी के दौरान वैश्विक राजनैतिक और आर्थिक बदलावों से अनेक राजनैतिक और सामाजिक संघर्ष पैदा हुए हैं। इसके साथ ही, समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की मांग भी और अधिक मुखर हुई। ऐसी मांगों से अवसर हिंसा होती है। ऐसी हिंसा को राज्य के लोक हितकारी राजनैतिक और प्रशासनिक तंत्रों से सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। राज्यों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है परन्तु दुर्भाग्य से आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में नीतिगत निर्णय लेते हुए केंद्र द्वारा राज्यों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

केंद्र का सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करके राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) की स्थापना करने का हाल का निर्णय एक ज्वलंत उदाहरण है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि केंद्र द्वारा ऐसे विधेयक पारित करके राज्य सरकारों की शक्तियों को कम नहीं किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को विश्वास में लिए बगैर बंगाल की खाड़ी में भारत-अमेरिका संयुक्त नौसेना अभ्यास पर केंद्र के एकपक्षीय निर्णय की भी आलोचना हुई है। ऐसी कोशिशों से संघीय ढांचे पर भारी चोट लगती है। मुझे आशा है कि भविष्य में केंद्र हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकारों से परामर्श अवश्य करेगा।

तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री ने समाज विरोधी तत्वों को माफ नहीं करने के लिए से दृढ़ निश्चय और मजबूत संकल्प प्रदर्शित किया है। तमिलनाडु सरकार ने 20.75 करोड़ रुपये की लागत से 39 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल गठित किए हैं। सरकार की विभिन्न जिलों से भूमि हथियाने की 30,071 शिकायतें मिली हैं और अभी तक 724.22 करोड़ रुपये की भूमि वापस ली जा चुकी है। भूमि हथियाने के मामलों को निपटाने के लिए 25 विशेष न्यायालय स्वीकृत किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार पुलिस बल की उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान कर आधुनिक और मजबूत बल रही है। विभाग को सक्षम और लोक हितकारी बनाने के लिए केंद्र वित्त पोषण से क्राइम एंड क्रिमिनल टैम्लिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) जैसे ई-गवर्नेंस के कदम भी शीघ्र उठा लिए जाएंगे। विशेष इकाइयां जैसे अपराध शाखा, आर्थिक अपराध विंग, आइडल विंग इत्यादि, जो केंद्र के वित्त पोषण में शामिल नहीं थी, उन्हें भी राज्य वित्त पोषण से सीसीटीएनएस के अंतर्गत लाया जाएगा। मैं केंद्र से अपील करता हूं कि राष्ट्र के व्यापक हित में इन योजनाओं के लिए तमिलनाडु को धन जारी करें।

जब हम हिंसा की बात करते हैं तो हमें उग्रवाद और आतंकवाद के बीच स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा। उग्रवाद का उद्देश्य सत्ता को अपने हाथ में लेना है। आजादी के बाद से ही भारत, विभिन्न उद्देश्यों के लिए संघर्ष करने वाले वर्गों के उग्रवाद का सामना कर रहा है। उद्देश्यों को सामान्यत: जातीय, भाषायी, धार्मिक या प्रादेशिक पहचान का संरक्षण करने के साथ जोड़ा जाता है। सुसंस्थापित राज्य तंत्र से अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे अपारम्परिक तरीकों के रूप में उग्रवाद को अपनाते हैं। इससे बहुत सावधानीपूर्वक और राजनैतिक इच्छा के साथ निपटने की जरूरत है।

आजकल उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आतंक के एक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण इसका एक उदाहरण है। मुझे आशा है कि केंद्र के हस्तक्षेप और छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से शीघ्र ही एलेक्स पॉल को मुक्त कर दिया जाएगा।

अमेरिका में विशेष रूप से 9/11 को हुए अलकायदा के हमले के बाद आतंकवाद पूरे विश्व में शासन और शांति के लिए खतरा बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख कारण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर अपने समन्वित प्रयासों से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कटिबद्ध है। अग्रणी संगठनों और प्रचार साधनों के माध्यम से पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलने से रोकने के अंतर्राष्ट्रीय नवाचार लागू किया जा रहा है। ताकि समुद्री यातायात, अवैध हथियारों की खरीद और तस्करी तथा धन शोधन को नियंत्रित किया जा सके। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने आंतकवाद को समाप्त करने के लिए कठोर कानून बनाये हैं।

तथापि, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई तभी पूरी तरह प्रभावी हो सकती है जब दक्षिण एशिया के अग्रणी देश भी आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए उतनी ही कठोर कार्रवाई करें। दुर्भाग्य से स्वार्थपूर्ण राजनैतिक उद्देश्यों के कारण आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में राष्ट्रीय आम सहमति की कमी हमारी मजबूरी रही है।

अत: यह महत्वपूर्ण है कि राज्य पीड़ित जनता के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने सहित प्रशासन की सभी शाखाओं में व्यवस्थित सुधार शुरू करे। अनुभवों ने दिखाया है कि हमारे देश में यदि राज्य आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता तो केवल व्यवस्था में सुधार से ही उग्रवादी आंदोलनों को प्राप्त होने वाले जनसमर्थन को समाप्त नहीं किया जा सकता।

देश की मुख्यधारा से अलग रह गई आबादी का भरोसा पुन: प्राप्त करने के लिए सरकार की लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह एक विश्वसनीय कार्यात्मक इकाई है जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। ऐसा करने के लिए शासन व्यवस्था में सुधार करने के साथ-साथ वास्तव में राज्य को उग्रवादियों को जनता के सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकना पड़ेगा। ऐसा होने से लोगों के जीवन से उग्रवादी आंदोलन का प्रभाव कम होता जाएगा।

राज्य सरकारों की पूर्ण भागीदारी के साथ एक मजबूत केंद्र देश में आतंकवाद के संकट को दूर कर सकेगा।

[हिन्दी]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदया, होम मिनिस्ट्री की जो डिमांड्स फार ग्राण्ट्स पेश किया है, इनको फॉर्मली समर्थन देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट में धनराशि की कमी नहीं होती है, चाहे वह स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, शिक्षा में कमी हो सकती है।

आपके माध्यम से मैं दो-चार बिन्दु गृह मंत्री जी के सामने निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में जो इनसर्जेंसी, टेररिज्म, माओइज्म, एब्डक्शन आदि चल रहा है, उसको रोकने के लिए गृह मंत्री जी जो कानून लाए हैं जैसे ईओपीए, एनसीटीसी, एनएसए, एएफएसपीए, इन सभी को रिव्यू करना चाहिए कि इनके लागू होने के बाद यह कम हुआ है कि बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि इन सबको रिव्यू किया जाए और इन सब को विदड्रा कर लिया जाए क्योंकि एक जनतंत्र में जनसाधारण को भी अधिकार होता है, इनसे उसका खंडन होता है। हमारे पश्चिम बंगाल में जंगल महल में अभी भी ज्वाइंट फोर्सेज हैं, मैं गृह मंत्री जी को कहूंगा कि अभी जो स्थिति है, वहां ज्वाइंट फोर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, उस ज्वाइंट फोर्स को आप हमारे बंगाल में ही बहुत से छिपे हुए गैर-कानूनी आर्म्स हैं, उनको अनअर्थ करने के काम में लगाएं। उधर ज्वाइंट फोर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस बल, सुरक्षा बल आज हमारे देश के जनतांत्रिक परिवेश पर, उसमें जनसाधारण के अधिकारों पर धीरे-धीरे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। जैसे कोई मीटिंग करना चाहे, प्रोटेस्ट करना चाहे, धरना करना चाहे, तो उस पर इतना पाबन्दी लगाते हैं इस डिपार्टमेंट से कहीं भी कोई मीटिंग नहीं कर सकेगा, कोई प्रदर्शन होता है, तो पुलिस उसके साथ ऐसा बिहेव करती है कि वह किसी सिविलाइज्ड कंट्री में हो नहीं सकता। थाने के अंदर ले जाने के बाद लोगों पर अत्याचार करते हैं। मैडम, आप नेशनल वीमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन भी हैं, आप जानती हैं कि थाने के अंदर ले जाकर महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, उसे पुलिस को मानना चाहिए। वीमेन, चाइल्ड पर जो अत्याचार हो रहा है, ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसको गहरे ढंग से देखना चाहिए, विशेष रूप में दलित, एससी, वीकर सेक्शन्स, मार्जिनल पीपुल्स के ऊपर बहुत से अत्याचार होते हैं। उसकी कंप्लेंट भी नहीं लेते हैं थाने में। मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि असम में एनसीआर तैयार करने के लिए, होम मिनिस्टर साहब के पास भी मैंने ये बिन्दु दिए हैं, देश के अंदर जैसा चलना चाहिए, उससे अलग रूप में असम में हो रहा है। वहां जो मुस्लिम माइनारिटी पीपुल्स बंगाली स्पीकिंग हैं, उनके ऊपर एक भेदभाव देखा जाता है, यह अच्छा नहीं हो रहा है। जो आधार पहचान पत्र के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सिविलाइज्ड दशा में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आधार पहचान पत्र बनाते हुए उन पर एन्क्रोचमेंट हो रहा है, इसे रोकना चाहिए।

सभापति महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. तरुण मंडल : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मेरा एक पाइंट यह है कि पुलिस फोर्स का रिफार्म करने के लिए गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स में करप्शन, गैंगस्टर और एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ जो गठजोड़ देखने को मिलता है, उसे रोकना चाहिए। इसके अलावा फेक एनकाउंटर बंद करना चाहिए। पुलिस फोर्स के अंदर सेक्युलरिज्म लाना चाहिए। हम लोगों ने गोधरा, अयोध्या और अन्य जगहों की घटनाओं में देखा है कि पुलिस फोर्स के अंदर सेक्युलरिज्म नहीं रहने की वजह से देश को खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा पुलिस फोर्स के अंदर ज्यादा रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रिमोट एरियाज में थाने नहीं हैं, पुलिस फोर्स कम है। इस कारण वहां लोगों पर, खासकर दलितों और गरीबों पर अत्याचार होते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता है। इसलिए देश के हर एरिया में पुलिस थानों की व्यवस्था की जाए और देश के कोने-कोने में सुरक्षा व्यवस्था करने का इंतजाम किया जाए। पुलिस समाज के लिए एक अनिवार्य बुराई है। हम न इसके साथ रह सकते हैं और न इसे छोड़ सकते है।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू) : आज देश आंतरिक सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है एवं देश हित में है। संसद पर हमला हुआ, सारा देश स्तब्ध रह गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अफजल गुरू को आज तक फांसी नहीं दी गई। देश जानना चाहता है, ऐसा क्यों? देश में सशस्त्र नक्सलियों के पनपने से हमारे आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के सामने चुनौती उठ खड़ी हुई है। घरेलू राजनीति में इनका दखल बढ़ रहा है। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन बहुत ही कुशलता से करने की जरूरत उत्पन्न हुई है। उग्रवादियों के हाथों में आधुनिक हथियार आ रहे हैं सरकार ने इसे रोकने के क्या प्रयास किए हैं। अभी हाल में नक्सलियों द्वारा अपहरण कर मांगों की पूर्ति के लिए बंधक बनाने की घटनाएं हुई हैं। हमें अहसास हुआ है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे पास कोई परिभाषित कानूनी प्रक्रिया नहीं है। नक्सलियों ने जिलाधिकारी, जिला अधिकारी से बड़ा जिले में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है।, विधायक, दो इतालवी नागरिकों का अपहरण कर लिया है। बड़े लोगों का अपहरण हुआ है, अपहरण कर अपनी बात मनवाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। हमें उनकी कौन-कौन सी मांगें नहीं माननी पड़ रही हैं। क्या सरकार भारत के नागरिकों के मान सम्मान, प्रतिष्ठा की रक्षा कर पाएगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार एवं विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के गठन पर विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा आपत्ति जताई गई है। इनका कहना है कि एनसीटीसी के गठन से देश के संघीय ढांचे को आघात पहुंचेगा, राज्यों को विश्वास में लें। एनसीटीसी के गठन में सरकार का इरादा केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केन्द्र और राज्य दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। आतंकवादी घटना हो या नक्सलियों द्वारा की गई वारदात, इससे निपटने के लिए केन्द्र को राज्यों का सहारा लेना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देश में धार्मिक कट्टरपन, नशीले पदार्थों का कारोबार, हथियारों व विस्फोटक पदार्थों की कालाबाजारी और सीमापार आतंकवाद से यह नया खतरा मंडरा रहा है। तस्करी से जाली नोटों का आना बहुत ही बड़ी समस्या है। बिना समय गंवाए इस तरह की गतिविधियों को खत्म करने की तुरंत जरूरत है। मुम्बई में 26/11 को हमला हुआ, पहले भी काफी हमले हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका में आतंकवादी हमले के पश्चात् एक भी घटना नहीं हुई। क्या इस देश में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। आपके पास कोई कार्य नीति नहीं है, इच्छाशक्ति नहीं है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाए, बिना आधुनिक हथियारों के सुरक्षा बल आज की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे हर तरह के संकट का सामना कर सकें। प्रशिक्षण पर पिछले वर्ष 1100 करोड़ का आवंटन किया गया था। खर्च मात्र 700 करोड़ हुआ है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम किया है। जहां हाथ लगाते हैं वहीं भ्रष्टाचार है। जम्मू कश्मीर पर माननीय जवाहर लाल जी ने जो गलती की थी, उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, लगता नहीं भविष्य में कोई सुधार होगा। राजस्थान में विशेष रूप से चुरू जिले में इस बार पाला पड़ने व शीतलहर से फसलें बर्बाद हो गई। किसानों को राहत देने के लिए शीतलहर को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, किसान को राहत दी जाए। राजस्थानी भाषा को संविधान की 81वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से की जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी प्रस्ताव भेजा है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कई मामलों में सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। इसे रोका जाए। आपने बीएसएफ के जवानों को अपने ही आदेश से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर रिटायरमेंट दिया है। आपके ही आदेश के तहत रिटायरमेंट होने पर उन्हें पेंशन व अन्य सुविधाएं दी जानी थीं, लेकिन काफी जवानों को पेंशन नहीं दी जा रही है। ये लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं। मैं व कुछ अन्य सांसद इस संबंध में आपसे व्यक्तिगतरूप से मिले हैं। ये लोग भी माननीय गृह राज्य मंत्री व बीएएफ के उच्च अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन इन्हें आज तक राहत नहीं दी गई है। विभिन्न बहाना बनाकर इन्हें पेंशन व अन्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। ये लोग दर-दर की ठोकरें खाकर बहुत ही पीड़ादायक हालात में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित) : मैं गृह मंत्री का ध्यान देश में माओवादियों की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

कथित माओवादियों का प्रभाव देश के अनेक राज्यों में है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देते हुए तबाही मचाई है। माओवादियों की गतिविधियों के कारण अनेक निर्दोष लोग पीड़ित हुए हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ये तथाकथित माओवादी क्या चाहते हैं। वे जिन लोगों 'शोषक' मानते हैं उनका अपहरण करते हैं और फिर उन्हें छोड़ने के बदले निर्दोष लोगों को भी परेशान करते हैं। वे शोषण, लूटमार, अपहरण के विरुद्ध अपनी कथित विचारधारा के प्रति बड़ी संख्या में लोगों को बाध्य करके क्रान्तिकारी बनाते हैं और लोगों के बीच आतंकवाद फैलाते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर कार्य करने वाली किसी प्रकार के लिए इस स्थिति को संभालना कठिन कार्य है।

मेरा यह सुझाव है कि माओवादियों की बहुलता वाले क्षेत्रों का एक सर्वेक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, कानून व्यवस्था को बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है यदि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चार्ल्स डिएस]

किसी सामाजिक समूह का दमन किया जाता है अथवा उनके वैध अधिकारों अथवा मूलभूत शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछड़े और अ.जा./अ.ज.जा. समूहों को उनका उचित हिस्सा मिले और उनके कल्याण पर ध्यान दिया जाए।

सरकार कथित माओवादियों को चर्चा हेतु मंच प्रदान करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने का भी प्रयास कर सकती है।

मेरा यह मानना है कि सशस्त्र संघर्ष के बल पर माओवादी लोगों को केवल पीड़ा पहुंचा सकते हैं और यह सरकार का दायित्व है माओवादियों के संकट पर तत्काल नियंत्रण लगाया जाए और प्रभावित लोगों की रक्षा की जाए।

***श्री प्रताप सिंह बाजपा** (गुरदासपुर) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को राष्ट्र की आंतरिक संरक्षा और सुरक्षा की अकल्पनीय चुनौती के बावजूद इससे निपटने की तैयारियां करने के उनके प्रयासों और पहलों पर बधाई देता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में जो स्पष्ट सुधार दिखाई देता है उसका श्रेय माननीय गृह मंत्री जी की प्रशासनिक सूझ-बूझ को जाता है।

आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, कार्यवाही योग्य आसूचना एकत्र करना और इस आसूचना जानकारी पर तत्काल और बलपूर्वक कार्यवाही करने के साधनों से विदेशी और घरेलू आतंकवादियों और आंतरिक उपद्रवियों जैसे असामाजिक हिंसक तत्वों की कार्य योजना विफल होती है। विशेषरूप से महिलाओं, बच्चों और वृद्ध जनों के विरुद्ध अपराधों पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में बीट पुलिस व्यवस्था और चौकियों और पिकेटों की स्थापना करने पर उचित बल दिया जाए।

आपदा प्रबंधन: मैं, इस अवसर पर इस संबंध में की गई पहल और उसे आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय को बधाई देता हूं। हमने आपदा प्रबंधन, नियंत्रण और न्यूनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत की प्रमुख आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ने इस वर्ष आई विभिन्न प्राकृतिक और अन्य आपदाओं पर कई बार अपनी सार्थकता सिद्ध की है और इससे उसे आपदा प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है। भूकंप और बाढ़ के संबंध में राष्ट्रीय जोखिम अल्पीकरण परियोजनाओं के अतिरिक्त, जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर एक समन्वित प्रतिक्रिया की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए पूरे देश में छद्म अभ्यास और आपदा अनुरूपण जैसे उपाय किए गए हैं। भारत में शहरों का अनियोजित और बेतरतीब तरीके से विकास हुआ है। उचित सुरक्षा पूर्वोपायों के बिना समूहों में भवनों का निर्माण हो रहा है। इन अभ्यासों से मौजूदा व्यवस्था में अनेक गंभीर मुद्दों और खामियों का पता चलता है और मुझे विश्वास है कि उन पर ध्यान दिया जाएगा और उन्नत प्रक्रियाएं और प्रतिक्रिया उपाय आरंभ किए जाएंगे।

अग्निशमन सेवाएं: देश में अग्निशमन सेवाओं में बहुत खामियां हैं। एक जोखिमपूर्ण क्षेत्र तथा उन्नत उपकरणों और अग्निरोधी पोशाकों के अभाव बावजूद भी यह आश्चर्य की बात है कि देश में अग्निशमन सेवाओं में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। तकनीकी परामर्श देने और अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना के संबंध में मंत्रालय की पहल की स्थिति में तुरंत कार्यवाही करने और आपातकालीन स्थितियों में प्रथम प्रतिक्रिया इकाई के रूप में कार्य करने में सहायक होगी।

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल: केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कल्याण एक ऐसा मामला है जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। देश के निर्जन क्षेत्रों में प्रतिकूल माहौल में चुनौतियों के बीच कार्य करते हुए होने वाले मानसिक तनाव के कारण अनेक सिपाहियों में कांस्टेबलों द्वारा आत्महत्या करने, अपने साथी जवानों और अधिकारियों को गोली मारने और स्थानीय नागरिकों को क्षति पहुंचाने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। सरकार को उनके तनाव को कम करने और अपने परिवार जनों और मित्रों से मिलने की उनकी वैध मांग पर ध्यान देने तथा जीवन जीने और कार्य करने की बेहतर स्थिति प्रदान करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

राज्य पुलिस बलों के शहीद: हमें यहां राज्य पुलिस बलों पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। मुठभेड़ में आतंकवादियों और अन्य असामाजिक तत्वों का मुकाबला करते हुए राज्य पुलिस कर्मी प्राय: समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। उनके त्याग और रक्षा बलों तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के कर्मियों के त्याग में कोई अंतर नहीं है और इसलिए राज्य पुलिस बलों के ऐसे शहीदों को भी उपरोक्त कर्मियों के समकक्ष रखा जाए। लोगों की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पुलिस बल के जवानों के परिवारों को दिए जाने वाले सभी लाभ राज्य पुलिस बलों के परिवारों को भी दिए जाने चाहिए।

सार्वजनिक संपत्ति को क्षति: विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान प्राय: सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त और नष्ट किया जाता है। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 का निर्माण ऐसे प्रकार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान करने के लिए किया गया था। उच्चतम न्यायालय, जो कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है ने अधिनियम की कार्य प्रणाली की जांच करने और इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए सुझाव देने हेतु थॉमस समिति का गठन किया गया। यह कार्य 2007 में किया गया। माननीय मंत्री जी कृपया इस सभा को इस संबंध में नवीनतम जानकारी दें क्योंकि अभी भी सार्वजनिक संपत्ति को मनमाने तरीके से नष्ट किया जाता है।

पंजाब राज्य के माध्यम से विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। जो इस मंत्रालय के मैंडेट और इसके प्रभावी काम-काज से संबंधित हैं।

पंजाब में मादक पदार्थों की चुनौती: पंजाब राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है। घुसपैठ की समस्या, हथियार और गोला बारूद तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी की समस्या के अलावा, वहां मादक पदार्थों का व्यापार प्रचुरता से है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का फायदा मिलता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं और दोषियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है, हालांकि स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। पंजाब में खासकर सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों में नशे की प्रवृत्ति बहुत अधिक पायी जाती है। इस संगठित अंतर्राष्ट्रीय दुर्व्यापार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसाकि अन्य देशों के अनुभवों से पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय दुर्व्यापार को केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही काबू किया जा सकता है, यही इस चुनौती से लड़ने का सक्षम उपकरण है। अवैध दुर्व्यापार को रोकने और मांग को कम करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा चीन सहित बहुत से देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है। इस संबंध में पाकिस्तान से सहयोग के लिए भी भारत ने प्रयास किये हैं। चूंकि पंजाब-पाकिस्तान सीमा के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी होती है, अत: मैं पाकिस्तान के साथ बनाए गए संस्थानिक तंत्र का स्वागत करता हूं और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध संघर्ष में आगामी द्विपक्षीय सहयोग और नीति निर्माण हेतु आशान्वित हूं।

सीमा क्षेत्र का विकास : मेरा निर्वाचन क्षेत्र, गुरदासपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। बंटवारे के बाद यहां ज्यादा विकास नहीं हुआ है। यहां अवसंरचना विकास रुका पड़ा है और यहां उद्योग धंधे भी नहीं लगाए गये हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष विकास जरूरतों को पूरा करने हेतु सरकार की सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से आवश्यक अवसंरचना के उपलब्ध कराने के लिये राज्य द्वारा दिये गये आवंटनों के अतिरिक्त अलग से केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है। पिछले साल के दौरान, पंजाब को इस परियोजना के लिए 3292 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यह कहते दु:ख होता है कि पंजाब सरकार द्वारा लागू किये जा रहे इस कार्यक्रम में बहुत से सामुदायिक केन्द्र और बारातघर बनाए जा रहे हैं। किंतु अवसंरचना जैसे सड़कें आदि जो इन क्षेत्रों में उद्योग धंधों के विकास में सहायक होंगी, को प्राथमिकता नहीं दी जा रही हैं। इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने हेतु हमें कोई प्रभावी तरीका खोजना ही होगा ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का समुचित विकास किया जा सके।

सीमावर्ती क्षेत्रों से भर्तियों में वृद्धि करना और कुछ खास सीमाओं से भर्ती किये गये लोगों का विशेष सुरक्षा बल गठित करना: केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में काफी संख्या में रिक्तियां हैं। मैं सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए, इन बलों में सीमावर्ती क्षेत्रों के युवकों को भर्ती कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों का स्वागत करता हूं। ऐसी भर्ती प्रक्रिया नियमित आधार पर होनी चाहिए। सीमावर्ती 'जिलों' में रह रहे लोगों को भर्ती करने हेतु अतिरिक्त प्रयास किए जाएं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुरदासपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के युवकों के लिए रोजगार के अवसर और भी कम हैं। वहां कार्यरत केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अनुपूरक के तौर पर सरकार को खास सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को शामिल कर एक विशेष बल बनाने पर भी विचार करना चाहिए।

बाड़युक्त भूमि के लिए बढ़ा मुआवजा: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर फ्लड लाइट और बाड़ लगाने की वजह से काफी मात्रा में उपजाऊ जमीन बाड़ और वहां बनाए गए बफर जोन द्वारा अलग पड़ गई है। इस भूमि की कृषि लागत का नुकसान किसान को होता है। 2500 प्रति एकड़ की वर्तमान केन्द्रीय सहायता योजना पूरी तरह अपर्याप्त है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें दी

[श्री प्रताप सिंह बाजपा]

जाने वाली सहायता को कम से कम 10,000 रुपए प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाए क्योंकि आस-पास के क्षेत्रों जैसे गुरदासपुर आदि से होने वाली आय प्रतिवर्ष 30,000 रुपये से ऊपर है।

प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस प्रशिक्षण: दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं जिनमें पुलिस की गोलीबारी में निर्दोष लोग या तो मारे गए अथवा घायल हुए हैं, में वृद्धि हुई है। हाल ही की दो ऐसी घटनाएं हैं—पहली घटना मानसा में हुई और दूसरी घटना पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र की है, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। पहले मामले में, गोबिन्दपुर, मानसा के लगभग एक दर्जन किसान, जो एक तापीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अपनी जमीन के अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस फायरिंग में घायल हुए थे, दूसरे मामले में गुरदासपुर में, एक जवान व्यक्ति मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। वीडियो फुटेज और दूसरी रिपोर्ट से, ऐसा लगता है कि इन हत्याओं के जिम्मेदार पुलिस कर्मी अभी नये-नये भर्ती किये गये थे।

जब आक्रोश ज्यादा बढ़ जाए, तो पुलिस अधिकारियों को स्थिति शान्तिपूर्ण ढंग से काबू करना चाहिए न कि बल का प्रयोग कर। मुझे यह जानकारी मिली है कि बहुत बार युवा अधिकारी अनावश्यक रूप से बल प्रयोग करते हैं जबकि अनुभवी और क्षमतावान अधिकारी ऐसा नहीं करते। यह साफ तौर पर कड़े प्रशासनिक नियंत्रण है जिसके माध्यम से अधिकारियों द्वारा उनके आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाता है, की कमी दिखाता है। जहां तक कानून और व्यवस्था बनाए रखने का संबंध है, पुलिस अधिकारियों को तनावपूर्ण और विपरीत परिस्थितियों में काम करना होता है। लेकिन हाल की पुलिस ज्यादतियां दर्शाती हैं कि स्वयं को नियंत्रित करने की बजाय, वे गोली चलाने और हिंसा से गुरेज नहीं करते। समय आ गया है कि हम पुलिस की ऐसी ज्यादतियों और बड़े पैमाने पर हुए उल्लंघनों का संज्ञान लें और उन पर गंभीरता से विचार करें।

आई.सी.पी. : मैं माननीय गृह मंत्रीजी को वाघा बार्डर पर एकीकृत जांच चौकी का उद्‌घाटन करने के लिये धन्यवाद देता हूं फिर भी, मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आईसीपी पर ज्यादा 'हैंडलिंग चार्ज' और माल उतारने में देरी होने के कारण व्यापारी वर्ग में आक्रोश है। मुझे विश्वास है कि आप इन परेशानियों का समाधान करेंगे और निकट भविष्य में इस मार्ग पर यातायात का सुचारु सुगम परिचालन सुनिश्चित करेंगे।

जम्मू और कश्मीर के रास्ते से उत्पादों की तस्करी: आपके मंत्रालय से जारी तत्संबंधी एक अधिसूचना के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से अमेरिकी मूल के मेवों और मसालों सहित अन्य सामानों का शुल्क मुक्त आयात किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश इन सामानों को अवैध तरीके से राज्य से बाहर भेजा जा रहा है और देश के दूसरे भागों में पहुंचाया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शुल्क मुक्त होने के कारण इन सामानों को कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जिससे वाघा बार्डर से आयात करने वालों को परेशानी और हानि होती है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य को दी गई यह सुविधा देश के अन्य भागों में आयातकों के लिये अहितकर न हो।

धूर्त ट्रैवेल एजेंट : मैंने धूर्त ट्रैवेल एजेंटों से धोखा खाये भारतीयों जो उचित प्रवेश दस्तावेज न होने के कारण विदेशी जेलों में बंद हैं, का मुद्दा कई उठाया है। यद्यपि इन नागरिकों को सुरक्षित भारत वापिस लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, किंतु ऐसे ट्रैवेल एजेंटों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। पूरे पंजाब राज्य में ऐसे एजेंटों ने खुद को फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटरों के एक संगठित उद्योग के रूप में स्थापित कर लिया है जो निर्दोष लोगों से पैसा ठगते हैं और उन्हें संकटपूर्ण स्थिति में ला देते हैं।

पारिवारिक विरासत नीति: मैं मंत्रीजी का ध्यान पारिवारिक विरासत नीति के अंतर्गत हथियार लाइसेंस प्रदान करने की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। चूंकि, पति/पत्नी, बेटा और बेटी कानूनी उत्तराधिकारी माने जाते हैं, अत: पहले इन हथियारों को विरासत के रूप में इन्हें स्थानांतरित करने की अनुमति थी। बाद में इस नीति के तहत विद्यमान लाइसेंस के लिए कानूनी उत्तराधिकारी की परिभाषा का विस्तार किया गया ताकि दामाद, बहू, भाई और बहन को भी शामिल किया जा सके। दुर्भाग्य से लाइसेंस धारक के सीधे संबंधी होने के बावजूद पोते-पोती इन श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक पोता जो सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऐसा लाइसेंस हासिल करने के योग्य है उसे 'पारिवारिक विरासत नीति' के अन्तर्गत उस लाइसेंस को अपने नाम स्थानांतरित कराने से क्यों मना किया जाए। यह एक ऐसा मामला है जिसे मंत्रालय द्वारा समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

बड़ी पहलों के लिए समर्थन : यह कहने के उपरान्त, मैं इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई गतिविधियों के लिए अपना समर्थन दोहराता हूं। प्रगतिशील और सक्रिय उपाय आंतरिक विद्रोह, आतंकवाद, नक्सल गतिविधियों को काबू करने के लिए आज के समय की आवश्यकता

है। एनसीटीसी और एनआईए जैसे नये प्रयास सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। मुझे आशा है कि इस पर और मंत्रालय के अन्य उल्लेखनीय प्रयासों पर सहमति बन सकती है।

इसके साथ ही, मैं इन अनुदानों की मांगों हेतु अपना समर्थन दोहराता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : सभापति महोदया, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। गृह मंत्रालय के कंधों पर सरकार ने सम्पूर्ण देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का भार डाल दिया है। आज देश के हर क्षेत्र में बढ़ती हुई हिंसा में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और कामयाबी के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश की जनता को कहा गया कि सरकार देश के समक्ष पांच प्रमुख चुनौतियों का सामना करेगी। इनमें गृह मंत्रालय की जो चुनौतियां हैं, न्यायसंगत, बहुलवादी, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इतना ही नहीं, देश की आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बाल सुरक्षा जैसी चुनौतियां सिर्फ चुनौतियां ही बनकर रह गई हैं, क्योंकि आज तक इन चुनौतियों का कोई समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। नक्सलवाद देश में दिनों-दिन अपने पांव पसार रहा है। वे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपहरण का रास्ता अपना रहे हैं और केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि गुजरात में 1640 किलोमीटर लम्बी समुद्री सीमा का इलाका है। इसमें 14 जिले और 38 तहसीलें आती हैं। आज भी कई सालों से मरीन टैररिज्म ये यह इलाका जूझ रहा है और वहां भी आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। अभी हाल ही में मरीन टैररिज्म का मामला सामने आया है। ऐसे में गुजरात राज्य में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की स्थापना तथा कोस्टल गार्ड स्टेशन की स्थापना के बारे में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार के साथ कई बार पत्राचार किया, लेकिन आज तक इस कोई सकारात्मक जवाब प्रदेश सरकार को नहीं मिला है।

गुजरात राज्य में मछुआरों की सहायता हेतु आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उनकी जागृति हेतु सरकार की तरफ से कोई केन्द्रीय सहायता हमें आज तक नहीं मिली है। मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री को दिनांक 29.1.2008 को कोस्टल सिक्योरिटी योजना के तहत 392 करोड़ रुपए खर्च करने का निवेदन किया था। लेकिन अभी तक राज्य सरकार को 58.42 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं, जिससे 30 बोट्स का खर्च ही शामिल किया गया है। दूसरे राज्यों में आतंकवादी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 14.5.2008 को जयपुर बम ब्लास्ट के बाद गुजरात की आंतरिक सुरक्षा हेतु पत्राचार किया गया था, किंतु अभी तक सकारात्मक पहल नहीं की गई है। सुरक्षा हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था, एवं उपेयुक्त कार्रवाई हेतु विनती भी की गई थी। दिनांक 20.2.2010 को आंतरिक सुरक्षा परिषद् में किए गए सुझावों पर ध्यान देने की मैं गृह मंत्री जी से विनती करती हूं। इसी तरह दिनांक 27.1.2012 को दुग्गल कमेटी के समक्ष कोस्टल सिक्योरिटी संबंधित 12 बिंदुओं को पेश किया गया था। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि इन पर गौर किया जाए।

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रादेशिक केन्द्र बनाने की दरख्वास्त हमने भेजी है। प्रादेशिक रक्षा हेतु एनएसजी सेंटर की स्थापना, आतंकवादी प्रवृत्ति के लिए सख्त सजा की मांग, आज तक गुजरात में उस एक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। महाराष्ट्र में मकोका को मंजूरी मिली है लेकिन गुजरात में आज तक गुजकोक को मंजूरी नहीं मिली है। भारत सरकार की कोस्टल सिक्योरिटी योजना के तहत कामनी तालीम एकेडमी तथा मरीन पोलीसिंग के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान किया जाए। सिक्योरिटी स्टेट-2 के लिए जेटी में प्रदान की गयी रकम 50 लाख, पांच जेटी के लिए अपर्याप्त है। मैं विनती करती हूं कि इनमें ये रकम भी बढ़ानी चाहिए। कच्छ की सरहद पर भी बीएसएफ के उपयोग हेतु सोलर पावर प्रोजैक्ट की स्थापना, भारत विरोधी प्रचार के निवारण हेतु संदेशा व्यवहार तंत्र की स्थापना, एयर-स्ट्रिप का बनाना अत्यंत आवश्यक है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगी कि कई सारी हमारी मांगें हैं लेकिन दो-तीन बातें मैं कहना चाहूंगी। गुजरात राज्य में जो एनसीसी नेवी विंग शुरू करने के लिए, मछलीमारों की जागृति हेतु सहायता देनी है, वह केन्द्रीय सहायता भी आप दें। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा गुजरात राज्य के सभी छोटे-बड़े 42 बंदरगाहों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाए। आज जेल सुधारणां कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सरकार का 75 प्रतिशत तक का हिस्सा आज तक गुजरात को नहीं मिला है। गुजरात भी देश का हिस्सा है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि गुजरात की विकास की जो पटरी है जो दौड़ने लगी है, सुरक्षा का वहां जो मुद्दा है उस पर गौर किया जाए।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : माननीय सभापति जी, मैं वर्ष 2012-2013 की गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं गृह मंत्री के द्वारा गृह मंत्रालय के कुशल संचालन के लिए उन्हें बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं। गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार के साझा प्रयासों से जम्मू और कश्मीर में हिंसा में गिरावट आई है, जिसका बहुत से साथियों ने जिक्र किया है। जम्मू-कश्मीर में पिछले 10 साल के अंतराल के बाद शांतिप्रिय ढंग से चुनाव किये गये। उसके लिए भी मैं गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा।

सभापति जी, उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और वहां अधिकतर राज्यों के अंदर शांति है। मुझसे पहले मेरे साथी संदीप दीक्षित जी और बहुत से साथियों ने विस्तार से कहा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी की नक्सलवाद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज यह एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार कहा है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को अगर खतरा है तो वह नक्सलवाद से है, लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से है।

सभापति जी, हम सब जानते हैं कि लगभग 45 वर्ष पहले नक्सलवाद शुरू हुआ और अगर हम पिछले 45 सालों में देखें तो पिछले 55 सालों से यह निरंतर मजबूत हो रहा है। हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारें सभी मिलकर इसे रोकने में प्रयासरत हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए और ज्यादा प्रयास करना होगा। अगर कुछ आंकड़े आपके माध्यम से मैं सदन के सामने रखूं तो पिछले 50 वर्षों में हमारे चार युद्ध हुए। वर्ष 1962 के अंदर चीन के साथ युद्ध में 1400 लोग शहीद हुए। उसके बाद वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में 3000 लोग शहीद हुए। उसके बाद वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ 4000 और वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में 600 लोग यानी कुल मिलाकर 9000 लोग शहीद हुए, लेकिन नक्सलवाद के चलते पिछले 10 वर्षों के अंदर 12,000 से ज्यादा हमारे देशवासियों की जानें गयी हैं। इसके अंदर बहुत से हमारे पुलिस कर्मी, केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी शहीद हुए हैं। हमारे सांसद साथी श्री सुनील कुमार महतो को भी 5 मार्च, 2008 को नक्सलियों द्वारा मार दिया गया था।

सायं 7.00 बजे

हमारे साथी श्री बाबू लाल मरांडी के पुत्र को भी नक्सलियों ने मार दिया। इसलिए जब तक हम सब मिलकर इनका सामना नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। हमारे हजारों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यों, अभी मुझे तीन सदस्यों को बोलने का मौका देना है, यदि सभा की सहमति हो, तो अनुदानों की मांगों के पारित होने तक हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यदि सभा की सहमति हो, तो हम माननीय मंत्री के जबाव देने तक सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : जो माननीय सदस्य भाषण नहीं दे पाए हैं, वे अपनी स्पीच ले कर सकते हैं।

श्री नवीन जिन्दल : सभापति महोदया, हजारों पुलिसकर्मी जो नक्सलवाद से लड़ते हुए शहीद हुए, वे देश की सेवा करने के लिए पुलिस में भर्ती हुए। वे अपने परिवारों को पालने के लिए पुलिस में भर्ती हुए। लेकिन उनमें से कभी दस को मार दिया, कभी बीस को, कभी पचास को और कभी 75 लोगों को एक साथ मार दिया गया। हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएं। जिन लोगों ने उनके साथ यह गलत काम किया है, हम उनके खिलाफ कानून के जरिए उचित कार्रवाई करें। पिछले दिनों हम सभी को देखने को मिला कि ओडिशा में एक विधायक का अपहरण कर लिया गया। कभी विदेशियों का अपहरण कर लिया, कभी कलैक्टर का अपहरण कर लिया और अभी भी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलैक्टर श्री मेनन का उन्होंने अपहरण कर रखा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि नक्सलवादियों को हमारे देश में और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। वे लोग सत्ता चाहते हैं और बंदूक की नोक पर सत्ता चाहते हैं। इसलिए हम सभी को आम सहमति बनानी चाहिए। जब तक राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार मिलकर इसका सामना नहीं करेंगी, तब तक हम इसका सामना नहीं कर सकेंगे।

सायं 7.02 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय में सभी राज्य सरकारों को, जिनको भी मदद की आवश्यकता थी, वह सारी की सारी मदद उन्होंने उपलब्ध करवायी है। लेकिन इसके ऊपर हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तभी हम इस पर कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे।

महोदय, मुम्बई पर जो हमला हुआ था, उसके लिए तो हम आराम से अपने पड़ोसी देश को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस विषय के ऊपर, चूंकि इनके कैम्प भी हमारे देश के अंदर हैं, इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। इसके लिए अगर किसी की जिम्मेदारी है तो उसके लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा कि आईपीएस आफिसर्स की भी काफी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि आईपीएस आफिसर्स की इस कमी को कैसे पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री नवीन जिन्दल : कृपया मुझे दो मिनट दीजिए।

[हिन्दी]

महोदय, आईपीएस के चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें भी बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज आईएएस और आईपीएस के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है और बहुत से लोग जो आईएएस बनना चाहते थे, जब उनको आईएएस नहीं मिलता है तो फिर आईपीएस बन जाते हैं। उनमें से बहुत से लोगों का पुलिसिंग में मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे पुलिसिंग करते हैं। इसी तरह से हमारे देश में पुलिसकर्मियों की भी बहुत कमी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक लाख की जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। मैं कुछ राज्यों का उदाहरण देना चाहता हूं यूपी में यह संख्या 74 है, वेस्ट बंगाल में 66 और बिहार में तो सिर्फ 64 पुलिसकर्मी हैं, प्रति एक लाख लोगों पर। इसलिए इनकी कमी को भी पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिन्दल जी, अपने स्थान पर बैठिए।

श्री नवीन जिन्दल : मैं बस समाप्त कर ही रहा हूं। महोदय, मुझे समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

महोदय हम सभी राजनैतिक दलों को देश की सुरक्षा के मामले में आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। जब भी देश की सुरक्षा की बात हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिन्दल जी, अपने स्थान पर बैठिए।

श्री नवीन जिन्दल : कृपया मुझे समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि जो कानून मानने वाले नागरिक हैं, उन नागरिकों को हथियारों के लाइसेंस लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि एक सरकारी निर्देश जारी किया गया जिससे आज उनको लाइसेंस मिलने में बहुत आपत्ति हो रही है। इसके लिए भी व्यवस्था की जाए। मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री प्रेम दास राय** (सिक्किम) : मैं दो बातें कहना चाहता हूं:–

1. हमारे मुख्य मंत्री डॉ. पवन चामलिंग के नेतृत्व में, सिक्किम एक रणनीतिक सीमावर्ती राज्य होने बावजूद देश के सबसे शांतिपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। शेष देश सिक्किम से सीख सकता है।

2. इस समय हमें कानून और व्यवस्था का बहाना नहीं बनाना चाहिए और 17वें करमापा उग्येन त्रिनसेती दोरजी को रूमटेक में उनका अधिकारपूर्ण स्थान ग्रहण करने की अनुमति देनी चाहिए। गृह मंत्रालय इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुमानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री विष्णु पद राय** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : 26 दिसम्बर, 2004 को अंडमान और निकोबाद द्वीपसमूह में भूकम्प सुनामी आया और किसानों की खेती की जमीन, बगीचों की जमीन समुद्र के पानी में डूब चुकी है। गृह मंत्री ने 22 जनवरी, 2012 को सीघाट गांव में सुनामी में प्रभावित किसानों के साथ, जिनकी जमीनें डूब गई थीं। बातचीत की और आश्वासन दिया कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है इसलिए किसानों की जमीन के बदले में जमीन देना संभव नहीं है क्योंकि राजस्व जमीन हाथ में नहीं है। जो जमीन है वो वन विभाग के पास है। इसलिए इन किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा को देखते हुए इन्हें मुआवजा दिया जाये। आज प्रति हैक्टेयर जमीन के लिए 9 लाख 39 हजा रुपयों के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा और उनके जमीन सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी तथा किसानों को जमीन सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी और यह मुआवजा 31 मार्च, 2012 तक सभी किसानों को दे दिया जायेगा। लेकिन अब अंडमान निकोबार प्रशासन और केन्द्रीय गृह मंत्री अपने किए गए वायदे से मुकर गये हैं और 19 अप्रैल, 2012 को राजनिवास का घेराव किया गया तथा किसानों में भारी आक्रोश है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि 2004 में सुनामी से प्रभावित किसानों को आश्वासन/वायदे के अनुसार तुरंत मुआवजा दिया जाये। किसानों को जमीन सरेंडर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाये।

2. ग्रेटर निकोबार द्वीपों में काफी पुलिस का लुक आऊट पोस्ट है, जैसा इंदिरा प्वाइंट, गांधी नगर, मंगा चुहा, अफ्राबे, तिलंगचंग आदि में नाममात्र के लिए पुलिस लुक पोस्ट है। वहां पर पुलिस को केम्बेलबे से समुद्र पथ से जाना पड़ता है लेकिन पुलिस के पास सीवर्दी वेसल्स (जहाज) नहीं हैं। पुलिस अपनी जान हथेली में लेकर मछुआरों की ढुंगी पर वहां जाते हैं। एक पुलिस कर्मचारी ढुंगी से गिरकर मर गया और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। उस पुलिस लुक आऊट पोस्ट में जाने के लिए सही सीवर्दी वेसल्स दिया जाये अन्यथा पुलिस की जान से न खेला जाये।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस लुक आऊट पोस्ट को रखना जरूरी भी है तथा पुलिस के लिए सीवर्दी के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन किया जाये, पुलिस को आधुनिक अस्त्र-शस्त्र एवं उपकरण दिया जाये। जब तक सरकार सीवर्दी वेसल्स उपलब्ध नहीं करा पाती, तब तक पुलिस को हैलीकॉप्टर के माध्यम से चैक पोस्ट पर उतारा जाये, ताकि पुलिस वाले मछुआरों की ढोंगी में बैठकर न जायें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

3. 11 अप्रैल, 2012 को इंदिरा प्वाइंट में सुनामी आयी और पुलिस चौकी नष्ट हो गई और 15 सरकारी कर्मचारी किसी तरह से जान बचाकर वापिस आये। सरकार ने सब छुपाया क्योंकि आपदा प्रबंधन नाम के लिए है। उदाहरण के लिए, केम्बेलबे द्वीपों में आपदा आने से जो संसाधन होने चाहिए उनका पूरी तरह से अभाव हैं। डिजास्टर इमरजैंसी आपरेशंस सैंटर केवल नाम के लिए है। 11 अप्रैल को सैंटर बिल्कुल ठप हो गया तथा पुलिस फायर ब्रिगेड का जो बेरेक है वह जीर्ण अवस्था में है। डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में जो मैटिरियल उसे रखने के लिए जगह नहीं है, उसके रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं है।

मेरी सरकार से मांग है कि शीघ्र ही एक सर्वदलीय कमेटी अंडमान निकोबार भेजे, जो वहां 2004 में आयी सुनामी तथा 11 अप्रैल, 2012 को आयी सुनामी का जायजा ले, वहां के प्रभावित लोगों से मिले और सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराये।

4. कैम्बलबे में भारत सरकार ने 1969 में पूर्व सैनिकों को वहां बसाया था उनकी जमीन 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब चुकी है उनकी जमीन को बचाने के लिए स्लूस गेट बनाये ताकि उनकी जमीन बच सके जिससे भारत के प्रहरी डट देश के अंतिम छोर में आखिरी समय तक खड़े रहे।

आदरणीय गृह मंत्री दिल्ली के ए.सी. कमरों में बैठकर अंडमान और निकोबार की समस्याओं को नहीं समझ पाओगे। इसलिए वहां पर तुरन्त एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की जाये तब आपको लोग देशभक्त गृह मंत्री कहेंगे।

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : आज देश में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। किसी देश के विकास का आधार उसकी आंतरिक सुरक्षा से ही सुनिश्चित होता है।

वर्तमान में नक्सलवादी हिंसा, आतंकवाद को निष्क्रिय करने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। आज कम्प्यूटर का युग है और साइबर क्राईम काफी बढ़ रहा है, इनसे निपटने के लिए हमारी पुलिस व अर्द्ध-सैनिक बलों को इसकी शिक्षा व ट्रेनिंग आवश्यक है जिससे वह इनसे निपट सके।

एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं *[अनुवाद]* पार्श्विक अंतरण *[हिन्दी]* के संबंध में। पूर्व में भी शून्यकाल के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दौरान मेरे द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था परंतु आज तक इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया है। *[अनुवाद]* पार्श्विक अंतरण *[हिन्दी]* द्वारा सेना सेवा में कार्यरत *[अनुवाद]* अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) *[हिन्दी]* का सीधा सेवा योजन *[अनुवाद]* पैरा मिलिट्री फोर्सस *[हिन्दी]* में किया जा सकेगा। मंत्रालयों के एक समूह की रिपोर्ट जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के सुधार के बारे में इस तथ्य पर विशेष जोर डाला गया हे कि सेना में सैनिक युवा अवस्था एक ही रहे जिससे वह प्रभावशाली ढंग से देश की रक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके एड्जूटेन्ट जनरल की अध्यक्षता में और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुलिस, अर्धसैनिक बल एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मिलकर यह तय करें कि किस प्रकार से सैनिक सेवाओं से पार्श्विक अंतरण केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में हो सके। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि सेना में 7 वर्षों की सेवा उपरांत पार्श्विक अंतरण केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो देश की आंतरिक सुरक्षा में सेना से प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों का समयोजन होगा जो मेहनत व ईमानदारी से देश की आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देंगे।

इससे हमारे देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, साथ ही, सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में सेवा का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, पूर्व सैनिकों की यह चिंता भी समाप्त हो जायेगी कि अब यह क्या करेंगे, पार्श्विक अंतरण द्वारा उन्हें सेवानिवृत्ति के समय ही बता दिया जायेगा कि किस जगह उनका सेवायोजना हो जायेगा। साथ ही सरकार द्वारा जो करोड़ों रुपए अर्धसैनिक बलों की ट्रेनिंग पर व्यय किया जाता है वह भी बचेगा, जो राष्ट्र के विकास में काम आयेगा। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी पार्श्विक अंतरण की सिफारिश की गई है। परन्तु दो मंत्रालयों के बीच आपसी सहमति न बनने के कारण पार्श्विक अंतरण अभी तक लंबित है।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि नक्सलवाद व आंतकवाद से लड़ते हुए जो हमारे अर्द्ध-सैनिक बलों के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार और आश्रितों को एक समान व अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे शहीद के आश्रितों का भरण-पोषण उचित तरीके से हो सके।

आज देश के विभिन्न राज्यों में कहीं नक्सलवाद, कहीं आतंकवाद फैल रहा है। इसे कुचलने के लिए सरकार को विशेष नीति एवं योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे इसे शीघ्रता से खत्म किया जा सके।

अंत में मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

जिस समय हमारा देश आन्तरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना कर रहा है, उस समय हम सदन में अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, इतिहास गवाह है कि जब कभी हमारे देश की सुरक्षा को, देश की अस्मिता को बाहरी लोगों ने चुनौती दी, उस चुनौती को हम सब लोगों ने संगठित होकर स्वीकार किया है और बाहरी ताकतों को पराजित किया। किंतु जब देश की आंतरिक सुरक्षा और संरक्षा की बात आती है, तो साथ में बहुत से मुद्दों की बात भी आती है। हम सब जानते हैं कि आजादी के 6 दशक के बाद भी हम विकास के उस पायदान पर नहीं पहुंचे हैं, उन सपनों को पूरा नहीं कर पाये हैं जो हमारी आजादी के कर्णधारों ने देखा था। उसकी क्या वजह रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि देश के अंदर ही हम उन ताकतों से अलग-अलग लड़ाई करते रहे और देश की विकास की गति और धीमी होती गई। आजादी ने जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, हमें ऐसा संघीय ढ़ांचा दिया जिससे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, सुरक्षा और विकास को अंजाम देती हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास पर साथ-साथ काम करती हैं। किंतु खेद की बात यह है कि जब यह गतिरोध खुलकर सामने आता है जब एनटीसीटी का गठन हुआ और राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि मनमाना रवैया है और यह इनके ऊपर थोपा जा रहा है। आज कश्मीर पहले की तुलना में शांत जरूर हो गया है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरे तरीके से हमने इस मुद्दे को सुलझा लिया है। आज भी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा नॉर्थ ईस्ट का है जो अपने साथ कई मुद्दे समेटे हुए है जो एक साथ विकास की गति का अवरुद्ध कर रहे हैं। आज आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनोती है। हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं चाहे वह जल की हों या स्थल की हों। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो फेंसिंग लगाने का काम है, हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। समुद्री सीमाएं हमारी पूरी तरह से खुली हैं जिससे कसाब जैसा खूंखार आतंकवादी अपने दल के साथ बेरोकटोक

[श्रीमती पुतुल कुमारी]

घुस आया और खून की होली खेली गई। देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकवादी अपने काम को अंजाम देते रहे। यहां पर सदन का सत्र चल रहा था, पार्लियामेंट के बाहर भी अटैक हुआ था। यहां से 4 कि.मी. दूर पटियाला हाउस में कुछ दिन पहले हुआ और इस बात को न सदन भूल सकता है और न देश भूल सकता है कि इसी आतंकवाद ने, इसी व्यवस्था ने देश का एक नौजवान प्रधानमंत्री भी खो दिया। क्या बात है कि फिर भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए पहलू को हम इतने हल्के से लेते हैं? हमारे पड़ोसी देश से हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। एकतरफा कोशिशें जारी हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है।

मुट्ठी के बराबर एक बांग्लादेश है जो समय-समय पर हमें आंखें दिखाता है। चीन बगल में अपनी शक्ति को दिनोंदिन बढ़ाता जा रहा है। हमारे फैसले में भी दखलंदाजी कर रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम बजट को देखते हैं तो यह बजट काफी कम है और इस बजट को बढ़ाने की जरूरत थी। इस बजट में जो थोड़ी सी वृद्धि है, वह मुद्रास्फीति के कारण है और वह वास्तविक वृद्धि नहीं है। आज पुलिस बल को और अर्धपुलिस को आधुनिक हथियार देने पड़ेंगे, संसाधन जुटाने पड़ेंगे और एक राजनैतिक माहौल की जरूरत है जो सेना और पुलिस के मनोबल को बढ़ा सके।

महोदय, केन्द्र को राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत होगी तभी एक सार्थक कदम होगा।

मंत्री जी, चाहे राष्ट्रीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय हो, कड़े फैसले लेने की जरूरत है क्योंकि कई बार अधिक विनम्रता मनुष्य को कायर बनाती है। इसलिए कड़े फैसले लीजिए। राज्य सत्ता फैसले से चलती है। फैसलों को अंजाम तक पहुंचाइए। पूरा देश आपके साथ है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के सामने अनुदान मांगों के संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सदन में शिवसेना के एक साथी कसाब को सजा दिए जाने के संबंध में अपनी राय रख रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने बीच में इन्टरवीन करके कहा कि देश कानून के हिसाब से चलता है। मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर देश कानून के हिसाब से चलता है लेकिन कानून बने इसलिए सदन बनाया गया है। जो लोग राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में इन्वाल्व हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें सजा देने के लिए सदन में माननीय मंत्री जी किसी ऐसे कानून को बनाने की घोषणा करेंगे जिस पर पूरा सदन आम सहमति बनाएगा ताकि देश में जो लोग आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जा सके। अगर हम दूसरे देशों की नकल करके एनसीटीसी जैसे संस्थानों की स्थापना करते हैं तो हमें वहां के आर्डिनेंस को भी देखना चाहिए कि वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो इन्वाल्व होते हैं, उन्हें त्वरित सजा देने के लिए कानून बनाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सदन में माननीय मंत्री जी टाइम बाउंड कानून की घोषणा करेंगे। सदन में तमाम साथियों ने सरकार की गवर्नेंस और डिलीवरी सिस्टम पर सवाल खड़े किए।

मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां प्राइज एंड पनिशमेंट की थ्योरी में गवर्नमेंट आफिशियल्स को भी एकाउंटेबल बनाया जाए। हम लोगों की, चुने हुए प्रतिनिधियों की एकाउंटिबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट आफिशियल्स की एकाउंटिबिलिटी कम दिखती है। मैं चाहता हूं कि इनकी एकाउंटिबिलिटी बढ़ाई जाए। इनकी एकाउंटिबिलिटी तब बढ़ेगी जब सदन की भूमिका बढ़ेगी। सरकारें किस तरह से सीबीआई डायरेक्टर का दुरुपयोग करती है, अभी साथ एनसीटीसी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि सैक्युलर फोर्सिस हैं, कल इधर के लोग आ जाएंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। इसी तरह सदन से सीबीआई, आईबी और तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सदन की भूमिका को बढ़ाया जाए और जिस तरह से सीएजी का चयन किया जाता है उसी तरह डायरेक्टर सीबीआई, पैरा मिलिट्री के हैड और डीआईबी के हैड के चयन के लिए पैनल बनाया जाए जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ हाउस और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सम्मिलित हो ताकि संस्थाऐं का दुरुपयोग न होने पाए।

महोदय, राज्यों के साथ कोआर्डीनेशन करने की जरूरत हैं आज एनसीटीसी का औचित्य नहीं है। एनसीटीसी से ज्यादा आवश्यकता ऐसा कानून बनाने की थी जिसमें आतंकवादी जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं उन्हें सजा मिले। एनसीटीसी का औचित्य क्या है? एनसीटीसी का गठन देश में लोगों का ध्यान बांटने के लिए किया गया। एनसीटीसी को इंटेलीजेंस, ऑपरेशन और इन्वेस्टीगेशन का काम दिया गया जबकि इंटेलीजेंस के लिए ऑलरेडी आईबी, स्टेट इंटेलीजेंस है, आईबी ऑपरेशन

का काम करती है, एटीएस की स्थापना भी हो चुकी है। तमाम स्टेट आर्गेनाइजेशन इसी तरह काम कर रहे हैं। क्या आपने एनआईए को मजबूत किया? मेरा कहना है कि जो एजेंसी है आप उसे मजबूत करने के बजाय नई संस्थाएं बना रहे हैं। देश पर और ज्यादा लाएबिलिटी थोप रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

महोदय, चीन ने इंडिया पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बनाई है। लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी तभी सफल होगी, जब हम नार्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट की दिशा में ध्यान देंगे और साथ-साथ जो हमने बनाने का एक प्रयास किया था कि हम पूरा साउथ-ईस्ट...*(व्यवधान)* उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : अब, श्री रामकिशुन – कृपया सिर्फ एक मिनट का समय लें।

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह : सभापति जी, हमारे साथी सांसद ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। आप पहले ही उन सभी बातों पर बोल चुके हैं। कृपया इन सभी बातों को मत दोहराइए।

अब, श्री रामकिशुन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह : उन्होंने कहा था कि जे एंड के 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामकिशुन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट लीजिए और समाप्त कीजिए। आप सीधे मुद्दे पर आइए।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, आपने गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश में बढ़ रहे नक्सलवाद और अलगाववाद की तरफ ले जाना चाहता हूं। आज नक्सलवाद बढ़ा है और यह इसलिए बढ़ा है चूंकि देश में गरीबी, अशिक्षा और गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो क्षेत्रीय समानता बढ़ी है, जो आदिवासी इलाकों में उनके हकों को छीना गया है, इसलिए नक्सलवाद बढ़ा है। देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। हमारे यहां एक क्षेत्र का विकास राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है और पिछड़े क्षेत्रों में गरीबों के इलाकों में वह विकास नहीं होता है। इसलिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाते हैं और इसलिए विदेशी शक्तियां हमारे देश में नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तीन-चार जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को सिर्फ सेना और बंदूक से नहीं रोक सकते हैं। उनके पेट की भूख मिटाने के लिए यह जरूरी है कि उन क्षेत्रों का विकास किया जाए। वहां पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, वहां शिक्षा का अभाव है, वहां चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वहां एम्स जैसे अस्पताल नहीं हैं। वहां डीपीएस जैसे स्कूल और कॉलेज नहीं हैं। वहां के बच्चे दिल्ली में आते हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश के गरीब बच्चे यहां के फाइव स्टार होटलों में, यहां के बड़े लोगों के घरों में चाय और खाना बनाने का काम करते हैं, पोछा लगाने के काम करते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर भी देशवासियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ उन पर लाठियां और गोलियां चलाकर हम इस समस्या को खत्म नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नक्सली

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामकिशुन]

गतिविधियों को रोकने के लिए हमारी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। उसे आज आर्थिक सहायता देने की जरूरत है, जिससे हम विकास के रास्ते पर चलकर नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : समस्या यह है कि मैं आपको अवसर दे रहा हूं और आप उसका लाभ उठा रहे हैं। आपने कहा था कि आप केवल एक मिनट लेंगे परन्तु आप तीन मिनट तक बोले हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन : मैं कहना चाहता हूं कि जो आज क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज अन्य प्रांतों में अलगाववाद के चलते तेलंगाना और अन्य नये प्रांतों की बात होती है। इसके पीछे उन इलाकों का विकास न होना है। हम चाहते हैं कि उन क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, तब कहीं इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं भी दो मिनट बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं वे उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे एक मिनट बोलने दिया जाए। *[अनुवाद]* मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका क्या प्रश्न है? आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, मैं अब किसी और को अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री उत्तर दें। कृपया बैठ जाइए। केवल माननीय मंत्री उत्तर देंगे, और इसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री के उत्तर के बाद, आप स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

***श्री निशिकांत दुबे** (गोड्डा) : संथाल परगना क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। गत तीन वर्ष हमारे लिए बहुत कष्टदायी थे। प्रत्येक सत्र में हम भारत सरकार से गोड्डा, देवघर साहिबगंज, दुमका, पाकुर, जमतारा–इन छ: जिलों में अवसंरचना विकास और उन्हें आईएपी में शामिल करने का अनुरोध करते रहे हैं। बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है। अतः, ऐसा होने तक संथाल परगना क्षेत्र में यूआईडी परियोजना का कार्य बंद किया जाए।

आईएपी परियोजनाओं में कृपया एसपी को भी शामिल किया जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस क्षेत्र में कोयला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। कृपया उन्हें सीएसआर करने के लिए निर्देश .दें। देवघर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्र है। यह पूर्वी भारत का सांस्कृतिक केन्द्र है। कृपया श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए।

[हिन्दी]

***श्री प्रेमदास** (इटावा) : आज अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं सुझाव देता हूं:–

(1) केवल गरीब लोग और किसानों के बेटे पुलिस में भर्ती होते हैं, पूंजीपतियों के बेटे नहीं। इसलिए इनके सम्मान के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

(2) पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जाए।

(3) समय-समय पर बड़े अधिकारियों की समीक्षा एक निश्चित समय पर की जाए।

(4) पुलिस की ड्यूटी का समय निश्चित-निर्धारित किया जाए।

(5) देश की सीमा की सुरक्षा हेतु समय-समय पर देखा जाए। उसका विवरण लोक सभा में दिया जाए।

[अनुवाद]

***डॉ. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर) : मैं वर्ष 2012-13 के लिए यह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। अब, मैं केवल तीन महत्वपूर्ण मदों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

सबसे पहले, सेना देश में कानून व्यवस्था को बनाए हुए है। सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सेना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। वह इसके लिए प्रशिक्षित नहीं है। उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल अलग होता है। उनका दायित्व बाहरी शत्रुओं से लड़ना है। देश के अलग-अलग भागों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल करके हम उनकी विशेषज्ञता को बर्बाद कर रहे हैं।

इसके विपरीत समय की मांग है कि पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों का विस्तार और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कानून व्यवस्था संबंधी किसी भी स्थिति को सेना के बजाय पुलिस को संभालना चाहिए। हमें पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों और नए हथियार तथा उपकरणों के साथ अपने पुलिसबलों को आधुनिक बनाना चाहिए। हमें आंतरिक सुरक्षा हेतु सेना के दुरुपयोग को बंद कर देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं बार-बार इस बात का उल्लेख करके थक चुका हूं। परन्तु, मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि सशस्त्र बल (विशेष) अधिकार अधिनियम, (एएफएसपीए) 1958 का निरसन किया जाए। हमारे जैसे लोकतांत्रिक समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। यह एक दमनकारी कानून है। यह वस्तुत:, एक औपनिवेशिक कानून है। यह भी जानकारी मिली है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने भारत सरकार से इस सख्त कानून को समाप्त करने का अनुरोध किया है। सप्रंग-I सरकार नियुक्त न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति ने भी इस अधिनियम को समाप्त करने की सिफारिश की थी। मैं यह नहीं जनता कि एएफएसपीए को अभी तक समाप्त क्यों नहीं किया गया है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहें तो एएफएसपीए तत्कालीन नागा विद्रोह और उत्तर पूर्व और जम्मू और कश्मीर में उपद्रवी तत्वों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा पाया था। बल्कि इससे सशस्त्र सेनाओं और आम जनता के बीच भारी अविश्वास पैदा हो गया।

निरसन हेतु समर्थन भारत में:

- बीपी जीवन रेड्डी समिति (2005)
- वीरप्पा मोइली प्रशासनिक सुधार समिति (2007)
- जम्मू और कश्मीर में विश्वास पैदा करने संबंधी उपायों के संबंध में मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्य समूह (2007)

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन:

- यूएन स्पेशल रैपोर्टियर आन एक्सट्रा ज्युडिशियल, समरी ऑफ आर्बिट्रेटी एक्जीक्यूशनस (2006)
- कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वीमेन (2007)
- कमेटी आन द एलिमिनेशन ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन (2007)
- यूएन ह्यूमैन राइट्स कमेटी (1997)

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. थोकचोम मैन्या]

तीसरे, शहरों और महानगरों, विशेषरूप से रा.रा.क्षे. में उत्तर पूर्व के लोगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के दृष्टिगत हमें किसी कानूनी उपाय के बारे में सोचना चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री ने संभवत: उचित ही कहा है कि उत्तर पूर्व के लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। लगभग प्रतिदिन मीडिया में उत्तर पूर्व के लोगों के विरुद्ध होने वाले अनेक अपराधों की खबरें आती हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे भी सैकडों अपराध होंगे जो रिपोर्ट नहीं किए जाते होंगे। अत:, मेरा गृह मंत्री से यह अनुरोध है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो उत्तर पूर्व के लोगों के विरुद्ध ऐसे अपराधों के प्रति एक निवारक का कार्य कर सके। हमारे पास अ.जा./अ.ज.जा. को शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए कानून है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व के लोगों को उनके प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचाने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। अंत में, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली) : मैं आज यहां उस कोस्टल सिक्युरिटी की बात कर रहा हूं जिसकी सुरक्षा से लाखों मछुआरों के जीवन, रोजगार और उनके जानमाल की क्षति होने से बचाया जा सकता है। जो इस भारत जैसे विकासशील देश में यहां रोजगार की सख्त कमी है, लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वैसे देश में, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इनमें से 2 लाख 65000 लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं और इस व्यवसाय से वह अपनी जिंदगी चला रहे हैं, यह सरकार ने डिक्लेयर किया है।

मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि पूरे भारत देश में 7100 कि.मी. समुद्री किनारा में से 1600 कि.मी. समुद्री किनारा केवल गुजरात में पड़ता है और लगभग वहां 90,000 मछुआरे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस तरह से यह व्यवसाय भारत जैसे विकासशील देश को एक अच्छी खासी रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ देश के ग्रोथ में भी एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

यहां एक बड़ी दु:ख की बात यह है कि यह व्यवसाय का हमारे देश के विकास में एक अच्छी भूमिका रहने के बाद भी केन्द्र सरकार इनके सुरक्षा एवं विकास की समस्याओं के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यदि आज केवल हम गुजरात की बात करते हैं तो उसमें से भी लगभग 450 मछुआरे और 600 से अधिक बोट अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में हैं जो कि एक बोट की कीमत लगभग 30-40 लाख तक की होती है। मछुआरा इस बोट को बहुत मुश्किल से साहुकारों से लोन लेकर नाव को खरीदते हैं लेकिन जब यह नाव मच्छीमारी के दौरान जब्त कर ली जाती है तो इतनी बड़ी रकम को भरना उसके सामर्थ्य में नहीं होता है और पूरी जिंदगी भर मछुआरे कर्ज में डूबे रहते हैं।

वर्ष 1994 में हमारे भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान मेरिटाइम एजेंसी के साथ हुए समझौता के अनुसार जो भी मछुआरे सीमा पर पकड़ते हैं और पूछताछ के बाद यदि वे मछुआरे साबित होते हैं तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा करना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि मछुआरों एवं उनके बोट को आए दिन सीमा से जबरन उठाकर पाकिस्तान ले जाया जाता है और उन मछुआरों को पाकिस्तान की सरहद पर दर्दनाक टॉर्चर करते हैं और उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल देते हैं।

मछुआरे भी एक किसान के समान हैं, लेकिन सरकार उन्हें किसान जैसी सुविधा नहीं दे रही है। विगत 4 वर्ष पूर्व किसानों की भांति उन्हें भी एक्साइज ड्यूटी फ्री डीजल मिलता था लेकिन आज यह भी बंद कर दिया गया जिससे मछुआरों का एक और बोझ बढ़ गया है। आज मछुआरों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्योंकि उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में है अगर कोई मछुआरा दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाता है अथवा विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मछुआरा को न कोई मुआवजा और न कोई बीमा मिलता है और उसका परिवार इस तरह से समाप्त हो जाता है। ऐसी हालत में मछुआरे के परिवार की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को गृह मंत्रालय के अंतर्गत योग्यतानुसार नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए और मछुआरों को जागरूक करने के लिए जो सहायता दी जा रही है उसे और बेहतर बनाने के लिए धनराशि को और बढ़ाया जाये जिससे कि उन्हें पर्याप्त जागरूकता दी जा सके।

देश में कोस्टल सिक्यूरिटी के अंतर्गत भारत सरकार जेटी के लिए वित्तीय सहायता देती है जो मात्र एक के लिए 50 लाख रुपए देती है। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपए है ऐसे में सरकार को जेटी के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता पर पुर्नविचार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कर इन्हें बढ़ाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकार जेल घरों के आधुनिकीकरण के लिए जो राशि दे रही है वह वर्तमान समय की मांग के अनुसार बहुत ही कम है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि गुजरात सरकार द्वारा किए गए जरूरी मांगों को स्वीकृत किया जाये और पाकिस्तान जैसे देश के 512 कि.मी. सीमा के सतही क्षेत्र गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है जहां से आए दिन हथियार, गोला बारूद जैसे वर्जित चीजों की स्मगलिंग या तस्करी होती है और आये दिन पकड़े भी जाते हैं, फिर भी लगभग 170 कि.मी. फेंसिंग कार्य केन्द्र सरकार द्वारा लंबित पड़ा है जोकि देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लंबित कार्य को देरी न करके जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाये।

इन सारी कोस्टल समस्याओं को लेकर गुजरात सरकार ने 2005 से 2011 तक भारत सरकार को 94 से ज्यादा पत्र लिख हैं और हमारे गुजरात के सभी एम.पी. भी इन सभी विषयों को सत्र के दौरान उठाते रहते हैं। लेकिन इस समस्या का स्थाई हल निकालने में केन्द्र सरकार सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या को प्राथमिकता दें और इस विषय को लेकर एक अलग से कोई कमेटी बनायें ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो और साथ ही साथ, उन मछुआरों के साथ पाकिस्तान में सड़ रहे उनके नाव को भी भारत वापस लाया जा सके।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं आज 30वां वक्ता हूं, 29 माननीय सदस्य बोल चुके हैं जिनका नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दल से श्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस पार्टी से श्री सन्दीप दीक्षित ने किया है।

मैं गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए पांच घंटे से थोड़ा अधिक समय तक बैठने के लिए सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। हम मांगों के बारे में बातें कर रहे हैं; मेरे पास बहुत अधिक धन नहीं है। हमारे पास केवल लगभग 46,000 करोड़ रुपये है, जो 'पुलिस' के लिए दिये गये हैं। मैं नहीं समझता कि हमें बड़ी संख्याओं से भ्रमित होना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में केबिनेट का खर्च तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाने वाला धन शामिल है।

जिन मामलों पर आज हमने चर्चा की है उनमें से पुलिस शीर्ष के लिए हमें लगभग 46,600 करोड़ रुपये मिले हैं। यह बड़ी राशि नहीं है। पिछले दो वर्षों में इसमें भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते, हम स्वयं क्या कर सकते हैं और हम राज्यों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं यह वास्तव में हमारे पास उपलब्ध धन के कारण सीमित हो गया है। हमारे पास जो धन है उसमें मैं समझता हूं कि आपको वही मांगे करनी चाहिए जो पिछले वर्ष पूरी की गई है। जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, और विशेष रूप से 26 नवम्बर, 2008 की घटना के बाद से।

हमारे पास 7,500 कि.मी. लम्बी तटरेखा है, हमारी भूसीमाएं 15,500 कि.मी. लम्बी हैं। इसमें लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल नहीं हैं। हमारे पास पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका जैसे पड़ोसी हैं। ये देश हमसे सटे हुए हैं। हमारे पड़ोस में हैं अफगानिस्तान, इराक और कुछ अन्य देश भी हैं। मेरा विश्वास कीजिये, विश्व में हिंसा के मामले में यह सबसे अधिक समस्याओं वाला पड़ोस है। अस्सी प्रतिशत आतंकवादी घटनाएं इन्हें देशों अर्थात् पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान में घटित हुई हैं। विश्व ने सभी प्रमुख आतंकवादी समूहों अर्थात् अलकायदा, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, जेईएम, हिज्बुल मुजाहिदीन और हूजी का इन देशों में केंद्र हैं। इन सबके इन देशों में केंद्र हैं।

मेरे विचार में यह मानना कि इस सच्चाई का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम सबसे अधिक समस्याग्रस्त पड़ोस में हैं; कि जब हमारी इतनी विस्तृत तटरेखा और लम्बी भूमि सीमा है तो हम प्रभावित नहीं होंगे; एक सही सोच नहीं है। हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

इसलिए, इस देश को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। मैं आप सबसे ईमानदारी से स्वयं से एक प्रश्न पूछने के लिए कहता हूं — मैं स्वयं पढ़ सकता हूं और यदि आप चाहे तो मैं कुछ संख्याएं पढूंगा — क्या आज जम्मू और कश्मीर तीन वर्ष पहले से अधिक सुरक्षित और बेहतर नहीं हो गया है? क्या पिछले 10-15 वर्ष पूर्वोत्तर में सबसे शांतिपूर्ण वर्ष नहीं रहे हैं? ...*(व्यवधान)* महोदया, कृपया मुझे बीच में न टोकें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। नागालैंड और मणिपुर को छोड़कर, जहां हमारे सामने समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर सबसे शांतिपूर्ण दौर से गुजर रहा है। पश्चिम

[श्री पी. चिदम्बरम]

बंगाल को लीजिये – हमारे जो दूसरे मतभेद हैं इस राज्य से इनका उससे कोई लेन-देन नहीं है – निःसंदेह विगत छह माह में जंगल महल जो सबसे अधिक झगड़े-फसाद वाला क्षेत्र था, वहां शांति बहाल हुई है।

जहां तक आतंकवादी हिंसा का संबंध है तो एक समय था जब औसतन प्रत्येक वर्ष में लगभग पांच से छह बड़े आतंकवादी हमले होते ही थे। मुम्बई के बाद से तीन बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं और मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने स्वीकार किया था कि ये तीन धब्बे हैं। परन्तु यदि आज 2001 से आगे की बात करें तो प्रत्येक वर्ष पांच से छह बड़े आतंकवादी हमले हुए थे और मुम्बई हमले तक प्रत्येक वर्ष सात आतंकवादी हमलों का औसत हो गया। अब, विगत साढे तीन वर्षों में तीन आतंकवादी हमले हुए हैं। पूरे साढ़े तीन वर्ष में – तीन धब्बे हैं – परन्तु कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि आतंकवाद से मुकाबला करने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता।

इसलिए, मेरा सादर निवेदन यह है कि संप्रग-II के अंतर्गत पिछले साढ़े तीन वर्ष में बहुत कुछ किया गया है और पिछले वर्ष बहुत कुछ किया गया है। मैं प्रत्येक वर्ष के अंत में एक रिपोर्ट देता हूं। दुर्भाग्य से, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और इसे पढ़ा नहीं जाता। पिछले वर्ष में ही अपने सीमित वित्त से हमने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए हथियार खरीदने हेतु 2485 करोड़ रुपये; सीएपीएफ हेतु भूमि और भवनों के लिए 2128 करोड़ रुपये खर्च किए हैं; एलडब्ल्यू से प्रभावित राज्यों के लिए एसआरई के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये; जम्मू और कश्मीर को 460 करोड़ रुपये; और पूर्वोत्तर को 350 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

मैं आपको एक सबूत देता हूं जो आपमें से बहुतों को आश्चर्यचकित कर देगा। पिछले वर्ष तक बस्तर जिला ऐसा जिला था जिसमें एक कलेक्टर और एक एसपी था। बस्तर का भू-क्षेत्र केरल से बड़ा है। केरल में भी एक कलेक्टर और एक एसपी है। पिछले वर्ष ही हमने मुख्य मंत्री से आग्रह किया था और मुख्य मंत्री ने कार्रवाई की और उन्होंने इसे पांच जिलों में विभाजित कर दिया। इनमें से बहुत से क्षेत्रों में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। पहली बार, हम 400 मॉडल पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये दे रहे हैं और प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर 2 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। देश के सबसे उन्नत राज्य में भी 2 करोड़ रुपये की लागत से किसी पुलिस स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ है। ये अभेद्य पुलिस स्टेशन हैं।

हमने गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के साथ एक समझौते पर तथा असम के कारबी आंग्लोंग जिले में यूपीडीएस के साथ एक निपटारा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने उल्फा, यूटीएलए और पीआरए के साथ कार्रवाई स्थगन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारी डीएफडी (एन) डीएफडी (जे), एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव) और कुछ माह पूर्व असम के मुख्य मंत्री और मेरे सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले नौ समूहों से जुड़े 1695 काडर के साथ त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है।

हमने सीएपीएफ को 3477 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। हमने पिछले वर्ष 53646 कांस्टेबलों की भर्ती की है। हमने तटीय सुरक्षा योजना फेज-II के अंतर्गत 131 नए तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए 44 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लिए 274 नए पद सृजित किए हैं; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के लिए 35 करोड़ रुपये जारी किए; 21 उग्रवाद-रोधी स्कूल अनुमोदित किए गए थे, उनमें से 17 कार्य कर रहे हैं। 493 करोड़ रुपये की लागत से छह नए आरटीसी, एक नए जंगल वारफेयर स्कूल और 9 एसटीसी, 2 बीटीसी की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

महोदय, अब मैं इसे क्यों पढ़ूं? मेरा मानना है कि तीन क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं बढ़ाकर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। पहली है आसूचना। आसूचना के बिना कोई सुरक्षा नहीं है। आसूचना सुरक्षा की कुंजी है। दूसरी है क्षमता। हमें और अधिक पुलिसकर्मी चाहिए; और अधिक हथियार, उपकरण और वाहन चाहिए; पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिये और स्कूल चाहिए वही क्षमता है। तीसरी बात है – यहां मैं कुछ मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि मैं अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं – हम लोगों में पूरी और आम समझ होनी चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में किसी प्रकार के आंतरिक सुरक्षा के खतरे को नियंत्रित करने के लिए हम एक दृढ़ और एहतियाती कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि पहली दो बातों पर कोई विवाद नहीं है। आसूचना और क्षमता निर्माण पर कोई भी विरोधी बातें नहीं कह रहा था। मैं समझता हूं कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमें अपनी आसूचना क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। सभी लोगों ने एमएसी का स्वागत किया है; सभी ने एसएमएसी का स्वागत किया है। एमएसी और एसएमएसी चौबीसों घंटे आसूचना संगठन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पदाधिकारी से बिना किसी रुकावट के आसूचना को साझा किया है

जिससे हमें आतंक से मुकाबला करने हेतु इतनी क्षमता प्राप्त हो सकी है। मुझे आधी रात को भी एसएमएस प्राप्त होते हैं। आसचूना समुदाय के प्रत्येक महत्वपूर्ण पदाधिकारी चौबीसों घंटे सतर्क रहते हैं। प्रत्येक मुख्य मंत्री ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एमएसी और एसएमएसी से हमारी आसूचना क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

क्षमता के बारे में जो हमने किया है वह मैं बता चुका हूं। परन्तु माननीय सदस्य मुझसे कहते हैं कि यह कीजिए और वह कीजिए। परन्तु इसे करेगा कौन? राज्य पुलिसबल में आज 20 लाख के कुल स्वीकृत पदों में 5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। उसे कौन भरेगा? माननीय सदस्यों ने उन पुलिस थानों के बारे में बताया है जिसमें हथियार नहीं हैं। पुलिसकर्मियों की भर्ती कौन करेगा और हथियार कौन मंगवायेगा?

डॉ. बलीराम ने कहा कि भारत सरकार को कानून और व्यवस्था के असफल होने के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। श्री विश्वमोहन कुमार ने कहा कि बिना इमारत, बिना शौचालय, बिना पुलिसकर्मियों और बिना हथियारों के थाने हैं। भारत सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। श्री सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि सीपीआई (एम) कैडरों के विरुद्ध कार्यवाही कीजिए। श्री पिनाकी मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत कम काम किया है। श्री जगन्नाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है। श्री शेर सिंह ने कहा कि सीमा पर सड़कें केन्द्र सरकार द्वारा बनायी जानी चाहिए। सीमा पर विद्यालयों का निर्माण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। श्री अजय कुमार ने कहा कि पुलिस थाने ही सबसे कमजोर कड़ी हैं और एक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती।

मैं उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूं। परन्तु क्या मेरे पास इस उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता है? राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व के बारे में क्या विचार है? उसके बाद, आप कहते हैं कि इन सारे उत्तरदायित्वों को तो लीजिए, परन्तु एनआईए को वापस लीजिए; नेटग्रिड को वापस लीजिए; एनसीटीसी को हटाइये। मैं कहना चाहता हूं कि हैमलेट वाली द्विविधा समाप्त होनी चाहिए। हैमलेट ड्रामा के विख्यात शब्दों को याद कीजिए – करें या नहीं करें। हम क्या करना चाहते हैं? अत्यधिक सम्मान के साथ कहता हूं कि इस अशांत पड़ोस में, वर्ष 2012 में, देश की आंतरिक सुरक्षा एक साझा उत्तरदायित्व है। हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार हैं परन्तु राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए अवश्य आगे आना चाहिए। संविधान यही कहता है। संविधान, सूची-2 में कहता है कि कानून और व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह अनुच्छेद 355 में यह भी कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सभी राज्यों की रक्षा करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमें इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ना चाहिए। मैं इसके बारे में 01 दिसम्बर, 2008 से ही कहता रहा हूं। कृपया वापस जाइये और मैंने इस सभा में गृह मंत्री के रूप में जो प्रथम वक्तव्य दिया था उसे पढ़िए। आंतरिक सुरक्षा साझा उत्तरदायित्व है; हम अपना उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं और राज्यों को अपनी जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए।

पिछले वर्ष, भारत सरकार ने पुलिस पर 40,000 करोड़ रुपये खर्च किया। क्या आपको पता है कि सभी राज्यों ने कितना खर्च किया? सभी राज्यों ने कुल मिलाकर 60,000 करोड़ रुपये खर्च किया। यदि भारत सरकार 40,00 करोड़ रुपये खर्च करती है और यदि सभी राज्य मिलकर 60,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं तो इतने बड़े देश को सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1,00,000 करोड़ रुपये कैसे पर्याप्त होंगे? मैं मुख्यमंत्रियों से बार-बार निवेदन कर चुका हूं कि "आप मेरे हिस्से के बजट पर ऊंगली उठाते हो, अपने बजट में पुलिस पर अपने हिस्से के बजट को देखो, कुल व्यय में पुलिस पर अपने हिस्से को देखो।" अतः, जब तक हम साझा उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, हम एक समस्या जिसका इस समय सामना कर रहे हैं उसका समाधान नहीं कर सकते और आंतरिक सुरक्षा के खतरे का सामना करने की क्षमता का विकास नहीं हो सकता।

महोदय, कई सारे मुद्दे उठाये गये। मैं उनका उत्तर संक्षेप में, छोटे वाक्यों में देता हूं। पहला मुद्दा एनआईए के बारे में है। एनआईए एक नया संगठन है। यह मुश्किल से तीन वर्ष का हुआ है। तीन वर्षों में, 40 मामले हमें सुपुर्द किए गए हैं जिसमें से 22 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। मुझे ऐसे किसी अन्य नए संगठन के बारे में जानकारी नहीं है जिसने इतना अच्छा कार्य किया हो।

एनआईए किसी आतंकी का उसके धर्म के आधार पर भेद-भाव नहीं करता है। यह किसी आतंकवादी का उसके धार्मिक विश्वास, जाति, भाषा के आधार पर अंतर नहीं करता है। एनआईए ने उन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जो कि किसी अच्छे शब्दांश के अभाव में, स्वयं को जेहादी आतंकवादी कहते हैं। 12 मामले हैं। एनआईए ने उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं जो कि गलती से किसी प्रकार के दक्षिणपंथी कट्टरवाद में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के नौ मामले हैं।

हमें एनआईए की निंदा नहीं करनी चाहिए। एनआईए का कार्य-निष्पादन नए संगठनों में सर्वोत्तम रहा है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

इसके बाद, ऐसी आम धारणा है कि भारत आतंकवादी हमले का सामना नहीं कर सकता जबकि अमेरिका में 9/11 के बाद से कोई आतंकी हमले नहीं हुए हैं। कम से कम आधे दर्ज सदस्य इस बात को कह चुके हैं।

सर्वप्रथम, हमें इस गलत धारणा से स्वयं को दूर कर लेना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ अमेरिका के सफल प्रचार तंत्र की सराहना है। अमेरिका में तीन वास्तविक आतंकी हमले हुए हैं। 4 जुलाई, 2002 को लॉस एंजिलस एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें तीन लोग मारे गए और चार घायल हुए थे। 1 जून, 2009 को लिटिल रॉक रिक्रूटिंग ऑफिस में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था और एक घायल हुआ था। 5 नवम्बर, 2009 के फोर्ट हूड के गोलीबारी में 13 लोग मारे गए और 30 घायल हुए थे। केवल तीन ही आतंकी हमले सफल रहे। 21 दिसम्बर, 2001 के शू बॉम्बर, 25 दिसम्बर, 2009 का अन्डरवियर बॉम्बर और 1 मई, 2010 का टाइम्स स्क्वैयर बॉम्ब हमले हुए थे।

मैं किसी प्रकार के संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आज प्रत्येक देश हमलों की दृष्टि से संवेदनशील है। परन्तु इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि भारत अन्य देशों से अधिक खतरे में है। मैं कहता हूं कि भारत अधिक खतरे में नहीं है, परन्तु भारत अन्य किसी देश से कम खतरे में भी नहीं है। हम किसी अन्य देश जितने ही खतरे की स्थिति में हैं। हमारे पड़ोसी देशों में अशांति है। हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और हमारे सामने जो खतरे हैं उनका सामना करने में हमें समर्थ होना होगा।

तेलंगाना के बारे में एक सवाल था। यदि कोई यह सोचता है कि केन्द्रीय गृह मंत्री अपने मन से प्रेस के कुछ लोगों को बुला सकते हैं और तेलंगाना के बारे में घोषणा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पता नहीं है कि सरकार कैसे कार्य करती है। कोई भी गृह मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकता है। सब जानते हैं कि किन परिस्थितियों, जिनके अंतर्गत उस प्रकार का वक्तव्य दिया गया था, कृपया 7 दिसम्बर, 2009 के आंध्र प्रदेश विधान सभा के कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाहियों का स्मरण करें। उन्होंने सर्वसम्मति से कहा था...

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : इस पर हमारी पार्टी ने एतराज किया था...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपके पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी को अपना उत्तर देने दें। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : श्री ओवेसी, क्या मैंने आपकी पार्टी के बारे में कुछ कहा? श्री नामा नागेश्वर राव, क्या मैंने आपकी पार्टी के बारे में कुछ कहा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री नामा नागेश्वर राव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। उन्हें अपनी बात कहने दें। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा: "7 दिसम्बर की कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाहियों के बारे में आपको जानकारी है।" मैंने नहीं कहा, "क" ने यह कहा अथवा "ख" ने वह कहा।

उसी दिन शाम में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक की कार्यवाहियों के अनुसरण में दो बैठकें हुईं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की कार्यवाहियों और सर्वदलीय बैठक की कार्यवाहियों को देखने के बाद – और 7 दिसम्बर को हुई सर्वदलीय बैठक के कार्यवृत्त के बाद – एक निर्णय लिया गया और हमने 9 दिसम्बर, 2009 को घोषणा की। परन्तु 24 घंटे के भीतर ही स्थिति नाटकीय रूप से बदली। वस्तुतः प्रत्येक बड़ा राजनीतिक दल, यहां तक कि जिस पार्टी से मैं संबंधित हूं, कांग्रेस पार्टी भी, विभाजित हो गई। इस मुद्दे पर, वे सभी बंटे हुए थे। स्थिति में नाटकीय परिवर्तन के कारण, हम 23 दिसम्बर, 2009 को यह कहते हुए संशोधित वक्तव्य देने के लिए बाध्य थे कि अब हमारे पास सभी राजनीतिक दलों को तंत्र पर विचार-विमर्श करने के लिए और आगे भी परामर्श

करने के लिए रूपरेखा निर्धारित करने हेतु बुलाने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस प्रकार, सभी दलों की पुन: बैठक बुलाई गई और अब श्रीकृष्णा समिति का गठन किया गया। ये दस्तावेज रिकॉर्ड में हैं। किसने कहा कि रिकार्ड में क्या है। किसने इसका समर्थन किया, किसने विरोध किया, कौन विरत रहा, कौन अनुपस्थित रहा, सब कुछ रिकॉर्ड में है। अभिलेख के आधार पर एक वक्तव्य जारी किया गया। 24 घंटे के भीतर ही स्थिति के नाटकीय ढंग से बदल जाने के कारण हमें एक संशोधित वक्तव्य जारी करना पड़ा। श्रीकृष्णा समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। हमारे पास लिखित प्रमाण है कि हम सभी आठों राजनीतिक दलों को अपनी राय व्यक्त करने देना चाहते हैं। मैंने श्री नामा नागेश्वर राव और श्री ओवेसी दोनों के विचारों को सुना है। श्री नामा नागेश्वर राव मुझसे अलग से मिले। उनके नेता भी मुझसे अलग से मिले। आप मुझसे कई अवसर पर मिल चुके हैं। यह एक तथ्य है कि आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे रही है।...*(व्यवधान)* आपका क्या विचार है? ...*(व्यवधान)* मुझे आपका विचार ज्ञात है।...*(व्यवधान)* आपके पास एक अवसर था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आपके पास बोलने का अवसर था। आपने पहले ही अपना विचार व्यक्त कर दिया है और यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया बैठ जाइये। महोदय, उन्हें बैठने को कहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। मैं सभा को नियंत्रित करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कृपया बैठ जाइये। मैं आपसे बैठने के लिए आग्रह कर रहा हूं। अब, कृपया बैठ जाइये। क्या आप बैठेंगे? जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक मैं अपना भाषण कैसे जारी रख सकूंगा? जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक मैं अपना भाषण पुन: कैसे आरंभ करूंगा? ...*(व्यवधान)* मैंने आपकी दलीलें सुन ली हैं। कृपया बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप पीठ को संबोधित करें। तब, मैं सभा को नियंत्रित करूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जब तक वे अपने स्थान पर पुन: नहीं बैठते, मैं अपना भाषण पुन: प्रारंभ नहीं कर सकता।...*(व्यवधान)* सच्चाई यह है कि हमने कहा है कि हमें सभी राजनीतिक दलों के विचारों को जानना होगा। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने विस्तृत विचार-विमर्श किया है और मुझे बताया गया है कि वे जल्दी ही कोई राय बनाने में समर्थ होंगे परंतु मेरा निवेदन है कि जब कांग्रेस पार्टी उस मामले पर कोई राय बनाती है, तब अन्य राजनीतिक दल जिन्होंने अभी तक अपनी अंतिम राय हमें औपचारिक रूप से नहीं बतायी है, वे भी अवश्य ही कोई राय बना सकेंगे। यह तभी होगा जब आंध्र प्रदेश विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले ये आठ राजनीतिक दल कोई राय बनाते हैं, तभी सरकार कोई विचार बना सकेगी। हम किसी दल पर कोई विचार नहीं थोपने जा रहे हैं। उन्हें स्वय आगे आकर अपने विचारों को बताना होगा। एकबार जब वे अपने विचार दे देंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करने में संकोच नहीं करेगी। ...*(व्यवधान)* क्या करना चाहिए? आपकी पार्टी का आंध्र प्रदेश में बहुत ही कम जनाधार है। मैंने पिछले अवसर पर श्री आडवाणी जी का पत्र पढ़ा था। श्री आडवाणी जी ने एक पत्र में लिखा था कि उनकी पार्टी तेलंगाना राज्य बनाने के खिलाफ थी। मैंने उस पत्र को सभा पटल पर रखने की पेशकश की थी परन्तु आपकी पार्टी ने उसके बाद अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। मैं दृष्टिकोण बदलने के आपके अधिकार पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, परंतु अन्य राजनीतिक दल भी हैं जिनका आंध्र प्रदेश के कल्याण में काफी अधिक भागीदारी है, उन्हें अपनी राय बनानी है। यदि वे निर्णय लेने में थोड़ा अधिक समय लेते हैं, तो निर्णय लेने में अधिक समय लेने के लिए मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ सवाल थे। परंतु मुझे नहीं पता कि सन्दीप दीक्षित जी मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं बताऊं कि दिल्ली पुलिस के संबंध में क्या किया

[श्री पी. चिदम्बरम]

गया है। हमने दिल्ली पुलिस की क्षमता में काफी वृद्धि की है। हमने और लोगों को भर्ती किया है। हमने और पुलिस थानों की स्थापना की है। हमारे पास अब ज्यादा उपमंडल हैं। हमने उन्हें अधिक वाहन दिये हैं। मैं समझता हूं कि पहले की तुलना में आज पुलिस तथा कानून और व्यवस्था के संदर्भ में दिल्ली में बेहतर प्रशासन है। दिल्ली तीव्र गति से बढ़ता हुआ शहर है और दिल्ली में बड़ी सख्या में अनियमित या उन्हें अवैध या अनियमित बस्ती जो भी कहा जाये, हैं। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से भी अधिक संख्या में लोग आते हैं। दिल्ली जैसे महागनर में पुलिस व्यवस्था का कार्य बहुत ही जटिल है। इसीलिए, मुंबई और दिल्ली में अलग प्रकार की पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। हम दिल्ली में एक भिन्न प्रकार की पुलिस व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं और मुंबई को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। एक बड़े महानगरीय समूह की पुलिस व्यवस्था उस तरीके से किया जाना संभव नहीं है जिस तरीके से छोटे शहरों में पुलिस व्यवस्था की जाती है। परंतु दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, मैं उत्तर-पूर्व के लड़के और लड़कियों तथा नागरिकों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कुछ मिनट लेना चाहता हूं। मुझे अत्यन्त खेद है कि अलग प्रजातीय विशेषताओं के कारण इन लोगों को अभी भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यह बहुत दुःख की बात है। उत्तर-पूर्व के लोग भी उसी प्रकार भारत के अंग हैं जिस प्रकार भारत के अन्य राज्य हैं और उत्तर-पूर्व के बच्चे भी अन्य राज्यों के बच्चों जैसे ही हमारे बच्चे हैं। समस्या सर्वप्रथम दिल्ली में उत्पन्न हुई क्योंकि उनमें से कई दिल्ली आए। परंतु कृपया याद कीजिए कि पिछले डेढ़ साल में दिल्ली में उत्तर-पूर्व के लड़कों और लड़कियों से संबंधित घटनाओं की संख्या में बहुत हद तक कमी आयी है। वास्तव में, सन् 2011 में केवल एक ही गंभीर घटना हुई और कुछ छोटी घटनाएं हुईं।

अब, उत्तर-पूर्व के लड़के और लड़कियां अन्य शहरों में जा रहे हैं। वे गुड़गांव जा रहे है और नोएडा जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश, जो कुछ भी गुड़गांव और नोएडा में घटित होता है – क्योंकि हम यहां अंग्रेजी समाचार-पत्र और हिन्दी समाचार-पत्र पढ़ते हैं – लोग इसे दिल्ली में हुआ मानते हैं। परन्तु, यह गुड़गांव में घटित हो रहा है और यह नोएडा में घटित हो रहा है। सुश्री डाना संगमा का मामला गुड़गांव में हुआ था। वे बंगलौर जाते हैं। रिचार्ड लोइटम का मामला बंगलौर में हुआ था। मैं दोनों ही राज्य सरकारों के सम्पर्क में हूं। हम दोनों ही मामलों की कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। यदि किसी भी समय हमें लगता है कि या तो हरियाणा सरकार या कर्नाटक सरकार इन दोनों मामलों में कार्यवाही कर इन्हें तार्किक निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ाती हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों ही मुख्य मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि मामले को सी.बी.आई. को सौंप दें। परन्तु, जैसे ये बच्चे भारत के अन्य हिस्सों में जाते हैं उसी तरह वे दिल्ली भी आते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा और प्रार्थना है कि भारत के अन्य भागों में भी, लोग इन लड़के और लड़कियों का स्वागत करें, अपने स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु उन्हें अनुमति दें और देश के किसी अन्य राज्य के बच्चों जैसे ही उनके साथ व्यवहार करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसी टिप्पणी की अनुमति नहीं है। उन्होंने जो उत्तर दिया है कृपया उसके प्रति गंभीर रहें। ध्यान भंग न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, सी.सु.ब. संशोधन अधिनियम और एन.सी.टी.सी. के बारे में कुछ सवाल उठाये गए थे। परंतु, मुझे नहीं पता कि क्या एन.सी.टी.सी. पर विस्तार से बोलने के लिए यह उपयुक्त समय है क्योंकि आगामी 5 मई को मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। सी.सु.ब. संशोधन के बारे में कुछ प्रश्न थे, जो अब राज्य सभा में हैं। अब, मुझे संदेह है कि जिन्होंने एन.सी.टी.सी. की आलोचना की है उनमें से कई लोगों ने – मुझे संदेह है – एन.सी.टी.सी. आदेश या तीन पृष्ठों का नोट, जिसे मैंने परिकलित किया था, पढ़ा ही नहीं है। यह आलोचना नहीं है। यह मेरा अपना विचार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?

सी.सु.ब. संशोधन अधिनियम को ही लेते हैं। धारा 139 के अधीन सी.सु.ब. को अधिकार दिए गए हैं। जो भी शक्तियां हैं सभी ज्यों का त्यों हैं। इस धारा में संशोधन नहीं किया जा रहा। मैं इस बात पर बल देता हूं कि वह धारा संशोधित नहीं हो रही है। आप कह सकते हैं मैं बी.एस.एफ. को अधिक शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। वह धारा संशोधित नहीं हो रही है। जो हम कर रहे हैं वह यही है। अधिनियम की प्रस्तावना, जो काफी पहले बनी थी, में कहा गया है कि बी.एस.एफ. को सीमा पर तैनात किया जा सकता हैं आज, मुझे बी.एस.एफ. को दो राज्यों: ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आंतरिक

जिलों में अनिर्वायत: तैनात करना पड़ रहा है। ओडिशा में बी.एस.एफ. की 30 कंपनियां और छत्तीसगढ़ में बी.एस.एफ. की 30 कंपनियां तैनात हैं। क्या मैं उन्हें तैनात करूं या क्या मैं उन्हें हटा लूं। मुख्य मंत्री उनकी तैनाती चाहते हैं। अधिनियम मुझे उन्हें तैनात करने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए, हम प्रस्तावना को संशोधित करना चाहते हैं और उस धारा में संशोधन करना चाहते हैं जो कहता है–'सीमा क्षेत्र' और उसके स्थान पर "राज्य में कोई अन्य क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। बी.एस.एफ. को तब तक तैनात नहीं किया जा सकता जब तक कि मुख्य मंत्री नहीं चाहे। जब मैं इस बल को सीमा पर तैनात करता हूं, तो उसकी शक्तियां विद्यमान हैं। जब मैं इस बल को भीतरी जिलों में तैनात करता हूं, तो बी.एस.एफ. की समान शक्ति नहीं होनी चाहिए? कोई भी अतिरिक्त शक्ति नहीं दी जा रही है। जो कुछ भी किया जा रहा है वह छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बी.एस.एफ. की तैनाती को नियमित करने के लिए किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मेरा पत्र मिल गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वे यहां पर 5 मई को आयें तो वे अनुकूल प्रत्युत्तर दे सकेंगे।

यही बात एनसीटीसी के साथ है। मैं तीन वाक्यों से अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि हम इस पर 5 मई को विचार-विमर्श करेंगे। यू.ए.पी.ए. की धारा 2(ङ) मेरे गृह मंत्री बनने से काफी पहले सन् 2004 में बनी थी, जिसके द्वारा "निर्दिष्ट अभिकरण" जोड़ा गया था। हमने दिसम्बर, 2008 में यू.ए.पी.ए. अधिनियम संशोधन कर दिया। हमने जोड़ा, लोक सभा ने धारा 43(क) से 43(च) जोड़ा। इस पर इस सभा में बहस हुई थी। धारा 43(क) में निर्दिष्ट अभिकरण का उल्लेख किया गया हैं इसमें कहा गया हे कि निर्दिष्ट अभिकरण आतंकरोधी कतिपय परिस्थितियों में गिरफ्तारी और सामानों की जब्ती कर सकती है। परंतु जैसे ही आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, आपको नजदीकी पुलिस थाने में उन्हें सौंप देना है। यह संसद द्वारा बनाया कानून है। यह लोक सभा में पारित हुआ था, यह राज्य सभा में पारित हुआ था। वास्तव में, आप में से कई लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था: "हमने सन् 2008 में कानून पारित किया था। आप तीन सालों से क्या कर रहे थे" मेरे विरुद्ध आरोप यह होना चाहिए कि मैं आलसी था, मैंने तीन साल की देरी कर दी। परन्तु, अंत में जब मैंने सरकार के भीतर आम सहमति प्राप्त की और एनसीटीसी का गठन हुआ, आप अपनी बात से पलट गए और कहते हैं कि मैं राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा हूं। मैं किस शक्ति का अतिक्रमण कर रहा हूं?

आतंकवाद रोधी अभियान के तहत आतंकियों से मुकाबला करते हुए वहां पहले मौजूद पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करेगा और अगली धारा 43(ख) में यह उल्लेख किया गया है कि जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो आपको उसे निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपना होगा और तत्पश्चात् थानाध्यक्ष मामले की जांच पड़ताल करेगा। कृपया बताइए कि राज्य के अधिकारों पर कहां अतिक्रमण हो रहा है? बहरहाल, हम इन मामलों पर 5 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। मैं केवल यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आतंकवाद, हिंसा, उग्रवाद – इनका मुकाबला करने की हमारी साझा जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को वहन करने के लिए तत्पर हैं, तो राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अंत में, मैं दो से तीन मिनट का और समय लेकर अपनी बात समाप्त करते हुए बताना चाहता हूं कि मेरे क्या विचार हैं, हमारी सरकार क्या सोचती है और प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं उन्होंने अलग-अलग शब्दों में यह कहा है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीपीआई (माओवादी) हैं।

मैंने सभा में यह सुना है कि अनेक सदस्यों का कहना है कि इस विषय पर बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाए। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कृपया मुझे यह बताइए कि मुझे किससे बात करनी चाहिए? जी हां हम इस संबंध में वार्ता करेंगे। जब हम वार्ता करेंगे क्या तब हिंसा होगी या नहीं होगी? मैं इस प्रश्न को दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं। वर्ता के समय क्या हिंसा होनी चाहिए? क्या हिंसा नहीं होनी चाहिए? इस बात का प्रमाण है कि मैंने सीपीआई (माओवादियों) को यह प्रस्ताव किया था कि वे इस बात का वचन दें कि जब हम वार्ता करें तब वे हिंसक गतिविधियां ना करें और मैं तुरंत वार्ता हेतु एक तिथि और स्थान निर्धारित करूंगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिये हम और अधिक कड़ी शर्तें रखते हैं। उत्तर पूर्व में उन्हें हथियार डालने होंगे; उन्हें आत्म समर्पण करना होगा; उनके कैडर को कैंपों में जाना होगा; उनके अस्त्र शस्त्रों का समर्पण किया जाना चाहिए। तभी हम उनसे वार्ता करेंगे। नक्सलियों के मामले में और सीपीएम (माओवादी) के मामले में हम यह बात नहीं कहते। हम केवल इतना कहते हैं कि वार्ता के दौरान आरंभ से अंत तक कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। प्रतिक्रिया के अभाव में, मुझे अपनी दोहरी रणनीति का पालन करना होता है। रणनीति का एक पहलु पुलिस अर्थात् सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा कार्यवाही किया जाना है और रणनीति का दूसरा पहलू है विकास कार्य किया जाना।

[श्री पी. चिदम्बरम]

आईएपीए, के अंतर्गत हमने गत 18 माह में 3,300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इन 60 जिलों में 6600 कार्य पूरे किए गए हैं। हाल के समय में यह एक सर्वाधिक सफल योजना रही है। 60 जिलों में 18 माह में छियासठ हजार कार्य पूरे किए गए हैं। फिर भी, सीपीआई (माओवादी) के दो मुख्य लक्ष्य रहे हैं स्कूल भवन और सड़कें ...*(व्यवधान)* मैं स्कूल भवन में पुलिस तैनात नहीं करता। यदि पुलिसकर्मी स्कूल भवन में तैनात हैं तो यह कार्य राज्य सरकार करती है, जो कि इस संबंध में कार्यवाही करती है और उसके पास यदि कोई स्थान न हो तो वह स्कूल भवन में पुलिसकर्मियों को तैनात कर देती है। मैं पुलिसकर्मियों को स्कूल भवन में तैनात नहीं करता। मैं मुख्यमंत्रियों से अवसंरचना निर्माण करने; बैरक उपलब्ध कराने; शौचालय उपलब्ध कराने; स्नानगृह प्रदान कराने और रसोई घर उपलब्ध कराने के लिए कहता हूं। यदि मैं अवसंरचना में खामियां गिनाऊं तो यह एक भारी भरकम सूची बनी जाएगी। मैं आपको दोष नहीं देता। आपके पास धन और संसाधनों का अभाव है। परन्तु, मुद्दा यह है कि स्कूल भवन निशाना बनते हैं, सड़कों को निशाना बनाया जाता है। क्यों? क्या सीपीआई वाले (माओवादी) नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल जाएं; सीपीआई (माओवादी) यह नहीं चाहते कि सड़कों का निर्माण हो। यदि सड़कों का निर्माण होगा तो भीतरी प्रदेशों तक भी संपर्क स्थापित हो जाएगा। वे लोग ठेकेदार के वाहनों को निशाना नहीं बनाते क्योंकि ठेकेदार के वाहन उन्हें रंगदारी देते हैं; वे खनन कंपनियों को भी निशाना नहीं बनाते क्योंकि ये कंपनियां भी उन्हें रंगदारी देती हैं; परन्तु वे निर्माण कंपनियों को अपना निशाना बनाते हैं। निर्माण कंपनियों के जेसीबी, बुलडोजर जैसे उपकरणों को निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे नहीं चाहते कि वहां कोई निर्माण कार्य हो। महोदय, मेरा विश्वास कीजिए, और आप स्वयं भी जानते हैं कि बिना निर्माण कार्य के छोटा या बड़ा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा सकता। ओवर हैड टैंक, स्कूल, सड़क या पुल आदि सभी के लिये निर्माण की आवश्यकता होती है। मगर वे निर्माण कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। जो भी है जैसा भी है परन्तु यह बात स्पष्ट है। मुझे माओवादियों से वार्ता करने में कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और बिहार तथा ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने भी यह प्रस्ताव किया है।

रात्रि 8.00 बजे

उन्होंने न तो मेरे प्रस्ताव और न ही मुख्यमंत्रियों के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया की है। हम उनसे केवल इतना चाहते हैं कि वे वार्ता के दौरान हिंसा छोड़ दें और हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। परन्तु, वार्ता के अभाव में हमें अपनी दोहरी रणनीति जारी रखनी होगी।

हमें इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि सीपीआई (मोआवादी) कि वे क्या चाहते हैं। उनकी विचारधारा इतनी अस्पष्ट नहीं है जितना हम उनके बारे में अस्पष्ट हैं। वे अपने उद्देश्य के प्रति पूर्णत स्पष्ट हैं। उद्देश्य के प्रति पूर्णत स्पष्ट हैं। उनका उद्देश्य है कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के सशस्त्र फेंका जाए...*(व्यवधान)* इस बात का रिकॉर्ड है, यही उनके घोषणापत्र में है और साक्षात्कार में भी वे यही कहते हैं। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को सशस्त्र विद्रोह करके उखाड़ फेंका जाए और हथियार के बल पर सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए।

हम उनसे बात करेंगे। परन्तु, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? क्या यह वार्ता योग्य विषय है? क्या यह वार्ता योग्य मुद्दा है? हम उनसे शिकायतों, निर्धनता, निरक्षरता और विकास की कमी के बारे में वार्ता कर सकते हैं। परन्तु, कृपया मुझे बताइए, कि क्या इस सभा में मुझे कोई यह बता सकता है कि क्या हम उनसे सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से संसदीय प्रणाली को उखाड फेंकने के बारे में वार्ता कर सकते हैं? अत: हमें इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना उद्देश्य और प्रयोजन का पता है। हम उनके उद्देश्यों प्रयोजनों को समझ नहीं पा रहे हैं। अनेक सिविल सोसाइटी संगठन पूरी तरह से उनके उद्देश्यों और प्रयोजनों को समझने में विफल रहे हैं इसीलिए कुछ माननीय सदस्यगण उन्हें गुमराह बताते हैं। वे गुमराह नहीं हैं। वे अपने उद्देश्यों से प्रेरित हैं। हम उनके प्रयोग की गलत व्याख्या करके स्वयं को गुमराह कर रहे हैं। फिर भी, मैं एक बार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। सरकार, सीपीआई (माओवादी) से वार्ता करने के लिए इच्छुक है बशर्ते वे वार्ता के दौरान हिंसा का मार्ग छोड़ दें।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग) : महोदय, गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जम्मू और कश्मीर संवाद का वार्ताकारों की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था।

महोदय, आगामी कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर वार्ताकारों की रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तथा उसे संसदीय

ग्रंथालय में भी रख दिया जाएगा, सदस्य उस रिपोर्ट को देख सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया धैर्य रखिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। व्यवधान पैदा मत कीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि मैं आशावादी व्यक्ति हूं। वे जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व तथा क्षमता निर्माण के बारे में पिछले साढ़े तीन वर्ष के मेरे अनुभव ने और आशावादी बना दिया है। मैं भविष्य के प्रति आशावादी हूं। आतंक, हिंसा, उग्रवाद निरर्थक मार्ग हैं। ये रास्ते किसी दिशा में नहीं जाते। यह गांधी, बुद्ध और जवाहरलाल नेहरू की भूमि है। जी, हां, कभी-कभी इधर-उधर छोटी-मोटी घटनाएं होंगी, आतंकी घटनाएं होंगी और कुछ क्षेत्रों में बड़े आंदोलन भी होंगे। परन्तु, अन्ततः मेरा मानना है कि लोग इस बात को समझेंगे कि ये सभी निरर्थक मार्ग हैं जिन पर कुछ लोग चलते हैं। अंत में, लोग सामने आकर ऐसी सरकार का समर्थन करेंगे जो उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करती है तथा शांति और विकास को बढ़ावा देती है। इस सरकार ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है और मुझे लगता है कि परिणाम सभी के सामने हैं।

महोदय, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं जबकि मेरा कहना है कि आपने गलत मार्ग अपनाया है। मुझे लगता है कि यदि आप गलत तरीकों को छोड़ दें तो मैंने जो कहा है वो आपकी समझ में आएगा। आप मेरे हाथ मजबूत करेंगे, आप सरकार का समर्थन करेंगे और मैं इस बात पर बल देता हूं कि केन्द्र और राज्य, राजनैतिक दल, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ कार्य करके इस देश को हम सभी के लिए सुरक्षित और भय मुक्त देश बनाएंगे।

सभापति महोदय : गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों हेतु मांगों के लिए सदस्यों द्वारा कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूं अथवा कोई माननीय सांसद अलग से कोई विशेष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां सभी एक साथ रखे जाएं।

सभापति महोदय : मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं अब गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52 से 56 और 96 से 100 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2013, को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। गुजरात सरकार ने बड़े शहरों एवं उनके अगल-बगल की शहरी परिवहन सेवा को सुदृढ़, सुरक्षित और अतिशीघ्र बनाने तथा जनता को अच्छी सुविधा देने के प्रयास स्वरूप गांधीनगर अहमदाबाद मेट्रो रेल द्वारा संकलन करने के मकसद से स्पेशियल परपज व्हीकल के तरीके से राज्य मालकी की मेगा कम्पनी लिमिटेड एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थापना की है, जो पूर्ण रूप से कार्यरत है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का टैक्नीकल कन्सल्टेंट हेतु रखा है।...*(व्यवधान)* दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 2005 में दो ब्यौरे-वार प्रोजैक्ट रिपोर्ट पेश किये गये थे, जिसका आज बजट दर के हिसाब से 900 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

इन प्रोजैक्ट के विकास के लिए आज तक खासी रकम खर्च हो चुकी है और अब होने वाले खर्च हेतु गुजरात सरकार ने अपने वर्ष 2012-13 के बजट में समावेश किया है और मेगा प्रोजैक्ट के लिए मेगा कम्पनी को 500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आप मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। इसके अलावा फिर भी इन प्रोजैक्ट का आधार केन्द्रीय सहायता पर निर्भर है जिसके लिए 25 प्रतिशत सहायता आवश्यक है। राज्य सरकार अन्य शहरों में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना चाहती है।...*(व्यवधान)*

[श्रीमती जयश्रीबेन पटेल]

अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त प्रोजैक्ट को सहायता हेतु उचित धनराशि आवंटित की जाये, जिससे गुजरात में पहला मेट्रो रेल प्रोजैक्ट से पुरानी और नई राजधानी अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच संपर्क बनाया जा सके।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (करौली धोलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धोलपुर के जिला धौलपुर में बनने वाले आरओबी किलोमीटर तीन धोलपुर राजाखेडा रोड स्टेट हाईवे न.-2 पर बनने वाले आरओबी का कार्य सन् 2000 में पूरा हो जाना था, लेकिन आज की तारीख तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। यही हाल सेवर पाली ब्रिज का है, जो मध्य प्रदेश को जोड़ता है एवं चम्बल नदी पर बनना है। दोनों पुलों के अधूरेपन से जनता को बेहद परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है।

मैं मांग करता हूं कि इन दोनों पुलों को अतिशीघ्र पूरा किया जाये, ताकि जनता की परेशानियां कम हो सकें एवं इन पुलों से जनता को होने वाला फायदा मिल सके।

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी) : महोदय, मैं सदन में उसम के धुबरी जिले में हुई नौका दुर्घटना में मारे गए लोगों के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहती हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करना चाहती हूं।

हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और स्वतंत्रता के 65 वर्ष पूरे कर चुके हैं परंतु अभी भी असम के कई हिस्सों में संचार प्रणाली बहुत खराब है जैसे कि धुबरी की तरफ ब्रह्मपुत्र पर कोई पुल नहीं है, जिससे लोगों को इस विशाल नदी को नौकाओं से पार करना पड़ता है जो बहुत ही खस्ता हालत में हैं और टूटी फूटी हैं। असम में अंतर्देशीय जल विभाग अपने स्टीमर और मशीन बोट चलाता है ये भी बहुत बुरी हालत में है और यही कारण है कि ऐसी दुर्घटनाएं नियमित रूप से होती रहती है।

इसके अतिरिक्त, इन सेवाओं को चलाने वाले ठेकेदारों के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी है। और बरसात के मौसम में यह किसी समुद्र की तरह दिखाई देती है। इसलिए खस्ताहाल नौकाओं के माध्यम से यात्रा करना बहुत खतरनाक है; इसलिए इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।

30 अप्रैल को जब यह घटना हुई थी, उस नौका में लगभग 400 लोग सवार थे। केवल 100 या 150 लोग ही उस नाम में सवार हो सकते थे परंतु फिर भी यह क्षमता से अधिक भरी हुई थी। यही कारण है कि यह नदी में डूब गई और उस दु:खद घटना में काफी लोग मारे गए। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना संबंधित प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण घटी। लोगों को अपना जीवन यापन करने, सरकारी काम से अथवा किसी अन्य काम के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इस विशाल नदी को पार करना ही पड़ता है। यदि सरकार सतर्क नहीं हुई तो इस तरह के हादसे लगातार होते रहेंगे।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे लोगों के हित में सोचे तथा जो लोग दुर्घटना में मारे गये हैं, तथा जो अभी तक लापता है, उनके परिवारजनों को पर्याप्त मुआवा दिया जाए एवं सरकार को मारे गये लोगों के शव बरामद करने के प्रयास करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पंजाब में पटियाला में स्थित थापर यूनिवर्सिटी में चल रहे विवाद की ओर ले जाना चाहता हूं। इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया था। वर्ष 1985 में यूजीसी, 1956 एक्ट के सेक्शन तीन के तहत 250 एकड़ में फैले इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, आज वहां इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट और सोशल साइंस के अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कराए जाते हैं। अब तक यहां से 12,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने शिक्षा हासिल की है, अपनी जिंदगी में बुलंदियों को छुआ है और समाज एवं देश के विकास में अपना योगदान किया है। इस तरह हजारों परिवारों की जिंदगी बनाने वाली यह यूनिवर्सिटी पंजाबियों के दिलों के बहुत करीब है। वर्ष 1986 से पहले यहां पंजाब से संबंधित छात्रों के लिए यहां 85 प्रतिशत सीट्स रखी गयी थीं, फिर भी यह देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में शमिल था। वर्ष 1986 के बाद थापर यूनिवर्सिटी में...*(व्यवधान)* पंजाब से संबंधित छात्रों के लिए सीटों की संख्या घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। तब भी यह यूनिवर्सिटी देश की टॉप टेक्नीकल यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो हमारे लिए फख्र की बात है। पिछले दिनों थापर यूनिवर्सिटी में पंजाब के छात्रों

के लिए जो 50 प्रतिशत कोटा था, उसे काट दिया गया है, जिससे बहुत निराशा की स्थिति है और पंजाब में बहुत बवाल हुआ है। पंजाब ने टेररिज्म देखा है,...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि 50 प्रतिशत कोटे को सरकार बहाल करे और पंजाब के नौजवानों को इसका लाभ मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री विजय इन्दर सिंगला को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से खुद को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी) : महोदय, दूरसंचार की क्रांति के युग में भी बिहार का सीतामढ़ी जिला, जहां से मैं सांसद हूं, लगभग 100 किलोमीटर बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है। सारी टेलीफोन कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है और मोबाइल टावर्स फेल रहते हैं। नेपाल से जो माओवादी एक्टिविटीज होती हैं या अपराध की घटनाएं होती हैं, शासन-प्रशासन के पास उनको पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। साल भर पहले माननीय दूरसंचार मंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि वहां पर टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने के लिए, वहां सीतामढ़ी से 60-70 किलोमीटर दूर मुजफ्फपुर से टेलीकम्यूनिकेशन का कार्य संचालित किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर मोबाइल टावर्स, चाहे बीएसएनएल के हों या प्राइवेट कंपनियों के हों, उनकी कमी है। इसके लिए बीपीएस जितना लगना चाहिए, उसकी कमी है। सरकार इसको पूरा करते हुए सीतामढ़ी जिले को टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट घोषित करे, ताकि टेलीकम्यूनिकेशन के इस दौर में सीतामढ़ी में संचार सुविधा की सहूलियत हो सके।

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में और पूरे राजस्थान में खाद्यान्न की अपार पैदावार हुई है, जिससे किसान काफी उत्साहित हैं, परन्तु सदन को बताते हुए मुझे खेद है कि जब किसान अपनी पैदावार मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा लाता है, तो वहां उसे कई दिन इंतजार करना पड़ता है। वहां पर्याप्त बारदाने नहीं मिलते हैं, टोकन से जब उसका नम्बर आता है, तब भी सही तरीके से व्यवस्था लागू नहीं होती है। उसको कई दिनों तक अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है, वह ठीक से काम नहीं कर रही है। सरकार ने कई एजेंसीज द्वारा किसानों का खाद्यान्न खरीदने की व्यवस्था की हुई है, लेकिन वे भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है और एफसीआई उन पर गिनरानी नहीं रख पा रही है। अगर किसानों को खाद्यान्न बेचने में कोई सहायता नहीं मिली तो मजबूर होकर उन्हें दलालों को बेचना पड़ेगा, जो जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के किसानों को अपना खाद्यान्न बेचने में शीघ्र सहायता की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ. ज्योति मिर्धा को श्री इज्यराज सिंह द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : आदरणीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि देश के उत्तर-पूर्वी राज्य बहुत अधिक पिछड़े हैं। इस पिछड़ेपन का मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में रेल अथवा सड़क यातायात द्वारा समय अधिक लगने के साथ-साथ यह बहुत महंगा भी पड़ता है। देश के अन्य हिस्सों से इन जगहों पर पहुंचने के लिए टेढ़े-मेढ़े रास्तों से आना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल में बलूरघाट रेल लाइन को वर्तमान में हिलि तक बढ़ाया जा रहा है। यदि इसे बांग्लादेश के हिस्से वाले हिलि तक बढ़ाया जाना है तो यह दोनों ही देशों के लिए लाभप्रद होगा। यदि ऐसा होना संभव है तो अगरतला-अखौरा रेल लाइन के द्वारा त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड पहुंचना और आसान होगा। कम समय में कम लागत में सामान को भी पहुंचाया जा सकेगा। इससे यह समस्त क्षेत्र समृद्ध होगा। यदि यह रेल नेटवर्क पूरा हो जाता है तो इसी तरह चिटगांव होकर सामनों का आयात-निर्यात भी संभव हो पायेगा। इसके परिणामस्वरूप उत्तर-पूर्वी भारत, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान का अधिकाधिक विकास होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दूसरे दक्षेस देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के माध्यम से, इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए और इस रेल परियोजना का कार्यान्वयन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

इन शब्दों के साथ, मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं ओडिशा में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मयूरभंज के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन केन्द्रीय विद्यालय हैं।

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया है, जिसके परिणामस्वरूप, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्यालय झारखंड के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आ गये हैं।

महोदय, पहले, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्यालय भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत थे। आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है – जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि भी समान है। दूसरे ओर, रांची मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ठीक तरह से नहीं जुड़ा है और सांस्कृतिक तथा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि भी अलग है। इसके साथ ही, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गरीब और पिछड़े लोग रांची के भौगोलिक संरचना से सुपरिचित नहीं हैं।

इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्यालयों को क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के अंतर्गत लाने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठायें।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : सभापति महोदय, मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि बच्चों के लिए कौंसलिंग कितनी आवश्यक हो गई है। हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तन में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं भी पैदा हुई हैं। इन समस्याओं में बच्चों का बदलता व्यवहार और मानसिक समस्या ने गंभीर रूप से लिया है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि अखबारों में बच्चों के अपराधों के खबरें न छपती हों। पाठशालाएं हों या घर या खेल के मैदान, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों का अचानक आत्मकेंद्रित होना या आक्रामक होना हर घर की कहानी बन गया है। चार-पांच साल के बच्चे से लेकर 17, 18 साल के किशोर इससे पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी तेजी से बदली जीवन शैली, न्युक्लियर फैमिली का बढ़ता क्रेज़, सिनेमा में दिखाए जाने वाले अपराध, रंगीन सपने और गरीबी-अमीरी की बढ़ती खाई आज जिस तरह बच्चों के द्वारा अपराध, आत्महत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसे देखकर यह प्रतीत होता है कि इसे समय रहते ही रोकना होगा।

यह समस्या पाश्चात्य देशों में भी है, किन्तु उन्होंने बच्चों की कौंसलिंग के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, जिसकी हमारी यहां अभी शुरूआत भी नहीं हुई है। बच्चों की भावनात्मक भलाई, विकास और उसकी शिक्षा के लिए कौंसलिंग अत्यावश्यक बन गई है। इसके अलावा हमारे देश में बाल शोषण भी एक बड़ी समस्या है, यह शोषण अक्सर स्कूलों, अस्पतालों, जो बच्चे घर के बाहर काम करते हैं, आसानी से इस शोषण का शिकार हो रहे हैं। अध्ययन से पता चला है कि घरों में काम करने वाली ज्यादातर बच्चियां अपने मालिक के शोषण का शिकार बनती हैं। इसी तरह होटलों, ढाबों, मोटर गैरेज, चाय की दुकानों आदि जगह काम करने करने वाले बच्चों के साथ दुकृत्यों का होना आम बात है। इस कारण बच्चों में अपराधी भावना, क्रोध, तनाव, चिंता और विकलांगता जैसी समस्या घर कर जाती है। महानगरों में गरीब घर से भाग कर आए बच्चों की समस्या ने विकराल रूप धारण किया है। ये बच्चे अक्सर गलत हाथों में पड़ जाते हैं और ड्रग्ज की तस्करी, चोरी और छोटे-मोटे अपराध करते हैं, जो सामाजिक समस्या के अलावा अपने वैयक्तिक जीवन को भी नष्ट कर देते हैं।

अपनी कच्ची उम्र में हुए शोषण व अपराध के कारण ये बच्चे परिवार तथा समाज से नफरत करते हैं। हमें इस समस्या की तरफ देखने का नजरिया बदलना होगा। इन पीड़ित बच्चों की कौंसलिंग करके उन्हें दोबारा सामान्य जीवन बिताने के अवसर प्रदान करने होंगे।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की कौंसलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर पीड़ित बच्चों को शिक्षा और कानून का संरक्षण देना चाहिए।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : सभापति जी, देश के अधिकांश बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, नागपुर आदि शहरों में हरी सब्जियों पर जहरीला रंग चढ़ाया जाता है जिसमें चमड़ा रंगने के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। मटर की हरी-फलियों, भिंडी, परवल, करैला, चना आदि सब्जियों को चमकदार हरा बनाने के लिए घातक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके सब्जी व्यापारी अपने फायदे के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार की मिलावट खाद्य पदार्थों में होना

आम बात हो गयी है। इसे रोकने के ठोस उपाय होना बहुत आवश्यक है ताकि जनता को इनसे होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर की लगभग सभी ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था चरमरा गयी है क्योंकि सड़क निर्माण एवं बाढ़ के समय से टेलीफोन केबल खराब हो गये हैं जिसके कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की टेलीफोन सुविधा शिवहर जिले के लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं एवं टेलीफोन की सुविधा से कई वर्षों से वंचित हैं। इस कारण लोग बीएसएनएल के टेलीफोन के लैंडलाइन टेलीफोन को सरेन्डर कर प्राइवेट मोबाइल कनैक्शन ले रहे हैं। इससे बीएसएनएल के राजस्व पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है लेकिन बीएसएनएल के अधिकारीगण इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिले में मधुबन, पताही, फैन्हारा, चिरैया एवं घोडासाहन क्षेत्रों में, शिवहर जिले में सीतामढ़ी जिले के सुप्पी, रीगा, बैरगनिया, बेलसंड क्षेत्रों में जो केबल ध्वस्त हो गये हैं उनको अभी तक सुधार नहीं किया गया है। इस संबंध में जब अधिकारी गणों के संज्ञान में यह बातें लायी जाती हैं तो निविदा का हवाला देते हुए इसे ठीक करने का आश्वासन देते हैं। यह आश्वासन देते हुए आज एक वर्ष हो गया है और टेलीफोन उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में केबिल कटे गांव के नाम समेत जानकारी लगभग एक साल पूर्व जुलाई, 2011 को दी गयी एवं इस संबंध में संबंधित महाप्रबंधक के साथ बैठक की। सदन को बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के विभागों को निर्देश दे रहे हैं कि सांसदों के पत्रों का ज्ञापन 15 दिन में एवं अंतिम जबाव तीन माह के अंदर दे परन्तु, यहां पर इस साल से कार्यवाही ही नहीं होती, तब जबाव देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त ध्वस्त केबल को शीघ्र स्थापित किया जाए एवं लापरवाही के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत) : सभापति महोदय, मैं तीन साल से एक ही बात कह रही हूं। मैं सूरत शहर का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। वहां की आबादी 45 लाख की है जहां पर हीरा, टेक्सटाइल एवं जारी उद्योग है लेकिन कनेक्टिविटी से अभी तक वंचित है। जो शहर विकास चाहता है उसे कनेक्टिविटी के नाम पर एक ही फ्लाइट मिली थी वह भी तीन साल तक लड़ने के बाद और अचानक स्पाईस जेट को फायदा कराने के लिए अभी जब सेशन चालू हुआ, उसके पहले 6 में से 3 दिन उनके लिए कर दिया गया है। सेशन में आने के टाइम हम लोग वहां से आये हैं लेकिन जाने के लिए या तो हमें मुम्बई होकर लाना पड़ता है या हमें वडोदरा होकर जाना पड़ता है। उसके साथ हमें यही बताना है कि अभी वैकेशन का टाइम चल रहा है और पूरी बुकिंग हुई थी, फिर भी एयर-इंडिया ने जो प्रोफिटेबल रूट है उन्हें हटाकर सूरत जैसे बड़े सिटी को जिसकी 45 लाख की आबादी है और 6 लोग हम यहां से यात्रा करते हैं जिसमें से दो लोग हम मंत्री हैं। मानकराव गावित जी भी सूरत से आते-जाते रहते हैं, एक बार हम लोग उनके लिए भी आंदोलन कर चुके हैं। फ्लाइट की कनैक्टिविटी के सिवाय हमें कुछ चाहिए नहीं, तो टाइम रि-शेड्यूल्ड करने के लिए और उन्हें अगले शहरों से जोड़ने के लिए ही कहना है। तीन एवीएशन मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। हम लोगों ने तीनों को भी बताया था। आज भी मेरा प्रश्न आया था लेकिन वह सस्पेंड हो गया था। लेटर लिखा था लेकिन कोई भी जबाव नहीं मिल रहा है। हमारा यही माध्यम है, इसके सिवाय कोई माध्यम नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, मैं अपने को श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : महोदय, मैं अपने को श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करती हूं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए धन मांगा। कई पत्रों द्वारा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार से धन की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है, जहां पीने के शुद्ध पानी का संकट है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है। इसी प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनी है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गांव हैं, जहां 250 से ले कर 500 तक की आबादी वाले गांवों को बिजली नहीं मिली है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को इन योजनाओं के लिए कोई धन नहीं दिया गया है। पानी का संकट है, पानी नहीं है और बिजली नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से मिले। वह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से मांग है कि केन्द्र की जो प्रायोजित उत्तर प्रदेश के लिए योजनाएं हैं, उनके तहत उत्तर प्रदेश को तत्काल धनराशि देने का काम करे, जिससे कि उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण और कारगर तथा सार्थक विकास हो सके।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर) : महोदय, पंजाब राज्य में, पुलिस गोलीबारी की घटनाओं की संख्या, जिसमें निर्दोष लोगों की या तो जानें गई हैं या जख्मी हुए हैं, दुर्भाग्यवश, बढ़ रही हैं। हमारे कुछ सहकर्मी जो यहां बैठे थे, अब वे भाग गए हैं।

उस प्रकार की दो घटनाएं हाल ही में घटित हुई हैं। एक घटना मनसा में घटित हुई और दूसरी गुरदासपुर में हुई, जो पंजाब राज्य का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। पहले मामले में, ओविंदपुरा गांव में करीब एक दर्जन किसान घायल हुए थे, जो एक तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु अपनी भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। बाद वाली घटना में, गुरदासपुर में, एक नवयुवक मारा गया था और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। वीडियो फुटेज एवं अन्य रिपोर्टों से, ऐसा प्रतीत होता है कि वे पुलिसकर्मी, जो इन मौतों के लिए जिम्मेदार थे, नए भर्ती हुए थे।

उत्तेजना के माहौल में, पुलिस अधिकारी बल प्रयोग के स्थान पर शांतिपूर्ण साधनों से स्थिति को आसानी से सुलझा सकते हैं। मुझे लगता है कि अक्सर युवा अधिकारी अनावश्यक रूप से बल प्रयोग का सहारा लेते हैं, जिससे अनुभवी और सक्षम अधिकारियों द्वारा बचाया जा सकता था।

इसलिए मैं, माननीय गृह मंत्री से उपयुक्त पुलिस सुधारों का उत्तरदायित्व लेने के लिए आग्रह करता हूं, उनमें से एक सुधार इस प्रकार के मामलों में पुलिस अधिकारियों, के मन में संवेदनशीलता का भाव जगाने के लिए अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा, मंत्रालय को प्रभावी दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियों में जनता के साथ कैसे व्यवहार किया जाय, तथा और भी कठोर सजा दी जानी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति होने से जो शून्य पैदा होता है उसकी भरपाई की जा सकती है।

सभापति महोदय : आपको बहुत धन्यवाद।

सभा कल 3 मई, 2012 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 08.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 3 मई, 2012/ 13 बैशाख 1934 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	361
2.	श्री नित्यानंद प्रधान श्री वैजयंत पांडा	362
3.	श्री पशुपति नाथ सिंह	363
4.	श्रीमती जे. शांता राजकुमारी रत्ना सिंह	364
5.	श्री नीरज शेखर श्री असादूद्दीन ओवेसी	365
6.	श्री एस. सेम्मलई	366
7.	श्री कपिल मुनि करवारिया श्री राम सुन्दर दास	367
8.	श्री एल. राजगोपाल श्रीमती प्रिया दत्त	368
9.	श्री राधे मोहन सिंह श्री अवतार सिंह भडाना	369
10.	श्री अब्दुल रहमान श्री कोडिकुन्नील सुरेश	370
11.	श्रीमती दर्शना जरदोश	371
12.	श्री पी. विश्वनाथन श्री ई.जी. सुगावनम	372
13.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	373
14.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी श्री एस.एस. रामासुब्बू	374
15.	श्री हरिन पाठक श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	375
16.	श्री एम.के. राघवन	376
17.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	377
18.	श्री हर्ष वर्धन श्री अर्जुन राय	378
19.	श्री वरुण गांधी	379
20.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्रीमती सुप्रिया सुले	380

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	4178
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	4186, 4350
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	4168, 4172, 4235, 4300

1	2	3
4.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	4273
5.	श्री आनंदराव अडसुल	4168, 4235, 4338
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	4285, 4333
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4305
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	4274
9.	श्री बदरूद्दीन अजमल	4251
10.	श्री एम. आनंदन	4278
11.	श्री अनंत कुमार	4313
12.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	4209
13.	श्री अशोक अर्गल	4179
14.	श्री कीर्ति आजाद	4143
15.	श्री गजानन ध. बाबर	4168, 4235, 4289, 4300
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	4260
17.	श्री रमेश बैस	4271, 4298
18.	श्री कामेश्वर बैठा	4148, 4259, 4304
19.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	4320
20.	डॉ. बलीराम	4291
21.	श्री अम्बिका बनर्जी	4208
22.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	4263
23.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	4166
24.	श्री अवतार सिंह भडाना	4300, 4324
25.	श्री सुदर्शन भगत	4275, 4323

1	2	3
26.	श्री ताराचन्द भगोरा	4183
27.	श्री संजय भोई	4242, 4307, 4319
28.	श्री समीर भुजबल	4281, 4314
29.	श्री पी.के. बिजू	4182, 4302, 4341
30.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	4144
31.	श्री सी. शिवासामी	4165, 4223, 4225, 4300, 4336
32.	श्री हरीश चौधरी	4155, 4220, 4311
33.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	4255, 4306
34.	श्री संजय सिंह चौहान	4247
35.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	4199
36.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	4292
37.	श्री भूदेव चौधरी	4325
38.	श्री निखिल कुमार चौधरी	4276
39.	श्रीमती श्रुति चौधरी	4163, 4334
40.	श्री अधीर चौधरी	4300, 4313, 4322
41.	श्री भक्त चरण दास	4213
42.	श्री खगेन दास	4232
43.	श्री राम सुन्दर दास	4343, 4368
44.	श्री गुरुदास दासगुप्त	4228
45.	श्री रमेन डेका	4265
46.	श्रीमती रमा देवी	4227, 4286, 4318
47.	श्री के.पी. धनपालन	4181, 4361

1	2	3
48.	श्री संजय धोत्रे	4279, 4302
49.	श्री आर. ध्रुवनारायण	4189, 4341
50.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	4147, 4306, 4320
51.	श्री निशिकांत दुबे	4236, 4312
52.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	4312
53.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	4242, 4307, 4319
54.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	4223
55.	श्री वरुण गांधी	4356, 4367
56.	श्री ए. गणेशमूर्ति	4173, 4300
57.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	4262, 4304
58.	श्री एल. राजगोपाल	4302, 4369
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	4258, 4303, 4304, 4324
60.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	4229
61.	शेख सैदुल हक	4230
62.	श्री महेश्वर हजारी	4148, 4259, 4304
63.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	4282
64.	श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन	4176, 4322
65.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	4264, 4311
66.	श्री बलीराम जाधव	4215, 4302
67.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	4149
68.	डॉ. संजय जायसवाल	4288
69.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4155, 4211, 4299

1	2	3
70.	श्री बद्रीराम जाखड़	4175, 4342
71.	श्री नवीन जिन्दल	4197, 4228, 4282, 4355, 4367
72.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	4209
73.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	4237
74.	श्रीमती कैसर जहां	4191
75.	श्री पी. करूणाकरन	4216, 4314, 4315
76.	श्री कपिल मुनि करवारिया	4177, 4343, 4368
77.	श्री लालचन्द कटारिया	4207, 4221, 4283, 4369
78.	श्री नलिन कुमार कटील	4294
79.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	4294
80.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	4314
81.	श्री चंद्रकांत खैरे	4174, 4243, 4341
82.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	4154, 4283, 4329
83.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	4178, 4250, 4321
84.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	4223, 4238, 4313
85.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	4248, 4313, 4321
86.	श्री अजय कुमार	4253
87.	श्री पी. कुमार	4160, 4332
88.	श्री एन. पीताम्बर कुरूप	4233
89.	श्री यशवंत लागुरी	4224, 4313, 4318, 4321
90.	श्री पी. लिंगम	4228
91.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	4164, 4335

1	2	3
92.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4280
93.	श्री सतपाल महाराज	4321
94.	श्री नरहरि महतो	4218, 4341
95.	श्री प्रदीप माझी	4225, 4243, 4269
96.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	4151, 4309
97.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	4244
98.	श्री दत्ता मेघे	4286
99.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	4171
100.	श्री पी.सी. मोहन	4271, 4298
101.	श्री गोपीनाथ मुंडे	4300, 4305, 4312
102.	श्री विलास मुत्तेमवार	4240
103.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	4295
104.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	4326
105.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	4252, 4300, 4324
106.	श्री नामा नागेश्वर राव	4252
107.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	4200, 4357
108.	श्री नारनभाई कछाड़िया	4306, 4320
109.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	4256
110.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	4249
111.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	4300, 4302, 4351, 4367
112.	श्री पी.आर. नटराजन	4231
113.	श्री वैजयंत पांडा	4301, 4366

1	2	3
114.	श्री प्रबोध पांडा	4300
115.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4234
116.	कुमारी सरोज पाण्डेय	4212
117.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	4224, 4229
118.	श्री जयराम पांगी	4190
119.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	4242, 4307, 4319
120.	श्री देवजी एम. पटेल	4187
121.	श्री आर.के. सिंह पटेल	4204
122.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	4210
123.	श्री बाल कुमार पटेल	4277, 4312
124.	श्री किसनभाई वी. पटेल	4225, 4243, 4269
125.	श्री हरिन पाठक	4221, 4306, 4307
126.	श्री संजय दिना पाटील	4152, 4300, 4324
127.	श्रीमती भावना पाटील गवली	4272, 4302
128.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	4177, 4326
129.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	4242, 4307, 4319
130.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	4201, 4306
131.	श्री पोन्नम प्रभाकर	4302
132.	श्री नित्यानंद प्रधान	4301, 4366
133.	श्री पन्ना लाल पुनिया	4169, 4212, 4321, 4339
134.	श्री अब्दुल रहमान	4302, 4303, 4304
135.	श्री प्रेम दास राय	4224, 4290

1	2	3
136.	श्री रमाशंकर राजभर	4254
137.	श्री एम.बी. राजेश	4239
138.	श्री पूर्णमासी राम	4266
139.	श्री राजेन्द्रसिंह राणा	4313
140.	श्री निलेश नारायण राणे	4195
141.	श्री रायापति सांबासिवा राव	4158, 4302, 4317, 4331, 4363
142.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	4300, 4324
143.	श्री रामसिंह राठवा	4180
144.	डॉ. रत्ना डे	4224, 4301
145.	श्री अशोक कुमार रावत	4261, 4321
146.	श्री अर्जुन राय	4226, 4365
147.	श्री रुद्रमाधव राय	4248, 4313
148.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	4317
149.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	4193, 4353
150.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	4150, 4302
151.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	4218, 4341
152.	श्री एस. अलागिरी	4211, 4310, 4311
153.	श्री एस. पक्कीरप्पा	4184, 4224, 4321, 4323, 4346
154.	श्री एस.आर. जेयदुरई	4258, 4314
155.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	4319, 4348
156.	श्री ए. सम्पत	4287
157.	श्रीमती सुशीला सरोज	4148, 4259, 4304

1	2	3
158.	श्री तूफानी सरोज	4312, 4370
159.	श्री हमदुल्लाह सईद	4142, 4327
160.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	4300
161.	श्रीमती जे. शांता	4344
162.	श्री नीरज शेखर	4302, 4367
163.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	4145, 4302, 4326, 4331, 4352
164.	श्री एंटो एंटोनी	4247, 4300, 4314
165.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	4246
166.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	4151, 4167, 4337
167.	श्री भूपेन्द्र सिंह	4161, 4282
168.	श्री दुष्यंत सिंह	4206
169.	श्री गणेश सिंह	4302, 4321
170.	श्री इज्यराज सिंह	4224
171.	श्री जगदानंद सिंह	4296
172.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	4141
173.	श्रीमती मीना सिंह	4270, 4295
174.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4333
175.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	4267, 4306
176.	श्री राधा मोहन सिंह	4206, 4325
177.	श्री राकेश सिंह	4196, 4250, 4358
178.	श्री रतन सिंह	4162
179.	श्री रवनीत सिंह	4302, 4315, 4327

1	2	3
180.	श्री सुशील कुमार सिंह	4245, 4305
181.	श्री उदय सिंह	4209, 4219, 4300, 4316
182.	श्री यशवीर सिंह	4257, 4302, 4367
183.	चौधरी लाल सिंह	4202, 4363
184.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	4248
185.	श्री धनंजय सिंह	4224
186.	श्री रेवती रमन सिंह	4248, 4268, 4300
187.	श्री राधे मोहन सिंह	4364
188.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4300, 4308
189.	श्री उदय प्रताप सिंह	4207, 4283
190.	श्री विजय बहादुर सिंह	4247
191.	डॉ. संजय सिंह	4264, 4310
192.	श्री यशवंत सिन्हा	4316
193.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	4185, 4302, 4347
194.	श्री के. सुधाकरण	4225
195.	श्री ई.जी. सुगावनम	4354
196.	श्री के. सुगुमार	4198, 4298
197.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	4302, 4320, 4328, 4349
198.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	4153
199.	श्रीमती तबस्सुम हसन	4293
200.	श्री मानिक टैगोर	4170, 4300
201.	श्री अशोक तंवर	4194, 4360

1	2	3
202	श्री मनीष तिवारी	4297
203.	श्री आर. थामराईसेलवन	4156, 4302, 4330
204.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	4217
205.	डॉ. शशी थरूर	4241
206.	श्री पी.टी. थॉमस	4223
207.	श्री मनोहर तिरकी	4151, 4309
208.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4159
209.	श्री जोसेफ टोप्पो	4214, 4313
210.	श्री लक्ष्मण टुडु	4192, 4313, 4321, 4326
211.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	4259, 4304
212.	श्री हर्ष वर्धन	4308
213.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4220, 4227, 4311
214.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4345
215.	श्री सज्जन वर्मा	4188
216.	श्रीमती ऊषा वर्मा	4148, 4259, 4304
217.	श्री वीरेन्द्र कुमार	4289, 4323
218.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	4205
219.	श्री पी. विश्वनाथन	4305, 4359
220.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4146, 4222, 4328
221.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	4272
222.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	4155, 4286, 4299
223.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4172, 4223, 4235, 4300, 4340

1	2	3
224.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	4226, 4300, 4365
225.	श्री ओम प्रकाश यादव	4157, 4362
226.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	4223, 4324
227.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	4222
228.	श्री मधुसूदन यादव	4284
229.	योगी आदित्यनाथ	4203

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	361
नागर विमानन	:	366, 367, 368, 371, 376
कोयला	:	363
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	362, 369, 372
विदेश	:	375
मानव संसाधन विकास	:	364, 365, 374, 377, 379, 380
प्रवासी भारतीय कार्य	:	370
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	378
योजना	:	373
अंतरिक्ष	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	4160, 4232, 4261, 4268, 4269, 4317, 4328
नागर विमानन	:	4156, 4158, 4159, 4163, 4164, 4167, 4169, 4171, 4177, 4179, 4215, 4216, 4219, 4251, 4259, 4271, 4279, 4302, 4304, 4313, 4314, 4324, 4325, 4344
कोयला	:	4147, 4151, 4153, 4174, 4209, 4226, 4233, 4243, 4245, 4248, 4258, 4284, 4286, 4316, 4341, 4347
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	4154, 4195, 4196, 4212, 4224, 4229, 4231, 4239, 4255, 4272, 4283, 4287, 4305, 4307, 4312, 4321, 4326, 4331, 4342, 4345, 4350, 4353, 4365, 4369
विदेश	:	4143, 4157, 4181, 4198, 4200, 4201, 4203, 4222, 4228, 4234, 4236, 4247, 4250, 4256, 4262, 4274, 4276, 4293, 4297, 4298, 4300, 4303, 4315, 4322, 4336, 4356, 4357
मानव संसाधन विकास	:	4148, 4152, 4155, 4161, 4165, 4168, 4172, 4175, 4176,

		4178, 4184, 4186, 4187, 4189, 4190, 4192, 4193, 4197, 4199, 4210, 4213, 4214, 4218, 4220, 4221, 4223, 4225, 4230, 4235, 4238, 4242, 4246, 4249, 4252, 4254, 4257, 4267, 4270, 4273, 4275, 4282, 4285, 4290, 4291, 4292, 4294, 4296, 4299, 4301, 4306, 4309, 4310, 4318, 4323, 4327, 4330, 4332, 4333, 4334, 4335, 4337, 4339, 4343, 4346, 4348, 4351, 4352, 4354, 4355, 4360, 4361, 4366, 4368, 4370
प्रवासी भारतीय कार्य	:	4170, 4173, 4182, 4191, 4194, 4237, 4263, 4320
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	4142, 4149, 4162, 4166, 4180, 4183, 4188, 4202, 4207, 4211, 4217, 4227, 4240, 4244, 4253, 4264, 4277, 4280, 4281, 4311, 4349, 4358
योजना	:	4141, 4144, 4145, 4146, 4150, 4185, 4204, 4205, 4206, 4208, 4260, 4266, 4288, 4289, 4295, 4308, 4329, 4338, 4340, 4359, 4362, 4363, 4364, 4367
अंतरिक्ष	:	4241, 4265, 4278, 4319

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/24/20/2012 (एन०)
230

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।